माला, खंड 11, अंक 2

मंगलवार, 26 जुलाई, 2005
4 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

पांचवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB 025
Block 'G'
Acc. No. 58
Dated 13/3/06

(खंड 11 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

प्र.ना. भारद्वाज
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

आर.एल. रैना
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 11, पांचवां सत्र, 2005/1927 (शक)]

अंक 2, मंगलवार, 26 जुलाई, 2005/4 श्रावण, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
मलेशिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत	1
निधन संबंधी उल्लेख	2–3
गुड़गांव में ''होंडा मोटर्स'' के कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की घटना के बारे में	3–33, 621–627
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 21 से 40	35–137
अतारांकित प्रश्न संख्या 231 से 407	137–579
सभा पटल पर रखे गए पत्र	579–581
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	581–582
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
इक्कीसवां प्रतिवेदन	582
कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति	
(एक) आठवां प्रतिवेदन	582–583
(दो) साक्ष्य	583
सदस्य द्वारा त्यागपत्र	585
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	
(एक) उद्योग संबंधी स्थायी समिति के एक सौ बावनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति—*सभा पटल पर रखा गया*	
श्री महावीर प्रसाद	585–586
(दो) गुड़गांव में ''होंडा मोटर्स'' के कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की घटना	
श्री शिवराज वि. पाटील	587–594

विषय	कॉलम
नियम 377 के अधीन मामले	610–620
(एक) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली जानवरों के आंतक को रोकने के लिए उपर्युक्त उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री वी.के. ठुम्मर	611
(दो) भारत कोकिंग कोल एंड ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले की नीलामी की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रशेखर दूबे	611
(तीन) उत्तरी गुजरात में बार-बार पड़ने वाले सूखे को नियंत्रित करने के लिए गुजरात सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिसिंह चावड़ा	611–612
(चार) आंध्र प्रदेश के महबूबनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए लम्बे समय से लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता	
श्री डी. विट्टल राव	612
(पांच) गुजरात में मोडासा-शामलाजी रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता	
श्री मधुसूदन मिस्त्री	613
(छह) अहमदाबाद गुजरात में राष्ट्रीय बचत संगठन के कार्यालय को बनाए रखने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	613
(सात) उत्तरांचल के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत सैनिकों के लिए कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
मेजर जनरल (सेवानिवृत) भुवन चन्द्र खंडूड़ी	613–614
(आठ) देश में आदिवासियों को वन भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री अनंत नायक	614
(नौ) राजस्थान के जयपुर जिले में नमक का उत्पादन कर रहे सांभर साल्ट्स लिमिटेड के कदाचारपूर्ण कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता	
श्री कैलाश मेघवाल	614–615
(दस) जनसंख्या में वृद्धि तथा पड़ोसी देशों से घुसपैठ को रोके जाने की आवश्यकता	
श्री दानवे रावसाहेब पाटील	615
(ग्यारह) केरल में पर्यटन उद्योग के और अधिक विकास के लिए उपयुक्त उपाए किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी. राजेन्द्रन	615–616
(बारह) उत्तर प्रदेश राज्य में घाटी विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजनरायन बुधौलिया	616

विषय	कॉलम
(तेरह) बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बछवाड़ा और पूसा के बीच विभिन्न रेलवे स्टेशनों को समस्तीपुर रेलवे जोन के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता	
श्री आलोक कुमार मेहता	616–617
(चौदह) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गोमती नदी में प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
मो. ताहिर खान	617
(पन्द्रह) बी. टी. कपास के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने तथा इस फसल की बुवाई के कारण प्रभावित किसानों की प्रतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता	
श्री अनन्त गुढ़े	617–618
(सोलह) स्थानीय आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उड़ीसा के कंधामल जिले में एक अभयारण्य बनाए जाने के प्रस्ताव को छोड़े जाने की आवश्यकता	
श्री सुग्रीव सिंह	618
(सत्तरह) तमिलनाडु के तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साउथ इंडिया बॉटलिंग कंपनी, जो निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की उपलब्धता से वंचित कर रही है, को बंद किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. अप्पादुरई	618–619
(अठारह) बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर और पाटन तहसीलों को विशेष बागवानी जोन घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	619
(उन्नीस) देश के विकास के लिए स्वदेशी संसाधनों पर आधारित नीतियां तैयार किए जाने की आवश्यकता	
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन"	619–620
(बीस) कर्नाटक में "एन डब्ल्यू एस आई पीडे" नामक नारियल रोग से प्रभावित नारियल उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त धनराशि मंजूर किए जाने की आवश्यकता	
श्री एम. शिवन्ना	620
स्थगन प्रस्ताव	
बंग्लादेश से लोगों का भारी संख्या में अवैध आप्रवासन	33–35 627–726
श्री लाल कृष्ण आडवाणी	627–642, 717–726
श्री प्रणब मुखर्जी	642–649
श्री बसुदेव आचार्य	649–656
श्री मोहन सिंह	656–662
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	622–667

विषय	कॉलम
श्री इलियास आजमी	667–671
श्री अनंत गंगाराम गीते	671–674
श्री तापिर गाव	674–679
श्री कपिल सिब्बल	680–691
श्री पी.ए. संगमा	691–694
डा. अरुण कुमार शर्मा	694–698
श्री अनवर हुसैन	698–699
श्री नारायण चन्द्र वरकटकी	699–702
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	702–703
श्री किरिप चालिहा	703–705
श्री प्रबोध पाण्डा	705–707
श्री सुशील कुमार मोदी	707–711
श्री शिवराज वि. पाटील	711–717
नियम 193 के अधीन चर्चा	
देश में प्राकृतिक आपदाएं	726
श्री बसुदेव आचार्य	726
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	727
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	728–734
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	735–736
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	735–736

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री गुरदीप चन्द मलहोत्रा

लोक सभा

मंगलवार, 26 जुलाई, 2005/4 श्रावण, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे एक निधन संबंधी उल्लेख करना है, कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, जब हम निधन संबंधी उल्लेख करते हैं, तो उसके प्रति कुछ आदर प्रकट करें।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

मलेशिया के संसदीय शिष्टमंडल का स्वागत

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, सबसे पहले, मुझे एक घोषणा करनी है।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से हमारे सम्माननीय अतिथियों के रूप में भारत की यात्रा पर आए मलेशिया की संसद के आउस ऑफ रिप्रजेंटेटिव्स के अध्यक्ष महामहिम श्री तान श्री दातो सेरी दिराजा रामली बिनन्ग़ाह तालिब तथा मलेशिया के संसदीय शिष्टमंडल के सदस्यों का स्वागत करता हूं।

वे सोमवार, 25 जुलाई, 2005 को भारत पहुंचे। वे इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हुए हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से मलेशिया नरेश, वहां की संसद, सरकार और मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं देते हैं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

निधन संबंधी उल्लेख

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को हमारे एक भूतपूर्व सहयोगी श्री बिपिन पाल दास के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्री बिपिन पाल दास दिसम्बर, 1985 से 1989 तक आठवीं लोक सभा के सदस्य थे तथा उन्होंने असम के तेजपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। इससे पूर्व श्री दास असम राज्य से 1970 से 1982 तक राज्य सभा के सदस्य रहे।

श्री दास एक प्रतिष्ठित संसदविद थे। वह 1973 से 1974 तक राज्य सभा के उप सभापति एवं 1978 से 1982 तक याचिका समिति, राज्य सभा के सभापति तथा 1972 से 1974 तक लोक लेखा समिति के सदस्य रहे।

वह एक कुशल प्रशासक थे। वह वर्ष 1974 से 1977 तक विदेश मंत्रालय में उप-मंत्री थे।

श्री दास स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने 1942 में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया तथा जेल भी गए। भारत संघ में मणिपुर को शामिल करने संबंधी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभायी।

वह एक प्रख्यात शिक्षाविद थे। वर्ष 1945 में कलकत्ता के आशुतोष कालेज में भौतिक विज्ञान के व्याख्याता के रूप में उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। वह वर्ष 1947 से 1950 तक तेजपुर के दरांग कालेज में व्याख्याता भी रहे और वर्ष 1959 से 1968 तक इसी कालेज में प्रधानाचार्य और प्रोफेसर के पद पर रहे। उन्होंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं।

उन्होंने अनेक देशों की यात्रा की। विदेश दौरों पर गए अनेक भारतीय शिष्टमंडलों एवं सद्भावना मिशन के सदस्य के रूप में उन्होंने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर देश का प्रतिनिधित्व किया। वर्ष 1971 तथा 1975 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में गए भारतीय शिष्टमंडल के सदस्य थे।

श्री बिपिन पाल दास का निधन 3 जुलाई, 2005 को 82 वर्ष की आयु में हुआ।

हम अपने इस मित्र के निधन पर गहरा शोक प्रकट करते हैं। मैं अपनी तथा सभा की ओर से शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सदस्यगण दिवंगत आत्मा के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़े रहेंगे।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

गुड़गांव में ''होंडा मोटर्स'' के कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की घटना के बारे में

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैंने प्रश्नकाल के निलम्बन हेतु नोटिस दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, जब मैं बोल रहा हूं तब कृपया बैठ जाए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: समाचार-पत्र नहीं दिखाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन समाचार-पत्रों को हटाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री आचार्य, आप एक पार्टी के नेता हैं। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मुझे कुछ कहने दीजिए। कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप क्यों बोल रहे हैं जो कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है?

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आप अध्यक्षपीठ के प्रति न्यूनतम आदर भी नहीं दिखा रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं। आप बैठते क्यों नहीं हैं? कृपया बैठ जाइए। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको बैठना पड़ेगा। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिए। अपने स्थान पर जाइए, जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे सभा का संचालन करने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: समाचार-पत्र मत दिखाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं आप सबको अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। आप खुलेआम अध्यक्षपीठ की अवहेलना कर रहे हैं। कृपया बैठ जाइए। आपको बैठना पड़ेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री थामस, मुझे अपको सभा से बाहर जाने के लिए कहना पड़ेगा। इस लोक सभा के साथ वैसा व्यवहार मत कीजिए जैसा आप कर रहे हैं। इस पर हम शर्मिंदा हैं। मैं आपको अनुमति देने जा रहा हूं। मुझे आधे सेकेन्ड का समय भी नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगा कि आप यहां बैठें और इस सभा का संचालन करें जब 200 माननीय सदस्यगण खड़े हों। यह मजाक का मुद्दा नहीं है।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदयः आपको ऐसा लग सकता है, किन्तु यह हास्य का मामला नहीं है। एक गंभीर बात हुई है। हमें खेद है कि बहुत सारे श्रमिक घायल हुए हैं। इस देश में कोई भी विवेकी व्यक्ति खुश नहीं हो सकता और हमारी प्रतिक्रिया भी ऐसी ही है मैं आपको कुछ कहने का अवसर दूंगा हालांकि, यह राज्य का विषय है। इसकी गंभीरता के कारण मैंने पहले ही कहा है कि आप में से कुछ लोगों को मैं बोलने की अनुमति दूंगा।

प्रश्न काल लम्बित करने के कई नोटिस मिले हैं। मैंने कहा था कि मैं आपको अपनी बात कहने की अनुमति दूंगा। किन्तु यदि सभी माननीय सदस्य उठ खड़े हों और कुछ कहना चाहें तो इसका निर्णय कैसे हो सकेगा? यह भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः श्री अनन्त कुमार, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह ऐसा विषय नहीं है जिस पर सब बोल सकें। यह एक गंभीर विषय है। कतिपय प्रश्न हैं। इस घटना की गंभीरता से हम सब चिंतित हैं। इस देश में श्रमिकों को बुरी तरह पीटा गया है। उचित ही कुछ कठोर टिप्पणियां की जा रही हैं। किन्तु क्या लोक सभा का ऐसे संचालन किया जाना चाहिए। क्या कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है? अतएव, मैं आप लोगों को यह मामला उठाने की अनुमति दूंगा।

मैंने यह इच्छा भी व्यक्त की है कि सरकार को वक्तव्य देना चाहिए। मुझे सूचित किया गया है कि मध्याह्न 12 बजे सरकार वक्तव्य देगी। माननीय गृहमंत्री वक्तव्य देंगे और तत्पश्चात् आप यदि कुछ कहना चाहते हैं, तो मैं आप में से कुछ लोगों को कुछ कहने की अनुमति दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए उसके बाद मैं आपको कुछ कहने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री श्रीचन्द कृपलानी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदयः मैंने कब कहा कि यह छोटा मामला है? यह बड़ा मामला नहीं है।

[अनुवाद]

यह जताने की चतुराई न करें कि केवल आप चिंतित हैं और अध्यक्षपीठ चिंतित नहीं है। मैं माननीय नेताओं से अपील करूंगा कि यदि आप नहीं चाहते कि सभा की कार्यवाही चले तो कृपया मुझे बता दीजिए। मैं सभी माननीय सदस्यों से बार-बार अनुरोध कर रहा हूं। मैं माननीय नेताओं से मिला हूं और मुझे उनके सहयोग का आवश्वासन मिला था।

इस देश के लिए हम यहां हैं। अपने निजी हितों के लिए हम यहां नहीं हैं। हम ऐसा करें जिससे हमने जो जिम्मेदारियां ली हैं उसे पूरा कर सकें। इस सभा में आकर हम उसे उचित ढंग से पूरा कर सकते हैं।

श्री दासगुप्त, मैं आपको बोलने के लिए कहूंगा। श्री आचार्य, मैं आपको बोलने के लिए कहूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कृपया बैठ जाइए। यह ठीक आचरण नहीं है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्षजी, क्वैश्चन ऑवर सस्पेंशन का नोटिस हमने इसलिए दिया है...*(व्यवधान)* वहां बर्बरता की पराकाष्ठा हुई है। आपने स्वयं इस बात का जिक्र किया है। जो कल हरियाणा राज्य के गुड़गांव में हुआ है ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आपने इस पर नोटिस नहीं दिया है।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः मैंने प्रश्न काल के निलंबन पर नोटिस दिया है जो प्रश्न काल के निलंबन के बारे में है।

अध्यक्ष महोदयः ठीक है, चूंकि मैंने आपका नाम पुकारा है, आप अब बोलिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः अध्यक्ष जी, आपने कहा कि यह स्टेट मैटर है। लेकिन यह स्टेट मैटर इसलिए नहीं है कि अगर यहां पर कोई सभ्य सरकार होती तो अब तक हरियाणा सरकार को डिसमिस कर दिया जाता, क्योंकि हरियाणा सरकार ने बर्बरता की पराकाष्ठा की है। ...*(व्यवधान)* वहां पर पुलिस ने अत्याचार किए हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाए। मुझे कुछेक निलंबनों को लेकर यह शुरू करना होगा। यदि एक माननीय सदस्य कुछ कह रहे हैं, तो क्या वह बात सबके लिए मान्य है? मुझे यह समझ नहीं आता।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अधीर चौधरी जी, कृपया बैठ जाएं। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: चौधरी जी, कृपया बैठ जाएं। मंत्रीगण भी उपस्थित हैं और सदस्य भी उपस्थित हैं आपको प्रतिक्रिया व्यक्त करने का पूरा समय मिलेगा।

[हिन्दी]

• **श्री इलियास आजमी** (शाहबाद): जलियांवाला बाग इसके आगे कुछ भी नहीं था। ...*(व्यवधान)*

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, कृपया संक्षेप में बोलें। अन्य सदस्यों को भी बोलना है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, स्वतंत्र भारत में इस प्रकार की घटना नहीं हुई थी, जलियांवाला बाग में इस तरह की घटना हुई ...*(व्यवधान)* पुलिस ने वहां लोगों को मुर्दों की तरह घसीट कर पीटा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलते रहिये।

[अनुवाद]

आपकी बात कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल की जाएगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा के कथन के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप बैठ जाइये। हम कोशिश कर रहे हैं, हम क्या करेंगे। हमने आपको बोलने का मौका दिया है और कहा है कि केवल आपका स्टेटमैन्ट रिकार्ड पर जायेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अधीर चौधरी, मैं आपको निलंबित कर सकता हूं।

श्री रामदास आठवले मैं आपका नाम लूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वहां के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर के बयान को सुनकर लगा कि पुलिस ने जो वहां अत्याचार किये हैं, उन्होंने उसे जस्टिफाई किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरूदास दासगुप्त।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। वहां पुलिस ने लोगों को जिस तरह से पीटा, उनमें कुछ लोगों को गटर में फेंक दिया गया, सैंकड़ों लोगों का पता नहीं चल रहा है। ...*(व्यवधान)* वहां पुलिस का भयंकर अत्याचार हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं हरेक का एक साथ नाम नहीं पुकार सकता। मल्होत्रा जी, यह मामला कार्यवाही-वृत्तांत में दर्ज किया गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वहां की सरकार ने पुलिस के साथ मिलकर अत्याचार किया है, यह सरकार का अत्याचार है इसके लिए हरियाणा सरकार को बर्खास्त किया जाए। यह स्टेट सब्जैक्ट नहीं है। यहां केन्द्र सरकार बैठी है। अगर श्री शिवराज पाटील साहब वहां कुछ नहीं करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर जिम्मेदार हैं। हम प्राइम मिनिस्टर को कटघरे में खड़ा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: इसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। धन्यवाद, श्री गुरूदास दासगुप्त।

...(व्यवधान) *

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप बैठ जाइये, आपकी बात रिकार्ड हो गई है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा को नियंत्रित करने के लिए मैं आपको सभापति के पैनल का एक सभापति बनाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरूदास दासगुप्त का वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जायेगा।

...(व्यवधान) *

श्री गुरूदास दासगुप्त (पसंकुरा): कृपया मुझे बोलने की अनुमति दें *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा): श्री विजय कुमार मल्होत्रा जी क्या बोल रहे थे, उसे हम सुन नहीं पाए क्योंकि बहुत ज्यादा हल्ला हो रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छा। पूरा देश देख रहा है कि हमारे वरिष्ठ सदस्य इस सदन में कैसा बर्ताव कर रहे हैं। पूरे देश को देखने दो। मैं निर्णय नहीं ले सकता। मैं यह मानता हूं कि सदस्य अध्यक्षपीठ को सहयोग नहीं दे रहे हैं और मुझे यह कहते बड़ा यह अफसोस होता है कि सहयेाग के आपके सारे वादे सच्चे नहीं हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री अनन्त कुमार यह सभी पर लागू है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सारे हिंदुस्तान ने देखा कि वहां पर क्या घटना हो रही है और कांग्रेस वाले इसे जस्टीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: विपक्ष के माननीय नेता की बात सुनें। हमें सुव्यवस्थित चर्चा करनी चाहिए। मैं एक-एक करके आपका नाम पुकारूंगा। मैं क्या कर सकता हूं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे अलग से बात करने का मौका मिला था। आज सुबह जब मैं अपनी पार्टी के साथियों से मिला तो मैंने इस बात पर जोर दिया था कि सदन की कार्यवाही में उचित तरीके से भाग लेना हमारे लिए जरूरी है। मेरे साथी प्रो. मल्होत्रा ने मुझे बताया था कि उन्होंने प्रश्न काल के निलंबन का नोटिस कल गुड़गांव में हुई घटनाओं के आधार पर दिया था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी मैंने उनके वक्तव्य को स्वीकार कर लिया है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है इसमें कार्यालय की गलती हो। मैंने उन्हें बोलने की अनुमति प्रदान कर दी है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, आपने उन्हें बोलने की अनुमति प्रदान कर दी है। इसके पश्चात् शासक दल के अलावा सभी ओर से सहयोग मिला क्योंकि उन दलों की कुछ बात ही ऐसी है। इसलिए, मैं शासक दल से उसके नेता के माध्यम से यह अपील करूंगा कि प्रो. मल्होत्रा को बोलने की अनुमति दिये जाने के प्रश्चात् तो बोलने दें और उसके बाद उन्हें बोलने दें जिन्हें बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की गयी थी *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोगों को क्या हो रहा है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले जी, आप संकट में पड़ रहे हैं। मैं तुम्हें अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूं। कुछ समय के लिए कई सदस्य स्वयं को सभा से बाहर पाएंगे।

मैं बार-बार यह कहता रहा हूं कि कोई भी सदस्य दूसरे सदस्य के वक्तव्य से बंधा हुआ नहीं है। हर सदस्य की अपनी

संकल्पना होती है, अलग विचार होते हैं, अलग नीतियां और कार्यक्रम होते हैं यदि एक माननीय सदस्य कुछ कहता है तो तत्काल अन्य सदस्य हुए पर अपनी प्रतिक्रिया आरंभ कर देते हैं। यह एक सुव्यवस्थित चर्चा नहीं है। सुव्यवस्थित चर्चा का अर्थ यह होता है कि किसकी चीजें कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित की जायेंगी। एक सदस्य अन्य सदस्यों की बातों को सुनेगा। इसलिए, मैं सभी के सहयोग की मांग करता रहा हूं। मुझे कुछ आपत्तियां हैं फिर भी मैं सभी मुद्दों पर चर्चा की अनुमति दे रहा हूं। चाहे वे मुद्दे यहां पर उठाये जा सकते हैं अथवा नहीं।

प्रो. मल्होत्रा, मुझे आपका नोटिस अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। मुझे लगता है कि कुछ गलती जरूर है। मैं आपके वक्तव्य को स्वीकार करता हूं। मैं आपके वक्तव्य को विवाद का विषय नहीं बना रहा हूं। मैंने आपका नाम इसलिए पुकारा है क्योंकि आपका संबंध एक प्रमुख विपक्षी दल से है। इसलिए, कृपया संक्षेप में बोलिए।

मैं सभी सदस्यों से संक्षेप में अपनी बात कहने की अपील करता हूं। मैं माननीय सदस्यों को अनुमति इसके महत्व के कारण दे रहा हूं और वास्तव में प्रश्न काल को समाप्त किया जा रहा है। मैं प्रत्येक सदस्य का नाम पुकारूंगा। यदि आप दोपहर 12 बजे तक प्रतीक्षा नहीं करना चाहते तो आप बोलना जारी रख सकते हैं लेकिन एक-एक करके और संक्षेप में। बहुत से दल हैं। मैं किसी पार्टी की उपेक्षा नहीं कर सकता। मैं सभी से संक्षेप में अपनी बात कहने की अपील कर रहा हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, हरियाणा के गुड़गांव में होंडा मोटरसाइकिल और स्कूटर इंडिया कंपनी से निकाले गए कर्मचारियों द्वारा डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन दिए जाने के समय हरियाणा पुलिस ने जिस प्रकार से उन्हें पीटा उसे सारे हिन्दुस्तान और दुनिया ने टेलीविजन समाचारों में देखा, जिससे हर आदमी के रोंगटे खड़े हो गए। अभी तक ऐसी घटना न देखी और न सुनी गई। लोगों को घेर कर पुलिस फोर्स ने जिस ब्रूटल तरीके से पीटा, मुर्गा बनाया, वहां से निकाला और जिस तरीके से कार्रवाई की गई, उसकी हर सभ्य समाज और व्यक्ति को निन्दा करनी चाहिए थी, लेकिन मुझे अफसोस है कि यहां बैठे कांग्रेस सदस्य, सदन में खड़े होकर हरियाणा सरकार को डिफेंड करने का काम कर रहे थे। *...(व्यवधान)* मैजीस्टीरियल इन्क्वायरी से काम नहीं बनेगा। हरियाणा सरकार के आदेश पर पुलिस ने इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री चौधरी जी, मैं आपको पहले भी चेतावनी दे चुका हूं, आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप स्वयं के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, 700 लोग अस्पताल में दाखिल हैं। 100 के करीब मिसिंग हैं। मारने के बाद लोगों को गटर में डाल दिया गया। लोग मिल नहीं रहे हैं। मिसिंग लोगों का कुछ पता नहीं चल रहा है। ऐसी भयंकर घटना की जिम्मेदार सरकार को, एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है। इस बारे में प्रधानमंत्री वक्तव्य दें। प्रधानमंत्री जी को यहां आना चाहिए और वक्तव्य देना चाहिए। सरकार का जो मजदूर विरोधी चेहरा है वह दुनिया में बेनकाब हो गया है। यह सरकार आम आदमी की बात करती है और इसी पार्टी की हरियाणा की सरकार ने आम आदमी पर घोर अत्याचार किया है, उसकी घोर निन्दा होनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकपुरा): राजस्थान में भी खून हुआ था। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गुरूदास दासगुप्त जी बोलेंगे। वह यह कहते हैं कि वह स्वयं वहां मौजूद थे।

श्री गुरूदास दासगुप्त: अध्यक्ष महोदय, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जो इस सभा में पांच घंटे से अधिक समय से मौजूद हूं। मेरे पास रक्त रंजित चीजें भी हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें। इसकी अनुमति नहीं है। हमें कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं इसकी प्रशंसा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आपके नेता ने अभी-अभी कोई दूसरी बात कही है। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप जो कहते हैं उसे करें भी।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्तः यह मेरे जीवन का सबसे दु:खद दिन था। मैं 18 वर्षों से संसद में हूं। मैंने पुलिस की ऐसी पाश्विक बर्बरतापूर्ण, संगठित गिरोहबाजी नहीं देखी जिसे कानून और व्यवस्था का रखवाला माना जाता है। बहुत शांतिपूर्ण प्रदर्शन था। माननीय गृहमंत्री जी वक्तव्य देंगे। कृपया आप मेरी बात सुनें। ...*(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता उत्तर-पूर्व): प्रधानमंत्री जी को वक्तव्य देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्तः मैं इसकी मांग करता हूं। गृह मंत्री जी को पुलिस का वक्तव्य न पढ़ने दिया जाए। पुलिस स्टाफ द्वारा मेरे साथ दुर्व्यवहार किया गया। मैं संसद में असत्य नहीं बोलता। जब मैं कल दोपहर 3.40 बजे सदर अस्पताल गया तो मैंने पाया कि अस्पताल के परिसर में सैकड़ों लोग चिल्ला रहे हैं और उनका खून बह रहा है। नि:संदेह चिकित्सक अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे। उनमें से कई लोगों के सिर में चोटें थीं। एक बेहोश व्यक्ति था और वह मेरी यूनियन का अध्यक्ष था मैं उसे वहां से हटाकर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती कराना चाहता था। मैं एक मारुति कार लाया और उसे उसमें डाल दिया। अचानक, पुलिसकर्मियों ने मेरी कार घेर ली। चालक को बाहर घसीटकर निकाल लिया। मुझे उसे अस्पताल नहीं ले जाने दिया गया। मैंने उन्हें बताया कि मैं संसद सदस्य हूं। उसने पूछा।

[हिन्दी]

आपके पास क्या प्रमाण है? मैंने उसे अपना पहचान-पत्र दिखाया और उससे पूछा कि वह कौन है। उसने तुरन्त अपनी नेमप्लेट हटा ली। माननीय गृह मंत्री जी उसने अपनी नेमप्लेट हटा ली और मुझे धमकी दी। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): यह विशेषाधिकार का मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः पाठक जी, कृपया मुझे सिखाने की कोशिश न करें। मैं इसके बारे में अधिक चिंतित हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): यह विशेषाधिकार का मामला है। हम तो इसे बस आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः चिंता करना आपका एकाधिकार नहीं है। यह राज्य का विषय है और इस पर चर्चा नहीं की जा सकती है। फिर भी मैं इसकी अनुमति दे रहा हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमारः यह माननीय सदस्य का अधिकार है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया मुझे पाठ न पढ़ाएं अब बहुत हो चुका।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः कृपया अब श्री दासगुप्ता को बोलने दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः आप हमेशा अध्यक्षपीठ को चुनौती देते हैं। यह आपकी आदत है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): पुलिस ने इस प्रकार से व्यवहार किया है और आप कह रहें हैं कि यह स्टेट मैटर है। हम इस बात को नहीं सुन रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः प्लीज जाइये। आप बोलिए।

श्री अनंत गंगाराम गीतेः यह स्टेट मैटर है, हमें नहीं सुनना है, आप सदन को चलाइये। हमें नहीं सुनना है। प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया था कि ब्रिटिश राज अच्छा था, यह उसी की झलक है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। केवल श्री दासगुप्ता का वक्तव्य सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः श्री दासगुप्ता के वक्तव्य के अलावा, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री गुरूदास दासगुप्तः महोदय, फिर मैं सचिवालय भवन गया था। सचिवालय भवन में मैंने एक बस की सवारियों की संख्या के बराबर लोगों को घायल पाया जिनके शरीर से खून बह रहा था। उन्हें तीन घंटे तक निरुद्ध रखा गया था। तीन घंटे के बाद उन्हें अस्पताल भेजा जा रहा था। मैंने जिला उपायुक्त से बात की।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपायुक्त यह नहीं बता सके कि लोगों का रक्त क्यों बह रहा था। मैंने यह जानने का प्रयास किया कि उन्होंने कितने लोगों को गिरफ्तार किया है। परन्तु उन्होंने मुझे आंकड़े देने से इंकार कर दिया। मुझे वहां देखकर वे लोग चले गए। मैंने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया। मेरे पास टूटे चश्मे के अलावा और काफी सामग्री है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्ता जी, आप स्वयं इसे उचित चर्चा के समय उल्लेख करने पर सहमत थे। मैंने भी कहा है कि उचित चर्चा होगी।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा अंतिम मुद्दा यह है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

यह क्या बात हो रही है?

[अनुवाद]

श्री सुधांशु सील (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम): महोदय, उन्होंने क्षेत्र का दौरा किया है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, फिर मैं थाने में गया था। मैंने अपना परिचय-पत्र दिखाया। मैंने उनसे कहा कि मैं बंदियों से अवश्य मिलना चाहता हूं। उन्होंने कहा, 'आप कौन हैं? मैं आपकी परवाह नहीं करता।' *...(व्यवधान)*

मैं धरने पर बैठा। संसद को ज्ञात होना चाहिए। मैं डेढ़ घंटे तक धरने पर बैठा। फिर, कोई आया और मुझे अनुमति दी गई। उन्होंने कहा आप अन्दर जा सकते हैं परन्तु आप बंदियों से बात नहीं कर सकते है।'' कल्पना कीजिए! वह कौन हो सकता है। यह पुलिस उपायुक्त था।

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आप अपनी बात पर अटल नहीं हैं। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं कह रहा हूं। मैंने 27 जुलाई को इस बारे में प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था; मैंने 27 जून को प्रधानमंत्री को लिखा था, मैंने इससे पहले 4 जून को प्रधानमंत्री को लिखा था। मैंने श्री हुड्डा को दो बार पत्र लिखा। मैंने श्री हुड्डा को 28 जून को पत्र लिखा था।

अध्यक्ष महोदय: दासगुप्ता जी, कृपया अब समाप्त कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त: महोदय, मैं श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा व्यक्त की गई चिंता का समर्थन करता हूं। परन्तु मेरी इच्छा है कि इस चिंता से संबंधित कार्रवाई को साकार रूप देना चाहिए। मैं उस पुलिस अधिकारी की बर्खास्ती चाहता हूं। उसकी पहचान कर सकता हूं। उस पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करें। मैं उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से न्यायिक जांच करवाना चाहता हूं। मैं सरकार का हस्तक्षेप चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए। यह जापानी कंपनी है। *...(व्यवधान)* सरकार भय से कांप रही है क्योंकि यह एक जापानी कंपनी है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। आपने घटना के बाद की बात बता दी है। अब श्री बसुदेव आचार्य जी बोलेंगे।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, हम सामान्यत: प्रश्न काल को स्थगित करने के लिए नोटिस नहीं देते। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): हम लोगों का भी इस विषय पर नोटिस है। *...(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): इस पर हमारा भी नोटिस है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, मैं केवल बारी-बारी से ही सुन सकता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, गुड़गांव में होंडा सायकिल कंपनी के कामगारों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर निर्मम हमला हुआ।

महोदय, यह अभूतपूर्व घटना है, मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है। पुलिस ने वर्दी में श्रमिकों की तीन घंटे तक निर्दयतापूर्वक पिटाई की है।

ये श्रमिक कुछ समय से आंदोलनरत थे, मैंने प्रधानमंत्री को 27 जून को भी लिखा था और उनसे इसमें हस्तक्षेप करने और जांच-पड़ताल करने को कहा था, होन्डा कंपनी ने श्रमिकों को आदेश दिया कि कारखाने में प्रवेश से पूर्व उन्हें वचन-पत्र देना होगा।

अध्यक्ष महोदय: यह विषय घटना से संबंधित नहीं है। आप केवल घटना का उल्लेख करें।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, ये 3000 श्रमिक दासों की तरह हैं। श्रमिक कानूनों का घोर उल्लंघन हुआ है।

इन श्रमिकों का पुलिस द्वारा घेराव किया गया था।

अध्यक्ष महोदय: हमने इस बात को सुन लिया है। श्री गुरुदास दासगुप्त वहां उपस्थित थे, उन्होंने इस बात को बताया है।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, आप कल्पना नहीं कर सकते कि पुलिस शांतिपूर्ण श्रमिकों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई करेगी।

हम प्रधानमंत्री से वक्तव्य की मांग करते हैं। मैंने देखा है कि प्रधानमंत्री ने इस घटना पर खेद व्यक्त किया है, दो माह पूर्व ही मैं श्रीमती गांधी से मिला था और उनसे अनुरोध किया था कि उन्हें दोनों ही मुख्यमंत्रियों पर दबाव बनाना चाहिए। यही बात पंजाब में भी हो रही है, महोदय: श्रमिकों द्वारा गठित संघों को राज्य सरकार के श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत नहीं किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: इन मामलों को पूर्ण चर्चा के दौरान उठाया जाना चाहिए। यह पूर्ण चर्चा नहीं है। अब पूर्ण चर्चा के लिए कोई मुद्दा नहीं है। आप मामला उठाने के लिए सहमत हुए थे। मैंने कहा कि मंत्री जी इसका जवाब देंगे। इसके पश्चात्, यदि चर्चा की अनुमति मिलती है तो चर्चा की जाएगी।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, इन श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या जापानी कंपनी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी देश के कानून, श्रम कानूनों का पालन नहीं करेंगी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भारतीय कंपनियां भी श्रमिक कानूनों का पालन नहीं करती हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें श्रम कानूनों के उल्लंघन की अनुमति दी जाएगी। उनकी मांग क्या थी? महोदय, हजारों श्रमिकों की छंटनी की गई उन्हें कारखाने के अंदर नहीं जाने दिया गया, श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है, जब श्रमिक शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, वे धरने पर थे तो उन्हें निर्दयता से पीटा गया है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न काल का स्थगित करने के लिए आगे बढ़ गए हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: उन्हें निर्दयतापूर्वक पीटा गया है, पांच से छह हजार श्रमिक घायल हुए हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है, लेकिन, वहां दवाइयां नहीं हैं।

मैं मांग करता हूं कि केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और पुलिस अधिकारी जो कि इस घटना के लिए उत्तरदायरी हैं– जैसे उपायुक्त, पलिस अधीक्षक और अन्य को निलंबित किया जाना चाहिए और एक न्यायिक जांच बिठाई जानी चाहिए। मजिस्ट्रेरियल जांच से काम नहीं चलेगा। इसकी जांच उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से कराई जानी चाहिए और प्रधानमंत्री को वक्तव्य देना चाहिए, यह गंभीर घटना है। हम चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आकर भाषण दें। सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और जो पुलिस अधिकारी जो इस घटना के लिए उत्तरदायी हैं और जिन्होंने श्रमिकों की पिटाई के लिए आदेश दिए हैं उन्हें तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: अब समस्या यह है कि हरियाणा सरकार यहां नहीं है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, कल गुड़गांव में श्रमिकों के साथ जो अन्याय हुआ है, जिसमें लगभग सात सौ श्रमिक लहूलुहान हैं और दो सौ श्रमिकों को गिरफ्तार किया गया है, मैं इधर के अपने साथियों से भी कहना चाहूंगा कि इस घटना की पूरे सदन को निन्दा करनी चाहिए।

श्रमिकों की हड़ताल कोई कल से शुरू नहीं हुई, श्रमिक दो महीने से बराबर अपनी मांगों के लिए संघर्ष कर रहे थे और उनकी मांगें बहुत जायज थीं। गुड़गांव स्थित जापानी कंपनी हौंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर्स इंडिया में एक हजार कर्मचारियों को सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया गया क्योंकि उन्होंने यूनियन बनाने की जुर्रत की। यह उनका लोकतांत्रिक अधिकार था। इस देश में जनतंत्र है, कोई तानाशाही, नादिरशाही नहीं है। मजदूर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए यूनियन बना सकते हैं, संगठित हो सकते हैं। जब वे संगठित हुए तो उनको बर्खास्त कर दिया गया और उनकी जायज मांगों के संबंध में दो महीने से कोई बात नहीं सुनी गई।

मैं कहना चाहूंगा कि विभिन्न कंपनियों का जो प्रबंध-तंत्र और प्रशासन है, उसमें जब मजदूरों का सवाल आता है तो प्रशासन और उन कंपनियों का प्रबंध-तंत्र मजदूरों के खिलाफ एक हो जाता है,

ऐसा देखने में आया है। गुड़गांव में यह नई घटना नहीं है। 1994 में मजदूरों के साथ अन्याय हुआ। 2001 में जब मारुति कंपनी ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही गंभीर मामला है और इसलिए मैंने इसे स्वीकार किया है। आप सभी ने अध्यक्षपीठ के साथ मामलों का संक्षिप्त विवरण देते हुए काफी सहयोग किया है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मजदूरों को पीटा गया और मीडिया कर्मियों को भी पीटा गया। यह बहुत गंभीर सवाल है। यह कहा गया कि कमिश्नर इसकी जांच करेंगे। इसमें प्रथम दृष्टया प्रशासन दोषी है। आयुक्त खुद उसका हिस्सा है, वह इसकी क्या जांच करेंगे। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जाएगा क्योंकि यहां पर राज्य के विषय पर चर्चा नहीं होती है।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी यहां बयान दें। इसमें सिर्फ जांच की जरूरत नहीं है, उन लोगों के खिलाफ तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभी माननीय सदस्य अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य श्री दासगुप्त ने मौके की स्थिति का जायजा लेकर जो स्टेटमैन्ट दी है, मैं उस पर बल देते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि देश की बहुराष्ट्रीय कंपनियों की फैक्ट्रियों और कारखानों में से गुड़गांव की यह कंपनी भी एक है, जिसमें मजदूरों के साथ अन्याय किया गया है। आपने टीवी में भी देखा होगा। उनको लाठियों से जानवरों की तरह मारा जा रहा था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक ही बात बार-बार क्यों करते हैं। आप जो बोलना चाहते हैं, वह बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक माननीय सदस्य इसी बात को कहेगा।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: हम कहना चाहते हैं कि लोकतंत्र में लोगों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा बनी रहे, उनके नागरिक अधिकार सुरक्षित हों, मजदूरों के अधिकारों को बल मिले, इसलिए जरूरी है कि मामले की ज्यूडीशियल इन्क्वारी हो। मैजिस्टिरियल इन्क्वारी कहीं भी होती है तो वह सरकार के पक्ष में होती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कह सकते हैं कि आप इससे सहमत हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज, आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्री मित्रसेन यादव: मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जो लोग इस कार्य में लिप्त रहे, उनको हटाया जाए, सस्पैंड किया जाए, तभी जांच निष्पक्ष हो पाएगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सहयोग के लिए आपका धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में कल जो घटना घटी है, उसकी जितनी निन्दा की जाए, कम है। मल्होत्रा जी ने इस प्रश्न को उठाया और दासगुप्ता जी, जो मौके पर मौजूद थे, उन्होंने वहां की परिस्थिति का जो वर्णन किया है, वह रौंगटे खड़े करने वाला है। इस प्रकार की घटना स्वतंत्र भारत में घट सकती है, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। इस पार्टी ने जो नारा दिया था – 'कांग्रेस का हाथ गरीबों का साथ', यह उसका जीता-जागता उदाहरण है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप खड़े क्यों हैं? यह मेरा काम है और मैं इसे करने का प्रयास कर रहा हूं, यदि आप

इसे जटिल न बनाएं तो यह अच्छा होगा। मैं उन्हें बैठने के लिए कहूंगा। प्रत्येक चीज रिकार्ड में हैं। क्या मैं अच्छी तरह प्रयास कर रहा हूं अथवा नहीं, अध्यक्षपीठ के साथ कौन सहयोग कर रहा है और कौन नहीं आदि।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह, यदि आप नहीं बैठेंगे तो मुझे आपके विरुद्ध कार्यवाही करनी पड़ेगी। अतः आप बैठ जाएं। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य अपने शब्द वापिस लें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कुंवर मानवेन्द्र सिंह क्या आप बैठेंगे या अब?

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अगर इनको एतराज है तो अपने नारे को वापिस ले लें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप छोड़िए।

[अनुवाद]

आप यहां लंबे समय से हैं और आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं, आप जानते हैं कि क्या होता है।

[हिन्दी]

आप अपने बारे में बोलिए।

श्री नीतीश कुमार: दूसरी बात यह है कि प्रधानमंत्री जी ने ब्रिटिश राज की जो प्रशंसा की है, उसी के चलते पुलिस को लगा कि जलियांवाला बाग जैसी घटना करनी चाहिए। चूंकि देश के प्रधानमंत्री ने उसकी प्रशंसा की है, इसीलिए कल यह घटना हुई। ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी ने ब्रिटिश राज की प्रशंसा की, उसी के चलते यह सब हुआ है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बस, बहुत हो चुका।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: अध्यक्ष महोदय, यह घटना सब लोगों के सामने है। हमारी मांग है कि दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाये तथा कांग्रेस पार्टी कम से कम वहां की सरकार को बर्खास्त करे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं, श्री मानवेन्द्र सिंह। मैं आपको निलंबित कर दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे सभा का संचालन करने दीजिए। इसका मजाक मत बनाइए। एक बहुत ही गंभीर घटना हुई है। मैं नियमों के विपरीत जाकर सदस्यों को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। मुझे आश्वासन दिया गया था कि कुछ माननीय सदस्य दो-दो मिनट तक बोलेंगे। आप देख सकते हैं कि यहां क्या हो रहा है। सदस्य इसी प्रकार से अध्यक्षपीठ से सहयोग कर रहे हैं। बहुत आश्वासन दिए गए थे परन्तु अब मैं किसी आश्वासन पर विश्वास नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने आसन से बार-बार कहा कि यह मामला स्टेट के लॉ एंड आर्डर से जुड़ा हुआ है, लेकिन विषय की गंभीरता को देखते हुए आपने पूरे सदन के माननीय सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से दिल्ली-जयपुर हाइवे पर प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों को ज्ञापन देने के बहाने बुलाकर ताबड़तोड़ लाठी चलाई गयी, वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक है, कलंक है। अभी श्री मित्रसेन यादव ने कहा कि जानवरों की तरह उन पर ताबड़तोड़ लाठियों चलाई गयीं। हमारा कहना है कि हम जानवरों के साथ भी कभी ऐसा बर्ताव नहीं करते। ...*(व्यवधान)* हम सब जानवर पालने वाले लोग हैं। किसी ने भी जानवरों को इस तरह से घेरकर ताबड़तोड़ लाठी नहीं चलाई होगी। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए शर्मनाक घटना है। मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं। जिस व्यवस्था में यह घटना घटी है और जब यहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों का बोलबाला होगा, मजदूरों का हक छीना जायेगा। इससे भी अधिक कठोर कार्रवाई करने की यदि आशंका है, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। यह चिंता का विषय है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी न्यायिक जांच हो और डीसी, एसपी यदि इस मामले में इन्वाल्व हों, दोषी हों तो उनके खिलाफ न्यायिक जांज कराकर, प्रथम दृष्टया जिन अधिकारियों पर आरोप तय हों, उन्हें सस्पेंड किया जाये। जिन पुलिस अधिकारियों ने इस

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मामले को उकसाकर, भड़काकर अमानवीय व्यवहार किया है, उन पर तुरंत कार्रवाई की जाये, उन्हें सस्पेंड किया जाये। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए ताकि मजदूरों और श्रमिक कर्मचारियों में यह संदेश जाये कि यहां न्याय का राज है। चूंकि अभी प्रधान मंत्री जी और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दुख व्यक्त किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें बोलने दीजिए। आप बिना व्यवधान के भाषण चाहते थे। जब दूसरे बोल रहे हैं तो आप उसमें व्यवधान डाल रहे हैं। मेरे साथ अनुचित व्यवहार मत कीजिए। मैं सभा को नियंत्रित करने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। जब आप बोल रहे थे तो आप व्यवधानों का विरोध कर रहे थे। मैं आपको निशाना नहीं बना रहा हूं। आपकी पार्टी के सदस्य बोल रहे हैं। एक-दूसरे से सहयोग कीजिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ समय पहले किसानों पर राजस्थान में गोली चली है। उस वक्त आपकी संवेदना कहां चली गयी? *...(व्यवधान)* आप क्या बात कर रहे हैं? इस तरह से आप बात मत कीजिए। यह श्रमिकों का मामला है। किसानों पर गोली चलाने वालों की क्या संवेदना हो सकती है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न्यायिक जांच स्थापित की जाये तथा गृह मंत्री जी इस पर बयान दें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम एक वक्तव्य पर सहमत हो गए हैं। आपमें संयम नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। कल गुड़गांव में जो घटना हुई है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किन्जरपु येरन्नायडु (श्रीकाकुलम): महोदय, अपनी पार्टी की ओर से मैं इसके साथ स्वयं को संबद्ध करना चाहता हूं। सरकार को जांच शुरू कर देनी चाहिए *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान मत डालिए। आपके नेता पहले ही बोल चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं कि गुड़गांव में मजदूर भाइयों पर जो लाठीचार्ज हुआ है, उनको जो चोटें आई हैं, उसकी माननीय प्रधानमंत्री जी, यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी ने निंदा की है। मैं सामने वाले साथियों से एक बात कहना चाहूंगा कि केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह का काम करते हैं। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं, *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। यह क्या है? आप सभा में व्यवधान क्यों डाल रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश: अध्यक्ष जी, मेरे पास पूरी रिपोर्ट है। अगर इस सदन का एक भी माननीय सदस्य यह साबित कर दे कि यह रिपोर्ट झूठी है तो मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, लेकिन आप मुझे सजा दे देना, मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आरएसएस के लोगों ने ...* यह सारा कुछ कराया है। *...(व्यवधान)* एक महीना पहले *...(व्यवधान)* 25 जुलाई को सुबह दस बजे मजदूर इकट्ठा हुए थे। *...(व्यवधान)* वे लोग बारह बजे महावीर चौक पहुंच गये और वहां जाकर मजदूर इकट्ठा हुए थे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह मुझे दिखाइए। कोई असंसदीय शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे हटा दिया है।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश: मैं मानता हूं कि मजदूर शांतिप्रिय थे लेकिन असामाजिक तत्वों ने आरएसएस के लोगों ने मिलकर 37 पुलिस के ऑफिसर्स को घायल कर दिया। ...*(व्यवधान)* वाहन जला दिये। उसके बाद हरियाणा के डीसी ने कहा कि ...*(व्यवधान)*

श्री श्रीचन्द्र कृपलानी (चित्तौड़गढ़): अध्यक्ष जी, इन्होंने आरएसएस को कहा है। ये ऐसा कैसे बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमने वह शब्द निकाल दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश: सर, इसके बाद गुड़गांव के डीसी ने कहा कि हम आपसे ज्ञापन लेंगे। चार बजे मजदूर ज्ञापन देने गये थे, वे सब मजदूर भाई थे लेकिन मजदूरों में असामाजिक लोग थे। ...*(व्यवधान)* वे आरएसएस के लोग थे। ...*(व्यवधान)* उनके साथ मिलकर उन्होंने डीसी पर लाठियां चलाईं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात हो गयी। अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री जय प्रकाश: सर, एक मिनट में कह रहा हूं। सर, उसमें आरएसएस के लोगों ने, जानबूझकर हमारी लोकप्रिय सरकार को बदनाम करने के लिए, हरियाणा में 5 महीने से हमारे विकास को देखते हुए, हमारी सरकार की लोकप्रियता को देखते हुए ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त: वह* है...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात हो गयी। अब आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही बुरा दिन है। भारत की संसद के लिए यह एक और बुरा दिन है। मैंने श्री गीते का नाम पुकारा है।

...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, इन्होंने आरएसएस को कहा है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने गैर-संसदीय शब्द पहले ही निकाल दिए हैं। इसके अलावा में और क्या कर सकता हूं।

श्री गुरुदास दासगुप्त: वह बिलकुल आधारहीन बातें कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, सभी कामगर वामपंथी यूनियन से संबद्ध हैं। यह हमारी यूनियन है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गुरुदास दासगुप्त: ये गलत बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सबसे बैठने का अनुरोध करूंगा। कम से कम जब मैं बोल रहा हूं तो थोड़ा सम्मान दीजिए। मुझे ज्यादा सम्मान नहीं चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपसे बैठने के लिए कहा है कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय नेताओं की अनुमति से सभी नेताओं को सभा की आज की कार्यवाही टेलीविजन पर दिखाऊंगा फिर वे निर्णय करें कि सभा की कार्यवाही किस प्रकार चलनी चाहिए। मैंने श्री गीते से बोलने के लिए कहा है। केवल श्री गीते के वक्तव्य को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): अध्यक्ष जी, हौंडा कंपनी के मजदूरों के साथ जो अमानुषिक व्यवहार हरियाणा सरकार और

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हरियाणा सरकार के आदेश पर जो हरियाणा की पुलिस ने किया है और दूरदर्शन के माध्यम से जिसका लाइव चित्रांकन दिखाया जा रहा था, आज इस चैनल के ऊपर जिस प्रकार से तीन घंटे लगातार ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठेंगे या नहीं? श्री आठवले आप फिर से सीमा को पार कर रहे हैं। आप सीमा पार कर रहे हैं। कृपया बैठ जाएं।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे): महोदय वे "सीमा पार करने" का अर्थ नहीं जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, ये लोग इस एक्शन को जस्टीफाई कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है। आपको क्या करना है, इस विषय पर जनता निर्णय करेगी।

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में मजदूरों के साथ ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे इस मुद्दे पर प्रश्नकाल को निलंबित करने हेतु केवल चार नोटिस प्राप्त हुए हैं और देश को यह देखने दो कि इसे किस प्रकार पूरे विचार-विमर्श के रूप में परिवर्तित किया गया है। इस बात की सहमति हुई थी कि इस मुद्दे पर केवल तीन माननीय नेता अपनी बात रखेंगे तत्पश्चात् हम प्रश्नकाल शुरू कर सकते हैं और इसके पश्चात इस घटना पर माननीय गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य दिया जाएगा और उसके बाद जैसा मैंने कहा था कि यदि आवश्यक होगा तो चर्चा की जा सकती है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष जी, फिर आप इन सबको बोलने का अवसर क्यों दे रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि आपको मुझे जल्दी से जल्दी बदल देना चाहिए

[हिन्दी]

गीते जी, आप बोलिए। प्रभुनाथ जी, कृपया बैठ जाइए, आपके नेता जी बोल चुके हैं।

[अनुवाद]

कोई वक्तव्य नहीं। आपने "शून्यकाल" के लिए नोटिस दिया है। मैं केवल पार्टियों के नेताओं को अनुमति दे रहा हूं। श्री नीतीश कुमार आपकी पार्टी के नेता इस मुद्दे पर पहले ही बोल चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप उनके नेतृत्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। अध्यक्षपीठ के साथ कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। कोई भी अपने वायदे को पूरा नहीं कर रहा है। कोई भी अध्यक्ष पीठ को दिए गए अपने आश्वासन का पालन नहीं कर रहा है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष जी, आजाद हिन्दुस्तान के इतिहास में हौंडा कंपनी के मजदूरों और कर्मचारियों पर सरकार के आदेश पर पुलिस द्वारा जो अमानुषिक अत्याचार किया गया है, वह निन्दनीय है। इस घटना को दूरदर्शन और टीवी के विभिन्न चैनलों पर लगभग तीन घंटे तक लगातार दिखाया गया। हरियाणा सरकार द्वारा की गयी यह कार्यवाही बर्दाश्त करने के बाहर की बात है। यह घटना जलियांवाला बाग हत्याकाण्ड से भी अधिक शर्मनाक है।

अध्यक्ष जी, दुर्भाग्य यह है कि इन लोगों ने इस कार्यवाही की निन्दा करने की बजाए इसका समर्थन करने की कोशिश की है। यहां पर कहा जा रहा है कि आपराधिक तत्वों से यह करवाया गया है। कांग्रेस पार्टी का जहां-जहां भी शासन है, वहां पुलिस इस प्रकार से कार्य कर रही है। अभी हमने आपको एक चिट्ठी लिखी है कि दो दिन पहले मुंबई में भी हमारे भूतपूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्री मनोहर जोशी जब दादर पुलिस स्टेशन में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गयी पुलिस कार्यवाही की जानकारी लेने के लिए गये थे, उस समय उन पर हमला किया गया, सांसदों और विधायकों पर हमले किए गए। जहां-जहां कांग्रेस पार्टी का शासन है, वहां-वहां पुलिस इस प्रकार से कार्यवाही कर रही है।

अध्यक्ष जी, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सदन में ऐसी घटनाओं की निन्दा करने की आवश्यकता है। इसके लिए इस सदन में निन्दा प्रस्ताव पारित करने की आवश्यकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसी घटनाओं का समर्थन कर रही है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसलिए इस सदन में इसकी निन्दा का प्रस्ताव पारित किया जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष पीठ के साथ कोई भी सहयोग नहीं कर रहा है। सभी के द्वारा उसी चीज का जिक्र किया जा रहा है।

श्री त्रिपाठी, आप इस मुद्दे पर इनसे संबद्ध हो सकते हैं जैसा श्री येरननायडु ने किया है।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): महोदय, मैं केवल एक मिनट लूंगा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, गुड़गांव में जो यह घटना हुई है, उसके विषय में यह विचार करने की आवश्यकता है कि जब स्ट्राइक करने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगा दी गयी है तो मजदूर लोग यदि पीसफुल डिमान्स्ट्रेशन नहीं करें तो क्या करें? स्ट्राइक कर नहीं सकते, पीसफुल डिमान्स्ट्रेशन करने पर पुलिस मारती है। गुड़गांव में जो अमानुषिक घटना हुई, उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। हम इसकी निन्दा करते हैं और मांग करते हैं कि इसकी जुडिशियल इन्क्वायरी हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सरकार इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): मैं इस मुद्दे पर कुछ कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपने आपको इससे संबद्ध कर सकते हैं।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: महोदय, इन्होंने जो कुछ भी कहा है मैं अपने आपको उससे संबद्ध करता हूं।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, गुड़गांव में जो कुछ भी हुआ वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और यह घटना हमारे उदारीकरण और निजीकरण की कमजोरियों को उजागर करती है तथा इससे यह बात भी स्पष्ट हो जाती है कि किस प्रकार हमारे मजदूरों के हितों के विरुद्ध कार्य किया जा रहा है।

जो कुछ नहीं होना चाहिए था वह हुआ। इसलिए हम पट्टाली मक्कल काची (पी एम के) की तरफ से कामगारों से सहानुभूति रखते हैं और इस घटना से प्रभावित कामगारों के प्रति सांत्वना प्रकट करते हैं। साथ ही हम भारत सरकार से प्रभावित कामगारों को मुआवजा देने का अनुरोध करते हैं और सरकार इस घटना से प्रभावित कामगारों को चिकित्सा सहायता भी प्रदान करे। उस क्षेत्र में शांति बहाली के लिए सभी प्रकार के उपाय किए जाने चाहिए।

महोदय, माननीय संसद सदस्य श्री गुरुदास दासगुप्त जी कामगारों के बचाव में वहां पर गए थे, के साथ पुलिस द्वारा अभद्र व्यवहार और अपमान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: हम यह उनसे पहले ही सुन चुके हैं।

प्रो. एम. रामदास: इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। श्री दासगुप्त के साथ फिर से जो हुआ है वह किसी अन्य संसद सदस्य के साथ हो सकता है और नौकरशाहों तथा पुलिसस बलों द्वारा ज्यादतियां किए जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और भारत सरकार को इन सब मामलों में सुधार करना चाहिए।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर): महोदय, हम द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से पीड़ितों के प्रति गहरा दुख व्यक्त करते हैं और हम श्रमिकों के प्रति उस क्षेत्र की पुलिस के नृशंस और बर्बरतापूर्ण रवैये की कड़ी निंदा करते हैं। हड़ताल पर जाना श्रमिकों का सांविधिक अधिकार है। आजकल पुलिस पूरे देश में श्रमिकों पर हमला कर रही है। अधिक से अधिक वह प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का विकल्प चुनने वाली कंपनियों के श्रमिकों का समर्थन कर रही है। मैं अपने आपको श्री गुरुदास दासगुप्त द्वारा कही गई बात से संबद्ध करता हूं। इस संबंध में न्यायिक जांच की जानी चाहिए ताकि भविष्य में पुलिस की नृशंस कार्रवाई पर रोक लगाई जा सके।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। जैसा कि आप बता चुके हैं, माननीय गृहमंत्री इस मुद्दे पर वक्तव्य देंगे। मैं सरकार से सिर्फ यह आग्रह करता हूं कि हमारे देशवासियों को यह संकेत दिया जाना चाहिए कि हमारे देश में अखिल भारतीय स्तर पर विरोध पर जाने वाले श्रमिक वर्ग को सुरक्षा दी जाएगी ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: एक ही पार्टी के दूसरे सदस्य बोल रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझ पर कोई आरोप मत लगाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमने भी नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, आपने नोटिस नहीं दिया है। आपने निलंबन का नोटिस नहीं दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपके दल से एक नेता को बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माफ कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री रूपचन्द पाल: इस सरकार की हमारे देशवासियों के प्रति जिम्मेदारी है और हमारे देशवासियों को एक सही संदेश दिया जाना चाहिए कि देश में कहीं भी ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण नृशंस घटना घटित नहीं होगी। अपराधियों को दंडित किया जाना चाहिए और तत्काल निष्पक्ष जांच का किया जाना अनिवार्य है ताकि सच्चाई सामने आ सके तथा हमारे देशवासियों की एक संदेश जाए कि देश में और ऐसी घटनाएं घटित नहीं होंगी।

श्री पी. सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मुझे यहां व्यक्त की गई भावनाओं से अपने आपको संबद्ध करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात संक्षेप में कहिए। आप कभी नोटिस देना भी जरूरी नहीं समझते हैं। अब हर कोई चिंतित हो जाता है।

श्री पी.सी. थामस: मैं भी यह उल्लेख करना चाहूंगा कि जो कुछ श्री दासगुप्त के साथ हुआ है उसे विशेषाधिकार के मामले के रूप में लिया जाए क्योंकि यह एक बहुत गंभीर मुद्दा है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक भिन्न मामला है। कृपया आप बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): अध्यक्ष महोदय, गुड़गांव में कल जो इंसिडेंट हुआ, मेरा इस सदन से निवेदन है कि उस इश्यू पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। वहां पर पुलिस प्रशासन ने मजदूरों पर जो अन्याय किया है, उस बारे में सोनिया गांधी जी, प्रधानमंत्री जी और हरियाणा के मुख्यमंत्री ने विरोध प्रकट किया है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे ऐसे इश्यू पर राजनीति न करते हुए पुलिस प्रशासन ने जो अन्याय किया है, उसका विरोध करें। इधर वाले लोग आपसे भी ज्यादा होशियार हैं। जब इस तरह से श्रमिकों पर, कामगारों पर अत्याचार होता है, उसका विरोध करने की जिम्मेदारी, यू.पी.ए. की और सभी लोगों की है।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि दासगुप्ता जी के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया और कर्मचारियों पर जो अन्याय हुआ है, लगता है वह उस जापानी कंपनी और वहां की पुलिस द्वारा मिलकर किया गया है। इसलिए इस सारी घटना की जांच होनी चाहिए। इसके अलावा यह भी देखना चाहिए कि इस घटना के पीछे कहीं खाकी निकर वालों यानी आरएसएस के लोगों का तो हाथ नहीं है। अगर उनका हाथ नहीं था तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनका हाथ है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

अध्यक्ष महोदय: सुश्री महबूबा मुफ्ती।

कृपया अन्य सदस्यों द्वारा कही गई बातों को न दोहराएं। आप अपने आपको संबद्ध कर सकते हैं।

सुश्री महबूबा मुफ्ती (अनंतनाग): मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, कल जो कुछ गुड़गांव में हुआ वह बहुत, ब्रूटल था और उसने हमारे सिस्टम की कमी को दिखा दिया। गुड़गांव, राजस्थान और गुजरात में जो कुछ हुआ यह सब हमने सिस्टम के बारे में बताता है। मैं कहना चाहती हूं कि कल कुपवाड़ा में सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों तीन मासूम बच्चों का कत्ल हुआ, लेकिन यहां पर किसी ने उसकी बात नहीं की। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छे, आप अवसर का गलत उपयोग कर रही हैं। आपका प्रश्न खत्म हो गया है। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

सुश्री महबूबा मुफ्ती: मैं सिविल सोसायटी से पूछना चाहती हूं कि क्या वह खून खून नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः आज जो हुआ है उसे भविष्य में पूर्व-उदाहरण के तौर पर नहीं लिया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः कुछ और कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदयः आप किसी अन्य घटना की बात कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

स्थगन प्रस्ताव

बंग्लादेश से लोगों का भारी संख्या में अवैध आप्रवासन

अध्यक्ष महोदयः माननीय सदस्यगण, मुझे सभा को सूचित करना है कि बंग्लादेश से भारी तादात में अवैध आप्रवासन, जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में विदेशी आक्रमण से कम नहीं बताया है, के प्रति हमारे देश की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा करने में सरकार की असफलता के बारे में स्थगन प्रस्ताव संबंधी तीन सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिसे श्री लाल कृष्ण आडवाणी, डा. अरुण कुमार शर्मा और श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी ने दिया है।

मैंने श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी को अपनी सहमती दी है जिन्होंने निम्नलिखित रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु बैलट में पहला स्थान पाया है।

> "बंग्लादेश से भारी तादात में अवैध आप्रवासन, जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में विदेशी आक्रमण से कम नहीं बताया है, के प्रति हमारे देश की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा करने में सरकार की असफलता।"

इसी बीच, श्री त्रिपाठी ने अपने पत्र में, जो अभी-अभी मुझे प्राप्त हुआ है, निवेदन किया है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जिन्होंने इसी विषय पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है, को उनके स्थान पर स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए सभा की सहमति दी जाए। मैंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। श्री लालकृष्ण आडवाणी सभा की अनुमति के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, "बंग्लादेश से भारी तादात में अवैध आप्रवासन, जिसे भारत के उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय में विदेशी आक्रमण से कम नहीं बताया है, के प्रति हमारे देश की पूर्वी सीमाओं की सुरक्षा करने में सरकार की असफलता" संबंधी स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मैं सभा की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदयः क्या अनुमति का विरोध है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से, सामान्य प्रक्रिया यह है कि सरकार की ओर से विचार व्यक्त किया जाता है, लेकिन, इस संबंध में, जैसी की सहमति हुई, हम स्थगन प्रस्ताव का विरोध नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से, हमारा भिन्न विचार है जो वाद-विवाद के दौरान प्रतिबिम्बित होगा।

अध्यक्ष महोदयः बहुत अच्छा, जब कोई आपत्ति नहीं है तो अनुमति दी जाती है।

नियम 61 के अंतर्गत, स्थगन प्रस्ताव अपराह्न चार बजे या इससे पूर्व शुरू किया जाएगा। नियम 62 के अंतर्गत, इस पर चर्चा के लिए 2.30 घंटे का समय आवंटित किया गया है। प्रस्ताव पर चर्चा अपराह्न 2.00 बजे शुरू की जाएगी। मुझे लगता है, सभा की इस पर सहमति है।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): मंत्री जी का वक्तव्य कहां है?

अध्यक्ष महोदयः आप सबको मालूम होना चाहिए कि एक समय में एक ही विषय लिया जा सकता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदयः इसलिए कृपया सहयोग करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सर, हमारा कार्य-स्थगन प्रस्ताव है। बिहार विधान सभा को असंवैधानिक तरीके से भंग किया गया है, जनतंत्र की हत्या की गई है, इस पर हमारी बात सुनिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बारी-बारी से, हम इस पर आएंगे। पहले सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों को लें।

सहयोग के लिए धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मंत्री जी वक्तव्य कब देंगे? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप थोड़ी देर इंतजार क्यों नहीं करते?

...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: मंत्री जी के लिए क्या समय निर्धारित है?

अध्यक्ष महोदय: क्या यह मध्याह्न 12 बजे के बाद होगा? मंत्री महोदय, क्या आप वक्तव्य के लिए तैयार हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे कुछ सूचना मिली है और वह मेरे पास है। आप कोई भी समय सुना सकते हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: पत्रों को सभा पटल पर रखे जाने के बाद, आप अपना वक्तव्य दें सकते हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री को बाध्य नहीं कर सकता। आप यह अच्छी तरह से जानते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी मांग रख दी है।

श्री गुरुदास दासगुप्त: मैं सरकार से नम्र निवेदन कर रहा हूं कि माननीय प्रधानमंत्री सभा में आकर अपना वक्तव्य दें। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप नहीं सुन रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं? कृपया मुझे सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों संबंधी कार्यवाही करने दें। यदि आप माननीय गृह मंत्री को नहीं सुनना चाहते तो यह आपकी मर्जी है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं का अनारक्षण

[अनुवाद]

***21. श्री पी. मोहन:**
श्री अन्नासाहेब एम. के. पाटील:

क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) द्वारा उत्पादन किए जाने हेतु आरक्षित कतिपय वस्तुओं को अनारक्षित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके कारण क्या हैं तथा लघु उद्योग में किन-किन वस्तुओं का उत्पादन शेष रह गया है;

(ग) क्या सरकार ने विदेशी कंपनियों को लघु उद्योग क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और लघु उद्योग के हितों के सुरक्षार्थ क्या उपाय किए गए हैं;

(ङ) क्या सरकार ने लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित की जाने वाली वस्तुओं को अनारक्षित करने से पहले कोई अध्ययन करवाया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) सरकार ने 28 मार्च 2005 की अधिसूचना संख्या 420(ई) द्वारा प्रौद्योगिकीय उन्नयन, निर्यात संवर्धन और बड़े स्तर के कार्यकलाप की किफायत (इकोनोमी आफ स्केल) प्राप्ति के लिए लघु उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण हेतु आरक्षित उत्पादों की सूची से 108 उत्पाद (10 उप-उत्पादों सहित) अनारक्षित किए हैं। वर्तमान में 506 उत्पाद लघु उद्योग क्षेत्र में विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित हैं, जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) किसी भी औद्योगिक उपक्रम में धारित साम्या (अंशपूंजी) रखने वाली विदेशी कंपनियों सहित कोई भी कंपनी किसी लघु उद्योग में 24% से अधिक धारित साम्या नहीं रख सकती। अगर कोई भी गैर-लघु उद्योग इकाई (देशी या विदेशी) लघु उद्योगों द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित उत्पाद का उत्पादन करना चाहे तो उसे कम से कम 50% निर्यात के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इन नीतियों में कोई बदलाव नहीं आया है।

(ङ) और (च) उत्पादों के अनारक्षण से पहले संबंधित औद्योगिक संघों, मंत्रालयों व विशेषज्ञों के साथ परामर्श तथा उद्योग (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1951 के तहत गठित सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार किया जाता है।

विवरण

लघु उद्योग क्षेत्र में ही निर्मित किए जाने के लिए आरक्षित वस्तुओं की सूची
(26.7.2005 तक)

क्र.सं.	क्रम संख्या (राजपत्र) अधिसूचना के अनुसार	उत्पाद-कोड	उत्पाद का नाम	
1	2	3	4	
		20-21	**खाद्य और सहबद्ध उद्योग**	
1.	3	202501	अचार और चटनी	
2.	7	205101	ब्रेड	
3.	8ए	20530102	पेस्ट्री	
4.	9	209201029	कठोर उबाली गई शर्करा कैंडी	
5.	10	21100101	रेपसीड तेल (सोलवेंट निकले हुए तेल को छोड़कर	राज्य कृषि सहकारी समितियों और उत्पादक सहकारी समितियों के मामलों को छोड़कर
6.	11	21100102	सरसों का तेल (सोलवेंट निकले तेल को छोड़कर)	
7.	12	21100103	तिल का तेल (सोलवेंट निकले तेल को छोड़कर)	
8.	13	21100104	मूंगफली का तेल (सोलवेंट निकले तेल को छोड़कर)	
9.	16	21920101	पिसे हुए तथा तैयार मसाले (मसाले का तेल व ओलियोरैजिन मसालों को छोड़कर)	
		27	**लकड़ी और लकड़ी से बनी वस्तुएं**	
10.	37ए	271001	सॉन टिम्बर	
11.	38	27210301	लकड़ी की क्रेटें	
12.	40	273002	सिझाई हुई लकड़ी	
13.	41	279914	सिलाई की मशीन के लकड़ी के ढक्कन	
14.	42	273012	ए.ए. और ए.सी.एस.आर. कंडक्टरों के लिए केबल ड्रम	
15.	47	276001	लकड़ी के फर्नीचर और जुडनार	
16.	48	276002	सामान रखने की लकड़ी की अलमारी	
17.	49	276003	सामान रखने के लकड़ी के सेल्फ और रैक	
18.	50	279908	लकड़ी के बने तख्ते	

1	2	3	4
		28	कागज की बनी वस्तुएं
19.	53	280905	सजावटी कागज
20.	55	281101	कागज के थैले
21.	57	28120101	कागज के गत्ते के डिब्बे (बिना परत के)
22.	58	281301	कागज के कप/प्लेट
23.	59	281902	कागज के लिफाफे
24.	60	281904	रेशे से बने नालीदार गत्ते के डिब्बे
25.	65	283902	कागज के नेपकिन फेसियल टिश्यू नेपकिन सहित
26.	67	283906	टेलीप्रिंटर के रोल
27.	68	283907	स्टेंसिल का कागज
28.	70	283909	साधारण कागज के रोल और शीटों की कटाई
29.	71	283910	टायलट पेपर के रोल और शीट
30.	73	283912	गोंद लगे कागज के स्टिकर, लेबल आदि
31.	74	283913	उपचारित ट्रेसिंग कागज
32.	75	283914	स्टाम्प टिकटों के लिए गोंद लगा कागज
33.	76	283915	स्टाम्प टिकटों के अलावा गोंद लगे अन्य कागज
34	78	283917	ट्रांसफर लेबल
35.	79	285002	कापियां और रजिस्टर
36.	80	285005	लेटर पैड
37.	81	285006	फाइल कवर और फाइल बोर्ड
		303	प्लास्टिक उत्पाद
38.	126	301201	पूरे पी.वी.सी. के फुटवीयर—चप्पल सेंडल और जूते
39.	128	42713	एक्रीलिक चद्दरें, निरंतर निष्कासन प्रक्रिया को छोड़कर
40.	129	303303	फाइबर-ग्लास के प्रचलित प्लास्टिक उत्पाद निम्नलिखित के अलावा- (क) एम.एम.सी. और डी.एम.सी. तथा इनकी मोल्डिंग्स (ख) एम.एम./व्यास कान्टिनअस फिलामेंट वाइडिंग (600 से ऊपर के पाइप) (ग) पल्ट्रूडेड प्रोडक्टस (घ) कान्टिनअस प्रोसेस द्वारा तैयार की गई एफ.आर.पी. शीट्स
41.	130	30330402	सीधे या दबा हुआ पोलीथीन स्तरियत हैसियन कागज और कपड़ा इंडिग्रेटिड पैकिंग के लिए पोलीथिलीन लेमीनेशन्स के कागज को छोड़कर

1	2	3	4
42.	131	303402	उच्च क्षमता वाली पोलीथिलीन के मोनो फिलामेंट (रस्सी उत्पादकों के काम आने वाले फिलामेंट को छोड़कर)
43.	132	303403	पोलीप्रोपोलीन मोनों फिलामेंट (रस्सी उत्पादकों के काम आने वाले फिलामेंट को छोड़कर)
44.	133	30350101	पोलीथिलीन फिल्में (0.10 मिलीमीटर से कम की मोटाई वाली को-एक्सट्रूडिड फिल्मों और हाई डेंसिटी मालिक्यूलर फिल्मों को छोड़कर)
45.	134	30350102	पोलिथिलीन फिल्म से बनने वाली चीजें जैसे कि रंगीन छपी फिल्में और थैले
46.	135	303601	संरचना तकनीक या इंजेक्शन मोल्डिंग द्वारा शीट से बनने वाले चश्मों के फ्रेम
47.	136	303702	पोलीप्रोपीलीन ट्यूबनुमा फिल्में (बाएक्सीली ओरिएंटिड को छोड़कर)
48.	137	30370301	इंजीनियरी प्लास्टिक से औद्योगिक वस्तुएं—केवल फेब्रिकेशन प्रोसेस के जरिए तैयार की गई सामग्री
49.	139	303705	पोलिप्रोपीलीन बॉक्स स्ट्रेपिंग
50.	140	30370601	पोलीथिलीन और पी.वी.सी. के बने मुड़ने वाले होज (बायर ब्रेडिड होजों को छोड़कर)
			इंजेक्शन मोल्डिंग थर्मोप्लास्टिक प्रोडक्टस
51.	140ए	303707	1. हैंडल
52.	140बी	303802	2. साबुनदानी
53.	140सी	303808	3. बाल्टियां
54.	140डी	303808	4. प्याले
55.	140ई	303810	5. रोटी के डिब्बे
56.	140एफ	303812	6. पानी के जग
57.	140जी	303816	7. प्लेटें
58.	140एच	303818	8. गिलास
59.	140एचएच	30382200	8क. प्लास्टिक कैन
60.	140आई	303831	9. विभिन्न नाप के "बिन्स"
61.	140जे	303832	10. वाशिंग बाउल्स
62.	140के	303833	11. सलाद की टोकरियां
63.	140एल	303834	12. डस्ट पेन्स और बिन्स
64.	140एम	303833	13. बालों के लिए ब्रुश
65.	140एन	303836	14. छातों के फ्रेम
66.	140ओ	303837	15. हिन्ज्ड हेयर पिनें
67.	140पी	303838	16. छोटे बच्चों के नहाने के टब

1	2	3	4
68.	140क्यू	303839	17. मग
69.	140आर	303840	18. प्लेटें और तश्तरियां
70.	140एस	303841	19. नमकदानियां
71.	140यू	303843	21. पेंसिल बाक्स
72.	140वी	303844	22. कॉफी पाट्स
73.	140डब्लू	303845	23. कॉफी पॉट कवर्स
74.	140एक्स	303846	24. टेबल कैलेन्डर स्टैण्डस
75.	140वाई	303847	25. कार्यालयों के लिए टेबल-ट्रे
76.	140जेड	303848	26. रद्दी फेंकने की टोकरी
77.	142	30390102	फ्लेक्सीबल पोलीयूरीथेन फोम उत्पाद
78.	143	42960	एक्सपेंडल पोलिस्टरीन बीड्स के पोलीस्ट्रीन फोम उत्पाद (एक्सपेंडबल पोलीस्ट्रीन बीड्स मैन्युफैक्चरर्स के स्लेबों को छोड़कर)
79.	144	303903	प्लास्टिक के बटन
80.	145		नीचे दिए गए फैब्रिकेटिड प्लास्टिक उत्पाद
		30390401	1. एडवरटाइजिंग नावल्टीज
		30390402	2. डैस्क कलेण्डर
		30390403	3. पेन-स्टैण्ड
		30390405	5. डेकोरेटिव और इंडस्ट्रियल फिक्सचर्स
		30390406	6. स्ट्रीट लाइट्स
		30390407	7. कॉरीडोर लाइट्स
		30390408	8. पैसेज लाइटस
		30390409	9. बिल्डिंग मॉडल्स (प्रोटोटाइप)
		30390410	10. मशीन मॉडल्स (प्रोटोटाइप)
81.	146	303909	प्लास्टिक के कंघे
82.	147	30391201	पी.वी.सी. पाइप और फिटिंग- 110 मि.मी. व्यास तक
		30393501	पी.वी.सी. पाइप और फिटिंग- 110 मि.मी. व्यासस तक
83.	148	303913	जिप फास्टनर्स-अधात्विक (सभी पुर्जे बनाने वाले इंटीग्रेटिड प्लान्टों के मामले को छोड़कर)
84.	150	303916	प्लास्टिक की बरसाती कोट
85.	152	303926	फ्लेश लाइट टार्च केस-प्लास्टिक

1	2	3	4	
86.	153	303927	पोलिएस्टर चद्दरें	
87.	154	303928	अन्य थर्मो-वैल्डिड प्लास्टिक उत्पाद जैसे	
		30392801	1. शापिंग बैग	
		30392802	2. डायरियां	
		30392803	3. फाइल कवर	
		30392804	4. बैज/फोल्डर	
		30392805	5. प्रचार सामग्री (एडवरटाइजिंग मैटिरियल)	
		30392806	6. बटुए	
		30392807	7. पासपोर्ट कवर	
		30392808	8. टूल किट कवर	
		30392810	10. कैल्कुलेटर्स, माइक्रोफोन आदि के लिए इंडस्ट्रियल पैकिंग	
		30392811	11. इनसाइड असेम्बली ब्रीफ केसिस की	
		30392812	12. की-चेन	
		30392813	13. आईडेंटिटी कार्ड और विजिटिंग कार्डस	
		30392814	14. एलबम	
		30392815	15. टैक्सटाइल वैल्डिंग फॉर गार्मेन्ट्स	
			इंजेक्शन मोल्डिंग थर्मो प्लास्टिक उत्पाद	
88.	156ए 31	303962	टायलट सीटें	
89.	156ए 32	303963	टायलट लिड	
90.	156ए 33	303964	लेटर/वईस	
		31	**रसायन और रसायन उत्पाद**	
91.	210ए	31922301	कोपर, क्रीम आर्सेनिक बोरिक कम्पाउंड्स पर आधारित पानी में घुलनशील लकड़ी के परिक्षक पदार्थ	
92.	211		**रंजक सामग्री**	
			मूल रंजक	
		31220301	1. आधारभूत पीला	2
		31220302	2. आधारभूत हरा	4
		31220303	3. आधारभूत हरा	1
		31220304	4. आधारभूत बैंगनी	11

1	2	3	4	
		31220305	5. आधारभूत बैंगनी	1
		31220306	6. आधारभूत नीला	7
		31220307	7. आधारभूत बैंगनी	10
		31220308	8. आधारभूत नीला (मिथाइल नीला)	9
93.	213		एजो रंजक	
			प्रत्यक्ष	
		31220701	1. प्रत्यक्ष नीला	8
		31220702	2. प्रत्यक्ष पीला	17
		31220703	3. प्रत्यक्ष पीला	9
		31220704	4. प्रत्यक्ष पीला	29
		31220705	5. प्रत्यक्ष लाल (कांगो लाल)	28
		31220706	6. प्रत्यक्ष लाल	13
		31220707	7. प्रत्यक्ष रंजक [चमकदार कांगो सी (ए)]	
		31220708	8. प्रत्यक्ष लाल	1
		31220709	9. प्रत्यक्ष भूरा	2
		31220710	10. प्रत्यक्ष भूरा	59
		31220711	11. प्रत्यक्ष नारंगी रंग	1
		31220712	12. प्रत्यक्ष पीला	20
		31220713	13. प्रत्यक्ष नारंगी रंग	1
		31220714	14. प्रत्यक्ष बैंगनी	45
		31220715	15. प्रत्यक्ष बैंगनी	1
		31220716	16. प्रत्यक्ष काला	29
		31220717	17. प्रत्यक्ष नीला	2
		31220718	18. प्रत्यक्ष नीला	6
		31220719	19. प्रत्यक्ष लाल	61
		31220725	25. प्रत्यक्ष पीला	4
		31220726	26. प्रत्यक्ष पीला (क्री-सोफिनाइन)	12
		31220727	27. प्रत्यक्ष बैंगनी	7
		31220728	28. प्रत्यक्ष बैंगनी	31

1	2	3	4	
		31220729	29. प्रत्यक्ष बैंगनी	9
		31220730	30. प्रत्यक्ष बैंगनी	51
		31220731	31. प्रत्यक्ष लाल	81
		31220732	32. प्रत्यक्ष पीला	44
		31220733	33. प्रत्यक्ष लाल	31
		31220734	34. प्रत्यक्ष नारंगी रंग	26
		31220735	35. प्रत्यक्ष लाल	23
		31220736	36. प्रत्यक्ष लाल	83
		31220737	37. प्रत्यक्ष भूरा	1
		31220738	38. प्रत्यक्ष भूरा	5
		31220739	39. प्रत्यक्ष काला	38
		31220740	40. प्रत्यक्ष हरा	1
		31220741	41. प्रत्यक्ष हरा	6
		31220742	42. प्रत्यक्ष हरा	8
		31220743	43. प्रत्यक्ष भूरा	75
		31220744	44. प्रत्यक्ष नीला	71
		31220745	45. प्रत्यक्ष काला	56
			एसिड रंजक	
		31220761	1. एसिड पीला	36
		31220762	2. एसिड नारंगी	7
		31220763	3. एसिड लाल	88
		31220764	4. एसिड लाल (खाद्य लाल 7)	18
		31220765	5. एसिड लाल (खाद्य लाल 10)	1
		31220766	6. एसिड बैंगनी (खाद्य लाल 11)	7
		31220767	7. एसिड पीला	11
		31220768	8. एसिड पीला	76
		31220769	9. एसिड पीला (खाद्य पीला 5)	17
		31220770	10. एसिड पीला (खाद्य पीला 4)	23
		31220717	11. एसिड भूरा	55

1	2	3	4	
		31220772	12. एसिड नारंगी	24
		31220773	13. एसिड भूरा	14
		31220774	14. एसिड काला	1
		31220775	15. एसिड लाल	85
		31220776	16. एसिड पीला	42
		31220778	18. एसिड नीला	113
		31220779	19. एसिड लाल	142
		31220781	21. एसिड लाल	17
		31220782	22. एसिड पीला	73
94.	214		नैप्थाल्स	
		31220801	1. एजोइक कपलिंग कम्पोनेंट (नेप्थल ए. एस.)	2
		31220802	2. एजोइक कपलिंग कम्पोनेंट (नेप्थल ए. एस. ई.)	10
		31220803	3. एजोइक कपलिंग कम्पोनेंट (नेप्थल ए. एस. बी. एस.)	17
		31220804	4. एजोइक कपलिंग कम्पोनेंट (नेप्थल ए. एस. डी.)	19
		31220805	5. एजोइक कपलिंग कम्पोनेंट (नेप्थल ए. एस.ओ.एल.)	8
		31220806	6. एजोइक कपलिंग कम्पोनेंट (नेप्थल ए. एस.ओ.एल.)	20
		31220807	7. एजोइक कपलिंग कम्पोनेंट (नेप्थल ए. एस.एल.टी.)	24
		31220808	8. एजोइक कपलिंग कम्पोनेंट (नेप्थल ए. एस.पी.एच.)	14
		31220809	9. एजोइक कपलिंग कम्पोनेंट (नेप्थल ए. एस.बी.ओ.)	4
		31220810	10. एजोइक कपलिंग कम्पोनेंट (नेप्थल ए. एस.एस.डब्लू.)	7
		31220811	11. एजोइक कपलिंग कम्पोनेंट (नेप्थल ए. एस.जी.)	5
95.	215	31220901	पैथैलोसिएनाइन नीला (पथेल साइनाइन हरे के उत्पादन की सीधी खपत को छोड़कर)	
96.	216		प्रतिक्रियाशील रंजक	
		31221001	1. चटकीला लाल एम-5 बी प्रतिक्रियाशील लाल-2	
		31221002	2. चटकीला लाल एच-7 बी प्रतिक्रियाशील लाल-4	
		31221003	3. रूबाईन एम-5 बी प्रतिक्रियाशील लाल-6	
		31221004	4. स्कारलेट एच सी आर प्रतिक्रियाशील लाल-8	
		31221005	5. चटकीला लाल एम-8 बी प्रतिक्रियाशील लाल-11	

1	2	3	4		
		31221006	6. चटकीला लाल	एम-8 बी	प्रतिक्रियाशील लाल-31
		31221007	7. रूबीन	एच बी एन	प्रतिक्रियाशील लाल-32
		31221008	8. गुलाबी	आर बी	प्रतिक्रियाशील लाल-37
		31221009	9. चटकीला लाल	ई बी	प्रतिक्रियाशील लाल-73
		31221010	10. चटकीला गुलाबी	बी	प्रतिक्रियाशील लाल-74
		31221011	11. चटकीला जामनी	एचआरआर	प्रतिक्रियाशील बैंगनी-1
		31221012	12. चटकीला मेजेंटा	बी	प्रतिक्रियाशील बैंगनी-13
		31221013	13. चटकीला बैंगनी	पी आर	प्रतिक्रियाशील बैंगन-14
		31221014	14. चटकीला बैंगनी	5 आर एक्स	प्रतिक्रियाशील बैंगनी-21
		31221015	15. मेजेंटा	बी	
		31221016	16. पीला	एमवाईआर	प्रतिक्रियाशील पीला-1
		31221017	17. पीला	4 ए एस	प्रतिक्रियाशील पीला-3
		31221018	18. पीला	एमवाईआर	प्रतिक्रियाशील पीला-4
		31221019	19. पीला	एम जी आर	प्रतिक्रियाशील पीला-7
		31221020	20. पीला	एच-4 जी	प्रतिक्रियाशील पीला-18
		31221021	21. चटकीला पीला	एम-4 जी	प्रतिक्रियाशील पीला-22
		31221022	22. चटकीला लाल	6 जी	प्रतिक्रियाशील पीला-43
		31221023	23. पीला	आर	प्रतिक्रियाशील पीला-44
		31221024	24. काला	एच एन	प्रतिक्रियाशील काला-8
		31221025	25. चटकीला नीला	एच 7 जी	प्रतिक्रियाशील नीला-3
		31221026	26. चटकीला नीला	एम आर	प्रतिक्रियाशील नीला-4
		31221027	27. चटकीला नीला	एच जी आर	प्रतिक्रयाशील नीला-5
		31221028	28. नेवी ब्ल्यू	एम-3 आर	प्रतिक्रियाशील नीला-9
		31221029	29. चटकीला नीला	एच-5 जी	प्रतिक्रियाशील नीला-25
		31221030	30. नेवी ब्ल्यू	एच-3 आर	प्रतिक्रियाशील नीला-28
		31221031	31. नेवी ब्ल्यू	आर-एक्स	प्रतिक्रियाशील नीला-39
		31221032	32. नीला	बीआरआर	प्रतिक्रियाशीला नीला-56
		31221033	33. नेवी ब्ल्यू	आर-एक्स	प्रतिक्रियाशील नीला-59
		31221034	34. नारंगी	एम एक्स जी	प्रतिक्रियाशील नारंगी

1	2	3	4			
		31221035	35. चटकीला नारंगी	एम-2 आर	प्रतिक्रियाशील नारंगी-4	
		31221036	36. सुनहरा पीला	एच-आर	प्रतिक्रियाशील नारंगी-11	
		31221037	37. चटकीला नारंगी	एच-2 आर	प्रतिक्रियाशील नारंगी-13	
		31221038	38. नारंगी		प्रतिक्रियाशील नारंगी-14	
		31221039	39. नारंगी	जी.ई. एक्स	प्रतिक्रियाशील नारंगी-36	
		31221040	40. चटकीला नारंगी	आर.एक्स	प्रतिक्रियाशील नारंगी-37	
		31221041	41. चटकीला नारंगी	3-आरएक्स	प्रतिक्रियाशील नारंगी-38	
		31221042	42. भूरा	4-आरएच	प्रतिक्रियाशील नारंगी-9	
		31221043	43. भूरा	एम-4आर	प्रतिक्रियाशील नारंगी-10	
		31221044	44. पीला	एच.ए.एस.	प्रतिक्रियाशील नारंगी-46	
		31221045	45. नेवी ब्ल्यू	3 आर. एच.	प्रतिक्रियाशील नारंगी-26	
97.	217		**पक्के रंग के बेस**			
		31221101	1. पक्का पीला जी.जी. बेस (एजोइक डियोजी कम्पाउंड 44)			37000
		31221102	2. पक्का नारंगी जी.सी.बेस (एजोइक डियोजी कम्पाउंड 2)			37005
		31221103	3. पक्का स्कारलेट जी.जी.बेस (एजोइक डियोजी कम्पाउंड 3)			37010
		31221104	4. एजोइक डियोजी कम्पाउंड 7			37030
		31221105	5. पक्का लाल जी.एल.बेस (एजोइक डियोजी कम्पाउंड 9)			37040
		31221107	7. पक्का लाल के.बी.बेस (एजोइक डियोजी कम्पाउंड 32)			37090
		31221109	9. पक्का लाल जी.एल.बेस (एजोइक डियोजी कम्पाउंड 9)			37110
		31221110	10. पक्का लाल आर/आर सी बेस (एजोइक डियोजी कम्पाउंड 10)			37120
		31221111	11. पक्का लाल बी.बेस (एजोइक डियोजी कम्पाउंड 5)			37125
		31221112	12. पक्का स्कारलेट आर/आर.सी. बेस (एजोइक डियोजी कम्पाउंड 13)			37130
		31221113	13. पक्का बैंगनी बी.बेस (एजोइक डियोजी कम्पाउंड 41)			37165
		31221114	14. पक्का नीला बी.बी.बेस (एजोइक डियोजी कम्पाउंड 20)			37175
		31221115	15. पक्का गारमेंट जी.ओ.सी. बेस (एजोइक डियोजी कम्पाउंड 4)			37219
			प्राकृतिक सुगंध तेल			
98.	219	315102	काजू के छिलके का तेल			
99.	226	36154	भाप/हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रक्रिया द्वारा प्राकृतिक सुगन्धित तेल			

1	2	3	4
			आर्गेनिक रसायन औषधियां और औषधि मध्यवर्ती
100.	227	31060101	पैरा एमीनो फिनोल (औद्योगिक ग्रेड)
101.	228	310605	गोलियां पैरा डाइक्लोरोबेनजीन से निर्मित क्यूब्स
102.	230	310627	डायमथील सल्फेट-मेथिल अल्कोहल पर आधारित
103.	231	310628	पाइरजोलोन
104.	232	31062901	पोटाशियम साइट्रेट-औद्योगिक ग्रेड
105.	234	310631	टारट्रेट्स
106.	235	310645	डाइएथिल थैलेटडाइब्यूटिल थैलेट
107.	236	310646	डिंओक्टिल थैलेट
108.	237	310647	डाइब्यूटिकल थैलेट
109.	238	310648	डाईमेथिल थैलेट
110.	239	310649	बेंजिल क्लोराइड खपत को दोडकर
111.	240	310650	बेंजिल बोनोएट
112.	2401	310650	नियासिनेमाइड
113.	240(ए)	310669	एल्यूमिनियम स्टीयरेट
114.	240(बी)	310670	मैगनिशियम स्टीयरेट
115.	240(सी)	310671	कैल्शियम स्टीयरेट
116.	240(डी)	310672	जिंक स्टीयरेट
117.	241	312127	रोगन सुखाने वाले पदार्थ—लेड, कोबाल्ट मैगनीज, जिंक, कैल्शियम आदि के नफिथिणेडस ओकटेट्स लीनोलिएट्स आदि
118.	242	312405	क्लोरीनेटिड पैराफिन वेक्स (मोम) (60 प्रतिशत तक क्लोरीन वाले)
119.	244	313125	पैरा-सिटेमोल
120.	246	313149	ग्लैसेरोफास्फरिक
121.	247	313150	लैनोलिन एनहाईड्रस
122.	248	313151	जैन्थेट्स
123.	249	313152	डाइक्लोरोफिनोल
124.	249ए	31315801	पैरा हाउड्रॉक्सी एन्जाइक-एसिड से लेकर मेथिल पैराबेंस और सोडियम साल्ट
125.	247बी	31315901	पैरा हाइड्रॉक्सी एन्जाइक-एसिड से लेकर ऐथिल पैराबेंस और सोडियम साल्ट
126.	249सी	31319501	पैरा हाइड्रॉक्सी एन्जाइक-एसिड से लेकर प्रोपिल पैराबेंस और सोडियम साल्ट

1	2	3	4
127.	249डी	3131960	कैल्शियम ग्लूकोनेट
128.	249ई	35339	स्टीम/हाइड्रो डिस्टिलेशन प्रक्रिया द्वारा तारपीन
129.	250	316201	पोलिएस्टर रेजिन अन्सेचुरेटिड
130.	251	316204	पीवीसी यौगिक-कंपाउंड्स
131.	252	316206	अल्काइड रेजिन-स्थतिक उपयोग के लिए छोड़कर
132.	252ए	31942960	निकोटीनिक एसिड
			अन्य रसायन तथा रसायन उत्पाद
133.	253	305301	मोम बत्तियां
134.	254	305901	नेफ्थालीन की गोलियां
135.	254ए	31010101	शौरा से उत्पादित पोटाशियम नाइट्रेट
136	255	310100	पोटाशियम मेटा बाई सल्फाइट
137.	256	310111	बेरियम कर्बोनेट
138.	257	310112	बेरियम सल्फाइड
139.	258	310113	बेरियम सल्फाइड
140.	259	310115	सोडियम सल्फाइड-सह उत्पाद को छोड़कर
141.	260	310121	सोडियम थियो सल्फेट
142.	261	31012301	जिंक आक्साइड औद्योगिक ग्रेड-सह उत्पाद को छोड़कर
143.	262	31012401	जिंक आक्साईड औद्योगिक ग्रेड
144.	263	310126	एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साईड गेल
145.	264	310139	जिंक नाइट्रेट
146.	265	310301	निकल सल्फेट
147.	266	310302	निकल क्लोराइड
148.	267	310304	निकल कार्बोनेट
149.	268	310305	निकल फारमेट
150.	269	310306	कोपर सल्फेट-सह उत्पाद को छोड़कर
151.	270	301307	कॉपर नाइट्रेट
152.	271	310308	कॉपर क्लोराइड
153.	272	310322	कैडमियम आक्साइड

1	2	3	4
154.	273	310323	कैडमियम आयोडाइड
155.	274	310325	कैडमियम नाइट्रेट
156.	275	310329	कैडमियम फास्फेट
157.	276	310330	बेरियम क्लोराइड
158.	277	310331	बेरियम नाइट्रेट
159.	277ए	310334	कैलशियम नाइट्रेट-सह उत्पाद को छोड़कर
160.	278	310336	जिंक क्लोराइड
161.	279	310337	जिंक सल्फेट-सह उत्पाद को छोड़कर
162.	280	310360	कॉपर आक्सी-क्लोराइड
163.	281	310361	कॉपर कार्बोनेट
164.	282	310362	पोटाशियम आयोडाइड
165.	283	310363	सोडियम आयोडाइड
166.	284	310364	अवक्षेपित सिलिका फ्यूम्ड व स्प्रे-सुखाई गई सिलिका को छोड़कर
167.	285	310365	गंधक-चूर्ण-रबड़ का वल्कानाइज करने हेतु अविलेय के अतिरिक्त
168.	287	310409	सोडियम थियोसायनेट
169.	288	310412	मैग्नीशियम सल्फेट
170.	289	310424	विद्युत लेपन लवण-मिश्रित
171.	290	310426	जिंक सायनाइड
172.	291	310435	केडमियम सायनाइड
173.	295	312017	तेल, पानी तथा मोम पर आधारित कलाकारों द्वारा प्रयोग हेतु रंग
174.	296	312122	रैड लैड पेंट
175.	297	312123	रेड आक्साइड पेण्टस
176.	298	312124	वैगन ब्लैक पेण्ट
177.	299	312125	ग्रेफाइट पेण्ट
178.	300	312126	पेस्ट पेण्टस
179.	304	312408	एल्यूमिनियम पेण्ट
180.	305	312109	बिटुमिन पर आधारित पेण्ट
181.	307	312901	शुष्क डिस्टेम्पर
182.	308	314201	धुलाई का साबुन

1	2	3	4
183.	309	314303	बनाए हुए सुगन्ध यौगिक
184.	311	314402	दंत मंजन
185.	313	317001	माचिस
186.	314	318401	आतिशबाजी
187.	316	31930301	गुआर गोंद की स्पिलिट व आहार (भूसी मुक्त व भूसी सहित)
188.	317	319501	जानवर से बना सरेस
189.	318	319504	कार्यालय उपयोगी गोंद लेप
190.	318ए	319602	सैक्रीन
191.	318बी	319603	सोडियम सैकरीन
192.	319	319902	अगरबत्तियां
193.	320	319704	सोडियम सिलीकेट
194.	321	319701	लाख
195.	322	319906	स्टार्च, गोंद, डेक्सट्रिन तथा सिलिकेट पर आधारित औद्योगिक एडहसिव आसंजक
196.	322ए	319907	कपूर की टिक्कियां
196.	323	3199802	एल्यूमिनियम सल्फेट सहित ऐलम औद्योगिक ग्रेड एंटिग्रेटिड सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स में निर्मित सल्फेटस व विषाक्त निस्सारी पदार्थ से प्राप्त को छोड़कर
198.	324	319921	पोटाशियम सिलिकेट
199.	325	319922	कैल्शियम सिलिकेट
			कांच तथा मृतिका
200.	327	320101	अग्निसह मिट्टी ईंटें तथा ब्लाक 40 प्रतिशत से कम अल्युमिना वाली
201.	328		**छत की खपैरल**
		320401	3. छत की खपैरल-मिट्टी
		329202	7. छत की खपैरल-सीमेंट कंक्रीट
202.	329		**फर्श की टाइलें**
		320402	3. फर्श की टाइल-मिट्टी
		326316	5. फर्श की टाइल-संगमरमर (10 एम.एम. से कम मोटाई वाली टाइलों को छोड़कर)
		326137	6. फर्श की टाइल-ग्रेनाइट (10 एम.एम. से कम मोटाई वाली टाइलों को छोड़कर)
		328903	7. फर्श की टाइल-सीमेंट मोजाइक
		329204	8. फर्श की टाइल-सीमेंट कंकरीट

1	2	3	4
203.	330		**सिरेमिक टेबलवेयर तथा पत्थर के इसी तरह के अन्य बर्तन अर्द्ध-कांचीय बर्तन और मिट्टी के बर्तन जैसे कि**
		323101	1. डिनर सैट
		323102	2. टी-सैट
		323103	3. कप और तश्तरी
		322104	4. जार और अन्य बर्तन
204.	330ए	321002	ब्लाक ग्लास
205.	330बी	321003	विटराईट ग्लास (कैप्टिव प्रयोग को छोड़कर)
206.	331	32110601	कांच के मनके
207.	331ए	321202015	कांच के दर्पण, उनको छोड़कर जिनका विनिर्माण स्वचालित फौहार या निर्वात लेपन प्रक्रिया का उपयोग करके किया जाता है।
208.	333	321408	वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में काम आने वाली कांच की चीजें (बोरिक सिलीकट जैसी रहित)
209.	334	321409	माइक्रो कवर ग्लास तथा सूक्ष्मदर्शी संयंत्रों की स्लाइडें
210.	335	321701	कांच की चूड़ियां
211.	336	321908	मुंह को फूंक तथा/अथवा अर्द्ध स्वचालित पद्धति द्वारा बनाए गए कांच के पीले बर्तन
212.	337	32190901	सोडालाइम सिलिका प्रैस्ड ग्लास टम्बलर
		32190902	सोडालाइम सिलिका प्रैस्ड ग्लास प्लेटें
		32190903	सोडालाइम सिलिका प्रैस्ड ग्लास बाउल्स
		32190904	सोडालाइम सिलिका प्रैस्ड ग्लास एशट्रे
		32190905	सोडालाइम सिलिका प्रैस्ड ग्लास बेसेस
213.	337ए	321910	ग्लास मार्बल्स-सभी प्रकार के
214.	338	323301	निम्न बोल्टता वाले इंसुलेटर
215.	339		निम्नानुसार कैमिकल पोर्सीलेन आइटम:
		32380401	1. फ्लेट टिप्पड बेसिन
		32390402	2. गोल और आयताकार किस्म की थालियां
		32390403	3. कम्बस्वन पॉस्ट्स
		32390404	4. क्रूसिबल्स
		32390405	5. वैक्यूम प्रैशर के लिए फिल्टर फलन
		32390406	6. ग्रेविटी फिल्ट्रेशन्स

1	2	3	4
		32390407	7. पाइपेट रस्ट्स
		32090408	8. स्पाटिंग प्लेट्स
		32390409	9. डिसीकेटर प्लेट्स
216.	339ए	324201	चूना (कैप्टिव खपत के अलावा)
217.	339बी	32420401	हाइड्रेटिड चूना- (कैप्टिव खपत के अलावा)
218.	340	324901	प्लास्टर आफ पैरिस (निर्माण सामग्री के लिए उपयोग के अलावा)
219.	341	324902	चाक (दर्जी के काम आने वाले चाकों सहित)
220.	342	32490501	प्लास्टर के बोर्ड (आटोमैटिक प्रक्रिया में इस्तेमाल के अलावा)
221.	343	326906	पत्थर के मर्तबान एवं कंडिया
222.	344	326904	साल्ट ग्लेज्ड सीवर पाइप
223.	345	32890101	एस्बेस्टोस के पाइप एवं फिटिंग-केवल घरेलू प्रयोजनार्थ तथा आईएसआई की विशिष्टताओं के अनुसार
224.	347	32890501	100 सें.मी. तक के व्यास वाले रिइनफोसर्ड सीमेंट के कंक्रीट पाइप
225.	348	32960101	ग्रेफाइट क्रुसीबल-500 नंबर तक की
226.	349	32990801	सिलिकोन कारबाइड क्रूसबल 150 नंबर तक
		33-35	**परिवहन उपकरणों को छोड़कर मेकेनिकल इंजीनियरिंग**
227.	353	331149	चमकीली छड़ें
228.	354	33115101	प्रेशर डाई कास्टिंग-0.75 किलोग्राम तक की
229.	355	331152	गरम लो तथा देग चूने के फ्लेन्जस
230.	357	33130401	35 एम एम व्यास तक के लचीले धात्विक
231.	358	331503	पाइप गैरदबाव के कार्यों के उपयोग हेतु कई तारों से बटा हुआ तार
232.	360	33172201	30 टन तक के यांत्रिक जैक
233.	361	33172301	30 टन तक क्षमता वाले द्रव चालित जैक
234.	362	331727	सिगनल सीढ़ी
235.	363	331751	स्ट्रीट लाइट फिटिंग
236.	364	340101	स्टील की अलमारियां
237.	365	340102	स्टील वाल्टस, सेफ तथा कैश बाक्स (नीचे दी गई वस्तुएं जिनके विस्तृत विनिर्देश नीचे दिए गए हैं को छोड़कर)
			(1) अग्नि-अवरोधक रिकार्ड संरक्षण साज-सामान
			इसकी जांच के लिए अंतराष्ट्रीय मानक संगठन के विनिर्देशन सं. आईएसओआर 834 द्वारा विनिर्दिष्ट समय तापमान ग्राफ के विपरीत 1,000 सेंटीग्रेड पर दो घंटे तक की

जानी चाहिए। इस जांच में रिम टैस्ट करते सूय बीच में ड्राप टैस्ट भी शामिल होगा। केबिनों की जांच व प्रमाणीकरण केन्द्रीय जांच अनुसंधान संस्थान, रुड़की या इसी प्रकार के मान्यताप्राप्त जांच संगठन द्वारा की जानी चाहिए।

(2) अग्नि और डकैती अवरोधी सेफ

विशेषज्ञ जांच प्रहार किए जाने पर इस सेफ पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। मान्यता प्राप्त जांच प्रणाली के अनुसार विशेष जांच प्रहार की परिभाषा दी गई है

क. जांच दल में दो अनुभवी आपरेटर होंगे जिन्होंने सेफ का अध्ययन किया हुआ होगा और जो इस सेफ के विस्तृत विनिर्माण और आपरेशन को पूरी तरह जानते होंगे। इन आपरेटरों ने सेफ की विस्तृत बनावट (कम्पोंनेंट) और असेम्बली ड्राइंग का भी पूरी तरह अध्ययन किया हुआ होगा।

ख. इस सेफ के लिए उपलब्ध 3.5 किलोग्राम साइज के बड़े हथौड़े और 1.5 मीटर लंबे क्री-बार्स सहित सभी औजार हाथ में इस्तेमाल किए जाने वाले साधारण औजार होंगे। बिजली चालित औजारों में 25 मिली मीटर नाम के पोर्टेबल इलेक्ट्रिक ड्रिलों को समायोजित करने वाले पोर्टेबल ड्रिल होल्डिंग मकेनिज्म कार्बाइड टिप्पड ड्रिल (सादी, एच.एस.एस. ड्रिलों को छोड़कर) आदि होंगे। इनके अलावा, बिजली से चलने वाली 200 मिली मीटर व्यास तक की आरियां और 62.5 मि.मी. तक के व्यास की होल सॉ और रेसिप्रोकेटिंग सॉ, जिनकी अधिकतम ब्लेड क्षमता 200 मिलीमीटर होगी, भी इस्तेमाल में लाई जाएगी।

ग. इस जांच का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ग सेंटीमीटर तक का सुराख करना या फिर ताले को तोड़कर सेफ का दरवाजा खोलना होगा।

घ. यह उपयुक्त जांच केवल एक निश्चित समय अवधि के लिए ही की जाएगी।

4. **ज्वैलर्स सेफ** जो विशेषज्ञ जांच प्रहार सहन कर सकती हो। इस संबंध में मान्य जांच प्रणाली के अनुसार विशेषज्ञ जांच प्रहार की परिभाषा नीचे दी गई है:

इसकी विशेषज्ञ जांच प्रहार के लिए अग्नि और डकैती अपराधी सैफ संबंधी सभी बातें लागू होंगी और उनके साथ-साथ अन्य मुख्य बातें होंगी:

क. इस प्रहार के लिए आक्सी-ऐसिटिलीन गैस कटिंग टार्च इस्तेमाल करने की अनुमति दी जाएगी। प्रहार के लिए इस्तेमाल की गई गैस की मात्रा कुल मिश्रित आक्सीजन और ईंधन गैस का 30 क्यूबिक मीटर तक सीमित होगी।

ख. इन सेफों के लिए एक कम्बीनेशन ताला अत्यन्त आवश्यक है। यह ताला मनिपुलेशन प्रूफ होगा और कई विभिन्न कम्बीनेशन्स के काबिल होगा।

ग. इन सेफों में 2 मूवमेंट टाइप लॉक के फिटिंग की व्यवस्था भी होंगी।

घ. ब्रेकिंग, एक्सप्लोसिब्ज, बहुत ज्यादा तापमान और जबर्दस्त धक्के पर सेफ को आप से आप बन्द कर देंगे। यदि कभी बन्द या किसी और कारण से कोई ताला खुल भी जाएगा, तो भी सेफ आप से आप बंद हो जाएंगे।

1	2	3	4

ड. इस प्रहार का उद्देश्य 13 वर्ग क्यूबिक सेंटीमीटर तक का सुराख करना होगा।

च. इन सेफों पर किए गए इस प्रहार की अवधि अग्नि और डकैती अवरोधी सेफ पर किए गए प्रहार से दुगुनी होगी।

5. सेफ डिपोजिट लॉकर

इन सेफों के लॉकर दरवाजों के किनारे मशीन से बने होंगे ताकि यह दरवाजे एकदम सट जाएं। इससे ये क्रो-बार प्रहार को सह सकेंगे तथा इन्हें एक दूसरे से बदला भी न जा सके। इन लाकर्स के इस्तेमाल की दृष्टि से यह बहुत जरूरी है। लॉकर्स के ताले आपस में एक दूसरे से बदले जा सकेंगे और इस्तेमाल की दृष्टि से यह बहुत जरूरी पहलू है। हरेक ताला लॉकर लेने वाले (रेन्टर्स) की दी गई चाबी (रेनटर्स की) ओर लॉकर के कस्टोडियन के पास उपलब्ध मास्टर चाबी (मास्टर-की) को संयुक्त रूप से लगाने से खुलता है। कस्टोडियन के पास यह मास्टर-की एक स्थान के सभी लाकर्स, चाहे उनकी संख्या कुछ सौ ही हो, के लिए एक ही होती है।

लॉकर्स के तालों के लीवर कम्बीनेशन्स कंप्यूटर से गढ़े होंगे, जिससे कोई भी दो चाबियां एक जैसी न हों और हर ताला अपनी एक ही चाबी से खोला जा सके।

रेन्टर द्वारा चाबियों को खोया जाना एक सामान्य बात है। इसलिए ताले को तोड़कर लॉकर खोलना (चूंकि कोई डुप्लीकेट चाबी का अन्य रिकार्ड नहीं रखा जाता है) लॉकर के दरवाजे की तुरन्त मरम्मत करवानी और इसमें नई इंटरचेंजेबल लाक का दोबारा लगवाया जाना लॉकर के इस्तेमाल की दृष्टि से बहुत जरूरी है। कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि लॉकर के कस्टोडियन की मास्टर-की खो जाती है जिससे कई सौ लाकर्स के खुलने में परेशानी हो जाती है। इस स्थिति में जहां यह लाकर होता है, वहां एक मैकेनिक को तैनात किया जाता है और बारी-बारी से रेन्टर्स को बुलाकर उनके सामने ये लाकर खोले जाते हैं। यह कार्य अपने में बहुत प्रमुख होता है।

(6) सेफ डिपोजिट लॉकर वाले सेफ

इस प्रकार के सेफ में ऊपर बताए गए अग्नि और डकैती अवरोधी सेफ और सेफ डिपाजिट लॉकर की सभी विशेषताएं शामिल होनी चाहिएं। इस प्रकार के सेफ उन बैंकों में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनके अपने रीइन्फोर्स्ड वोल्ट नहीं होते। इसके अलावा ये सेफ बड़े-बड़े होटलों में भी ग्राहकों का कीमती सामान रखने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं। इसकी आवश्यकता तब पड़ती है जब होटल में आने वाले व्यक्तियों की अपनी चाबियां खो गई हों और उनके पास रुपया-पैसा, एयर-लाइन टिकट और पासपोर्ट आदि जैसा कीमतें समान हो उस समय होटल द्वारा अपने ग्राहकों को इस की सुविधा प्रदान करना बहुत जरूरी हो जाता है एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार का 2085 मिलीमीटर ऊंचाई वाला सेफ सबसे अधिक लोकप्रिय होता है। इसका भार 2.5 टन के लगभग होता है और इसके निर्माण में समय एक ओवर हैड क्रेन की आवश्यकता होती है।

1	2	3	4
238.	366	340103	मांस तथा खाना रखने की धातु सेफ
239.	367	340104	सभी प्रकार की धात्विक केबिन
240.	368	340201	लोहे के सन्दूक
241.	369	34030101	बिना छपाई वाले टिन के डिब्बे-18 लीटर की क्षमता के ओटीएस तथा केन को छोड़कर
242.	370	340306	जी.आई. बाल्टियां
243.	371	34030801	60 लीटर की क्षमता तक के बैरल
244.	372	34032001	60 लीटर की क्षमता के ड्रम
245.	373	340322	टिन की ट्रेन
246.	375	340324	कूड़ा दान
247.	376	340401	धातु के सेनेटरी फिक्सचर्स
248.	377	340403	पानी के पाइप की फिटिंग के लिए काक और वाल्व
249.	378	340401	100 मि.मी. व्यास तक के नरम लोहे की पाइप फिटिंग
250	378ए	34101201	नरम इस्पात के बने स्टोरेज टैंक-15,000 लीटर स्टोरेज की क्षमता वाले (सादे किस्म के रिबट/वैल्डिंग सहित परन्तु प्रेस्ड रिबों को छोड़कर)
251.	379	340501	प्रेशर स्टोव
252.	380	340502	बत्ती वाला स्टोव आई.एस.ओ. के नाम से दर्ज किए गए (नूतन टाइप स्टोव) नम्बर 145215, 145216 व 145299 के डिजाइन अनुसार तैयार किए गए स्टोवों को छोड़कर
253.	381	340601	लालटेन
254.	382	340605	सिगनल लैम्प
255.	383	340606	हाथ के लैम्प
256.	386	340904	छाते की तान तथा फिटिंग
257.	387	340906	धातु के जिप फासनर-सभी पुर्जे बनाने वाले इन्टीग्रेटिड प्लान्टों के मामले छोड़कर
258.	388	340907	टिन कटर
259.	389	340918	पेटी फासनर
260.	390	340919	स्नेप फासनर
261.	391	340920	पिल्फरप्रूफ केप्स/चोरी रोधी ढक्कन
262.	392	340921	बन्दूक के खोल
263	393	341001015	धातु के दरवाजे खिड़किया और रोशनदान (विशेष उपयोजन जैसे सुरक्षा, अग्नि सरंक्षा, ध्वनिरोधन और बुलेट बेधन अवरोध के लिए उपयुक्त गैर-धात्विक कारे से भरे गए हैवी डयूटी हालो इस्पात के दरवाजों को छोड़कर)

1	2	3	4
264.	394	341004	लिपटवां किवाड़ (रोलिंग शटर)
265.	396	342002	एल्यूमिनियम फर्नीचर
266.	397	34200301	अस्पताल के समंजनीय पलंग
367.	398	34200302	लोहा और इस्पात सभी प्रकार की चारपाई
268.	399	342004	लोहा और इस्पात की सामान रखने के कपबोर्ड
269.	400	342005	कोणीय रैकों सहित लोहा और इस्पात के सभी प्रकार के रैक
270.	402	34200602	सभी प्रकार की स्टील की कुर्सियां
271.	403	34200701	अस्पताल की स्टील की मेज
272.	404	34200702	अन्य सभी प्रकार की स्टील की मेजें
273.	405	34200801	रेलवे प्लेटफार्म पर पीने के पानी की ट्रालियां
274.	406	34200802	अस्पताल का लोहा और स्टील की ट्रालियां
275.	407	342009	लोहा और स्टील के स्ट्रेचर
276.	408	342010	इस्पात के पात्र
277.	409	342099	अन्य सभी प्रकार का स्टील फर्नीचर
278.	410	343101	लोहा आरी के फ्रेम
279.	411	343102	प्लायर
280.	412	343103	स्क्रू ड्राईवर (पेचकस)
281.	413	343104	स्पैनर (पाने)
282.	414	343106	हथौड़ा
283.	415	343108	निहाई
284.	416	343109	लकड़ी के काम आने वाली आरी
285.	417	343111	रैंचेज
286	418	343112	चाकू और शियरिंग ब्लेड (इनमें हाथ से काम करने के लिए धातु, कागज, बांस और लकड़ी के सभी प्रकार के ब्लेड शामिल हैं।)
287.	419	343113	कील खींचने वाला
288.	420	343114	छेनी
289.	421	343115	संडसी
290.	422	343116	तार कर्तक
291.	423	343199	लुहारी, बढ़ईगिरी, हाथ की गढ़ाई-ढलाई आदि के अन्य हाथ के औजार

1	2	3	4
292.	424	34320101	बोल्ट व नट-उच्च तनाव वाले तथा अन्य विशेष प्रकारों को छोड़कर
293.	426	343207	तार समजंक पेच
294.	427	343301	टम्बलर ताले
295.	428	343302	ताले
296.	429	343303	सेफ/केबिनेट के ताले
297.	430	343305	दरवाजे के ताले
298.	431	343306	साइकिल के ताले
299.	432	343399	ड्राअर तथा सूटकेस में लगने वाले ताले
300.	439	343507	हल का फाल/लोह हल
301.	440	343508	कृषक यंत्र
302.	441	343509	डिस्क हैरो
303.	447ए	345207	स्टेनलैस स्टील के बर्तन
304.	448	343517	धात्विक पिकर
305.	457	343601	कीलें
306.	458	343602	फलक पीनें
307.	459	343603	लकड़ी के पेंच
308.	460	34360401	मशीनी पेंच-डिब्बेनुमा सिर वाले व विशेष प्रकारों को छोड़कर
309.	463	343626	हाब नेल
310.	464	343627	भवन निर्माण का लौह का सामान
311.	466	343901	धातु के वाशर छल्ले
312.	467	343903	कांटेदार तार
313.	468	345101	चम्मच, छुरे, कांटे
314.	469	345102	फार्क, छुरे, कांटे
315.	470	345103	मेज के चाकू/घरेलू चाकू
316.	471	345104	डबल रोटी कतरक
317.	472	345199	अन्य छुरी कांटों का सामान
318.	473	345201	घेरलू बर्तन पीतल
319.	474	345202	घरेलू बर्तन अल्युमीनियम
320.	477	345205	लोहे के घरेलू बर्तन

1	2	3	4
321.	482	345406	गैस के उपकरण जैसे कुकिंग रेंज, तंदूर आदि
322.	485	349903	सेफ्टी पिन
323.	486	349906	धातु की घड़ी की चेन
324.	487	34990701	तराजू
325.	490	34991001	तार की वेल्ड की हुई जाली (विद्यमान इकाइयों के विस्तार को छोड़कर)
326.	491	34991101	100 गेज साइज से अधिक मोटाई और 2 मीटर की चौड़ाई तक के धात्विक वायरगेज तथा तार जाली
327.	494	349941	चमड़े के सामान और कपड़े की धातु की फिटिंग
328.	495	349942	तसले
329.	501	350103	गेहूं तथा चावल की गहाई के यंत्र 5 अ.श. की मोटिव शक्ति वाले
330.	502	350104	बीज क्लीनर-5 अ.श. की मोटिव शक्ति वाले
331.	503	350105	अनाज सुखाने का यंत्र 5 अ.श. की मोटिव शक्ति वाले
332.	504	350106	5 अ.श. की मोटिव शक्ति वाले शैल हस्कर
333.	506	350108	5 अ.श. की मोटिव शक्ति वाले कॉटन डिलिंटिंग मशीन
334.	508ए	35080101	खेतीबाड़ी की मशीनों में काम आने वाले यंत्र कृषि के काम आने वाली मशीनों जैसे थ्रैसर
335.	510	35230101	15 अ.श. तक धीमी गति वाले डीजल इंजिन 180 ग्राम प्रति बी एचपी/ प्रति घटा से कम विशिष्ट ईंधन की खपत करने वाले इंजनों को छोड़कर
336.	511	353134	चावल तथा दाल मिल मशीनें
337.	513ए	353804	रूई ओटने के चाकू
338.	513ई	345805	काटने के चाकू और माचिस उद्योग में काम आने वाली छुरियां
339.	513एफ	354806	प्लास्टिक उद्योग में बारीक टुकड़े व दाने तैयार करने में काम आने वाले चाकू
340	513जी	354807	चाकू और शियरिंग ब्लेड (धातु पेपर, बांस और लकड़ी की हस्तचालित मशीनों पर काम आने वाले सभी किस्म के ब्लेड और चाकूओं सहित)
341.	513एच	354808	डाक्टर ब्लेड
342.	513आई	354809	स्टेनलैस स्टील रिफाइनर/बार लाइव्स
343.	514	35490701	कंक्रीट मिश्रक 3 क्यूबिक मीटर की क्षमता तक के
344.	515	354925	मशीन का पट्टेनुमा आरा ब्लेड
345.	516	35520101	कक्ष प्रशीतक डेजर्ट टाइप
346.	517	355819	एयर कंडीशनिंग डक्टिंग, लोअर्स, ग्रिल्स तथा एयर कंडीशनिंग का अन्य शीट फैब्रीकोन

1	2	3	4
347.	518	35630301	10 से.मी. × 10 से.मी. के आकार वाले अपकेन्द्री पम्प
348.	519	35650401	स्प्रे पेंटिंग रिपेयरशाला के लिए 5 अ.श. के वायु संपीड़ित
349.	519ए	356803	इलेक्ट्रो फार्मड-रसायन और खांडसारी उद्योग में इस्तेमाल किए जाने वाली स्क्रीनें
350.	520बी	35720201	12 मि.मी. की ड्रिलिंग मशीन प्रति मिनट 1,500 चक्कर लगाने वाले बैंच और पेडस्टल किस्म की
351.	521	35720901	खराद, सुराख करने, चूड़ी डालने की छोटी मशीनों के अड्डे (छोटा एकल या बहुसंचलन) वाले उपस्कर
352.	522	35741001	300 मि.मी. व्यास तक के बैंच ग्राइन्डर
353.	523	35750201	बिजली की हेक्सा मशीन (यांत्रिका) ब्लेड का आकार 300 मि.मी.
354.	523ए	35760301	स्क्रू पेस (हाथ से चलाई जाने वाली)
355.	523बी	35760501	हैंड प्रेस (हाथ से चलाई जाने वाली)
356.	524	357806	कूलेन्ट पम्प आदि
357.	525	357807	स्टैडिज
358.	526	357808	डाग प्लेट
359.	529	358601	तोल मशीन/चौकी तुला-साधारण
360.	530	358901	फाईल मेकेनिज्म
361.	531	35910102	सिलाई मशीन घरेलू हाथ से चलने वाली तथा परम्परागत ढंग की सिलाई मशीनें और पुर्जे सिवाय आर्मस, बैड्स और सुईयों को छोड़कर
362.	532	59203	घरेलू बुनाई की मशीनें
363.	535	359910	बोतल साफ रखने के यंत्र
		36	
364.	552	77559	घरेलू प्रकार के वोल्टेज स्टेबिलाइजर 5 के.वी.ए. तक
365.	553	36040201	बिजली मोटर 1 अश. से 10 अ.श. तक की ए सी विशेष प्रकार की मोटरों को छोड़कर
366.	555	36100101	घरेलू प्रकार के पी वी सी तार
367.	558	36310401	एग्जास्ट पंखे 460 एम एम आकार तक
368.	564	363170101	बिजली की इस्तरियां भाप की इस्तरियां को छोड़कर
369.	568	36370501	संचायक पानी पातक/गीजर 100 लीटर की क्षमता वाले 3 किलोवाट तक के
370.	569	36370601	बिजली की केतली सासपेन/रिंग टाइप-170 लीटर की क्षमता वाले
371.	570	36370701	मिक्सर/ग्राइन्डर जैसे मीट मिक्सर फलों का रस निकालने वाली मशीन 1 लीटर अधिकतम क्षमता का जार/30 मिनट की रेटिंग वाला 500 वाट तक

1	2	3	4
372.	573	36371301	हाट एयर ब्लोअर हीट/कन्वेक्टर 2 कि.वा. तक 26 सेमी×20सेमी×6सेमी तक 26 सेमी. तक पंखे की माप के
373.	577	36371801	एक्सप्रैस्सो काफी बनाने के यंत्र 1.7 लीटर की क्षमता वाले
374.	582	36372401	ब्रेड टोस्टर साधारण/स्वचालित अर्द्ध स्वचालित 6 स्लाइसों की क्षमता वाले
375.	587	363804	बिजली वायरिंग का सामान स्विच, प्लग और साकेट को छोड़कर
376.	588	363911	बिजली के चोक
377.	589	363914	बिजली ट्यूब लाईट के लिए स्टार्टर
378.	593	367104	कार्बन ब्लाक से तैयार किए गए कार्बन ब्रुश
379.	596ए	36991400	विद्युत घंटियां और बजर
380.	597	36991601	100 एम्पियर्स तक के धातु चढ़ी स्विचें
			इलेक्ट्रानिक उपकरण तथा हिस्से पुर्जे
381.	604	364903	मनोरंजन तथा पब्लिक एड्रेस सिस्टम के लिए एम्पलीफायर
382.	620	370201	लकड़ी की नाव का बनाना
383.	621	374201	ट्रक की लकड़ी के ढांचे का निर्माण
384.	622	374202	बसों तथा ट्रकों के लिए सीटें
			गाड़ियों के हिस्से पुर्जे तथा सहायक सामान व गैरज के उपकरण
385.	626	374606	ग्रीस निप्पल
386.	627	374708	गन मैटल बुशे
387.	630	374721	होज पाइप तथा रेडियेटर होज आटो
388.	631	374722	हार्न बटन
389.	632	37472601	शैकल पि- आटोमोबाईल के प्रयाग के लिए
390.	638	374752	रेडियेटर जाली-आटो
391.	640	374759	सीट कुशन
392.	642	374778	सन शेड आटो
393.	643	37478001	साइड लैम्प का सामान-आटो
394.	648	374811	बैटरी केबल तथा फिटिंग
395.	649	374812	बैटरी सैल टैस्टर
396.	650	374869	इलेक्ट्रिकल फ्यूज बाक्स-आटो
397.	651	374870	इलेक्ट्रिकल फ्यूज आटो

1	2	3	4
398.	654	374883	पेट्रोल की टंकी का ढक्कन आटो
399.	657	374901	आरमेचर टेस्टर
400.	658	374902	बैटरी टर्मीनल लिफ्टर
401.	659	374903	कंडेंसर तथा रेजिस्टैन्स टेस्टर
402.	660	374904	फंडर स्पून तथा हैमर
403.	661	374905	फीलर गेज
404.	662	374906	फ्लेयरिंग टूल्स
405.	663	374907	गियर फ्लशर
406.	664	374908	सभी प्रकार के पुलर
407.	665	374909	रिंग एक्सपैण्डर
408.	666	374910	रिंग कंप्रेसर
409.	667	374911	स्क्रू एक्सट्रैक्टर
410.	668	374912	स्पार्क प्लग टैस्टर एंड क्लीनर
411.	669	374913	स्टड मिवूर-एक्सट्रैक्टर
412.	670	374914	टो इन गाजेज
413.	671	374915	टायर के वाल्व निकालने के औजार
414.	672	374916	ट्यूब कटर
415.	673	374917	फलैजिंग टूल्स
416.	677	374921	पेंट करने का उपकरण जैसे स्प्रेगन आदि
417.	678	374925	ग्रीस गन
418.	679	374926	टायर में हवा भरने के पम्प-हाथ तथा पैर दोनों से चलने वाला
419.	681	374994	मोटर गाड़ियों के रबड़ के पुर्जे निम्नानुसार
		37499401	ब्रेक पैडल
		37499402	क्लच पैडल
		37499403	डस्ट कवर
		37499404	वाइपर ब्लेड कम्पोनेंट
		37499405	विंड स्क्रीन वीडिंग्स
		37499406	डोर चैनल
		37499407	रबड़ बीड़िग
		3026071	रबड़ मेट्स

1	2	3	4
420.	682	375804	आटो साइकिल की तीलियां तथा निपल स्वेष्ड टाइप को छोड़कर
			साइकिलों के पुर्जे तीन पहियों की गाड़ियों तथा बच्चों की गाड़ियां
421.	684	3766102	साइकिल के फ्रेम
422.	685	37680101	बी बी एक्सल सिवाय शीट फ्रीजिंग प्रक्रिया के माध्यम से बने
423.	686	376802	बी बील कप
424.	687	376803	बी बी के शैल
425.	688	376804	साइकिलों के ट्यूब वाल्व
426.	689	376805	साइकिलों के हैण्डल
427.	690	376807	साइकिलों की सभी प्रकार की डिबरियां, स्टड तथा पेंच
428.	691	376811	साइकिलों की घंटियां
429.	692	376812	साइकिलों के कैरियर
430.	694	37681401	साइकिल के चैन व्हील और एडजस्टर सिवाय हल्के वजन वाली साइकिलों के लिए चैन व्हील तथा एडजस्टर को छोड़कर
431.	695	376815	साइकिलों की बत्तियां
432.	696	376816	चैन कवर
433.	497	376817	कोन हब कोन साइकिल
434.	698	376818	साइकिलों के कोटर पिनें
435.	699	376819	साइकिलों के क्रैंक शाफ्ट
436.	700	37682001	साइकिलों के क्रैंक, एक पुर्जे से बनी क्रैंक सहित कोल्ड फोर्ज्ड क्रैंकों को छोड़कर
437.	701	376822	क्राउन आउटर कवर
438.	703	736824	साइकिलों के डी नट
439.	704	376825	साइकिलों के आई बोल्ट कप्स
440.	705	376826	साइकिलों के फोर्क ब्लेड क्राउन कवर
441.	706	376827	साइकिलों के फोर्क हैंडल
442.	707	376828	साइकिलों के फ्रेम कॉलर
443.	708	376832	साइकिलों की गाइड पिनें
444.	709	376836	हैंडल बार ग्रिप्स
445.	710	376838	साइकिलों के हब आयल क्लिप

1	2	3	4
446.	711	376839	साइकिलों के हब एक्सिल नट्स
447.	712	376840	साइकिलों के लाक नट्स एण्ड रिंग्स
448.	713	376842	साइकिलों के सभी प्रकार के लग्ज
449.	714	376843	साइकिलों के मडगार्ड
450.	715	376844	साइकिलों के लैम्प ब्रैकेट
451.	716	376847	साइकिलों के पैडल एसैम्बली
452.	717	376848	साइकिलों की गद्दी
453.	718	376850	साइकिलों के शैकल रिवट
454.	719	376851	साइकिलों के स्टैंड
455.	720	376852	साइकिलों की तीलियां तथा निप्पल
456.	721	37685801	साइकिलों के हब्स और कप्स, हल्के वजन की साइकिल के लिए एकल पीस हब सैल और फ्लैंज को छोड़कर उनके संघटक
457.	723	37689901	फ्री व्हील चैन, एकल पीस हब शैल और फ्लेंज के सिवाय हल्के वजन वाली साइकिल के अन्य पुर्जे और सहायक सामान हल्के वजन वाली साइकिलों के लिए शीत फोर्जन प्रक्रिया द्वारा बी बी एक्सल, चैन व्हील और एडजस्टर, शीत फ्रोजित क्रैंक, जिनके अंतर्गत एकल पीस शीत फ्रोजित क्रैंक भी है, और कैप्टिव उपयोग के विनिर्माण के लिए मदें।
458.	724	376901	तिपहिया साइकिल
459	725	376903	तिपहिया साइकिल के हिस्से तथा सहायक सामान
460.	726	376904	बच्चा गाड़ियां
461.	727	376905	बच्चा गाड़ियों के हिस्से तथा सहायक सामान
			विविधि परिवहन उपकरण
462.	728	378099	हाथ तथा पशुओं द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ियों/तांगों के हिस्से तथा पहियों के रिंग
463.	729	378108	एक पहिए की ठेला गाड़ी
464.	730	378109	पशु चालित गाड़ियां
465.	731	378401	सभी किस्मों की हस्त चालित गाड़ियां
			खेलों का सामान
466.	761	261401	खेलों के सभी प्रकार के जाल
467.	762	385101	शटल काक
468.	763	385104	हाकी स्टिकें
469.	764	38510510	खेलों के लिए सुरक्षा उपकरण यथा पैड, दस्ताने आदि—मुलायम चमड़े का सामान आदि

1	2	3	4
470.	765	385106	डंब बैल तथा चेस्ट एक्सपण्डर
471.	766	385107	क्रिकेट तथा हाकी की गेंदें
472.	767	385108	फुटबाल, वालीवाल तथा बास्केट बाल के कवर
			स्टेशनरी का सामान
473.	768	319911	लिखने की स्याही तथा फाउंटेन पैन की स्याही
474.	769	387101	बाल प्वाइंट पैन
475.	770	387103	फाउंटेन पैन
476.	771	387104	पैन की निबें
477.	772	387105	फाउंटेन पैन तथा बाल पैन के पुर्जे धातु की टिपों को छोड़कर
478.	773	387201	पेंसिलें
479.	774	387401	हाथ की स्टेपल मशीनें
480.	775	387501	पेपर पिनें
481.	776	387601	कार्बन पेपर
482.	777	38760210	यांत्रिक टाइपराइटर के रिबन
483.	778	387901	हाथ से नंबर डालने की मशीन
484.	779	387903	पेंसिल शार्पनर
485.	780	387907	पैन होल्डर
			अन्य
486.	784	265101	छाते
487.	786	38011401	स्टेरीलाइजर स्टेनलस स्टील तथा एल्युमिनियम
488.	787	380225	विद्यार्थियों तथा चिकित्सा में काम आने वाले सूक्ष्मदर्शी यंत्र
489.	788	380401	पानी के मीटर
490.	790	380504	रेवोल्यूशन काउन्टर्स (घूर्णक सूचक)-यांत्रिक
491.	791	380505	लिक्विड लेवल कन्ट्रोलर (इलैक्ट्रोनिक किस्म को छोड़कर)
492.	792	38060601	थर्मामीटर-150 सेंग्रे. तक
493.	792ए	38110201	ऑफथेल्मिक लेन्स फ्रेम ब्लेन्कस (ग्लास)
494.	793	381301	फोटोग्राफिक एन्लार्जर्स
495.	795	343902	तार के ब्रुश
496.	796	389101	पेंट करने के ब्रुश

497.	797	389102	बालों के ब्रुश
498.	498	389103	रेशे वाले ब्रुश
499.	799	389104	दांत ब्रुश
500.	800	389105	ब्रुश प्राकृतिक बालों वाले
501.	801	389106	अन्य ब्रुश
502.	803ए	389501	बोन मील (शत प्रतिशत निर्यात के लिए कैप्टिव खपत को छोड़कर)
503.	803बी	389502	क्रशड बोन्स
504.	804	389704	कफ के बटन, टाईपिन, धातु के ड्रेस बटन तथा बकसुए
505.	806	389912	एब्सारबेन्ट काटन
506.	807	389911	सिगरेट लाइटर

अयोध्या में आतंकवादी हमला

***22. श्री निखिल कुमारः**
श्री बृज किशोर त्रिपाठीः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 6 जुलाई, 2005 को अयोध्या में राम जन्म भूमि परिसर में एक आतंकवादी हमला हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस घटना की जांच पूरी कर ली गई है;

(घ) यदि हां, तो उक्त घटना के लिए कौन-कौन से व्यक्ति/संगठन जिम्मेदार हैं;

(ङ) इस घटना में कितने व्यक्ति घायल हुए/मारे गए तथा इस संबंध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं;

(च) इस घटना की जांच कौन-कौन सी एजेंसियां कर रही हैं;

(छ) क्या अयोध्या में आतंकवादी हमले के बाद धार्मिक स्थलों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों पर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की गई है;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(झ) ऐसे स्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (च) 5.7.2005 को लगभग 9.15 बजे 5 आतंकवादी मार्शल जीप में अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में अधिग्रहीत क्षेत्र के अवरोधकों के निकट आए। जीप से उतरने के पश्चात, उन्होंने जीप को विस्फोट से उड़ा दिया और इस तरह उन्होंने अवरोधकों में एक छेद कर दिया जिसके जरिए वे परिसर में पहुंच गए। इन आतंकवादियों ने केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल तथा प्रांतीय सशस्त्र रक्षीदल (पी ए सी), उत्तर प्रदेश के सुरक्षा कार्मिकों पर भारी गोलीबारी शुरू कर दी और हथगोले फैंके। परिसर में सुरक्षा कार्मिकों ने तुरंत मोर्चा संभाल लिया तथा तत्काल और प्रभावपूर्ण तरीके से जवाबी कार्रवाई की और सभी पांचों आतंकवादियों को मार गिराया। परस्पर गोलीबारी में केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल के तीन कार्मिकों और पी.ए.सी. के एक कांस्टेबल को चोटें आईं। आतंकवादियों द्वारा जीप को उड़ाने के फलस्वरूप एक सिविलियन मारा गया जबकि दो सिविलियन घायल हो गए। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा घटना की जांच की जा रही है। अभी तक किसी भी ग्रुप ने घटना की जिम्मेदारी का दावा नहीं किया है।

(छ) से (झ) जी, हां। स्थिति का मौके पर जायजा लेने के लिए केन्द्रीय मंत्री ने 6.7.2005 को अयोध्या का दौरा किया। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ भी चर्चा की। यह निर्णय लिया गया कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद परिसर सहित मथुरा स्थित कृष्ण जन्म भूमि-शाही ईदगाह, वाराणसी स्थित ज्ञान व्यापी मस्जिद-काशी विश्वनाथ मंदिर तथा आगरा स्थित ताज महल की

सुरक्षा व्यवस्थाओं की केन्द्रीय और राज्य एजेंसियों द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा की जाए तथा उन्हें और सुदृढ़ करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई की जाए। इन सभी परिसरों में सुरक्षा व्यवस्थाओं की 14 जुलाई, 2005 को केन्द्रीय और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की गई। उत्पन्न खतरे की आशंका को ध्यान में रखते हुए और समयबद्ध तरीके से कार्यान्वयन हेतु सभी परिसरों की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए संशोधित कार्रवाई योजनाएं तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है। सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के भवनों, महत्वूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक स्मारकों, आदि जिन पर आतंकवादी हमले कर सकते हैं, की सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करने को भी सुझाव दिया गया है।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों पर 'प्रोडक्ट पेटेन्ट' का प्रभाव

***23. श्री हंसराज जी. अहीर:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जॉब पेटेंट की बजाय 'प्रोडक्ट पेटेंट' कानून अपनाने का लघु उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों पर प्रोडक्ट पेटेंट के दुष्प्रभावों के अध्ययन और समीक्षा करने का है;

(ग) सरकार द्वारा लघु उद्योगों को नई प्रौद्योगिकी अपनाने तथा उनकी वित्तीय कठिनाईयों के मद्देनजर उत्पाद अनुसंधान करने हेतु प्रदान की जा रही/प्रदान की जाने वाली सहायता के स्वरूप का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लघु उद्योगों में मौजूदा उत्पाद रॉयल्टी के संबंध में सरकार की भूमिका का ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) पेटेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों (अर्थात् औषधि, खाद्य और रसायन, क्योंकि उत्पाद पेटेंट सुरक्षा सभी अन्य क्षेत्रों के लिए पहले से ही विद्यमान है) में प्रवर्तित की गई उत्पाद पेटेंट सुरक्षा 1 जनवरी 2005स से प्रभावी हुई है। अतः लघु उद्योग क्षेत्र पर उत्पाद पेटेंट से पड़ने वाले प्रभावों का मूल्यांकन करना अभी समयपूर्व होगा। तथापि, सरकार (लघु उद्योग मंत्रालय) पेटेंट अधिनियम, 1970 में किए गए संशोधनों में लघु उद्योग संघों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ संपर्क बनाए रखकर स्थिति का अनुवीक्षण कर रही है।

(ग) सरकार अनेक योजनाएं कार्यान्वित करती है जिनके अंतर्गत लघु उद्योगों को प्रौद्योगिकी के उन्नयनीकरण, सुधरे हुए संयंत्र एवं मशीनरी की अधिप्राप्ति तथा प्रबंध एवं व्यवस्था की गुणवत्ता में सुधार के लिए वित्तीय सहायता सहित विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास में उत्कृष्टता के लिए लघु उद्योग इकाइयों हेतु वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की भी एक योजना है। लघु उद्योग, लघु उद्योग संघ एवं अन्य स्टेकहोल्डरों में लघु उद्योग क्षेत्र के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों एवं उनके निहितार्थ के बारे में जागरूकता सृजित करने के उद्देश्य से सरकार (लघु उद्योग मंत्रालय) सारे देश में सेंसेटाइजेशन कार्यक्रम भी आयोजित कर रही है।

(घ) लघु सहित अन्य किसी भी औद्योगिक क्षेत्र में प्रौद्योगिकी/जानकारी ("नो-हाऊ") के स्थानान्तरण के लिए रॉयल्टी की राशि प्रौद्योगिकी/जानकारी के बाजार-निदेशित (मार्केट) मूल्य पर निर्भर करती है। इसके लिए कोई कानूनी मानक तय नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

जाली मुद्रा का परिचालन

***24. श्री लक्ष्मण सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी मात्रा में जाली मुद्रा के परिचालन के माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों/संगठनों/एजेंसियों का ब्यौरा क्या है जिन्हें इसमें शामिल पाया गया है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक जाली मुद्रा के परिचालन के उन मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है जिनका भंडाफोड़ किया गया;

(घ) उक्त अवधि के दौरान कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया तथा कितने मूल्य की जाली मुद्रा जब्त की गयी; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ङ) बैंकों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा की गई बरामदगी/जब्ती के संबंध में उपलब्ध सूचना से यह पता चलता है कि जाली भारतीय मुद्रा नोटों का परिचालन नोटिस में आया है। तथापि, परिचालन में भारतीय बैंक नोटों की कुल मात्रा की तुलना में जाली भारतीय मुद्रा नोटों की मात्रा थोड़ी है।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित सूचना के अनुसार बरामद/जब्त जाली भारतीय मुद्रा के राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार ब्यौरे तथा 2002-2005 (मार्च 2005 तक) की अवधि के दौरान पंजीकृत मामलों की संख्या विवरण-I में दी गई है। वर्ष 2002 और 2003 के दौरान जाली मुद्रा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्तियों की संख्या विवरण-II में दी गई है। वर्ष 2004 और 2005 की सूचना उपलब्ध नहीं है।

भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, और इसलिए जाली मुद्रा के मामलों सहित अपराध के पंजीकरण, जांच और रोकथाम का दायित्व मुख्यतया राज्य सरकारों का है।

सरकार ने देश में जाली मुद्रा नोटों के परिचालन को रोकने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में जाली मुद्रा नोटों की तस्करी की रोकथाम करने के लिए सीमा सुरक्षाबल/सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सर्तकता को बढ़ाना तथा जनता की भलाई हेतु प्रिन्ट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए सुरक्षा विशेषताओं पर सूचना का प्रसार करना, शामिल है। इसके अलावा, वित्त मंत्रालय द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय बैंक नोटों में शामिल करने हेतु कुछ अतिरिक्त सुरक्षा विशेषताएं अनुमोदित की गई हैं जिससे जाली मुद्रा बनाना अन्यन्त कठिन हो गया है।

विवरण I

मूल्य (रुपए में) दर्शाते हुए जाली मुद्रा (बरामद और जब्त) तथा वर्ष 2002 से 2005 (मार्च 2005 तक) के मामलों का विवरण

		2002				2003				2004				2005			
		मूल्य रु. में			मामले	मूल्य रु. में			मामले	मूल्य रु. में			मामले	मूल्य रु. में			मामले
क्र.सं.	राज्य	(आर)	(एस)	(आर+एस)		(आर)	(एस)	(आर+एस)		(आर)	(एस)	(आर+एस)		(आर)	(एस)	(आर+एस)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	आंध्र प्रदेश	2367720	3399950	5767678	102	1729120	3785685	5514805	244	1540760	4505770	6146530	163	235850	687050	922900	41
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	13450	13450	6	0	13000	13000	7	0	2700	2700	3	0	0	0	0
3.	असम	871460	585990	1457450	52	1265200	1736400	3001600	67	675250	570580	1245830	48	213250	30750	24000	10
4.	बिहार	2493030	0	2493030	1	3580770	231540	3812310	44	2605610	28300	2633910	10	542750	16000	558750	2
5.	छत्तीसगढ़	0	0	0	0	500	169600	170100	12	0	237520	237520	8	0	17780	17780	8
6.	गोवा	0	2200	2200	3	11250	18900	30150	3	0	0	0	0	0	43200	43200	2
7.	गुजरात	3123430	3869460	6991890	39	2131810	4357410	6489220	247	1457950	1385200	2843150	120	155850	937470	1093320	187
8.	हरियाणा	5500	277507	283007	29	0	383000	383000	29	0	315930	315930	35	0	600	600	2
9.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	11600	11600	2	0	32370	32370	6	0	0	0	0
10.	जम्मू और कश्मीर	246300	3735700	3982000	18	278130	611800	889930	24	553640	1326890	1880530	31	48350	28300	76650	6
11.	झारखंड	0	0	0	0	0	33550	33550	14	0	144400	144400	12	0	10250	10050	5
12.	कर्नाटक	2063060	2851150	4914210	121	991200	1625285	2516485	108	1541060	725490	2266550	48	277180	380310	657490	31
13.	केरल	586810	1368740	1955550	68	401300	959225	1360525	59	594340	612650	1206990	58	128200	635715	763915	28
14.	मध्य प्रदेश	77890	3289200	406810	45	345060	99210	444270	20	794140	389160	1183300	26	227140	299100	526240	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
15.	महाराष्ट्र	4307010	3831830	8138840	92	4191570	2591205	6782775	183	3494360	11603230	15097590	119	500135	338020	918155	57
16.	मणिपुर	0	418300	418300	11	0	211500	211500	7	0	414600	414600	4	0	744050	744050	4
17.	मेघालय	0	40900	40900	6	0	30600	30600	6	0	35700	35700	2	0	50	50	1
18.	मिज़ोरम	0	118500	118500	15	1400	268400	269800	12	0	795000	795000	7	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	0	7400	7400	5	0	127300	127300	5	0	0	0	0	0	23600	23600	2
20.	उड़ीसा	207411	51875	259286	10	346720	130310	477030	9	574950	49500	624450	5	180600	5380	18980	3
21.	पंजाब	0	230100	2302100	18	200	4038650	4038850	38	0	7205070	7205070	63	0	312050	312050	11
22.	राजस्थान	1908820	12120	1920940	11	1787710	529870	2317580	22	2105060	3827818	5932878	72	388400	409900	798300	18
23.	सिक्किम	0	0	0	0	0	342000	342000	4	0	1300	1300	1	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	1421800	2802245	4224045	87	1503710	1741560	3245270	47	1694860	6568440	8263300	49	125950	576590	702550	10
25.	त्रिपुरा	0	46450	46450	4	0	113100	113100	10	0	95200	95200	12	0	75300	75300	7
26.	उत्तर प्रदेश	6560630	560120	7120740	69	3179450	3138480	6317930	158	2369285	4351175	6720460	119	509260	578475	1167736	55
27.	उत्तरांचल	0	0	0	0	0	7200	7200	7	0	57500	57500	16	0	68050	68050	3
28.	पश्चिम बंगाल	2844124	16000	2860124	5	3229010	695150	3924160	57	1513670	1226900	27440570	100	443840	910400	1354240	21
	कुल (राज्य)	29083985	26640907	55724892	817	249744110	28901530	52975640	1445	21514935	46608393	68123328	1137	4136045	7128110	11264955	523
	संघ शासित क्षेत्र																
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	4550	200	4750	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	687250	392120	1079370	6	771450	1600	773050	2	1245080	28350	1273430	4	430570	0	430570	0
31.	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	9900	9900	1	0	0	0	0	0	8450	8450	3
32.	दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	1800	1800	3	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	9456670	4600	9461270	3	3526790	299950	3826740	11	4316090	1442100	5758190	31	551800	71900	623700	4
34.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	100	1	0	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	2800	2800	3	0	200	200	1	0	2900	2900	2	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	10143920	399520	10543440	12	4302790	313650	4616440	19	5561178	1473450	7034620	38	982370	90350	10627720	7
	योग (अखिल भारत)	39227905	27040427	66268332	829	29276900	28315180	57592080	1464	27076105	48061843	75157948	1175	5119215	7205460	12327675	530

(आर)-बैंकों द्वारा बरामद (एस)-पुलिस द्वारा जब्त वर्ष 2005 के आंकड़े अंतरिम हैं वर्ष 2005 के आंकड़े उपलब्ध नहीं है *जनवरी +फरवरी # मार्च

विवरण II

2002-2003 के दौरान जाली मुद्रा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	2002	2003
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	257	380
2.	अरुणाचल प्रदेश	15	4
3.	असम	110	100
4.	बिहार	146	108
5.	छत्तीसगढ़	18	11
6.	गोवा	5	2
7.	गुजरात	90	145
8.	हरियाणा	66	64
9.	हिमाचल प्रदेश	0	3
10.	जम्मू और कश्मीर	13	15
11.	झारखंड	21	21
12.	कर्नाटक	198	116
13.	केरल	220	237
14.	मध्य प्रदेश	59	26
15.	महाराष्ट्र	212	166
16.	मणिपुर	11	12
17.	मेघालय	9	4
18.	मिजोरम	25	13
19.	नागालैण्ड	2	2
20.	उड़ीसा	10	28
21.	पंजाब	98	134
22.	राजस्थान	63	66
23.	सिक्किम	0	0
24.	तमिलनाडु	149	122
25.	त्रिपुरा	0	10
26.	उत्तर प्रदेश	226	258
27.	उत्तरांचल	8	87
28.	पश्चिम बंगाल	110	135
	कुल (राज्य)	2141	2269
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0
30.	चंडीगढ़	8	2
31.	दादरा एवं नगर हवेली	0	0
32.	दमन एवं दीव	0	1
33.	दिल्ली	113	53
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	4	1
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	125	57
	योग (अखिल भारत)	2266	2326

स्रोत: भारत में अपराध

नोट: कुछ राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से अभी तक 2004 के आंकड़े प्रतीक्षित हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों का विकास

*25. **श्री हितेन बर्मन:**

श्री सुब्रत बोस:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की पहचान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे, पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए विशेषकर पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में कोई राष्ट्रीय कार्य-योजना बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा नई उदारीकरण नीति के अंतर्गत देश के पिछड़े जिलों के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमलनाथ): (क) और (ख) जी, हां। आयकर में रियायतें देने के प्रयोजन से, वित्त मंत्रालय ने औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की एक सूची अधिसूचित की है। ऐसे जिलों की राज्यवार सूची सभा-पटल पर विवरण के रूप में रखे गए ब्यौरे में दी गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

(ङ) वर्ष 1991 के औद्योगिक नीति वक्तव्य में औद्योगिक अवसंरचना के संवर्धन के माध्यम से तथा उद्योगों के लिए निवेश प्रेरक वातावरण का सृजन करके देश के पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगिकीकरण करने के लिए सरकार के इरादे पर बल दिया गया है। केन्द्र सरकार अनेक नीतियों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद कर रही है। अधिसूचित पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों के लिए राजकोषीय रियायतें उपलब्ध हैं और विकास केन्द्रों के साथ-साथ आदर्श औद्योगिक नगरों तथा पार्कों को बढ़ावा देने के लिए करावकाश दिए जा रहे हैं।

केन्द सरकार द्वारा एक विकास केन्द्र संवर्धन योजना और एकीकृत अवसंरचना विकास योजना देश भर में कार्यान्वित की जा रही है। पहाड़ी व दूरवर्ती क्षेत्रों के लिए एक परिवहन राजसहायता योजना चलाई जा रही है। केन्द्र सरकार ने विशेष श्रेणी के राज्यों अर्थात जम्मू और कश्मीर, सिक्किम, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों का औद्योगिकीकरण करने के लिए वित्तीय तथा राजकोषीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराए हैं और सहायता के अनेक अन्य उपाय आरंभ किए हैं।

विवरण

आई.टी. अधिनियम की धारा 80-आईबी (5) के तहत कटौती के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य के लिए श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' पिछड़े जिलों की सूची

श्रेणी क	श्रेणी ख
1	2
आंध्र प्रदेश	
शून्य	श्रीकाकुलम
	महबूबनगर
बिहार	
अररिया	कटिहार
मधेपुरा	भागलपुर
खगरिया	गोपालगंज
किशनगंज	दरभंगा
मधुबनी	पश्चिमी चंपारन
जहानाबाद	सारन
सहरसा	भोजपुर
नवादा	समस्तीपुर
सीतामढ़ी	नालन्दा
औरंगाबाद	गया
पूर्वी चम्पारन	मुजफ्फरपुर
पूर्णिया	रोहतास
सिवान	
वैशाली	
झारखंड	
गोडा	देवघर
गुमला	
दुमका	
पलामु	
साहबगंज	
लोहारदागा	
गुजरात	
दा डांग	बनासकांठा
	साबरकांठा
कर्नाटक	
शून्य	बीदर
केरल	
वेनाड	शून्य
इडुकी	
मध्य प्रदेश	
मन्डला	सिओनी

1	2
पन्ना	टीकमगढ़
छत्तरपुर	शिवपुरी
	बालाघाट
	झाबुआ
	सिधी
	विदीशा
	मुरैना
	बेतुल
	राजगढ़
	सागर
छत्तीसगढ़	
बस्तर	रायगढ़
सरगुजा	राजनन्दगांव
महाराष्ट्र	
गादचीरोली	बीड
उड़ीसा	
फुलबनी	बोलानगीर
कालाहांडी	मयूरभंज
	बालासोर
	गंजाम
राजस्थान	
जालौर	डुंगरपुर
बाड़मेर	धोलपुर
जैसलमेर	सवाई माधोपुर
चुरू	टोंक
बांसवाड़ा	नागोर
	झालावाड़
	सीकर

1	2
उत्तर प्रदेश	
सिद्धार्थ नगर	हरदोई
बहराईच	ललितपुर
प्रतापगढ़	हमीरपुर
महाराजगंज	बदायूं
बांदा	फतेहपुर
बस्ती	आजमगढ़
	ऐटा
	बाराबंकी
	इटावा
	देवरिया
	गाजीपुर
	बलिया
	जौनपुर
	सीतापुर
	जालोन
	उन्नाव
	फैजाबाद
	कानपुर देहात
	मेनपुरी
	गोंडा
	फरुखाबाद
	सुल्तानपुर
	मिर्जापुर
	मऊ
उत्तरांचल	
चमोली	
उत्तरकाशी	

1	2
अलमोड़ा	
पिथौरागढ़	
टिहरी गढ़वाल	
पश्चिम बंगाल	
मालदा	पुरुलिया
पश्चिमी दीनाजपुर (उत्तर दीनाजपुर और दक्षिणी दीनाजपुर में बंटना)	बीरभूम
मुर्शीदाबाद	मिदनापुर
कूच-बिहार	
बांकुरा	
जलपाईगुड़ी	

[हिन्दी]

बम विस्फोट

*26. **श्री मुन्शी राम:**
श्री महेश कनोडिया:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली के सिनेमा घर में हुआ बम विस्फोट की घटनाओं की जांच प्रक्रिया पूरी कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन घटनाओं में संलिप्त संगठन/संगठनों के नाम क्या हैं;

(घ) क्या देश में हाल ही में बम विस्फोट की घटनाएं बढ़ी हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) इन बम विस्फोटों में जख्मी हुए/मारे गए लोगों की संख्या कितनी है;

(छ) इनमें से प्रत्येक बम विस्फोट में संलिप्त संगठनों के नाम क्या हैं तथा इन संगठनों को कौन-कौन से देश सहायता उपलब्धता करा रहे हैं;

(ज) इस संबंध में अब तक गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा उनसे जब्त किए गए विस्फोट की घटना-वार मात्रा का ब्यौरा क्या है; और

(झ) देश में ऐसे विस्फोटों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (झ) 22 मई, 2005 को दिल्ली के सिनेमा हालों में हुए बम विस्फोटों के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दो मामलों में जांच की जा रही है। अभी तक दिल्ली पुलिस ने मामले में आठ अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है तथा (1) 5.7 कि.ग्रा. आर.डी.एक्स, (2) 23 डिटोनेटर, (3) 1 टाइमर, (4) 1 राइफल (303), (5) राइफल (303) के 90 राउन्ड जीवित कारतूस, (6) 3 खाली मैगजीन, (7) 30 बोर के 5 मैगजीन, तथा (8) एक टाटा सियेरा बरामद किए हैं। अभियुक्त व्यक्तियों की पूछताछ से पता चला है कि वे बब्बर खालसा इंटरनेशनल नामक आतंकवादी संगठन के सदस्य हैं। आतंकवादी हमलों/बम विस्फोटों की रोकथाम के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में शामिल हैं: (1) जनता को प्रिन्ट और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए सुग्राही बनाना; (2) भीड़-भाड़ वाले बाजार स्थालों और मनोरंजन स्थलों में वाहनों, व्यक्तियों और सामान की जांच करना, (3) जहां आतंकवादी तत्व शरण ले सकते हैं ऐसे कुछ क्षेत्रों में गेस्ट हाउसों, होटलों, धार्मिक स्थानों आदि की जांच करना; (4) विशेषकर नए और विकसित क्षेत्रों में किरायेदारों की जांच करना; (5) शहर में चलने वाले वाहनों तथा आजादपुर मंडी में और ओखला सब्जी मंडी में जम्मू और कश्मीर, पंजाब आदि से आने वाले वाहनों की अचानक जांच करना, (6) सूचना के आदान-प्रदान के लिए राज्य और केन्द्रीय पुलिस संगठनों के साथ गहराई से बातचीत, आदि।

उपलब्ध सूचना, समग्र रूप से देश में बम विस्फोटों की संख्या में वृद्धि को इंगित नहीं करती है। वर्ष 2004 के दौरान 298 घटनाएं हुई जिसमें 271 व्यक्ति मारे गए तथा 1026 व्यक्ति घायल हुए थे। इसकी तुलना में, 2001 के दौरान, 575 घटनाएं हुई जिसमें 342 व्यक्ति मारे गए थे तथा 1197 घायल हुए।

तथापि, सरकार काफी सतर्क है तथा इसने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में, समय-समय पर सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा करना; राज्य सरकारों के साथ आसूचना को बांटना; पुलिस आधुनिकीकरण योजना के जरिए राज्य पुलिस संगठनों को सुदृढ़ करना; महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों, राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि में सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए राज्य सरकारों को सलाह जारी करना आदि शामिल है।

[अनुवाद]

निर्यात आधारभूत संरचना के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

***27. श्री जी. करुणाकर रेड्डी:**
श्री अनन्त नायक:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक सहित राज्यों को निर्यात आधारभूत संरचना तथा सम्बद्ध कार्यों के विकास के लिए राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय अनुदान के उपयोग के लिए कोई मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) निर्यात आय में प्रत्येक राज्य का निष्पादन कैसा रहा;

(ङ) क्या देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए राज्यों को कोई विशेष प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान निर्यात संबंधी बुनियादी सुविधाओं के विकास एवं संबद्ध कार्यकलापों के लिए राज्यों को सहायता (एएसआईडीई) नामक स्कीम के अंतर्गत कर्नाटक समेत अन्य राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों को दी गई वित्तीय सहायता के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) जी हां। ए एस आई डी ई स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघशासित प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता का उपयोग करने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए गए हैं और इन्हें वाणिज्य विभाग की वेबसाइट www.commerce.nic.in पर भी उपलब्ध कराया गया है।

(घ) वर्ष 2003-04 के लिए वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएण्डएस) द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्यवार पण्य वस्तुओं के निर्यात के आंकड़े विवरण-II में दिए गए हैं।

(ङ) और (च) चल रही एएसआईडीई स्कीम के अलावा इस प्रयोजनार्थ कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन नहीं है।

विवरण I

एएसआईडीई स्कीम के अंतर्गत राज्यों को दी गई वित्तीय सहायता

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06
		आवंटित राशि	जारी की गई राशि	आवंटित राशि	जारी की गई राशि	आवंटित राशि	जारी की गई राशि	आवंटित राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	आंध्र प्रदेश	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1.300.00	1,385.00	1385.00	1,545.00
2.	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	200.00	200.00	200.00	100.00	200.00	0	200
3.	बिहार	300.00	300.00	650.00	0.00	200.00	0.00	200
4.	चण्डीगढ़	100.00	100.00	200.00	0.00	200.00	0.00	320
5.	छत्तीसगढ़	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	500.00	500
6.	दादर एवं नगर हवेली	150.00	150.00	300.00	0.00	200.00	0.00	200

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7.	दमन एवं दीव	150.00	150.00	300.00	0.00	200.00	0.00	200
8.	दिल्ली	100.00	100.00	200.00	0.00	265.00	0.00	265
9.	गोवा	600.00	600.00	600.00	600.00	373.00	373.00	609
10.	गुजरात	1,400.00	1,400.00	1,500.00	1,500.00	3,578.00	3,578.00	4,338.00
11.	हरियाणा	600.00	600.00	600	600.00	849.00	849.00	1,405.00
12.	हिमाचल प्रदेश	700.00	700.00	750	750.00	500.00	500.00	553
13.	जम्मू-कश्मीर	600.00	600.00	600.00	600.00	500.00	500.00	525
14.	झारखंड	400.00	400.00	400.00	400.00	500.00	0.00	500
15.	कर्नाटक	1,800.00	1,800.00	1,900.00	1,900.00	2,414.00	2414.00	3,399.00
16.	केरल	1,100.00	1,100.00	1,200.00	1,200.00	930.00	930.00	1,069.00
17.	लक्षद्वीप	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0	200
18.	मध्य प्रदेश	2,000.00	2,000.00	1,100.00	1,100.00	1,435.00	1,435.00	1,435.00
19.	महाराष्ट्र	1,600.00	1,600.00	3,400.00	3,400.00	5,709.00	5709.00	6,552.00
20.	उड़ीसा	450.00	450.00	1000.00	1,000.00	605.00	605.00	693
21.	पांडिचेरी	300.00	300.00	300.00	150.00	200.00	0.00	200
22.	पंजाब	900.00	900.00	1000.00	1,000.00	968.00	968.00	1,217.00
23.	राजस्थान	1,200.00	1,200.00	1,300.00	1,300.00	1,320.00	1,320.00	1,320.00
24.	तमिलनाडु	2,800.00	2,800.00	3,000.00	3,000.00	3,919.00	3,919.00	3,919.00
25.	उत्तर प्रदेश	2,000.00	2,000.00	2,100.00	2,100.00	1,259.00	1259.00	2,100.00
26.	उत्तरांचल	400.00	400.00	400.00	200.00	500.00	500.00	527
27.	पश्चिम बंगाल	1,000.00	1,000.00	1,100.00	1,100.00	1,491.00	1491.00	2,009.00
	कुल	22,650.00	22,650.00	26,000.00	23,900.00	30,400.00	28,235.00	36,000.00
	पूर्वोत्तर क्षेत्र							
1.	अरुणाचल प्रदेश	100.00	100.00	125.00	125.00	251.00	0.00	251
2.	असम	400.00	400.00	500.00	500.00	1149.00	1149.00	1,257.00
3.	मणिपुर	200.00	200.00	250.00	0.00	200.00	200.00	206
4.	मिजोरम	100.00	100.00	250.00	0.00	200.00	200.00	324

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	मेघालय	200.00	200.00	250.00	250.00	572.00	572.00	834
6.	नागालैण्ड	100.00	100.00	125.00	50.00	200.00	200.00	200
7.	सिक्किम	50.00	50.00	125.00	0	200	0.00	200
8.	त्रिपुरा	300.00	300.00	375.00	375.00	828.00	828.00	728
	कुल	1450.00	1450.00	2000.00	1300.00	3600.00	3149.00	4000
	कुल योग	24,100.00	24,100.00	28,000.00	25,200.00	34,000.00	31,384.00	40,000.00

विवरण II

वर्ष 2003-04 के लिए राज्य वार निर्यात आंकड़े

राज्य/संघशासित प्रदेश	राशि रु. में
1	2
अंडमान एवं निकोबार	142444905
आंध्र प्रदेश	117651391919
बिहार	6303938963
चण्डीगढ़	2120953002
छत्तीगढ़	10601758896
दादर एवं नगर हवेली	1331155797
दमन एवं दीव	2545121391
दिल्ली	185529226062
गोवा	28964667075
गुजरात	319767169431
हरियाणा	78747927926
हिमाचल प्रदेश	5177991278
जम्मू-कश्मीर	1807035172
झारखंड	10870081908
कर्नाटक	219862981698
केरल	56529953500
लक्षद्वीप	46081331
मध्य प्रदेश	61307482193
महाराष्ट्र	897451484508
उड़ीसा	24111624057
पांडिचेरी	3726126825
पंजाब	84915274563
राजस्थान	64333012717
तमिलनाडु	319638130640
उत्तर प्रदेश	112902837465
उत्तरांचल	1425363348
पश्चिम बंगाल	137371848392
अरुणाचल प्रदेश	818541620
असम	5165906544
मणिपुर	24201612
मेघालय	2658829114
मिजोरम	118221681
नागालैण्ड	52773536
त्रिपुरा	174228725
सिक्किम	176726880
अविनिर्दिष्ट	169294987962
कुल योग	2933667482636

[हिन्दी]

अलगाववादी आंदोलनों का वित्तपोषण

***28. श्री सीताराम सिंह:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलगाववादी आंदोलन के वित्तपोषण के स्रोत की जांच करवाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या कोई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें यह पाया गया हो कि जो धनराशि पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास के लिए थी वह अलगाववादियों के हाथों में पहुंच गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा धनराशि को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार पूर्वोत्तर क्षेत्र में भारतीय विद्रोही ग्रुपों (आई आई जी) के वित्तपोषण के मुख्य स्रोत उगाही करना, फिरौती के लिए अपहरण और इन ग्रुपों द्वारा समर्थित ठेकेदारों को ठेके प्रदान करना है।

(ग) और (घ) ऐसी कुछ रिपोर्टें हैं कि विकास कार्य हेतु उद्दिष्ट निधियों का एक भाग पूर्वोत्तर में कतिपय क्षेत्रों में भारतीय विद्रोही ग्रुपों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। पूर्वोत्तर राज्यों को ऐसे मामलों में दण्डात्मक कार्रवाई करने और यह देखने की सलाह दी गई है कि निधियों का प्रयोग केवल उन्हीं प्रयोजनों के लिए किया जाए जिनके लिए ये दी गई हैं।

[अनुवाद]

प्रशुल्क सूत्र

***29. प्रो. एम. रामदास:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने विश्व व्यापार संगठन के साथ हुई वार्ता में आयात शुल्क संबंधी परिसीमन को ''एप्लायड दरों'' के स्थान पर ''बाउंड दरों'' पर निर्धारित करने संबंधी अपना मत व्यक्त किया है, जैसा कि दिनांक 29 जून, 2005 के ''द हिन्दू'' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ विकसित देशों ने वास्तव में बाजार में अपनी पैठ बनाने के लिए आयात शुल्क की वर्तमान ''एप्लायड दरों'' को कम करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार ने प्रशुल्क निर्धारण के लिए संशोधित स्विस सूत्र को स्वीकार कर लिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सूत्र को अपनाए जाने से भारत को कौन-कौन से लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) कृषि और गैर-कृषि दोनों उत्पादों के लिए दोहा दौर की चल रही वार्ताओं में भारत ने यह दृष्टिकोण अपनाया है कि टैरिफ में कमी करने की गणना जुलाई, 2004 के कार्यढांचा करार में सदस्यों द्वारा यथा सहमत निर्धारित दरों के आधार पर की जाए।

(ग) जी, हां।

(घ) भारत ने इसका विरोध किया है।

(ङ) और (च) कृषि वस्तुओं के लिए भारत और काफी विकासशील देशों, खासकर जी-20 समूह ने स्विस फार्मूले का विरोध किया है और टैरिफ में कटौती करने के लिए चरणों में समान्तर कटौती का प्रस्ताव किया है।

गैर-कृषि वस्तुओं के लिए भारत के साथ अर्जेंटिना और ब्राजील ने स्विस के साधारण फार्मूले का विरोध किया है, किन्तु विभिन्न देशों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाली टैरिफ कटौती का निर्धारण करने के लिए स्विस किस्म के एक संशोधित फार्मूले का प्रस्ताव किया है। यह फार्मूला प्रत्येक सदस्य के निर्धारित औसत टैरिफ पर आधारित है। यह फार्मूला विकसित देशों में उच्चतम टैरिफों और टैरिफ वृद्धि में कमी करता है और विकासशील देशों को अपने टैरिफों में अत्यधिक कमी करने से उनका बचाव करता है।

डब्ल्यूटीओ में इन पर और अन्य सभी प्रस्तावों पर वार्ताएं की जा रही हैं।

एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई सिफारिशें

***30. श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) की राष्ट्रीय संचालन समिति ने मौजूदा शिक्षा नीति संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यक्रम में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विद्यार्थियों को सुविधा प्रदान करने के लिए क्या उपाए किये गये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय संचालन समिति द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् की कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा, 2005 के मसौदे में निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

(1) यह निम्नलिखित चार मार्गदर्शी सिद्धांतों पर आधारित है:

(i) जीवन संबंधी ज्ञान को स्कूल के बाहर सम्बद्ध करना,

(ii) यह सुनिश्चित करना कि अध्ययन रटने की विधियों से अलग ढंग से किया हो,

(iii) पाठ्यचर्या को समृद्ध बनाना ताकि यह पाठ्यपुस्तकों के दायरे से अधिक व्यापक हो,

(iv) परीक्षाओं को अधिक लचीला बनाना।

(2) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के अंतर्गत एक सक्रिय पाठक के रूप में बच्चों पर भी ध्यान केन्द्रित किया गया है, इस प्रकार बच्चों के अनुभव, उनकी आवाज तथा उनकी भागीदारी को अधिक प्राथमिकता दी गई है। यह बच्चों को ज्ञान की संरचना में सक्रिय भागीदार के रूप में देखता है और इसके अंतर्गत यह उल्लेख किया गया है कि स्कूलों को प्रत्येक बच्चे के भीतर की क्षमता तथा सृजनात्मकता को स्वीकार करना चाहिए ताकि वह ज्ञान की संरचना कर सके।

(3) यह विषय संबंधी सीमाओं को लचीला बनाने की संस्तुति करता है ताकि बच्चे समेकित ज्ञान का आनन्द ले सकें तथा समझने की सुखद अनुभूति प्राप्त कर सकें।

(4) यह लोगों को सोच-विचार करने, निर्णय लेने तथा सामूहिक हित में कार्य करने में समर्थ बनाने, विकास में लोगों की अधिक भागीदारी प्रदान करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में अपने विश्वास की पुनः पुष्टि करता है।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र को कार्यान्वित करने के लिए नए सिरे से प्रयास किया गया है जिसके अंतर्गत जनजातीय भाषाओं सहित मातृभाषा को शिक्षा का एक माध्यम बनाने पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा 2005 के मसौदे पर दिनांक 7 जून, 2005 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में विचार-विमर्श किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के मसौदे पर और अधिक व्यापक परामर्श की आवश्यकता है। तद्नुसार, राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे सभी स्टेकहोल्डरों से चर्चा प्रारंभ करें और केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को अपने सुविचारित अभिमतों से अवगत कराएं जिसके पश्चात् अगस्त, 2005 में आयोजित होने वाली केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की अगली बैठक में इस मसौदे को अंतिम रूप दिया जाएगा।

लघु उद्योगों के माध्यम से रोजगार सृजन

***31. श्री रनेन बर्मन:**
श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कार्यरत लघु उद्योगों की संख्या सहित गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित किए गए लघु उद्योगों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या इन उद्योगों की स्थापना से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को लाभ प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और शिक्षित युवाओं के लिए रोजगार के अवसरों को और बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(घ) क्या लघु उद्योगों की स्थापना हेतु निर्धारित प्रावधान अपेक्षित अवसंरचना के लिए पर्याप्त नहीं हैं;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या सरकार लघु उद्योगों की स्थापना के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली को लागू करने पर विचार कर रही है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) मार्च, 2005 के अंत तक, देश में कार्यरत लघु उद्योगों (एमएसआई) (पंजीकृत एवं अपंजीकृत दोनों) की कुल संख्या अनुमानतः 118.59 लाख है। इन इकाइयों में से 2,82,122 लघु औद्योगिक इकाईयां गत तीन वर्षों (2002-03 से 2004-05) के दौरान पंजीकृत की गई थीं। गत तीन वर्षों के दौरान स्थापित पंजीकृत लघु उद्योग इकाईयों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। यह अनुमान है कि विगत तीन वर्षों में स्थापित 2,82,122 पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों में लगभग 12,63,907 अतिरिक्त रोजगार सृजित किए गए हैं। सरकार शिक्षित बेरोजगार युवाओं के रोजगार बढ़ाने के लिए देशभर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) कार्यान्वित कर रही है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षित बेरोजगार युवा, केन्द्र सरकार के ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के तहत भी रोजगार अवसर प्राप्त कर सकते हैं।

(घ) और (ङ) लघु उद्योगों की स्थापना के लिए अपेक्षित आधारभूत संरचना का प्रावधान, प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों का उत्तरदायित्व है। तथापि, केन्द्र सरकार, एकीकृत आधारभूत संरचना विकास (आईआईडी) योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों के लिए आईआईडी केन्द्र स्थापित करने के लिए, अनुदान के माध्यम से, राज्य सरकार और उद्योग संघों आदि की सहायता करती है। आईआईडी केन्द्रों में लघु उद्योग इकाइयों को आधारभूत संरचनाएं जैसे कि विकसित भूमि, सड़कें, बिजली एवं जल आपूर्ति एवं निकासी दूरसंचार, प्रदूषण नियंत्रण सुविधाएं, आदि प्रदान की जाती है।

(च) और (छ) चूंकि लघु उद्योगों के संवर्धन और विकास के लिए राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र के प्रशासन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी हैं, अतः वे लघु उद्योगों की स्थापना के लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली सहित उपयुक्त उपाय अपनाते हैं।

विवरण

राज्यवार कार्यरत पंजीकृत एवं अपंजीकृत लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	कुल कार्यरत इकाइयों की संख्या	के दौरान पंजीकृत लघु उद्योग इकाइयों की संख्या		
			2002-03	2003-04	2004-05 (अनंतिम)
1	2	3	4	5	6
1.	जम्मू-कश्मीर	82504	888	757	861
2.	हिमाचल प्रदेश	85781	648	621	641
3.	पंजाब	415444	753	464	765
4.	चंडीगढ़	24799	38	21	30
5.	उत्तरांचल	121348	357	860	2931
6.	हरियाणा	245749	279	286	305
7.	दिल्ली	197179	31	44	83
8.	राजस्थान	498488	2635	2970	4498
9.	उत्तर प्रदेश	1920002	10880	17076	21473
10.	बिहार	581219	3685	943	2342
11.	सिक्किम	435	11	14	19

1	2	3	4	5	6
12.	अरुणाचल प्रदेश	1490	44	36	41
13.	नागालैण्ड	16729	362	476	468
14.	मणिपुर	53371	75	119	79
15.	मिजोरम	12851	250	220	280
16.	त्रिपुरा	27180	36	27	16
17.	मेघालय	25812	268	323	283
18.	असम	220099	1577	1351	1651
19.	पश्चिम बंगाल	859689	1137	765	718
20.	झारखंड	148149	553	553	1188
21.	उड़ीसा	434913	795	632	1042
22.	छत्तीसगढ़	293883	1569	439	953
23.	मध्य प्रदेश	899749	2915	11685	10337
24.	गुजरात	600462	8213	5196	10708
25.	दमन एवं दीव	3882	200	55	38
26.	दादर एवं नगर हवेली	–	306	56	65
27.	महाराष्ट्र	899760	5205	2389	3948
28.	आंध्र प्रदेश	974967	1348	1156	1568
29.	कर्नाटक	743178	6779	6972	6180
30.	गोवा	8151	231	133	108
31.	लक्षद्वीप	617	10	8	12
32.	केरल	509249	12128	3924	4438
33.	तमिलनाडु	937854	28484	25176	24801
34.	पांडिचेरी	10246	239	176	132
35.	अंडमान एवं निकोबार	3768	107	57	104
	अखिल भारत	11858997	93036	85980	103106

निजी गुप्तचर एजेंसियां

*32. **डा. एम. जगन्नाथ:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में निजी गुप्तचर एजेंसियां बड़ी तेजी से फैलती जा रही हैं और वे लोगों के व्यक्तिगत जीवन में दखल दे रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इन सभी निजी गुप्तचर एजेंसियों को कानून के दायरे में लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) चूंकि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं, इसलिए यह राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों का काम है कि वे निजी गुप्तचर एजेंसियों के क्रियाकलापों को विनियमित करे। केन्द्र सरकार देश में कार्यरत निजी गुप्तचर एजेंसियों की संख्या के संबंध में आंकड़े नहीं रखती है। तथापि, केन्द्र सरकार ने निजी सुरक्षा एजेंसियों के संबंध में इसी प्रकार के विनियमन के क्रम में संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्र की सरकारों द्वारा देश में निजी गुप्तचर एजेंसियों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए एक मॉडल कानून अधिनियमित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।

खादी ग्रामोद्योग आयोग द्वारा अधिकतम उत्पादन करना

*33. **श्री पी. राजेन्द्रन:** क्या कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को चादरें, मेजपोश, वर्दियां, परदे, गद्दे और कुल्हड़ आदि की आपूर्ति के लिए भारतीय रेलवे से क्रयादेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या खादी ग्रामोद्योग आयोग की गुणवत्ता और निर्धारित मानकों के अनुरूप मांगे गए उत्पादों की भारी मात्रा में आपूर्ति करने की क्षमता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी हां।

(ख) खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को वर्ष 2005-06 की प्रथम तिमाही के दौरान भारतीय रेलवे से रुपए 4.52 करोड़ मूल्य के चादरों तथा मोटे कपड़ों और रुपए 4.55 लाख मूल्य के कुल्हड़ों आदि की आपूर्ति के लिए क्रयादेश प्राप्त हुआ है।

(ग) जी हां।

(घ) रेलवे से पिछले तीन वर्षों और 2005-06 में चादरों, मेजपोश, वर्दियों, परदों, गद्दों और कुल्हड़ों आदि के लिए प्राप्त वार्षिक क्रयादेश को ध्यान में रखते हुए केवीआईसी ने रेलवे को खादी की विभिन्न वस्तुओं की संपूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 6 विभागीय खादी ग्रामोद्योग भवनों और 51 संस्थाओं तथा पोलीवस्त्र चादरों की आपूर्ति के लिए 5 संस्थाओं का चयन किया है।

भारतीय रेलवे और अन्य उपभोक्ताओं को उचित गुणवत्ता के उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए केवीआईसी द्वारा किए गए उपायों में खादी उत्पादों के नमूनों की गुणवत्ता के नियमित रूप से परीक्षण के लिए वस्त्र समिति की प्रयोगशाला सुविधाओं का प्रयोग करना और नई दिल्ली में बाजार संवर्धन और उत्पाद विकास केन्द्र की स्थापना करना शामिल है।

विद्यमान प्रवेश परीक्षा में संशोधन

*34. **श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:**
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को अनेक प्रवेश परीक्षाओं से बचने हेतु सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए विद्यमान प्रवेश परीक्षा प्रणाली के स्थान पर एक राष्ट्रीय परीक्षा सेवा शुरू करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर राज्य सरकारों के विचार आमंत्रित किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

मेडिकल वीजा

***35. श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चिकित्सीय उपचार के लिए आ रहे विदेशियों के लिए एक मेडिकल वीजा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मेडिकल वीजा जारी करने हेतु कार्य विधि तैयार कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) भारत के प्रतिष्ठित/मान्यता प्राप्त/विशिष्ट अस्पतालों/उपचार केन्द्रों में चिकित्सा उपचार हेतु भारत आने वाले विदेशियों के लिए ''चिकित्सा वीजा'' (एम-वीजा) नामक वीजा की नई श्रेणी शुरू करने के बारे में विदेश में सभी भारतीय मिशनों/पोस्टों को 21.6.2005 को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

चिकित्सा वीजा जारी करने के लिए विदेशियों से ऐसे आवेदनों की प्राप्ति पर, विदेश में भारतीय मिशनों/पोस्टों से चिकित्सा कागजातों की बहुत ही सावधानीपूर्वक संवीक्षा करने और जिस प्रयोजनार्थ यह वीजा मांगा गया है उसकी असलियत से स्वयं को संतुष्ट करने की अपेक्षा की जाती है। ऐसे वीजा की प्रारम्भिक अवधि एक वर्ष अथवा उपचार की अवधि, इनमें से जो भी कम हो, रखी गयी है। ऐसे वीजा की अवधि, उन प्रतिष्ठित/मान्यता प्राप्त/विशिष्ट अस्पतालों/उपचार केन्द्रों, जहां उपचार किया जा रहा है, के चिकित्सा प्रमाणपत्र/सलाह प्रस्तुत करने पर विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारियों (एफ आर आर ओ)/राज्य सरकारों द्वारा और एक वर्ष की अवधि तक बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि के आगे और अवधि, चिकित्सा कागजातों के आधार पर राज्य सरकारों/एफ आर आर ओ की सिफारिशों पर केवल गृह मंत्रालय द्वारा बढ़ाई जा सकती है। चिकित्सा वीजा एक वर्ष के दौरान तीन प्रवेशों हेतु वैध होगा। चिकित्सा वीजा पर भारत आने वाले विदेशियों को आगमन की तारीख से 14 दिनों की अवधि के भीतर स्वयं को पंजीकृत करवाना आवश्यक होगा। चिकित्सा वीजा में, ऐसे उपचारकों, जो परिवार के सदस्य हैं (एक समय में दो से अधिक नहीं), को चिकित्सा वीजा की अवधि के साथ समाप्त होने वाली अवधि के लिए वीजा प्रदान करने का भी प्रावधान है।

आतंकवाद रोधी विशेष प्रकोष्ठ

***36. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों के पास देश में आतंकवादी गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए विशेष प्रकोष्ठ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे विशेष प्रकोष्ठ स्थापित करने के संबंध में एक समान निदेश जारी करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) आतंकवाद की घटनाओं से कारगारता से निपटने के लिए लगभग सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने संचार उपकरण सहित तकनीकी गैजेट्री, प्रशिक्षित कार्मिकों और आधुनिक हथियारों के साथ आतंकवादी-विरोधी एककों/प्रकोष्ठों/कार्य बलों की स्थापना की है।

एन.सी.ई.आर.टी. सर्वेक्षण

***37. श्री गणेश सिंह:**
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् ने कोई अखिल भारतीय विद्यालय शिक्षा (ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन) सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण के अनुसार गत तीन वर्षों के दौरान देशभर में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में बच्चों, विशेषकर छात्राओं, के नामांकन में वृद्धि/कमी का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) सर्वेक्षण के अन्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) सरकार द्वारा देश में सभी छात्रों के लिए स्कूली सुविधाओं और गुणवत्तापरक शिक्षा में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी हां।

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् (एन.सी.ई.आर.टी.) वार्षिक आधार पर सांख्यिकी एकत्र नहीं करती है। वर्तमान सर्वेक्षण से पहले छठा सर्वेक्षण किया गया था जिसकी संदर्भ तिथि 30 दिसम्बर 1993 है। वर्तमान सर्वेक्षण के आधार पर "अनंतिम सांख्यिकी" प्रकाशित की गई है। छठे सर्वेक्षण के आंकड़ों की तुलना में कुल नामांकन तथा लड़कियों के नामांकन में राज्यवार कमी/वृद्धि का प्रतिशत विवरण-I में दिया गया है।

(ग) सातवें सर्वेक्षण के अन्य आंकड़ों में निम्नलिखित शामिल हैं ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई की सुविधाएं, छठे सर्वेक्षण की तुलना में स्कूलों में वृद्धि, शिक्षकों की संख्या में वृद्धि और अध्यापिकाओं का प्रतिशत। प्रासंगिक सूचना विवरण-II में दी गई है।

(घ) उठाए गए कदमों के फलस्वरूप सातवें सर्वेक्षण की अवधि के दौरान (संदर्भ तिथि 30 दिसम्बर 2002) पढ़ाई की सुविधाओं, स्कूलों में वृद्धि तथा शिक्षकों की संख्या में उल्लेखनीय सुधार हुआ है, जैसा कि इस प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में दिए गए आंकड़ों से देखा जा सकता है।

विवरण I

छठे सर्वेक्षण (1993) से नामांकन में प्रतिशत वृद्धि

क्षेत्र कुल

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	छठे सर्वेक्षण (1993) से नामांकन में प्रतिशत वृद्धि									
		1-5		6-8		9-10		(11-12)*		(1-12)*	
		कुल	लड़कियां	कुल	लड़कियां	कुल	लड़कियां	कुल	लड़कियां	कुल	लड़कियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	21.74	31.63	64.39	91.35	59.97	89.35	127.97	166.44	37.99	51.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	37.21	44.42	82.94	107.50	83.86	108.48	100.21	158.14	51.34	62.81
3.	असम	5.98	12.36	8.32	15.66	9.18	15.78	-12.62	-5.61	6.32	13.03
4.	बिहार	49.43	83.01	17.03	45.48	14.96	53.45	-20.21	-10.90	40.04	74.51
5.	छत्तीसगढ़	26.40	38.24	81.57	114.55	38.43	81.97	35.17	81.16	38.62	55.59
6.	गोवा	-15.76	-15-82	-4.14	-1.89	-10.02	-9.68	-6.85	0.89	-10.91	-9.78
7.	गुजरात	13.54	16.59	29.29	32.16	24.66	26.27	37.65	39.48	19.41	21.92
8.	हरियाणा	16.31	16.68	36.61	50.65	74.24	95.35	120.08	180.09	33.13	38.55
9.	हिमाचल प्रदेश	2.43	2.50	23.68	30.67	36.48	52.36	76.26	119.49	17.03	21.56
10.	जम्मू-कश्मीर	51.73	61.11	71.30	91.35	70.45	94.45	117.68	125.13	61.54	74.11
11.	झारखंड	28.68	48.62	20.88	44.77	22.13	51.31	43.78	75.26	26.89	48.35
12.	कर्नाटक	3.21	6.99	38.37	50.29	45.40	67.46	74.21	97.07	16.80	23.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.	केरल	−14.52	14−15	−7.75	−9.88	7.56	4.40	1224.85	1292.43	−1.58	−1.64
14.	मध्य प्रदेश	27.04	39.81	60.92	86.85	32.22	68.37	30.35	56.16	34.67	50.80
15.	महाराष्ट्र	1.16	2.94	41.89	52.26	44.34	62.79	73.10	107.53	18.08	23.04
16.	मणिपुर	33.40	37.26	18.01	23.35	12.91	17.85	158.31	220.68	29.41	34.08
17.	मेघालय	39.04	40.02	37.10	47.10	56.03	71.51	1133.82	1318.08	41.64	45.29
18.	मिजोरम	17.94	19.27	31.02	32.79	39.04	40.61	#	#	29.08	30.85
19.	नागालैण्ड	23.47	22.48	32.73	30.30	22.47	29.63	4866.67	5773.91	26.93	26.28
20.	उड़ीसा	11.44	19.48	29.95	44.11	29.89	49.61	−14.20	−5.59	16.35	26.16
21.	पंजाब	−10.57	−7.71	9.30	15.28	17.45	25.07	118.38	139.65	2.57	6.94
22.	राजस्थान	55.09	107.10	63.59	122.14.	44.40	86.72	61.47	105.83	56.10	108.25
23.	सिक्किम	22.75	31.71	45.79	53.96	59.80	65.29	73.49	106.13	32.19	41.47
24.	तमिलनाडु	2.44	2.17	9.05	12.91	32.59	42.90	47.72	53.48	10.26	12.39
25.	त्रिपुरा	8.55	13.24	48.57	57.74	42.93	54.20	39.08	59.66	20.76	26.97
26.	उत्तर प्रदेश	86.64	133.73	57.02	108.45	94.44	181.84	115.39	174.23	82.14	133.70
27.	उत्तरांचल	31.24	41.27	41.24	63.97	57.66	101.16	68.56	87.14	39.13	54.97
28.	पश्चिम बंगाल	21.96	30.50	48.36	65.97	50.97	71.08	118.68	151.80	32.06	42.40
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	−10.58	−9.65	13.83	15.94	26.40	33.33	49.19	59.20	3.04	5.19
30.	चंडीगढ़	0.81	−2.66	11.11	9.96	25.38	26.84	41.03	46.65	11.41	10.47
31.	दादरा और नगर हवेली	73.95	97.77	125.41	137.24	90.90	113.66	76.02	75.60	84.80	104.70
32.	दमन और दीव	24.85	25.68	23.84	26.66	6.99	5.77	43.70	57.56	23.29	24.90
33.	दिल्ली	20.64	17.70	38.92	40.30	22.92	27.07	39.85	42.24	27.27	26.59
34.	लक्षद्वीप	−15.07	17.10	25.34	23.28	54.57	79.51	17.91	71.86	4.84	6.83
35.	पांडिचेरी	−7.75	−6.37	9.73	11.66	27.54	35.78	60.83	77.24	5.96	9.01
	भारत	26.15	36.85	37.49	52.46	43.21	62.73	78.99	107.32	32.31	44.68

*इनमें डिग्री कालेजों से संबद्ध कक्षा 11 और 12 के नामांकन शामिल नहीं हैं।

#लागू नहीं।

विवरण II

(क) ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ाई की सुविधाएं

कुल बस्तियां	1231391
ऐसी बस्तियां जहां प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं (1 कि.मी. की पैदल दूरी के भीतर)	86.96%
ऐसी बस्तियां जहां उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालय हैं (3 कि.मी. के पैदल दूरी के भीतर)	78.11%

(ख) छठे सर्वेक्षण (संदर्भ तिथि 30 दिसम्बर 1993) से स्कूलों का विकास

श्रेणी	छठे एवं सातवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के बीच प्रतिशत वृद्धि	
	कुल	ग्रामीण
प्राथमिक	14.19	12.91
उच्च प्राथमिक	50.66	50.00
माध्यमिक	38.43	32.93
वरिष्ठ माध्यमिक	85.75	97.14
सभी स्कूल	25.40	22.57

(ग) छठे सर्वेक्षण से शिक्षकों में वृद्धि

श्रेणी	छठे एवं सातवें अखिल भारतीय शैक्षिक सर्वेक्षण के बीच प्रतिशत वृद्धि	
	कुल	ग्रामीण
प्राथमिक	17.84	17.87
उच्च प्राथमिक	40.01	40.95
माध्यमिक	20.09	15.36
वरिष्ठ माध्यमिक	68.69	72.23
सभी स्कूल	31.70	28.98

(घ) सातवें सर्वेक्षण में अध्यापिकाओं का प्रतिशत

श्रेणी	कुल	ग्रामीण
प्राथमिक	39.02	31.38
उच्च प्राथमिक	40.80	31.11
माध्यमिक	38.17	25.79
वरिष्ठ माध्यमिक	41.64	26.99

(ङ) सातवें सर्वेक्षण में छात्र-शिक्षक अनुपात

श्रेणी	कुल	ग्रामीण
प्राथमिक	42.01	43.75
उच्च प्राथमिक	34.23	35.15
माध्यमिक	30.28	31.03

(च) सातवें सर्वेक्षण में सकल नामांकन अनुपात

श्रेणी	कुल	लड़कियां
कक्षा 1 से 5	92.92	90.93
कक्षा 6 से 8	58.42	54.00

(छ) प्राथमिक स्कूलों का प्रतिशत (7वां सर्वेक्षण)

श्रेणी	कुल	ग्रामीण
0 शिक्षक	1.30	1.28
1 शिक्षक	14.99	16.41
2 शिक्षक	43.18	46.59
3 शिक्षक	16.62	17.03
4 शिक्षक	8.83	8.18
5 या इससे अधिक शिक्षक	15.08	10.51

(ज) भवनों वाले स्कूलों का प्रतिशत (7वां सर्वेक्षण)

श्रेणी	कुल	ग्रामीण
प्राथमिक	97.42	97.37
उच्च प्राथमिक	98.48	98.20
माध्यमिक	99.52	99.39
वरिष्ठ माध्यमिक	99.50	99.87

नोट: जिन स्कूलों में कच्चा या अंशत: पक्का या पक्का भवन है उन्हें भवन युक्त विद्यालय माना गया है।

[हिन्दी]

हथियारों की तस्करी

*38. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में हथियारों की तस्करी की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात को कोई जानकारी है कि देश में कितनी मात्रा में अवैध हथियारों की तस्करी हुई है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बरामद किए गए हथियारों की श्रेणी और उसका ब्यौरा क्या है तथा हथियार निर्माता देशों के नाम क्या हैं;

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) इसके क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) देश के विभिन्न भागों में शस्त्रों की तस्करी की घटनाएं ध्यान में आई हैं। देश में अवैध हथियारों की सही-सही मात्रा का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तथापि, वर्ष 2002, 2003 और 2004 में पहचान-चिह्न के साथ और इसके बगैर विभिन्न श्रेणी के तस्करी किए गए हथियारों सहित जब्त किए गए अवैध हथियारों की कुल संख्या नीचे दर्शाई गई है:

वर्ष	जब्त किए गए हथियारों की संख्या
2002	15,710
2003	13,682
2004	11,406

तस्करी किए गए हथियारों के लिए अलग से आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(घ) सरकार ने बगैर लाइसेंस वाले अवैध हथियारों के प्रचुरोदभव को रोकने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(1) राज्य और संघ शासित क्षेत्र की सरकारों से अवैध शस्त्रों का पता लगाने के लिए सतत और निरंतर प्रयास करने का अनुरोध किया गया है।

(2) स्थिति का प्रबोधन और जायजा लेने के लिए राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों की पुलिस के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।

(3) सीमा सड़कों का निर्माण करके, सुरक्षा बाड़ लगाकर, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ-साथ तेज रोशनी और निगरानी को बढ़ाकर सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ किया गया है। तटीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने हेतु योजनाएं भी मंजूर की गई हैं।

(ङ) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के परिणामस्वरूप, बहुत सी जब्तियां की गई है।

[अनुवाद]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों हेतु आरक्षण

***39. श्री बाडिगा रामकृष्णा:**
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में मुस्लिम छात्रों को कतिपय पाठ्यक्रमों में 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के इस निर्णय से मुस्लिम समुदाय को लाभ मिलने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के इस निर्णय से अन्य अल्पसंख्यक संस्थानों/विश्वविद्यालयों को सही रास्ता अपनाने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा; और

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (च) यद्यपि सरकार प्रश्न में उल्लिखित कोई भी आरक्षण नहीं करती है। तथापि, अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा अपनी प्रसंद की संख्या स्थापित किए जाने पर ऐसी प्रत्येक संस्था अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण की नीति अपना सकती है, बशर्ते कि संख्या का संबंधित अधिनियम/संविधियां/संगम ज्ञापन उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करता हो। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने आरक्षण के संबंध में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम 1981 के संबंधित प्रावधानों के अंतर्गत अपनी शक्तियों का प्रयोग किया है। सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के उपयुक्त प्राधिकारियों द्वारा किए गए निर्णय के लिए अपनी अनापत्ति प्रदान की है।

[हिन्दी]

भारतीय प्रबंध संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान का शुल्क ढांचा

***40. श्री मोहन सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय प्रबंधन संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शुल्क ढांचे के निर्धारण हेतु एक समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(घ) समिति की सिफारिशें पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

231. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.) के प्रोत्साहन और विकास हेतु गुजरात सरकार से कोई प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) गुजरात में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 30.6.2005 को समाप्त हो गया है। सभी जिलों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता के लिए शामिल कर लिया गया है जो प्रारंभिक शिक्षा के लिए भारत सरकार का अग्रणी कार्यक्रम है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए गुजरात प्राथमिक शिक्षा परिषद् को प्रदान की गई सहायता निम्न प्रकार है:

वर्ष	जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए भारत सरकार द्वारा दिया गया अनुदान (रुपये करोड़ में)
2002-2003	22.00
2003-2004	16.73
2004-2005	22.79

[हिन्दी]

प्रौढ़ शिक्षा

232. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
डा. धीरेन्द्र अग्रवाल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रौढ़ शिक्षा योजना को पूरे देश में लागू किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और पिछले तीन वर्षों के दौरान संबंधित राज्यों में इस योजना के अंतर्गत कितनी राशि व्यय की गई;

(ग) राज्यों में इस योजना के अंतर्गत वर्षवार कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए;

(घ) क्या इस योजना के लिए नियत की गई धनराशि का विभिन्न राज्यों में दुरुपयोग किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) देश में पांच प्रौढ़ शिक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं नामत:

(1) 138 जिलों में संपूर्ण साक्षरता अभियान;

(2) 168 जिलों में उत्तर साक्षरता कार्यक्रम;

(3) 290 जिलों में सतत शिक्षा कार्यक्रम;

(4) जन शिक्षण संस्थान-158;

(5) गैर-सरकारी संगठनों को सहायता।

पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में स्थित कार्यान्वयन एजेंसियों को उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत जारी किए गए अनुदानों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान संपूर्ण साक्षरता अभियान, उत्तर साक्षरता कार्यक्रम और सतत शिक्षा कार्यक्रमों के अंतर्गत साक्षर बनाए गए व्यक्तियों की संख्या, जिनकी सूचना उपलब्ध है, निम्नवत् है:

1999-2000	54.7 लाख
2000-2001	114.7 लाख
2001-2002	59.4 लाख
2002-2003	61.3 लाख
2003-2004	80.5 लाख

जन शिक्षण संस्थान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की वर्ष-वार संख्या निम्नवत है:

2000-2001	14.78 लाख
2001-2002	6.02 लाख
2002-2003	14.73 लाख
2003-2004	16.69 लाख
2004-2005	13.91 लाख

(घ) और (ङ) कुछ जिलों से अनियमितताओं की शिकायतें आई हैं। जहां से भी ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं, वहा जांच की जाती है और उचित कार्रवाई जिसमें अपराधिक अथवा अनुशासनिक कार्यवाही शामिल है-की जाती है।

विवरण

पिछले पांच वर्षों के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की विभिन्न योजनाओं के तहत जारी अनुदान

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2000-2001	2001-2002	2002-2003	2003-2004	2004-2005
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश	626.97	1057.72	1074.89	2466.87	1124.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	186.25	10.00	147.97
3.	असम	166.15	106.33	110.70	109.57	184.23
4.	बिहार	419.99	1263.94	961.53	873.65	1168.67
5.	छत्तीसगढ़	26.25	82.82	284.76	37.67	546.24
6.	गोवा	0.00	16.50	24.01	12.14	16.08
7.	गुजरात	1002.90	398.70	1879.96	1749.54	742.57
8.	हरियाणा	103.67	117.25	82.21	101.61	446.25
9.	हिमाचल प्रदेश	59.84	114.57	26.40	87.97	40.65
10.	जम्मू-कश्मीर	73.13	84.33	61.41	350.39	153.09
11.	झारखंड	55.00	188.59	374.18	175.84	220.84
12.	कर्नाटक	2537.23	838.65	2016.52	1451.01	2774.54
13.	केरल	706.25	775.36	269.63	657.46	742.16
14.	मध्य प्रदेश	343.10	402.77	3825.75	2125.51	3199.81
15.	महाराष्ट्र	317.00	2125.00	293.84	507.26	591.14
16.	मणिपुर	2.61	7.50	15.25	168.60	172.88
17.	मेघालय	25.50	33.88	32.00	50.91	194.11

1	2	3	4	5	6	7
18.	मिजोरम	59.40	131.80	88.40	31.70	15.00
19.	नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	168.42	152.68
20.	उड़ीसा	202.28	925.92	466.09	795.43	791.77
21.	पंजाब	80.76	59.20	92.38	76.29	48.02
22.	राजस्थान	419.90	658.41	2591.46	2204.11	2332.96
23.	सिक्किम	0.00	0.00	36.60	7.50	0.00
24.	तमिलनाडु	212.50	2137.62	741.71	1062.84	1846.28
25.	त्रिपुरा	30.50	421.06	165.00	76.43	344.86
26.	उत्तर प्रदेश	59.02	2114.17	4120.41	2120.67	2335.75
27.	उत्तरांचल	872.82	362.72	60.63	113.71	287.49
28.	पश्चिम बंगाल	708.15	899.53	201.79	4077.72	1753.03
29.	चंडीगढ़	26.00	54.87	118.39	67.24	149.06
30.	दिल्ली	186.82	121.89	89.50	203.31	127.03
31.	पांडिचेरी	31.92	31.92	0.00	32.63	0.00
32.	दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	9355.66	15563.01	20291.65	21985.74	22661.50

[अनुवाद]

कानून और व्यवस्था

233. **श्री जोवाकिम बखला:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर दिल्ली, पश्चिम बंगाल और बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति पिछले तीन वर्षों में बदतर हो गई है और अभी भी गिरावट आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या हत्या, अपहरण, लूट, दुर्व्यवहार/छेड़छाड़ आदि की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान अपराध-वार कितने अपराध दर्ज हुए एवं कितने व्यक्ति आरोपित हुए; और

(ङ) सरकार द्वारा नागरिकों के जीवन रक्षा हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) और (ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा

संकलित की गई सूचना के अनुसार, हिंसक अपराधों (हत्या, हत्या का प्रयास, हत्या की कोटिस में न आने वाला आपराधिक मानव वध, दहेज हत्या, अपहरण, बलात्कार, डकैती, लूटपाट, डकैती, दंगा फसाद तथा आगजनी के लिए तैयार करना इकट्ठा होना) की घटनाओं में वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 के दौरान बिहार में 2.1% और दिल्ली में 7.1% की कमी आई है जबकि पश्चिम बंगाल में इन घटनाओं में 8.4% की वृद्धि हुई है। तथापि, अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2002 की तुलना में वर्ष 2003 में 11.4% की कमी देखने में आई है। इसके अलावा एन.सी.आर.बी. द्वारा वर्ष 2004 के लिए समेकित किए गए अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2004 के दौरान इन घटनाओं में बिहार के मामले में 3% और दिल्ली के मामले में 1.4% की वृद्धि हुई तथा पश्चिम बंगाल के मामले में 1.3% की कमी हुई जबकि कुल मिलाकर वर्ष 2003 की तुलना में अखिल भारतीय स्तर पर 4.1% की कमी दर्ज की गई।

(ग) अखिल भारतीय स्तर पर, हत्या, अपहरण, महिलाओं से छेड़छाड़ और उनके उत्पीड़न की घटनाओं में वर्ष 2003 की तुलना में वर्ष 2004 के दौरान वृद्धि हुई जबकि इस अवधि में डकैती की घटनाओं की कमी आई है।

(घ) एन.सी.आर.बी. द्वारा अनन्तिम रूप से संकलित की गई सूचना के अनुसार, अखिल भारतीय स्तर पर वर्ष 2004 के दौरान भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आने वाले अपराधों की श्रेणी में दर्ज मामलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

(1) हत्या	34835
(2) अपहरण	22342
(3) उत्पीड़न	33477
(4) महिलाओं से छेड़छाड़/यौन शोषण	13757
(5) लूटपाट और डकैती	23285
(6) बलात्कार।	16754

(ङ) कानून और व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराध की रोकथाम, पंजीकरण, अन्वेषण तथा अभियोजन चलाने का दायित्व मुख्य रूप से राज्य सरकारों का है। तथापि, केन्द्र सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत शस्त्र, संचार, उपकरण, वाहन, प्रशिक्षण एवं अन्य बुनियादी सुविधाओं के रूप में राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा कर राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग देती है। उसके अलावा, केन्द्रीय सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों द्वारा राज्य सरकारों के साथ आसूचना का नियमित रूप से आदान-प्रदान किया जाता है ताकि अपराधों को रोका जा सके तथा कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण रखा जा सके।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर त्रिपक्षीय समूह का दौरा

234. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकारों तथा आसु (ए.ए.एस.यू.) के प्रतिनिधियों के त्रिपक्षीय दल ने मई 2005 में लिए गए निर्णय के बाद भारत-बांग्लादेश सीमा का दौरा किया है;

(ख) यदि हां, तो दौरा दल का स्पष्ट उद्देश्य क्या था;

(ग) ऐसे दौरे से किस हद तक उद्देश्यों की प्राप्ति हुई है;

(घ) दल द्वारा क्या टिप्पणियां और सुझाव दिए गए; और

(ङ) इस परिप्रेक्ष्य में उठाए गए कदमों, यदि कोई हों, का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) केन्द्रीय गृह मंत्री की असम समझौते के साथ-साथ सीमा पर बाड़ लगाने के कार्य के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करने हेतु असम और भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र का दौरा करने की योजना है।

नए नगरों का विकास

235. श्री नवीन जिन्दल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में भीड़-भाड़ कम करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन.सी.आर.) में कुछ नए नगरों के विकास का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूल ढांचा जैसे सड़क, पेयजल, पर्याप्त बिजली आदि के निर्माण की लागत का वहन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा; और

(घ) यदि नहीं, तो लागत वहन करने वाली एजेंसी कौन-सी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना

बोर्ड (एनसीआरपीबी) ने सूचित किया है कि राजस्थान सरकार ने नया उपनगर बनाने के लिए राजस्थान उपक्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर शाहजहांपुर-नीमराणा-बहरोर को चुना है। हरियाणा सरकार ने भी समालका, सांपला और जहांगीरपुर-बादली में नए उपनगरों के विकास के लिए तीन संभावित स्थानों को चुना है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नए उपनगर बनाने के लिए प्रस्ताव अभी प्रारंभिक चरण में है और लागत तथा वित्तपोषण पद्धति के ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

नेशनल फायर ब्रिगेड कालेज, नागपुर का स्थानान्तरण

236. **श्री सुबोध मोहिते:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल फायर ब्रिगेड कालेज, नागपुर के उन्नयन और स्थानान्तरण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो कब से और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) सरकार पहले ही राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर के उन्नयन के प्रस्ताव को अनुमोदित कर चुकी है।

[हिन्दी]

जेल सुधार

237. **श्री चंद्रकांत खैरे:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1983 में जेल सुधार के लिए दो सदस्यीय समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा क्या सिफारिशें की गई;

(ग) क्या इन सिफारिशों को दिल्ली के तिहाड़ जेल सहित देश की अन्य जेलों में कार्यान्वित किया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) से (ङ) भारत सरकार ने 1980 में न्यायमूर्ति ए.एन. मुल्ला (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में एक अध्यक्ष और सदस्य सचिव सहित छह सदस्यों वाली एक अखिल भारतीय जेल सुधार समिति गठित की थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1983 में दी थी।

उक्त रिपोर्ट में कारागार भवनों, कारागार में रहन-सहन की स्थिति, कारागार कार्मिकों के प्रशिक्षण, सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण, कैदियों को चिकित्सा एवं मनोचिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने तथा महिला बंदियों और उनके बच्चों को सुविधाएं उपलब्ध कराने संबंधी अनेक सिफारिशें की गई थीं। इन सिफारिशों में से बहुसंख्यक सिफारिशें, "कारागार" राज्य का विषय होने के कारण, संबंधित राज्य सरकारों को उपयुक्त कार्रवाई के लिए अग्रेषित कर दी गई थीं।

हालांकि, "कारागार" राज्य का विषय है, इसलिए जेलों की दशाओं में सुधार की बढ़ती आवश्यकता और कारागारों में भीड़-भाड़ को कम करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार 1987 से कारागारों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को बंदियों और कारागारों की दशा में सुधार के उनके प्रयासों में सहायता देने के लिए केन्द्रीय सहायता मुहैया कराती रही है। तथापि, 1987 से 2001 तक मुहैया कराई गई सहायता की प्रमात्रा पर्याप्त नहीं पाई गई इसलिए केन्द्र सरकार ने 75:25 के अनुपात में साझा लागत आधार पर 1800 रुपए के एक परिव्यय के साथ वर्ष 2002-03 में पांच वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाने वाली एक गैर-योजनागत स्कीम आरम्भ की। इस स्कीम के अंतर्गत राज्य सरकारों को अतिरिक्त जेलों के निर्माण, मौजूदा जेलों की मरम्मत और उनका पुनर्निर्माण, सफाई और जलापूर्ति में सुधार और कारागार कार्मिकों के स्टाफ आवासों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

[अनुवाद]

पोल्ट्री सामग्री का निर्यात

238. **श्री एस. के. खारवेनथन:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन पोल्ट्री सामग्रियों और देशों के नाम क्या हैं जहां इनका पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किया गया है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या सरकार का विभिन्न देशों में पोल्ट्री की बिक्री को बढ़ावा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 के लिए निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित होने की आशा है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में पोल्ट्री सामग्रियों के निर्यात को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) भारत से निर्यात किए जा रहे प्रमुख कुक्कुट उत्पाद टेबल अण्डा, हैचिंग अण्डा, प्रशीतित कुक्कुट, अण्डा पाउडर, एक दिन के चूजे इत्यादि हैं। जिन देशों को इन उत्पादों का निर्यात किया जाता है उनमें यूएई, ओमान, जापान, बांग्लादेश, म्यांमार, यमन आदि शामिल हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कुक्कुट उत्पादों का मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	मूल्य (करोड़ रु. में)
2002-03	182.07
2003-04	253.59
2004-05	256.99

(स्रोत: डीजीसीआई एंड एस)

(ख) से (घ) निर्यात अनेक बाह्य एवं आंतरिक कारकों पर निर्भर होने के कारण, निर्यातों के इस प्रकार के अनुमान नहीं लगाए जाते हैं। कुक्कुट उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जो कदम उठाए गए हैं उनमें मानकों का विनिर्देशन, कीटनाशी अवेशषों पर निगरानी, विकासात्मक एवं निर्यात संवर्धनात्मक कार्यकालापों के लिए निर्यातकों को वित्तीय सहायता बुनियादी सुविधाओं का विकास/निर्यात संवर्धन विपणन सहायता आदि शामिल है। हाल ही में, कुक्कुट निर्यातों को बढ़ाने के एक विशेष उपाय के रूप में विदेश व्यापार नीति 2004-09 के अंतर्गत ''कुक्कुट एवं इसके मूल्यवर्द्धित उत्पादों'' को 1 अप्रैल, 2005 से ''विशेष कृषि उपज योजना'' के दायरे में लाया गया है।

[हिन्दी]

साम्प्रदायिक दंगे

239. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में हुए साम्प्रदायिक दंगों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसी घटनाओं में कितने व्यक्तियों को अपनी जान-माल से हाथ धोना पड़ा और राज्यवार कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये;

(ग) क्या दंगे प्रभावित परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की गयी;

(घ) यदि हां, तो इस सहायता का मानदंड क्या था और ऐसे परिवारों में से प्रत्येक परिवार को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गयी; और

(ङ) सरकार ने देश में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान सांप्रदायिक घटनाओं/दंगों की संख्या और उनमें मारे गए व्यक्तियों तथा जख्मी हुए व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या विवरण में दी गई है।

संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, पुलिस और लोक व्यवस्था राज्य के विषय हैं और मामलों को दर्ज करना, उनकी जांच-पड़ताल करना तथा मुकदमा चलाना मुख्यत: राज्य सरकारों का कार्य है। अत:, संपत्ति की हानि/नष्ट हुई संपत्ति, दंगा प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या आदि के ब्यौरे भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं और ये अभी तुरंत सुलभ नहीं हैं। अलग-अलग राज्य सरकारें दंगा प्रभावित पीड़ितों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अपने-अपने मानदंड निर्धारित करती हैं।

देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए विभिन्न संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों तथा स्थापित अनेक संस्थागत तंत्रों के अतिरिक्त, इस संबंध में संघ सरकार ने कई प्रकार के प्रशासनिक उपाय और प्रोत्साहन प्रयास किए हैं। इनमें देश में सांप्रदायिक स्थिति की निरंतर समीक्षा करना, शांति और सांप्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले संगठनों की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखना, सतर्क रहने के संदेश भेजना, सूचना का आदान-प्रदान करना, संबंधित राज्य सरकार(रों) के विशिष्ट अनुरोध पर राज्यों को केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बल भेजना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहायता आदि करना शामिल हैं। संघ सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में सांप्रदायिक दंगों को रोकने, इनके शिकार हुए लोगों को राहत/पुनर्वास की व्यवस्था करने, सांप्रदायिक तनाव को दूर करने के लिए शांति समिति तंत्रों का कारगर उपयोग करने, प्रभावित क्षेत्रों में शांति बहाल करने आदि के संबंध में उठाए जाने वाले कदम

दिए गए हैं। प्रोत्साहन प्रयासों में उन संगठनों को अनुदान प्रदान करना जो सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने की गतिविधियों में लगे हैं, वार्षिक सांप्रदायिक सौहार्द पुरस्कार और कबीर पुरस्कार प्रदान करना तथा कौमी एकता सप्ताह मनाना शामिल है।

विवरण

वर्ष 2002, 2003 और 2004 के दौरान सांप्रदायिक घटनाओं, उनमें मारे गए/ जख्मी हुए व्यक्तियों की संख्या दर्शाते हुए विवरण

राज्य का नाम	वर्ष 2002 में			वर्ष 2003 में			वर्ष 2004 में		
	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	जख्मी हुए व्यक्ति	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	जख्मी हुए व्यक्ति	घटनाएं	मारे गए व्यक्ति	जख्मी हुए व्यक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1	0	0	0	0	0	0	0	0
आंध्र प्रदेश	16	3	20	18	8	71	13	1	54
अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0	0	0
असम	2	0	0	2	2	0	2	0	1
बिहार	50	22	72	63	32	144	43	24	108
चंडीगढ़	1	0	0	0	0	0	0	0	0
छत्तीसगढ़	0	0	0	4	1	2	1	0	0
दिल्ली	5	0	23	3	1	11	3	0	9
दादरा एवं नगर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0
दमन एवं दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0
गोवा	0	0	0	1	0	0	0	0	0
गुजरात	135	977	2378	133	20	392	93	15	218
हरियाणा	2	0	4	1	0	0	1	0	0
हिमाचल प्रदेश	2	0	0	1	0	7	0	0	0
जम्मू-कश्मीर	1	0	0	1	0	12	0	0	0
झारखंड	14	6	69	14	10	41	16	3	52
कर्नाटक	103	13	331	64	9	260	72	7	274
केरल	16	6	48	32	11	71	25	2	59
लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मध्य प्रदेश	39	10	59	56	18	142	94	19	322
महाराष्ट्र	95	42	752	125	12	578	109	17	352

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
मणिपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मेघालय	0	0	0	0	0	0	0	0	0
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
नागालैण्ड	0	0	0	0	0	0	0	0	0
उड़ीसा	36	3	75	26	4	73	17	1	35
पांडिचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
पंजाब	1	0	0	1	0	0	1	0	4
राजस्थान	61	11	253	34	9	62	32	4	105
सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0
तमिलनाडु	42	5	54	22	3	30	15	0	31
त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	1	0	0
उत्तरांचल	1	0	5	7	4	4	1	0	0
उत्तर प्रदेश	85	29	176	91	47	331	127	40	426
पश्चिम बंगाल	14	3	56	12	2	30	11	1	82
कुल	722	1130	4375	711	193	2261	677	134	2132

राज्य सरकारों द्वारा अपने थोक बिक्री केन्द्रों के माध्यम से उत्पादों की बिक्री

240 **श्री राम सिंह कस्वां:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्य सरकारें लघु उद्योग बिक्री केन्द्रों से अपनी खरीद का भुगतान समय से नहीं कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप लघु उद्योग ईकाइयां ऋण का भुगतान करने में चूककर्ता बनती जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार सभी वर्गों के खरीदारों द्वारा लघु उद्योगों को किए जाने वाले विलम्बित भुगतान के बारे में जानती है।

(ख) सरकार ने लघु तथा अनुषंगी उपक्रमों को विलम्बित भुगतान पर लगने वाले ब्याज के संबंध में 1993 में एक कानून बनाया (जिसे 1998 में संशोधित किया गया), जो राज्य के उपक्रमों सहित सभी खरीदारों पर लागू होता है। उक्त अधिनियम में अन्य बातों के साथ साथ निम्नलिखित के लिए भी व्यवस्था है:

(1) खरीदारों द्वारा लघु उद्योग आपूर्तिकर्ता को विलम्बित भुगतान पर भारतीय स्टेट बैंक द्वारा ली जाने वाली मुख्य लैंडिंग दर से डेढ़ गुना अधिक दाण्डिक दर पर ब्याज का भुगतान;

(2) आयकर अधिनियम 1961, के अंतर्गत आय के परिकलन के प्रयोजनार्थ कटौती के रूप में किसी खरीदार द्वारा देय अथवा भुगतान किए गए दंड ब्याज (पैनल इंटरेस्ट) की राशि को अस्वीकार करना; और

(3) ऐसे विवादों के मामले में आर्बिट्रेशन एंड कांसिलिएशन एक्ट, 1996 के प्रावधानों के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा सुलहकर्ता अथवा मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए उद्योग सुविधा परिषदों (आईएफसी) की स्थापना।

सर्व शिक्षा अभियान में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

241. **श्री सुभाष सुरेशचन्द्र देशमुख:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र में ''सर्व शिक्षा अभियान'' में भागीदारी करने वाले गैर-सरकारी संगठनों के क्या नाम हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत इन गैर-सरकारी संगठनों के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और राज्यवार उनके कार्यकलापों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान इस अभियान को अधिक सफल बनाने हेतु राज्य में और अधिक गैर-सरकारी संगठनों को नियुक्त करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) देश के विभिन्न राज्यों में सर्व शिक्षा अभियान में कुल 3719 गैर-सरकारी संगठन भागीदारी कर रहे हैं। इनमें से 2329 गैर-सरकारी संगठन महाराष्ट्र में काम कर रहे हैं तथा गत तीन वर्षों के दौरान उन्हें 2446.23 लाख रु. की राशि जारी की गई है। महाराष्ट्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों की सूची विवरण में दी गई है।

विवरण

महाराष्ट्र में गैर-सरकारी संगठनों की सूची

क्र.सं.	मंडल	जिला	तालुक	संस्था का नाम
1	2	3	4	5
1.	नासिक	धुले	धुले	सरदार शिक्षण संस्था, देवपुर, धुले
2.	कोल्हापुर	सतारा	वाई	स्वर्गीय विजय सामंत स्मारक ट्रस्ट, वाई
3.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	अंजनी बालवाड़ी शिवनेरी शिक्षण संस्था, उल्हासनगर-2
4.	नासिक	थाणे	भिवंडी	ए.बी.एम. समाज प्रबोधन संस्था, कायशेवाडी, कल्याण/अभीरूची महिला मंडल, भंडारगुहा नगर पालिका के पास, भिवंडी
5.	नासिक	जलगांव	जामनेर	ए.जी.वी.एस. गरखेडे
6.	नासिक	जलगांव	जामनेर	ए.वी.ई.टी. जामनेर
7.	नासिक	जलगांव	चोपडा	ए.वी.एस.एस., सत्रसेन
8.	नागपुर	चन्द्रपुर	कोरपाडा	आदर्श ग्राम विकास सेवा मंडल, पिपरदा, राजीव गांधी चौक, पोरपाडा
9.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	आदर्श लोक सेवा मंडल, पंगरी
10.	नागपुर	गडचिरौली	बामरगढ़	आदर्श शिक्षण संस्था, आस्टी
11.	नागपुर	गडचिरौली	एटापल्ली	आदर्श शिक्षण संस्था, आस्टी
12.	नागपुर	गडचिरौली	अहेरी	आदर्श शिक्षण संस्था, आस्टी
13.	औरंगाबाद	लातूर	नीलंगा	आधार समाज मंडल, हालसी
14.	नागपुर	चन्द्रपुर	कोरपाडा	आधुनिक विज्ञान संस्था, वार्ड संख्या 5, विद्यानगरी, गडचंदूर, कोरपाडा

1	2	3	4	5
15.	नासिक	नन्दूरबार	अम्बूक्ल	आदि रिसर्च फाउंडेशन, बचौडा
16.	नागपुर	गडचिरौली	अहेरी	आदिवासी बिभाज शिक्षण प्रतिष्ठान, रामतरौती संस्था
17.	नागपुर	गडचिरौली	एटापल्ली	आदिवासी विभाज शिक्षण प्रतिष्ठान, रामतरौती संस्था
18.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	सिलौड	आकार सांस्कृतिक और ग्रामीण विकास संस्था, क्रान्ति चौक के सामने, औरंगाबाद
19.	नागपुर	चन्द्रपुर	मूल	अखिल भारतीय दुण्डा विरोधी संघर्ष समिति, सुभाष नगर, मूल
20.	नासिक	नासिक	मालेगांव	अक्स शिक्षा और समाज कल्याण सोसायटी, 3 सलामताबाद, मालेगांव
21.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	आलम नाईक बहुउद्देशीय सेवा भावी, परभनी
22.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	अनाम वेलफेयर सोसायटी, परभनी
23.	औरंगाबाद	परभनी	पठारी	अनाम वेलफेयर सोसायटी, परभनी
24.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्टूर	अन्नाभाऊ शेट्टी बहुउद्देशीय सेवा भावी संस्था, बोरी
25.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	आसिलेगांव महिला मंडल, उल्हासनगर-4, थाणे
26.	नागपुर	भंडारा	लखन्दर	आशीष शिक्षण संस्था
27.	नागपुर	भंडारा	लखानी	आशीष शिक्षण संस्था, सोनीगांव
28.	औरंगाबाद	बीड	बीड	अश्विनी सेवा भावी संस्था, बीड
29.	अमरावती	यावतमल	यावतमल	अभव शैक्षणिक व बहुउद्देशीय संस्था, विदर्भ हाउसिंग सोसायटी, यावतमल
30.	पुणे	पुणे	पीम्परी-चिंचवाड	अभिमान फाउंडेशन गांधीनगर, चिंचवाड, पुणे
31.	नासिक	थाणे	मीरा-भयन्दर	अभिनव सेतकरी शिक्षण मंडल, थाणे
32.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	हंतागले	अभिनव शिक्षण प्रसारक मंडल
33.	नासिक	थाणे	भिवंडी	अभिरुची महिला मंडल, महिला भंडार के पास, भिवंडी
34.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुलजापुर	आभा महिला मंडल, जलकोट, तुलजापुर
35.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्टूर	आचार्य श्री हंसराज बाबा सेवालीकर, बोरी
36.	अमरावती	अमरावती	मोरसी	आदर्श बहुउद्देशीय महिला विकास मंडल, अम्बाला, मोरसी
37.	अमरावती	वासिम	वासिम	आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल, अदला
38.	नासिक	जलगांव	आलमनेर	आदर्श शिक्षा सोसायटी, आलमनेर
39.	कोल्हापुर	सतारा	जावली	आदर्श एजुकेशन सोसायटी, मेधा
40.	नासिक	जलगांव	आलमनेर	आदर्श सामाजिक संस्था, पटोंडा

1	2	3	4	5
41.	औरंगाबाद	परभनी	पूरन्ना	आदर्श सेवाभावी संस्था, तडकालास
42.	नासिक	जलगांव	मुक्तिनगर	आदर्श बहुउद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल, वघोडे
43.	नासिक	जलगांव	चौपाडा	आदर्श ग्रामीण विकास संस्था, वेले
44.	पुणे	अहमदनगर	पाथरडी	आदर्श किडा एवं ग्राम विकास संस्था, कारेगांव
45.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	आदर्श महिला मंडल, परभनी
46.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	आदर्श महिला मंडल, पठारी
47.	औरंगाबाद	नानदेड	नानदेड, बघाला	आदर्श महिला विकास प्रकल्प, कीलारोड, नानदेड
48.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	आदर्श सेवा भावी संस्था, जिन्टूर
49.	औरंगाबाद	नानदेड	नानदेड, बघाला	आदर्श शिक्षण प्रसार मंडल, कासरखेडा, नानदेड
50.	नासिक	जलगांव	चौपाडा	अडावड पी.एस. मंडल
51.	पुणे	अहमदनगर	श्रीरामपुर	आदर्श ग्रामीण विकास और संशोधन मंडल, श्रीरामपुर
52.	कोल्हापुर	सांगली	बीटा	आदर्श सेवा मंडल, एवाली, तासगांव
53.	कोल्हापुर	सतारा	सतारा	अध्यक्ष एवार्डस संस्था, सतारा
54.	नासिक	थाणे	विक्रमगढ़	अध्यक्ष आदीवासी सेवा मंडल, संचालित तलवाडा
55.	नासिक	थाणे	विक्रमगढ़	अध्यक्ष संत निवर्तीनाथ शिक्षण संस्था, वाडा
56.	अमरावती	यवतमल	वानी	आदिम जमात बहुउद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, पाहुर विजारा, कलाम्ब, यवतमल
57.	पुणे	अहमदनगर	बाथर्डी	आदिनाथ कृषि विकास प्रतिष्ठान, भावनाथ नगर
58.	नासिक	जलगांव	भूसावल	आदिशक्ति मुक्तवाही बुहउद्दशीय, वारनगांव
59.	नासिक	जलगांव	बोडवाड	आदिशक्ति सामाजिक एवं सांस्कृकि संस्था, बोडवाड
60.	अमरावती	अकोला	अकोला	आदिवासी एंग्लों किडा अरोग्य एवं शिक्षण प्रसारक मंडल, तजनपेट, अकोला बसंती शिक्षक प्रसारक मंडल, नयागांव, अकोला
61.	पुणे	अहमदनगर	अकोला	आदिवासी उन्नति सेवा मंडल, राजूर
62.	नासिक	नन्दूरबार	तलोडा	आदिवासी ध्यानवासी
63.	नासिक	नन्दूरबार	थडगांव	आदिवासी ग्रामीण विकास मंडल, मिमडालवास
64.	नासिक	जलगांव	चौपाडा	आदिवासी शैक्षणिक मंडल, करजना
65.	नासिक	नन्दूरबार	नवापुर	आदिवासी शिक्षण संस्था
66.	नासिक	नन्दूरबार	सहाडा	आदिवासी शिक्षण विकास समिति
67.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	पैठान	आदर्श ग्रामीण विकास युवक मंडल, पैठान

1	2	3	4	5
68.	औरंगाबाद	बीड	बीड	आदर्श ग्रामीण विकास, देपीगांव
69.	औरंगाबाद	बीड	बीड	आदर्श ग्रामीण विकास, बीड
70.	अमरावती	अकोला	अकोला	आद्य क्रान्तिवीर लाहुजी साबले किडा एवं शिक्षण प्रसारक मंडल, इंदिरानगर, अकोला
71.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	आफताब शिक्षा सोसायटी, बसमट
72.	पुणे	अहमदनगर	अकोला	अगस्ती शिक्षण एवं ग्रामीण विकास संस्था, भरवनी
73.	नासिक	जलगांव	पचौरा	आंगनवाडी शिक्षण प्रसारक मंडल, पचौरा
74.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	अग्निदेवी शैक्षणिक प्रसारक मंडल, चालीसगांव
75.	नासिक	जलगांव	चौपाडा	अग्रास बहुउद्देशीय, विश्नापुर
76.	नासिक	जलगांव	यवालम	अहुडा शिक्षा फास, यावल
77.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	अहिल्या बहुउद्दशीय सेवा संघ
78.	औरंगाबाद	बीड	बीड	अहिल्या देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, चिंचाला
79.	पुणे	रायगढ़	पेन	अहिल्या महिला मंडल, पेन
80.	अमरावती	वासिम	मालेगांव	अहिल्याबाई होल्कर बीवीएमएम, ववाड
81.	औरंगाबाद	परभनी	पठारी	अहिल्याबाई महिला मंडल, पठारी
82.	पुणे	सोलापुर	मोहोल	अहिल्याबाई होल्कर ग्रामीण विकास संस्था, नाजिक, पिम्परी
83.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	अहिल्यादेवी बहुद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल, युवती, ता. उस्मानाबाद
84.	नासिक	जलगांव	जलगांव	अहिल्या देवी होल्कर महिला ग्राम विकास मंडल, चोरगांव, धारणगांव, मुक्तिनगर, जलगांव
85.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्ना	अहिल्या देवी होल्कर महिला मंडल, पिम्पलगांव, लिखा, पूर्ना
86.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	अहिल्या देवी होल्कर सेवाभावी संस्था, त्रिधारा, परभनी
87.	अमरावती	वासिम	वासिम	अहिल्या देवी होल्कर शिक्षण प्रसारक मंडल, उकलीपेन
88.	पुणे	अहमदनगर	पाथर्डी	अहिल्या देवी शिक्षण प्रसारक मंडल, पाथर्डी
89.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	अहिंसा प्रतिष्ठान, परभनी
90.	नासिक	जलगांव	पचौरा	अहमद शिक्षण मंडल, पिंपलगांव, हारे
91.	पुणे	अहमदनगर	अहमदनगर	अहमदनगर यतिमखाना
92.	अमरावती	यवतमल	डिग्रास	अहमद सार्वजनिक वाचनालय, काजी, स्मारक डिस्पैन्सरी के पास, डिग्रास, यवतवल
93.	पुणे	शोलापुर	मोहोल	अजगर सिद्ध ग्राम शिक्षा समिति, एलम्मबाडी

1	2	3	4	5
94.	नासिक	जलगांव	पचौरा	अजिंक्या क्रिडा एवं शिक्षण मंडल, पचौरा
95.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	अजिंक्या युवक कल्याण, पाठेरी
96.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	सोयागांव	अजिंथा डोंगरी ग्रामीण विकास मंडल, हनुमंतखेडा, सोयागांव
97.	नासिक	धुले	धुले	अजुमन फरोगे तालीम मौलवीगंज, धुले
98.	नासिक	जलगांव	एरनडौल	अजूनान तरीने शिक्षा सोसायटी, कसौडा
99.	नासिक	नासिक	नासिक	आकांक्षा समाज कल्याण सोसायटी, पाथर्डी रोड
100.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड बघाला	अकबल हुसैन शिक्षा सोसायटी, अहमदपुर
101.	नासिक	थाणे	कल्याण	अखिल भारतीय समाज प्रबोधन संस्था, कटमानवली, कल्याण
102.	कोल्हापुर	सतारा	सतारा	अखिल भारतीय देवदासी शिक्षण प्रसारक संस्था, सतारा
103.	अमरावती	अमरावती	चन्द्र बजार	अखिल भारतीय महिला परिषद, नई दिल्ली, शाखा चन्द्र बजार
104.	नासिक	ठाढे	कल्याण	अखिल भारतीय सामाजिक विकास और प्रतिपालन संस्था, अमू अरखेड, बी-202, द्वितीय तल, मसौबा, मैदान, कल्याण, पश्चिम
105.	अमरावती	अकोला	अकोला	अकोला वैद्यबिरादरी शिक्षा और समाज कल्याण संघ, बैदपुरा, अकोला
106.	अमरावती	अकोला	अकोला	अकोला जमेकूल कुरेशी एग्रो, कामजीपुरा, अकोला
107.	नासिक	नासिक	मालेगांव	अक्सा शिक्षा एवं प्रतिष्ठान
108.	नासिक	जलगांव	रावेर	अलअमीन शिक्षा और कल्याण सोसायटी, रावेर
109.	औरंगाबाद	बीड	बीड	अलफैल भाउ उद्देशीय संस्था, बीड
110.	औरंगाबाद	परभनी	जीनतुरे	आलम नाईक बहुउद्देशीय सेवा भावी संस्था, जीनतुरे,
111.	नासिक	नासिक	मालीगांव	अलबदर सामाजिक शिक्षा सोसायटी, दत्तनगर
112.	नासिक	जलगांव	रावेर	हलहंसंत शिक्षा सोसायटी, रावेर
113.	पुणे	अहमदनगर	श्रीरामपुर	अलहीलाल शिक्षा और कल्याण सोसायटी, श्रीरामपुर
114.	नासिक	जलगांव	जलगांव	अलहीनान शिक्षा संस्था, नशीराबाद
115.	पुणे	रायगढ़	अलीबाग	अलीबाग प्रभाकर पाटील शिक्षा सोसायटी, अलीबाग
116.	पुणे	शोलापुर	वारसी	अलीपुर रोड नगरी समिति, वारसी
117.	नासिक	जलगांव	जामनेर	अलकहा संस्था फतेहपुर
118.	नासिक	नासिक	मालेगांव	अलकामा शिक्षा नीधी कल्याण सोसायटी, शंपिग सेंटर, शांप नं 5, नया बस स्टेंड, समोर, मालेगांव
119.	नासिक	जलगांव	सबडा	अलकावी शिक्षा और समाज कल्याण सोसायटी, सबडा
120.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड बाघला	अलहज गुलाम हैदर सुभनी शिक्षण प्रसारक मंडल, रहमतनगर, नांदेड

1	2	3	4	5
121.	औरंगाबाद	बीड	बीड	अहम्मा हमीम शिक्षा सोसायटी, बीड
122.	औरंगाबाद	बीड	बीड	अहम्मा ताहेर शिक्षा सोसायटी, बीड
123.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	सिलोड	अल्फरान शिक्षा घाटनछा, सिलोड
124.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड वाघला	अल्पभासिक महिला शिक्षा प्रसारक मंडल, मस्तानपुरा, नांदेड
125.	नासिक	जलगांव	मुक्तिनगर	अल्पभासी कल्याण शिक्षा सोसायटी, मुक्तिनगर
126.	नासिक	धुले	धुले	अलशबाब एज्युकेशनल सोसायटी आजादनगर, धुले
127.	नासिक	धुले	धुले	अमन किडा और शिक्षा कल्याण सोसायटी, फिरदोश नगर
128.	औरंगाबाद	बीड	बीड	अमर प्रतिष्ठान अंघालिवाडी
129.	नासिक	ठाडे	मीरा भीयेन्द्र	अमरदीप शिक्षण संस्था, भीयेन्द्र, ठाणे
130.	नासिक	जलगांव	चोपडा	अमरसंस्था चोपडा
131.	नासिक	ठाणे	अंबरनाथ	अंबरनाथ सिटी सोसायटी ट्रस्ट
132.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	अम्बिका लोक प्रतिष्ठान, गंगापुर
133.	कोल्हापुर	सांगली	जट	अम्बा महिला मंडल गोरगी
134.	नासिक	धुले	धुले	अम्बा प्रतिष्ठान सिरुड, धूले
135.	औरंगाबाद	बीड	बीड	अमलेश्वर शिक्षक प्रसारक मंडल, धनौरा
136.	अमरावती	अमरावती	बरुड्	आम्रपाली मेगास्वर्गीय महिला विकास मंडल मंगरुली, बरुड्
137.	अमरावती	अकोला	अकोला	अमरीन उर्दू शिक्षा समाज संघ मुसाफिर नगर, अकोला
138.	पुणे	अहमदनगर	अकोले	अमरीत रामकृष्ण बालचोहरे सेवा भावी संस्था क्लास बडरुक
139.	पुणे	अहमदनगर	अकोले	अमरीतश्वर विकास मंडल धमनगांव, अवोरी
140.	औरंगाबाद	परभनी	पठारी	अमरीतराव पाटील शिक्षण प्रसारक मंडल, बीटा
141.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	अमरीतशाह बहुउद्दशीय शिक्षण संस्था एच बी के
142.	पुणे	शोलापुर	मोहोल	अमूल गाम संस्था, कोरावती
143.	नासिक	धुले	धुले	अनामिका इसमुदे संस्था देवपुर, धुले
144.	औरंगाबाद	बीड	बीड	आनन्द सेवा भावी संस्था कोथरबंन
145.	अमरावती	अकोला	एनपी अकोट	आनन्द शिक्षण संस्था वार्ड 5, 6 अकोड
146.	नागपुर	नागपुर	पनसीवनी	आनन्द शिक्षण संस्था, परसीवनी
147.	अमरावती	अकोला	अकोला	अनंत महाराज क्रीडा एवं शिक्षण प्रसारक संस्था रेणुका नगर, अकोला
148.	कोल्हापुर	शांगली	ताशगांव	अनार्य स्वयं सेवक संस्था पंचशील नगर, भीलवडी

1	2	3	4	5
149.	नासिक	जलगांव	एरनडोल	एंग्लो अंजूमन सोसायटी, एरनडोल
150.	नासिक	ननदूरबार	तलोडा	अंजन बिहीर जुली
151.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	अंजुमन एजेकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, ताजनगर, न.-1, अमरावती
152.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	अंजुमन एजेकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी ताजनगर, नं.-1, अमरावती
153.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	अंजुमन ख्याल शिक्षण संस्था, नूरनगर, वालगांव रोड, अमरावती
154.	औरंगाबाद	बीड	बीड	अंजुमन-ए-नीडा सेवाभावी संस्था, गैवराडी
155.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	करबीर	अन्ना वस्त्र
156.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	करबीर	अन्ना वस्त्र नीवारा संस्था, कोल्हापुर
157.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	करबीर	अन्ना वस्त्र नीवारा संस्था, कोल्हापुर
158.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	करबीर	अन्ना वस्त्र नीवारा, कोल्हापुर
159.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	करबीर	अन्ना वस्त्र नीवारा, कोल्हापुर
160.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	करबीर	अन्ना वस्त्र नीवारा, कोल्हापुर
161.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	करबीर	अन्ना वस्त्र नीवारा, कोल्हापुर
162.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	करबीर	अन्ना वस्त्र नीवारा, कोल्हापुर
163.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	करबीर	अन्ना वस्त्र नीवारा, कोल्हापुर
164.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	अन्ना भाउ साथी शिक्षण प्रसारक मंडल, अहमदपुर
165.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	अन्ना भाउ साथी शिक्षण प्रसारक मंडल, अहमदपुर
166.	नागपुर	चन्द्रपुर	कारपाडा	अन्ना भाउ साथ बहुउद्देशीय संस्था, मरकममेटा, जीवाटी
167.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	अन्नापूर्ण महिला मंडल, गोधाला, रेनापुर
168.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्टूर	अन्नापूर्ण शिक्षण संस्था, करंजी
169.	नासिक	जलगांव	जलगांव	अन्ना साहिब रामराव चव्हाण शिक्षक प्रसारक मंडल, अजानविहिरे, धारणगांव
170.	कोल्हापुर	सतारा	खातव	अन्नासाहब साठे भतंग समाज मोरेल, ता. खातब
171.	पुणे	अहमदनगर	अकोले	अंतर भारती एजुकेशन ट्रस्ट, वीरगांव
172.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	अनुपमाबाई लखीचन्द्र पारख बहुउद्देशीय शैक्षणिक संस्था, देवली
173.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्टूर	अनसूइया शिक्षण प्रसारक मंडल, अम्बरवाडी
174.	औरंगाबाद	परभनी	पूरना	अनसूइया शिक्षण प्रसारक मंडल, पनगारा
175.	पुणे	अहमदनगर	पाथर्डी	अपंग एवं बेरोजगार युवक संस्था
176.	नागपुर	नागपुर	कामठी	अरुनधती ग्रामीण विकास संस्था, माहडूला

1	2	3	4	5
177.	नासिक	जलगांव	भूसावल	अर्जुन राव नरवाडे शिक्षा संस्था, भूसावल
178.	औरंगाबाद	बीड	बीड	अरुणा आसफ अली सेवाभावी संस्था, बीड
179.	नासिक	जलगांव	यवल	अरुणोदय एसपीएम कठोरा
180.	नासिक	जलगांव	जलगांव	आर्य चाणक्य बहुउद्देशीय संस्था, जलगांव
181.	अमरावती	यवतमल	पंठारकोडा	आसरा ग्रामीण विकास संस्था, वैशालीनगर, यवतमल
182.	औरंगाबाद	लातूर	अहमदनगर	आशा-ठषा महिला मंडल, सैनी
183.	औरंगाबाद	लातूर	निलंगा	आशिकराव पाटील मित्र एम एन
184.	नासिक	जलगांव	रावेर	अष्ट विनायक शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक मंडल, रावेर
185.	कोल्हापुर	सांगली	मिराज	अष्ट विनायक शिक्षण प्रसारक मंडल, मिराज
186.	कोल्हापुर	सांगली	बालवा	अष्ट विनायक शिक्षण संस्था, आस्था
187.	कोल्हापुर	सांगली	बालवा	अष्ट विनायक विकास मंडल, अंकाली
188.	नासिक	जलगांव	आलमनेर	अश्वनी जन बहुउद्देशीय संस्था, धनौरा
189.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	अस्मिता ट्रस्ट, उल्हासनगर, थाणे/ध्यानदीप महिला मंडल, थाणे
190.	नागपुर	चन्द्रपुर	सावली	ऐसोशिएशन आफ वूमन अवेयरनेस एंड रुरल डवलपमेंट, भगतसिंह चौक
191.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	सिरोली	अवतार बाल शिक्षण प्रसारक मंडल, एचलकरंजी
192.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	सिरोली	अवतार बाल शिक्षण प्रसारक मंडल, एचलकरंजी
193.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	सिरोली	अवतार बाल शिक्षण प्रसारक मंडल
194.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	सिरोली	अवतार बाल शिक्षण प्रसारक मंडल
195.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-बघाला	अविरत महिला मंडल, डा. अम्बेडकरनगर, नांदेड़
196.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्टूर	अविष्कार साहित्य कला और क्रिडा संस्था, जिन्टूर
197.	नासिक	थाणे	मीरा-भयन्दर	अवर लेडी आफ वेलाकानी एजूकेशनल चैरीटेबल ट्रस्ट, भयन्दर (प.), जिला-थाणे
198.	नागरपुर	चन्द्रपुर	नागभीड	अवार्ड संस्था नागभीड
199.	पुणे	पुणे	पुणे	अवेकिंग (द्वारा इंटरवीदा), विमाननगर, पुणे, येरवाडा
200.	नासिक	जलगांव	यवलम	अक्षा एजूकेशन सोसायटी, फैजपुर
201.	औरंगाबाद	बीड	बीड	आजाद हिन्दी सेवाभावी संस्था, केवखेडा
202.	नासिक	धुले	धुले	आजाद जीमखाना एंड एजूकेशन ट्रस्ट, मौलवी गंज, धूले
203.	कोल्हापुर	सांगली	सिराला	आजाद शिक्षण संस्था, सिराला

1	2	3	4	5
204.	नासिक	थाणे	भिवंडी	बी.एन. शहर महानगर पालिका शिक्षण मंडल
205.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्टूर	बाबासाहेब अम्बेडकर शिक्षण प्रसारक मंडल, ईतौली
206.	नागपुर	गडचिरौली	सिरौंचा	बाबासाहेब अम्बेडकर शिक्षण प्रशिक्षण मंडल, सिरौचा
207.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	बाबासाहेब अम्बेडकर शिक्षण संस्था
208.	नासिक	जलगांव	पचौरा	बफना कृषि विद्यापीठ, कोल्हे
209.	अमरावती	यावतमल	नेर	बहुउद्देशीय महिला संस्था, द्वारा हाउस आफ ईगल, थरदानगर, यावतमल
210.	नागपुर	गोंदिया	गोरेगांव	बहुउद्देशीय नाजुक ग्रामीण शिक्षण संस्था, घोती, गोरेगांव
211.	नागपुर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	बहुउद्देशीय सेवा संघ, घुधुस
212.	कोल्हापुर	सितारा	कराड़	बहुजन हिताय समिति, कराड
213.	अमरावती	अकोला	अकोला	बहुजन समाज कीडा एवं शिक्षण प्रसारक मंडल, अंबेडकर नगर, अकौला
214.	अमरावती	यावतमल	कुसाड	बहुजन युवक मंडल, संभाजी नगर, कुसाड, तालुका कुसाड, जिला यावतमल
215.	औरंगाबाद	बीड	बीड	भैरवनाथ सेवाभावी संस्था, परगांव, सिरास
216.	औरंगाबाद	बीड	बीड	भैरवनाथ सेवाभावी संस्था, टडसोना
217.	औरंगाबाद	परभनी	पाथरी	बजरंग व्यायामशाला, ज्वालाजूठा
218.	कोल्हापुर	सितारा	पाटन	बजरंग व्यायाम मंडल, महावशी
219.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	बाल एवं महिला शिक्षण मंडल, उल्हास नगर 4 जिला थाणे
220.	औरंगाबाद	परभनी	गंगखेड	बालाघाट ग्राम विकास प्रतिष्ठान, दामपुरी
221.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	बालाजी सार्वजनिक वाचनालय, मगनगांव तलुका परभनी
222.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	बालाजी शिक्षण संस्था, सलमोहा
223.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	बालाराम एस.पी.एम. बटलपुर
224.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	बालीराजा सेवाभावी संस्था, परभनी
225.	पुणे	शोलापुर	मोहोल	बालराजे विकास मंडल, नाजिक, पिम्परी
226.	नासिक	धुले	साकरी	बालसेना, मल्टीपरपज एजूकेशन सोसाइटी स्वयं चालित संस्था, बालसेना तालूका सातरी
227.	नागपुर	गढ़चिरौली	अहेरी	बालसंस्कार शिक्षण संस्था, गढ़चिरौली
228.	नागपुर	गढ़चिरौली	घनौरा	बालसंस्कार शिक्षण संस्था, गढ़चिरौली

1	2	3	4	5
229.	नागपुर	गढ़चिरौली	भमरागढ़	बालसंस्कार शिक्षण संस्था, गढ़चिरौली
230.	औरंगाबाद	परभनी	पाथरी	बलवान क्रीड़ा मंडल, पाथरी
231.	औरंगाबाद	बीड	बीड	बालविकास सेवाभावी संस्था, सिरसदेवी
232.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	बंजारा महिला ग्राम विकास संस्था, कटगांव, टांडा
233.	नासिक	जलगांव	जामेर	बंजारा समाज मंडल, जामेर
234.	पूणे	शोलापुर	अकालकोट	बंजारा सेवासंघ शैक्षणिक संस्था, परमानन्द नगर
235.	पूणे	शोलापुर	अकालकोट	बंजार युवक कल्याण संघ
236.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	बापूजी सार्वजनिक वाचनालय, एस ए जावला
237.	कोल्हापुर	संगली	निराज	बापू साहेब नामदार चरिटेबल ट्रस्ट, मिराज
238.	पूणे	बारामती	बारामती	बारामती तालुका ग्राम विकास प्रतिष्ठान, कान्डवाडी, बारामती, जिला थाणे
239.	पूणे	शोलापुर	अकालकोट	बासलिंगेश्वर बाहू ग्राम विकास संस्था
240.	कोल्हापुर	संगली	निराज	बासाव ज्योति शिक्षण प्रसारक मंडल, मिराज
241.	औरंगाबाद	परभनी	जिक्वर	बासेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, कुसाडी
242.	अमरावती	यावतमल	यावतमल	बेबी देवी एस.एम. संस्था, पटवारी कालोनी, संभाजी नगर, यावतमल
243.	औरंगाबाद	बीड	बीड	बीड जिला शिक्षण प्रसारक मंडल, रेवकी
244.	नासिक	जलगांव	भदगांव	भदगांव तालुका किसान शिक्षण संस्था, भदगांव
245.	औरंगाबाद	बीड	बीड	भगवान बाबा सेवा भावी संस्था, भगोलवाडी
246.	औरंगाबाद	बीड	बीड	भगवान मानव सेवा भावी संस्था
247.	औरंगाबाद	बीड	बीड	भगवान मानव सेवा भावी संस्था, अधेलवाडी (पीयू)
248.	पूणे	शोलापुर	बरसी	भगवान बाबा शिक्षण संस्था, उकडगांव
249.	कोल्हापुर	सितारा	खाटव	भगीनी महिला मंडल, गुरसाले
250.	नासिक	जलगांव	चोकडा	भगीनी मंडल, चौपडा
251.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	भागीरथी बाई पाटील एस.पी.एम.
252.	अमरावती	यावतमल	दरवाह	भाग्योदय बहुउद्देशीय डाकखाना देवल गांव वाडसा, तालुका दरवाह, जिला यावतमल
253.	औरंगाबाद	परभनी	गंगखेड	भगवतगीता महिला सेवाभावी संस्था, धारासुर
254.	नागपुर	नागपुर	रामटेक	भगवतीग्राम विकास संस्था, मनसर
255.	औरंगाबाद	बीड	बीड	भगवान महिला सेवाभावी संस्था, संघवी
256.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	भगवती शैक्षणिक एवं बहुउद्देशीय संस्था, दहिवाड

1	2	3	4	5
257.	औरंगाबाद	बीड	बीड	भाग्यशाली सेवाभावी संस्था कोन्डरी
258.	अमरावती	अमरावती	मौरसी	भाग्योदय शिक्षण कार्यकारी बहुउद्देशीय महिला विकास मंडल, मोरसी
259.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	भैरवनाथ कला व सांस्कृतिक मंच पनगांव
260.	औरंगाबाद	परभनी	जिक्वर	भालाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, कवादा
261.	नागपुर	भंडारा	टूमसार	भंडारा जिल्हा बाबू अंपग विकास संस्था नाकाडोगंरी
262.	पुणे	शोलापुर	साउथ शोलापुर	भानूशाला बहुउद्देशीय संस्था
263.	नासिक	नासिक	नासिक	भारत धन्यानविधयान समिति, श्री जयप्रकाश महात्रे, ए-15 तुलसी यूपी, सीता गुफी रोड, पंचवटी
264.	अमरावती	अकोला	अकोला	भारत एजूकेशन वेलफेयर सोसाइटी हाजी नगर, अकोला
265.	अमरावती	यावतमल	पंधारकावदा	भारत महिला बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, तिलकवाडी तालुका कंधारकावदा, जिला यावतमल
266.	नागपुर	चन्द्रपुर	मदरावती	भारत शिक्षण संस्था, मदरावती
267.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमरगा	भारतभूषण शैक्षणिक सेवाभावी संस्था, गुगलगांव तालुका उमेरगाह
268.	औरंगाबाद	परभनी	जिक्वर	भारती सेवा भावी संस्था, जिंचर
269.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	कनाड	भारतीय ग्रामीण विकास केन्द्र, मुख्य डाकघर, सिंचान नगरी, चालीसगांव रोड, कन्नाड़
270.	कोल्हापुर	संगली	वीटा	भारत माता शैक्षणिक संस्था, वीटा
271.	कोल्हापुर	संगली	वीटा	भारत माता शैक्षणिक संस्था, वीटा
272.	नासिक	जलगांव	जलगांव	भारत रतन डा. अंबेडकर बहुउद्देशीय संस्था, कनाल्डा
273.	कोल्हापुर	सितारा	फलटन	भारतीय दुंबल घटक संस्था, विडल तालुका मान
274.	कोल्हापुर	सितारा	मान	भारतीय दुंबल घटक संस्था, विडल तालुका मान
275.	कोल्हापुर	सितारा	फलटन	भारतीय दुंबल घटक संस्था, विडल तालुका मान
276.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	भारतीय जी.वी.के.वी.एस. शंभूउमर
277.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	भारतीय मागास्वर्गीय बहु वी.एस. हंदरगुली
278.	पुणे	रायगढ़	पनवेल	भारतीय मानव विकास ट्रस्ट
279.	पुणे	पुणे	पिम्परी-चिंचवार	भारतीय विद्यापीठ यशवंत राव चौहान ऑफ सोशलसाइंस एंड रिसर्च, पूणे-28.
280.	पुणे	पुणे	पुणे	भारतीय युवक कल्याण एवं व्यायाम केन्द्र, गली नं. 3, कार्वे नगर पूणे
281.	नासिक	थाणे	भिवंडी	भारतीय युवा मंडल, नियर वाटर टैंक, कामतगढ़

1	2	3	4	5
282.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुलजापुर	भतक्या जाति जमातिछि संगठन, तुलजापुर
283.	पुणे	पुणे	पुणे	भतक्या विमुक्त जाति संस्था, अपलेकर अस ओ सी खराड़ी
284.	पुणे	अहमदनगर	नवासा	भाउसाहेब पाठक ग्राम विकास प्रतिष्ठान, मुलिन्दपुर
285.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	भवानी सेवा भावी संस्था, परभनी
286.	अमरावती	यावतमल	कुसाड	भावसिंह बहुउद्देशीय शिक्षण संस्था, काकालदाती नगर, पुसाड, तालुक, जिला यावतमल
287.	पुणे	शोलापुर	आकलकोट	भीम शैक्षणिक एवं बहुउद्देशीय संस्था, हिली
288.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-बघाला	भीवपर्व प्रबोधन प्रतिष्ठान शिवाजी नगर, नांदेड
289.	पुणे	शोलापुर	पंधारपुर	भीमसेवक युवक बहुउद्देशीय, बोहाली
290.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	भीमयोद्धा व्यायाम प्रसारक मंडल, गंगखेड़
291.	नासिक	थाणे	भिवंडी	भिवंडी एजूकेशन सोसाइटी, छिछिन्दरा, भिवंडी
292.	औरंगाबाद	बीड	बीड	भरमानाथ शिक्षण प्रसारक मंडल, येलांबा
293.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	बुखारी एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसायटी, परभनी
294.	औरंगाबाद	बीड	बीड	भूमिपुत्र सेवाभावी संस्था, लोनी
295.	नागपुर	नागपुर	सक्नेर	भूषण महिला मंडल, कवाखा
296.	नासिक	जलगांव	यावलम	भुव. वी.पी.एम. मानवेल
297.	औरंगाबाद	बीड	बीड	बेलाजी एस.एस. अखुरका
298.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	विसमिल्ला एजूकेशन, चौपड़ा
299.	औरंगाबाद	बीड	बीड	बैर्ट शिक्षण प्रसारक मंडल एवं सेवाभावी संस्था, माजल गांव
300.	नासिक	थाणे	मुरबाद	ब्रिज ट्रस्ट कसारा, शाहपुर
301.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	ब्राइट एजूकेशन सोसायटी, माजल गांव, जिला बीड
302.	औरंगाबाद	बीड	बीड	बुलन्द क्रीडा मंडल
303.	नासिक	धूले	साकरी	बुरई परिसर विकास मंडल, दुसाने, एम.पी. दुसाने
304.	कोल्हापुर	रतनागिरी	दकौली	बुरौन्दी मचीमार सहकारी सोसायटी
305.	पुणे	शोलापुर	अकालकोट	भुवन चैरीटेबल ट्रस्ट सिक्केहली
306.	कोल्हापुर	संगली	जट	भुवान्नद दुग्ध व्यवसाय पाछापुर
307.	नासिक	जलगांव	मुक्ताईनगर	सा.एस.एम.एस.एस. संस्था, मुक्तईनगर
308.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	द्वारा लिब्रल फैन्डस छत्रपति साहू महाराज मुक्ताशाला, सिद्धार्थ नगर, नवसारी, न्यू बस्ती वलगांव रोड, अमरावती

1	2	3	4	5
309.	नासिक	उसमानाबाद	कालम्भ	द्वारा राष्ट्रीय सेवा दल पुणे, लताभगढ़, बैदूबाडी, कालम्ब, उसमानाबाद
310.	औरंगाबाद	उसमानाबाद	उमरगाह	द्वारा राष्ट्रीय सेवा दल पुणे, लताभनगढ़, बैदूबाडी, तालुक कालम्ब, उसमानाबाद
311.	औरंगाबाद	उसमानाबाद	तुलजापुर	द्वारा राष्ट्रीय सेवा दल पुणे, लताभनगढ़, बैदूबाडी, तालुक कालम्ब, उसमानाबाद
312.	नासिक	जलगांव	चौपडा	छाहिदी, वी.पी.एम.
313.	कोल्हापुर	संगली	तसगांव	चतैन्य एजूकेशन सोसायटी, पेड
314.	कोल्हापुर	संगली	तसगांव	चतैन्य एजूकेशन सोसायटी, पेड
315.	कोल्हापुर	संगली	तसगांव	चतैन्य एजूकेशन सोसाइटी, पेड
316.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	चकरधर स्वामी शैक्षणिक विकास मंडल, वारखेडा, बीयू, तालुक चालीस गांव
317.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	चकरधर स्वामी शैक्षणिक विकास मंडल, उल्हासनगर-5
318.	पुणे	अहमदनगर	कौपारगांव	चकरधर स्वामी शैक्षणिक विकास मंडल, कोकरगांव
319.	नागपुर	गौंडिया	गौंडिया आमगांव तिरोडा साल्केकस	चकरपाणी शिक्षण संस्था
320.	औरंगाबाद	बीड	बीड	चंदनशिव सेवाभावी संस्था, सावरगांव
321.	पुणे	अहमदनगर	कोपारगांव	चंद्रभागा बहुजन ग्राम शैक्षणिक मंडल, खड़नी
322.	पुणे	अहमदनगर	कोपारगांव	चंद्रभागा बहुजनगांव विकास मंडल, कोपारगांव
323.	अमरावती	वासिंग	वासिंग	चंद्रभागा महदजी इंजोर शिक्षण प्रशिक्षण मंडल, वांशिम
324.	औरंगाबाद	परभनी	जिनतूरे	चंद्रभागबाई गुगे महिला मंडल, चारथाना
325.	औंरगाबाद	औरंगाबाद	पायेथान	चंद्रकला सेवा भावी संस्था, खांडे पिंपलगांव, उबालेनिवास शिवाजी हाई स्कूल, खेडपुरा, औरंगाबाद
326.	अमरावती	अमरावती	चंदूर रेलवे	चंद्रशेखर आजाद व्यायाम क्रीडा मंडल, चंदूर रेलवे, जिला अमरावती
327.	कोल्हापुर	सतारा	खाटव	चंद्रसेन विद्यामंदिर धोडवाडी
328.	पुणे	शोलापुर	उत्तरी शोलापुर	चंनवीर बहुउद्देशीय संस्था, होतगी
329.	नासिक	धुले	धुले	छत्तरपति बहुउद्देश्यीय संस्था, नेर, पी ओ नेर, जिला धूले
330.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	छत्तरपति सेवा भावी संस्था सेभदरा, तह. परभनी जिला-परभनी
331.	औरंगाबाद	परभनी	कुरना	छत्तरपति शिवाजी ग्रामीण शिक्षाणिक और सामाजिक विकास संस्था, सोना
332.	औरंगाबाद	परभनी	जिनतुर	छत्तरपति शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, कोहाली
333.	औरंगाबाद	बीड	बीड	छत्तरपति सेवाभावी संस्था

1	2	3	4	5
334.	औरंगाबाद	बीड	बीड	छत्तरपति सेवाभावी संस्था, चुमबाली
335.	औरंगाबाद	बीड	बीड	छत्तरपति सेवाभावी संस्था, निगुडी
336.	औरंगाबाद	बीड	बीड	छत्तरपति शाहू शिक्षण प्रसारक मंडल, गोविन्दवाडी
337.	नासिक	जलगांव	पछोडा	छत्तरपति शिवाजी महाराज शिक्षा, लोहातर
338.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद	च्वरग शिक्षण प्रसारक मंडल लक्ष्मी कालोनी, छज्ञवनी रोड, औरंगाबाद
339.	अमरावती	अमरावती	चंदूर रेलवे	चेस सोसायटी, चंदूररेलवे, जिला अमरावती
340.	नासिक	जलगांव	पछोडा	चेतना बहु शिक्षण मंडल, पछोंडा
341.	अमरावती	यावतमल	यावतमल	चेतना समुदाय विकास संस्था, चमेदिया नगर, यावतमल
342.	पुणे	शोलापुर	बारसी	छत्तरपति क्रीडा शिक्षण और समाज सेवा संस्था, उप्पथळी, थोंगे, तह. बारसी
343.	पुणे	शोलापुर	पंडारपुर	छत्तरपति शिवाजी महाराज शिक्षण प्रतिशक्षण क्रीडा मंडल, करकंभ, तह. पंडारपुर
344.	नासिक	जलगांव	भुसावल	छबीलदास कालू चौधरी, शिक्षण प्रसारक मंडल, जामनेर
345.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	भूम	छत्तरपति ग्रामीण विकास संस्था, वीसनापुर, तह. भूम
346.	नासिक	जलगांव	पारोला	छत्तरपति कृषि विज्ञान मंडल, राजवाड
347.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	छत्तरपति शंभाजी शैक्षणिक प्रसार मंडल, ओझर
348.	औरंगाबाद	ओसमानाबाद	तुलजापुर	छत्तरपति सांस्कृतिक मंडल, अपशिंघा, तालुक तुलजापुर
349.	औरंगाबाद	ओसमानाबाद	तुलजापुर	छत्पति शाहाजी राजे ट्रस्ट भाभलगांव, तालुक तुपुर
350.	नासिक	जलगांव	जलगांव	छत्तरपति शाहू फोडेशन, 47, मुडाडानगर, जलगांव
351.	नासिक	जलगांव	रावेड	छत्तरपति शिवाजी एस पी एन ठलखेटा, तालुक, रावेड
352.	पुणे	रायगढ़	करजत	छत्तरपति विकास संस्था निराल, तालुक, कजरत
353.	नासिक	थाणे	जवहार	छाया महिला मंडल, कुडाचा पाडा, डा. ए एस ई, तालुक मोखडा, जिला थाणे
354.	कोल्हापुर	सिंधुदुर्ग	कनकावली	चाइल्ड कमनीकेशन डेवलपिंग प्रोग्राम लोर नं. एक
355.	कोल्हापुर	सिंधुदुर्ग	कनकावली	चाइल्ड कमनीकेशन डेवलपिंग प्रोग्राम नियर कनकावली एस टी स्टेंड
356.	कोल्हापुर	सिंधुदुर्ग	कनकावली	चाइल्ड कमनीकेशन डेवलपिंग प्रोग्राम नियर कनकावली एस टी स्टेंड
357.	कोल्हापुर	सिंधुदुर्ग	कनकावली	चाइल्ड कमनीकेशन डेवलपिंग प्रोग्राम नियर कनकावली एस टी स्टेंड

1	2	3	4	5
358.	कोल्हापुर	सिंधुदुर्ग	कनकावली	चाइल्ड कमनीकेशन डेवलपिंग प्रोग्राम, वेधेरी
359.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	चौपडा देवी बाहु, एस.एस. देवनिख
360.	औरंगाबाद	परभनी	जिनचर	चूदेश्वरी सेवा भावी संस्था, जितर
361.	नासिक	नासिक	मालेगांव	सिटी हान वेलफेयर एजूकेशन सोसायटी, 782, खुशमदपुरा, मालेगांव
362.	नासिक	धुले	साफरी	डी एस पाटील, माध्यमिक विद्यालय, दाहीवेल, एम पी दाहीवेल
363.	अमरावती	यावतमाल	खुशाद	दादासाहेब गवई प्रतिठान, सी/ओ ए. खंडारे विदरभा सोसायटी, बजरिया नगर
364.	नासिक	जलगांव	भादगांव	दादासाहेब वी एस चौधरी शिक्षण प्रसारक मंडल, मंदाकी
365.	पुणे	शोलापुर	पंढारपुर	डालिग बहुउद्देश्यीय मंडल, मगरवाडी
366.	नासिक	जलगांव	पछौडा	दलित मित्र जन सेवा शिक्षण फाउंडेशन, पछौडा
367.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	दलित समाज शिक्षण-1 सांस्कृतिक क्रिडा मंडल, उल्हासनगर-2
368.	औरंगाबाद	लातूर	अहदपुर	दंत रोकदोबा एस एस, सोनखेड
369.	नासिक	थाणे	थाणे	दर्पण मित्र मंडल, नवी मुंबई-400706
370.	अमरावती	वाशिम	मालेगांव	दत्ता बहुउद्देश्यीय एस के एम, चिखलगांव
371.	औरंगाबाद	बीड	बीड	दत्ता महिला सेवा भावी संस्था, बडवानी
372.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	हटकंगले	दत्ता शिक्षण प्रसारक मंडल, नवीपारगांव
373.	नागपुर	नागपुर	भीवापुर	दत्तात्रेय ग्राम विकास शिक्षण संस्था, टाका
374.	औरंगाबाद	बीड	बीड	दौलतराव काले शिक्षण संघ, कोलगांव
375.	पुणे	पुणे	पुणे	दीपक एच सोसायटी, कुटुम्भ कल्याण केन्द्र, ताडीवाला रोड, पुणे
376.	नासिक	धुले	साकरी	दीप रतन स्वामी सेवा समिति, एम पी पानखेडा
377.	नासिक	नासिक	मालेगांव	देहाती शिक्षाणिक सामाजिक संस्था-81, एम आई जी मोहादा प्लाट
378.	नासिक	नासिक	मालेगांव	डीलाइट एजूकेशन एंड वेलफेयर सोसायटी, 2 मेहावीनगर, मालेगांव
379.	औरंगाबाद	लातूर	नालांगा	देशभक्त गुण्डाराव एन कोली
380.	नासिक	नासिक	मालेगांव	डेस्टीनी एजूकेशन एंड वोमेन वेलफेयर एशोसिएशन
381.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	देवदासी और अनंत महिला आश्रम, मराठवाडा, परभनी
382.	नासिक	जलगांव	अमलनेर	देवगांव देवली एजूकेशन सोसायटी, देवगांव, देवली
383.	नासिक	थाणे	बाडा	देवघर विभाग शिक्षण प्रसारक ट्रस्ट, देवघर, बाडा
384.	कोल्हापुर	सांगली	निराज	देवगया समाज संस्था, सांगली देवगया भवन, कोल्हापुर रोड, सांगली
385.	नासिक	जलगांव	परौला	देविका की माता महिला मंडल, परौला

1	2	3	4	5
386.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुलजापुर	देवराज बहुउद्देश्यीय शैक्षणिक सामाजिक संस्था, तुलजापुर
387.	पुणे	पुणे	पिंपरी-चिंचवाड	धैणजे शिक्षक संस्था भुवानगर, खेरगांव
388.	औरंगाबाद	बीड	बीड	धमक्राति महिला मंडल पटोडा
389.	नासिक	जलगांव	जलगांव	धानाजी नाना चौधरी विद्या बी बी शाहू नगर, जलगांव
390.	पुणे	शोलापुर	आकलकोट	धनगर समाज सेवा मंडल, शावल
391.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	करवीर	धनश्री शिक्षण प्रसारक मंडल, सुले
392.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	सोगांव	धरेश्वर विकास मंडल, बोरमल टाडा, पीओ. तिडगा
393.	पुणे	शोलापुर	करमाला	धरमा देवी समाज सेवा चेरीटेबल ट्रस्ट, अजानदो
394.	कोल्हापुर	सांगली	वालवा	धर्मवीर शंभाजी मंडल, हरीपुर
395.	कोल्हापुर	सांगली	वीटा	धर्मवीर शंभाजी मंडल, वीटा
396.	कोल्हापुर	सतारा	खाटव	धर्मवीर शंभूराजू प्रतिष्ठान श्रीबल
397.	पुणे	शोलापुर	करुवाडी	धर्मवीर शांभाजी पनलोट कृषि विकास संस्था, कुरुवाडी
398.	पुणे	शोलापुर	मालशी रास	धवलक्राति श्री धूध उत्पादन संघ, गिरवी
399.	नासिक	जलगांव	जलगांव	धेया साधना, 115, बेसमेंट, जलगांव
400.	नागपुर	भंडारा	तुमसर	दिगम्बर बहुउद्देश्यीय अपंग शिक्षण संस्था
401.	औरंगाबाद	बीड	बीड	दिगम्बर महाराज क्रीडा मंडल और वी एस एस, सेदापुर
402.	पुणे	शोलापुर	करमाला	दिग्विजय बागल सार्वजनिक वाचनालय, मांगी तह. करमाला
403.	नागपुर	चंद्रपुर	बलारपुर	दिलसार ग्राम शोसक सर्विस सेंटर, बलारपुर तह. बलारपुर
404.	पुणे	अहमदनगर	संगमनेर	दीन दयाल ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, संगमनेर
405.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	दीन दुखी महिला कल्याण मंडल, उल्हासनगर, जि. थाणे
406.	औरंगाबाद	बीड	बीड	दिशा बहुउद्देश्यीय सेवा भावी संस्था, बीड
407.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	दिशा-दर्शन बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, उम्बेरकर निवास, श्यामनगर, अमरावती
408.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	दिशा-दर्शन बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, उम्बेरकर निवास, श्यामनगर, अमरावती
409.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वघाला	दीव्य ध्यानी शिक्षण संस्था, शांतिनगर, नांदेड
410.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	ध्यान सदाना महिला मंडल, पुरना
411.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तुर	ध्यान सांगोपान सेवा भावी संस्था, जिन्तुर
412.	नासिक	नासिक	नासिक	ध्यान संजीवन शिक्षण संस्था, मखमालाबाद पंचवटी, नासिक-3

1	2	3	4	5
413.	नासिक	जलगांव	ईरानडोल	ध्यानदीप आदिवासी विकास मंडल, नमारदे
414.	नासिक	जलगांव	पछौडा	ध्यानदीप बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, पिपलगांव
415.	अमरावती	अकोला	एन पी अकोट	ध्यानदीप बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, गौड-7, अकोट
416.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुलजापुर	ध्यानदीप शिक्षक प्रसारक मंडल उदावाडी, तह. तुलजापुर
417.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	ध्यानदीप प्रसारक मंडल, पिपलदारी
418.	कोल्हापुर	सतारा	जावली	ध्यानेश्वरी के एंड एस मंडल, सुन्दरी
419.	नासिक	जलगांव	जलगांव	ध्यानगंगा बहुउद्देश्यीय, संस्था दाब्देकर नगर, जलगांव
420.	नासिक	नासिक	नासिक	ध्यानज्योत विद्या प्रसारक मंडल, 3, आनन्द गोपालपार्क, पुरानी पंडित कालोनी, दुर्गापुर
421.	अमरावती	यावतमल	उमेरखेड	ध्यानकोश बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, पी ओ मुदुल, तह. उमरखेड, जिला-यावतमल
422.	नासिक	थाणे	थाणे	ज्ञान प्रसारक शिक्षण मंडल, थाणे
423.	औरंगाबाद	परभनी	शैल्यू	ज्ञानराज शिक्षण प्रसारक मंडल, खुपासा
424.	नासिक	जलगांव	जलगांव	ज्ञान साधना प्रसारक मंडल, पिपराला हुडको, जलगांव
425.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	ज्ञान साधना शिक्षण संस्था, ओराग्य विकास, कपुसतलनी, तह. अनजानगांव, सुरजी, जि. अमरावती
426.	नासिक	थाणे	अमरनाथ	ज्ञान सागर एजूकेशन सोसायटी ट्रस्ट
427.	अमरावती	यावतमल	उमेरखेड	ज्ञान तुषार शिक्षण संस्था, जामा मस्जिद वाड, उमरखेड, तह. उमरखेड, जि. यवतमाल
428.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	ज्ञानवर्धिनी बहुउद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक मंडल, चालीसगांव
429.	नासिक	जलगांव	–	ज्ञानवर्धिनी बहुउद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक मंडल, चालीसगांव
430.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	डोंगरविकास एस.पी.एम., देवुलवाड़ी
431.	नासिक	धूले	धूले	डा. अब्दुल त्वाब अंसारी एजूकेशनल वेलफेयर सोसायटी, धुले
432.	पुणे	पुणे	पुणे	डा. अम्बेडकर मेडिकल ट्रस्ट, ताड़ीवाला रोड, पुणे
433.	पुणे	शोलापुर	साउथ शोलापुर	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर क्रीड़ा संस्था, कुसुर
434.	पुणे	शोलापुर	मालशिराज	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर सार्वजनिक वाचनालय, मालीनगर
435.	औरंगाबाद	बीड	बीड	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर, एस.बी.एस., मजगांव
436.	अमरावती	यावतमल	भाभुलगांव	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर बहुउद्देश्यीय शिक्षा प्रसारक मंडल, एम.पी. डांगरगांव, तालुका घाटांजी जिला यावतमल
437.	नासिक	जलगांव	यवाल	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर बहुउद्देश्यीय मंडल, यवाल

1	2	3	4	5
438.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिष्ठान, पूर्णा
439.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर सार्वजनिक वाचनालय, केसरज्वालमा, तहसील उमरेगा
440.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-बघाला	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर सार्वजनिक वाचनालय, राहती, तहसील नांदेड
441.	औरंगाबाद	लातूर	औसा	डा. बाबा साहेब सेवा संस्था, औसा
442.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	डा. पदम सिंह पाटील, सोशल यूथ फाउंडेशन, समता नगर, उस्मानाबाद
443.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	भूम	डा. पदम सिंह पाटील, सोशल यूथ फाउंडेशन, समता नगर, उस्मानाबाद
444.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	डा. पदम सिंह पाटील, सोशल यूथ फाउंडेशन, समता नगर, उस्मानाबाद
445.	नासिक	जलगांव	जलगांव	डा. श्यामा प्रसाद मुखर्जी, क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक प्रबोधिनी, 89, जिला पेठ, दीक्षितपेठवाड़ी, जलगांव
446.	नासिक	नासिक	नासिक	डा. जाकिर हुसैन एजूकेशन सोसायटी अलअक्स खातिब नगर, एन. रोड
447.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल एजूकेशन सोसायटी
448.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिष्ठान, पूर्णा
449.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	डा. बाबा साहेब अम्बेडकर शिक्षा प्रसारक मंडल, तड़पनगिरी, तहसील परभनी
450.	नासिक	ठाणे	मीराभयंदर	द्रजेश रामचंद्रसिंह एजूकेशन सोसायटी, भयंदर, ई.ओ. जिला ठाणे
451.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड़	दुर्गा महिला विकास सेवा भावी संस्था, बोरडा
452.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	दुर्गा महिला विकास सेवा भावी संस्था, बोरडा
453.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड़	ज्ञानदीप शिक्षण प्रसारक मंडल, पीपलदरी
454.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	ज्ञानामृत शिक्षक प्रसारक मंडल बसमत
455.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	ज्ञानाभवन शिक्षक प्रसारक मंडल, बोरबंद, बी.यू. तहसील परभनी
456.	औरंगाबाद	बीड	बीड	ज्ञानदीप बहुउद्देश्यीय संस्था, जाम्भ
457.	नासिक	ठाणे	उल्लासनगर	ज्ञानदीप महिला मंडल, उल्लासनगर, जिला ठाणे
458.	औरंगाबाद	बीड	बीड	ज्ञानेश्वर महिला सेवा भावी संस्था, पारगांव पी.
459.	पुणे	शोलापुर	नॉर्थ शोलापुर	ज्ञानगंगा क्रीड़ा आरोग्य एवं शिक्षण प्रसारक मंडल
460.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	सोयगांव	ज्ञानज्योति ग्राम विकास मंडल, ए./5110 शिवजी नगर, सिड़को, औरंगाबाद
461.	नासिक	ठाणे	कल्याण	ज्ञाननेत्र शैक्षणिक संस्था, बैरक नं. 27, बाबा मेडिकल के पास, उल्लासनगर-1

1	2	3	4	5
462.	अमरावती	यवतमाल	पुसाड़	एकलव्य बहुउद्देश्यीय शैक्षणिक ग्राम विकास संस्था, स्थान और पोस्ट चिकाली कनेबा, तहसील नेर, जिला यावतमल
463.	अमरावती	यावतमाल	नेर	एकलव्य बहुउद्देश्यीय शैक्षणिक ग्राम विकास संस्था, स्थान और पोस्ट चिकाली कनेबा, तहसील नेर, जिला यावतमल
464.	नासिक	धुले	सकरी	ईकपीरामाता सेवा भावी संस्था, भनदाने, तहसील सकरी
465.	अमरावती	अकोला	अकोला	एजूकेशन एंड शोसल वेलफेयर ऐसोसिएशन, नेहरू नगर, अकोटफेल, अकोला
466.	नासिक	ठाणे	वडा	एजूकेशन हेल्थ एंड एग्रीकल्चर एसोसिएशन, विक्रमगढ़
467.	नासिक	धुले	सकरी	एजूकेशन सोसायटी, धानेर
468.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	एकलव्य सेवाभावी संस्था, परभनी
469.	अमरावती	यावतमल	दिगरास	एकता बहुउद्देश्यीय महिला मंडल, महेन्द्रा, पोस्ट ऑफिस दिगरास, जिला यावतमल
470.	औरंगाबाद	परभनी	सेलु	एकता महिला मंडल, सिमनगांव
471.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	एकता युवा मंडल, भूसा
472.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद	एकात्मिक और कृषि और ग्रामीण विकास संस्था, औरंगाबाद, जीजाऊ निवास, स्थान और पोस्ट हरसूल
473.	नागपुर	नागपुर	सवनेर	एकजुट महिला मंडल, रायबासा
474.	नासिक	नन्दुरबार	अकलकुआ	एकलव्य ग्रामीण आदिवासी
475.	अमरावती	अकोला	अकोला	एकलव्य महिला शिक्षण प्रसारक संस्था, अकोटथेल, अकोला
476.	नासिक	नासिक	नासिक	एकलव्य शिक्षक प्रसारण मंडल, ए.बी./2/3/8, लोकमान्य नगर, चतुर्थ स्कीम सिडको, नासिक
477.	नासिक	ठाणे	अमरनाथ	एकलव्य शिक्षण ट्रस्ट, उल्लासनगर
478.	पुणे	पुणे	बारामती	एकता ग्राम विकास मंडल, होल, तहसील बारामती, जिला ठाणे
479.	कोल्हापुर	सतारा	खातव	एकता महिला मंडल, चिताली
480.	नागपुर	नागपुर	सवनेर	एकता महिला मंडल, सवनेर
481.	पुणे	पुणे	पिम्परी-छिंदवाड़	एकता सोशल पांडवल नगर, ढेरगांव
482.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	एकता व्यायामशाला सांस्कृतिक मंडल, साईखेड़ा
483.	नासिक	ठाणे	मुरबाद	एकुन
484.	नासिक	ठाणे	भिवांडी	एकुन
485.	नासिक	जलगांव	भादगांव	एकवीरादेवी शिक्षण प्रसारक मंडल, आमलदेव

1	2	3	4	5
486.	अमरावती	यवतमाल	दिमरास	एलतीफ बहुउद्देश्यीय बारभाई मोहल्ला, दिमरास, जिला यावतमल
487.	पुणे	शोलापुर	अकलकोट	एसालासा बिग्रेड, उयकमंडल
488.	औरंगाबाद	नांदेड़	नांदेड़-वाघला	फरहाना एजूकेशनल सोसायटी, आइना महल, टेकड़ी, नांदेड़
489.	नासिक	ठाणे	मुरबाद	फ्रैंडशिप क्रीड़ा ऐसोसिएशन
490.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	प्रुडेंशियल एजूकेशन सोसायटी एस.एन. भेले, संकन नगर, अमरावती
491.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	जी.वी.एस. आछेगांव, तहसील देगलूर
492.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	जी.वी.एस. सेवाभावी एस. जलकोट
493.	पुणे	शोलापुर	मोहोल	जी.एस. स्पोर्टस एण्ड एजूकेशनल सोसायटी, मोहोल
494.	पुणे	शोलापुर	बारसी	गजानन ग्राम विकास संस्था, बोरगांव (झाड़ी)
495.	नासिक	जलगांव	रावेर	गजानन शिक्षण प्रसारक मंडल, अहीरवाड़ी
496.	पुणे	अहमदनगर	नागर	गंधे स्वयंसेवी विकास प्रतिष्ठान, जारवनगांव
497.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	गांधी वाचनालय धारासुर, तहसील गंगाखेड़
498.	नासिक	नासिक	नासिक	गणेश पाठक एजूकेशनल सोसायटी, राजराजेश्वरी मंगल कार्यक्रम विद्यानगरी पंचक, जेल रोड, नासिक
499.	पुणे	अहमदनगर	जामखेड़	गणेश एस. शैक्षणिक क्रीड़ा मंडल, वांगरवाड़ी
500.	औरंगाबाद	बीड	बीड	गणेश सेवाभावी संस्थान, माडलमोही
501.	पुणे	शोलापुर	मालशिराज	गणेश तरुन मंडल, पीलीव
502.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	गणेश उत्सव फलक्रीड़ा मंडल सुसलाड
503.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	गणेश उत्सव फलक्रीड़ा मंडल सुसलाड
504.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	गणेश उत्सव फलक्रीड़ा मंडल सुसलाड
505.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	गणेश उत्सव फलक्रीड़ा मंडल सुसलाड
506.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	गणेश उत्सव फलक्रीडा सुसलाड
507.	नासिक	ठाणे	अमरनाथ	गंगा महिला मंडल
508.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	गंगा शैक्षणिक आई सेवाभावी प्रतिष्ठान, अनशोला, तहसील परभनी
509.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	गंगा शिक्षा प्रसारक मंडल, धांगर, टकाली
510.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	गंगा देवी शिक्षण प्रसारक मंडल
511.	पुणे	शोलापुर	पंढरपुर	गांगेय शिक्षण प्रसारक मंडल
512.	नासिक	जलगांव	जलगांव	गणपति मंदिर संस्थान, तारसोड़

1	2	3	4	5
513.	अमरावती	अकोला	अकोला	गणराज्य मानव विकास संस्था, कानेरी गवाली, तहसील बालापुर, जिला अकोला
514.	कोल्हापुर	सतारा	खातव	ग्राम पंचायत नोवोद
515.	औरंगाबाद	बीड	बीड	गोरखनाथ सेवा भावी संस्था, धेकानमोह
516.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	गौसीया एजूकेशन सोसायटी, चांदनी चौक, ग्वालीपुरा, बालगांव रोड, अमरावती
517.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	गौसीया एजूकेशन सोसायटी, चांदनी चौक, ग्वालीपुरा, बालगांव रोड, अमरावती
518.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	एचलकरांजी	गौतम एजूकेशन सोसायटी
519.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	एचलकरांजी	गौतम एजुकेशन सोसायटी
520.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	गौतमड़ी बुद्धा सेवाभावी संस्था, परभनी
521.	पुणे	अहमदनगर	कोपरगांव	ग्वारेभामा फाउंडेशन, कोपरगांव
522.	नासिक	नन्दुरबार	अम्बुरुल	गायत्री एजुकेशन सोसायटी
523.	नासिक	जलगांव	मुक्ताई नगर	गायत्री परिवार ट्रस्ट, कुरहा
524.	नागपुर	गोंडीया	गोंडीया	गायत्री शिक्षण संस्था
525.	नासिक	जलगांव	परोला	गायत्री विद्या प्रसारक मंडल, टिटवी
526.	नासिक	नन्दुरबार	तालोडा	गीतविकास संस्था
527.	नासिक	ठाणे	भिवांडी	जीनियस बैकवर्ड संस्था, रिपब्लिकेशन ऑफिस के पास, नारपोली, भिवांडी
528.	अमरावती	यावतमल	महागांव	घूपसिंह नायक शिक्षक प्रसारक मंडल, मार्फत भारत चवन, स्थान मुकाम, चिखाली, वानपोस्ट भावनी, तहसील उमरखेड़
529.	नासिक	धुले	सिंधाखेड़ा	गिभाउ शिक्षा सामाजिक संस्था, खरद, मुकाम पोस्ट खरद
530.	औरंगाबाद	परभनी	जिंतुरे	गिरिजा महिला मंडल, परभनी
531.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	गिरिजा महिला मंडल, परभनी
532.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	गिरिजा महिला विकास सेन. एस.ए., परभनी
533.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	गिरिजा बहुउद्देश्यीय संस्था, खिड़की सिग
534.	नासिक	जलगांव	जलगांव	गिरिनाई शिक्षा प्रसारक मंडल, खेडी खू
535.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तुरे	गोदावरी सेवाभावी संस्था, लिम्बाला
536.	औरंगाबाद	बीड	बीड	गोदावरी सेवाभावी संस्था, मांजरथ
537.	नागपुर	चन्द्रपुर	कोरपाना	गोंडवाना आदिवासी शिक्षण संस्था जीवती, तहसील जीवती

1	2	3	4	5
538.	अमरावती	अमरावती	चिखलदाय	गोपाल शिक्षण संस्था, तेंदुसोंदा
539.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	गोपालराव त्रयम्बक सनाने, शिक्षण क्रीड़ा और व्यायाम प्रसारक मंडल, साईगांव
540.	अमरावती	यावतमल	दिगरास	गोपीबाई पवार बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, आरंभी तहसील दिगरास, जिला यावतमल
541.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	एचलकरांजी	गोसाहब दादे बापू पटेल एजुकेशन सोसायटी
542.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	गोविन्दबाबा सेवाभावी संस्था, सैलु
543.	नागपुर	नागपुर	नारखेड़	ग्राम शिक्षण संस्था, मोहंडी (दलवी)
544.	नासिक	जलगांव	परोला	ग्राम शिक्षण विद्यालय प्रशिक्षण संस्था, शैलावे
545.	नासिक	ठाणे	जवाहर	ग्राम स्वराज समिति, महाराष्ट्र राज्य जवाहर, तहसील जवाहर
546.	अमरावती	अकोला	बालापुर	ग्राम विकास बहुउद्देश्यीय शिक्षण एवं आरोग्य संस्था, अदूरा, तहसील बालापुर
547.	पुणे	अहमदनगर	नेवासा	ग्राम विकास महिला मंडल, गेवाराई
548.	औरंगाबाद	बीड	बीड	ग्राम विकास महिला मंडल, नाथापुर
549.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	ग्राम विकास मंडल, उदगीर
550.	नासिक	जलगांव	मुक्ताई नगर	ग्राम विकास मंडल, काकोड़ा
551.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	ग्राम विकास मंडल, पलसप, तहसील उस्मानाबाद
552.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	ग्राम विकास एस. निदेबन
553.	औरंगाबाद	लातूर	अहमदपुर	ग्राम विकास एस.एस. जलकोट
554.	नासिक	जलगांव	पचोरा	ग्राम विकास संस्था, निम्भोरी
555.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	पैथान	ग्राम विकास सेवा भावी संस्था, राहतगांव, मुकाम पोस्ट राहतगांव, तहसील पैथान
556.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	ग्राम विकास युवक मंडल, रुमाना
557.	औरंगाबाद	लातूर	निलांगा	ग्राम विकास बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, सिंथखेड़
558.	पुणे	शोलापुर	मधा	ग्रामीण एवं पर्यावरण विकास प्रतिष्ठान, उजनी, तहसील मधा
559.	नासिक	ठाणे	जवाहर	ग्रामीण आदिवासी सेवा संस्था, जलविहार, जवाहर
560.	नागपुर	नागपुर	कुही	ग्रामीण बहुउद्देश्यीय संस्था, सातनवारी, सासे गांव
561.	पुणे	शोलापुर	मालशिराज	ग्रामीण विगारशेटी एस. पात संस्था, गिरझनी
562.	पुणे	रायगढ़	कारजाट	ग्रामीण लोकसेवा एम. कारजाट

1	2	3	4	5
563.	अमरावती	अकोला	अकोला	ग्रामीण महिला एंड एजुकेशनल ऐसोसिएशन, हनुमान बस्ती, अकोला
564.	अमरावती	अकोला	अकोला	ग्रामीण महिला एंड एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसायटी, सबद नगर, अकोला
565.	नागपुर	नागपुर	कलमेश्वर	ग्रामीण महिला शैक्षणिक सामाजिक विकास संस्था, ब्राहमणी
566.	पुणे	अहमदनगर	जामखेड़	ग्रामीण महिला विकास संस्था, जामखेड़
567.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	जामखेड़	ग्रामीण मानव शिक्षण प्रसारक मंडल, वरुड़कु
568.	पुणे	अहमदनगर	राहुरी	ग्रामीण मानव विकास प्रतिष्ठान, मुल्लानगर
569.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	ग्रामीण समाज विकास मंडल मदाज, तहसील उमरेगा
570.	नासिक	जलगांव	रावेर	ग्रामीण शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास मंडल, अटवाड़े
571.	नासिक	जलगांव	धारनगांव	ग्रामीण शिक्षण एवं प्रसारक मंडल, अनोरे
572.	नासिक	जलगांव	यवालम	ग्रामीण शिक्षण मंडल, पडालसे
573.	नासिक	जलगांव	यवालम	ग्रामीण शिक्षण मंडल, सातोड़
574.	पुणे	अहमदनगर	जामखेड़	ग्रामीण शिक्षण संस्था, जामखेड़
575.	नासिक	धुले	सकरी	ग्रामीण शिक्षण संस्था, तालंम्यापाड़ा
576.	नासिक	जलगांव	हिरनडोल	ग्रामीण उन्नति विकास मंडल, हिरनडोल
577.	पुणे	अहमदनगर	पाथरडी	ग्रामीण बस्ती नगर विकास मंडल, साकेगांव
578.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तुरे	ग्रामीण विकास एवं कल्याण संस्था, बोरी
579.	औरंगाबाद	लातूर	निलांगा	ग्रामीण विकास केन्द्र एस. अनन्तपाल
580.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	ग्रामीण विकास संस्था, मानलगा
581.	औरंगाबाद	बीड	बीड	ग्रामीण विकास सेवा भावी संस्था, दुकाड़गांव
582.	नासिक	धूले	शिंदाखेड़ा	ग्रामीण व्याघ्र बारी देवी सेवा भावी संस्था, मालपुर
583.	नासिक	जलगांव	पचोरा	ग्राम मंडल संस्था, लोहतार
584.	औरंगाबाद	लातूर	औसा	ग्राम निर्माण कृषि एस.एस., हास लगान
585.	नागपुर	नागपुर	हिंगना	ग्रामोंद्वारा विद्या प्रसारक शिक्षण संस्था, हिंगना
586.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	ग्राम स्वराज विकास संस्था, परभनी
587.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड़	ग्राम विकास महिला मंडल, दुसलगांव
588.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	ग्राम विकास सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक सेवा भावी संस्था, खारबदास, तहसील पूर्णा (जेड.पी.)
589.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड़	ग्राम विकास युवक मंडल, रुमाना

1	2	3	4	5
590.	नासिक	धुले	सिंदाखेड़ा	ग्रुप ग्राम पी.ए.एन., ताखेड़ा, मुकाम पोस्ट ताखेड़ा
591.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	गुकीपाड़ी शिक्षण मंडल, रुखनखेड़ा
592.	औरंगाबाद	बीड	बीड	गुलाब शिक्षण प्रसारक मंडल, केज
593.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	गुलीस्तां-ए-अंजुमन एंड वेलफेयर सोसायटी, गुलिस्तां नगर
594.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	गुजीस्तां-ए-अंजुमन एंड वेलफेयर सोसायटी, गंभीरपुरा, गुलिस्तां नगर, टीचर्स कॉलोनी, अमरावती
595.	नासिक	नासिक	मालेगांव	गुलशन हिन्द एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाईटी 1 मेहावी नगर, मालेगांव
596.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	सिल्लोद	गुप्तेश्वर शिक्षक संस्था, घटांद्रा, सिलोद
597.	औरंगाबाद	बीड	बीड	गुप्तेश्वर सेवाभावी संस्था जी. पिंपलगांव
598.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	गुरु रविदास सेवाभावी संस्था, परभनी
599.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	गुरु रविदास सेवा प्रतिष्ठान, संत सैना नगर, परभनी
600.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	कन्नाड़	गुरु दल शिक्षण संस्था, गराडा, बी. आर. ए. गराडा, कन्नाड़
601.	नासिक	नासिक	उस्मानाबाद	कलांब गुरु दत्त शिक्षण मंडल, एकुरगा, तहसील कलांब, जिला उस्मानाबाद
602.	अमरावती	यावतमल	यावतमल	गुरुदेव बहुउद्देश्यीय क्रीड़ा एवं संस्था, रवि नगर, श्याम सोसायटी, यावतमल
603.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तुरे	गुरुदेव प्रतिष्ठान भोगांव
604.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुलजापुर	गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगौर सामाजिक एवं शैक्षणिक संस्था, तुलजापुर
605.	नागपुर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	गुरुदेव सेवा मंडल निरली, तहसील राजुरा
606.	नागपुर	भण्डरा	तुमसार	गुरुदेव शारीरिक क्रीड़ा मंडल, एस.एच. वाहिनी
607.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	गुरुदेव विद्या प्रसारक मंडल, अमरावती
608.	नासिक	उस्मानाबाद	कलांब	गुरुकृपा बहुउद्देश्यीय संस्था, पिमाल गांव, तहसील कलांब, जिला उस्मानाबाद
609.	अमरावती	यवतमाल	यवतमाल	गुरुकुल एम.बी. संस्था, अम्बिका नगर, यवतमाल
610.	औरंगाबाद	बीड	बीड	गुरुलिंग सेवाभावी संस्था, मनुर
611.	कोल्हापुर	सांगली	सिरला	गुरु वार्य आत्माराम बापू पाटील, वाचनालय, शिगांव
612.	औरंगाबाद	लातूर	औसा	ज्ञानदीप ग्रामीण सेवा संघ, वांघी
613.	पुणे	पुणे	–	ज्ञानदीप शिक्षण प्रसारक मंडल, भोर, जिला ठाणे
614.	औरंगाबाद	लातूर	औसा	ज्ञानज्योति वी.एस.एस. शिवाली

1	2	3	4	5
615.	कोल्हापुर	सांगली	मिराज	ज्ञानमाता शैक्षणिक सांस्कृतिक कला व क्रीड़ा शिक्षण संस्था, देसिंग साका सांगली 404/10, खानबाम बिल्डिंग, सांगली
616.	नागपुर	चन्द्रपुर	भद्रावती	ज्ञानरंजन युवक मंडल, चन्दनखेड़ा, तहसील भद्रावती
617.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	ज्ञानसागर मागसवर्गीय बहुउद्देश्यीय एस.एस. लासो
618.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	एच. ए. फतिमा के. ए. वी. ई. एस. ओ., पाथेरी
619.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	एच. ए. फतिमा के. ए. वी. ई. एस. ओ., पाथेरी
620.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	एच. ए. फतिमा के. ए. वी. ई. एस. ओ., पाथेरी
621.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	एच. ए. फतिमा के. ए. वी. ई. एस. ओ., पाथेरी
622.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	हुची हमजा मेमोरियल वेलफेयर सोसायटी, ईशकृपा, दीपनगर, छतरीतलाव रोड, साबनपुरा, अमरावती
623.	नासिक	जलगांव	रावेर	हजरत दिवानशाला एजुकेशन सोसायटी, रसालपुर
624.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	हनुमान सार्वजनिक वाचनालय, शिरसी बू
625.	नासिक	जलगांव	पचोरा	हनुमान शिक्षण प्रसार मंडल, धाद
626.	कोल्हापुर	सतारा	खातव	हनुमान शिक्षक प्रसारक मंडल, काले धोन
627.	कोल्हापुर	सांघली	तासगांव	हनुमान वाचनालय, रामानंद नगर, पालुस
628.	पुणे	शोलापुर	मालशिराज	हनुमान विकास मंडल, तांडुलवाड़ी
629.	नागपुर	नागपुर	सवनेर	हनुमान व्यायाम मंडल, रामपुरी
630.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड़	हनुमान व्यायामशाला एवं सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल, वाघदरा
631.	नासिक	नन्दुरबार	अम्बुरुल	हरिओम ग्रामीण संस्था
632.	कोल्हापुर	रत्नागिरी	तपोली	हारवे पाज फिशिंग ट्रेडिंग एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी, पाजपंदरी
633.	नासिक	जलगांव	जामनेर	हेड़गेवार एस.पी., शेन्दुनी
634.	औरंगाबाद	बीड	बीड	हिम्बुलम्बिका सेवाभावी संस्था, बीड
635.	नागपुर	गड़चिरोली	ऐटापल्ली	हिमगिरी नीरी आदिवासी मानव कल्याण संस्था
636.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तुरे	हिन्द रेनूराई महिला मंडल, चारथाना
637.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	हम हिन्दुस्तानी सेवा प्रतिष्ठान, लातूर
638.	नासिक	थाणे	अमरनाथ	आई.पी.पी., अमरनाथ
639.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	इल्मे रहबर एस. सोसायटी, चमन नगर, इस्लामी चौक, जूनी बस्ती, वडनेरा
640.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	इल्मे रहबर एस. सोसायटी, हाथी पुरा, इस्लामी चौक, जूनी बस्ती, वडनेरा

1	2	3	4	5
641.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	इल्मे रहबर एस. सोसायटी, हाथी पुरा, इस्लामी चौक, जूनी बस्ती, वडनेरा
642.	अमरावती	यवतमाल	वाणी	इम्पुव टेलेन्ट एजुकेशन एंड हेल्थ, रजाक मंजिल, अम्बेडकर चौकवानी, जिला यवतमाल
643.	पुणे	पुणे	इन्दापुर	इन्दापुर तलग्राम विकास पी., नीमगांव सेदार, तहसील इन्दापुर, जिला ठाणे
644.	नासिक	नन्दुरबार	अम्बुरुल	इण्डिया सेवा नानखे
645.	नासिक	ठाणे	भिवांडी	इण्डियन चिल्ड्रेन एजुकेशन सोसायटी, चांसीद्रा, भिवांडी
646.	नासिक	ठाणे	ठाणे	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल वर्क्स मैनेजमेंट रिसर्च, ठाणे
647.	नागपुर	गढ़चिरौली	गढ़चिरौली	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ वेलफेयर संस्था
648.	नागपुर	गढ़चिरौली	चारमौसी	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ वेलफेयर संस्था
649.	नागपुर	गढ़चिरौली	आरमोरी	इण्डियन इंस्टीट्यूट ऑफ यूथ वेलफेयर संस्था
650.	नागपुर	नागपुर	सावनेर	इण्डियन मल्टीपरपज, सोसायटी, करनमाड़
651.	नागपुर	नागपुर	नारखेड़	इण्डियन सोशल सर्विस यूनिट ऑफ एजुकेशन, नागपुर
652.	औरंगाबाद	नांदेड़	नांदेड़-वागला	इण्डियन वेलफेयर सोसायटी, मौलाना आजाद नगर, नांदेड़
653.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	इन्दिरा महिला केन्द्र, तकाली (बी), तहसील उस्मानाबाद
654.	औरंगाबाद	लातूर	नीलांगा	इंदिरा समाज सुधारक मंडल, नीतुर
655.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	इंदिरा सेवाभावी संस्था, साडेगांव,
656.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	इंद्रप्रस्थ शिक्षण प्रसारक मंडल, मंडकजेली, तहसील परभनी
657.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	इन्दिरा यावी शिक्षण प्रसारक मंडल, ब्राह्मण गांव, तहसील परभनी
658.	अमरावती	अकोला	अकोला	इन्द्राणी महिला विकास संस्था, होमगार्ड ऑफिस के पास, रजतपुरा अकोला, आकोला
659.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	इन्द्राणी एस.ए. डब्ल्यू.ए. भूसा
660.	औरंगाबाद	नांदेड़	नांदेड़-वाघला	इन्दुमती बहुउद्देश्यीय सेवा भावी संस्था, पावली गिरानी, नांदेड़
661.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	सिरोल	इण्डस्ट्रीज ऐसोसिएशन
662.	नासिक	जलगांव	जलगांव	इंस्टीट्यूट फॉर रूरल डेवलपमेंट एण्ड सोशल सर्विसिज, जलगांव, उत्कर्ष विद्यालय, नेशनल हाइवे नं. 6/28, जीवराम नगर, जलगांव
663.	नासिक	जलगांव	जलगांव	इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस एंड डेवलपमेंट, 63/35, विद्युत कॉलोनी, जलगांव
664.	औरंगाबाद	बीड	बीड	ईश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, गंजपुर

1	2	3	4	5
665.	अमरावती	यवतमाल	दिगरास	इसराम नायक बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, स्थान पोस्ट तिवारी, तहसील दिगरास, जिला यवतमाल
666.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड़	जाभुलबेट सेवा भावी संस्था, ज्वाला तहसील पालम
667.	औरंगाबाद	परभनी	चिन्तुर	जग जगदम्बा मागस वर्गीय महिला मंडल, करणजी
668.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तुर	जगदम्बा ग्रामीण महिला मंडल, भोगांव
669.	अमरावती	यवतमाल	घाटनजी	जगदम्बा महिला मंडल, नृसिंह वार्ड, तहसील घाटनजी, जिला यवतमाल
670.	अमरावती	यवतमाल	पुसाड़	जागर शिक्षण मंडल, सप्तगिरि नगर के नजदीक, रामगिरी नगर, पुसाड़, तहसील पुसाड़, जिला यवतमाल
671.	औरंगाबाद	बीड	बीड	जगदम्बा महिला मंडल, बीड
672.	औरंगाबाद	बीड	बीड	जगदम्बा महिला मंडल, गावंदरा
673.	औरंगाबाद	बीड	बीड	जगदम्बा शिक्षक प्रसारक मंडल, तालवाड़ा
674.	नासिक	जलगांव	रावेर	जागृति महिला मंडल, रावेर
675.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	जागृति महिला मंडल, वारखेड़े बू
676.	औरंगाबाद	बीड	बीड	जागृति सेवा भावी संस्था, तेलगांव
677.	पुणे	पुणे	पुणे	जागृति शिक्षण संस्था, उत्कर्ष नगर, हड़पसार
678.	अमरावती	वसीम	मालेगांव	जय बजरंग बली जी.वी.एस. उमरी
679.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	जय बजरंग बली शिक्षण संस्था, दिगरास बू
680.	नासिक	जलगांव	जलगांव	जय भवानी बहुउद्देश्यीय संस्था, नशीराबाद
681.	नासिक	जलगांव	जलगांव	जय भवानी बहुउद्देश्यीय संस्था, जिपुरी अन्ना प्राइमरी वी.एम. औद्योगिक वसाहट सुप्रीम कॉलोनी, जलगांव
682.	औरंगाबाद	बीड	बीड	जय भवानी सेवा भावी संस्था, टाटलगांव
683.	अमरावती	यवतमाल	दिगरास	जय भोले भजनी मंडल, चिन्चोली नं. 2 मार्फत शास्त्री नगर, तहसील दिगरास, जिला यवतमाल
684.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	जय दुर्गा शैक्षणिक संस्था, चोपड़ा
685.	औरंगाबाद	बीड	बीड	जय हनुमान व्यायामशाला, याजे गांव
686.	कोल्हापुर	सांदली	जाट	जय हनुमान विद्या मंदिर जाट
687.	कोल्हापुर	सांदली	जाट	जय हनुमान विद्या मंदिर जाट
688.	औरंगाबाद	बीड	बीड	जय हिन्द बहुउद्देश्यीय सेवा भावी संस्था, बीड
689.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	जय हिन्द क्रीडा मण्डल, दलिब, तहसील उमरेगा
690.	अमरावती	अकोला	अकोला	जय जगदम्बा माता शिक्षण क्रीड़ा प्रसारक मंडल, अहरेनगर, अकोला

1	2	3	4	5
691.	औरंगाबाद	परभनी	पाथरी	जयकिशन सेवा भावी संस्था, उमारा
692.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	जय महाराष्ट्र महिला मंडल, निरखेल
693.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	जय महाराष्ट्र महिला मंडल, दस्तापुर
694.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	जय महाराष्ट्र महिला मंडल, परभनी
695.	कोल्हापुर	सांगली	खानापुर	जय महाराष्ट्र संस्था, खाड़ेगांव
696.	औरंगाबाद	परभनी	पाथरी	जय महाराष्ट्र, संस्था, परभनी
697.	नासिक	धुले	शिरपुर	जय प्रभा सेवा भावी संस्था, शिरपुर, तहसील शिरपुर
698.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	जय योगेश्वर बहुउद्देश्यीय विकास मंडल, चालीसगांव
699.	नासिक	जलगांव	जलगांव	जय बजरंग बहुउद्देशीय संस्था, हरि विट्ठल नगर, जलगांव
700.	नासिक	जलगांव	भादगांव	जय बजरंग शिक्षण प्रसारक मंडल, बड़गांव
701.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	जय भवानी महिला एवं बाल विकास संस्था
702.	नासिक	ठाणे	ठाणे	जय भवानी रिसर्च एंड एजुकेशनल ट्रस्ट, एन.एन. 1 बी, 88 @ 10 सैक्टर-10, नेरुल, नवी मुम्बई, 400706 फोन नं. 27610331
703.	औरंगाबाद	बीड	बीड	जय भवानी सेवा भावी संस्था, बानेगांव, केज
704.	कोल्हापुर	सतारा	सतारा	जय भवानी युवक एवं सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल, लिंब, तहसील और जिला सतारा
705.	नासिक	ठाणे	भिवांडी	जय दुर्गा सेवा भावी महिला संस्था, भाग्य नगर
706.	पुणे	पुणे	पुणे	जय जवान एजुकेशनल सोसायटी, अमोल पैलेस, माते नगर, वगांव शेरी
707.	अमरावती	अकोला	बरसिताकाली	जय किशन पनलोत क्षेत्र विकास संघ, दगाड़ परवा, तहसील वीटी
708.	औरंगाबाद	परभनी	पाथरी	जय क्रान्ति समाज सेवा संस्था, दिगरास जा
709.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	जाम्ब सेवा भावी संस्था, जाम्ब, तहसील परभनी
710.	औरंगाबाद	लातूर	अहमदपुर	जनाभिमुख ग्रामीण वी.एस.एस. चाकुर
711.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	जनक्रांति सेवा भावी संस्था, दिगरास, जहांगीर
712.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	जनार्दन स्वामी शिक्षक प्रसारक मंडल, वारखेड़े, बीलु, तहसील चालीसगांव
713.	नासिक	धुले	शिंदाखेड़ा	जनसहयोग प्रतिष्ठान दौड़ाईका, तहसील शिंदाखेड़ा
714.	नासिक	धुले	धुले	जन संवाद सेवा भावी विकास संस्था, देवपुर, धुले
715.	नासिक	जलगांव	यवालम	जनता एजुकेशनल सोसायटी, दहीगांव
716.	नासिक	जलगांव	रावेर	जनता शिक्षण प्रसारक मंडल, चुंचले, तहसील यवाल

1	2	3	4	5
717.	पुणे	रायगढ़	श्रीवर्धन	जनता शिक्षण संस्था, बोरली पंचातान
718.	औरंगाबाद	परभनी	पाथरी	जनवादी प्रतिष्ठान, पाथरी
719.	नागपुर	नागपुर	नारखेड़	जनहित बहुउद्देश्यीय वनौषधि शेतकी प्रतिष्ठान संस्था, नारखेड़
720.	पुणे	रायगढ़	महाड़	जनहित एस.एस. महाड़
721.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड़	जनहित सामाजिक संस्था, पेठाशिवानी, तहसील पालम
722.	पुणे	अहमदनगर	अकोला	जनहित शिक्षण प्रसारक मंडल
723.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	हातकनांगले	जनहिताय आदर्श शिक्षण संस्था, पेठ, वाड़गांव
724.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	हातकनांगले	जनहिताय आदर्श शिक्षण संस्था, पेठ, वाड़गांव
725.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	हातकनांगले	जनहिताय आदर्श शिक्षण संस्था, पेठ, वाड़गांव
726.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	हातकनांगले	जनहिताय आदर्श शिक्षण संस्था, पेठ, वाड़गांव
727.	अमरावती	यवतमाल	दिगरास	जनजागृति महिला मंडल, विट्ठल नगर, दिगरास, जिला यवतमाल
728.	नागपुर	नागपुर	सावनेर	जनजागृति महिला मंडल, खुरसगांव
729.	अमरावती	अमरावती	वरुड़	जनजागृति विकास संस्था, साहपुर, तहसील वरुड़, जिला अमरावती
730.	नासिक	ठाणे	अमरनाथ	जनजागृति शिक्षण मंडल, अमरनाथ
731.	नासिक	नन्दुरबार	अम्बुरुल	जनकल्याण बहुउद्देश्यीय
732.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	जनकल्याण जी.एम.एम. हब्दरगुली
733.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	जनकल्याण ग्रामीण विकास मंडल, तड़वाले (के), तहसील उस्मानाबाद
734.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	जनकल्याण ग्रामीण विकास संस्था, अनवाड़े बुदरुक
735.	औरंगाबाद	बीड	बीड	जनकल्याण सेवा भावी संस्था, दौनापुर
736.	औरंगाबाद	बीड	बीड	जनकल्याण सेवा भावी संस्था, घोसापुरी
737.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	जनकल्याण सेवा भावी संस्था, साडेगांव
738.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	जनकल्याण शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी
739.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	जनकल्याण युवक मंडल, औरंगाबाद ब्रांच, पेटसांगवी, तहसील उमेरगा
740.	औरंगाबाद	परभनी	सैलू	जनक्रान्ति शैक्षणिक सेवा संस्था, दिगरास, जहांगीर
741.	कोल्हापुर	सांगली	मिराज	जन लक्ष्मी चैरीटेबल न्यास ए-9/मिथिला नगरी, एस.टी. स्टैण्ड, पीचाडीस, सांगली
742.	अमरावती	अमरावती	अनजानगांव	जनमे देवी बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, बोरला, तहसील अनजान गांव, जिला अमरावती

1	2	3	4	5
743.	नासिक	धूले	शिंदाखेड़ा	जनसंवाद सेवाभावी विकास संस्था, देवपुर, धुले, मुकाम पोस्ट धुले, तहसील और जिला धुले
744.	अमरावती	यवतमाल	दिगरास	जनसेवा आरोग्य शिक्षण वी प्रसारक मंडल, गांधी नगर, तहसील दिगरास, जिला यवतमाल
745.	पुणे	शोलापुर	साउथ शोलापुर	जनसेवा बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था
746.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	जनसेवा एजुकेशनल सोसायटी, खुलाली
747.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	भूम	जनसेवा ग्रामीण विकास संस्था, उलूप, तहसील भूम
748.	कोल्हापुर	सांगली	खानापुर	जनसेवा प्रतिष्ठान वीटा
749.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	जनसेवा प्रतिष्ठान, चोपड़ा
750.	अमरावती	वसीम	वसीम	जनता बहुउद्देश्यीय शिक्षक प्रसारक मंडल, कोंडला महाली
751.	औरंगाबाद	नांदेड़	नांदेड़-वामला	जनता विकास प्रकल्प, नांदेड़
752.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	जनता राज बहुउद्देश्यीय विद्या प्रसारक शैक्षणिक मंडल, तहसील चालीसगांव
753.	पुणे	रायगढ़	मानगांव	जनवादी यूथ फेडरेशन मानगांव, तहसील मानगांव
754.	नासिक	जलगांव	जामनेर	जनविकास संस्था, जामनेर
755.	औरंगाबाद	लातूर	औसा	जरापते बहुउद्देश्यीय सेवा संस्था, औसा
756.	नासिक	ठाणे	भिवांडी	जरीमारी मित्र मंडल, फालेगांव
757.	नासिक	जलगांव	धारणगांव	जवाहर शिक्षण प्रसारक मंडल, धारणगांव
758.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	जवाहर युवक क्रीड़ा मंडल, भीमनगर, उस्मानाबाद
759.	अमरावती	अमरावती	चिखलमरा	जवाहर सेवा मंडल, चिखलदरा
760.	नासिक	उस्मानाबाद	ठाणे	जवाहर तालुका सहकारी आदिवासी भगिनी, उद्योग संघ लिमिटेड जवाहर
761.	नासिक	जलगांव	पचोरा	जय अम्बिका शिक्षण प्रसारक मंडल, वडगांव, अम्बे
762.	पुणे	रायगढ़	पेन	जय बजरंग सामाजिक विकास संस्था, पेन
763.	नासिक	ठाणे	भिवांडी	जय बजरंग संस्था
764.	अमरावती	यवतमाल	दिगरास	जय भवानी मंडल, संभाजी नगर, दिगरास, तहसील दिगरास, जिला यवतमाल
765.	नासिक	जलगांव	जाओगांव	जय दुर्गा भवानी शिक्षण मंडल, नीलकंठ नगर, जलगांव
766.	अमरावती	यवतमाल	दिगरास	जय ज्योति बाबा बहुउद्देश्यीय महिला मंडल, महेश नगर दिगरास, जिला यवतमाल

1	2	3	4	5
767.	पुणे	शोलापुर	करमला	जय महाराष्ट्र मित्र मंडल, करमला
768.	नासिक	उस्मानाबाद	कलाम	जय महिला मंडल, ता. कालंब, जिला उस्मानाबाद
769.	अमरावती	अमरावती	अचलपुर	जयश्री शिक्षण संस्था परातवाड़ा, ता. अचलपुर, जि. अमरावती
770.	अमरावती	यवतमाल	दरवा	जय बजरंग व्यामशाला, तालेगांव, ता. दरवाहा, जि. यवतमाल
771.	नागपुर	नागपुर	सावनेर	जय भारत शिक्षण प्रसारण मंडल, केलवाड़
772.	पुणे	शोलापुर	अकलकोट	जय भवानी बहुउद्देश्यीय सेवाभावी संस्था, हन्नूर
773.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	जय भवानी महिला एवं बाल विकास संस्था पनेहरा
774.	औरंगाबाद	लातूर	औसा	जय भवानी सेवा संघ, खानपुर
775.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	भूम	जय भवानी ग्रामीण विकास मंडल, भवनवाड़ी, ता. भूम
776.	पुणे	अहमदनगर	जामखेड	जय चौरस युवक मंडल, जामखेड
777.	पुणे	शोलापुर	मधा	जय हनुमान बहुउद्देश्यीय संस्था जमगांव, ता. माधा
778.	औरंगाबाद	परभनी	जिंतूर	जय हिंद व्यायामशाला, भूगांव
789.	पुणे	शोलापुर	पौंदरपुर	जयजवान जयकिशन भाला एवं क्रिड़ामंडल, नारायण चिनचोली
780.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	जय क्रांति बहुउद्देश्यीय सेवा संघ
781.	औरंगाबाद	परभनी	जिंतूर	जय कुमार जी जैन सार्वजनिक वाचनालय, बौरी
782.	औरंगाबाद	लातूर	उधगीर	जय मलहार, एस.पी.एम. देवराजन
783.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	जय मलहार चारी ट्रस्ट मुरुड़
784.	औरंगाबाद	लातूर	अहमदपुर	जय मलहार एस.एस. चाकुर
785.	नागपुर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	जय मराठा शिक्षण संस्था जुनोने रोड़ बाईपास, चन्द्रपुर
786.	पुणे	शोलापुर	मलसिरास	जयविजय सार्वजनिक वाचनालय पराईल, ता. मलसिरास
787.	नासिक	जलगांव	भुसावल	जीवन अधन्य ट्रस्ट नासिक
788.	अमरावती	अकोला	अकोला	जीवन आशा, संजय गांधी नगर, अकोला
789.	नासिक	धूले	साकरी	जीवन ज्योति फूले एजुकेशन सोसायटी, ब्राह्मणवेल
790.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	जीवन प्रगति महिला मंडल, परभनी
791.	कोल्हापुर	सितारा	सितारा	जीवनआशा चैरीटेबल ट्रस्ट, मुम्बई
792.	नासिक	जलगांव	चौपड़ा	जीवनधारा जी.वी.एस. आडवाड
793.	कोल्हापुर	सितारा	सितारा	जीवनधारा ग्राम विकास प्रतिष्ठान, काप्से
794.	कोल्हापुर	सितारा	खरगौन	जीवनधारा ग्राम विकास प्रतिष्ठान, काप्सी

1	2	3	4	5
795.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	जीवन विकास संस्था जाट
796.	अमरावती	यवतमल	अमी	झासीची रानीं बहुउद्देश्यीय संस्था, मॉर्फत रेहाना पुलिस स्टेशन के पास, अरानी
797.	पुणे	शोलापुर	मलसिरास	जीजाबाई महिला चैरिटेबल ट्रस्ट पिलीव
798.	अमरावती	यवतमल	उमरखेड़	जीजाई शिक्षण प्राथमिक मंडल, जवाहर वार्ड, उमरखेड़, ता. उमरखेड़, जि. यवतमाल
799.	अमरावती	अकोला	अकोला	जीजामाता मगास्वर्गीय महिला मंडल, आर्दश कालोनी, अकोला
800.	अमरावती	अकोला	अकोला	जीजामाता महिला मंडल दालांबी, ता. अकोला
801.	औरंगाबाद	परभनी	जिंतूर	जीजामाता महिला मंडल, लीम्बाला
802.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	जीजामाता महिला मंडल, सारंगपुर, ता. परभनी
803.	पुणे	सोलापुर	मलसिरास	जीजामाता महिला एस.एस. संस्था मर्यादित, शोलापुर
804.	औरंगाबाद	लातूर	अहमदपुर	जीजामाता एस.पी.एम., अहमदपुर
805.	औरंगाबाद	परभनी	गनखेड	जीजामाता सेवा भावी महिला मंडल, बनवास
806.	औरंगाबाद	भीड	भीड	जीजामाता सेवा भावी संस्था, बढ़गांव गुंन्धा
807.	औरंगाबाद	भीड	भीड	जीजामाता सेवा भावी संस्था, बानगी
808.	कोल्हापुर	सांगली	मिराज	जीजामाता शिक्षण संस्था तकली
809.	नासिक	जलगांव	भुसवाल	जीजामाता विद्यापीठ शाखा, वराडसीम
810.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमरगा	जीजाउ महिला बहुउद्देश्यीय मंडल, मकनी, ता. लोहारा
811.	औरंगाबाद	परभनी	पुरना	जीजाउ महिला मंडल तडकलास
812.	नासिक	जलगांव	पचौरा	जीजामाता बहुउद्देश्यीय शिक्षण मंडल, पचौरा
813.	औरंगाबाद	प्रभानी	जिन्तूर	जिन्तूर महिला शिक्षण संस्था, जिन्तूर
814.	पुणे	शोलापुर	बार्सी	जीवन आशा चेरिटेबल ट्रस्ट, नासिक
815.	पुणे	शोलापुर	बार्सी	जीवन आशा चेरिटेबल ट्रस्ट, शोलापुर
816.	पुणे	शोलापुर	उत्तरी शोलापुर	जीवन विकास शि.प्रा. मंडल, शोलापुर
817.	नासिक	थाणे	भिवाडी	जीवन दीप एस एस पोह, चावार
818.	औरंगाबाद	बीड	बीड	जीवन दीप सेवा भावी संस्था, बीड
819.	अमरावती	यावतमल	उमरखेड	जीजा माता बी.वी. मंडल, सन चोखा मेला वार्ड, उमरखेड, तालुक उमरखेड, जिला इलावतमल
820.	नासिक	जलगांव	पचौरा	जनाना प्रबोधिनी जन सेवा फाउंडेशन, पाहोरा

1	2	3	4	5
821.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड	जौहर एजूकेशन टेक्नीकल एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, खडगपुर, नांदेड
822.	औरंगाबाद	यावतमल	दिगरस	ज्योतिबा जी.वी.एस. संस्था, घनूरा, पोस्ट तिवारी, ताल, दिगरस, जिला-यावतमल
823.	नासिक	जलगांव	जलगांव	जूनियर जागृति मित्रमण्डल, हरिविठल नगर, जलगांव
824.	पुणे	पुणे	जुनार	जुनार सोशियल ग्रुप, रविवारपेठ, जुनार, जिला-थाणे
825.	नासिक	थाणे	भिवाडी	जवाली क्रिडा मण्डल, शिवसेना ऑफिस के निकट, कामथगढ़
826.	अमरावती	यावतमल	दरवाह	ज्योति बहुउद्देश्यीय शिक्षण प्राथमिक मंडल, सी/ओ, कृष्णगुलहाने तेलीपुर, तालुक दरवा, जिला-यावतमल
827.	पुणे	शोलापुर	आकलकोड	के अन्ताराव पाटिल सी एण्ड सेवा मण्डल, सेगांव
828.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड	के. मारियम एजूकेशन एण्ड वेलफेयर सोसाइटी, सैदानगर, नांदेड़
829.	पुणे	शोलापुर	मोहुल	के. शंकरराव मोहिते पाटिल प्रसारक मण्डल, सैंताफल
830.	पुणे	शोलापुर	द. शोलापुर	के. विठल रामाप कोर, सीप्राभा, भण्डार खावाथे
831.	अमरावती	वासिम	मालेगांव	के एस धाने, जी.वी.एस. चारांगी, तालुक मालेगांव
832.	नासिक	जलगांव	अमलनेर	के न्यू पाटिल बहुउद्देश्यीय शिक्षण प्रसारक संस्था, आलमनेर
833.	औरंगाबाद	प्रभानी	प्रभानी	कादरिया एजुकेशन सोसाइटी, जिन्तूर
834.	नासिक	जलगांव	अमलनेर	काई आर.जेड. पाटिल, बहुउद्देश्यीय संस्था, वावेड
835.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद	काई अब्दुल सलाम पठान ग्रामीण विकास संस्था, गढ़ जलगांव, तालुक औरंगाबाद
836.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	काई अभिजीत दि कदम कलाक्रीड़ा मंडल उमडी
837.	नासिक	जलगांव	जलगांव	काई अन्नासाहेब बी.वी. बहुउद्देश्यीय संस्था, कांधारी
838.	नासिक	जलगांव	जलगांव	काई अप्पासाहेब विश्वराव भालेराव प्रतिष्ठान संस्था, जलगांव
839.	अमरावती	वासिम	वासिम	काई आत्माराम पाटिल बहुउद्देश्यीय संस्था, कोही
840.	नासिक	थाणे	विक्रमगढ़	काई बाबू घोले, शिक्षण मण्डल, देवलीवाडा
841.	औरंगाबाद	नांदेड़	विक्रमगढ़	काई बाबू जगजीवनराम शिक्षण पी मंडल, नांदेड
842.	औरंगाबाद	बीड	बीड	काई घामूला बानेक सेवाभावी संस्था, भोगलगांव
843.	पुणे	अहमदनगर	नेवासा	भाई मोतीराम मल्हार गुरुजी ग्रामीण संस्था, घोडेगांव
844.	औरंगाबाद	बीड	बीड	काई पुन्जाई महिला सेवाभावी संस्था, भोगलगांव

1	2	3	4	5
845.	औरंगाबाद	बीड	बीड	काई शंकरराव साथे शिक्षण प्रसारक मण्डल, पाटोडा
846.	औरंगाबाद	बीड	बीड	काई शुभद्राबाई बहु सेवाभावी संस्था
847.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड	काई उल्लास मेमोरियल ट्रस्ट, कंधार, जिला-नांदेड़
848.	औरंगाबाद	बीड	बीड	काई बामनबाहु सेवाभावी संस्था, काम्बी
849.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	काई अनुसायाबाई सेवाभावी संस्था, जोधपार्ली
850.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	काई हरिबाथई वारपुडकर ग्रामीण महिला मंडल, परभनी
851.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	काई कौशल्या सेरे सार्वजनिक वाचनालय ताडलीमाला, तालुक परभनी
852.	नासिक	जलगांव	चोपडा	काई एन.वी. एडगांव
853.	नासिक	नंदरबार	अम्बूरूल	काकेश्वर विद्या प्रसारक संस्था
854.	कोल्हापुर	सतारा	खातव	कालेश्वर महिला मण्डल कतरखातव
855.	औरंगाबाद	लातूर	औसा	कल्पनाबाहु एस.एस. हिमासाबाद
856.	औरंगाबाद	लातूर	औसा	कल्पतरू सेवा संघ, उजानी
857.	नासिक	जलगांव	अमलनेर	कल्सतारे विद्या प्रसार संस्था, कलनसारे
858.	नासिक	जलगांव	पचौरा	कमल बहु शिक्षण मण्डल, पचौरा
859.	पुणे	पुणे	शिरूर	कमलबाई आदिवासी सेवा मण्डल, आबल, तालुक-शिरूर, जिला-थाणे
860.	नासिक	जलगांव	जलगांव	कमलबाई बाहु संस्था, इन्द्रप्रस्थ, 23/2, जलगांव
861.	नासिक	जलगांव	जलगांव	कमलबाई बहुउद्देश्यीय संस्था, जलगांव
862.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	परानंदा	कामधेनु ग्राम विकास संस्था, गोलेगांव, तालुक परनाडा
863.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	कामेल एजूकेशन एवं वेलफेयर सोसाइटी
864.	औरंगाबाद	बीड	बीड	कानिफनाथ सेवाभावी संस्था, बोरगेवास्थी
865.	औरंगाबाद	बीड	बीड	कानिफनाथ सेवाभावी संस्था, शिरारपुर घाट
866.	नासिक	थाणे	मुरबाद	कानकन तिरुपति महिला मंडल, खारडी, शाहपुर
867.	नासिक	थाणे	मीरा-भंडर	कानसिन बद्रीदन नरवत एजूकेशन ट्रस्ट, बायनदर(ई), जिला थाणे
868.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	कपटन, एकेडमी शैक्षणिक संस्था, चालीसगांव
869.	नासिक	नासिक	नासिक	कर्म शिक्षण संस्था, नासिक, प्रबुद्ध विद्या, दिनदोरी रोड, मसरूल
870.	औरंगाबाद	परभनी	पथारी	कर्मभूमि सेवाभावी संस्था, रामपुरी बीयू
871.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	कर्मभूमि सेवाभावी संस्था, रामपुरी बीयू तालुक मानवात

1	2	3	4	5
872.	पुणे	शोलापुर	आकलकोड	काशीराम काका सर्व वाचनालय
873.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	ऐकलाकरंजी	केशव बाबू जावाले पाटिल शिक्षण संस्था
874.	नासिक	नंदरबार	अम्बूरूल	खादी सखा शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक मंडल
875.	नासिक	नंदरबार	अम्बूरूल	खादी विवेकानन्द
876.	औरंगाबाद	बीड	बीड	खाजा मागदुम सेवाभावी संस्था, पातरूद्ध
877.	अमरावती	वासिम	मालेगांव	खामीराव पाटिल बहुउद्देश्यीय एस. धामन
878.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	खानदेश बहुउद्देश्यीय शैक्षणिक संस्था, लोंध, तालुक चालीसगांव
879.	नासिक	थाणे	भिवाडी	खानदेश विदर्भ मित्रमंडल, चन्दनबाग, कामथगढ़
880.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुलजापुर	खानदोबा देवस्थान ट्रस्ट, अंदूर, तालुक तुलजापुर
881.	कोल्हापुर	सतारा	खातव	खातव तालुका शिवाजी उदयमण्डल वादूज, तालुक खातव
882.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगाह	खेडी ग्राम विकास मंडल, बेलाम, तालुक उमरगाह
883.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वघाला	खुर्शी अली काउ सोशल वूलफेयर एंड एजूकेशन सोसाइटी नांदेड
884.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तूर	खुशबू महिला मंडल, पथारी
885.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	खुशबू महिला मंडल, पथारी
886.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	खुशबू महिला मंडल, पथारी
887.	औरंगाबाद	परभनी	पथारी	खुशबू महिला मंडल, पथारी
888.	नासिक	धुले	सिरपुर	की डा. भरतसिंह कीडा मंडल, एमयू पो. बोराडी, टीए सिरपुर
889.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	की लक्ष्मणराव खोबे शिक्षण संस्थान, परभनी
890.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तूर	की लिम्बाजीरो बुधावन्त सेवाभावी संस्थान, परभनी
891.	नासिक	धुले	सकरी	की मातोश्री गीताबाई राजाराम देवेरा शैक्षणिक मंडल, महासादी, टीए. साकरी
892.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	की विजय गुडेवार ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, परभनी
893.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	की विजय गुंडेवार ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, सोनपेट
894.	नासिक	जलगांव	रावर	किरन शिक्षण प्रसारक संस्था, नागपुर शाखा, रेवर
895.	नासिक	थाणे	भिवाडी	किरन वूमन वेलफेयर सोसाईटी, 78, थाणे, रोड, भिवांडी
896.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तूर	किसान शिक्षण प्रसारक मंडल, वास्सा
897.	कोल्हापुर	रत्नागिरी	मांडेनगढ़	कोकन जागृति केन्द्र
898.	पुणे	अहमदनगर	कोपरगांव	कोपारगांव शिक्षण मंडल

1	2	3	4	5
899.	औरंगाबाद	परभनी	पथारी	कोटेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, कोल्हा
900.	नागपुर	चन्दरपुर	मूल	करनखाति ज्योति सावित्रीबाई फूले महिला शिक्षण प्रसारक मंडल, मूल
901.	नासिक	जलगांव	धारनगांव	क्रांति ज्योति सावित्री महिला बहुउद्देश्यीय संस्था, जलगांव
902.	पुणे	अहमदनगर	सिरगोंडा	क्रांति ज्योति प्रतिष्ठान, धारगांव
903.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	ऐकलाकरंजी	क्रांति शिक्षण संस्था, एन.पी. एचालकरंजी
904.	नासिक	थाणे	भिवाडी	क्रांति ज्योति, महिला मंडल, कामतगड, भिवाडी
905.	नागपुर	नागपुर	नरखेड	क्रांतिसूर्य प्रबोधन मंडल, नारखेड
906.	नासिक	नासिक	नासिक	क्रांतिवीर कला केन्द्र, दत्तानगर, पेथरोड, पंचवटी, नासिक-3
907.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	क्रांतिवीर उणाजी नायक, आदिवासी विकास मंडल, तकली पी.सीएच.
908.	कोल्हापुर	सांगली	मिराज	क्रांतिवीरूमाजी नायक ट्रस्ट, मिराज
909.	पुणे	शोलापुर	मालशिरास	क्रीडा एवं व्यायाम मंडल, मिराज
910.	औरंगाबाद	बीड	बीड	कृष्णा केन्द्र सेवा वाचनालय, मण्डल
911.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तूर	कुलसवामिनी सेवा प्रतिष्ठान, बोरडी
912.	औरंगाबाद	परभनी	पथारी	कुलसवामिनी, जिन्तूर
913.	अमरावती	अकोला	अकोला	कुरेशी समाजसेवा सोसाइटी, कसबपुर, अकोला
914.	नागपुर	भंडारा	भंडारा	कुसुमताई बहुउद्देश्यीय संस्था, सालेवाडी
915.	औरंगाबाद	लातूर	उदगिर	लाजूबी उस्ताद एस एस टी एम वाई
916.	कोल्हापुर	सतारा	पहलटन	लायोम क्लब टहलटन
917.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	लक्ष्मी महिला मंडल गिरगांव
918.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	लक्ष्मी महिला मंडल गिरगांव
919.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	लक्ष्मी महिला मंडल गिरगांव
920.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	लक्ष्मी महिला मंडल गिरगांव
921.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	लक्ष्मी महिला मंडल गिरगांव
922.	अमरावती	यावतमल	यावतमल	लक्ष्मीबाई वानखेडे बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, अम्बिका नगर, यावतमल
923.	नासिक	जलगांव	टीनेस	लक्ष्मीनारायण शिक्षण प्रसारक मंडल, जामनेर
924.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुलजापुर	स्वर्गीय अम्बूमाता लोमटे शिक्षण संस्था, सारगारा (डी आई), तालुक, टुल्जापुर

1	2	3	4	5
925.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेर	स्वर्गीय बालीराम जी विषय पाटिल सेवाभावी संस्था, पिंपरी
926.	औरंगाबाद	परभनी	पुरना	स्वर्गीय दत्ताराव गरूड शिक्षण प्रसारक मंडल, तालुक परभनी, जिला-परभनी
927.	नासिक	थाणे	कल्याण	स्वर्गीय जी जी बोहर, शिक्षा मंडल, गंगा अपार्टमेंट, शिवाजी पार्क, ठाकुरवाडी, दूमली (ई)
928.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	स्वर्गीय गणेश दास देशमुख शिक्षण संस्था, महेन्द्र कालोनी के पीछे, अठखेरे, अमरावती
929.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	स्वर्गीय गणेश दास देशमुख शिक्षण संस्था, महेन्द्र कालोनी के पीछे, अठखेरे, अमरावती
930.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेर	स्वर्गीय गोपीनाथ राव यांकतराव पांडुले शिक्षण संस्था एण्ड सेवाभावी संस्था, नारवाडी
931.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	स्वर्गीय जानाबाई चवान आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल, शिवाजी नगर, गंगखेर
932.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेर	स्वर्गीय जानाबाई चवान आदर्श शिक्षण प्रसारक मंडल, शिवाजी नगर, गंगखेर
933.	नासिक	थाणे	भिवाडी	स्वर्गीय कचरु मुकाडम एजूकेशन ट्रस्ट, कोन, भिवाडी
934.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुलजापुर	स्वर्गीय माधव राव नावडे वाचनालय विजनवाडी, तालुक तुलजापुर
935.	औरंगाबाद	परभनी	पुरना	स्वर्गीय माधव राव पाटिल चेरीटेबल ट्रस्ट, गोलगांव, तालुक पूरना
936.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेर	स्वर्गीय मरावोतराव खेडकर सार्वजनिक वाचनालय, शेखराजू
937.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	स्वर्गीय निर्मलबाई लकड़े बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, दस्तूरनगर, अमरावती के पास, एम एम सी स्कूल संख्या-11
938.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	स्वर्गीय रामराव सोलंकी शिक्षण प्रसारक मंडल, सिरूसी, बीयू तालुक गलाखेड
939.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	स्वर्गीय साहू राव पाटिल शैक्षणिक संस्था, आलनदा, तालुक परभनी
940.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमरगाह	स्वर्गीय स्वतंत्र सैनिक विश्वासनाथराव गायकवाड बहुउद्देश्यीय संस्था, उमरेगा
941.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेर	स्वर्गीय विष्णुपंत और तात्यां कुलकर्णी सार्वजनिक वाचनालय, मानतादेवी, जिला गंगाखेड
942.	नासिक	जलगांव	बाढगांव	स्वर्गीय अपासो पी डी पी एस टी एम, गुथे
943.	नासिक	जलगांव	मकताईनगर	स्वर्गीय भगवान भावदूसेत खेवालकर सी टी एम नगर
944.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	स्वर्गीय दत्ता राव गरूड शिक्षण प्रसारक मंडल, पिंगाली तालुक परभनी

1	2	3	4	5
945.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	स्वर्गीय स्वास्थाई पंडित राव देशमुख शिक्षण संस्था, जारी, तालुक परभनी
946.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेर	स्वर्गीय विजयगुंडेवार ग्रामीण विकास प्रतिष्ठान, सोनपेठ
947.	नासिक	जलगांव	धारनगांव	स्वर्गीय वाई बी पाटिल, शिक्षण प्रसारक मंडल, तलाई
948.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	स्वर्गीय एड टोलबाराव गवानी शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी
949.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेर	स्वर्गीय भागीरथी नीरस सेवाभावी संस्था, पादेगांव
950.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	लातूर हितवर्धक बहुउद्देश्यीय समाज सेवा संघ, लातूर
951.	औरंगाबाद	परभनी	सैलू	लक्ष्मीबाई महिला मंडल, सेलू
952.	नासिक	धुले	सकरी	लाईफलाईन स्पेशल सोसाइटी, चाडवेल, कोरडे
953.	पुणे	शोलापुर	मांगलवेडा	लाईस क्लब, पंधारपुर
954.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	पैथन	लोकमान्य प्रतिष्ठान, इनामदार निवास, रंगहास्ती, विद्याधन पुलिस स्टेशन के पास, पैथन
955.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	लोक शिक्षण प्रसारक मंडल, लोहागांव
956.	नासिक	थाणे	उल्लासनगर	लोक उत्कर्ष संस्था समतानगर, उल्हासनगर 4, जिला थाणे
957.	औरंगाबाद	परभनी	पथारी	लोक विकास क्रांति, पैथारी
958.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	लोक विकास क्रांति, पैथारी
959.	औरंगाबाद	बीड	बीड	लोक आरोग्य बहुउद्देश्यीय सेवाभावी संस्था, पिंपलनेर
960.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	लोकदीप मानव विकास संस्था, परभनी
961.	नासिक	थाणे	अम्बरनाथ	लोक कल्याण शीक्षण प्रसारक मण्डल, उल्हासनगर
962.	नासिक	थाणे	उल्लासनगर	लोक कल्याण शिक्षण प्रसारक मंडल, उल्हासनगर-4, जिला-थाणे
963.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेर	लोकल यांकरी सेवाभावी संस्था, शेखराजपुर
964.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	लोक मंच सेवाभावी संस्था, गंगाखेड-65
965.	कोल्हापुर	सांगली	वीटा	लोकमान्य एच वाई पाटिल ट्रस्ट, वीटा
966.	कोल्हापुर	सांगली	वीटा	लोकमान्य एच वाई पाटिल ट्रस्ट, वीटा
967.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमरगाह	लोकमान्य तिलक बहुउद्देश्य शिक्षण प्रसारक मंडल, मुरूम, उमेरगाह
968.	कोल्हापुर	सतारा	पहलटन	लोकमत प्रतिष्ठान टहलटन
969.	पुणे	शोलापुर	अकलकोड	लोकप्रेम ग्राम विकास सेवाभावी संस्था, अकलकोट
970.	नासिक	नासिक	नासिक	लोकसेवा सामाजिक संस्था, महात्मा फूले नगर, पेठरोड, पंचवटी, नासिक-3

1	2	3	4	5
971.	औरंगाबाद	लातूर	निलंगा	लोकशाहिर अन्नाबाहू साथे, जेवारी
972.	पुणे	अहमदनगर	पथारी	लोकशाहिर अन्नाबाहू साथे प्रतिष्ठान, तनपुरवारी
973.	कोल्हापुर	सांगली	वलवा	लोकशाहिर अन्नाबाहू साथे विकास मंडल, एनडोली
974.	अमरावती	वासिम	मालेगांव	लोकशाहिर अन्नासाथे एस पी एम वारूड, जारूल्का
975.	पुणे	अहमदनगर	अहमदनगर	एलटी कुलशुभहारवा मल्टीपरपज काउ नगर
976.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमरगाह	लुम्बनी महिला मंडल, औरड, तालुक-उमेरगाह
977.	पुणे	शोलापुर	मंगलवेडा	एम फूले ग्रामीण संस्था, निनबोनी
978.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वघाला	एम इस्माइल नवाब एजूकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, नांदेड
979.	पुणे	शोलापुर	बार्सी	एम क्रिडा शैक्षणिक, सांस्कृतिक एंड सामाजिक कार्य बहुउद्देश्यीय संस्था, बैराग
980.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वघला	एम शकील से सं. मकडूम नगर, नांदेड
981.	नासिक	जलगांव	जमनेर	एम जी वी एस, हिवरखेड, बुदरक
982.	अमरावती	अकोला	अकोला	एम गांधी माइनोरिटी एजूकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी, लक्ष्मीनगर, जूनशहर, अकोला
983.	नासिक	जलगांव	जमनेर	एम जे टी एस, घिवरखेड ब्यू
984.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	एम ज्योतिबा फूले शिक्षण संस्था, ताकविकी, तालुक उस्मानाबाद
985.	नासिक	जलगांव	यावलम	एम एन ए वी एस ए ब्रांच, यावल
986.	अमरावती	अकोला	अकोला	एम एन सी, एस एन शिक्षक संस्था, सुधीरकालोनी, अकोला
987.	नासिक	जलगांव	परोला	एम टी एस मंडल, कर्माड ब्यू
988.	नासिक	जलगांव	जमनेर	एम पी एस एच एस, पाहूर
989.	पुणे	शोलापुर	मधाह	एम पी एस एस शैक्षणिक क्रीडा मंडल, वादशिडो, तालुक माधा
990.	अमरावती	यावतमल	दिगरस	एम फूले बहुउद्देश्यीय बी संस्था, देवगांव, तालुक चंदूर रेलवे, जिला अमरावती
991.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	पारनडा	एम फले बहुउद्देश्यीय विकास संस्था, इनगोंडा, तालुक परनाडा
992.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	एम फूले सामाजिक एण्ड शैक्षणिक विकास मंडल, चालीसगांव
993.	नासिक	जलगांव	यावलम	एम वी एस पी वधोडे
994.	नासिक	नासिक	मालेगांव	एम/एस असगर एजूकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी दत्तानगर
995.	नासिक	थाणे	जवाहर	मा साहिब एजूकेशन संस्था, जवाहर
996.	अमरावती	यावतमल	प्रसाद	मां काशी बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, विश्राम गृह के पीछे, तालुक प्रसाद, जिला यावतमल

1	2	3	4	5
997.	अमरावती	यावतमाल	दिगरस	मदर टेरेसा महिला मंडल, एम.पी. शकारा, तालुक दिगरस, जिला यवतमाल
998.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	माधव एस.पी.एम.
999.	औरंगाबाद	परभनी	गंगारखेड	माधवराव पाटिल चैरीटेबल ट्रस्ट, गोलगांव
1000.	औरंगाबाद	परभनी	जिंतूर	मधुकरजी युगे सेवाभावी संस्था, जिंतूर
1001.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	मदरसा अरेबिया, चोपड़ा
1002.	नासिक	जलगांव	इरानडोल	मदरसा मोहनदिया अरेनिया, कसौडा
1003.	अमरावती	यवतमाल	दिगरस	मागरस वेरिग्य बाहु.वी. संस्था, वैभगनगर, दिगरस, जिला यवतमाल
1004.	औरंगाबाद	बीड	बीड	भागसवरिष्ठ कर्मचारी महासंघ, बीड
1005.	नागपुर	भंडारा	कोहाडी	भागसवरिष्ठ महिला संस्था
1006.	नागपुर	भंडारा	भंडारा	भागसवरिग्य महिला संस्था
1007.	अमरावती	यवतमाल	प्रसाद	मागसवारिग्य मुस्लिम विकास संस्था, मालीपुर, मुजिद वार्ड, प्रसाद, तालुक प्रसाद, जिला यवतमाल
1008.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मगसवारिग्द प्रियदर्शिती सेवाभावी, संस्था
1009.	अमरावती	यवतमाल	प्रसाद	मागसतारिग्य समाज कल्याण एजूकेशन सोसाइटी, आजाद वार्ड, प्रसाद, तालुक प्रसाद, जिला यवतमाल
1010.	औरंगाबाद	लातूर	औसा	मागसवारिग्य सेवा संस्था, फिलीथोट
1011.	अमरावती	यवतमाल	प्रसाद	मगमतादिक्य वविता मंडल, दातकेश्वर वार्ड, प्रसाद, जिला यावतमल
1012.	नासिक	नांदरबार	तालौड़ा	मागसवारिग्य सर्वक्षणा
1013.	औरंगाबाद	उम्मानबाद	उमेरगा	महादेव सार्वजनिक वाचनालय, इंदराल, तालुक उमेरगा
1014.	औरंगाबाद	बीड	बीड	महादेवी सेवाभावी संस्था, लाहामेवाडी
1015.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	महाकालाी शिक्षण संस्था, सरोज कालोनी, अमरावती
1016.	नागपुर	नागपुर	नागपुर	महालक्ष्मी बहुउद्देश्यीय संस्था, सावनेर
1017.	पुणे	शोलापुर	दक्षिण शोलापुर	महालक्ष्मी बहुउद्देश्यीय विद्या विकास संस्था
1018.	पुणे	शोलापुर	बीरसी	महालक्ष्मी बहुउद्देश्यीय विद्या विकास संस्था, दोमबाट जावालगे
1019.	पुणे	शोलापुर	आलककोट	महालक्ष्मी बहुउद्देश्यीय विद्या विकास सेवा
1020.	पुणे	शोलापुर	उत्तर शोलापुर	महालक्ष्मी बहुउद्देश्यीय विद्या विकास सेवा
1021.	नासिक	जलगांव	परोंवाड	महालक्ष्मी बहुउद्देश्यीय शिक्षण मंडल, पारोला
1022.	पुणे	शोलापुर	पंढारपुर	महालक्ष्मी बहुउद्देश्यीय संस्था

1	2	3	4	5
1023.	पुणे	शोलापुर	आलककोट	महालक्ष्मी बहुठद्देश्यीय संस्था
1024.	पुणे	शोलापुर	बारसी	महालक्ष्मी बहुउद्देश्यीय विद्या विकास संस्था, दोकबार, जावालगे
1025.	पुणे	सोलापुर	मोलसीरस	महालिंगेश्वर दुध व्यातासी संस्था, कुडुस
1026.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	महाराणा प्रताप बहुउद्देशीय शैक्षणिक संस्था, चालीसगांव
1027.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	महाराष्ट्र बाहु. वी.के., हादरगुली
1028.	पुणे	पुणे	पिंपरी-छिंदवाड़ा	महाराष्ट्र एजुकेशन एंड मेडिकल फाउंडेशन यमुनानगर, निगडी
1029.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	महाराष्ट्र जन कल्याण शिक्षण संस्था, जलपूर्ति कालोनी, अमरावती
1030.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	महाराष्ट्र जनकल्याण शिक्षण संस्था, जलपूर्ति कालोनी, अमरावती
1031.	पुणे	पुणे	पिंपरी-छिंदवाड़ा	महाराष्ट्र जिला विकास शिक्षण संस्था, 2/12 हाइवे, छिंदवाडा, पुणे-19
1032.	अमरावती	अकोला	अकोला	महाराष्ट्र महिला विकास संस्था, समता नगर, कैलास टेकड़ी, अकोला
1033.	औरंगाबाद	बीड	बीड	महाराष्ट्र राज्य मुस्लिम इमराड़ी संस्था, गेवारी
1034.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुज्जापुर	महाराष्ट्र शिक्षण प्रसारक मंडल, देवकुसी, ताल तुल्जापुर
1035.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	महर्षि सुदर्शन नवयुवक व्यायाम एंड क्रीड़ा मंडल, सुदर्शन नगर, बोध कालोनी, फैजरपुर, अमरावती
1036.	औरंगाबाद	बीड	बीड	महर्षि विट्ठल शिंदे सेवाभावी संस्था, पिंपारी
1037.	नासिक	धुले	धुले	महात्मा ज्योति फुले संस्कृति क्रीड़ा मंडल, बोरकुड, एम.यू.पी.ओ. बोरकुड, जिला धुले
1038.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	महात्मा फुले एजुकेशन सोसाइटी, प्रभावी
1039.	औरंगाबाद	परभनी	जिंतूर	महात्मा ज्योतीबा फुले सेवाभावी संस्था, कोक
1040.	औरंगाबाद	परभनी	पुरना	महात्मा बसेश्वर सेवाभावी संस्था, फुलकालास, पिरना
1041.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	महात्मा गांधी ग्रामीण वाचनालय, बादरवाडी
1042.	पुणे	पुणे	पुणे	महात्मा गांधी मित्रमंडल, लालजायवासाहटा, पदमावती
1043.	नासिक	जलगांव	बाडगांव	महात्मा गांधी वी. प्रसारक मंडल, काजगांव
1044.	पुणे	पुणे	पिंपरी-छिंदवाड़ा	महात्मा ज्योतिबा फुले थेरगांव दांगे थाउक
1045.	पुणे	अहमदनगर	श्रीरामपुर	महात्मा ज्योतीबा फुले शिक्षण प्रसारक मंडल, करनाड बुदरक
1046.	नासिक	जलगांव	बाडगांव	महात्मा ज्योतिबा फुले शिक्षण प्रसारक मंडल, करनाड बुदरक
1047.	औरंगाबाद	बीड़	बीड़	महात्मा ज्योतिबा फुले, पातरूद
1048.	नासिक	थाणे	अंबरनाथ	महात्मा फुले बहुविद्या शिक्षण संस्था, बदलापुर

1	2	3	4	5
1049.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	बूम	महात्मा फुले बाल कल्याण समाजसेवा एवं क्रीड़ा विकास मंडल, कस्बा, बूस
1050.	नासिक	थाणे	थाणे	महात्मा फुले महिला औद्योगिक सहकारी संस्था सी 6/213, सेक्टर 9, सीवीडी, नवी मुम्बई-4000614
1051.	नासिक	नासिक	नासिक	महात्मा फुले समाज शिक्षक संस्था, रेणुका नगर, वाडालानाका, नासिक
1052.	औरंगाबाद	बीड	बीड	महात्मा फुले सेवा भावी संस्था, गेवारी
1053.	औरंगाबाद	लातूर	औसा	महात्मा फुले सेवा संघ, औसा
1054.	औरंगाबाद	परभनी	सैलू	महात्मा फुले रा.सा., धालेगांव
1055.	नासिक	जलगांव	रावर	महात्मा फुले शैक्षणिक संस्था, रावेर, तालखेर
1056.	पुणे	अहमदनगर	जामखेड	महात्मा फुले शैक्षणिक सांस्कृतिक क्रीड़ा मंडल, जामखेड
1057.	औरंगाबाद	परभनी	पूरना	महात्मा फूले शिक्षण प्रसारक मंडल, काहेगांव, तीनपुणे
1058.	अमरावती	अकोला	मरतीजापुर	महात्मा फूले शिक्षण प्रसारक मंडल, विजर कनाड़ीता-मूर्तिजापुर
1059.	औरंगाबाद	परभनी	सैल	महात्मा फूले शिक्षण प्रसारक मंडल, सैलू
1060.	पुणे	पुणे	हवेली	महात्मा पूले विद्यानिकेतन सं. लोकसाहिर अन्नाबाहू साथे, 22, सं, हादसापुर
1061.	नासिक	जलगांव	भूसावल	माहेर महिला मंडल, भुसावल
1062.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्हो	माहेर महिला मंडल कुसाड़ी
1063.	अमरावती	अमरावती	अन्जनगांव	महर्षि गुलाब बाबा महाराज वारकर शि.स., कुर्ला ता. अन्जनगांव
1064.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तूरे	महर्षि शिक्षण संस्था, गड्डगवहन
1065.	कोल्हुर	सिंधुदुर्ग	सांवतवाड़ी	महिला बहु. औ. से. संस्था, बांदा सिलैवाद्य विल्कर, बस्ती
1066.	कोल्हापुर	सांगली	मिराज	महिाल मंडल, माधव नगर
1067.	नागपुर	नागपुर	करोल	महिला सम्माव कटौल
1068.	औरंगाबाद	परभनी	पूरना	महिला शिक्षण प्रसारक मंडल, सुहागन
1069.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	महिला वी.एम. लातूर
1070.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	महिला विकास शि.मं.मुधो.पे. विदर्भ-क्षे.शि.सं.
1071.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	महिला बिकास केन्द्र-उल्हासनगर-4, जि.-थाणे
1072.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	सिरोल	महिला विकास संस्था, कुरुडवाड
1073.	पुणे	शोलापुर	मंगलवेदा	महिला विकास संस्था, कुरुडवाड
1074.	कोल्हापुर	संगाली	जाट	महिला विकास संस्था, नान्दूर

1	2	3	4	5
1075.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	मिट्टीसिद्दी शि. मंडल शेडूयाल
1076.	नासिक	जलगांव	इरानदोल	महोबोधी सो. छत्र नगर, वीएमवी के पीछे तरखेडा, अमरावती
1077.	नासिक	धुले	धुले	महात्मा फूले बहु. मंडल, अधगांव
1078.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	महात्मा फुले सामाजिक सांस्कृतिक वाचनालय, धुले
1079.	नागपुर	नागपुर	रामटेक	महात्मा फूले शिक्षण प्रसारक मंडल, जकेकर, ता. उमेरगा
1080.	औरंगाबाद	लातूर	अहमदनगर	महात्मा ज्योतिबा फूले बहुसंस्था, हिवारा
1081.	नागपुर	चंद्रपुर	ब्रह्मपुरी	महात्मा फूले बहु. सा.स. अजनसोंडा
1082.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्दूर	महात्मा फूले क्री. सांस्कृ. म. मेन्डकी, ता. ब्रह्मपुरी-जि. चंद्रपुर
1083.	अमरावती	अमरावती	नन्दगांव-खांडी	माहूतीचोर/समाजसेवा संस्था, नंदूरीचोर-ता. नन्दगांव, जि. अमरावती
1084.	धोलापुर	सांगली	जाट	मलिकार्जुन शिक्षण मंडला, कोलागिरी
1085.	पुणे	अहमदनगर	न्यूसा	मलजबला ग्राम विकास प्रतिष्ठान जम्बो, शुदि
1086.	नासिक	जलगांव	जलगांव	ममता सेवा मंडल 20/3, अरवान नगर, जलगांव
1087.	कोल्हापुर	सतारा	मान	मानताला शिक्षण प्रसारक मंडल, वहीवडी
1088.	कोल्हापुर	सतारा	सतारा	मान विकास संस्था, सतारा
1089.	कोल्हापुर	सतारा	पतन	मानादेवी महिला मंडल
1090.	नागपुर	नागपुर	कमथी	मानक विकास मंडला कामथी
1091.	नासिक	नासिक	नासिक	मानव अधिकारी संरक्षण संस्था, मथुरापार्क, प्लाट नं. 5, तिरके नगर, नासिक
1092.	औरंगाबाद	नंदेड	नंदेडवक्षल	मानव विकास मंडल, मोतरगा, जाता मुखेद, जि. नांदेड
1093.	कोल्हापुर	सतारा	मान	मानव विकास प्रतिष्ठान, इनजाबाव
1094.	कोल्हापुर	सतारा	सतारा	मानव विकास संस्था सतारा
1095.	कोल्हापुर	सांगली	धीरज	मा.वि.शि. प्रचार म., भावनगर, प.न.12/318/ए/1-3, इंदरानेल
1096.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मानवरहित सेवाभावी संस्था, जीवराज
1097.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	शिरोल	मानवता फलकरीवा एवं संस्था, गांधीलाज
1098.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	मानव विकास सेवाभावी संस्था, कदरी
1099.	नासिक	नंदरबार	तलोड़ा	मंडल, तलोवा
1100.	कोल्हापुर	तनागिरी	मंदनगड	मंदनगंड तालुक, विकास केन्द्र
1101.	पुणे	अहमदनगर	अहमदनगर	मंगला ताल, प्रतिष्ठान नगर
1102.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मंगलनाथ शैक्षिक एवं सेवाभावी संस्था मलजान

1	2	3	4	5
1103.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मनकाई सेवाभावी संस्था, बीड
1104.	औरंगाबाद	परभानी	गंगाखेड	मनोविकास शिक्षण, प्रचार म., अजिया कालोनी, गंगाखेड
1105.	नासिक	थाने	कल्याण	मनुअथीशहनफोटेक शै.स., निकाममता अस्पताल कतराप रोड तुलगाव बदलापुर
1106.	नागपुर	गद्दचिरोली	चरमोशी	मानवता प्रबोधन संस्कार मंडला, आस्थी
1107.	नागपुर	गोडिया	गोडिया	मानव सेवा संस्था
1108.	नासिक	जलगांव	जमनेर	मराठा सेवा संघ, जामनगर
1109.	पुणे	पुणे	जूनर	मराठा सेवा संघ, जिला थाने
1110.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मराठा सेवाभावी संस्था, पतोड़ा
1111.	पुणे	अहमदनगर	संगमनेर	मराठा विकास समिति संस्था, संगमनेर
1112.	औरंगाबाद	परभनी	जिनतौर	मराठवाडा मराठी भमती, समाज, वजारवु
1113.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	वैजपुर	मराठवाडा ग्रामीम विकास सेवा संघ, कारजगांव जमवैजापुर
1114.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	मराठवाड़ा एम.वी.एम. कोल्हा
1115.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	मराठवाड़ा एम.वी.एम. उदगीर
1116.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	मराठवाड़ा खैबाजनी शि.प्र. मंडल, चतोरी
1117.	अमरावती	अकोला	अकोला	मातंगखदी शि.सं., अकोर फेल, अकोला
1118.	कोल्हापुर	संघली	जाट	मातंगरूदी समाज शि. मंडल पलाची
1119.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	मातंग-समाज शि. मंडल पलानी
1120.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मतोश्री ग्रामीण सेवाभावी संस्था
1121.	नागपुर	गडचरोली	धनौरा	मतोश्री नरशिन्नासवा जनोधहार सेवाभावी शि. संस्था
1122.	नागपुर	गदचरोली	भरमगड	-वही-
1123.	पुणे	अहमदनगर	अहमदनगर	भतोहरी मोहल्ला विकास प्र. नगर
1124.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	मतोहरी रामाबाई बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था परभनी
1125.	नागपुर	नागपुर	कतोल	मतोहरी सावित्रीबाई विचार विकास संसद, कतोल
1126.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	सिलोडद	मतोश्री रोनकाबाई बहुउद्देश्यीय, शि.से. रामडाका सेवा तथा शिओद
1127.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मतोश्री शि.से. मंडल, धर्मपुर
1128.	औरंगाबाद	परभनी	मारखेड	मातृभूमि, ग्रामीण वि. संशोधन संस्था, बनवारा
1129.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मातृभूमि सेवाभावी रा., खडपुर, बीड
1130.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मातृभूमि शादुनगर, बीड

1	2	3	4	5
1131.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	मातृभूमि ग्रामीण संस्था, परभनी
1132.	पुणे	अहमदनगर	न्यूसा	मौलाना अबुल कलाम आजाद शैवगांव
1133.	पुणे	अहमदनगर	पथवाडी	मौलाना अबुल कलाम आजाद, शैगांव
1134.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मौ. आ. सेवाभावी, से. अजलगांव
1135.	नासिक	नासिक	मालेगांव	मौ.आ. उस्मानाबाद शिक्षण कल्याण सोसाइटी
1136.	नागपुर	नागपुर	उमरेड	मौली अनुसुया समर्पण बहुउद्देश्य संस्था, मूतीबोरी
1137.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	मौली बहुउद्देश्यीय मंडल, अदगांव, ताल. चालीसगांव
1138.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	मौली करुणा सार्वजनिक वाचनालय, अहमदपुर
1139.	अमरावती	अकोला	पुष्पीअकोट	मौ. महिला बहुउद्देश्य सेवा संस्था, अकोट
1140.	पुणे	अहमदनगर	श्रीरामपुर	मा. प्रतिष्ठान उनदीरगांव
1141.	पुणे	अहमदनगर	नगर	मा. सेवा प्रतिष्ठान, शिनगवे
1142.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	भूम	मा.शि.प्र.म. पतसनगवी, ताल भूम
1143.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	वेजापुर	मा.शि.से. तुलानी, एम.काक, तुकानीताल, वैजपुर
1144.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मवाली सेवाभावी संस्था, कुम्बवाडी
1145.	कोल्हापुर	सांगली	वलावा	मयूरवैशवर-चैरीटेबल ट्रस्ट, लिंगपुर
1146.	अमरावती	अमरावती	चिखलादा	मेलधार वि.स. चिखाली, ताल चिखलपारा, जि. अमरावती
1147.	अमरावती	अमरावती	चिखलादा	आधारभूत कल्याण सं. कतकुम्भ, ताल चिखलधारा
1148.	पुणे	अहमदनगर	अहमदनगर	मिलिंद शि. सोसाइटी
1149.	अमरावती	अकोला	अकोला	मिलिंद शि. एवं क.से. साहाबादनगर, ग्राम. पंचायत शिलौदा ताल
1150.	अमरावती	अकोला	अकोला	मिलिंद शि.क. से हाजीनगर, अकोला
1151.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	मिनारटी क.शि.वी.एम.वी. के पीछे तरखेडा, अमरावती
1152.	नासिक	थाने	मयंदर	मीरा भयंदर शि. क्रिडा एवं संस्कृति संकुल, भयचर (प.) जिला थाने
1153.	नासिक	नासिक	नासिक	एम.एन.सी. शिक्षण मंडल, नासिक न्यू पंडित कालोनी, नासिक
1154.	नासिक	नासिक	नासिक	-वही-
1155.	नासिक	थाने	मीराभयंदर	मो. सनन शि.सो., मयंदर (प.) जि. थाने
1156.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	मोहमदिया शि.स., डा. मतिन अहमद भुजपरपुरा, अमरावती
1157.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मु. अबुल कलाम आजाद महर तकली
1158.	औरंगाबाद	बीड	बीड	महोतादेवी सेवाभावी संस्था

1	2	3	4	5
1159.	औरंगाबाद	बीड	बीड	महोतादेवी शि. प्रसारक संस्था, पिमपरवल
1160.	पुणे	अहमदनगर	पयारदी	मुहरादेवी युवा करीदा मंडल, मोहशा
1161.	औरंगाबाद	परभनी	सेलू	मरेखरी सेवाभावी स. मोरेगांव
1162.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मदाटीरजा सेवाभावी सं. मजलगांव
1163.	अमरावती	अकोला	एनका-अकोट	मा. अबुल कलाम भावाड सो. कल्याण शि.सं. वार्ड-1
1164.	कोल्हापुर	सांगली	मिराज	मुखनायक स्वानदेही सं. डा. अम्बेडकर नगर, सांगली
1165.	नासिक	जलगांव	जलगांव	मुक्तसर करीदा एवं बहुविधा मंडल, नवीपेर, जलगांव
1166.	नासिक	नंदरबार	तलोडा	मुनेश्वर वी. प्रा.सा.
1167.	नासिक	थाने	मुरबाद	मुरबदतालुका, पंचशील समाज वि. म. बुदुरक
1168.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	मुस्लिम शिक्षा एवं समाज कल्याण सोसायटी, वादाली वदपेटा
1169.	अमरावती	यवतमल	उमरखेड	मुस्लिम मोहल्ला कं. मंडला तरपुरा वाड अमरखेड, यवतमाल
1170.	नासिक	धूले	धुले	मुस्लिम महतार अल्पसंख्यक शैक्षिक एवं सामाजिक संस्था, धुले
1171.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	मुस्लिम समाज प्रबोधनी शिक्षण संस्था
1172.	नासिक	जलगांव	चौपड़ा	मुस्तक शिक्षा समिति, चोपड़ा
1173.	नासिक	जलगांव	परोला	एन.एस. मंडल तामसावाडी
1174.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	शिरोल	एन.पी. शिक्षण मंडल, गांधीगलज
1175.	पुणे	सोलापुर	कुरुडवाडा	एन.पी. शिक्षण मंडल, कुरुवाड़ी
1176.	पुणे	सोलापुर	वारशी	एन.पी. शिक्षण मंडल, मंगलवेदा
1177.	नागपुर	नागपुर	कमलेश्वर	एन.पी. कमलेश्वर
1178.	नासिक	जलगांव	यतलाम	एन.पी.एम. हिंगोना
1179.	नासिक	ठाणे	अमरनाथ	एन.पी. शिक्षण मण्डल, अमरनाथ
1180.	पुणे	सोलापुर	मालशीसस	एन. सन्त निरंकारी पानी पूर्वथा संस्था, तरंगफाल
1181.	नागपुर	चन्द्रपुर	सावला	नाकभीद-तालुका नागभीद, चन्दुपुर
1182.	नासिक	धूले	शिरपुर	नावाभाई सेवाभावी संस्था, सालुक सिरपुर
1183.	नासिक	धूले	शिरपुर	नावाभाई सेवाभावी संस्था, एम.पी. सिरपुर, जिला धूले
1184.	औरंगाबाद	परभनी	सैलु	नाबाभाई शिक्षण प्रसारक मंडल, वालूर
1185.	पुणे	अहमदनगर	श्रीरामपुर	नगर पालिका, शिक्षण मंडल, श्रीरामपुर

1	2	3	4	5
1186.	पुणे	रायगढ़	महद	नगर पालिका शिक्षण मंडल, महद
1187.	पुणे	रायगढ़	पनवेल	नगर परिषद शिक्षण मंडल, पनवेल
1188.	पुणे	रायगढ़	खपोली	नगर परिषद, खपोली
1189.	नागपुर	चन्द्रपुर	खजूरा	नगर परिषद, खजूरा (शिवराज) वार्ड, इंदिरा वार्ड और सोमनाथपुर
1190.	औरंगाबाद	लातूर	निलंगा	नगरवाई एम. भोंसले एस.
1191.	औरंगाबाद	बीड	बीड	नागरिक विकास सेवाभावी संस्था, बीड
1192.	नासिक	जलगांव	अमालनेर	नगरपालिका शिक्षण मंडल, अमालनेर
1193.	नासिक	जलगांव	भूसावाल	नगर पालिका शिक्षण मंडल, भूसावल
1194.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	नगरपालिका शिक्षण मंडल, चालीसगांव
1195.	नासिक	जलगांव	जलगांव	नगरपालिका शिक्षण मंडल, जलगांव
1196.	नासिक	जलगांव	सवदा	नगर पालिका शिक्षण मंडल, सवदा
1197.	पुणे	पुणे	बारामती	नागेश्वर ग्राम विकास प्रतिष्ठान गुदवाडीता बारामती जि. थाणे
1198.	नासिक	जलगांव	चौपड़ा	नागनाथ की.यू. सेवा कुरवेल
1199.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	नागसेन बहुउद्देश्यीय संस्था, उल्हास नगर
1200.	नासिक	धुले	सकरी	नालंदा बाल विकास एंड मगस महिला विकास मु.डा. साकरी
1201.	अमरावती	अकोला	एन.पी. अकोट	नालंदा सेवा समिति अरसिंह मंदिर, आलोट
1202.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	एचलकरंजी	नालंदा विद्यानिकेतन एचलकरंजी
1203.	नासिक	थाणे	उल्लासनगर	नालंदा कल्याण संघ, उलहासनगर, जि. थाणे
1204.	नासिक	धुले	सिरपुर	नालंदा शिक्षा सोसाइटी, सिरपुर
1205.	नासिक	थाणे	भिवान्डी	नम्रता महिला मंडल
1206.	औरंगाबाद	नांदेद	नादेद वागला	नांदेद केन्द्रीय पुस्तकालय हमदीपा, नांदेद
1207.	अमरावती	अकोला	एन.पी. अकोट	नदीकेश्वर बहुद्देश्यीय व्यायाम एन्ड कृदा मंडल वार्ड 2, आकोट
1208.	औरंगाबाद	बीड	बीड	मरसू महाराज सेवा भावी संस्था, वीड
1209.	कोल्हापुर	सांगली	मिराज	नारायणदास कला फेडरेशन, मिराज
1210.	अमरावती	यवतमाल	उमरखेद	तरहारी महाराज स्वर्णकार संस्था सरदार पटेल वार्ड उमरखेद ता. उमरखेद
1211.	नासिक	जलगांव	आमलनेर	नरहरि शिक्षण प्रचारक मंडल
1212.	नासिक	जलगांव	जामनेर	नर्मदा संस्था, शाहपुर

1	2	3	4	5
1213.	नासिक	जलगांव	जामनेर	नर्मदा शैक्षणिक संस्था, शाहपुर
1214.	औरंगाबाद	ओसमानाबाद	तुलजापुर	नरसिंह बहुद्देश्यीय संस्था शाहपुर, ता. तुपुर
1215.	पुणे	अहमदनगर	अहमदनगर	नरसिंह साक्षरता प्रसारक मंडल, एन
1216.	नासिक	नासिक	नासिक	नासिक रोड शि.सो. मधुकर स्मृति गोदरेज वाडी एन. रोड
1217.	पुणे	सोलापुर	मलसिरास	नतेपुते शिक्षा सो. नतेपुते
1218.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद	नाथ पब्लिक हैल्थ केअर जीजायू ग्रामीण कगनालय
1219.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	नाथ शिक्षण प्रसारक मंडल पिनगली, ता. परभनी
1220.	औरंगाबाद	परभनी	पूरता	-वही-
1221.	पुणे	सोलापुर	नार्थसोनापुर	राष्ट्रीय समाज कल्याण संस्थान
1222.	नासिक	जलगांव	अमालनेर	राषट्रीय पिछड़ा वर्ग शि. अडवेल सो. अमालनेर
1223.	पुणे	पुणे	दौंध	नेशनल फ्रेन्डस एसो., अजय टाइपिंग से. धंद जि. थाणे
1224.	अमरावती	अकोला	अकोला	नेशनल इंटीग्रेशन शि. एवं कल्याण सो. हमजा प्लाट, अकोला
1225.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-गवला	रा.म. मंडल उमर कालोनी देगलुर नाका नादेद
1226.	नासिक	थाणे	जवाहर	राष्ट्रीय ग्रामीण अनुसंधान एवं विकास संघ चलतवाड तालुक जवाहर
1227.	औरंगाबाद	परभनी	पथारी	नव विकास सेवाभावी, संस्था, कसपुरी
1228.	औरंगाबाद	परभनी	सैलु	-वही-
1229.	अमरावती	अकोला	तेलहाड़ा	नव युवक कृदा व्यायाम युवक कल्याण सांस्कृतिक एवं सां. मंडल दहीगावता, ता. तेलहाड़ा
1230.	अमरावती	अमरावती	चंदुररेलवे	नवजीवन मागास्वरगीया स.वि.के. मिलिन्द नगर चंदुर रेलवे
1231.	अमरावती	अमरावती	चुंदुररेलवे	-वही-
1232.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	नवज्योति ग्रा.वि. सं. संतोषी नगर, विलास नगर के पीछे, अमरावती
1233.	अमरावती	यवतमाल	पुसाद	नवविधा बहु संस्था द्वारा गा. एल. 178/45 वि.हा.सो. वजेरिया नगर
1234.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	नवभागीरथी महिला मंडल, परभनी
1235.	औरंगाबाद	लाटूर	लाटूर	नवभारत सेवा प्रतिष्ठान, लाटूर
1236.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	नवचेतना महिला मंडल, परभनी
1237.	अमरावती	यवतमाल	यवतमाल ए.पी.	नवदिशा बहु.शि.सं. कुमज्योति ह. नेताजीनगर वार्ड 34, यवतमाल
1238.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	नवदुर्गा बहु. शि.प्र. मंडल उमबेरखेडे ता. चालीसगांव
1239.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	पाइथान	नव सितहरे सा. मंडल हिरादपुरी एम.पो. हिरादपुरी ता. पैथन विद्याशाला निकट पुलिस स्टेशन, पैथन
1240.	नासिक	जलगांव	रावेर	नवजीवन बहुउद्देश्यीय सामाजिक विकास संस्था, पाल

1	2	3	4	5
1241.	पुणे	अहमदनगर	जामखेड	नवजीवन मेडीकल एंड एजूकेशन
1242.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	नवजीवन सेवाभावी संस्था, पेथसीवाड़ी
1243.	नागपुर	गोंडिया	तिरोदा	नवजीवन बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, विरोला
1244.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	नवजीवन बहुद्देशीय ग्राम विकास मंडल, तालुका चालीसगांव
1245.	पुणे	सोलापुर	अक्काकोटा	नवजीवन मगस समाज सेवा
1246.	औरंगाबाद	नांदेद	नादेद-वाघला	नवोदय शिक्षण प्रसारक मंडल हर्षनगर, नांदेद
1247.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	नवप्रेरणा विकास मंडल परभनी, ता. परभनी
1248.	कोल्हापुर	सांगली	वलवा	नवरथ उत्सव मंडल, बीदर
1249.	नागपुर	चंद्रपुर	गोडपिम्परी	नवयुवक ग्रामीण विकास मंडल, पोरभुना ता. पोरभुना, चन्द्रपुर
1250.	नागपुर	भंडारा	भंडारा	नवयुवक कृदा व सांस्कृतिक मुक्त मंडल
1251.	औरंगाबाद	बीड	बीड	नेहरू युवा केन्द्र, बीड
1252.	पुणे	पुणे	खेड	नेहरू युवा केन्द्र, ग्राम विकास केन्द्र, चिमताली फटा आनंदमंगल कार्यालय पुणे नासिक रोड, खेड
1253.	कोल्हापुर	सतारा	करड	नेहरू युवा मंडल, एआन्ड
1254.	कोल्हापुर	सतारा	करड	नेहरू युवा मंडल, चाचेगांव
1255.	कोल्हापुर	सतारा	पाटन	नेहरू युवा मंडल, धेवेवाडी
1256.	कोल्हापुर	सिन्धुदुर्ग	मालवा	नेहरू युवक ग्राम विकास मंडल हिवाले, गवदेवाडी
1257.	नागपुर	चन्द्रपुर	सावली	नेहरू युवा बहुद्देशीय मंडल पेनधारी भक्ता, ता. सावली, चन्द्रपुर
1258.	नागपुर	चन्द्रपुर	राजुरा	नेहरू युवा केन्द्र, चन्द्रपुर
1259.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	नेहरू युवा मंडल ब्राम्हण, सेवगे
1260.	नासिक	जलगांव	जामनेर	नेहरू युवा मंडल, दियोलगांव
1261.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	नेहरू युवा मंडल, पतोदा
1262.	नासिक	जलगांव	जग्मनेर	नेहरू युवा मंडल, तोमाले
1263.	नासिक	धुले	धुले	नेरएजुकेशन सो. नेर मु. पी.ओ.नेर ता. जि. धुले
1264.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	नेताजी सेवाभावी संस्था, तादुलवाड़ी
1265.	औरंगाबाद	लाटूर	उदगीर	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस, संस्था, टोंथ
1266.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	नेताजी सुभाष चन्द्र बोस सार्वजनिक वाचनालय, पोखरणी
1267.	औरंगाबाद	परभनी	सैलू	नेताजी व्यायामशाला की एन्ड यु.मा. कोथला

1	2	3	4	5
1268.	अमरावती	अकोला	अकोला	न्यू पीपुल्स एजु. एंड स्पार्ट संस्था दहीहांडा, ता. अकोला
1269.	अमरावती	अकोला	अकोला	-वही-
1270.	नागपुर	गोंडिया	गोंडिया	न्यू. समर एजु. सोसाइटी, करनजा
1271.	अमरावती	यवतमाल	उमरखेद	न्यू शुभम बहुद्देश्यीय सेवाभावी संस्था सरदार पटेल वार्ड उमरखेद, ता. उमरखेद, जि. यवतमाल
1272.	नासिक	जलगांव	रावेर	निबोल परिसर शिक्षण प्रसारक मंडल, निमबोल
1273.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	नीलकंठेश्वर बहुदेशीय प्रतिष्ठान, बोरदा
1274.	नासिक	जलगांव	एरानडोल	निपाणे शिक्षण प्रसारक मंडल, निपाने
1275.	नासिक	थाणे	कल्याण	निर्मलय सेवा महिला संस्था, कोकण वासहट एमआईजी 73/1/25 बिरला सिलेगे रोड कल्याण (डब्ल्यू)
1276.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कारवीर	निवारा संस्था, कोल्हापुर
1277.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कारवीर	निवारा संस्था, कोल्हापुर
1278.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कारवीर	निवारा संस्था, कोल्हापुर
1279.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कारवीर	निवारा संस्था, कोल्हापुर
1280.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कारवीर	निवारा संस्था, कोल्हापुर
1281.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कारवीर	निवारा संस्था, कोल्हापुर
1282.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कारवीर	निवारा संस्था, कोल्हापुर
1283.	कोल्हापुर	सतारा	खाटव	निवेदिता महिला ए.एस.एस., खन्डाला
1284.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	नरसिंह सार्वजनिक वाचनालय, कैलाशवाडी
1285.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	नरसिंह सेवाभावी बहुदेशीय संस्था पोखाड, ता. परभनी
1286.	औरंगाबाद	परभनी	पूरना	नरसिंह शिक्षण प्रतिष्ठान, परभनी
1287.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	नरसिंह शिक्षण प्रतिष्ठान विवेकनगर, परभनी
1288.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	नूतन विद्यासमिति द्वारा मराठवाड़ा हाईस्कूल परभनी ता. परभनी
1289.	नासिक	जलगांव	पचोरा	नूतन महिला सर्वोदय बाल विकास, पचोरा
1290.	नासिक	नासिक	नासिक	नूतन शारदा सांस्कृतिक विकास मंडल, सतपुर, प्रबुद्धनगर, सतपुर
1291.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	सिरोल	नूतन शिक्षण प्रसारक मंडल एचलकरंजी
1292.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	एचलकरंजी	नूतन शिक्षण प्रसारक मंडल एचलकरंजी
1293.	औरंगाबाद	परभनी	पूरना	नूतन विद्यासमिति, परभनी

1	2	3	4	5
1294.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	ओक महाराज सेवाभावी संस्था दत्तनगात कारेगांव
1295.	नागपुर	भंडारा	लखानी	ओमहरी बहुउद्देशीय संस्था
1296.	नागपुर	भंडारा	साकोली	ओमहरी बहुउद्देश्यीय संस्था
1297.	नासिक	थाणे	मीराभयंदर	ओम साई सागर एजू. सोसाइटी भयन्दर (डब्ल्यू) जि. थाणे
1298.	औरंगाबाद	परभनी	जिनदूरे	ओम सेवाभावी संस्था, मोहादी
1299.	औरंगाबाद	परभनी	जिनदूरे	ओम शिक्षण संस्था, मोहादी
1300.	नासिक	थाणे	मीराभयन्दर	ओम शिक्षण संस्था, लिटोली
1301.	नागपुर	भंडारा	लखनपुर	ओमहरि बहुद्देश्यीय शिक्षण संस्था
1302.	औरंगाबाद	लातुर	अहमदपुर	ओंकार एस.पी.एम., अहमदपुर
1303.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	ओंकार शिक्षण प्रसारक मंडल, जिला-थाणे
1304.	नागपुर	भंडारा	पवनी	ओम साई बहु शिक्षण संस्था, पवनारो
1305.	नागपुर	भंडारा	पवनी	ओम साई बहु शिक्षण संस्था, तिरी
1306.	नागपुर	भंडारा	लखनपुर	ओम साई बहु शिक्षण संस्था, तिरी
1307.	पुणे	सोलापुर	साउथसोलपुर	पी. गुगुवरे शेल्ख इस्माइल शिक्षण एवं समरसेवा
1308.	नासिक	जलगांव	छारगांव	पी.पी.जी.जी. वाजपेयी, गुरूजी शिक्षण प्रसारक मंडल
1309.	नासिक	जलगांव	मुक्तेनगर	पी.पी. गोलवालकर गुरुजी एस. संस्था, कुरथा
1310.	पुणे	सोलापुर	करमाला	पी.पु. लक्ष्मण ताल्या महाराज सांस्कृतिक एंड भजनी मंडल
1311.	औरंगाबाद	परभनी	त्रिसुर	पदमभूषण शिक्षण संस्थान मंडल, येलदारी कैम्प
1312.	नासिक	जलगांव	धरगांव	पद्मालय शिक्षण प्रसार मंडल
1313.	औरंगाबाद	लातुर	लातुर	पदमीनीबाई बहुद्देश्यीय सेवा संघ
1314.	औरंगाबाद	परभनी	पुमा	पद्मावती महिला मंडल, दस्तापुर
1315.	नासिक	नासिक	नासिक	पायोनियर शिक्षा संस्थान, सन्त गदगे महाराज, धर्मशाला
1316.	पुणे	अहमदनगर	नेवासा	पेस प्रतिष्ठान, नेवासा
1317.	पुणे	सोलापुर	पंधरपुर	पंचशील बहुद्देश्यीय समाजसेवी संस्था, बोहाली
1318.	कोल्हापुर	सतारा	पाटन	पंचशील एस.के. मंडल, तेरेले
1319.	कोल्हापुर	सतारी	पाटन	पंचशील होलीचागांव
1320.	नासिक	जलगांव	खाटव	पंचशील विकास मंडल, कासोदा
1321.	औरंगाबाद	परभनी	पुमा	पंचकलास मेगास्वर्गीय महिला मंडल, तडकलास

1	2	3	4	5
1322.	नागपुर	चन्द्रपुर	वरोरा	पंचशील ज्ञान, प्रबोधिनी मंडल, वरोरा
1323.	पुणे	सोलापुर	मलसिरास	पंधारीनाथ अगासे सार्वजनिक वाचनालय, श्रीपुर
1324.	नासिक	जलगांव	जाम्नेर	पंडित दीनदयाल एस. जैमनर
1325.	औरंगाबाद	परभनी	सैलु	पंडित गुरू जोशी शिक्षण प्रसारक मंडल, सीमानगांव
1326.	अमरावती	अकोला	एन.पी.अमेट	पंडित नेहरू शिक्षा संस्था, वार्ड नं. 4, अकोट
1327.	औरंगाबाद	लातुर	अहमदपुर	पांडुरंग एसपीएम वडगांव
1328.	अमरावती	यवतमाल	यवतमाल	पंजाबराव पिसे जी.के. संस्था, दीघी, जि. यवतमाल
1329.	अमरावती	अमरावती	वरूद	परमबी बहुशिक्षण संस्था, जिला-अमरावती
1330.	पुणे	अहमदनगर	अकोले	परमपूज्य सुभाषपुरी महाराजा शिक्षण एवं ग्रामीण वि. मंडल
1331.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	परिनीति महिला मंडल, जालना
1332.	औरंगाबाद	बीड	बीड	परिवर्तन शिक्षण प्रसारक मंडल
1333.	औरंगाबाद	लातुर	उद्‌गीर	परिवर्तन शिक्षण प्रसारक मंडल
1334.	नागपुर	भंडारा	भंडारा	परिवर्तन बहुद्देश्यीय संस्था, सालेवाडी
1335.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	परिवर्तन बहुद्देश्यीय संस्था, सालेवाडी
1336.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	परिवर्तन बहुद्देश्यीय शिक्षण संस्था, अमरावती
1337.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	परिवर्तन मेगास्वर्गीय बहुद्देश्यीय शैक्षणिक संस्था
1338.	कोल्हापुर	संगली	जाट	परिवर्तनवादी संस्था, दफलपुर
1339.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	परिवर्तन मेगास्वर्गीय संस्था, घोड़गांव
1340.	नागपुर	नागपुर	कटोल	परमेस्थी बहुद्देश्यीय संस्था, कटोल
1341.	पुणे	अहमदनगर	पारनर	पारनर तालुका अभिनव युवा अभियान, खडकवाडी
1342.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	पार्वती सार्वजनिक वाचनालय, बोर्तवैण्ड, ता. परभनी
1343.	पुणे	सोलापुर	उ. सोलापुर	पर्वतीबाई सार्वजनिक वाचनालय, सोलापुर
1344.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	पैथ फाउण्डर सेवाभावी संस्था, गंगाखेड
1345.	पुणे	रायगढ़	पेन	पेंड नगर परिषद् प्रभाग सं. 1 हुतात्मा स्मारक, रायगढ़
1346.	पुणे	रायगढ़	पेन	पेंड नगर परिषद् प्रभाग सं. 5 फनास, द्रोणगिरि
1347.	पुणे	रायगढ़	पेन	पेंड नगर परिषद् प्रभाग सं. 6 चिंचपाडा, रायगढ़
1348.	पुणे	रायगढ़	पेन	पेंड नगर परिषद प्रभाग-6 पिंचवाड, पेंड
1349.	कोल्हापुर	सांगली	मिराज	पीपुल एजुकेशन सोसाईटी, मिराज

1	2	3	4	5
1350.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	एचलकरंजी	पेस एजुकेशन संस्थान
1351.	कोल्हापुर	सतारा	खाटव	जिम्परेश्वर जी.बी.एस. पदसंस्था, खाटव
1352.	नासिक	धुले	धुले	पिंपलादेवी शैक्षणिक सामाजिक ट्रस्ट, धुले
1353.	औरंगाबाद	परभनी	पुराना	पिपलस एजुकेशन संस्था, परमा
1354.	अमरावती	यवतमाल	यवतमाल	पुर्णिमा महिला बहुद्देश्यीय औद्योगिक संस्था, यवतमाल
1355.	कोल्हापुर	सतारा	संगमेश्वर	प्रभाग समिति प्रभाग पत्र, महाबलेश्वर
1356.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	प्रबन्ध सेवाभावी संस्था, परभनी
1357.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	प्रभु लिंगेश्वर वाचनालय, बालागांव
1358.	अमरावती	यवतमाल	डिगरास	प्रभुदेव बहुद्देश्यीय एंड ए.पी. मंडल, यवतमाल
1359.	नागपुर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	प्रबुद्ध विद्यार्थी बौध मंडल, जुनोजा
1360.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	प्रदिन्य बहुद्देश्यीय सेवा मंडल, उस्मानाबाद
1361.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	प्रगति आदिवासी एस.एम. संस्था, अमरावती
1362.	औरंगाबाद	लातुर	उद्गीर	प्रगत महिला मंडल, सुल्लाली
1363.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	प्रगति बहु शैक्षणिक संस्था हेटेड
1364.	अमरावती	यवतमाल	घाटनंजी	प्रगति महिला मंडल, गजानन वार्ड, जि. यवतमाल
1365.	पुणे	पुणे	पुणे	प्रगति महिला मंडल महामेडवाडी, हडपसार
1366.	नासिक	जलगांव	पचोरा	प्रगति महिला मंडल, पचोरा
1367.	अमरावती	अकोला	अकोला	प्रगति महिला मंडल, शास्त्री नगर, अकोला
1368.	नागपुर	नागपुर	सावनर	प्रगति महिला मंडल वागोदा
1369.	औरंगाबाद	बीड	बीड	प्रगति सेवाभावी संस्था, सीगलवाडी
1370.	नासिक	धुले	धुले	प्रगति शिक्षण प्रसारक मंडल, सैनशीर
1371.	कोल्हापुर	सांगली	तसगांव	प्रकाश एस.एस. तसगांव
1372.	औरंगाबाद	परभनी	जिंतुर	प्रेरणा महिला मंडल, जिंतुर
1373.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	प्रेरणा शिक्षण प्रसारक मंडल, सालु
1374.	औरंगाबाद	लातुर	उदगीर	प्रसाद जी.वी.एस. देवनी
1375.	नासिक	नासिक	नासिक	प्रथम
1376.	पुणे	पुणे	पुणे	प्रथम फाउण्डेशन, शिरोल भवन, शिवाजी नगर, पुणे
1377.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था

1	2	3	4	5
1378.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1379.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1380.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1381.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1382.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1383.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1384.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1385.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1386.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1387.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1388.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1389.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1390.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1391.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1392.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1393.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1394.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1395.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1396.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1397.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1398.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1399.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1400.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1401.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1402.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1403.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1404.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था
1405.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बाई शिक्षण संस्था

1	2	3	4	5
1406.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1407.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1408.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1409.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1410.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1411.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1412.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1413.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1414.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1415.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1416.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1417.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1418.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1419.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1420.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1421.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1422.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1423.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	प्रथम मुम्बई शिक्षण संस्था
1424.	नासिक	थाणे	थाणे	प्रथम मुम्बई शिक्षण उपक्रम, मुंबई
1425.	नासिक	थाणे	थाणे	प्रथम मुम्बई शिक्षण उपक्रम, मुंबई
1426.	नासिक	थाणे	थाणे	प्रथम मुम्बई शिक्षण उपक्रम, मुंबई
1427.	पुणे	पुणे	पिम्परी	प्रथम पुणे एज. फाउं. शिरो. भवन द्वितीय तल, शिवाजी नगर, पुणे-5
1428.	पुणे	रायगढ़	अलीबाग	प्रथम रायगढ़ शिक्षण उपक्रम ट्रस्ट, लारा रामू फार्म, ता. अलीबाग जि. रायगढ़
1429.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	एचलकरंजी	प्रथमेश एजुकेशन सोसाइटी
1430.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	एचलकरंजी	प्रथमेश एजुकेशन सोसाइटी
1431.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	प्रतिभा महिला विकास, मुखड़
1432.	औरंगाबाद	बीड	बीड	प्रतीक्षा सेवाभावी संस्था, बीड
1433.	औरंगाबाद	बीड	बीड	प्रतीक्षा सेवाभावी संस्था, बीड

1	2	3	4	5
1434.	औरंगाबाद	बीड	बीड	प्रतीक्षा सेवावती संस्था, बीड
1435.	औरंगाबाद	लातूर	उदुगी	प्रयास सेवावती प्रतिष्ठान, उद्गीर
1436.	नागपुर	चंद्रपुर	गोंडपिम्परी	प्रयास, पत्रकार भवन, ओल्ड वरोरा नाका, चंद्रपुर
1437.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	प्रयाग सेवाभावी संस्था, परभनी
1438.	अमरावती	यवतमाल	कलाम्ब	प्रयास शि. संस्था, मार्फत-सिरयले, पतवारी कालोनी, वार्ड-2
1439.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	प्रेरणा सेवाभावी संस्था, तकली, ता. परभनी
1440.	नासिक	थाणे	भिवाड़ी	प्रेरणा उन्नति मंडल, निका मारुति मंदिर, कामतघर
1441.	औरंगाबाद	लातूर	उदगिर	प्रेरणा, जीवीएम, सुमथाना
1442.	नागपुर	नागपुर	सवनेर	प्रेरणा महिला मंडल, बोसनवाडा
1443.	औरंगाबाद	बीड़	बीड़	प्रेरणा युवाग्राम, धोनराय
1444.	नासिक	धुले	सिरपुर	प्रियदर्शिनी सेवाभावी संस्था, मु. पनेसाली, ता. सिरपुर
1445.	औरंगाबाद	लातूर	औसा	प्रियदर्शिनी बहुद्देशीय सेवा संस्था, औसा
1446.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	प्रियदर्शिनी महिला मंडल, आनन्द नगर, उम्मानाबाद,
1447.	अमरावती	यवतमाल	दर्बा	प्रियदर्शिनी महिला मंडल मार्फत-पुष्पा फाल्के, पुष्पगंज जि. यवतमाल
1448.	नासिक	थाणे	थाणे	प्रियदर्शिनी महिला विकास मंडल, भीमनगर, खाडा, नवी मुम्बई-40070
1449.	पुणे	अहमदनगर	अहमदनगर	प्रियदर्शिनी सामाजिक प्रति. पटवर्धन चौक
1450.	नागपुर	नागपुर	कमाती	प्रियदर्शिनी इंदिरा स्मृति प्रति. शेन्दुरजना
1451.	अमरावती	वासिम	मालेगांव	प्रियदर्शिनी, इंदिरा स्मृति पति. शेन्दरजना
1452.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	प्रियदर्शिनी महिला मंडल, पुरणा
1453.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	-वही-
1454.	पुणे	पुणे	पिम्परी	प्रियदर्शिनी महिला विविध कार्यकारी सहकारी सर्वसेवा मर्यादित सेतु
1455.	नासिक	जलगांव	धारणगांव	प्रियदर्शिनी शिक्षण प्रसारक मंडल, हिगोडे बु. तालुक-धारणगांव
1456.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	प्रियदर्शिनी विकास महिला मंडल, सौ. राजनी देशमुख, किरण नगर
1457.	नासिक	उस्मानाबाद	कलम्ब	प्रियदर्शिनी विकास मंडल, कोई गली कलम्ब, जिला-उस्मानाबाद
1458.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्दुरे	प्रियंका महिला मंडल, जिन्दुरे
1459.	औरंगाबाद	परभनी	-वही-	
1460.	औरंगाबाद	बीड	बीड	प्रियंका महिला सेवाभावी संस्था, बीड
1461.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	प्रोयदरशावी महिला मंडल, जल्टी

1	2	3	4	5
1462.	नासिक	जलगांव	जलगांव	प्रतिदन्य क्रीड़ा मंडल, 339, शिवाजीनगर
1463.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	पुज्य साने गुरुजी वी. घोड़गांव
1464.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	पूज्य साने मुखर्जी विकास प्रसारक मंडल, वरगवां
1465.	पुणे	पुणे	सिम्परी-विजयवाड़ा	पुणे हाईसेशन स्पेशल सर्विस पुणे-1
1466.	नागपुर	नागपुर	नागपुर	पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होल्कर महिला मंडल, मोहपा
1467.	नासिक	धुले	सिंडाखेड़ा	पुण्यश्लोक राजमाता अहिल्याबाई होल्कर शिशविक बु.मं. देहगांव
1468.	औरंगाबाद	बीड	बीड	पुपल एजुकेशन सो. बीड
1469.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	पुर्णिमा महिला शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी
1470.	नासिक	फुले	सकरी	पुष्प दीप शिक्षण मंडल, सकरी, मु.पो. सकरी
1471.	नासिक	थाणे	कल्याण	आर.के. विद्याप्रसारक मंडल, रामवाड़ी बेलबजार, कल्याण
1472.	अमरावती	यवतमल	दिग्रास	आर. टुकदोही महाराज शिक्षण संस्था गुरुदेव नगर, यवतमाल
1473.	नासिक	थाणे	थाणे	रबोड़ी एजु. वेलफेयर सो. रबोड़ी, थाणे
1474.	पुणे	पुणे	मुल्झी	रचना संस्था पुणे, मुल्सी, जिला-थाणे
1475.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	राधेश्याम बहुउद्देश्यीय संस्था, सैलू
1476.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	राध.ई. बहुउद्देश्यीय संस्था, चोपड़ा
1477.	औरंगाबाद	परभनी	सैलू	राधेश्याम शा.सा. सैलू
1478.	पुणे	सोलापुर	उ. सोलापुर	राघवेन्द्र क्रीड़ा एवं शि.प्रा. मंडल, सोलापुर
1479.	औरंगाबाद	बीड	बीड	रघुनाथ सेवाभाषी संस्था, सोत्रीमोहा
1480.	अमरावती	वासिम	मालीगांव	रघुवीर युवक कल्याण क्रीड़ा वा. प्र. मंडल, कमरगांव
1481.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	रावते समभाजी शि.प्र. मंडल, रानी सवरगांव
1482.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	सहेकर यूनिवर्सल स. एवं क.सो. जकिर कालोनी, अमरावती
1483.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	राहेसरी छत्र. शा. विद्याप्रसारक मंडल, स. महसोलनगर, उल्हासनगर
1484.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	-वही-
1485.	नागपुर	गडचिरोली	चरमोशी	राहुल लोकविकास मंडल, चरमिशि
1486.	पुणे	अहमदनगर	राहुरी	राहुरी नगरपालिका शिक्षण मंडल
1487.	पुणे	रायगढ़	खालापुर	रायगढ़ मित्र मंडल, यशवंत
1488.	औरंगाबाद	नान्देड़	नन्देड़	राज समाज सुधारक मंडल, नान्देड़
1489.	औरंगाबाद	नान्देड	बीड़	राजा हरिश्चंद्र सेवाभावी संस्था, जलगांव, संगम

1	2	3	4	5
1490.	औरंगाबाद	बीड़	बीड़	राजा हरिश्चन्द्र सेवाभावी संस्था, पिम्परी
1491.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	राजमाता जीजाई
1492.	पुणे	अहमदनगर	नगर	राजर्षि छत्रपति साहू प्रसारक मंडल, वाल्को
1493.	अमरावती	अकोला	अकोला	राजर्षि साहू. म. ब. शि. एवं क्री. संस्था, पंचशीलनगर, अकोला
1494.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तल्जापुर	राजर्षि साहू म. सामा. संस्था, तुल्जापुर
1495.	नासिक	नासिक	नासिक	रा.छ. साहूमहाराज सांस्कृ. कला मंडल, साहू नगर
1496.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	रा.सा.सा. प्र. व क्री. म. कोल्हा
1497.	औरंगाबाद	परभनी	सैलू	रा.सा.प्र.व. क्रीम. कोल्हा
1498.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	-वही-
1499.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्दूर	रा.सा. समाज प्रबोधन सेवाभावी संस्था, पंगरी
1500.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्दूर	रा.सा. सेवाभावी संस्था, भोषी
1501.	औरंगाबाद	बीड	बीड	राजे छत्रपति शि. प्रसारक मंडल, किन्ही
1502.	औरंगाबाद	बीड	बीड	राजे छत्रपति शि. बहू सेवाभावी संस्था
1503.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	राजे मल्हारराव व्या.शा.व., क्री.म., परभनी
1504.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	राजे सभाजी युवक क्री.व व्या.प्रा.मा., परभनी
1505.	पुणे	अहमदनगर	जामखेड	राजे शि. बहु. से. सं., जामखेड
1506.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	राजेश्वर सामाजिक संस्था अम्बेजवालागे, ता. उस्मानाबाद
1507.	पुणे	सोलापुर	बर्षि	राजीव गांधी, शि. प्रसारक मंडल ता. बर्षि
1508.	पुणे	सोलापुर	बर्षि	राजीव गांधी शि. प्रसा. मंडल, ता. बर्षि
1509.	कोल्हापुर	सांगली	मिराज	राजीव गांधी विकास कमेटी, बड्डी
1510.	नासिक	जलगांव	जलगांव	राजमाता जीजाबाई शै. प्रसारक मंडल, असोड़ा
1511.	पुणे	रायगढ़	खालापुर	राजमाता जीजाबाई विद्या विकास ट्रस्ट, खोपली
1512.	नासिक	जलगांव	चलीसगांव	राजमाता जीजाबाई बहु. मंडल, ता. चालीस गांव
1513.	नासिक	थाणे	जवाहर	राजमाता जीजौ वि. पुणो संस्था, जवाहर, जि. थाणे
1514.	नासिक	थाणे	कल्याण	राजमाता महिला सर्वांगीण वि.मं., वे.अपा.बो.को.
1515.	नासिक	थाणे	अम्बरनाथ	राजप्रधि, संत निरंकारी एजु. सो.
1516.	पुणे	पुणे	पिम्परी	राजपूत मं. मं. जह्रवी अपा. बिजली नगर, चिंचवाड, पुणे-33
1517.	नागपुर	चंद्रपुर	चंद्रपुर	रा.सा.म. बहु. प्रसा. मंडल, चंद्रपुर

1	2	3	4	5
1518.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	रमाबाई अम्बेडकर मगेश्वरजी महिला मंडल, शोडगा
1519.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	रमाबाई अम्बेडकर महिला मंडल, परभनी
1520.	औरंगाबाद	परभनी	पथारी	रमाबाई, अम्बेडकर शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी
1521.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	रमाबाई अम्बेडकर, परभनी
1522.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	रमाबाई महिला मंडल सोनलगी
1523.	नासिक	थाणे	कल्याण	रमाबाई महिला उत्कर्ष मंडल, समतानगर, डोम्बली (पू.) गोलवली
1524.	नागपुर	नागपुर	कामाथी	रमाई बहुउद्देश्यीय महिला मंडल, जाकेगांव
1525.	कोल्हापुर	सतारा	पाटन	रामानन्द वाचनालय, चायल
1526.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	रामचन्द्र पाटिल शि. संस्था, कोजीकोनूर
1527.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	रामचन्द्र पाटिल शि. संस्था, कोजीकोनूर
1528.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	रामचन्द्र पाटिल शि. संस्था, कोजीकोनूर
1529.	अमरावती	यवतमाल	दिग्रास	रामचन्द्र राठौड बहु. शि.सं., वसंत नगर, वदीली ता. दिग्रास
1530.	औरंगाबाद	बीड	बीड	रामदास आठवले सेवाभावी संस्था, अस्थी
1531.	जलगांव	मुक्ताईनगर	जलगांव	रामदेव बाबा बहु. सं., तकली
1532.	नासिक	जलगांव	राकेर	रामदेवजी बाबा ग्रामीण शि.प्र. मंडल, रावेर
1533.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	रामेश्वर एस.पी.एम. किथोरा
1534.	कोल्हापुर	सिंधुदुर्ग	मालवा	रामेश्वर सार्वजनिक वाचन मंदिर देवलपाड़ा, अचरातीषा
1535.	औरंगाबाद	नान्देड़	नान्देड़	रामजी अम्बेडकर प्रतिष्ठान, देत्रवाचल, नान्देड़
1536.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	पायकल	रामकृष्ण बहु.शि.से. विथरु छाया, पाडेगांव, औरंगाबाद
1537.	नासिक	नासिक	नासिक	रामलखन क्रीड़ा मंडल, अनन्दवाली गंगाधर रोड
1538.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	रामलीला महिला बाल विकास मंडल, खेरवाड़ी
1539.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	रामलीला एस.पी.एम., ज्वालगा
1540.	औरंगाबाद	परभनी	त्रिन्दूरे	रामप्रसाद वामनराव कदम शि.प्रसा. मंडल, बोरी
1541.	नागपुर	गोन्डिया	गोन्डिया	रामराज्य बहु.शि.सं. रत्नारा
1542.	अमरावती	वासिम	मलेगांव	रामराव रामराज बाल विकास मंडल, मिल्डोनगर
1543.	औरंगाबाद	परभनी	पूरणा	रानी लक्ष्मीबाई महिला मंडल, परभनी
1544.	पुणे	सोलापुर	मल्सीरस	रणजीत जी. बिगरसेठी पट संस्था, मन्डवे
1545.	औरंगाबाद	बीड	बीड	रानूकमाता कृषि सेवाभावी संस्था, देवगांव

1	2	3	4	5
1546.	औरंगाबाद	बीड	बीड	रात्रकमाता सेवाभावी संस्था, सिन्धी
1547.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	राष्ट्र बल्कागार पुर्न. संस्था, कलेक्टर आ., अमरावती
1548.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	सिरोल	राष्ट्र सेवा दल, हैरवाड
1549.	पुणे	पुणे	पुरन्दर	राष्ट्र सेवादल, सास्वाद, जिला-थाणे
1550.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	राष्ट्र सेवादल पुणे द्वारा लता बंदगार, विधुवाडी, ता. परानदा
1551.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	रा. सेवादल पु. द्वारा ल.बं., बिधुवाडी, ता. कलम्ब, जि. उस्मानाबाद
1552.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	परानदा	-वही-
1553.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	राष्ट्रभक्ति बहु. शि. प्रसारक मंडल, लातूर
1554.	औरंगाबाद	नान्देड	नान्देड़	राष्ट्रहित विद्या प्रति. डा. अम्बेडकर नगर, नान्देड़
1555.	औरंगाबाद	नान्देड	नान्देड़	राष्ट्रमाता जिजाक महिला मंडल, नान्देड़
1556.	अमरावती	अमरावती	अन्जनगांव	राष्ट्रसंत आदर्श ग्राम वि. बहु. संस्था, बोराला, ता. अंजनगांव
1557.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	राष्ट्रसंत शि. प्रसा. मंडल, अमरावती
1558.	अमरावती	यवतमल	दिग्रास	राष्ट्रसंत तुकदोजी महा. बहु. गुरुदेवनगर, दिग्रास
1559.	अमरावती	अमरावती	अचलपुर	राष्ट्र सेवा दल, पुणे शाखा, अचलपुर, ता. अचलपुर, जि. अमरावती
1560.	नागपुर	नागपुर	कमाती	राष्ट्रीय बहु. महिला मंडल, नागपुर
1561.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	राष्ट्रीय एकात्मा शिक्षण प्रसारक मंडल, लातूर
1562.	पुणे	पुणे	पिम्परी	राष्ट्रीय कला क्रीड़ा शि. प्रसा. एंड गवली जि. सहयोगनगर
1563.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	परानदा	राष्ट्रीय सम्भावना संस्था राजापुरा गली, परान्दा
1564.	अमरावती	यवतमाल	घाटनजी	रसिकाश्रय संस्था मार्फत-महेश पवार, घाटी तहसील, ता. घाटनजी
1565.	नासिक	धुले	सिरपुर	राष्ट्रीय युवक केन्द्र, कोराडी
1566.	पुणे	अहमदनगर	जामखेड	रत्नदीप मेडिकल फा. रिसर्च सेन्टर, रत्नापुर
1567.	पुणे	सोलापुर	मल्सीरास	राव आदर्श सार्वजनिक वाचनालय, श्रीपुर
1568.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्दूरी	रविकिरण शिक्षा प्रसा. मंडल, परभनी
1569.	औरंगाबाद	नान्देड़	नान्देड़	रविन्द्र बहु. शिक्षा प्रसारक मंडल, दोनगांव
1570.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	रविन्द्रनाथ टैगोर शैक्षणिक संस्था, चालीसगांव
1571.	पुणे	सोलापुर	अक्कालकोट	रविप्रेममागसवर्गीली शिक्षण संस्था, अक्कालकोट
1572.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	रावसाहेब एम.पी.एम., कल्लूर
1573.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	रायत जी बहु.एस.एस., हन्दरगुल

1	2	3	4	5
1574.	नासिक	थाणे	कल्याण	रीप एजुकेशन एक्शन प्रोग्राम (रीप) सेंट जेवियर इंस्टीट्यूट आफ एजुकेशन 40ए न्यू मेरीनलाइन घूर्गेगेट, मुम्बई-20
1575.	कोल्हापुर	सांगली	जार	रेणुका महिला मंडल, उमदी
1576.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	रेणुका देवी सेवाभावी संस्था, परभनी
1577.	नासिक	थाणे	कल्याण	रेशमजी शिक्षण प्रसारक मंडल, भुंढा टिटवाला, जिला थाणे
1578.	नागपुर	चन्द्रापुर	कोरपाना	रेशमाजी सोनकम्बडे आदिवासी बहुद्देशीय शिक्षण परासरक मंडल
1579.	पुणे	सोलापुर	मंगलवेद	रेवासिद्धेश्वर ग्रा. संस्था, सोड्डी
1580.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुल्जापुर	रोहिणी बहुदेशीय सामाजिक और शैक्षणिक संस्था, तुल्जापुर
1581.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	रोशनी शिक्षण प्रसारक मंडल परभनी
1582.	कोल्हापुर	सतारा	पतन	रोटरी क्लब पतन
1583.	औरंगाबाद	लातूर	निलंगा	रुद्रमाता एम. विकास मंडल, निलांगा
1584.	औरंगाबाद	लातूर	निलंगा	रुकमणीबाई बी. संस्थाबूर
1585.	औरंगाबाद	लातूर	ओसा	रुकमणीबाई एस.एस.
1586.	नासिक	थाणे	थाणे	रूपादेवी शिक्षण समिति, इंदिरा नगर, थाणे
1587.	नासिक	थाणे	जवाहर	रूरल वोमेन डेवलपमेंट फाउंडेशन, जवाहर
1588.	पूणे	सोलापुर	बर्शी	एस दीन दयाल बहुदेशीय कृदा और शिक्षण पी.एम.जी. विजय प्रताप युवा मंच, बर्शी
1589.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	एस.ए.वी. उमार्ती
1590.	पुणे	अहमदनगर	अहमदनगर	एस.एम.आई. फाउंडेशन नगर
1591.	कोल्हापुर	सतारा	मन	एस.एस. घोरपाडे व्यायाम मंडल, माहसवाड़ा
1592.	नासिक	जलगांव	यावतलम	एस.वी.पी.एम., साकली
1593.	नासिक	जलगांव	यावतलम	एस.वी.पी.एम., पाल
1594.	नागपुर	नागपुर	कातोल	सरवाली सुल्तान बहुद्देशीय संस्था, पिम्पलेगांव
1595.	पुणे	पुणे	पिम्परी चिंचवाड	साद प्रतिष्ठान चिंचवाड अश्विनी अपार्टमेंट 34/1 चिंचवाड बासाहर केशवनगर, चिंचवाड, पुणे-33
1596.	नागपुर	नागपुर	सवनेर	सदानन्द बहुद्देशीय नवयुवक शिक्षण संस्था, कोच्वी
1597.	कोल्हापुर	सांगली	वाल्वा	सदानन्द परसंस्था, सापली
1598.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	सद्गुरू बगदबाबा शिक्षण संस्था, सोन्याल
1599.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	यद्गुरु बगदबाबा, शिक्षण संस्था, सोन्याल

1	2	3	4	5
1600.	नासिक	धुले	साकरी	सद्गुरू बहुद्देशीय संस्था, रोहाद, मु, पीओ रोहाद
1601.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद	सद्गुरु सांई विश्वशांति शिक्षण प्रसारक मंडल, एन 13, बारत नगर हडको, औरंगाबाद
1602.	नासिक	धुले	साकरी	सद्गुरू सेवाभावी संस्था, पेरेजपुर मु.पी.ओ. पेरेजपुर
1603.	कोल्हापुर	सतारा	खाटव	सद्गुरु वाई.जे.के. मंडल, मायनी
1604.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	शिरोल	सदगुरु पंत महाराज सेवा संस्था, इचलकारंजी
1605.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	शिरोल	सदगुरू पंत महाराज सेवा संस्था, इचलकारंजी
1606.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	इचलकरंजी	सदगुरु महाराज शिक्षण प्रसारक मंडल
1607.	औरंगाबाद	लातुर	औसा	सागर बहुद्देशीय सेवा संघ
1608.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तूर	सागर सेवाभावी संस्था, सावली
1609.	नागपुर	चन्द्रपुर	चिमूर	सहजीवन वृक्ष पल्लवी श्रम संस्कार संस्था, जामभूलधार ताल्लुक चिमूर
1610.	अमरावती	अकोला	अकोला	सहकार सार्वजनिक वाचनली, सहकार नगर, अकोला
1611.	पुणे	सोलापुर	करमाला	साहित्यरत्न अन्नाभाव साठे समाज सेवा मंडल, राघव
1612.	औरंगाबाद	परामनी	परामनी	साहिद्री व्यायामशाला एण्ड कदा मंडल, परामनी
1613.	नागपुर	नागपुर	कामती	साई महिला मंडल, महाशाला
1614.	नागपुर	नागपुर	कुही	साई सार्वजनिक ग्रामीण विकास संस्था, कुही
1615.	औरंगाबाद	परामनी	जन्तूर	साई सार्वजनिक संस्था, चारथना
1616.	पुणे	अहमदनगर	श्रीगौंडे	साई शिक्षण प्रसारक मंडल, काशती
1617.	कोल्हापुर	सतारा	पतम	साईबाबा जी.वी.एस.एस. कुम्भरगांव
1618.	औरंगाबाद	बीड	बीड	साईं बाबा सेवाभावी संस्था और शिक्षण प्रसारक मंडल
1619.	औरंगाबाद	परभनी	पठारी	साईं बाबा सेवाभावी संस्था, पठारी
1620.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वाघला	साईं बाबा शिक्षण प्रसारक मंडल, बजरंग नगर, नांदेड़
1621.	नासिक	थाणे	कल्याण	साईयसोर शिक्षण मंडल, एम.पी. रोड, गरीबचा वाडा, दोम्बीवली (वेस्ट)
1622.	नासिक	जलगांव	पचौरा	सेंट जनार्दन बहुद्देशीय मंडला, धुर्सदी
1623.	नासिक	जलगांव	जलगांव	सेंट सेनानवी बहुद्देशीय संस्था, खदिरोनगर, जलगांव
1624.	अमरावती	यावतमल	धाखा	सेंट शिरोमणि नामदेव महाराज संस्था, राममंदिर रोड, धखा जिला यावतमल

1	2	3	4	5
1625.	नागपुर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	सेंटान्यू एजुकेशन सोसायटी, घाटकोपर वार्ड, चन्द्रपुर
1626.	नासिक	थाणे मीरा	भयन्दर	साई साई योग शिक्षण प्रसारक संस्था, मुम्बई
1627.	अमरावती	अमरावती	मोर्शी	सैयद वेल्फेयर शिक्षण संस्था, अंजनगांव
1628.	कोल्हापुर	रतनागिरी	गुहागर	साखरी एग्री. ग्राम पंचायत
1629.	औरंगाबाद	परभनी	पठारी	सखी महिला मंडल, देवनन्द्रा
1630.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	सखी महिला मंडल, उल्हासनगर 4, जिला थाणे
1631.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सलाम एजुकेशन सोसायटी, बीड
1632.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	समाधान शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी
1633.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	शिरोल	समाज भूषण मंडल, इचलकरंजी
1634.	औरंगाबाद	लातुर	लातुर	समाज जागृति शिक्षण संस्था, मुरूद
1635.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्ण	समाज कल्याण सेवा भावी संस्था, बमानी
1636.	कोल्हापुर	सांगली	मीराज	समाज परिवर्तन केन्द्र डा. अम्बेडकर नगर, सांगली
1637.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	समाज प्रबोधन सेवाभावी संस्था, तकाली कु.ता. परभनी
1638.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	समाज सहायक संस्था, उल्हासनगर-5
1639.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	समाज सुधारक महिला मंडल, पठारी
1640.	पुणे	सोलापुर	बार्शी	समाज उन्नति मंडल, शेलगांव
1641.	पुणे	पुणे	भोर	समाज विकास संस्था, किवले, ताल भोर, जिला थाणे
1642.	औरंगाबाद	लातुर	ओसा	सामाजिक अरोग्य सेवा संस्था, लातुर
1643.	औरंगाबाद	लातुर	लातुर	सामाजिक आरोग्य युवा मंडल
1644.	औरंगाबाद	लातुर	लातुर	सामाजिक आरोग्य युवा मंडल, लातुर
1645.	कोल्हापुर	सांगली	वाल्वा	सामाजिक महिला विकास संस्था, इस्लामपुर
1646.	कोल्हापुर	सांगली	वाल्वा	सामाजिक महिला विकास संस्था, इस्लामपुर
1647.	नासिक	जलगांव	अमलनेर	सामाजिक शैक्षणिक कुशी राम विकास मंडल, शिरूद
1648.	पुणे	रायगढ़	पेन	समाज विकास सहाय और प्रतिपालन प्रोग्राम, पेन
1649.	औरंगाबाद	लातुर	ओसा	समग्र ग्रामीण वी एस एस
1650.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	समर्थ एजुकेशन सोसायटी, पैंसिल कंपनी के पास, उल्हासनगर-4
1651.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	समर्थ सेवा भावी संस्था, धानेगांव समग प्रबोधन संस्था तकाली, कु.ता., परभनी
1652.	नासिक	जलगांव	धरनगांव	समर्थ बहुद्देशीय संस्था, जलगांव

1	2	3	4	5
1653.	पुणे	अहमदनगर	श्रीरामपुर	समर्थ मानव विकास संस्था, बेलापुर गांव
1654.	औरंगाबाद	परभनी	जिंचर	समता ग्राम विकास मंडल, जिन्वर
1655.	पुणे	रायगढ़	कारजाट	समता केन्द्र भीसेगाव, ताल्लुक कारजाट
1656.	पुणे	सोलापुर	अक्कालकोट	समता क्रिडा और शिक्षण और बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, तोलगुर
1657.	अमरावती	यावतमाल	वाणी	समता महिला मंडलरन्गारी पुरावार्ड-16, वाणी, ताल्लुक डी वाणी, जिला यावतमाल
1658.	नागपुर	नागपुर	सावनेर	समता महिला मंडल, हेती
1659.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुल्जापुर	समता सामाजिक विकास संस्था, तुल्जापुर
1660.	औरंगाबाद	नांदेड़	नांदेड़-वाघला	साम्यक प्रबोधन प्रतिष्ठान, नांदेड़
1661.	पुणे	पुणे	पुणे	सम्भाजी शिक्षण संस्था, सैयद नगर, हादापसर
1662.	पुणे	रायगढ़	खालापुर	सम्भाजी स्पोर्टस क्लब एंड एसोसिएशन, खोपोली, ताल, खालापुर
1663.	पुणे	सोलापुर	नार्थ सोलापुर	सम्भाजी माने साहा, दूध संस्था साखेरेवड़ी
1664.	नासिक	जलगांव	रावेर	सामनार्थपन शिक्षण प्रसारक संस्था, रावेद
1665.	नासिक	थाणे	अम्बरनाथ	सम्राट सेवा मंडल, अम्बरनाथ
1666.	नासिक	नासिक	मालेगांव	समरिन एजु. एंड वेल्फेयर सोसायटी 316, सेनकबाद गली नं. 6, मालेगांव
1667.	अमरावती	यावतमल	यावतमल	समता बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, अशोक नगर, वार्ड-3, यवतमाल
1668.	नासिक	नासिक	नासिक	समता समाज विकास मंडल-2, जयप्रकाशनगर, शासकीय तन्त्र निकेतन औदुम्बर, दत्तामंदिर, एन रोड
1669.	कोल्हापुर	सांगली	वीरा	समता शिक्षण संस्था, वीरा
1670.	कोल्हापुर	सांगली	वीरा	समता शिक्षण संस्था, वीरा
1671.	नासिक	नासिक	नासिक	सम्यक महिला और बाल विकास केन्द्र 10 विशाखा, अपार्थ, वसन्त मार्केट के सामने
1672.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सेना अपन्गा एजुकेशन सोसायटी, बीड
1673.	कोल्हापुर	सतारा	पंचगनी	सेना शिक्षण संस्था, पंचगनी
1674.	नासिक	जलगांव	चोपदा	संदेश संस्था, घोडगांव
1675.	नासिक	जलगांव	पचोरा	साने गुरूजी अध्ययन मंडल, पचोरा
1676.	औरंगाबाद	बीड	बीड	साने गुरूजी शिक्षण प्रसारक संस्था
1677.	नासिक	जलगांव	अमलनेर	सानेगुरूजी फाउंडेशन, अमलनेर

1	2	3	4	5
1678.	नासिक	नासिक	मालेगांव	साने गुरूजी परिवार शिक्षण प्रसारक मंडल, रावलगांव नाका, भालेगांव कैम्प
1679.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	कन्नड	सानेगुरुजी शिक्षण प्रसारक मंडल, विवेकानन्द कालोनी, कन्नड
1680.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	संघमित्र शिक्षण और ग्राम विकास संस्था, गंगाखेड
1681.	औरंगाबाद	बीड	बीड	संघर्ष सेवाभावी संस्था, पिपलवंडी
1682.	पुणे	सोलापुर	पंधारपुर	संघर्ष युवक श. संस्कृ. संस्था, उम्बरगांव
1683.	अमरावती	यावतमाल	वाणी	संघमित्र महिला जागृति मंडल, रामपुरा वार्ड वाणी, ताल. वाणी, जिला-यावतमाल
1684.	नागपुर	गादचिरोली	आरमोरी	संघप्रिया शिक्षण संस्था, वल्साकी
1685.	नागपुर	गादचिरोली	बामरागढ़	संघप्रिया शिक्षण संस्था, वल्लाकी
1686.	नागपुर	गादचिरोली	इट्पल्ली	संघप्रिया शिक्षण संस्था, वल्लाकी
1687.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	संघजीवनी सेवाभावी संस्था, परभनी
1688.	पुणे	अहमदनगर	संगमनेर	संग्राम कैरियर अकादमी, संगमनेर
1689.	पुणे	अहमदनगर	संगमनेर	संग्राम कैरियर अकादमी, संगमनेर
1690.	औरंगाबाद	परभनी	जिंचर	संग्राम कृदा युवक कल्याण एवं संस्था मंडल, जन्म खु.
1691.	नासिक	जलगांव	रावेर	संजीवन तांत्रिक सांस्कृतिक शिक्षण मंडल, रावेर
1692.	नासिक	धुले	साकरी	संजीवनी एजु. सोसायटी, साकरी
1693.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	संकल्प महिला मंडल, गंगाखेद
1694.	औरंगाबाद	परभनी	सेलु	संकल्प मानव विकास संस्था, भन्दरवाडा
1695.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	संकल्पसेवा भावी संस्था, पर्व
1696.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्ण	संकल्प सेवा भावी संस्था, पर्व
1697.	नासिक	नान्दूरबार	तालोदा	संस्था, धुले
1698.	कोल्हापुर	सतारा	मन	संस्कार भारती शिक्षण मंडल, परयन्ती
1699.	औरंगाबाद	बीड	बीड	संस्कार शिक्षण प्रसारक मंडल, वादवानी
1700.	औरंगाबाद	बीड	बीड	संत भगवान बाबा सेवा भाई संस्था, दोनापुर
1701.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	संत चोखा महर सेवा भावी संस्था, परभनी
1702.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	संत वामाजी आपा सारवतरिक वाचनालय एम.यू./आरखेड
1703.	अमरावती	वाशिम	भालेगांव	संत दिरायानेश्वर बहुद्देशीय एस.पी.एम. तलप बी
1704.	अमरावती	वाशिम	वाशिम	संत दयानेश्वर मंडल

1	2	3	4	5
1705.	कोल्हापुर	सांगली	मिराज	संत दयानेश्वर शिक्षण संस्था, बेधगांव
1706.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	संत दयानेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, नावा
1707.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्वर	संत दयानेश्वर प्रसारक मंडल, परभनी
1708.	पुणे	सोलापुर	वारसी	संत दयानेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल उपथाझी रोड, वार्शी
1709.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	संत दयानेश्वर सार्वजनिक वाचनालय सोतरा
1710.	नासिक	धुले	सिरपुर	संत गदाज नगर, शिक्षण प्रसारक संस्था, ता. सिरपुर
1711.	अमरावती	अमरावती	चन्दूर बाजार	संत गादजेबाबा बहुगलो संस्था, श्री कशरिया कालोनी, चन्दूर बाजार जिला-अमरावती
1712.	नासिक	जलगांव	जलगांव	संत गादजेबाबा सामाजिक बहुद्देशीय संस्था वारद, खु.
1713.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	संत गादजे बाबा सेवाभावी संस्था, सिंगानापुर
1714.	नासिक	नन्दूरबार	अम्बुसल	संत गादजेबाबा शैक्षणिक संस्था
1715.	अमरावती	वाशिम	वाशिम	संत गाजेनान महाराजा शिक्षण संस्था, वाई
1716.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	संत जनबाई भगसवागिया महिला ग्रामीण विकास सेवाभावी संस्था, खादगांव
1717.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वाघला	संत कबीर शिक्षण प्रसारक मंडल, एकलारा, ताल. मुखेद, जिला नांदेड
1718.	अमरावती	वाशिम	वाशिम	संत मेजापुरी एम.एस. प्रसारक मंडल, कजलास
1719.	औरंगाबाद	बीड	बीड	संत मोली सेवाभावी संस्था, मोरेवाडी
1720.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	संत मोतीराम महाराज सेवाभावी संस्था, दामपुरी
1721.	औरंगाबाद	बीड	बीड	संत नरहारी सेवाभावी संस्था, धारूर
1722.	नासिक	थाणे	वाडा	संत निवरीतीनाथ वनवासी प्राथमिक समाज शिक्षण संस्था, खेरे अम्बीवली वाडा
1723.	औरंगाबाद	बीड	बीड	संत रोहीदास सेवाभावी संस्था
1724.	औरंगाबाद	बीड	बीड	संत रोहीदास सेवाभावी संस्था
1725.	औरंगाबाद	बीड	बीड	संत रोहीदास सेवाभावी संस्था, चिंचावान
1726.	औरंगाबाद	बीड	बीड	संत रोहीदास सेवाभावी संस्था, मानेवाडी
1727.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	संत साईबाबा शिक्षण संस्था, रानीसावगांव
1728.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	संत सवता महिला मंडल, जिन्वर
1729.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	संत सवता माली सेवाभावी संस्था, मानवत

1	2	3	4	5
1730.	अमरावती	वाशिम	भालेगांव	संत सवतामाली एम.पी.एम. वाती संस्था, शिरपुर
1731.	नासिक	जलगांव	चोपडा	संत सावतामाली एस.पी.एम. वाती संस्था, शिरपुर
1732.	औरंगाबाद	परभनी	पूरना	संत शिरोमणि सवता महाराज शिक्षण प्रसारक मंडल पेठशिवानी, जिला पालम
1733.	औरंगाबाद	बीड	बीड	संत वामनभाव सेवा भावी संस्था, चिंचोली
1734.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्त्र	संत जानाबाई महिला मंडल कुसादी
1735.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्त्र	संत सेना महाराज सेवाभावी संस्था, चारथाना
1736.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	संत गार्डेग महाराज महिला सेवा भावी संस्था, ताडकैलाश
1737.	नागपुर	चन्द्रपुर	ब्रह्मपुरी	संत अहिल्या कोटूक बाबा संस्था
1738.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	संत एकनाथ घोसिकर एम
1739.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	कन्नड	संत गार्डेग शिक्षण संस्था, सम्भाजी कालोनी, कन्नड
1740.	औरंगाबाद	लातूर	अहमदपुर	संत गोईंग बाबा बहु एसएस, डोगराज
1741.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	संत गंगा राम बाबा बहु एसएस, देवरजन
1742.	औरंगाबाद	लातूर	औसा	संत नरहरि सुनार सेवा संघ, ओसा
1743.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	गंगापुर	संत रोहिदास शिक्षण प्रसारक मानद लासूर स्टेशन, एम पोस्ट लासूरस्टेशन, ताल, गंगापुर
1744.	पुणे	अहमदनगर	नेवासा	संत राम मामा गावडे निवासा फटा
1745.	पुणे	पुणे	पिंपरी-चिंचवाड	संतुलन संस्था अजिनक्या हाउस, बडगांव पुणे-14
1746.	नागपुर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	संयुक्त महिला मंच, रामनगर वार्ड, चन्द्रपुर
1747.	नासिक	थाणे	कल्याण	सम्प्रेम संस्था, पंचाशील भवन, दुर्गा माता मंदिर रोड, कटमनावली, कल्याण (ई)
1748.	नागपुर	चन्द्रापुर	चन्द्रपुर	सप्तश्रृंगी शिक्षा समिति, जो हेड, पटनापुर वार्ड, चन्द्रपुर
1749.	पुणे	अहमदनगर	नेवासा	सप्तश्रृंगी ग्राम विकास प्रतिष्ठान
1750.	नासिक	थाणे	थाणे	सप्तश्रृंगी महिला मंडल, ई 1/38/बी-4,सेक्टर-8, नेस्ल नई मुम्बई-400706
1751.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सप्तरत्न उद्देश्यीय सेवाभावी संस्था और शिक्षण प्रसारक मंडल
1752.	नासिक	धुले	शिरपुर	शारदा बहुउद्देशीय सेवा संस्था, श्रीपुर
1753.	नासिक	जलगांव	चौपडा	सरस्वती बहुउद्देशीय शैक्षणिक संस्था, विश्वाद
1754.	औरंगाबाद	परभनी	सेलू	सरस्वती जोथेल ग्रंथालय, कुपटी

1	2	3	4	5
1755.	नासिक	थाणे	भिवन्डी	सरस्वती महिला मंडल कुरनूडे
1756.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सरस्वती सार्वजनिक वाचनालय, पथेरी
1757.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सरस्वती सेवाभावी संस्था, भडवडगांव
1758.	नागपुर	गढ़चिरोली	अहेरी	सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडल
1759.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडल पूर्णा
1760.	नासिक	जलगांव	धारनगांव	सरस्वती विद्या प्रसारक मंडल सतखेडा तालुका धारणगांव
1761.	नासिक	थाणे	अमरनाथ	सरस्वती विद्यानिकेतन, शिक्षण मंडल, अमरनाथ
1762.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वघाला	सरोजिनी नायडू शिक्षण प्रसारक मंडल, मौहल्ला सैयदानी, नांदेड
1763.	नासिक	नासिक	नासिक	सार्प संस्था, 1 नंदकुमार समिति, दिदांडी रोड, आनन्द पार्क, नासिक
1764.	कोल्हापुर	सांगली	मिराज	सरपंच ग्राम पंचायत महिशल
1765.	नासिक	थाणे	थाणे	सरस्वती शिक्षा संस्था बी. 13/2, दानिश्वर मुली सति, सेक्टर 18 कारवे, नई मुम्बई-400706
1766.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सरस्वती शिक्षण मंदिर संस्था, परभनी
1767.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडल, पूर्णा संत शिरोमणि महाराज शिक्षण प्रसारक मंडल, पेठासिवानी, पालम
1768.	पुणे	पुणे	पुणे	सारथी शिक्षण संस्था, वृन्दावन, समिति, सन्तनगर, खराडी
1769.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सार्वजनिक बाल संस्कार केन्द्र, बडवानी
1770.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सार्वजनिक सेवा भारती, मंडल, परभनी
1771.	नासिक	जलगांव	चौपडा	सार्वजनिक विकास अडीवाड
1772.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	सर्वांगीण ग्रामीण विकास प्रशिक्षण संस्था, मंजरी महसाला, तालुका नन्दगांव
1773.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	सर्वांगीण विकास संस्था, उदयपुर
1774.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	सर्वसेवा शिक्षण प्रसारक मंडल, निगाडी, बी
1775.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	सर्व सेवा शिक्षण प्रसारक मंडल निगाडी, बी
1776.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	सर्वसेवा विकास समिति, डारी कोनन
1777.	नासिक	थाणे	कल्याण	सर्वात्मक सामाजिक संस्था, विनायक चौक, कल्याण जनता बैंक के पास, कल्याण (ई)
1778.	पुणे	अहमदनगर	संगमनेर	सवेक्षण शिक्षण संस्था, राजपुर
1779.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सर्वोदय शिक्षण प्रसारक मंडल, आनन्दगोवा

1	2	3	4	5
1780.	अमरावती	यवतमाल	पुसाद	सर्वोदय बाबू ग्राम संस्था, डाकखाना, साखरटांडा, डाकखाना-पारडी, तालुका अभी जिला यवतमाल
1781.	नागपुर	चन्द्रपुर	चिमूर	सर्वोदय युवा विकास संस्था, गुरुदेव वार्ड, चिमूर
1782.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	सशक्त सखी संस्था, उस्मानाबाद
1783.	पुणे	पुणे	पुणे	स्नेह महिला मंडल संजीवनी कुंज, दांगड, पाटिल नगर बडागांव बी
1784.	नासिक	जलगांव	रावर	सतगुरु बहुउद्देशीय शैक्षणिक वित्व
1785.	नासिक	जलगांव	चौपडा	सतपुडा शैक्षणिक संस्था, करजाना
1786.	नासिक	नंदरबार	तलोडा	सतपुडा आदिवास
1787.	नासिक	जलगांव	यावलम	सतपुडा शिक्षा समिति, नारुल
1788.	नासिक	नंदरबार	धाड़गांव	सतपुडा बीएसकेएम काडार्स
1789.	अमरावती	यवतमाल	घाटंजी	संतरंगी बहुउद्देशीय ग्रामीण बीपी माडल द्वारा शयाम गोगथे पटबंधारे कालोनी, डेट कालीन के पास यवतमाल
1790.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	गंगापुर	सरस्वती शिक्षण प्रसारक मंडल, बालूजएम डाकखाना-भीमनगर, भावसिंगापुर, औरंगाबाद
1791.	औरंगाबाद	परभनी	सेलू	सत्यम शिवम सुन्दरम परभनी
1792.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	सत्य शोधक एसएस गुटसूर
1793.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वघाला	सत्य शोधक विचार मंच, अम्बेडकर नगर, नांदेड
1794.	औरंगाबाद	परभनी	जीन्तूर	भगीरथी भाई पाटिल सेवाभावी संस्था परभनी
1795.	औरंगाबाद	उस्मनाबाद	उस्मानाबाद	चन्द्रकला पाटिल महिला मंडल, थोकी, तालुका उस्मानाबाद
1796.	नागपुर	नागपुर	कुही	शकंतुला महिला बहुउद्देशीय संस्था, नागपुर
1797.	नासिक	थाणे	कल्याण	सोवाद सामाजिक संस्था, 1150, आरएस जारवनकर, मफाने तालुका कल्याण
1798.	नागपुर	नागपुर	नागपुर	सवादी शिक्षण संस्थान, मवाडा
1799.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सवाली सिवाभावी संस्था, पूरभा
1800.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्ना	पूर्मा सावाली सेवाभावी संस्था, पूरभा
1801.	औरंगाबाद	परभनी	सेलू	सवितामाली शिक्षण प्रसारक मंडल, धानेगांव
1802.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	सिरोल	सावित्री पूणे महिला विकास संस्था, कुरुदवाडी
1803.	पुणे	अहमदनगर	नेवासा	सावित्र भाई महिला ग्रामीण विकास नेवासा

1	2	3	4	5
1804.	कोल्हापुर	सतारा	कारद	सावित्री बाई फूले महिला मंडल, शेरे
1805.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सावित्री बाई फूले महिला मंडल, एखलपुर डी
1806.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सावित्री बाई फूले महिला मंडल, होनाला, तालुका तुलजापुर
1807.	औरंगाबाद	उसमानाबाद	तुलजापुर	सावित्री भाई फूले महिला मंडल, निमतलाई
1808.	नागपुर	नागपुर	सावनेर	सावित्री भाई फूले महिला विकास संस्था, पथारी
1809.	औरंगाबाद	परभनी	पथारी	सावित्री भाऊ फूले सेवा महिला मंडल, लातूर
1810.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	सावित्री भाई फूले सेवाभावी संस्था, नालवाडी
1811.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सावित्री बाई शिक्षण संस्था, मुंबई
1812.	नासिक	थाणे	वसाई	सावाली प्रतिष्ठान, थारूड
1813.	औरंगाबाद	बीड	बीड	स्वरकार ग्रामीम मित्र मंडल, वडाला, महादेव
1814.	पुणे	अहमदनगर	श्रीरामपुर	स्वाता महाराज सेवाभावी संस्था, धारगांव
1815.	नासिक	नासिक	मालेगांव	स्वाता महाराज सेवा भावी संस्था, धारगांव
1816.	पुणे	अहमदनगर	संगमनेर	सैय्यूद शिक्षा समिति, वीड
1817.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सीतल महिला मंडल, परभनी
1818.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	संत जुडास शिक्षा न्यास उत्तन, भिण्डर (डब्ल्यू) जिला, ठाणे
1819.	नासिक	थाणे	मीरा-भ्यन्दर	सेतु चेरिटेबिल ट्रस्ट मुम्बई शाखा मुम्बई, म्युनिसिपिल कारपोरेशन के पीछे, भड़ाई, भिवन्डी।
1820.	नासिक	थाणे	भिवन्डी	सेतु चेरिटेबिल ट्रस्ट मुम्बई शाखा, मुम्बई, नगर निगम पुस्तकालय के पीछे, मडाई, भिवंडी
1821.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सेतु चेरिटेबिल ट्रस्ट, मुम्बई शाखा, परभनी
1822.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सेतु सेवाभावी संस्था, शाखा परभनी
1823.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	सेवा सहकारी शैक्षणिक मंडल, चालीसगांव
1824.	पुणे	अहमदनगर	संगमनेर	सेवा संस्था मालवाडा
1825.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सेवालाल बहुद्देशीय संस्था, देव पिम्पटी
1826.	औरंगाबाद	परभनी	जीन्तूर	सेवालाल सेवाभावी संस्था, मोरी टांडा
1827.	पुणे	शोलापुर	मोहोल	श्री गणेश कृडा और श्री प्र. मंडल, पाटी
1828.	पुणे	शोलापुर	बर्सी	श्री हनुमान ग्रामीण विकास और शिक्षण प्रतिष्ठित, काणहे तालुका, वर्सी

1	2	3	4	5
1829.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	सबकारो नाइक भगसविज्ञ शिक्षण प्रसारक मंडल देवी नगर, टांडा
1830.	नासिक	जलगांव	ईरानडोल	शद्‌दोपासक महिला मंडल, इरानडोल
1831.	नासिक	नासिक	डंसमहंवद	शैफल्ला मिस्त्री शिक्षा और कल्याण समिति, पोस्ट बाक्स नं. 47, नयापुरा, मालेगांव
1832.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	शाहिद अन्ना साहिब राउत शिक्षण संस्था, बिरला, तालुका जिला-अमरावती
1833.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	शाहीन ग्रामीण विकास संस्था, अमरावती
1834.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	शाहु सी वैवहानालय और ग्रंथालय, अमालनेर
1835.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	शैक्षणिक और बहुउद्‌देशीय संस्था, ब्राह्मण शीवभी, तालुका चालीसगांव
1836.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	शैक्षणिक और बहुउद्‌देशीय संस्था, ब्राह्मण शीवभी, तालुका चालीसगांव
1837.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	शैक्षणिक बहुउद्‌देशीय भगसवासगिराय, शैक्षणिक संस्था-चालीसगांव
1838.	अमरावती	अमरावती	अंजनगांव	शकुंतला बहुउद्‌देशीय शिक्षण संस्था, दरियापुर
1839.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	शलिग्राम शिक्षण और सामाजिक संस्था, शेलगांव
1840.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	शालिग्राम शिक्षण। समाज कल्याण संस्था, शेलगांव तालुका गंगा खेड
1841.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	शालिनी देवी बहुउद्‌देशीय सेवा संस्था, लातूर
1842.	नासिक	धुले	धुले	शमा कल्याण और शिक्षा समिति, धुले
1843.	नासिक	धुले	शिरपुर	शनि मंदिर ट्रस्ट, खरदेबायू ता. सिरपुर
1844.	कोल्हापुर	संगली	के. महानकल	शंकरानाना घाघरे कला क्रीड़ा मंडल, छलगांव
1845.	पुणे	रायगढ़	खालापुर	शांति सम्राट सिद्धार्थ शिक्षण पीएम, खोपली
1846.	औरंगाबाद	लातूर	मीलांगा	शांतिनिकेतन युवा एसएस लातूर
1847.	नासिक	थाणे	भिवन्डी	शारदा महिला मंडल कारीवाली
1848.	अमरावती	यवतमाल	दरवाहा	शारदा महिला मंडल, गणेश मंदिर के पास, दरवाहा, जिला यवतमाल
1849.	नासिक	धुले	धुले	शारदा शैक्षणिक ट्रस्ट चालिसगांव रोड, धुले
1850.	नासिक	जलगांव	भदगांव	शारदा विद्या पी.एन. गुधे
1851.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	शीस्वामी समर्थ कृपा शिक्षण संस्था मंडल, उल्हासनगर 4, दोस्त, थाणे
1852.	पुणे	रायगढ़	महद	शीष साई ग्राम विकास संस्था, महट
1853.	नासिक	थाणे	वाडा	शेतकारी शेवमजूर उन्नति मंडल अवस्थि, बुदरुक वडा

1	2	3	4	5
1854.	कोल्हापुर	संगली	मिराज	शेव शिक्षण मंडल मिराज
1855.	नासिक	थाणे	दहानु	शिक्षण प्रसारक मंडल, कासा बुदल्कद्र, वड़ा
1856.	नागपुर	नागपुर	पारखेड़	शिक्षण प्रसारक संस्था मवाड़ा
1857.	नासिक	नंदरबार	अम्बुकल	शैक्षणिक क्रीड़ा विकास संस्था
1858.	नासिक	जलगांव	अमलनेर	शिक्षपेतेजक मंडल
1859.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	शिलजा शिवन कला मंडल, परभनी
1860.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड़	शिनिकेतन महिला विकास तथा सेवाभावी संस्था, बनवा
1861.	नासिक	जलगांव	इरानदोल	शितोल पंच मंडल, कसौदा
1862.	नासिक	धुले	सकरी	शिव छत्रपति कृषि तथा ग्रामीण विकास संस्था, तिरपोल
1863.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	शिव छत्रपति कृषि तथा ग्रामीण विकास मंडल, तिरपोल
1864.	औरंगाबाद	परभनी	पुराना	शिव प्रतिष्ठान सेवाभावी संस्था, कौडगांव, ता. पुरना
1865.	नासिक	थाणे	कल्याण	शिव सहाकार शिक्षण संस्था जुना आयरे रोड श्रीपद दर्शन, थाणे
1866.	पुणे	अहमदनगर	श्रीगोंडा	शिवशक्ति कला क्रीड़ा एस. प्रति हिरडगांव
1867.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	पारानाड़ा	शिव बहुद्देश्यीय सेवाभावी संस्करण सोन्नरी, वा. पारानाड़ा
1868.	नासिक	जलगांव	पचोरा	शिवाई बहुउद्देश्यीय शिक्षण मंडल, पचोरा
1869.	नासिक	जलगांव	यवालम	शिवाई शिक्षण मंडल, वदरी
1870.	औरंगाबाद	परभानी	पथरी	शिवाजी महाराज क्रीड़ा मंडल तथा व्यायामशाला, रेनापुर
1871.	औरंगाबाद	परभानी	सेलु	शिवाजी सेवाभावी संस्था, हट्टा
1872.	नागपुर	नागपुर	रामतेक	शिवाजी शिक्षण संस्था, कचूरवाही
1873.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	पारावाड़ा	शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडल, नांटूलवाड़ी ता. पारानाड़ा
1874.	नासिक	धुले	धुले	शिवाजी विद्याप्रसारक तथा सांस्कृतिक मंडल, निकुम्भे, एमयूपो. तालावाडीपाड़ निकुम्बे ता.जि. धुले
1875.	नासिक	जलगांव	परोला	शिवाजी व्यायाम मंडल, परोला
1876.	पुणे	सोलापुर	मालीशरास	शिवकृपा दुग्ध उत्पादक संस्था चंडीगढ़, ता. करमला
1877.	औरंगाबाद	पाराभनी	पाराभनी	शिवम शिक्षण प्रसारक मंडल, पुरना
1878.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुलजापुर	शिवानी बहुद्देश्यीय सेवाभावी संस्था, मालूम्बरा ता. तुलजापुर
1879.	पुणे	सोलापुर	करमला	शिवापार्वती महिला दुग्ध उत्पादक संस्था दहीगढ़ ता. करमला
1880.	पुणे	सोलापुर	अक्कलकोट	शिवप्रताप क्रीड़ा शिक्षण मंडल करमाला
1881.	पुणे	सोलापुर	करमाला	शिवशक्ति समाज सेवा मंडल, करमाला

1	2	3	4	5
1882.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	कन्नड	शिवब्रष बहुउद्देश्यीय विकास मंडल मालीवाड़ा, कन्नड
1883.	कोल्हापुर	सतारा	कराड	शिवछत्रपति गणेश मंडल गोपालनगर, करड
1884.	औरंगाबाद	बीड	बीड	शिवगर्जना सेवाभावी संस्था, खप्परवाड़ी
1885.	औरंगाबाद	लातूर	अहमदपुर	शिवजागृति विकास एम, नालेगांव
1886.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	शिवज्योति सामाजिक तथा शैक्षणिक विकास मंडल, सेगांव
1887.	नासिक	थाणे	थाणे	शिवनेरी इन्फो एजू. तथा वेल्फेयर ट्रस्ट, थाणे
1888.	नासिक	थाणे	थाणे	शिवनेरी इन्फो एजू. तथा वेलफेयर ट्रस्ट, थाणे
1889.	नासिक	जलगांव	इरानदोल	शिवनेरी क्रीड़ा मंडल, इरानदोल
1890.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	शिवनेरी क्रीड़ा मंडल, उल्हासनगर 4, जि. थाणे
1891.	औरंगाबाद	परभानी	पुरना	शिवनेरी रुग्णसेवा सेवाभावी संस्था, परभानी
1892.	पुणे	रायगढ़	भरुड	शिवनेरी उत्कृष मंडल, सल्लाव
1893.	नागपुर	चंद्रापुर	चंद्रापुर	शिवपार्वती महिला मंडल, एम.ई.एम. इंदिरानगर, चंद्रापुर
1894.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	शिवपार्वती महिला मंडल, परभनी
1895.	पुणे	अहमदनगर	करजत	शिवपार्वती विकास संस्था
1896.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	शिवप्रताप सेवाभावी संस्था, अरवी, ता. परभनी
1897.	कोल्हापुर	संगली	जन	शिवप्रतिष्ठान क्रीड़ा मंडल, खेराब
1898.	नासिक	थाणे	थाणे	शिवसमर्थ शिक्षण प्रसारक मंडल, थाणे
1899.	नासिक	नासिक	नासिक	शिवसंदेश महिला मंडल, उत्तम नगर, एकता चौक, सिडको, नासिक-9
1900.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	शिवसंध्या सामाजिक शैक्षणिक क्रीड़ा संस्था, साधना कॉलोनी, अमरावती
1901.	पुणे	पुणे	पिम्परी छिंछवाड	शिवशक्ति महिला मंडल, ए.एन. 184 साईपर्क उमेरगा
1902.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	शिवशक्ति प्रतिष्ठान दालिम्ब ता. उमेरगा
1903.	औरंगाबाद	बीड़	बीड़	शिवशक्ति सेवाभावी संस्था किन्बी
1904.	औरंगाबाद	बीड़	बीड़	शिवशंकर सेवाभावी संस्था बीडसांवांगी
1905.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्वर	शिवशंकर सेवाभावी संस्था, पुंगला
1906.	औरंगाबाद	बीड	बीड	शिवशंकर सेवाभावी संस्था तेक्मूर्ख
1907.	नासिक	नासिक	नासिक	शिवस्फूर्ति महिला मंडल जय भवानी रोड, एन. रोड
1908.	पुणे	सोलापुर	माटशिरस	शिवतेज दुग्ध संस्था गरवाई
1909.	पुणे	पुणे	पिम्परी, विंचवाड	शिवतेज क्रीड़ा तथा शिक्षण मंडल तपकीरनगर, कालेवाड़ी

1	2	3	4	5
1910.	औरंगाबाद	बीड़	बीड़	शिवतेज सेवाभावी संस्था, लाउड
1911.	नासिक	थाणे	थाणे	शिवइया शिक्षण संस्था, थाणे
1912.	नासिक	थाणे	कल्याण	शिवाई बालक मंदिर दोम्बी. ली. (ई)
1913.	नासिक	थाणे	मीरा भयंडर	शोभनाथ हनुमान यादव शिक्षण संस्था, भयांडर (ई) जि. थाणे
1914.	नासिक	थाणे	थाणे	श्रम श्रद्धा विकास मंडल, पंधेरीनगर दिवा, नवी मुम्बई-400708
1915.	औरंगाबाद	परभनी	पुरना	श्रमजीवी बहुद्देश्यीय प्रतिष्ठान परभनी
1916.	औरंगाबाद	नांदेड़	नांदेड़-वाघला	श्रमजीवी शिक्षण प्रसारक मंडल, असारजन जयप्रकाश नगर, ता.जि. नांदेड़
1917.	नासिक	नासिक	नासिक	श्रम सफलाय महिला संस्था शीलाताय सूर्यवंशी 3, वसुंधरा एस ओ सी चर्च के पीछे, राजसारथी के पास, इंदिरा नगर
1918.	नासिक	थाणे	भिवंडी	श्रमसफलाय सामाजिक संस्था, वंजरवाड़ी
1919.	औरंगाबाद	बीड़	बीड़	श्रमशक्ति सेवाभावी संस्था
1920.	नासिक	थाणे	कल्याण	श्री साई समर्थ प्रसारक मंडल, न्यू मनीषा नगर, वेतुकरपदा, कल्याण (डब्ल्यू)
1921.	नासिक	थाणे	उल्हासनगर	श्री साईं कृपा शिक्षा मंडल, उल्हासनगर
1922.	कोल्हापुर	सांगली	खानापुर	श्रेयास चेरिटेबल ट्रस्ट, लिंगरे
1923.	कोल्हापुर	संगली	खानापुर	श्रेयास एस.एस. वीटा
1924.	कोल्हापुर	संगली	वीटा*	श्रेयास एस.एस. वीटा
1925.	औरंगाबाद	बीड	बीड	श्री अनंतु कृषि विकास सेवाभावी रजोरी
1926.	कोल्हापुर	सतारा	वाई	श्री अम्बाबाई देवस्थान ट्रस्ट वाई
1927.	पुणे	सोलापुर	नार्थसोलापुर	श्री भतूरलिंग बहुउद्देश्यीय संस्था
1928.	पुणे	अहमदनगर	जामखेड	श्री छत्रपति शिवाजी आरोग्य प्रशिक्षण खरदी
1929.	पुणे	अहमदनगर	रहाता	श्रीदत्ता ग्रामीण विकास संस्था, रहाता
1930.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	औरंगाबाद	श्री धारेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, पालशी (सहार) एन-9, आर-26/196, रायगढ़नगर हाडको
1931.	नासिक	नासिक	नासिक	श्री एजु. सोओसी 19, यशोधन बी. हायर एचएसबी सौसा. हीरावाड़ी पंचवटी, नासिक, हीरावाड़ी
1932.	पुणे	सोलापुर	अक्कलकोट	श्री फत्तेसिंह शिक्षण संस्था
1933.	कोल्हापुर	सतारा	कराड	श्री गजाननमंडल ट्रस्ट कराड
1934.	अमरावती	अमरावती	अंजनगांव	श्री गणेश प्रसारक मंडल, कपूरातल्नी ता. अंजनगांव, जि. अमरावती

1	2	3	4	5
1935.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	श्री गुरुदत्ता नारायण प्रसारक चेरिटेबल संस्था
1936.	नासिक	जलगांव	जलगांव	श्री गुरुदेव सेवा चेरिटेबल ट्रस्ट इंद्रप्रस्थ नगर, जलगांव
1937.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	श्री जगदम्बादेवी एसवी, डोंगरशेल
1938.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	श्री कल्लेशर कृषि तथा ग्रामीण विकास संस्था, कालदेवली बाल ता. उमेरगा
1939.	कोल्हापुर	सतारा	खाटन	श्री नीनईदेवी एस.डी.यू.एस. भारकवाड़ी
1940.	नासिक	जलगांव	जलगांव	श्री महर्षि गौतम गुर्जर गौड़ ब्राह्मण समाज मंडल, बालाजीपेठ जलगांव
1941.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	श्री महातेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, दिग्गी, ता. उमेरगा
1942.	कोल्हापुर	सतारा	खाटन	श्री नीनईदेवी एस.डी.यू.एस. भारकवाड़ी
1943.	पुणे	रायगढ़	खालापुर	श्री राजमाता जीजाबाई विद्या विकास ट्रस्ट, खोपली
1944.	नासिक	नासिक	नासिक	श्री राम कृष्णा परमहंस विद्या निकेतन, दत्तानगर, पेठ रोड
1945.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	श्री रामलिंग बहु.एस.एम. हंदसर
1946.	नासिक	जलगांव	बोडवाड	श्री रेणुकादेवी सामाजिक शैक्षणिक वी. प्रसारक मंडल बोडवाड
1947.	अमरावती	अमरावती	दरयापुर	श्री साई बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था दरयापुर
1948.	पुणे	सोलापुर	पंधारपुर	श्री साईं शिक्षण प्रसारक मंडल भदगांव
1949.	नासिक	जलगांव	भदगांव	श्री साईकृपा शिक्षण प्रसारक मंडल, भदगांव
1950.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	बैजापुर	श्री समर्थ ग्रामीण विकास संस्था एम. पोस्ट जाम्बरगांव ता. बैजापुर
1951.	अमरावती	अकोला	अकोला	श्री संत दाबरे महाराज बहुउद्देश्यीय शिक्षण संस्था, गांधीग्राम ता. अकोला
1952.	अमरावती	अकोला	पतूर	श्री संत दाबरे महाराज बहुउद्देश्यीय विकास मंडल, 90 छतरी, ता. पतूर
1953.	नासिक	नासिक	नासिक	श्री संत नरहरि महाराज सेवा प्रसारक मंडल, ए स्वरगंगा, आर.टी.ओ. के सामने, पेथ रोड, नासिक
1954.	अमरावती	अकोला	अकोला	श्री संत साईं बाबा बहुद्देशीय आरोग्य और शिक्षण कृदा प्रसारक मंडल, बोरगांव मंजू वार्ड 1, अकोला
1955.	अमरावती	अकोला	अकोला	श्री संत साईं बाबा बहुद्देशीय आरोग्य और शिक्षण कृदा प्रसारक मंडल, बोरगांव मंजू वार्ड 2, अकोला
1956.	नागपुर	चंद्रपुर	सिनदेवही	श्री संत गंजन महिला शिक्ष मंडल, गुरुदेव चौक, सिनदेवाही
1957.	नासिक	जलगांव	जलगांव	श्री सती माता बहुद्देशीय संस्था, तनाजी मलुसुरे नगर, जलगांव

1	2	3	4	5
1958.	कोल्हापुर	सतारा	खटाव	श्री सेवागिरि प्रसारक मंडल पुसगांव
1959.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	श्री शाहु सत्य शोधक समाज, कोल्हापुर
1960.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	कोल्हापुर	श्री शाहु सत्य शोधक समाज, कोल्हापुर
1961.	औरंगाबाद	बीड	बीड	श्री तुलझाभवानी बहुद्देशीय संस्था
1962.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	श्री तुलझाभवानी महिला एम. राम पुत्र
1963.	पुणे	सोलापुर	माधा	श्री विट्ठल रुकमिणी सार्वजनिक वाचनालय और बहुद्देशीय संस्था, मोदालिब
1964.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	शिरोल	श्री योगीराज विकास सेवा संस्था
1965.	नासिक	नासिक	नासिक	श्री जीवेश्वर युवक उत्कर्ष संस्था 4087, श्री दत्त बेकरी, बुद्धवार पेठ, नासिक
1966.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	श्री पूजा सेवाभावी संस्था, छारथाना
1967.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	श्री संतोषी विद्या प्रसारक मंडल, पूरना
1968.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड़	श्री भगवान बाबा सेवाभावी संस्था, खण्डाली
1969.	नासिक	थाणे	थाणे	श्री छत्रपति शिवाजी शिक्षण। कृदा प्रसारक मंडल, एन.एल. 1 बी/47/7/सेक्टर-10, नेरुल नवी मुम्बई-400706, दूरभाष सं. 27722487
1970.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड़	श्री छत्रपति सम्भाजी व्यायामशाला और संसकुटिक मंडल, मुली
1971.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	श्री छत्रपति शिवाजी शिक्षण संस्था, कोहली, ता. हदगांव, जिला-नांदेड़
1972.	औरंगाबाद	परभनी	पुरन	श्री दत्त शिक्षण प्रसारक मंडल, देवगांव, ता. पुरन
1973.	औरंगाबाद	परभनी	पुरन	श्री हनुमान शिक्षण प्रसारक शिक्षण मंडल, देव-थाणे, ता. पुरन
1974.	औरंगाबाद	परभनी	पुरन	श्री शारदा माता आदर्श महिला मंडल और सा.आ.वि. संस्था, खंडाला, ता. पुरन, जिला-भरभनी
1975.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	श्री शिव छत्रपति शिक्षण प्रसारक मंडल, शेलगांव
1976.	पुणे	अहमदनगर	श्रीरामपुर	श्रीधर ग्रामीण समाज विकास और संशोधन संस्था, श्रीरामपुर
1977.	नासिक	धुले	धुले	श्रीकृष्ण कृदा सामाजिक, सांस्कृतिक मंडल, नेर, मु.पो.नेर.ता.जि. धुले
1978.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	श्रीकृष्ण बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, नवसारी जय सियाराम नगर, विलास नगर के नजदीक, अमरावती
1979.	नागपुर	नागपुर	कटोल	श्रीकृष्ण ग्राम विकास संस्था, वई
1980.	नागपुर	नागपुर	नरखेड	श्रीकृष्ण ग्राम विकास संस्था, वई

1	2	3	4	5
1981.	पुणे	रायगढ़	खलापुर	श्रीकृष्ण मित्रमंडल, खोपोली
1982.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	श्रीकृष्ण दर्शन बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, नवसारी जय सियाराम नगर, विलासनगर के नजदीक, अमरावती
1983.	पुणे	सोलापुर	मोहोल	श्रीकृष्ण बहुद्देशीय ग्रामीण विकास संस्था, नेतेगवडी
1984.	अमरावती	अकोला	अकोला	श्रीकृष्ण बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, पेंशनर्स प्लोट, सिंधी कैम्प, अकोला
1985.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	श्रीकृष्ण दर्शन बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, अमरावती
1986.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	श्रीकृष्ण दर्शन बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, जय सियाराम नगर, विलासनगर के पीछे, अमरावती
1987.	नासिक	जलगांव	भदगांव	श्रीकृष्ण शिक्षण प्रसारक मंडल, अचलगांव
1988.	औरंगाबाद	बीड	बीड	श्रीनाथ मानव सेवाभावी मंडल, नग्र
1989.	पुणे	सोलापुर	मलसिरास	श्रीराम बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, तंदुलवाडी
1990.	औरंगाबाद	लातुर	लातुर	श्रीराम बहुद्देशीय शिक्षण प्रसारक मंडल, लातुर
1991.	पुणे	सोलापुर	मलसिरास	श्रीराम देवस्थान ट्रस्ट, गिरवी
1992.	पुणे	सोलापुर	मलसिरास	श्रीराम धुध संस्था, करुडे, ब्लॉक मलसिरास
1993.	कोल्हापुर	रत्नागिरि	दपोली	श्रीराम ग्रामीण बिगरसेठी सहकारी ए.एस.एम. पंजपंधरी
1994.	कोल्हापुर	रत्नागिरि	दपोली	श्रीराम माछीमार सोसायटी
1995.	अमरावती	अकोला	बरसीटकली	श्रीराम मागस्वर्गीय जयकिसान समिति, कन्हेरी सराय, ता. बरसटकाली
1996.	नासिक	जलगांव	परोला	श्रीराम प्रभु विकास मंडल, शेवाले
1997.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	श्रीराम प्रतिष्ठान सैलु
1998.	औरंगाबाद	परभनी	पत्रारी	श्रीराम प्रतिष्ठान, सैलु
1999.	औरंगाबाद	परभनी	सैलु	श्रीराम प्रतिष्ठान, सैलु
2000.	पुणे	सोलापुर	मोहोल	श्रीराम समर्थ बहु संस्था, हिंगन
2001.	औरंगाबाद	परभनी	पठारी	श्रीराम सेवाभावी संस्था, नथारा
2002.	पुणे	सोलापुर	मलसिरास	श्रीराम व्यवसायी सहकारी संस्था, सावतगवहन गेट नं. 2
2003.	औरंगाबाद	ओसमानाबाद	भूम	श्यामनाथ ग्राम विकास मंडल, पतसंगवी, ता. भूम
2004.	नासिक	नंदरबार	तलोडा	श्री लोक कल्याण
2005.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड वाघला	सिद्धार्थ शिक्षण प्रसारक मंडल, देत्रावचल, नांदेड
2006.	नासिक	ओसमानाबाद	कलम्ब	सिद्धेश्वर ग्रामीण विकास मंडल, येरमाला, ता. कलम्ब, जि. ओसमानाबाद

1	2	3	4	5
2007.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	सिलोड	सिद्धेश्वर क्रूड़ा मंडल, मानिक नगर, ता. सिलोड
2008.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सिद्धेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, जिन्तौर
2009.	पुणे	सोलापुर	उत्तरी सोलापुर	सिद्धे रामेश्वर क्रूड़ा मंडल
2010.	अमरावती	अमरावती	नंदगांव खांडे	सिद्धार्थ बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, पुसनेर, ता. नंदगांव खांडे, जि. अमरावती
2011.	औरंगाबाद	लातूर	उद्गीर	सिद्धार्थ एस.पी.एम. जलकोटी
2012.	नासिक	जलगांव	जामनेर	सिद्धार्थ संस्था कसाब पिम्परी
2013.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सिद्धार्थ सेवाभावी संस्था, निपानिजावल्का
2014.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सिद्धार्थ सेवाभावी संस्था, उमर्द
2015.	कोल्हापुर	सिंधु दुर्ग	कुडाल	सिद्धेश्वर स्वयंरोजगार सावा संस्था मर्या-मंगांव, कलेवे मूगलेवाडी-मनगांव
2016.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सिद्धि विनायक सेवाभावी संस्था, बीड
2017.	कोल्हापुर	सतारा	खातव	सिद्धनाथ एस.डी.यू. दारूज
2018.	कोल्हापुर	संगाली	के. महकल	सिद्धेश्वर कला कृदा शैक्षणिक मंडल के.एम.
2019.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेडवघाला	सिगमा वेलफेयर एसोसिएशन सोसायटी, नांदेड़
2020.	औरंगाबाद	अकोला	एन.पी. पातुर	सर सैयद कल्याण और शिक्षा समाज, काझीपुरा, ता. पातुर
2021.	अमरावती	अकोला	एन.पी. पातुर	मागास्वर्गीय ग्रामीण महिला बहुशिक्षण और सामाजिक कल्याण मंडल, शनिवरपुरा, पातुर
2022.	औरंगाबाद	लातुर	औसा	सीतादेवी अकतपुर एस.एस.
2023.	औरंगाबाद	लातुर	औसा	सियासिद्ध बहुद्देशीय एम.वी., धौसा
2024.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सिरामिक महिला मंडल मसनगर, परभनी
2025.	अमरावती	अकोला	अकोला	श्रीमती गोदावरी बाई महिला और बाल विकास संस्था, गोरक्षण रोड, अकोला
2026.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	श्रीमती अरुणा राठी शिक्षण संस्था, वाल्कट कम्पाउंड, अमरावती
2027.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	श्रीमती अरुणा राठी शिक्षण संस्था, वाल्कट कम्पाउंड, अमरावती
2028.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	श्रीमती अरुणा राठी शिक्षण संस्था, वाल्कट कम्पाउंड, अमरावती
2029.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	श्रीमती अरुणा राठी शिक्षण संस्था, वाल्कट कम्पाउंड, अमरावती
2030.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	श्रीमती अरुणा राठी शिक्षण संस्था, वाल्कट कम्पाउंड, अमरावती
2031.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	स्नेही ग्रामीण विकास संस्था, पेठ पिपलगांव

1	2	3	4	5
2032.	नासिक	नासिक	नासिक	स्नेहवर्द्धिनी महिला मंडल, 26, सिद्धि विनायक सोसायटी, इंदिरा नगर
2033.	नासिक	थाणे	विक्रमत्रद	सोसायटी शिक्षक संचालित शिक्षण संस्था, वाडा
2034.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सोल्फर वेलफेयरसोसायटी, बीड
2035.	पुणे	पुणे	मावल	स्पीड सेंटर फॉर एजुकेशन ऑफ दी इकोनोमिककली डिजेबल्ड, नलेगांव, दभाडे, जि. थाणे
2036.	कोल्हापुर	सतारा	सतारा	स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्राम पंचायत
2037.	कोल्हापुर	सतारा	मन	स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्राम पंचायत
2038.	कोल्हापुर	सतारा	खाटव	स्थानिक स्वराज्य संस्था ग्राम पंचायत
2039.	नासिक	थाणे	मिवांडी	सुभाव नगर, लेलगू शिक्षण मंडल, मिवांडी
2040.	अमरावती	अमरावती	दरयापुर	सुभाषचन्द्र बोस न्याकला कृदा संस्कृति मंडल, समदा, ता. दरयापुर, जिला-अमरावती
2041.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सुबेदार रामजी अम्बेडकर युवक कृदा मंडल, सिद्धानपुर
2042.	अमरावती	अकोला	अकोला	सुदर्शन और बाल्मिक बहुद्देशीय शिक्षण संस्था, अकोला
2043.	नागपुर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	सुदर्शन मागास्वर्गीय महिला मंडल, पंचशील चौक, चंद्रपुर सुदर्शन मा
2044.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	सुफिया यूनिक मुस्लिम महिला, पातीपुरा, अमरावती
2045.	अमरावती	अकोला	अकोला	सुगत मागास्वर्गीय महिला संस्था, माता नगर, अकोला
2046.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	सुजाता शिक्षण प्रसारक शिक्षण संस्था, यशोदानगर नं. 1, अमरावती
2047.	पुणे	सोलापुर	मलसिरास	सुलसुमनदेवी महिला मंडल, विजयवाडी
2048.	पुणे	सोलापुर	मलसिरास	सुमित्रा श्री धुध उतायदान संघ, बिजवाडी
2049.	पुणे	अहमदनगर	श्रीरामपुर	सुनीता कला निकेतन ट्रस्ट, श्रीरामपुर
2050.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सुनीता सेवाभावी संस्था, वडझारी
2051.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	पैठन	सनरेज एजुकेशन महिला मंडल, एच. नं. 1/15-46, नेहरू रौफ कालोनी, औरंगाबाद
2052.	औरंगाबाद	ओसमानाबाद	उमर्गा	सुफाम ग्रामीण विकास संस्था, उदनपुर, ता. लोहार
2053.	औरंगाबाद	ओसमानाबाद	पैठन	सुप्रिमो एजुकेशन सोसल वेल्फेयर कल्चरल एंड स्पोर्ट्स सोसायटी, नेहरू चौक, चौधरी मोहल्ला, मौलाना रोड, पैठन
1054.	अमरावती	अकोला	पत्तूर	सुरभी महिला मंडल, शिक्षण संस्था, पस्तूल, कोठारी, तालुका पत्तूर
2055.	अमरावती	अमरावती	चिखलदारा	सूरज आदिवासी विकास संस्था, बोरी, पोस्ट सलौना, तालूका चिखलदारा

1	2	3	4	5
2056.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सुरभी सेवाभावी संस्था, मजलगांव
2057.	पुणे	पुणे	पिम्पपरी-चि	सुरभी सोसल अकादमी, संत तुकाराम नगर, पिम्परी पूणे-18
2058.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सुरेश दादा मित्रमंडल, परभनी
2059.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वागला	सूर्य ग्रामीण विकास मंडल, हद गांव तालूका हद गांव, जिला-नांदेड
2060.	अमरावती	अमरावती	अंजनगांव	सूर्यदर्शिय शिक्षण संस्था, अंजनगांव
2061.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तूर	सूर्यकांत धन्यवर्धिनी सेवाभावी संस्था, अथागांव बा.
2062.	नासिक	जलगांव	भूसावल	सूर्यवंशी पंचमहल कुरहे
2063.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सर्वोदय ग्रामीण विकास और शिक्षण संस्थान, नांदखेड़ा
2064.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	सर्वोदय सेवा भावी संस्था, परभनी
2065.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	सुशीला देवी महिला मंडल, मसला
2066.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	स्वर्ण शिक्षण प्रसारक मंडल, परभणी
2067.	अमरावती	वासिम	वासिम	सुविधा फाउंडेशन, रिसोड
2068.	औरंगाबाद	बीड	बीड	सुविधा बहुउद्देश्य संस्थान, मलिपारागांव
2069.	कोल्हापुर	सांगली	मिरज	सुविधा सलाहकार मंडल, 100 फुतीरोड, एम.एस.ई.बी. के पीछे, सांगली नई मराठी स्कूल
2070.	नासिक	थाने	भिवाड़ी	सुविधा ग्राहक मार्गदर्शक संस्था, पिम्पलगांव तालूका भिवाडी जिला-थाने
2071.	कोल्हापुर	सांगली	मिरज	सर्वोदया महिला मंडल, हरिपुर रोड पाटने प्लाट, सांगली
2072.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	सुवर्ता महिला विकास संस्था आदर्श नेहरू नगर, कांग्रेस नगर, अमरावती
2073.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	सोयगांव	सुयश बहुउद्देश्य शिक्षण संस्था, एम. नारलीबाग, तालूगा सोयगांव
2074.	नासिक	जलगांव	जलगांव	सुयोग शिक्षण प्रसारक मंडल, जलगांव
2075.	अमरावती	अकोला	बडशिष्टकाली	स्वामी गोविन्दराव मोरे मागसवर्गिय आदि विकास व्यायाम करिदा तथा सांस्कृतिक शिक्षण प्रसारक मंडल, तितवा जून, तालूका बडशिष्टकाली
2076.	पुणे	अहमदनगर	कोपाडगांव	स्वामी साय गंगाधर अवारेफु, कोपारगांव
2077.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	स्वामी साय श्री स्वामी गो. पाटील
2078.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	स्वामी वीरसावरकर प्रतिष्ठान, परभनी
2079.	अमरावती	अमरावती	अचलपुर	स्वामी यावेदकर शिक्षण संस्था, असादपुर तालूका अचलपुर, जिला-अमरावती

1	2	3	4	5
2080.	अमरावती	अमरावती	तिवासा	स्वामी लक्ष्मणराव मुहरकर, ग्रामीण मागसवर्गिय शिक्षण संस्था, गुरकुंज आश्रम तालूका तिवासा
2081.	पूणे	पूणे	पूणे	स्वाधर वालकन हाउस लोकोदेड रोड सेनापति बापत मार्ग, पुणे
2082.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वागला	स्वामी दयानंद शिक्षा संस्था गांधी नगर नांदेड
2083.	पूणे	सोलापुर	मंगलवेढा	स्वामी सामर्थ मंडल शिवगंज
2084.	नासिक	थाने	उल्लासनगर	स्वामी सामर्थ शिक्षण प्रसारक मंडल, उल्लास नगर-4 जिला-थाने
2085.	पूणे	सोलापुर	बारसी	स्वामी सामर्थ बहुउद्देश्य संस्था, उफाले (बी.) तालूका बारसी
2086.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	सिरोल	स्वामी सामर्थ क्रीड़ा तथा खेल व्यायाम ट्रस्ट वादव
2087.	पूणे	सोलापुर	मलशिरास	स्वामी सामर्थ महिला विकास मंडल, बेलापुर
2088.	पूणे	अहमदनगर	पाथरडी	स्वामी सामर्थ विकास मंडल पाथरडी
2089.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	स्वामी विश्वेश्वर सेवा भावी संस्था फूलेकलाश, तालूका-पूर्णा
2090.	नासिक	धुले	सकरी	स्वामी विवेकानंद आदि शिक्षण प्रसारक संस्था, बसरवाल, तालूका-सकरी
2091.	नासिक	जलगांव	पचौरा	स्वामी विवेकानंद बहुशिक्षण, अन्तूरली
2092.	नासिक	जलगांव	परौला	स्वामी विवेकानंद के.पी. मंडल, देवगांव
2093.	नासिक	जलगांव	जामनेर	स्वामी विवेकानंद एस., वकडी
2094.	नासिक	जलगांव	जामनेर	स्वामी विवेकानंद संस्था, चिंचखेड़ेतवा
2095.	औरंगाबाद	बीड	बीड	स्वामी विवेकानंद सेवा भावी संस्था बेलगुलवाडी
2096.	औरंगाबाद	परभनी	पत्थरी	स्वामी विवेकानंद सेवा भावी संस्था, मनावत
2097.	औरंगाबाद	बीड	बीड	स्वामी विवेकानंद सेवा भावी संस्था सुरलेगांव
2098.	नासिक	जलगांव	जानेर	स्वामी विवेकानंद शैक्षणिक संस्था वकड़ी
2099.	नासिक	धुले	धुले	स्वामी विवेकानंद शिक्षण मंडल, जूनेवाने, मू.पो. जूनवाने, तालूका-जिला-धूले
2100.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था मनवत
2101.	औरंगाबाद	परभनी	सेलू	स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था मनवत
2102.	औरंगाबाद	परभनी	पथरी	स्वामी विवेकानंद वाचनालय किन्होला
2103.	नासिक	जलगांव	करौला	स्वामी विवेकानंद विद्या प्रसारक मंडल देवगांव
2104.	औरंगाबाद	परभनी	पूर्णा	स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्था सिरकलाश
2105.	औरंगाबाद	लातूर	निलांगा	स्वामी विवेकानंद एस.एस.

1	2	3	4	5
2106.	औरंगाबाद	लातूर	अहमदपुर	स्वप्नपुत्री जी.वी.एस. अहमदपुर
2107.	अमरावती	यवतमाल	दिगरस	स्वप्नपुत्री एस.बी.के.जी.पी. मंडल, द्वारा स्वालकर भवन गेदमनगर, तालूका-जिला-यवतमाल
2108.	कोल्हापुर	सांगली	वल्लवा	स्वराज परिवर्तन केन्द्र हरिपुर
2109.	औरंगाबाद	परभनी	सेलू	स्वराज शिक्षण प्रसारक मंडल, सेलू
2110.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	स्वराज शिक्षण प्रसारक मंडल, सेलू
2111.	औरंगाबाद	बीड	बीड	स्वतंत्रता वीर सावरकर सेवाभावी संस्था, बीड
2112.	नासिक	जलगांव	अमलनेर	स्वतंत्रता वीर सावरकर के.एस.पी. मंडल
2113.	नासिक	जलगांव	अमलनेर	स्वतंत्रता वीर सावरकर क्रीड़ा प्रशिक्ष प्रसार मंडल, अमलनेर
2114.	अमरावती	अमरावती	दरियापुर	स्वायनदीप ग्राम विकास शिक्षण संस्था, अकोला, पो. अमला, तालूक दरियापुर, जिला-अमरावती
2115.	नासिक	नासिक	नासिक	स्वयं सेवा संस्था/शैक्षणिक संस्था
2116.	नासिक	नन्दूरबार	अमबुरूल	सांयसंगीत सामाजिक शैक्षणिक संस्था
2117.	नासिक	जलगांव	मुक्ताईनगर	टी.पी.पी.वी.पी. मंडल अचंडे
2118.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	कन्नड	ताहा शिक्षण प्रसारक मंडल विश्वानंद कालोनी
2119.	नासिक	धुले	धुले	तजमी केन्द्र इस्लामपुरा, देवपुर, धुले
2120.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वागला	तक्षशिला ग्रामीण विकास महिला तथा बाल विकास सेवा भावी संस्था, प्रभात नगर, नांदेड
2121.	नागपुर	चन्द्रपुर	मूल	तलूका-मूल जिला चन्द्रपुर
2122.	औरंगाबाद	परभनी	पथरी	तांत्रिक प्रशिक्षण संस्था, पथरी
2123.	नासिक	धुले	सिरपुर	तापी शैक्षणिक परिसर, मु.पो. आसुली, ता. सिरपुर
2124.	नासिक	जलगांव	करौला	तत्यासाहेब आर.एफ.पी. शिक्षण संस्था, देवगांव
2125.	नासिक	जलगांव	भदगांव	तत्यासाहेब आर.एफ.पी. शिक्षण संस्था, देवगांव
2126.	पूणे	सोलापुर	अकालकोट	तेजस्विनी महिला विकास संस्था, बुरहानपुर
2127.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वागला	तेजोमयी ग्रामीण विकास संस्था, तालनी, ता. हदगांव, जिला-नांदेड
2128.	नासिक	जलगांव	जौगांव	तेजोमयी विद्या प्रसारक मंडल विनोबा नगर, जलगांव
2129.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	तेराना चेरिटेबल ट्रस्ट, उस्मानाबाद अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोलापुर रोड, उस्मानाबाद
2130.	नासिक	उस्मानाबाद	कलम्ब	तेराना चेरिटेबल ट्रस्ट, उस्मानाबाद अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोलापुर रोड, उस्मानाबाद

1	2	3	4	5
2131.	नासिक	थाने	विक्रमगढ़	थाने जिला आदिवासी समाज उन्नति संघ, विक्रमगढ़
2132.	नासिक	थाने	अम्बरनाथ	दक्कन एजुकेशन ट्रस्ट
2133.	नागपुर	भंडारा	तुमसर	देवीनेशन सोसायटी
2134.	नासिक	जलगांव	रावेड	ग्रामीण शिक्षा सोसायटी खिरदी बू
2135.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	कुलताबाद	टायगर वेलफेयर सोसायटी, बीड
2136.	औरंगाबाद	बीड	बीड	तिरुपति बहुसेवाभावी संस्था पवारवादी
2137.	नासिक	नन्दूरबार	अम्बुरूल	तिरूपति शिक्षा तथा कला ट्रस्ट
2138.	नासिक	थाने	उल्लासनगर	तिरुपति शिक्षा सोसायटी उल्लासनगर-5
2139.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	तिरुपति महिला बहुउद्देश्य सेवा संघ
2140.	नासिक	थाने	कल्याण	त्रयलोलिया बुद्धा महासंघ सहायकगण 12, अमरापालीसो, घनश्याम गुप्ते रोड विष्णुनगर धुमवली (पश्चिम)
2141.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	त्रयम्बकेश्वर एस.पी.एम.
2142.	नासिक	थाने	कल्याण	त्रिदल शिक्षा सोसायटी गणपति चौक मोहाने, कल्याण जिला-थाने
2143.	नासिक	जलगांव	चालीसगांव	त्रिमूर्ति शिक्षा शैक्षणिक सोसायटी, चालीसगांव
2144.	औरंगाबाद	उस्मानबाद	उमेरगा	त्रिरत्न महिला बहुउद्देश्य संस्था, नायचकुर ता. उमेरगा
2145.	औरंगाबाद	लातूर	निलंगा	त्रिरत्न युवा मंच तागरखेडा
2146.	नागपुर	नागपुर	कालमेश्वर	तुकाराम स्वामी शिक्षा संस्था मोहपा
2147.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	तुलजाभवानी महिला मंडल परभनी, तालुका परभनी
2148.	पुणे	सोलापुर	बारसी	तुलजाभवानी महिला मंडल सेलगांव, ता. बारसी
2149.	औरंगाबाद	बीड	बीड	तुलजाभवानी बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था, बगुलदारा
2150.	औरंगाबाद	बीड	बीड	तुलजाभवानी बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था
2151.	औरंगाबाद	बीड	बीड	तुलजाभवानी बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था, लहनेवाडी
2152.	औरंगाबाद	बीड	बीड	तुलजाभवानी बहुउद्देश्य सेवाभावी संस्था, तकलगवन
2153.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	तुलजाभवानी सेवा भावी संस्था, धारासुरा
2154.	औरंगाबाद	बीड	बीड	तुलजाभवानी शिक्षण प्रसारक मंडल, अचेरचिंचोली
2155.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	तुलजाभवानी सार्वजनिक वाचनालय, कोरेगांववाडी ता. उमेरगा
2156.	पुणए	अहमदनगर	कोपाड़गांव	अच्छा तंत्रध्यान संगणक तथा तांत्रिक प्रशिक्षण केन्द्र, कोपाड़गांव
2157.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तूर	उधर्वा दीनात्मा सेवा भावी संस्था, बोरी

1	2	3	4	5
2158.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	उज्जवल महिला मंडल, वेंकटेश कालोनी, परसुराम टायपिंग, एस.आर.पी. कैम्प अमरावती
2159.	नासिक	थाने	उल्हासनगर	उज्ज्वल सार्वजनिक महिला मंडल, उल्लासनगर-4 जिला-थाने
2160.	नासिक	जलगांव	जौगांव	उकाब शिक्षा सोसायटी 173, भवानी पेठ, जलगांव
2161.	पुणे	रायगढ़	करजात	उललास परिसर एम. नेराल, करजात
2162.	कोल्हापुर	सतारा	मान	उमाकांत महिला बाल विकास शैक्षणिक विकास संस्था, पनवन
2163.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	उम्मत शिक्षा सोसायटी, चोपडा
2164.	अमरावती	अकोला	अकोला	यूनिटी शिक्षा सोसायटी, नियर रेलवे ब्रिज, नायगांव अकोला
2165.	नासिक	जलगांव	ऐरनाडोल	यूनिटी सोसल संस्था, ऐरनादोल
2166.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	यूनिवर्सल साइंस सेन्टर, स्कूपा दीपनगर, छतरी तलाब रोड, सबानपुरा, अमरावती
2167.	पुणे	रायगढ़	उरान	उरान नगर परिसर, उरान
2168.	औरंगाबाद	औरंगाबाद	सिलोद	उर्दू शिक्षा संस्था, सिवाना, मु.पो. सिवाना
2169.	नासिक	नासिक	मालेगांव	उर्दू प्राथमिक शिक्षा तथा संस्कृति शोध सोसायटी, 173, पवार गली, मालेगांव
2170.	नासिक	थाने	वसाय	उषा किरण शिक्षा सोसायटी
2171.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	उत्कर्ष महिला मंडल, पथरी
2172.	औरंगाबाद	परभनी	पथरी	उत्कर्ष महिला मंडल, पथरी
2173.	नासिक	धुले	धुले	उत्कर्ष शिवान और शिक्षा संस्था, धुले
2174.	अमरावती	यवतमाल	झाड़ी	युवा वेद मंच, द्वारा जैसवाल हाउस, सिंघानिया नगर और रोड, यवतमाल
2175.	अमरावती	यवतमाल	मारेगाव	युवा वेद मंच, द्वारा जैसवाल हाउस, सिंघानिया नगर और रोड, यवतमाल
2176.	औरंगाबाद	बीड	बीड	वदमवाली लोक विकास सेवाभावी संस्था पिम्पलगांव
2177.	औरंगाबाद	बीड	बीड	वदमवाली विद्यामंजल दहीफाल
2178.	नासिक	जलगांव	भुसावल	वाघुर शिक्षण प्रसारक मंडल सकेगांव
2179.	कोल्हापुर	सांगली	वीता	वभव शिक्षण संस्था, वीता
2180.	कोल्हापुर	सांगली	वीता	वैभव शिक्षण संस्था, वीता
2181.	कोल्हापुर	सांगली	वीता	वैभव शिक्षण संस्था, वीता
2182.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	वैभवराव ग्राम विकास प्रतिष्ठान, परभनी

1	2	3	4	5
2183.	अमरावती	अमरावती	मोर्सि	वैष्णवी महिला विकास संस्था, मोर्सि, ता. मोर्सि
2184.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	वाल्मिकी शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी
2185.	औरंगाबाद	परभनी	पथरी	वाल्मिकी शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी
2186.	औरंगाबाद	परभनी	सैलू	वाल्मिकी शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी
2187.	नासिक	जलगांव	चोपड़ा	व्लोद विद्या पी.एस. मंडल
2188.	पुणे	सोलापुर	पंडरपुर	वामनराम माने कला एवं क्रीड़ा मंडल, ईश्वरथार, ता. पण्डरपुर
2189.	औरंगाबाद	बीड	बीड	वनचाय बहुउद्देश्य सेवा भावी संस्था, बीड
2190.	औरंगाबाद	परभनी	सैलू	वनदेमातरम शैक्षणिक संस्था, कोल्हा
2191.	कोल्हापुर	सांगली	विरज	वनदेमातरम शिक्षण संस्था, माधव नगर
2192.	पुणे	रायगढ़	मूरूद	वनवासी विकास एस.एस. असोरजी, ता. मुरूद
2193.	पुणे	अहमदनगर	नेवासा	वर्धमान महावीर जैन स्थानक संघ, चंदा
2194.	कोल्हापुर	सांगली	तसगांव	वसंत यशवंत चेरिटेबिल ट्रस्ट, धूरधसरी
2195.	अमरावती	अकोला	अकोला	वसंती शिक्षण प्रसारक मंडल, नायेगांव, अकोला
2196.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	सिरूल	वसंतराव नागरकर भाटके एवं विमुक्त शिक्षण संस्था
2197.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	वसंतराव नाईक शिक्षण प्रसारक मंडल, नाईक नगर, उमेरगा
2198.	औरंगाबाद	लातूर	अहमदपुर	वसंतराव नाईक एस.पी. भाटी, टांडा
2199.	कोल्हापुर	सांगली	मिरज	वसेश्वर क्रिडा मंडल, खातव
2200.	औरंगाबाद	परभनी	पथरी	वेद सेवा भावी संस्थान, ताकलगवां
2201.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	वेद सेवा भावी संस्था, अकलगवां
2202.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	वेदिका महिला सेवा भावी संस्था, परभनी
2203.	पुणे	पुणे	पिंपरी-चिंचवाड	वेद समाज प्रबोधन मंडल, वैदुवस्ती पिम्पलगुरब, पुणे-27
2204.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	वीरसेव काकेया शिक्षण प्रसारक मंडल, बालाजी नगर उमेरगा
2205.	नागपुर	नागपुर	काटोल	विदर्भ ग्रामीण महिला और बाल विकास संस्था, कोंडली
2206.	नागपुर	नागपुर	काटोल	विदर्भ मार्गदर्शक संस्था काटौल
2207.	अमरावती	अकोला	अकोला	विदर्भ कृषि विकास शिक्षण संस्था, भतोढ़ी ग्राम पंचायत दताला, ता. मूर्तिजापुर
2208.	अमरावती	अकोला	मूर्तिजापुर	विदर्भ कृषि विकास शिक्षण संस्था, भतोढ़ी ग्राम पंचायत सांगवामेल, ता. मूर्तिजापुर

1	2	3	4	5
2209.	अमरावती	अकोला	मूर्तिजापुर	विदर्भ कृषि विकास शिक्षण संस्था, भतोड़ी ग्राम पंचायत सेलूबोन्डे ता. मूर्तिजापुर
2210.	अमरावती	अकोला	मूर्तिजापुर	विदर्भ कृषि विकास शिक्षण संस्था, भतोड़ी ता. मूर्तिजापुर
2211.	नासिक	धुले	सकरी	वेद विकास मंडल दानेर, मु.पो. दानेर
2212.	औरंगाबाद	लातूर	उदगीर	विधेयक केन्द्र एकुरका रोड
2213.	नासिक	थाने	विक्रमगढ़	विधेयक संसद साने गुरूजी वसाहट खरौदी, मलाड, मुम्बई-95
2214.	नासिक	थाने	वसाय	विधायक संसद उसगांव वसाय
2215.	नासिक	थाने	वाडा	विधायक संसद उसगांव वसाय
2216.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उस्मानाबाद	विद्या जागृति शिक्षण प्रसारक मंडल, तेर ता. उस्मानाबाद
2217.	नासिक	जलगांव	यावल	विद्या पी.एन. कोरपावली
2218.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	विद्या शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी
2219.	औरंगाबाद	परभनी	पथरी	विद्या शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी
2220.	औरंगाबाद	परभनी	सैलू	विद्या शिक्षा प्रसारक मंडल, परभनी
2221.	अमरावती	यवतमाल	मारेगांव	विद्या भारती शिक्षण प्रसारक मंडल, पो. पिम्परी, ता. हिन्गनघाट, जिला-वर्धा
2222.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	उमेरगा	विद्या जागृति शिक्षण प्रसारक मंडल, तेर ता. उस्मानाबाद
2223.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	ऐचलकरांजी	विद्यार्थी शिक्षण प्रबोधनी संस्था, जयसिंहपुर
2224.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	ऐचलकरांजी	विद्यार्थी शिक्षण प्रबोधनी संस्था, जयसिंहपुर
2225.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	ऐचलकरांजी	विद्यार्थी शिक्षण प्रबोधनी संस्था, जयसिंहपुर
2226.	पुणे	सोलापुर	अकालकोट	विद्यासागर शिक्षण तथा क्रिडा मंडल, जेउर
2227.	नागपुर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	विद्या विहार बहुउद्देश्य महिला मंडल, अशोक नगर चोरखिड़की, चन्द्रपुर
2228.	नागपुर	गढ़चिरोली	अहेरी	विद्याविहार शिक्षण संस्था, अहेरी
2229.	नासिक	जलगांव	रावेर	विद्या विकास मंडल, खिरदी खु, ता. रावेर
2230.	नासिक	जलगांव	धरनगांव	विद्यावर्धिनी महिला विकास बहुउद्देश्य संस्था, जलगांव
2231.	कोल्हापुर	सतारा	सतारा	विद्यावर्धिनी शिक्षण संस्था, नागथाने
2232.	नासिक	जलगांव	ऐरनादोल	विद्यावर्धिनी युवा विकास बहुउद्देश्य संस्था, जलगांव
2233.	नासिक	थाने	अम्बरनाथ	विघ्नहार सेवान्यास गुरुदत्त कोआपरेटिव सोसायटी, बदलापुर
2234.	अमरावती	यवतमाल	यवतमाल	विघ्नहर्ता ग्रामीण विकास संस्था, वैद्यनगर अर्नी रोड, यवतमाल

1	2	3	4	5
2235.	नागपुर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	विजयालक्ष्मी मंडली कलारी वार्ड, चन्द्रपुर
2236.	पुणे	सोलापुर	मलसिरास	विजय प्रताप युवा मंच अखलूज
2237.	पुणे	सोलापुर	मोहोल	विजय राज घोंगडे कला एवं सांस्कृतिक मंडल, अस्ती
2238.	पुणे	सोलापुर	अकालकोट	विजयराजे बहुउद्देश्य महिला प्रतिष्ठान अकालकोट
2239.	पुणे	सोलापुर	अकालकोट	विजयराजे बहुउद्देश्य महिला प्रतिष्ठान
2240.	नागपुर	नागपुर	सावनेर	विकास महिला मंडल, मानेगांव
2241.	कोल्हापुर	सिन्धुदुर्ग	कुदल	विकास प्रबंधन एवं अनुसंधान केन्द्र वेन्गरूला, समाज मंदिर अम्बेडकर नगर
2242.	कोल्हापुर	सिन्धुदुर्ग	कुदल	विकास प्रबंधन एवं अनुसंधान केन्द्र वेन्गरूला, भैरववाडी-नं. 1
2243.	कोल्हापुर	सिन्धुदुर्ग	कुदल	विकास प्रबंधन एवं अनुसंधान केन्द्र वेन्गरूला, भैरववाडी-नं. 2
2244.	औरंगाबाद	लातूर	निलांगा	विकास मंच चेरिटेबल ट्रस्ट, लातूर
2245.	कोल्हापुर	सतारा	खातव	विकास परिषद, लोनाड
2246.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	सिरोल	विकास शिक्षण प्रसारक मंडल, ऐचलकरांजी
2247.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तुर	विकास टेलरिंग ट्रेडिंग संस्था, चारथाना
2248.	नासिक	जलगांव	ऐरनादोल	विमल महिला संस्था, ऐरनादोल
2249.	पुणे	सोलापुर	कुर्दूवाडी	विमलता मागासर्वगीया श्रमिक महिला संघ कुर्दूवाडी
2250.	अमरावती	यवतमाल	डीगरास	विमुक्त जाती तथा अजामाती सर्वांगीण विकास संस्था, मन्नेवाडा नागपुर-24
2251.	पुणे	अहमदनगर	सांगमनेर	विरांगना शिक्षण प्रसारक मंडल निर्माण
2252.	औरंगाबाद	नांदेड	नांदेड-वागला	विरांगना जलकारी महिला तथा बाल विकास संस्था, चिकाली (बू.)
2253.	पुणे	सोलापुर	अकालकोट	विरापत्तुश्वर क्रिडा तथा शिक्षण मंडल
2254.	नासिक	थाने	उल्लासनगर	विशाल सहयाद्री शिक्षण संस्था, उल्लास नगर जिला-थाने
2255.	नासिक	नन्दुरबार	अम्बरूल	विशाल वाघनी संस्था
2256.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	ऐचलकरांजी	विश्वरतन दयान प्रबोधनी संस्था
2257.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	ऐचलकरांजी	विश्वरतन दयान प्रबोधनी संस्था
2258.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	ऐचलकरांजी	विश्वरतन दयान प्रबोधनी संस्था
2259.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	ऐचलकरांजी	विश्वरतन दयान प्रबोधनी संस्था
2260.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	ऐचलकरांजी	विश्वरतन दयान प्रबोधनी संस्था
2261.	कोल्हापुर	कोल्हापुर	ऐचलकरांजी	विश्वरतन दयान प्रबोधनी संस्था

1	2	3	4	5
2262.	नागपुर	चन्द्रपुर	सावली	विश्वेश्वरा बहुउद्देश्य विकास संस्था सावली, ता. सावली, चन्द्रपुर
2263.	पुणे	अहमदनगर	नागर	विश्वमंगल, प्रतिनगर
2264.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	विश्व अमानत सेवाभावी संस्था, कोदरी
2265.	औरंगाबाद	लातूर	अहमदपुर	विश्वगृजन एस.एस., लातूर
2266.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	विश्वगृजन शिक्षक प्रसारक मंडल, लातूर
2267.	पुणे	अहमदनगर	नेवासा	विश्वकार्मा ग्राम विकास प्रतिष्ठा, लोहगांव
2268.	नागपुर	चन्द्रपुर	चन्द्रपुर	विश्वकर्मा मंडल कलारीवाड, चन्द्रपुर
2269.	औरंगाबाद	बीड	बीड	विश्वकर्मा सेवाभावी संस्था जेवराय
2270.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	विश्वमित्रा सेवाभावी संस्था, गंगाखेड
2271.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	विश्वसागर एस.पी.एम., लातूर
2272.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	विश्वसागर एस.पी.एम., लातूर
2273.	औरंगाबाद	बीड	बीड	विश्वशांति अभियान सेवा भारती संस्था, मुरूद
2274.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	विश्वविज्ञान बहुउद्देश्य शिक्षण प्रसारक मंडल, मुरूद
2275.	पुणे	अहमदनगर	नागर	विश्वविकास प्रति धोरपुर
2276.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	विश्व रचना ग्रामीण शिक्षण संस्था, केकटपुर, जिला अमरावती
2277.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	विठ्ठल महिला मंडल, परभनी
2278.	औरंगाबाद	परभनी	पथरी	विठ्ठल रुक्मनि सेवा भावी संस्था, नथारा
2279.	कोल्हापुर	सांगली	मिरज	विठ्ठल नागरी पथसंस्था, मिरज
2280.	नासिक	जलगांव	ऐरनादोल	विठ्ठल शैक्षणिक संस्था, विखरान
2281.	औरंगाबाद	बीड	बीड	विवेकानन्द सेवा भावी संस्था, वातनवाडी
2282.	औरंगाबाद	उस्मानाबाद	तुलजापुर	विवेकानन्द शिक्षण संस्था, मंगरूल, ता. तुलजापुर
2283.	पुणे	सोलापुर	मलसीरास	विविध कार्यकारी सोसायटी, संगम
2284.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	विविध महिला मंडल, परभनी
2285.	पुणे	सोलापुर	बारसी	विडियो शिक्षण प्रसारक मंडल, (पिम्पलगांव) धास
2286.	औरंगाबाद	लातूर	लातूर	वेन्कटराव पाटील बहुउद्देश्य सेवा संस्था, लातूर
2287.	पुणे	रायगढ़	खालापुर	वासरांग स्पोर्टस क्लब, खोपोली, खालापुर
2288.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	वाल्मिकी शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी
2289.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	वनज्योति ग्राम विकास संस्था, संतोषी नगर अमरावती

1	2	3	4	5
2290.	अमरावती	अमरावती	अमरावती	वनज्योति ग्राम विकास संस्था, संतोषी नगर अमरावती
2291.	नागपुर	चन्द्रपुर	मूल	वार्ड नं. 16 विहिरगांव, ता. मूल, चन्द्रपुर
2292.	कोल्हापुर	रत्नागिरी	पेन्थ	वार्ड समिति श्री बागेश्वर विद्यामंदिर पलाथकिला आर.एन.पी. साला सं. 9
2293.	नासिक	नन्दूरबार	सहादा	वार्ड शिक्षण समिति
2294.	अमरावती	अकोला	अकोला	वसिम तकनीकी एसोसिएशन, अमरवेश, अकोला
2295.	नासिक	जलगांव	अमलनेर	वाई.एस. पाटील किसान सर्वमोफट
2296.	नासिक	जलगांव	अमलनेर	यमुनामय शिक्षा सोसायटी अमलनेर
2297.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	यारहीम सेवा भावी संस्था, परभनी
2298.	पुणे	सोलापुर	अकालकोट	यशोगुरू क्रिडा शिक्षा तथा बहुउद्‌देश्य संस्था
2299.	नासिक	जलगांव	जौगांव	यशराज शिक्षण प्रसारक मंडल, जलगांव
2300.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	यासिन शिक्षण संस्था, परभनी
2301.	नागपुर	चन्द्रपुर	कोरपाना	येलापुर ता. जिवाती
2302.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	येरला प्रोजेक्ट जाट
2303.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	येरला प्रोजेक्ट जाट
2304.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	येरला प्रोजेक्ट जाट
2305.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	येरला प्रोजेक्ट जाट
2306.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	येरला प्रोजेक्ट जाट
2307.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	येरला प्रोजेक्ट जाट
2308.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	येरला प्रोजेक्ट जाट
2309.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	येरला प्रोजेक्ट जाट
2310.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	येरला प्रोजेक्ट जाट
2311.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	येरला प्रोजेक्ट जाट
2312.	औरंगाबाद	परभनी	पथरी	योगानन्द महाराज शिक्षण प्रसारक मंडल, गुंज
2313.	औरंगाबाद	परभनी	पथरी	योगानन्द महाराज शिक्षण प्रसारक मंडल, परभनी
2314.	नासिक	जलगांव	परोला	योगेश्वर स,स्कृति मंडल, डी. सबराहन
2315.	नासिक	जलगांव	धरानगांव	योगेश्वर शिक्षण प्रसारक मंडल, पिपरीखू ता. धरानगांव
2316.	कोल्हापुर	सांगली	जाट	योगेश्वर महिला मंडल, बोरगी बी.
2317.	औरंगाबाद	परभनी	परभनी	योगेश्वरी सेवा भावी संस्था, घोडा, जिला-परभनी

1	2	3	4	5
2318.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	योगीराज निवृत्ती महाराज शिक्षण प्रसारक मंडल, पेंडू बू.
2319.	नासिक	थाने	जवाहर	योजना शिक्षा तथा सामाजिक कल्याण सोसायटी, नासिक रोड
2320.	अमरावती	अमरावती	मोर्सी	योगान्धरा महिला मंडल, हिवाडखेड, ता. मोर्सी
2321.	पुणे	पुणे	पिम्पडी-चिन्चवाड	योगेश्वर शिक्षा सोसायटी पवार नगर, सांधवी, पुणे-27
2322.	अमरावती	अकोला	ए.पी. अकोट	यूनियन शिक्षा सोसायटी, वार्ड नं. 1, अकोट
2323.	औरंगाबाद	परभनी	गंगाखेड	यशवंत शिक्षण प्रसारक मंडल, गंगाखेड
2324.	नागपुर	गडचिरोली	गडचिरोली	युवा ग्राम विकास प्रतिष्ठान, गडचिरोली
2325.	नागपुर	गडचिरोली	चारमोसी	युवा ग्राम विकास प्रतिष्ठान, गडचिरोली
2326.	औरंगाबाद	परभनी	जिन्तूर	युवा क्रीड़ा मंडल, कुराडी
2327.	औरंगाबाद	लातूर	निलांगा	युवा विकास संस्थान निलांगा
2328.	औरंगाबाद	बीड	बीड	युवा ग्राम सेवा भावी संस्था, धरूड
2329.	नासिक	थाने	थाने	जेप सोसल एक्शन रिसर्च ट्रस्ट, थाने

पर्यटक वीजा

242. **श्री सुरेश चन्देल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटन संबंधी गठित मंत्री समूह ने चुनिंदा देशों के पर्यटकों के लिए प्रवेश वीजा जारी करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस संबंध में प्रक्रिया को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन देशों और नगरों के नाम क्या हैं जहां इस योजना को क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां।

(ख) से (ङ) फिलहाल इस योजना को शुरू करना व्यवहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

लघु उद्योगों के लिए शुरु की गई समेकित अवसंरचना विकास योजना की उपलब्धियां

243. **श्री वाई.जी. महाजन:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(क) कृषि और उद्योग के बीच सुदृढ़ संपर्क को प्रोत्साहित करने हेतु ग्रामीण/पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों को स्थान उपलब्धता की सुविधा प्रदान करने हेतु लघु उद्योगों के लिए वर्ष 1994 में शुरु की गई समेकित अवसरंचना विकास योजना की क्या उपलब्धि है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस तरह से पिछड़े क्षेत्रों में अवस्थित उद्योगों की संख्या कितनी है और ये उद्योग कहां-कहां पर स्थापित किए गए हैं;

(घ) क्या उक्त योजना में प्रौद्योगिकीय सहायता सेवा को शामिल किया जाना था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री

महावीर प्रसाद): (क) और (ख) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों अथवा गैर सरकारी संगठनों से प्राप्त नए एकीकृत संरचना विकास (आईआईडी) केन्द्रों की स्थापना और मौजूदा औद्योगिक सम्पादाओं के उन्नयन प्रस्तावों के आधार पर 1994 में योजना के प्रारंभ होने के बाद से विभिन्न राज्यों में आई.आई.डी. योजना के अंतर्गत लघु उद्योगों (एसएसआई) के लिए 100 आई.आई.डी. केन्द्र स्थापित किए गए हैं। इसमें मौजूदा औद्योगिक सम्पदाओं में संरचनात्मक सुविधाओं के उन्नयन के लिए 13 परियोजनाएं भी शामिल हैं।

(ग) पिछड़े क्षेत्रों में आई.आई.डी. केन्द्रों में स्थापित लघु उद्योग इकाइयों की संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(घ) और (ङ) जी हां। आई.आई.डी. योजना के लक्ष्यों में अन्य बातों के साथ साथ आई.आई.डी. केन्द्रों में सामान्य सेवा सुविधाएं जैसे भंडारण सुविधा, निस्सारी उपचार संयंत्र, विपणन केन्द्र, डाकघर, बैंक, टेलीफोन एक्सचेंज, सम्मेलन कक्ष, प्राथमिक सहायता केन्द्र और प्रौद्योगिकी संसाधन केन्द्र आदि के प्रावधान भी शामिल हैं।

विवरण

क्र.सं.	राज्य	परियोजना का स्थान	स्थापित इकाइयों की संख्या
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	ग्राम नंदियाल, जिला मंडल, कुर्नूल	5
2.	आंध्र प्रदेश	गाजुलारामाराम, जिला रंगारेड्डी	64
3.	आंध्र प्रदेश	ग्राम टाडा, जिला नेल्लौर	5
4.	असम	देमोव, जिला सिबसागर	1
5.	हरियाणा	ग्राम मानकपुर, जिला यमुनानगर	119
6.	हिमाचल प्रदेश	ग्राम ग्वालथाई, जिला विलासपुर	7
7.	जम्मू-कश्मीर	ग्राम बेताल बलाइन, जिला उधमपुर	23
8.	कर्नाटक	ग्राम कानबार्गी, जिला बेलगांव	489
9.	कर्नाटक	मालूर, जिला कोलार	7
10.	केरल	काझाकुट्टम, जिला त्रिवेन्द्रम	23
11.	केरल	इरानकोली और काथीपुर, जिला कन्नूर	5
12.	केरल	माझुवन्नूर, जिला इरनाकुल्लम	8
13.	केरल	सीथानंगोल, जिला मालापुरम	4
14.	केरल	कक्कनाचेरी, जिला मालापुरम	15
15.	महाराष्ट्र	घाटोदी पुसाद, जिला यवतमाल	2
16.	मध्य प्रदेश	जग्गाखेड़ी, जिला मंदसौर	2
17.	मध्य प्रदेश	नौगांव, जिला सागर	2
18.	मध्य प्रदेश	प्रतापपुरा, जिला टीकमगढ़	1
19.	मध्य प्रदेश	सांदिया, जिला नीमच	20

1	2	3	4
20.	उड़ीसा	मुकन्दप्रसाद, जिला खुर्दा	10
21.	उड़ीसा	पित्तामहल, जिला रायगढ़	1
22.	राजस्थान	संगरिया, जिला जोधपुर	325
23.	राजस्थान	गोगेलाव, जिला रायगढ़	15
24.	राजस्थान	निवाई, जिला टोंक	39
25.	राजस्थान	कलाड़वास, जिला उदयपुर	102
26.	राजस्थान	हिंडौन सिटी, जिला करौली	22
27.	तमिलनाडु	उरंगामपथी, जिला मदुरई	69
28.	तमिलनाडु	थिरुमुडी-वक्कम, जिला कांचीपुरम	71
29.	तमिलनाडु	विच्चूर, जिला थिरुवेल्लोर	25
30.	तमिलनाडु	कट्टर अवडी, जिला एमजीआर	4
31.	यू.पी.	बाराबांकी, जिला बारबांकी	15

चंडीगढ़ गांव का विकास

244. श्री पवन कुमार बंसल: क्या गृह मंत्री 26 अप्रैल, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4645 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चंडीगढ़ संघ राज्य प्रशासन के लाल डोरा के बाहर ऐसे निर्माण की सूचना कब मिली;

(ख) शुरूआत में ही ऐसी निर्माण गतिविधि को रोकने और बाद में उत्पन्न होने वाली संकटपूर्ण स्थिति से बचने हेतु कोई कार्रवाई न किए जाने के क्या कारण है;

(ग) क्या मुख्तारनामों तथा बिक्री अनुबंधों को सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत किया गया था चूंकि भूमि के ये छोटे प्लाट कृषि प्रयोजनों के लिए नये खरीदे गए है; और

(घ) चंडीगढ़ के गांवों के विकास तथा इन्हें गंदी बस्तियों में बदले जाने से रोकने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ताकि वहां के निवासियों की आर्थिक तथा सामाजिक हितों की रक्षा तथा उनकी उन्नति की जा सके?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) ऐसे निर्माण जब कभी भी किए जाते हैं तब ये प्रशासन के ध्यान में आते रहे हैं।

(ख) प्रशासन कानून के अनुसार कार्रवाई करता रहा है और पंजाब नई राजधानी परिधि नियंत्रण अधिनियम, 1952 की धारा 12 की धारा 12 की उप-धारा (2) के अंतर्गत ऐसे निर्माण ढहाने हेतु सांविधिक प्रक्रिया के अनुसार नोटिस जारी कर रहा है।

(ग) ऐसे संपत्तियों के संबंध में जनरल पावर ऑफ आटर्नी चंडीगढ़ में सक्षम प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं। विक्रय संबंधी अनुबंध, पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 17 के अनुसार पंजीकृत करना भी अनिवार्य नहीं है 1000 वर्ग मीटर से कम माप वाली किसी भी संपत्ति से संबंधित जनरल पावर ऑफ ऑटर्नी या विक्रय अनुबंध, 1997 की सी.डब्ल्यू.पी.सं. 16325 में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात चंडीगढ़ में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत नहीं किए गए हैं।

(घ) चंडीगढ़ प्रशासन, नगर निगम के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाले और उसके बाहर के गांवों के आर्थिक और सामाजिक विकास, दोनों के लिए एक बहु-आयामी रणनीति तैयार करने पर कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

बंद पड़े उद्योगों का पुनरुद्धार

245. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री बीर सिंह महतो:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत एक वर्ष के दौरान बंद पड़े छोटे, मझौले और बड़े उद्योगों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्यों में वस्त्र और ईंजीनियरिंग सामान बनाने वाले जैसे किस-किस प्रकार के उद्योगों को बंदी का सामना करना पड़ा और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंतर्गत संबंधित राज्यों में बंद उद्योगों का पुनरुद्धार करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो, शिमला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक एककों के बंद होने से संबंधित सूचना एकत्र करता है। श्रम ब्यूरो में उपलब्ध सूचना (अनंतिम) के अनुसार, वर्ष 2004 के दौरान 158 एकक बंद किए गए थे। राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में हैं। उद्योगवार ब्यौरे विवरण-II में हैं।

(घ) एक नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, जो कि उद्योगों की वृद्धि और विकास में सुविधा प्रदान करती है तथा इनको प्रोत्साहित करती है, रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना करना और रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन करना तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशा-निर्देशों का जारी करना शामिल है। जहां भी संभव होता है, वहां बीआईएफआर में पंजीकृत एककों के पुनरुज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाएं मंजूर की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी की पुनः संरचना करना प्रवर्तकों द्वारा नयी निधियों का समावेश करना, सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और सरकार द्वारा देय राशियों की समय-सारणी पुनः तैयार करके राहत और रियायतें देना और प्रबंधन में परिवर्तन करना शामिल है।

विवरण-I

वर्ष 2004 में बंद किए गए औद्योगिक एककों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	कुल मामले
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–
2.	आंध्र प्रदेश	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	–
4.	असम	–
5.	बिहार	1
6.	छत्तीसगढ़	–
7.	चंडीगढ़	–
8.	दादर और नगर हवेली	–
9.	दमन और द्वीव	–
10.	गोवा	1
11.	गुजरात	18
12.	हरियाणा	4
13.	हिमाचल प्रदेश	1
14.	जम्मू-कश्मीर	1
15.	झारखंड	3
16.	कर्नाटक	8
17.	केरल	4
18.	लक्षद्वीप	
19.	मध्य प्रदेश	–
20.	महाराष्ट्र	–
21.	मणिपुर	–
22.	मेघालय	–
23.	मिजोरम	–
24.	नागालैण्ड	
25.	एनसीटी ऑफ दिल्ली	–
26.	उड़ीसा	1
27.	पांडिचेरी	–
28.	पंजाब	–
29.	राजस्थान	1
30.	सिक्किम	–

1	2	3
31.	तमिलनाडु	–
32.	त्रिपुरा	101
33.	उत्तर प्रदेश	13
34.	उत्तरांचल	–
35.	पश्चिम बंगाल	–
	योग	158

विवरण-II

वर्ष 2004 (अ) के दौरान बंद किए गए औद्योगिक एककों की संख्या

क्र.सं.	उद्योग	एकक
1.	कोयला खनन	1
2.	गैर-कोयला खनन	1
3.	खाद्य उत्पाद	16
4.	तंबाकू उत्पाद	2
5.	वस्त्र	9
6.	कागज और कागज उत्पाद	4
7.	रसायन तथा रसायनिक उत्पाद	9
8.	रबड़, प्लास्टिक, पैट्रोलियम और कोयला उत्पाद	11
9.	अधात्विक खनिज उत्पाद	3
10.	इंजीनियरिंग	24
11.	वैद्युत मशीनरी और उपकरण	2
12.	रेडियो, टेलीविजन तथा संचार उपकरण	3
13.	अन्य	73
	जोड़	158

(अ) -अनंतिम

[अनुवाद]

सड़कों को चौड़ा करने हेतु परियोजनाएं

246. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में विशेषकर दक्षिण दिल्ली में नंदी-विधि परियोजना सहित सड़कों को चौड़ा करने की कई परियोजनाएं बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमण के कारण रोक दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अतिक्रमण हटाने और सड़कों को चौड़ा करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि वर्तमान में सड़क को चौड़ा करने की कोई परियोजना अवैध अतिक्रमण के कारण रुकी हुई नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि दो परियोजनाएं-यथा नारायणा गांव में धौला कुआं से राजा गार्डन तक रिंग रोड को चौड़ा करने तथा आई.टी.ओ. चुंगी से पुराने यमुना पुल तक सीमान्तक पुश्ता मार्ग को चौड़ा करने की परियोजनायें कुछ अतिक्रमणों के कारण प्रभावित हुई हैं। गिराने की कार्रवाई पर माननीय जिला न्यायालय द्वारा स्थायी रोक लगाये जाने के कारण नारायणा (रिंग रोड) में तीन मंदिरों तथा एक संपत्ति को नहीं गिराया जा सका। सीमान्तक पुश्ता मार्ग को चौड़ा करने के लिए झुग्गियों को हटाया जाना अपेक्षित है जिसके लिए कार्रवाई शुरु की जा चुकी है।

(घ) आई.टी.ओ. चुंगी से पुराने यमुना पुल तक सीमान्तक पुश्ता मार्ग को चौड़ा करने के कार्य को मार्च, 2006 तक पूरा करने का लक्ष्य है। तथापि, अतिक्रमणों की प्रकृति तथा माननीय न्यायालय के आदेशों के कारण नारायणा में रिंग रोड को चौड़ा करने के मामले में कोई विशिष्ट समय-सीमा नहीं बतायी जा सकती है।

शहरी विकास परियोजनाओं हेतु प्रोत्साहन

247. **श्री सनत कुमार मंडल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को शहरी विकास की परियोजनाओं के लिए कोई प्रोत्साहन देती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान शुरु की गई/पूरी की गई शहरी विकास परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राज्य विधान सभाओं से विधेयक

248. श्री जुएल ओराम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्य विधान सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति को स्वीकृति हेतु भेजे गए विधेयक बड़ी संख्या में लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रपति की स्वीकृति की प्रतीक्षा करने वाले विधेयक का ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये विधेयक कब से लम्बित हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) राज्य विधान मंडलों द्वारा पारित 27 विधेयक राष्ट्रपति जी के विचार के लिए राज्यपालों द्वारा आरक्षित रखे गए हैं। इन विधेयकों से संबंधित विवरण संलग्न है?

विवरण

(21.7.2005 की स्थिति के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य का नाम	विधेयक का नाम	प्राप्त होने की तिथि
1	2	3	4
1.	अरुणाचल प्रदेश	अरुणाचल प्रदेश प्रथागत कानून एवं सामाजिक परम्परा संरक्षण विधेयक, 1994	25.1.1995
2.	बिहार	भू-अधिग्रहण (बिहार संशोधन) विधेयक, 2002	3.4.2003
3.	गोवा	गोवा मुडकर (निष्क्रासन से सुरक्षा) (संशोधन) विधेयक, 2004	5.5.2004
4.	गुजरात	गुजरात संगठित अपराध नियंत्रण विधेयक, 2003	23.6.2004
5.	हरियाणा	हरियाणा कैसिनो (अनुज्ञप्ति एवं नियंत्रण) विधेयक, 2002	27.2.2003
6.	कर्नाटक	कर्नाटक स्टैम्प (संशोधन) विधेयक, 2003	1.4.2003
7.	कर्नाटक	कर्नाटक विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास विधेयक, 2003	1.9.2003
8.	कर्नाटक	कर्नाटक वित्तीय संस्थाओं में निवेशकों के हितों का संरक्षण विधेयक, 2004	6.5.2004
9.	कर्नाटक	विद्युत (कर्नाटक संशोधन) विधेयक, 2005	22.3.2005
10.	केरल	केरल अनुदान एवं पट्टा (अधिकारों का आशोधन) संशोधन विधेयक, 1999	13.5.1999
11.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश श्रम कानून (संशोधन) विधेयक, 2003	14.1.2004
12.	मध्य प्रदेश	मध्य प्रदेश ग्राम न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 1997.	4.1.2005
13.	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र पशु संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1995	1.2.1996
14.	महाराष्ट्र	नागपुर शहर नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2004	15.6.2005
15.	महाराष्ट्र	बम्बई दुकान एवं प्रतिष्ठान (संशोधन) विधेयक, 2004	15.6.2005
16.	महाराष्ट्र	मजदूरी का भुगतान (महाराष्ट्र संशोधन) विधेयक, 2004	25.5.2005
17.	महाराष्ट्र	बम्बई औद्योगिक संबंध (संशोधन) विधेयक, 2005	25.5.2005

1	2	3	4
18.	उड़ीसा	उड़ीसा शहरी पुलिस विधेयक, 2003	12.5.2005
19.	उड़ीसा	उड़ीसा कल्याण निधि विधेयक, 2005	19.7.2005
20.	पंजाब	हरियाणा एवं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय (पंजाब संशोधन) विधेयक, 2005	6.5.2005
21.	पंजाब	पंजाब श्रम कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2005	17.5.2005
22.	तमिलनाडु	तमिलनाडु शारीरिक शिक्षा एवं खेल विश्वविद्यालय विधेयक, 2004	10.8.2004
23.	उत्तर प्रदेश	उत्तर प्रदेश विद्युत सुधार (संशोधन) विधेयक, 2004	31.8.2004
24.	उत्तर प्रदेश	मौलाना मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश विधेयक, 2004	13.1.2005
25.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल नगर निगम विधेयक, 2003	17.11.2003
26.	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल वित्तीय प्रतिष्ठानों में निवेशकों का हित संरक्षण विधेयक, 2003	22.12.2003

[हिन्दी]

उत्तरांचल में उद्योगों के विकास हेतु धनराशि

249. मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्ववर्ती सरकार द्वारा उत्तरांचल में पौड़ी गढ़वाल जिले के स्थान पर जशोदरपुर (कोटद्वार) में औद्योगिक विकास केन्द्र की स्थापना के लिए धनराशि आवंटित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो अब तक इसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) केन्द्र के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इसे कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) जशोदरपुर (कोटद्वार) स्थित औद्योगिक विकास केन्द्र को उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम (यूपीएसआईडीसी) द्वारा विकसित किया गया था और उत्तर प्रदेश सरकार तथा उत्तरांचल सरकार के बीच परिसंपत्तियों के बंटवारे को अंतिम रूप दिए जाने तक इसका रख-रखाव उक्त निगम द्वारा ही किया जा रहा है।

तथापि, केन्द्र सरकार ने विकास केन्द्र योजना के तहत दिसम्बर, 2003 तथा फरवरी, 2004 में सिगड्डी (कोटद्वार) में विकास केन्द्र को स्वीकृति प्रदान की थी और 15.00 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई थी जिसमें से 2003-2004 में 10.00 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके थे। वर्तमान में, उत्तरांचल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (एसआईडीसीयूएल) इस विकास केन्द्र को विकसित करने के कार्य में लगा है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और आज की तारीख तक इस विकास केन्द्र को विकसित करने हेतु 5.00 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

[अनुवाद]

आवासीय भू-खण्डों के आवंटियों को स्वामित्व का अधिकार

250. श्री रघुनाथ झा: क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आवासीय भू-खण्डों के आवंटियों के स्वामित्व का अधिकार देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आवंटियों ने बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत आवंटित अधिकतर आवासीय भूखण्डों की बिक्री कर दी है;

(घ) यदि हां, तो क्या बाद के खरीददारों को भी स्वामित्व का अधिकार दिए जाने की संभावना है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन आवासीय भू-खण्डों में वाणिज्यिक गतिविधियों को अनुमति है;

(छ) यदि नहीं, तो क्या इसे नियमित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) मामला रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार के विचाराधीन है और उनके द्वारा ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) आवंटित किये गये कुछ प्लॉट बेचे जा चुके हैं।

(घ) और (ङ) रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा ब्यौरे तैयार किये जा रहे हैं।

(च) जी, नहीं।

(छ) और (ज) रा.रा. क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बताया है कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सामाजिक समारोहों के आयोजन हेतु फार्म हाउसों का उपयोग

251. **श्री ई. पोन्नुस्वामी:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दुरुपयोग प्रभार का भुगतान करने पर सामाजिक समारोहों के आयोजन हेतु फार्म हाउसों के उपयोग की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इससे कितनी आय सृजित की गई है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में उच्च न्यायालय के हाल के आदेशों की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने फार्म हाउसों में समारोहों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने से पहले सामाजिक समारोहों के आयोजन हेतु अग्रिम रूप से की गई हजारों बुकिंगों पर विचार किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इनसे होने वाली भारी आय के मद्देनजर फार्म हाउसों में समारोहों के आयोजन पर प्रतिबंध लगाने के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए उसने सामाजिक समारोह आयोजित करने हेतु अदायगी किए जाने पर फार्म हाउसों का उपयोग करने की अनुमति दी थी। तथापि निगम की विभिन्न जोनल यूनिटों ने इस बात की पुष्टि की है कि उन्होंने कोई अनुमति नहीं दी थी और इसलिए राजस्व जुटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उसे दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांक 6.7.2005 के आदेशों की जानकारी है जिनमें फार्म हाउसों में समारोह आयोजित करने पर रोक लगाई गई है और दिल्ली नगर निगम के आयुक्त को विशेष अधिकारियों की नियुक्ति करने का निदेश दिया गया है, जिन्हें इस निर्देश के किसी भी उल्लंघन के लिए जिम्मेदार माना जाएगा।

(ङ) से (छ) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि वह माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशों की समीक्षा के लिए एक आवदेन दाखिल करने पर विचार कर रहा है।

स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय और राज्य पेंशन

252. **श्री एम. अप्पादुरई:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास उन स्वतंत्रता सेनानियों को केन्द्रीय पेंशन भी देने का कोई प्रस्ताव है जो वर्तमान में मात्र राज्य सरकार से पेंशन प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को इस संबंध में कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं।

(ख) केन्द्रीय योजना और विभिन्न राज्य योजनाओं के पात्रता मानदण्ड, साक्ष्य अपेक्षाएं तथा निबंधन और शर्तें भिन्न-भिन्न हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

निजी विद्यालयों को मान्यता प्रदान करना

253. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान और तत्पश्चात आज की तिथि तक दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों का नाम और पता क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बोर्ड स्कूलों को कोई मान्यता प्रदान नहीं करता है।

एम.आर.टी.एस. के साथ-साथ "इन्फुल्युऐंश जोन" का सृजन

254. **श्री नकुल दास राई:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ड्राफ्ट मास्टर प्लान फॉर दिल्ली-2021 को कब तक अंतिम रूप दिए जाने और अधिसूचित किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या अंतिम मास्टर प्लान में मास रैपिड ट्रान्ज़िट सिस्टम रूट के दोनों और 500 मीटर की दूरी तक वर्तमान फ्लोर एरिया अनुपात और ऊंचाई के 1.5 गुणा तक वाले "इन्फुल्युऐंश जोन" के सृजन के प्रस्ताव को बनाए रखा जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या बढ़े हुए एफ.ए.आर. और ऊंचाई की दृष्टि से इस जोन में वर्तमान संपत्तियों में अतिरिक्त आवासीय इकाइयों की अनुमति दी जाएगी;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार का लाखों अतिरिक्त आवासीय इकाइयों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाने का प्रस्ताव है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 में द्रुतजन परिवहन प्रणाली (एमआरटीएस) के दोनों ओर 500 मीटर तक प्रभावित क्षेत्र (इंफलूएंस जोन) रखने की व्यवस्था है जिसमें अधिकतम फर्शी क्षेत्रफल अनुपात और संबंधित उपयोग परिसर के अनुमत्य फर्शी क्षेत्रफल अनुपात के 1.5 गुणा तक ऊंचाई का प्रावधान है बशर्तें कि व्यापक एकीकृत स्कीमें तैयार और अनुमोदित हो। दिल्ली के लिए ड्राफ्ट मास्टर प्लान-2021 दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 8.4.2005 को प्रकाशित किया गया था जिसमें 90 दिनों की अवधि के भीतर जनता से उनकी आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित किए गए थे। मास्टर प्लान दिल्ली-2021 को अधिसूचित करने के लिए दिल्ली विकास अधिनियम के प्रावधानों के तहत आगे की कार्रवाई शुरु करने से पूर्व आपत्तियों/सुझावों पर गौर करने के लिए उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक जांच एवं सुनवाई बोर्ड गठित किया गया है।

(घ) से (च) बढ़ाए गए फर्शी क्षेत्रफल अनुपात के कारण अतिरिक्त रिहायशी यूनिटों का निर्माण मास्टर प्लान और एकीकृत भवन उपनियमों के प्रावधानों से शासित होगा और यह यथा अपेक्षित संबंधित स्थानीय निकायों द्वारा अवस्थापना सेवाओं के उन्नयन और व्यापक एकीकृत स्कीम तैयार किए जाने के अध्यधीन होगा।

[हिन्दी]

सोनिया विहार जलशोधन संयंत्र

255. **श्री मोहन सिंह:**
मो. मुकीम:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्व अनुमति से सोनिया विहार जलशोधन संयंत्र की स्थापना की थी;

(ख) यदि हां, तो इस संयंत्र को पूरी क्षमता से चलाए जाने के लिए प्रतिदिन कितने क्यूसेक पानी की आवश्यकता है;

(ग) इस संयंत्र से दिल्ली की कितने प्रतिशत जनसंख्या को पेयजल मिलने की संभावना थी;

(घ) क्या उत्तर प्रदेश सरकार भी पानी के संकट से जूझ रही है क्योंकि उत्तरांचल सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को पर्याप्त मात्रा में गंगा नदी का पानी नहीं दिया जा रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार की मंशा इस संबंध में मध्यस्थता करने की है;

(च) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली, उत्तरांचल और उत्तर प्रदेश सरकार की सहमति से पेयजल की समस्या के समाधान हेतु पहल की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सोनिया विहार जलशोधन संयंत्र को पानी कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) ने यह सूचित किया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के दिल्ली के लिए 300 क्यूसेक कच्चा जल आरक्षित करने की सहमति व्यक्त करने के बाद सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र स्थापित किया है बशर्तें कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार टिहरी बांध की लागत में हिस्सेदारी हेतु सहमत हो। तदनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार टिहरी बांध की लागत में हिस्सेदारी पर सहमत हो गई है।

(ख) सोनिया विहार जल सोधन संयंत्र के पूर्ण क्षमता में कार्य करने के लिए प्रतिदिन 300 क्यूसेक जल की आवश्यकता है।

(ग) दिल्ली जल बोर्ड द्वारा यह अनुमान लगाया गया है कि दिल्ली की 25% आबादी को सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र से लाभ पहुंचेगा।

(घ) से (ज) जल संसाधन मंत्रालय ने यह सूचित किया है कि दिल्ली सरकार द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधियों के साथ उन्होंने अनेक बैठकें की, जहां दिल्ली में सोनिया विहार संयंत्र को चलाने के लिए जल की आवश्यकता तथा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जल देने में महसूस की जा रही कठिनाई पर चर्चा की गई थी। तथापि, जल संसाधन मंत्रालय ने इस गर्मी के मौसम के दौरान दिल्ली के निवासियों की तत्काल पेयजल आवश्यकता को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार से 9 क्यूसेक जल शीघ्र देने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ गेहूं का व्यापार

256. **श्री नवजोत सिंह सिद्धू:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंजाब के किसानों और अन्य लोगों से पाकिस्तान के साथ गेहूं का व्यापार शुरु करने संबंधी सुझाव प्राप्त किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

संवेदनशील उत्पादों का आयात

257. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन गैर-कृषि उत्पादों की संवेदनशील सूची पर कार्य कर रही है जिन्हें वह विश्व व्यापार संगठन की प्रशुल्क कटौती प्रतिबद्धताओं से अलग रखना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार संवेदनशील उत्पादों की संख्या को सीमित करने की विश्व व्यापार संगठन की शर्त का अनुपालन करने का प्रयास कर रही है;

(घ) क्या संवेदनशील उत्पादों के आयात का मूल्य आयातित वस्तुओं के कुल मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए;

(ङ) क्या सरकार को विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से उनके हितों के उत्पादों को कटौती प्रतिबद्धताओं से बाहर रखने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (च) भारत विकासशील देशों के लिए ऐसी लोचशीलता की मांग कर रहा है जिससे प्रत्येक विकासशील देश द्वारा अभिज्ञात किए जाने वाले संवदेनशील उत्पादों की विशेष संख्या पर टैरिफ कम करने का फार्मूला लागू नहीं होगा। लोचशीलता के स्वरूप एवं उसकी सीमा के बारे में वार्ता की जा रही हैं और डब्ल्यू टी ओ के सदस्यों द्वारा उसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

संवेदनशील उत्पादों की पहचान करना एक ऐसा कार्य है जो अनुसंधान संस्थानों द्वारा संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के परामर्श से भारत के व्यापार के आंकड़ों का विश्लेषण करके किया जाता है।

बाढ़ मैन्युअल की समीक्षा

258. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राकृतिक आपदाओं से जिन किसानों की फसल प्रभावित होती है उन हो राहत और पुनर्वास प्रदान करने हेतु बाढ़ मैन्युअल पुरानी और अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए उठाए गए कदमों अथवा उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार बदलती स्थिति के अनुसार बाढ़ मैन्युअल की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) संबंधित राज्यों सरकारों द्वारा राहत संहिता/नियमावली तैयार की जाती है। इसमें, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने संबंधी ब्यौरे शामिल होते हैं। राज्य सरकारों को अपनी राहत संहिताओं/नियमावलियों को अद्यतन करने की सलाह दी गई है।

प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में फसलों की हानि के लिए किसानों को आपदा राहत निधि (सी आर एफ) तथा राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से व्यय हेतु भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता की मदों और मानदंडों के अनुसार सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को शामिल करके भारत सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ ग्रुप की सिफारिशों के आधार पर समय-समय पर इन मानदंडों को संशोधित किया जाता है।

कश्मीर में पहलगांव में पुल की मरम्मत

259. श्री रेवती रमन सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष पवित्र अमरनाथ यात्रा के मार्ग पर एक पुल को आतंकवादियों ने उड़ा दिया था;

(ख) यदि हां, तो क्या यात्रियों की सुविधा के लिए इस पुल की मरम्मत/पुनर्निर्माण कर दिया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसकी मरम्मत कब तक कर दिये जाने की संभावना है; और

(घ) चालू अमरनाथ यात्रा के दौरान अब तक कितनी आतंकवादी घटनाओं की सूचना है

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार 24 मई, 2005 को पुलिस स्टेशन पहलगाम, अनंतनाग (जम्मू और कश्मीर) में सादूपडाव में पुल के नीचे एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस (आई ई डी) विस्फोट हुआ और इस विस्फोट के कारण लिदर नदी पर स्थित एक लोहे का पुल क्षतिग्रस्त हो गया। तथापि, सात दिनों के भीतर इस पुल की मरम्मत कर दी गई।

(घ) वर्तमान अमरनाथ यात्रा के दौरान, जम्मू और कश्मीर राज्य में 15 जून 2005 से 15 जुलाई 2005 तक आतंकवाद संबंधी 192 घटनाएं हुई हैं।

सुनामी प्रभावित विधवाओं का पुनर्वास

260. श्री मुनव्वर हसन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में सुनामी से प्रभावित विधवाओं का पुनर्वास कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) सुनामी प्रभावित विधवाओं की सेवा में ईमानदारी से अपना सहयोग देने वाले सरकारी तथा गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं; और

(घ) इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां। जैसा कि राज्यों द्वारा बताया गया है, अधिकांश विधवाओं का पुनर्वास हो चुका है।

(ख) सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में अनुग्रह राशि का भुगतान, क्षतिपूर्ति, मुफ्त राशन, कपड़े, घरेलू चीजें, उनके बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, पेंशन, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा आयोत्पादक गतिविधियों के लिए सहायता शामिल है।

(ग) विधवाओं की सेवाओं में 'प्रयास', 'भारतीय बाल कल्याण परिषद' तथा 'बटरफ्लाइ' जैसे गैर-सरकारी संगठनों के साथ-साथ केन्द्र सरकार एवं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, पाण्डिचेरी, अंडमान व निकोबार राज्य सरकारें संलग्न थीं।

(घ) विधवाओं के पुनर्वास के लिए इन राज्यों द्वारा 724.22 लाख रुपये की राशि उपयोग की गयी।

रुग्ण/बंद उपयोग

261. श्री रुपचन्द्र मुर्मूः
श्री ई. पोन्नुस्वामीः
श्री ए. साई प्रतापः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) रुग्ण/बंद उद्योगों की वर्तमान में राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल तथा आंध्र प्रदेश में रुग्ण उद्योगों को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए है;

(ग) क्या सरकार ने औद्योगिक इकाईयों की रुग्णता के कारणों के संबंध में विभिन्न प्रबन्धनों के दावों के संबंध में गहन अध्ययन कराया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इन पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) श्रम और रोजगार मंत्रालय के अधीन श्रम ब्यूरो, शिमला औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अंतर्गत आने वाले औद्योगिक एककों के बंद होने से संबंधित सूचना एकत्र करता है। श्रम ब्यूरो में उपलब्ध सूचना (अनंतिम) के अनुसार, वर्ष 2004 के दौरान 158 एकक बंद किए गए थे। राज्यवार ब्यौरे विवरण में हैं।

(ख) से (ङ) एक नीतिगत व्यवस्था उपलब्ध कराने के अतिरिक्त, जो कि उद्योगों की वृद्धि और विकास में सुविधा प्रदान करती है तथा इनको प्रोत्साहित करती है, रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरुज्जीवन के लिए किए गए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) की स्थापना करना और रुग्ण एककों का स्वस्थ एककों के साथ समामेलन करना तथा वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बैंकों को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिशा-निर्देशों का जारी करना शामिल है। जहां भी संभव होता है, वहां बीआईफआर में पंजीकृत एककों के पुनरूज्जीवन के लिए पुनर्वास योजनाएं मंजूर की जाती हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ पूंजी की पुनःसंरचना करना प्रवर्तकों द्वारा नयी निधियों का समावेश करना, सरकारी क्षेत्र के एककों के लिए सरकारी सहायता, अन्य कंपनियों के साथ विलय, वित्तीय संस्थाओं, बैंकों और सरकार द्वारा देय राशियों की समय-सारणी पुनः तैयार करने राहत और रियायतें देना और प्रबंधन में परिवर्तन करना शामिल है।

विवरण

वर्ष 2004 में बंद किए गए औद्योगिक एककों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	कुल मामले
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-
2.	आंध्र प्रदेश	1
3.	अरुणाचल प्रदेश	-
4.	असम	-
5.	बिहार	1
6.	छत्तीगढ़	-
7.	चंडीगढ़	-
8.	दादर और नगर हवेली	-
9.	दमन और द्वीव	-
10.	गोवा	1
11.	गुजरात	18
12.	हरियाणा	4
13.	हिमाचल प्रदेश	1
14.	जम्मू-कश्मीर	1
15.	झारखंड	3
16.	कर्नाटक	8
17.	केरल	4

1	2	3
18.	लक्षद्वीप	
19.	मध्य प्रदेश	–
20.	महाराष्ट्र	–
21.	मणिपुर	–
22.	मेघालय	–
23.	मिजोरम	–
24.	नागालैण्ड	
25.	एनसीटी ऑफ दिल्ली	–
26.	उड़ीसा	1
27.	पांडिचेरी	–
28.	पंजाब	–
29.	राजस्थान	1
30.	सिक्किम	–
31.	तमिलनाडु	–
32.	त्रिपुरा	101
33.	उत्तर प्रदेश	13
34.	उत्तरांचल	–
35.	पश्चिम बंगाल	–
	योग	158

[हिन्दी]

रिसाव के कारण पानी की बर्बादी

262. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री हन्नान मोल्लाह:
श्री रामजी लाल सुमन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड की वितरण प्रणाली में पानी के रिसाव के कारण पानी की अत्यधिक बर्बादी हाती है जिससे दिल्ली में पानी की किल्लत हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो लगभग कितने पानी का रिसाव हो जाता है तथा इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) वर्ष 2005 में आज तक कितने स्थानों की पहचान की गई जहां पानी का रिसाव होता है;

(घ) क्या दिल्ली में पानी की पाइपलाइनों का जीवनकाल समाप्त हो चुका है; और

(ङ) यदि हां, तो ये पाइपलाइनें कब से हैं तथा सरकार का इन्हें कब तक बदलने का इरादा है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि 675 मिलियन गैलन दैनिक पानी के कुल उत्पादन की तुलना में लगभग 80 मिलियन गैलन दैनिक पानी लगभग 9000 कि.मी. लम्बी वितरण प्रणाली से रिस जाता है। रिसाव के मुख्य स्थान वे हैं जहां से उपभोक्ताओं ने पानी के कनैक्शन लिए हैं और पाइपलाइनों पर बूस्टरों का अनधिकृत प्रयोग होता है।

दिल्ली भर में विभिन्न स्थानों से रिसाव की सूचना मिली है। रिसाव का पता लगाने तथा उसे बंद करने के लिए दिल्ली जल बोर्ड द्वारा दैनिक आधार पर नियमित निरीक्षण किया जाता है। रिसावों की रोकथाम, पता लगाने और मरम्मत करने के लिए एक रिसाव खोजी प्रकोष्ठ (लीक डिटेक्सन सेल) कार्य कर रहा है।

पाइपलाइनों के जीवनकाल के बारे में यह सूचित किया गया है कि पाइपलाइनें 40-50 वर्ष पुरानी हैं। पाइपलाइनों का जीवनकाल निरोधक अनुरक्षण सहित अनेक घटकों पर निर्भर करता है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण का सृजन

263. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजधानी मास्टर प्लान, 2021, जो सरकार के विचाराधीन है, में सफलता प्राप्त करने के लिए 63373 किलोमीटर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण सृजित करने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थिति, इस धनराशि का आबंटन तथा इसकी निर्णय लेने की शक्ति के संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रस्तावित राष्ट्रीय राजधानी विकास प्राधिकरण के कब तक अस्तित्व में आ जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण की उपयोग में नही लायी जा रही भूमि

264. **श्री सीता राम यादवः क्या शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आधारभूत संरचना तथा आवासीय परियोजनाओं के लिए दक्षिण तथा उत्तर दिल्ली में अधिग्रहण की गई भूमि बेकार पड़ी है तथा इस पर भू-माफिया तथा मलिन बस्तियों द्वारा अवैध कब्जा किया गया है जैसा कि 19 अप्रैल, 2005 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) बेकार पड़ी भूमि को उपयोग में लाने तथा अतिक्रमणों को हटाने के लिए क्या कार्रवाई की जा रही है;

(घ) क्या कई आवासीय सोसायटी बीस वर्षों से भी अधिक समय से भूमि आबंटन की प्रतीक्षा में है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी सोसाइटियों को भूमि कब तक आबंटित किये जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि दिल्ली के नियोजित विकास के लिए उत्तर और दक्षिण क्षेत्रों में अधिग्रहण के लिए अधिसूचित की गयी भूमि में से दिल्ली विकास प्राधिकरण को 41,179.85 एकड़ भूमि का कब्जा मिला है। इन क्षेत्रों में दिल्ली विकास प्राधिकरण के कब्जे वाले क्षेत्र में से लगभग 718 एकड़ भूमि अतिक्रमित है। हाल में कराए गये सर्वेक्षणों के अनुसार इन क्षेत्रों में लगभग 543 एकड़ भूमि खाली/अनुप्रयुक्त पड़ी है।

(ग) खाली/अनुप्रयुक्त पड़ी भूमि की संपूर्ण वीडियोग्राफी करने तथा मास्टर प्लान में विनिर्दिष्ट भू-उपयोग के अनुसार इस भूमि के संबंध में योजना बनाकर उसका विकास करने की प्रक्रिया को गतिशील बनाने के लिए कार्रवाई की गयी है।

इसके साथ-साथ झुग्गी-झोंपड़ी समूहों/अनधिकृत कालोनियों से संबंधित सरकार की नीतियों को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमणों को हटाने के लिए नियमित कार्रवाई की जाती है। गत तीन वर्षों में इन क्षेत्रों में लगभग 65 एकड़ भूमि को दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पुनः अपने अधिकार में लिया है।

(घ) और (ङ) रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसायटी से प्राप्त सूची के अनुसार 238 सोसायटियां भूमि के आबंटन की प्रतीक्षा में हैं। कोऑपरेटिव सोसायटियों को भूमि का आवंटन रजिस्ट्रार, कोऑपरेटिव सोसायटीज द्वारा सदस्यता का सत्यापन किये जाने तथा उपयुक्त भूमि की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

पाकिस्तान के साथ व्यापार संबंध

265. **श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधियाः**
श्री जी. वी. हर्ष कुमारः
श्री रायापति सांबासिवा रावः
श्री प्रबोध पाण्डाः
श्री मधु गौड़ यास्खीः
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़ः
श्रीमती निवेदिता मानेः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत तथा पाकिस्तान ने दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग संबंधी संयुक्त संसदीय समूह गठित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने में यह समूह कहां तक सहायक होगा;

(घ) क्या पाकिस्तान ने भी जीवित पशुओं सहित कुछ चुनिन्दा वस्तुओं के व्यापार के लिए थल मार्ग खोलने का निर्णय लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पाकिस्तान को निर्यात की गई/निर्यात की जाने वाली वस्तुएं कौन-कौन सी हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) पाकिस्तान की सरकार ने हाल ही में शुल्क मुक्त आधार पर कतिपय चुनिंदा मदों अर्थात शुल्कों की छूट की अवधि के दौरान वाघा सीमा समेत स्थलीय मार्गों के जरिए प्याज, आलू, टमाटर, लहसून, हलाल मांस और कुछेक श्रेणियों के जीवित पशुओं के आयात की अनुमति दी है। पाकिस्तान को इन मदों का अभी तक निर्यात नहीं किया गया है।

तिहाड़ जेल से कैदियों का भाग जाना

266. श्री अधीर चौधरी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री पंकज चौधरी:
श्री उदय सिंह:
श्री ब्रजेश पाठक:
श्री लोनाप्पन नम्बाडन:
श्री प्रबोध पाण्डा:
श्री एन.एन. कृष्णादास:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार एवं घटना-वार तिहाड़ जेल, दिल्ली से कितने कैदी भाग गये;

(ख) क्या प्रत्येक मामले की जांच करायी गयी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जांच के क्या परिणाम निकले; और

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) पिछले तीन वर्षों में तिहाड़ जेल से भाग निकलने वाले कैदियों की संख्या निम्नानुसार है:

वर्ष 2002-2003	-	शून्य
वर्ष 2003-2004	-	0
वर्ष 2004-2005	-	शून्य

17.2.2004 को एक विचारणाधीन कैदी श्री शेर सिंह राणा तिहाड़ जेल से निकल भागा चालू वर्ष में 6 जुलाई, 2005 को तेरह (13) विचारणाधीन कैदी भाग निकले जिनमें से छह को बाद में पकड़ लिया गया।

(ख) और (ग) जी हां। 2003-2004 में हुई घटना की मजिस्ट्रेट जांच कराई गई थी। इसकी जांच रिपोर्ट राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को 6 मई, 2004 को प्राप्त हुई थी। जुलाई, 2005 में हुई घटना के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराने के आदेश दिए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को जांच रिपोर्ट हाल ही में प्राप्त हुई है।

(घ) और (ङ) दोषी कार्मिकों के खिलाफ उचित दंड की व्यवस्था करने के लिए अनुशासनिक कार्रवाई शुरु की गई है। तथापि, इसका परिणाम संबंधित जांच अधिकारियों के अंतिम निर्णयों पर निर्भर करेगा तीन पुलिस कार्मिकों को निलंबित कर दिया गया है।

(च) भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से सरकार से निम्नलिखित वैज्ञानिक उपकरण स्थापित करने का अनुमोदन किया है:

(1) बायोमीटरिक फिंगर प्रिन्ट पहचान प्रणाली स्थापित करना।

(2) सी सी टी वी, एक्सरे स्कैनर्स तथा मल्टी जोन डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर स्थापित करना।

(3) दिल्ली जेल तथा जिला न्यायालयों के बीच वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधा स्थापित करना।

इसके अतिरिक्त, तिहाड़ जेल परिसर के इर्द-गिर्द की सुरक्षा के लिए पहले से तैनात बल के अलावा आई टी बी पी की दो कंपनियों और आवंटित की गई हैं।

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद

267. श्री इन्गान मोल्लाह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद में समाज विज्ञान के विभागाध्यक्ष के आचरण की जांच करने के लिए वर्ष 2003-2004 में एक जांच समिति नियुक्त की थी;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के क्या नाम हैं तथा विचारार्थ विषय तथा समिति का कार्यकाल क्या था एवं समिति ने क्या निष्कर्ष निकाले; और

(ग) समाज विज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं। तथापि प्रोफेसर अर्जुन देव पूर्व विभागाध्यक्ष, समाज विज्ञान तथा अन्य सह-लेखकों की कुछ इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के लेखन से संबंधित मामलों को निर्धारित करने के लिए एक तथ्य जांच समिति गठित की गई थी।

(ख) और (ग) श्री आर.सी. त्रिपाठी, पूर्व महासचिव, राज्य सभा, डा. डी.एन. त्रिपाठी प्रोफेसर तथा प्रमुख (सेवानिवृत्त) इतिहास विभाग, गोरखपुर विश्वविद्यालय, गोरखपुर (उ.प्र.) तथा प्रोफेसर रमेश घंटा, शिक्षा डीन, काकातिया विश्वविद्यालय वारंगल (आ.प्र.) वाली एक तथ्य जांच समिति गठित की गई थी। इस तथ्य जांच समिति का कार्य सह-लेखकों के रूम में श्री नामवर सिंह, गिरिश मिश्रा, जगमोहन श्री बी. गांगुली सहित प्रोफेसर अर्जुन देव तथा श्रीमती इन्दिरा अर्जुन देव द्वारा लिखी गई कुछ इतिहास की पाठ्यपुस्तकों के लेखन को जांच करना था। यह आशा की जाती थी कि यह तथ्य जांच समिति अपनी रिपोर्ट छः महीनों में दे देगी। इसकी अवधि 30.6.2004 तक बढ़ाई गई थी और तब तक इसकी 23 बैठकें हो चुकी थीं। तथापि रिपोर्ट को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। इन सभी पहलुओं पर विचार करते हुए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से यह निर्णय लिया गया कि इस मामले को बन्द कर दिया जाए।

[हिन्दी]

भारत-नेपाल सीमा पर हिंसा

268. **डा. चिंता मोहनः**
श्री रामजीलाल सुमनः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गत कुछ महीनों से भारत-नेपाल सीमा पर हिंसा की घटनाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन हिंसक घटनाओं के लिए लिम्मेदार संगठनों की पहचान कर ली है;

(घ) यदि हां, तो इन संगठनों के नाम क्या है तथा भारत में उनकी ताकत कितनी है; और

(ङ) ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) उपलब्ध प्रवृत्तियों से भारत-नेपाल सीमा पर हिंसा में वृद्धि होने का पता नहीं चलता है।

(ङ) सरकार ने अवांछनीय तत्वों की अपराधिक गतिविधियों को रोकने और सीमा पार अपराधों की रोकथाम करने के लिये भारत-नेपाल सीमा पर सशस्त्र सीमा बल की तैनाती की है। सशस्त्र सीमा बल ने सीमा पर निगरानी बढ़ा दी है और नेपाल की सीमा से जुड़े राज्यों से भी सीमवर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने के लिए अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

चीन के साथ व्यापार

269. **श्री डी. विट्टल रावः** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार बीजिंग में चाइना चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ मशीनरी तथा इलैक्ट्रॉनिक उत्पादों के आयात तथा निर्यात के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो दोनों देशों के बीच कितना व्यापार होने की संभावना है; ओर

(ग) इन उत्पादों के आयात तथा निर्यात से कितनी धनराशि सृजित होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

चाय उद्योग

270. **श्री सर्वानन्द सोनोवालः**
श्री गुरुदास दासगुप्ताः
श्री मणी कुमार सुब्बाः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार चाय उद्योग की समस्याओं को हल करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा चाय उद्योग के लिए विशेष पैकेज तैयार कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) इन्हें कियान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए है;

(च) क्या सरकार ने घरेलू बाजार में चाय के उपयोग को लोकप्रिय बनाने के लिए कार्यक्रम बना लिया है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) चाय का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) सरकार ने चाय उद्योग की सहायता करने के लिए अनेक उपाय किए हैं। वर्ष 2005-06 के केन्द्रीय बजट में चाय पर 1 रुपए प्रति किलोग्राम के अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को हटा दिया गया है। सरकार ने हाल ही में दो स्कीमों को मंजूरी प्रदान की है अर्थात चाय पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की वसूली में से सृजित विशेष निधि से परंपरागत चाय के उत्पादन हेतु सब्सिडी तथा दोनों चाय अनुसंधान एवं विकास संस्थानों को सहायता प्रदान करना। चाय क्षेत्र के लिए एक विशेष चाय आवधिक ऋण (एसटीटीएल) की घोषणा की गई थी जिसमें चाय क्षेत्र में बकाया आवधिक/कार्यशील पूंजी ऋणों के अनियमित भाग को पुनर्गठित/पुन: चरणबद्ध करने की परिकल्पना की गई है जिसमें लघु चाय उपजकर्ताओं एवं क्रीत पत्ती फैक्ट्रियों हेतु पुनर्भुगतान की अवधि 5 से 7 वर्ष तक तथा 1 वर्ष की ऋण स्थगन अवधि की व्यवस्था की गई है, जिसे बड़े चाय उपजकर्ताओं के लिए मामला-दर-मामला आधार पर लागू किया जाता है। एस टी टी एल के अंतर्गत लघु उपजकर्ताओं के लिए 9% से अनधिक की दर पर 2 लाख रुपए तक की कार्यशील पूंजी का प्रावधान भी है। चाय उद्योग की सहायतार्थ किए गए अन्य उपायों में 1.4.2004 से लघु चाय उपजकर्ताओं एवं विनिर्माताओं के बीच कीमत भागीदारी फार्मूले का कार्यान्वयन, फरवरी से मई, 2004 तक चार महीने की अवधि के लिए लघु चाय उपजकर्ताओं हेतु कीमत सब्सिडी स्कीम का कार्यान्वयन, मूल्य संवर्धन सहित चाय की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार करने के लिए प्रयुक्त मशीनों की मदों पर आयात शुल्क में 5% की सर्वसमावेशी दर तक कमी शामिल है। इसके अतिरिक्त देश में उत्पादित चाय की उत्पादकता, गुणवत्ता और विपणनीयता को बढ़ाने के लिए चाय बोर्ड द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनेक विकासात्मक स्कीमों का कार्यान्वयन भी किया जा रहा है।

(ग) से (ङ) 16 एवं 17 सितम्बर, 2004 को आयोजित चाय संबंधी पणधारकों के सम्मेलन मे उभर कर आने वाली सबसे महत्वपूर्ण सिफारिशें; उत्पादकता को बढ़ाने की दृष्टि से चाय की पुरानी झाड़ियों के नवीकरण और पुनर्रोपण से संबंधित हैं। इस वृहत कार्यक्रम को वित्तपोषित करने संबंधी विस्तृत लागत निर्धारण कार्य और रुपरेखाएं सरकार के विचाराधीन हैं।

(च) और (छ) घरेलू बाजार को सम्पोषित करने हेतु चाय उद्योग द्वारा किए जा रहे विपणन संबंधी प्रयासों के अतिरिक्त चाय बोर्ड द्वारा विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलाप किए जा रहे हैं। इनमें चाय के स्वास्थ्य एवं जीवनशैली से संबद्ध पहलुओं के विषय में विभिन्न घरेलू प्रकाशनों में सामान्य प्रकृति के नियमित विज्ञापन जारी करना, देशभर में विभिन्न प्रमुख मेलों एवं प्रदर्शनियों में भागीदारी करना आदि शामिल है।

(ज) चाय के निर्यात को बढ़ाने हेतु किए गए उपायों में मध्यावधि निर्यात नीति का कार्यान्वयन करना, गुणवत्तायुक्त चाय विशेषकर परंपरागत चाय के उत्पादन को प्रोत्साहित करना, विदेशों में प्रमुख व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में भागीदारी करना, भारतीय ब्रांडों के विपणन में भारतीय निर्यातकों को संवर्धनात्मक सहायता प्रदान करना, विशिष्टता स्टोरों एवं मुख्य बाजारों में मौके पर जाकर नमूने लेना, चाय संबंधी शिष्टमंडलों को भेजना-बुलाना, उपभोक्ताओं में जागरुकता बढ़ाने हेतु मीडिया अभियान चलाना आदि शामिल है। भारतीय चाय की गुणवत्ता बनाए रखने और ब्रांड इक्विटी को कायम रखने के लिए, सरकार ने 1.4.2005 को एक नया चाय (वितरण एवं निर्यात) नियंत्रण आदेश जारी किया है।

संस्थाओं को भूमि आबंटन

271. **श्री सुरेन्द्र प्रकाश गोयल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व मामलों संबंधी भारतीय परिषद जिसे भूमि पट्टे पर दी गई थी, जैसी अन्य कितनी संस्थाओं को भूमि आबंटित की गई थी तथा उनके नाम क्या हैं;

(ख) क्या वे पट्टा किराये का नियमित रूप से भुगतान कर रही है; और

(ग) यदि नहीं, तो 1996 से आज तक उनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रखी जाएगी।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों का खोला जाना

272. **श्री सुशील कुमार मोदी:**
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री सूरज सिंह:
डा. अरुण कुमार शर्मा:
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:
मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय केन्द्रीय विद्यालयों (के वी एस) तथा नवोदय विद्यालयों (एन वी एस) की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उन स्थानों की सूची का राज्य-वार क्या ब्यौरा है जहां अगले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय खोले जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान तथा अब तक संबंधित राज्यों में केन्द्रीय विद्यालय तथा नवोदय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या कितनी है तथा इनकी राज्य-वार वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) आज की तारीख तक ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदयों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जो बिना भवन तथा आधारभूत सुविधाओं के चल रहे है; और

(छ) ऐसे विद्यालय जिनमें भवन नहीं हैं के लिए सरकार का विचार कब तक भवन बनाने का है तथा इस संबंध में बनाई गई कार्य योजना क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालयों के राज्यवार ब्यौरे विवरण I और II में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) योजनागत निधि की उपलब्धता के आधार पर वर्तमान वर्ष में 50 नए केन्द्रीय विद्यालय तथा 28 नवोदय विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

(ङ) इनके ब्यौरे विवरण-III तथ IV में दिए गए हैं।

(च) सभी स्कूलों में अस्थायी भवन तथा बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। उन स्कूलों का ब्यौरा जिनके पास स्थायीस भवन नहीं है विवरण-V, विवरण-VI और विवरण-VII में दिया गया है।

(छ) स्कूल भवनों का निर्माण एक सतत प्रक्रिया है जो भूमि स्थानान्तरण/लीज डीड, निर्माण एर्जेसियों द्वारा प्रारंभिक नक्शे तथा आकलनों की तैयारी तथा प्रस्तुती और "आयेाजना शीर्ष" के तहत निधि की उपलब्धता पर निर्भर करती है।

विवरण-I

वर्तमान स्थिति के अनुसार देश में केन्द्रीय विद्यालयों की (राज्यवार) संख्या

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत केन्द्रीय विद्यालयों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	02
2.	आंध्र प्रदेश	41
3.	अरुणाचल प्रदेश	13
4.	असम	49
5.	बिहार	35
6.	चंडीगढ़	05
7.	छत्तीसगढ़	22
8.	दादरा और नगर हवेली	01
9.	दमन और दीव	01
10.	दिल्ली	40
11.	गोवा	05

1	2	3
12.	गुजरात	41
13.	हरियाणा	26
14.	हिमाचल प्रदेश	20
15.	जम्मू-कश्मीर	36
16.	झारखंड	25
17.	कर्नाटक	33
18.	केरल	26
19.	लक्षद्वीप	01
20.	मध्य प्रदेश	74
21.	महाराष्ट्र	51
22.	मणिपुर	05
23.	मेघालय	07
24.	मिजोरम	02
25.	नागालैण्ड	05
26.	उड़ीसा	29
27.	पांडिचेरी	02
28.	पंजाब	39
29.	राजस्थान	55
30.	सिक्किम	02
31.	तमिलनाडु	31
32.	त्रिपुरा	05
33.	उत्तर प्रदेश	93
34.	उत्तरांचल	42
35.	पश्चिम बंगाल	49
36.	विदेश	03
	कुल	916

विवरण-II

वर्तमान स्थिति के अनुसार देश में नवोदय विद्यालयों की (राज्यवार) संख्या

क्र.सं.	राज्य	संस्वीकृत जवाहर नवोदय विद्यालयों की कुल संख्या
1	2	3
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	02
2.	आंध्र प्रदेश	22
3.	अरुणाचल प्रदेश	13
4.	असम	20
5.	बिहार	37
6.	चंडीगढ़	01
7.	छत्तीसगढ़	12
8.	दादरा और नगर हवेली	01
9.	दमन और दीव	02
10.	दिल्ली	02
11.	गोवा	02
12.	गुजरात	20
13.	हरियाणा	18+1*
14.	हिमाचल प्रदेश	12
15.	जम्मू-कश्मीर	14
16.	झारखंड	21
17.	कर्नाटक	27
18.	केरल	14
19.	लक्षद्वीप	01
20.	मध्य प्रदेश	46
21.	महाराष्ट्र	31
22.	मणिपुर	09
23.	मेघालय	07
24.	मिजोरम	07

1	2	3
25.	नागालैण्ड	07
26.	उड़ीसा	25
27.	पांडिचेरी	04
28.	पंजाब	17
29.	राजस्थान	32
30.	सिक्किम	04
31.	त्रिपुरा	04
32.	उत्तर प्रदेश	66+1*
33.	उत्तरांचल	11
34.	पश्चिम बंगाल	13
	कुल	525+2

*दो राज्य स्तरीय जवाहर नवोदय विद्यालय, एक सिरसा (हरियाणा) में तथा एक इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में

विवरण-III

गत तीन वर्षों (अर्थात 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005) के दौरान नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों के नामों को दर्शाने वाली सूची

राज्य	क्र.सं.	स्थान	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	
आंध्र प्रदेश	1.	पेदाककानी (गुन्टूर)	डी.एम. गुन्टूर से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
	2.	हानमकोन्डा	योजनागत निधियों के उपलब्ध होने पर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।
अरुणाचल प्रदेश	3.	हवाई/यिंगकिओंग	हवाई (अरुणाचल प्रदेश) में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए केन्द्रीय विद्यालय संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष का दिनांक 14.10.2003 का अनुमोदन प्राप्त हुआ था जिसे अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के अनुरोध पर 27.2.2004 को यिंगकिओंग में परिवर्तित कर दिया गया था। तथापि इस संस्वीकृति को अन्य छः के साथ अगस्त, 2004 के दौरान बिहार राज्य में नए केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए उपयोग कर लिया गया था।
असम	4.	रंगिया, जिला कामरुप	योजनागत निधियों के उपलब्ध होने पर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।
बिहार	5.	पी.पी.सी.एल. अमझोर	भूखण्ड और भवन तथा अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाएं पी.पी.सी.एल. प्राधिकरण की संपत्ति हैं जबकि प्रस्ताव सिविल क्षेत्र के तहत केन्द्रीय विद्यालय खोलने के लिए है डी.एम. को सुझाव दिया गया है कि वह आगे की कार्रवाई के लिए उपरोक्त न्यूनतम आवश्यकताओं का स्पष्ट अधिकार पी.पी.सी.एल. से प्राप्त कर ले।

1	2	3	4
दिल्ली	6.	अंबेडकर नगर	जिला प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
लक्षद्वीप	7.	एनड्रोट व अमीनी द्वीपसमूह	जिला प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
हरियाणा	8.	कोसली (रिवाड़ी)	जिला प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
हिमाचल प्रदेश	9.	उना	जिला मजिस्ट्रेट से अधूरा प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।
	10.	नं. 2 शिमला	जिला प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
जम्मू-कश्मीर	11.	(विवरण-2 क)	वर्ष 2002-03 के दौरान जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री से 36 केन्द्रीय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इनमें से 11 केन्द्रीय विद्यालय केन्द्रीय विद्यालय संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष के अनुमोदन से 2003-04 और 2004-05 के दौरान पहले ही खोल दिए गए हैं, जबकि शेष 25 स्थानों (संलग्नक-2 क) के मामले में संबंधित जिला प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र पर विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।
झारखंड	12.	लातेहर	योजनागत निधियों के उपलब्ध होने पर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।
	13.	गढ़वा	
कर्नाटक	14.	कोप्पल	जिला प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
मध्य प्रदेश	15.	अशोक नगर	जिला प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
	16.		-वही-
	17.	बेतुल	-वही-
	18.	बैदान गढ़ा (जबलपुर)	डी.एम. जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव की जांच की जा रही है।
उड़ीसा	19.	पारालेखामु	योजनागत निधियों के उपलब्ध होने पर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।
	20.	एन.डी.आई.	
	21.	नं.-2 कटक भांजानगर, जिला गंजाम	

1	2	3	4
राजस्थान	22.	हनुमानगढ़	जिला प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
	23.	डुंगरपुर	-वही-
	24.	पाली	-वही-
	25.	दौसा	-वही-
	26.	नागौर	-वही-
	27.	खेत्री नगर (झुंझुनू)	योजनागत निधियों के उपलब्ध होने पर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।
त्रिपुरा	28.	धर्म नगर (उत्तरी त्रिपुरा)	जिला प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
उत्तर प्रदेश	29.	उराई, जिला जालौन	जिला प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
	30.	महाराजगंज	-वही-
	31.	अम्बेडकर नगर	-वही-
	32.	मती, अकबरपुर	योजनागत निधियों के उपलब्ध होने पर प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जाएगा।
उत्तरांचल	33.	देघात, जिला अल्मोड़ा	जिला प्रशासन से निर्धारित प्रपत्र पर प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।
	34.	चकराता, देहरादून	-वही-

विवरण-IV

गत तीन वर्षों के दौरान और अब तक अपने संबद्ध राज्यों में नवोदय विद्यालय खोलने के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की संख्या (राज्य-वार) तथा तत्संबंधी वर्तमान स्थिति

राज्य	जिलों जहां से प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनकी स्थिति	
	जिलों के नाम	स्थिति
1	2	3
आंध्र प्रदेश	1. पश्चिम कामेंग	संस्वीकृत
असम	1. धुबरी	जिला प्रशाासन से गांव आलमगंज भाग-9 में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। स्थल की जांच कर ली गई है। जिला प्रशासन से न्यूनतम आवश्यक मौलिक सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।
बिहार	1. अरवाल	मार्च 2002 में अरवाल जिलें में झिकातिया गांव के प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण किया गया परंतु उसे अनुकूल नहीं पाया

1	2	3
		गया। जिला प्रशासन से क्षेत्रीय कार्यालय के दिनांक 3.2.2005 के पत्र के तहत अन्य उपयुक्त प्रस्ताव प्रेषित करने का अनुरोध किया गया है।
	2. लखीसराय	संस्वीकृत
छत्तीसगढ़	1. बस्तर	संस्वीकृत
	2. जशपुर	जिला प्रशासन द्वारा कुनकरी गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। मार्च, 2003 में स्थल का निरीक्षण किया गया। स्थल निरीक्षण रिपोर्ट हस्ताक्षर हेतु जिला मजिस्ट्रेट को भेज दी गई है। जिला प्रशासन से प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।
	3. कावर्धा	पहले जिला प्रशासन से जिले में ठरिया खुर्द गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। प्रदान किया गया स्थायी स्थल उपयुक्त पाया गया क्योंकि जिला प्रशासन कोई भी अस्थायी आवास प्रदान नहीं कर सकता था। निरन्तर प्रयासों के बावजूद जिला प्रशासन का प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।
	4. कोरिया (बैंकुठ पुर)	24.9.2003 को जिला प्रशासन से पोनडिहि गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। स्थल का निरीक्षण कर लिया गया है परंतु उसे उपयुक्त नहीं पाया गया। इस कार्यालय के दिनांक 18.3.2005 के पत्र द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय से कोई अन्य उपर्युक्त प्रस्ताव भेजने का अनुरोध किया गया है।
	5. कानकेर	10 अगस्त, 2004 को कानकेर जिले के पाथारी गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा कोई पुष्ठि/प्रतिबद्धता प्रतीक्षित है। जिला प्रशासन से प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।
	6. धामतरी	संस्वीकृत
दिल्ली	1. पश्चिमी दिल्ली	ब्लाक विकास अधिकारी पश्चिमी दिल्ली से पश्चिमी दिल्ली के बक्करवाला गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। क्षेत्रीय अधिकारी को स्थल का निरीक्षण करने और उपयुक्त रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया गया है। स्थल का निरीक्षण किया गया है।
गुजरात	1. अमरोली	जिला प्रशासन से जिले के मोटा भंजरिया गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। स्थल का निरीक्षण किया गया है। राज्य सरकार ने समिति से आग्रह

1	2	3
		किया कि विद्यालय के लिए प्रस्ताव जमीन के बाजारी-मूल्य का भुगतान करें। जिला प्रशासन से इस मामले के संबंध में पत्र-व्यवहार किया जा रहा है।
	2. नवसरी	जिला प्रशासन से जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। स्थल का निरीक्षण किया गया है। तथापि जिला प्रशासन ने प्रस्तावित जमीन देने से इंकार कर दिया है। इस मामले पर सचिव, शिक्षा विभाग, गुजरात सरकार के स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। प्रस्ताव की जांच के पश्चात जिला प्रशासन से बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। जिला प्रशासन से प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।
	3. अहमदाबाद	जिला प्रशासन से जिले के हाथीजान गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। कोई अस्थायी आवास प्रदान नहीं किया गया। जिला प्रशासन से उपयुक्त अस्थायी आवास प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।
	4. पंचमहल	संस्वीकृत
	5. आनन्द	संस्वीकृत
हरियाणा	1. फतेहाबाद	अनुमोदित प्रस्ताव को पहले ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेज दिया गया है।
केरल	1. वायनाड	संस्वीकृत
मध्य प्रदेश	1. उमरिया	जिला प्रशासन से छोटी पाली गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। मार्च, 2003 में स्थल का निरीक्षण किया गया। जमीन को जंगल जमीन कहा गया, क्षेत्रीय अधिकारी/जिला प्रशासन को जमीन संबंधी पुष्टि/स्पष्टीकरण देने और अस्थायी आवास प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।
	2. शाहडोल	संस्वीकृत
	3. गुना	संस्वीकृत
	4. डिनडोरी	संस्वीकृत
	5. बदवानी	संस्वीकृत
महाराष्ट्र	1. धूले	जिला प्रशासन ने धूले जिले के नाकाने गांव में स्थल का प्रस्ताव किया। स्थल का निरीक्षण किया गया। जिला प्रशासन से जल उपलब्ध कराने और प्रदान किए गए अस्थायी आवास

1	2	3
		की मरम्मत अपने खर्च पर कराने का अनुरोध किया गया है। जैसा कि क्षेत्रीय अधिकारी ने बताया है कि निःशुल्क जमीन प्रदान करने का मामला महाराष्ट्र सरकार के पास लंबित है। लम्बे पत्र-व्यवहार के बावजूद जिला प्रशासन से प्रत्युत्तर अपेक्षित है।
	2. भंडारा	हाल ही में मुख्य कार्यालय को प्रस्ताव प्राप्त हुआ। प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।
मिजोरम	1. सायहा	संस्वीकृत
	2. चंपई	संस्वीकृत
	3. मामित	संस्वीकृत
मेघालय	1. पूर्वीखासी पर्वतमाला	संस्वीकृत
नागालैण्ड	1. किफिर	संस्वीकृत
	2. जुनेहोबोतो	अनुमोदन हेतु प्रस्ताव को पहले ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय को भेजा दिया गया है।
उड़ीसा	1. बारगढ़	किसी उपयुक्त स्थल का पता लगाने के लिए निरीक्षण टीम नियुक्त करने के लिए मई, 2003 में जिला प्रशासन से प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। समिति ने दिनांक 16.6.2003 के पत्र द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी से आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया।
	2. जजपुर	जिला प्रशासन से जजपुर जिले के पानीकोइली गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। समिति के क्षेत्रीय कार्यालय से अनुरोध किया गया है कि जिला प्रशासन की सलाह से स्थल का निरीक्षण करें और उपयुक्तता रिपोर्ट पेश करें।
	3. दिओगढ़	जिला प्रशासन ने नुआबालिओरी में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने के लिए फरवरी, 2003 में स्थल का प्रस्ताव किया। समिति के दिनांक 10.3.2003 के पत्र द्वारा और दिनांक 2.7.2003 के अनुस्मारक द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी को स्थल का निरीक्षण करने और स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया। प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।
	4. नयागढ़	संस्वीकत
	5. भद्रक	अनुमोदन के लिए प्रस्ताव मानव संसाधन विकास मंत्रालय को पहले ही भेज दिया गया है।
	6. जगतसिंहपुर	समिति द्वारा तिरतोल गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है। क्योंकि प्रदान की

1	2	3
		गई जमीन 10 एकड़ से कम थी। तदंतर राज्य सरकार से इन प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के लिए अन्य संदर्भ प्राप्त हुआ। समिति के क्षेत्रीय कार्यालय से संबंद्ध जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क बनाए रखने और उपयुक्तता रिपोर्ट पेश करने का अनुरोध किया गया। प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है।
	7. मलकानगिरी	संस्वीकृत
सिक्किम	1. पूर्वी सिक्किम	संस्वीकृत
उत्तरांचल	1. पौड़ी गढ़वाल	संस्वीकृत
	2. बागेश्वर	संस्वीकृत
	3. पिथौरागढ़	संस्वीकृत
उत्तर प्रदेश	1. हमीरपुर	जिला प्रशासन से गांव/डाकखाना इत्तायाल में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ परंतु उसे उपयुक्त नहीं पाया गया। इस कार्यालय के दिनांक 29.4.2005 के पत्र द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को वैकल्पिक प्रस्ताव प्राप्त करने का अनुरोध किया गया।
	2. देवरिया	राज्य सरकार द्वारा जिले के मेहरा गांव में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ जिसे स्थल निरीक्षण की अग्रिम अपेक्षित कार्रवाई हेतु इस कार्यालय के दिनांक 31.12.2004 के पत्र द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को भेज दिया गया।
	3. रामपुर	जिला प्रशासन ने खीरा गांव में स्थल का प्रस्ताव किया शाहबाद के क्षेत्रीय अधिकारी को दिनांक 2.5.2005 के अपने पत्र द्वारा स्थल का निरीक्षण करने और निरीक्षण रिपोर्ट अग्रेषित करने का अनुरोध किया गया है।
	4. अंबडेकर नगर	संस्वीकृत
	5. बांदा	संस्वीकृत
पश्चिम बंगाल	1. हुगली	संस्वीकृत
	2. पूर्व मिदनापुर	संस्वीकृत
	3. नादिया	संस्वीकृत
	4. बर्दवान	संस्वीकृत
	5. जलपाइगुड़ी	संस्वीकृत

1	2	3
	6. बांकुरा	संस्वीकृत
	7. उत्तर दिनजपुर	संस्वीकृत
	8. बीरभूम	संस्वीकृत
	कुल 55	

विवरण-V

निर्माणाधीन योजनाधीन और जहां जमीन का स्थानांतरण होना बाकी है ऐसे केन्द्रीय विद्यालयों (पुराने 31.3.2003 तक खोले गए) की स्थिति (30.6.2005 तक की स्थिति)

क्र.सं. राज्य का नाम	निर्माणाधीन केन्द्रीय विद्यालय	योजनाधीन केन्द्रीय विद्यालय	ऐसे केन्द्रीय विद्यालय जहां जमीन का स्थानांतरण बाकी है
1 2	3	4	5
1. आंध्र प्रदेश	1. बावनपल्ली	1. गूटी	शून्य
2. अरुणाचल प्रदेश	1. तवांग 2. किमिन	1. रुपा	शून्य
3. असम	1. कोकराझार 2. खटखटी 3. पनबरी 4. नौगांव 5. करीमगंज 6. धोलचेरा 7. अमेरीगांग	1. मोहनबाड़ी 2. हाफ लांग (एसएसबी)	शून्य
4. बिहार	1. खागोल 2. खगरिया 3. एएफएस, दरभंगा	1. एएफएस, बिहार	1. लखीसराय 2. सहरसा 3. जहानाबाद
5. छत्तीसगढ़	1. मनेन्द्रगढ़ 2. रायगढ़ 3. जगदलपुर	शून्य	शून्य
6. दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य	1. सिलवासा
7. दिल्ली	1. अर्जुनगढ़ 2. बीएसएफ छावाला 3. रोहिणी, सेक्टर-3	शून्य	1. दिल्ली कैंट-II

1 2	3	4	5
8. गुजरात	शून्य	शून्य	1. विरामगांव 2. एएफएस, समाना
9. हरियाणा	1. आईटीबीपी, भानु कैंप	शून्य	1. करनाल 2. नं. 4 अम्बाला
10. हिमाचल प्रदेश	1. जुटगोघ कैंट 2. बानीखेत	1. सरहन (आईटीबीपी) 2. भनाला 3. नादौन 4. बकलोह	1. मंडी 2. सुबाथु 3. अलहिलाल 4. धर्मशाला कैंट
11. जम्मू और कश्मीर	1. नं. 1 श्रीनगर	1. नं. अखनूर	1. नं. 2 अखनूर 2. राजौरी 3. मीरां साहिब 4. नं. 2 ऊधमपुर 5. जिंदरा 6. अवंतीपुरा 7. धमाणा 8. सांबा
12. झारखंड	1. टाटा नगर 2. बरकाकाना 3. रांची (नामकुम) 4. धुर्वा, रांची सीआरपीएफ)	शून्य	1. पुराना डीवीएस, धनबाद
13. कर्नाटक	1. रायचूर 2. बीजापुर 3. नं. हुबली	1. नं. 2, मंगलौर 2. टुमकुर 3. एएफएस सांबरा	1. प्रोजेक्ट सी बर्ड
14. केरल	1. एएफएस त्रिवेन्द्रम 2. कालपेट्टा	शून्य	शून्य
15. मध्य प्रदेश	1. ओएफ इटारसी नं. 1 2. सीधी	1. विदिशा	-
16. महाराष्ट्र	1. मुडखेर 2. मनमाड 3. अजनी (नागपुर)	-	शून्य

1	2	3	4	5
17.	मणिपुर	शून्य	1. लिमाखोंग	शून्य
18.	मेघालय	1. हैप्पी वैली, शिलांग 2. उमराव कैंट	शून्य	शून्य
19.	मिजोरम	1. आइजवाल	शून्य	शून्य
20.	नागालैण्ड	शून्य	1. कोहिमा	1. जखामा 2. रंगापहाड़
21.	उड़ीसा	1. कटक 2. बारगढ़ 3. गोपालपुर कैंट 4. क्योंझार 5. भवानी पटना	1. एनएडी, सुनेबेडा	शून्य
22.	पंजाब	1. आदमपुर नं. II 2. नं. 1/, भटिंडा 3. जलालाबाद	1. शिकारपुर 2. मुल्लांपुर	1. नं. 2 हलवारा 2. बददोवाल कैंट 3. नाभा कैंट 4. दाप्पार 5. नं. 4 जालंधर कैंट 6. नं. 2 अमृतसर
23.	राजस्थान	1. नं. 2, ए एफ एस, जोधपुर 2. बाग़न 3. दाबला 4. शिकार 5. बेवार (अजमेर) 6. नं. II आर्मी, जोधपुर 7. अनूपगढ़	शून्य	1. न. III सूरतगढ़ (एफ I एफ-2)
24.	तमिलनाडु	1. विलिंगटोन 2. सी आई एस एफ अराकोनम	शून्य	शून्य
25.	त्रिपुरा	1. कैलाशहर 2. पानीसागर	1. बागफा	शून्य
26.	उत्तर प्रदेश	1. बलिया	1. ओल्ड कैंट इलाहाबाद 2. ए एफ एस दादरी 3. सी आर पी एफ, रामपुर 4. नं. 3 चकेरी कानपुर	1. अलीगढ़ 2. गाजीपुर 3. चांदीनगर

1	2	3	4	5
27.	उत्तरांचल	1. जोशीमठ 2. नं. 2 रुड़की	1. हलद्वानी कैंट 2. आई टी बी पी, गोचर 3. एस एस बी, श्रीगनर	1. नं. 1 बनबसा 2. क्लेमेंट टाउन, डी.डी.
28.	पश्चिम बंगाल	1. आई.आइ.एम. जोका 2. गार्डन रीच 3. नं. 2 कंचरापाड़ा	1. सी.आर.पी.एफ. दुर्गापुर	1. कालीम्पोंग
		65	28	38
		कुल योग (65+28+38) = 131		

विवरण-VI

वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान उन केन्द्रीय विद्यालयों की सूची जिनके पास अपने भवन नहीं थे।

2003-2004

1. रोइंग	अरुणाचल प्रदेश	सिविल
2. आई आई टी, गुवाहटी	असम	-वही-
3. बारपेटा	-वही-	-वही-
4. डिब्रूगढ़	-वही-	-वही-
5. लखीमपुर	-वही-	-वही-
6. मंगलदोई	-वही-	-वही-
7. आर आर एल जोरहाट	-वही-	-वही-
8. बकसर	बिहार	-वही-
9. बेतीया	-वही-	-वही-
10. हाजीपुर	-वही-	-वही-
11. माशरख	-वही-	-वही-
12. मोतिहारी	-वही-	-वही-
13. रायपुर नं. 2	छत्तीसगढ़	-वही-
14. जशपुर	-वही-	-वही-
15. बेलाडिला एअ दांतवाडा	-वही-	-वही-
16. दीव	दमन और दीव	-वही-
17. सैक्टर-22 रोहिणी	दिल्ली	-वही-
18. सैक्टर-25 रोहिणी	-वही-	-वही-
19. द्वारका	-वही-	-वही-
20. नरेला	-वही-	-वही-
21. द्वारका	गुजरात	-वही-
22. जेटपुर	-वही-	-वही-
23. नं. 3 फरीदाबाद	हरियाणा	-वही-
24. नं. 2 गुड़गांव	-वही-	-वही-
25. हरसिंहपुरा (करनाल)	-वही-	-वही-
26. आई टी बी पी, रेकोंगपियो	हि.प्र.	-वही-
27. अनंतनाग	ज. और क.	-वही-
28. जानकसर	-वही-	-वही-
29. कारगिल	-वही-	-वही-
30. नुब्रा	-वही-	-वही-
31. चुसुल (न्योमा)	-वही-	-वही-
32. हीरानगर	-वही-	-वही-
33. कथुवा	-वही-	-वही-
34. बादरवाह	-वही-	-वही-
35. चेन्नई एट कुट	-वही-	-वही-
36. धनबाद	झारखंड	-वही-

37. कावाराथी	लक्षद्वीप	सिविल
38. मांडला	मध्य प्रदेश	-वही-
39. लुंगलेई	मिजोरम	-वही-
40. नं. 2 भुवनेश्वर	उड़ीसा	-वही-
41. बी एस एफ, पोखरण	राजस्थान	-वही-
42. गंगापुर सिटी	-वही-	-वही-
43. रामेश्वरम	तमिलनाडु	-वही-
44. भीमताल	उत्तरांचल	-वही-
45. कौशनी	-वही-	-वही-
46. ग्वालदाम	-वही-	-वही-
47. पौड़ी	-वही-	-वही-
48. राजगढ़ी	-वही-	-वही-
49. आई आई टी, इलाहाबाद	उत्तर प्रदेश	-वही-
50. रक्षा विहार, कानपुर	-वही-	-वही-
51. ग्रेटर नोएडा	-वही-	-वही-
52. सी आर पी एफ, लखनऊ	-वही-	-वही-
53. वाराणसी	-वही-	-वही-
54. गोरखपुर	-वही-	-वही-
55. देवरिया	-वही-	-वही-
56. बलरामपुर	-वही-	-वही-
57. कुरसियोंग	पश्चिम बंगाल	-वही-

2004-2005

58. मियाओन	अरुणाचल प्रदेश	सिविल
59. खोनसा	-वही-	-वही-
60. दरभंगा	बिहार	-वही-
61. बरौनी	-वही-	-वही-
62. सीवान	-वही-	-वही-
63. बांका	-वही-	-वही-
64. छपरा	-वही-	-वही-
65. गोपालगंज	-वही-	-वही-
66. गुलमार्ग (टानमार्ग)	जम्मू कश्मीर	सिविल
67. भुरकुंडा	झारखंड	-वही-
68. रेवा नं. 2	मध्य प्रदेश	-वही-
69. सागर नं. 3	-वही-	-वही-
70. शाजपुर	-वही-	-वही-
71. कारौली	राजस्थान	-वही-
72. मादुराटी नं. 2	तमिलनाडु	-वही-
73. सौरखंड, टिहरी गढ़वाल	उत्तरांचल	-वही-
74. आई टी बी पी, मिर्थी	-वही-	-वही-
75. लालधा, चम्पावत	-वही-	-वही-
76. अगस्तमुनी, चमोली	-वही-	-वही-

विवरण-VII

अस्थायी भवनों में कार्यरत 122 जवाहर नवोदय विद्यालयों की सूची

क्र.सं.	राज्य	जवाहर नवोदय विद्यालय के नाम	अस्थाई/स्थाई
1	2	3	4
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	निकोबाद	अस्थाई
2.	अरुणाचल प्रदेश	चांगलांग	अस्थाई
3.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी कामेंग	अस्थाई
4.	अरुणाचल प्रदेश	पूर्वी सियोंग	अस्थाई

1	2	3	4
5.	अरुणाचल प्रदेश	लॉवर सुबानसिरी	अस्थाई
6.	अरुणाचल प्रदेश	पापम पारे	अस्थाई
7.	अरुणाचल प्रदेश	तावांग	अस्थाई
8.	अरुणाचल प्रदेश	तिराप	अस्थाई
9.	अरुणाचल प्रदेश	अपर सियांग	अस्थाई
10.	अरुणाचल प्रदेश	अपर सुबानसिरी	अस्थाई
11.	अरुणाचल प्रदेश	पश्चिम सियांग	अस्थाई
12.	असम	गोपालपाड़	अस्थाई
13.	असम	जोरहाट	अस्थाई
14.	असम	नालबारी	अस्थाई
15.	असम	तिनसुकिया	अस्थाई
16.	बिहार	भागलपुर	अस्थाई
17.	बिहार	गोपालगंज	अस्थाई
18.	बिहार	जहानाबाद	अस्थाई
19.	बिहार	खगरिया	अस्थाई
20.	बिहार	किशनगंज	अस्थाई
21.	बिहार	मधुबनी	अस्थाई
22.	बिहार	पटना	अस्थाई
23.	बिहार	सारण	अस्थाई
24.	बिहार	शिवहर	अस्थाई
25.	बिहार	सीवान	अस्थाई
26.	छत्तीसगढ़	धामतारी	अस्थाई
27.	छत्तीसगढ़	जांजगीर (चम्पा)	अस्थाई
28.	छत्तीसगढ़	कोरबा	अस्थाई
29.	छत्तीसगढ़	महासमुंद	अस्थाई
30.	गुजरात	मेहसाना	अस्थाई
31.	गुजरात	पंचमहल	अस्थाई
32.	गुजरात	बड़ोदरा	अस्थाई
33.	हरियाणा	अम्बाला	अस्थाई

1	2	3	4
34.	हरियाणा	गुड़गांव	अस्थाई
35.	हरियाणा	पानीपत	अस्थाई
36.	हरियाणा	यमुना नगर	अस्थाई
37.	हिमाचल प्रदेश	किन्नौर	अस्थाई
38.	हिमाचल प्रदेश	लाहुल और स्पीति	अस्थाई
39.	जम्मू और कश्मीर	कारगिल	अस्थाई
40.	झारखंड	चतरा	अस्थाई
41.	झारखंड	देवघर	अस्थाई
42.	झारखंड	धनबाद	अस्थाई
43.	झारखंड	पूर्वी सिंहभूम	अस्थाई
44.	झारखंड	गढ़वा	अस्थाई
45.	झारखंड	कोडाम्मा	अस्थाई
46.	झारखंड	पलामू	अस्थाई
47.	झारखंड	पानकुर	अस्थाई
48.	झारखंड	साहिबगंज	अस्थाई
49.	झारखंड	पश्चिम सिंहभूम	अस्थाई
50.	कर्नाटक	हावेरी	अस्थाई
51.	कर्नाटक	मैसूर	अस्थाई
52.	मध्य प्रदेश	बादवानी	अस्थाई
53.	मध्य प्रदेश	डिंदोरी	अस्थाई
54.	मध्य प्रदेश	हारदा	अस्थाई
55.	मध्य प्रदेश	कटनी	अस्थाई
56.	मध्य प्रदेश	शिवपुर कलां	अस्थाई
57.	महाराष्ट्र	अकोला	अस्थाई
58.	महाराष्ट्र	परभनी	अस्थाई
59.	मणिपुर	चांदेल	अस्थाई
60.	मणिपुर	पूर्वी इम्फाल	अस्थाई
61.	मणिपुर	तामेगलोंग	अस्थाई
62.	मणिपुर	थाउबल	अस्थाई
63.	मेघालय	पूर्वी गारो हिल्स	अस्थाई

1	2	3	4
64.	मेघालय	पूर्वी खासी हिल्स	अस्थाई
65.	मेघालय	जानटिया हिल्स	अस्थाई
66.	मेघालय	रि-भोई	अस्थाई
67.	मेघालय	दक्षिणी गारो हिल्स	अस्थाई
68.	मेघालय	पश्चिमी गारो हिल्स	अस्थाई
69.	नागालैण्ड	मोकाकचुंग	अस्थाई
70.	नागालैण्ड	मोन	अस्थाई
71.	नागालैण्ड	फेक	अस्थाई
72.	नागालैण्ड	तुषांग	अस्थाई
73.	नागालैण्ड	वोखा	अस्थाई
74.	उड़ीसा	अंगुल	अस्थाई
75.	उड़ीसा	बौद्ध	अस्थाई
76.	उड़ीसा	गजपति	अस्थाई
77.	उड़ीसा	म्यारसुगुडा	अस्थाई
78.	उड़ीसा	खोरधा	अस्थाई
79.	उड़ीसा	मल्कागंज	अस्थाई
80.	उड़ीसा	नाबारंगपुर	अस्थाई
81.	उड़ीसा	पुरी	अस्थाई
82.	उड़ीसा	रायागादा	अस्थाई
83.	उड़ीसा	सोनेपुर	अस्थाई
84.	पंजाब	फारीदकोट	अस्थाई
85.	पंजाब	होरियारपुर	अस्थाई
86.	पंजाब	मनसा	अस्थाई
87.	पंजाब	मोगा	अस्थाई
88.	पंजाब	रुपनगर	अस्थाई
89.	राजस्थान	हनुमानगढ़	अस्थाई
90.	राजस्थान	करौली	अस्थाई
91.	सिक्किम	उत्तरी सिक्किम	अस्थाई
92.	सिक्किम	दक्षिणी सिक्किम	अस्थाई

1	2	3	4
93.	त्रिपुरा	धालाई	अस्थाई
94.	उत्तरांचल	बागेश्वर	अस्थाई
95.	उत्तरांचल	चमोली	अस्थाई
96.	उत्तरांचल	चम्पावत	अस्थाई
97.	उत्तरांचल	नैनीताल	अस्थाई
98.	उत्तरांचल	पिथौरागढ़	अस्थाई
99.	उत्तर प्रदेश	औरेया	अस्थाई
100.	उत्तर प्रदेश	बदायूं	अस्थाई
101.	उत्तर प्रदेश	बलरामपुर	अस्थाई
102.	उत्तर प्रदेश	बांदा	अस्थाई
103.	उत्तर प्रदेश	बरेली	अस्थाई
104.	उत्तर प्रदेश	चंदौली	अस्थाई
105.	उत्तर प्रदेश	चित्रकूट	अस्थाई
106.	उत्तर प्रदेश	फतेहपुर	अस्थाई
107.	उत्तर प्रदेश	गाजीपुर	अस्थाई
108.	उत्तर प्रदेश	जे.पी. नगर	अस्थाई
109.	उत्तर प्रदेश	कन्नौज	अस्थाई
110.	उत्तर प्रदेश	कौशाम्बी	अस्थाई
111.	उत्तर प्रदेश	लखीमपुर खीरी	अस्थाई
112.	उत्तर प्रदेश	मुरादाबाद	अस्थाई
113.	उत्तर प्रदेश	प्रतापगढ़	अस्थाई
114.	उत्तर प्रदेश	सहारनपुर	अस्थाई
115.	उत्तर प्रदेश	संत कबीर नगर	अस्थाई
116.	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	अस्थाई
117.	पश्चिम बंगाल	24 उत्तरी परगना	अस्थाई
118.	पश्चिम बंगाल	बर्दवान	अस्थाई
119.	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग	अस्थाई
120.	पश्चिम बंगाल	मुर्शीदाबाद	अस्थाई
121.	पश्चिम बंगाल	नादिया	अस्थाई
122.	पश्चिम बंगाल	पूरब मिदनापुर	अस्थाई

डी.डी.ए. द्वारा आवंटित फ्लैटों की रजिस्ट्री

273. श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डीडीए के ध्यान में नरेला आवासीय योजना विशेष रूप से ईएचएस के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा आवंटित फ्लैटों की रजिस्ट्री करने में विलंब के मामले आए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) डीडीए द्वारा उक्त फ्लैटों के रजिस्ट्रेशन में तेजी लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि डीडीए द्वारा हस्तांतरण विलेख का निष्पादन किए जाने के बाद आबंटियों द्वारा उप-पंजीयक कार्यालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से डीडीए फ्लैटों की रजिस्ट्री करवाई जाती है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि नरेला में ई.एच.एस. टाइप फ्लैटों के हस्तांतरण विलेख निष्पादित करने में विलंब का कोई मामला उनके ध्यान में नहीं आया है। भावी आवंटियों द्वारा कोडल औपचारिकताएं पूरी किए जाने के बाद फ्लैटों का कब्जा सौंपे जाने पर डीडीए द्वारा फ्लैटों का हस्तांरण विलेख निष्पादित किया जाता है।

[अनुवाद]

एनसीआर का विकास

274. श्री मधु गौड यास्खी:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और विकास करने के लिए पड़ोसी राज्यों के साथ बैठक की गई है;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चाओं का ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या कुछ राज्य सरकारों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं तथा राजधानी के साथ लगे इलाकों के विकास हेतु धनराशि की मांग की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिनाक 9.7.2005 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की बैठक आयोजित की गयी थी जिसमें हरियाणा और दिल्ली के मुख्यमंत्रियों; दिल्ली के उपराज्यपाल; उत्तर प्रदेश और राजस्थान के मंत्रियों; बोर्ड के सदस्यों तथा भारत सरकार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल संबंधित राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया।

(ख) उपर्युक्त बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 को अनुमोदित करने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नये शहरों के विकास के लिए व्यवहार्यता अध्ययन कराने हेतु सहायता देने से संबंधित प्रमुख निर्णय लिये गये। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जल, ऊर्जा, प्रवास के पैटर्नों से संबंधित अध्ययन शुरु करने तथा नगर वनों को बढ़ावा देने के बारे में भी चर्चा की गयी।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में राज्य सरकारों और उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को परियोजनाओं की अनमानित लागत के 75% तक की ऋण सहायता देता है। कार्यान्वयन एजेंसियों की आवश्यकतानुसार धनराशि जारी की जाती है। बोर्ड की बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए और अधिक वित्तीय सहायता देने के लिए सुझाव प्राप्त हुए।

गत तीन वर्षों में संबंधित राज्य सरकारों तथा उनकी कार्यान्वयन एजेंसियों को दी गयी ऋण सहायता के ब्यौरे इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

उप-क्षेत्र	2002-2003	2003-04	2004-05	कुल
हरियाणा	96.08	159.68	82.17	337.93
उत्तर प्रदेश	2.10	62.90	48.06	113.06
राजस्थान		2.50		2.50
रा.रा. क्षेत्र दिल्ली			90.00	90.00
काउंटर मैग्नेट क्षेत्र	12.68	49.00	55.49	117.17
कुल	110.86	274.08	275.72	660.66

काली सूची में डाले गये गैर-सरकारी संगठन

275. श्री परसुराम माझी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा देश में राज्य-वार तथा विशेष रूप से उड़ीसा में कुछ गैर-सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा ऐसे मामलों को समाप्त करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई विदेशी अंशदान करने से निषिद्ध श्रेणी में रखी गई ऐसोसिएशनों/गैर-सरकारी संगठनों की, उड़ीसा सहित, राज्यवार सूची का विवरण संलग्न है।

(ख) अधिनियम के तहत प्रावधानों का घोर उल्लंघन करने के कारण एसोसिएशनों को ''निषिद्ध श्रेणी'' में रखा जाता है।

विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह ऐसी किसी एसोसिएशन के खिलाफ कार्रवाई करे जिसने उक्त अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन किया हो। इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन के मामलों में कार्रवाई करने संबंधी दांडिक प्रावधानों में पांच वर्ष तक की जेल की सजा का दंड, अथवा जुर्माना, अथवा दोनों सजाएं शामिल है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम का उल्लंघन करते हुए प्राप्त की गई करेंसी के भुगतान पर रोक लगा सकती है अथवा उसे जब्त कर सकती है और किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त की गई किसी वस्तु या करेंसी को, जिसके बारे में यह विश्वास हो जाए कि उसे अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करके प्राप्त किया गया है, जब्त कर सकती है। केन्द्रीय सरकार को यह भी शक्ति प्राप्त है कि वह किसी एसोसिएशन को कोई विदेशी अभिदाय प्राप्त करने से निषिद्ध कर सकती है अथवा किसी पंजीकृत एसोसिएशन को ''पूर्वानुमति'' श्रेणी में रख सकती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा सहित, राज्यवार, निम्नलिखित एसोसिएशनें/गैर-सरकारी संगठनों को विदेशी अंशदान स्वीकार करने से निषिद्ध श्रेणी में रखा गया है

1. दिल्ली	-	सरस्वती चेरिटेबल ट्रस्ट, नई दिल्ली।
2. हरियाणा	-	हरियाणावी आर्गनाइजेशन फॉर प्रोग्राम एंड इकालोजी (होप), सोनीपत।
3. गुजरात	-	इदार-ए-तालीमाते इस्लामिया (दारुल-उलूम शाहे-आलम), अहमदाबाद।
4. मध्य प्रदेश	-	रीच वेली वियू एकेडमी, इन्दौर।
5. मणिपुर	-	एम.ए. वहाब इस्लामि पब्लिक स्कूल, उस्मानगंज।
6. उड़ीसा	-	(1) सोसायटी फॉर अवेयरनेस ऑफ ह्यूमेन सोसायटी एंड रुरल एडवांसमेंट (सहारा), कालाहांडी।
	-	(2) हेल्थ एजुकेशन डेवलपमेंट सोसायटी, भुवनेश्वर।
	-	(3) आदिम जाति सेवा समिति, कंधामाल।
7. तमिलनाडु	-	(1) डेवलपमेंट आरगनाइजेशन फॉर वुमेन, डिंडीगुल।
	-	(2) रीच इन नीलगिरीज, चेन्नई।
8. उत्तर प्रदेश	-	जमाय अतुल फलाह, बिलारीगंज, आजमगढ़।
9. पश्चिम बंगाल	-	कंग्रेगेशन ऑफ द डाटर्स ऑफ सेंट एनी, जलपाइगुड़ी।

अंडमान तथा निकोबार में जनजातियों का पुनर्वास

276. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सुनामी द्वारा हुई तबाही के बाद अंडमान तथा निकोबार द्वीप के निगेरो तथा मोंगलोइड जनजातीयों के पुनर्वास के लिए शुरु किए गए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन कार्यक्रमों की स्थिति क्या है तथा इनके अब तक क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इन जनजातीयों की संख्या संबंधी ब्यौरे का पता लगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मेट्रो रेलगाड़ियों की सुरक्षा

277. डा. के. धनराजू:
श्री सुरेश अंगड़ि:
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री के.सी. सिंह 'बाबा':

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वैश्विक आतंकवाद बढ़ जाने के कारण सरकार का ध्यान लंदन में हुए उन भूमिगत धमाकों की ओर गया है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भय और संकट से प्रकम्पित कर दिया था;

(ख) यदि हां, तो देश में विशेष रूप से दिल्ली तथा कोलकाता मेट्रो रेलगाड़ियों में आंतकवाद/तोड़-फोड़ से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार तबाही फैलाने वाले विस्फोटकों के निर्माण के लिए आर डी एक्स तथा अन्य सामग्रियों की आवाजाही पर रोकने के लिए देश की मेट्रों रेलगाड़ियों में प्रयोग हेतु डॉग स्क्वाड तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो ईजाद की गई अन्य त्रुटिरहित विधियों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) जी हां। केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में मेट्रो रेल गाड़ियों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा की गई थी जिसमें दिल्ली मेट्रो रेल की सुरक्षा हेतु एक व्यापक और समेकित योजना तैयार करने का निर्णय लिया गया था। तदनुसार अधिकारियों का एक दल, पुलिस स्टेशनों, अग्निशमन केन्द्रों, अस्पतालों, ऐंबुलेंस सेवाओं , सहायता ग्रुपों, पहुंच नियंत्रण, यात्रियों और सामान की जांच, आतंकवादी और विघटनकारी तत्वों से संरक्षण के साथ स्टेशनवार लिंक अप सहित बचाव और सुरक्षित स्थान में पहुंचाने की व्यवस्था के साथ सुरक्षा योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। आर डी एक्स और विस्फोटकों को तैयार करने में इस्तेमाल की जाने वाली कच्ची सामग्री को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा पहले ही सूंघने वाले कुत्ते का एक दस्ता और बम स्क्वाड तैनात किया गया है। चूंकि कानून और व्यवस्था आदि बनाए रखने की जिम्मेदारी मुख्यत: राज्य सरकारों की है, कोलकाता मेट्रो को सुरक्षा पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। तथापि, केन्द्र सरकार पुलिस आधुनिकीकरण की स्कीम के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करवा कर, केन्द्रीय सुरक्षा और आसूचना एजेंसियों से प्राप्त सूचना को बांटकर, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों आदि की सतर्कता बढ़ाने के बारे में सलाह जारी करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है।

जी-33 मीट

278. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री महबूब ज़ाहेदी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में जकार्ता में 42 विकसित देशों वाले जी-33 मंत्रिमंडलीय समूह का एक सम्मेलन हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसकी कार्यसूची क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या विकसित राष्ट्रों से कृषि उत्पादों के आयात में अवांछित बढ़ोत्तरी के खिलाफ घरेलू कृषि बाजारों का उत्पादन के संबंध में इस सम्मेलन में कोई सहमति हुई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके बाद क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) जी हां। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) में कृषि संबंधी वार्ताओं की प्रगति का आकलन करने और अन्य बातों के साथ-साथ विकासशील देशों के लिए विशेष उत्पादों एवं विशेष रक्षोपाय तंत्र के मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए 11-12 जून, 2005 को जकार्ता, इंडोनेशिया में जी-33 की मंत्रिस्तरीय बैठक हुई थी। बैठक में जी-33 ने इस बात पर बल दिया था कि विकासशील देशों की खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका की सुरक्षा को सुनिश्चित करने और उनके किसानों की ग्रामीण विकास संबंधी जरुरतों को पूरा करने के लिए विकासशील देशों के लिए अर्थपूर्ण एवं प्रचालनात्मक विशेष एवं अलग प्रकार के व्यवहार को वार्ताओं के सभी घटकों का अभिन्न अंग होना चाहिए।

कृषि उत्पादों के आयातों में वृद्धि और आयातों में ऐसी वृद्धि से होने वाले कीमत ह्रास से विकासशील देशों के कृषकों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए जी-33 मंत्रियों ने विकासशील देशों के लिए प्रचालनात्मक रूप से प्रभावी विशेष रक्षोपाय तंत्र (एस एस एम) की मांग की।

विश्व व्यापार संगठन में चल रही कृषि संबंधी वार्ताओं में भारत समान हित एवं चिंताओं वाले विश्व व्यापार संगठन के अन्य

सदस्यों के साथ मिल कर इन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है।

[हिन्दी]

गुजरात दंगों की सीबीआई द्वारा जांच

279. **मो. मुकीमः**
श्री मुनव्वर हसनः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात दंगों की सी बी आई द्वारा जांच करवाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस जांच के कब तक शुरु होने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) किसी मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपने से पूर्व दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 की धारा 6 के अंतर्गत राज्य सरकार की सहमति अपेक्षित है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान किए गए अपराधों की जांच पड़ताल और अभियोजन से संबंधित मामलों में उच्चतम न्यायालय में विभिन्न याचिकाएं दायर की गई हैं। इस संबंध में यदि गुजरात की राज्य सरकार अनुरोध करती है अथवा यदि न्यायालय ऐसा निर्देश देते हैं तो सरकार इन मामलों की जांच केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपगी।

[अनुवाद]

मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में कृतक बल का गठन

280. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनीः**
कुंवर मानवेन्द्र सिंहः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान के संबंध में किसी कृतक बल का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस कृतक बल का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृतक बल द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी गई है;

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सरकार ने विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शोध हेतु निम्नलिखित विचारार्थ विषयों के साथ एक कार्य बल गठित किया है:

(1) विश्वविद्यालयों में वैज्ञानिक शोध तथा प्रशिक्षण की वर्तमान स्थिति का मूल्यांकन करना तथा जिन विषयों पर विचार किया जाना है उन्हें निर्धारित करना।

(2) वैज्ञानिक शोध तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में विश्वविद्यालयों की उत्कृष्टता में सुधार तथा वृद्धि करने के लिए उपायों और कार्यनीतियों का सुझाव देना।

(3) इन उपायों तथा इसकी रुपात्मकताओं को कार्यान्वित करने के लिए भौतिक तथा वित्तीय दोनों रूप से अपेक्षित संसाधनों का मूल्यांकन करना।

(ग) जी, हां।

(घ) कार्य बल ने मुख्य रूप से सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों में कोटिपरक वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकासात्मक अनुदान प्रदान करके बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। ये विकासात्मक अनुदान आधुनिक प्रयोगशालाओं, नियमित विद्युत आपूर्ति सहित भौतिक सुविधाओं, जल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा उपाय, अंतर्निहित अनुरक्षण तंत्र सहित उच्च स्तर के उपकरणों के लिए, विशेष शोध करने वाले छात्रों के छात्रावास के लिए भी दिये जा सकते है। इसके अतिरिक्त रिसर्च स्टार्टर फंड, देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण विभागों में बुनियादी विज्ञान में दस नेटवर्क केन्द्र सृजित करने के लिए, सहयोगितापूर्ण शोध को प्रोत्साहन देने के लिए, आधुनिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए तथा महत्वपूर्ण विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भी ये अनुदान दिए जा सकते हैं।

(ङ) सरकार ने कार्यबल की रिपोर्ट स्वीकार कर ली है तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को इसमें दी गई सिफारिशों को कार्यान्वित करने का निर्देश दिया है।

उच्च शिक्षा

281. **श्रीमती पी. सतीदेवीः**
श्री रघुवीर सिंह कौशलः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतवर्ष को अपने छात्रों को उच्च शिक्षा दिलाने के संबंध में संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या ठोस कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उच्च तकनीकी शिक्षा तथा उच्च शिक्षा देने वाले संस्थान व्यापार केन्द्र बन गए हैं तथा ये संस्थान मध्यम वर्ग आम आदमी के लिए वहनीय नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो वहनीय खर्चों पर उच्च शिक्षा दिलाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार देश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रतिभा संपन्न छात्रों के लिए पर्याप्त अवसर है। इस समय अवर स्नातक/स्नातकोत्तर/डाक्टोरल स्तर पर उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले 345 उच्च अध्ययन संस्थान हैं। सरकारी संस्थानों में शिक्षा शुल्क कम है तथा छात्र इसे वहन कर सकते हैं और शैक्षिक ऋण प्रदान करने की सुविधाओं के अलावा निर्धन तथा प्रतिभा संपन्न छात्रों के लिए फीस माफी और छात्रवृत्ति का भी प्रावधान है।

बीएसएफ द्वारा की गई ज्यादतियां

282. **श्री अजय चक्रवर्ती:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत-बंगलादेश सीमा पर तैनात बी एस एफ के जवानों द्वारा की गई विभिन्न ज्यादतियों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में बी एस एफ के जवानों के विरुद्ध सरकार को मिली शिकायतों की संख्या कितनी है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जब कभी भी सीमा सुरक्षा बल कर्मियों द्वारा कदाचार का कोई मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है, तो यथोचित जांच-पड़ताल करने के पश्चात सख्त अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। वर्ष 2002 से, 52 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 48 शिकायतें झूठी पाई गई हैं जबकि 4 में जांच-पड़ताल की जा रही है।

नागा नेताओं के साथ बातचीत

283. **श्री राजेन्द्र कुमार:**
श्री प्रबोध पाण्डा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नागा विद्रोही समस्या का समाधान करने के लिए केन्द्र सरकार तथा नागा नेताओं के बीच हाल ही में हुई शांति वार्ता का निष्कर्ष और ब्यौरा क्या है;

(ख) ग्रेटर नागालैण्ड की मांग पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) पड़ोसी राज्यों के साथ मामले का समाधान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) बातचीत के अगले दौर के कब तक शुरु होने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) मंत्रियों के ग्रुप ने फरवरी, 2005 के दौरान नागा मुद्दे पर एन एस सी एन (आई/एम) नेताओं के साथ वार्ता के 12 दौर आयोजित किए हैं। वार्ता, अनिर्णित रही हैं। इस अवस्था में वार्ता के परिणाम को उजागार करना जनहित में नहीं होगा।

(घ) वार्ता के अगले दौर के लिए अभी तक कोई भी तारीख निर्धारित नहीं की गई है।

अनुदान प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों पर नियंत्रण तंत्र

284. **श्री गिरिधर गमांग:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवीं तथा छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए इस मंत्रालय तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से अनुदान प्राप्त कर रहे गैर-सरकारी संगठनों की अनुवीक्षण प्रणाली तथा कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए अब तक किन-किन राज्यों द्वारा तीन-तरफा अनुवीक्षण समितियों का गठन किया गया है;

(ख) इन अनुसूचित क्षेत्रों में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों की राज्य-वार कुल संख्या कितनी है तथा इनका मंत्रालय-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनके अनुसूचित क्षेत्रों में नकली गैर-सरकारी संगठनों की बढ़ोत्तरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कच्छ विकास बोर्ड के गठन का विलंबन

285. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री वी. के. ठुम्मर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कच्छ विकास बोर्ड (के.डी.बी.) के गठन का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने प्रस्तावित कच्छ विकास बोर्ड के गठन के लिए अभी सभी प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कच्छ विकास बोर्ड के कब तक अस्तित्व में आने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

पोटा समीक्षा समिति

286. **श्री गुरुदास दासगुप्त:**
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस.सी. जैन की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय पोटा समीक्षा समिति ने फरवरी, 2002 में गोधरा ट्रेन जलाने वाली घटनाओं संबंधी अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के मुख्य निष्कर्ष क्या रहे और यह किन निष्कर्षों पर पहुंची है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस. सी. जैन की अध्यक्षता वाली केन्द्रीय पोटा समीक्षा समिति ने गोधरा ट्रेन घटना के संबंध में, पोटा के उपबंधों के अधीन आरोपित प्रत्येक अभियुक्त के मामलों की समीक्षा की है तथा 17 मई, 2005 को अपनी राय प्रस्तुत की।

(ख) समिति की राय में अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध पोटा, 2002 के अंतर्गत विचारण न किया जाए, बल्कि उनके विरुद्ध इसके ईतर अन्य कानूनों के अंतर्गत विचारण किया जा सकता है।

(ग) समीक्षा समिति ने संबंधित सरकारी अभियोजन को बिना किसी और विलम्ब के दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 321 के अंतर्गत उपयुक्त आवेदन दायर करने तथा पोटा विशेष न्यायालय के सम्मुख समीक्षा समिति की राय रखने का निर्देश दिया था। तदनुसार आवेदन पोटा विशेष न्यायालय के सम्मुख दायर कर दिया गया है।

सोसायटियों द्वारा नियमों का उल्लंघन

287. **डा. राजेश मिश्रा:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण और भूमि विकास कार्यालय द्वारा दिल्ली के मुख्य इंस्टिट्यूशनल क्षेत्रों में सोसायटियों को रियायती दर पर भूमि आवंटित की गई थी जो अब बहुमंजिले वाणिज्यिक परिसरों में परिवर्तित हो चुकी है और इन परिसरों से इन सोसायटियों द्वारा नियमों का उल्लंघन करके लाखों रुपए बटोरे जा रहे हैं जबकि 25 प्रतिशत से अधिक इंस्टिट्यूशनल परिसर को किराए पर नहीं दिया जाना चाहिए तथा केवल 15 प्रतिशत भूमि आवासीय परिसर के लिए उपयोग में लायी जानी चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा ऐसी गतिविधियों में लिप्त सोसायटियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई और 1998 से 2003 के दौरान कितनी सोसायटियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने कुछ विशेष मामलों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा ऐसी सोसायटियों को निर्मित स्थानों का 75 प्रतिशत हिस्सा किराए पर देने से मना करने के बाद, जिससे नियमों का घोर उल्लंघन हुआ था के संबंध में विशेष अनुमति दी थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) तथा भूमि एवं विकास कार्यालय ने यह बताया है कि संस्थानकि उद्देश्यों के लिए आबंटित भूमि के बहुमंजिले वाणिज्यिक परिसरों में बदले जाने के संबंध में कोई विशेष सूचना उपलब्ध नहीं है। तथापि, विभिन्न संस्थानिक क्षेत्रों में पट्टाधारियों द्वारा निर्धारित सीमा

से अधिक क्षेत्र को किराये पर दिए जाने की घटनाएं हुई है। ऐसे मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किये जाते हैं तथा उनका उत्तर मिलने के बाद उल्लंघनों की प्रकृति के अनुसार आगे कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि उन्हें ऐसे किसी मामले की जानकारी नहीं है।

युद्धविराम समझौता

288. श्री चन्द्रभूषण सिंह:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड के साथ युद्धविराम संबंधी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की शर्तें क्या हैं और

(ग) इस क्षेत्र में शांति स्थापित करने हेतु इस समझौते को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां।

(ख) इस समझौते में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह शामिल है कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी) किसी भी विरोधी या हिंसात्मक गतिविधि में संलिप्त नहीं होगा।

(ग) एनडीएफबी के साथ ऑपरेशन को बंद करने के कार्यान्वयन का निरीक्षण करने के लिए एक संयुक्त प्रबोधन ग्रुप (जे एम जी) का गठन किया गया है। जे एम जी की पहली बैठक 17.6.2005 को आयोजित की गई थी।

[हिन्दी]

विकास केन्द्र/औद्योगिक विकास केन्द्र

289. श्री वी.के. ठुम्मर:
श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री वाई. जी. महाजन:
श्री जोवाकिम बखला:
श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कार्यरत विकास केन्द्रों/औद्योगिक विकास केन्द्रों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) आगामी तीन वर्षों के दौरान राज्यवार ऐसे कितने केन्द्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) उपर्युक्त उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) क्या इन केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे है;

(छ) क्या ऐसे केन्द्रों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(ज) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया और कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) विकास केन्द्र योजना के अंतर्गत स्वीकृति 71 विकास केन्द्रों में 47 विकास केन्द्रों ने कार्य करना शुरु कर दिया है। इन विकास केन्द्रों के ब्यौरे विवरण में दिये गये हैं। देश में और कोई विकास केन्द्र स्थापित किये जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसलिए निधियों के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

(घ) से (ज) विकास केन्द्र, अवसंरचनात्मक विकास परियोजनाएं हैं। इसमें भूमि का अधिग्रहण सम्मिलित है जो सांविधिक, अर्द्ध-न्यायिक तथा समय लेने वाली प्रक्रिया है तथा भूमि विकास जिसमें प्लाटों का विकास, सड़कें, जल आपूर्ति, जल निकास इत्यादि सम्मिलित है। इन कार्यों में लम्बा समय लगता है। इसके अलावा ये परियोजनाएं राज्य सरकारों तथा इनकी एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं। केन्द्र सरकार केवल सुविधा प्रदानकर्ता के रूप में कार्य करती है। लम्बी फलन अवधि वाली परियोजनाएं होने के कारण इन्हें पूरा करने की समय सीमा का आदेश केन्द्रीय रूप से नहीं दिया जा सकता क्योंकि राज्य सरकारें मूल पण-धारक होती हैं।

विवरण

कार्यशील विकास केन्द्रों की सूची

क्र.सं.	राज्य विकास केन्द्र जिले का नाम
1	2
	आंध्र प्रदेश
1.	हिन्दुपुर (अनन्तपुर)

1	2
2.	अंगोले (प्रकासम)
3.	बोबिली (विजयनगरम)
	छत्तीसगढ़
4.	बोराई (दुर्ग)
5.	सिलतारा (रायपुर)
	गोवा
6.	इलेक्ट्रॉनिक सिटी (वर्ना प्लेट्यु)
	गुजरात
7.	गांधीधाम (कच्छ)
8.	पालनपुर (बनासकांठा)
9.	वागरा (भरुच)
	हरियाणा
10.	वावल (रेवाड़ी)
11.	साह (अम्बाला)
	हिमाचल प्रदेश
12.	कांगड़ा (कांगड़ा)
	जम्मू और कश्मीर
13.	साम्बा (जम्मू)
14.	लस्सीपोरा (पुलवामा)
	कर्नाटक
15.	धारवाड़ (धारवाड़)
16.	रायचूर (रायचूर)
17.	हसन (हसन)
	केरल
18.	कन्नूर (कोजिकोड़)
19.	अलपुज्झा-मालापुरम (अलपुज्झा-मालापुरम)
	मध्य प्रदेश
20.	घिरोंगी (भिन्ड)
21.	चैनपुरा (गुना)

1	2
22.	खेड़ा (धार)
	महाराष्ट्र
23.	अकोला (अकोला)
24.	धूले (धूले)
25.	नांदेड़ (नांदेड़)
26.	चन्द्रपुर (चन्द्रपुर)
	उड़ीसा
27.	केसिंगा (कालाहांडी)
28.	झारसुगुड़ा (झारसुगड़ा)
29.	कलिंगनगर-डुबुरी (कटक)
	पांडिचेरी
30.	पोलाग्राम करायकल (करायकल)
	पंजाब
31.	भंटिडा (भंटिडा)
32.	पठानकोट (गुरदासपुर)
	राजस्थान
33.	आबू रोड़ (सिरोही)
34.	भीलवाड़ा (भीलवाड़ा)
35.	खाड़ा (बीकानेर)
36.	धौलपुर (धौलपुर)
37.	झालावाड़ (झालावाड़)
	तमिलनाडु
38.	इरोड़ (पेरियार)
39.	तिरुनेलवेली गंगे कोनडान (तिरुनेलवेली-गंगे कोनडान)
	त्रिपुरा
40.	बोधजंग नगर (त्रिपुरा-पश्चिमी)
	उत्तर प्रदेश
41.	बिजौली (झांसी)
42.	जमौर (शाहजहांपुर)
43.	पाकवाड़ा (मुरादाबाद)

1	2
44.	जैनपुर (कानुपर देहात)
45.	सथारिया (जौनपुर)
46.	सहजनवा (गोरखपुर)
	पश्चिम बंगाल
47.	मालदा (मालदा)

[अनुवाद]

चाय का मूल्य

290. श्री ए.वी. बेल्लारमिन:
श्री पी. करुणाकरन:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों में चाय बागान विशेषकर चाय के मूल्यों में गिरावट के कारण गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में हरी पत्ती वाली चाय कम मूल्य पर बेची जा रही है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संकटपूर्ण स्थिति की कोई जांच की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा अभी तक क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं;

(छ) क्या सरकार का विचार हरी पत्ती वाली चाय का फ्लोर मूल्य तय करने का है; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) चाय के घरेलू कीमतों की न्यूनाधिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के साथ-साथ बढ़ने अथवा घटने की प्रवृत्ति है। हाल के वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चाय की कीमतें सामान्य रूप से कम रही हैं। एक कारक जिसके कारण अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में यह कमी आयी थी, यह था कि मांग आपूर्ति के अनुरूप नहीं रही थी। चाय की अखिल भारतीय औसत नीलामी कीमतें, जो वर्ष 1998 में लगभग 76 रु. प्रति किलोग्राम थीं, नवंबर, 1999 से और उसके बाद कम होनी शुरु हो गई थीं। यद्यपि वर्ष 2004 के दौरान औसत नीलामी कीमतों में वृद्धि दर्ज की गई थी, लेकिन उसके बाद कीमतें कम हो गई हैं।

(ग) हरी पत्ती की कीमत जो वर्ष के आरंभ में लगभग 7.50 रु. प्रति कि.ग्रा. थी, मई, 2005 से कम हो गई है।

(घ) और (ङ) अधिक उत्पादन और लघु उपजकर्ताओं द्वारा अपरिष्कृत बिनाई करना इस स्थिति के प्रमुख कारण हैं। जनवरी से मई, 2005 के दौरान दक्षिण भारत में चाय का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 7 मिलियन कि.ग्रा. तक बढ़ गया था। अपरिष्कृत बिनाई के कारण घटिया चाय के अधिक उत्पादन से कीमतों में मंदी आयी है।

(च) लघु चाय उपजकर्ताओं की सहायता करने के लिए सरकार और चाय बोर्ड द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं। इनमें शामिल हैं: यह सुनिश्चित करने के लिए कि लघु उपजकर्ताओं को निर्मित चाय हेतु विनिर्माता द्वारा प्राप्त की गई कीमत का एक पर्याप्त हिस्सा प्राप्त हो, लघु चाय उपजकर्ताओं और चाय विनिर्माताओं के बीच 1 अप्रैल, 2004 से एक कीमत हिस्सेदारी फार्मूले का कार्यान्वयन, फरवरी से मई, 2004 तक की चार महीने की अवधि के लिए लघु चाय उपजकर्ताओं हेतु एक कीमत सब्सिडी स्कीम का कार्यान्वयन और एक विशेष चाय आवधिक ऋण (एसटीटीएल) का कार्यान्वयन जिसमें लघु उपजकर्ताओं हेतु एक वर्ष की ऋण स्थगन अवधि सहित 5 से 7 वर्षों में वापसी भुगतान के साथ चाय क्षेत्र में बकाया आवधिक/कार्यशील पूंजी ऋणों के अनियमित हिस्से का पुनर्गठन/पुन: चरणबद्ध करने की परिकल्पना की गई है। चाय बोर्ड ने लघु उपजकर्ताओं में गुणवत्ता संबंधी जानकारी उत्पन्न करने के लिए भी कदम उठाए हैं।

(छ) और (ज) चाय की कीमत मांग एवं आपूर्ति की स्थिति द्वारा निर्धारित होती है और यह चाय की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है जो बदले में आपूर्ति की गई हरी चाय पत्ती की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। चूंकि उत्पादित की जा रही चाय की गुणवत्ता अलग-अलग स्थानों और मौसमों में भिन्न-भिन्न होती है, इसलिए हरी पत्तियों के लिए एक न्यूनतम कीमत निर्धारित करना व्यावहारिक नहीं हो सकता।

मेट्रो रेल के यात्रियों के लिए पार्किंग स्थल

291. श्री सुरेश अंगड़ि: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मेट्रो रेल द्वारा दिल्ली के सभी खण्डों पर पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध कराया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मेट्रो स्टेशन पर पार्किंग क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) उन मेट्रो स्टेशनों का ब्यौरा क्या है जहां पर पार्किंग हेतु स्थान उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या मेट्रो रेल का निर्माण करते समय धरोहर के रूप में कुछ भवनों और स्मारकों का ध्यान नहीं रखा गया है जिससे इन्हें खतरा उत्पन्न हो गया है; और

(ङ) यदि हां, तो पार्किंग स्थल की व्यवस्था करने और धरोहर भवनों और स्मारकों की सुरक्षा के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी हां। प्रचलनात्मक लाइनों पर अधिकांश मेट्रो स्टेशनों पर पर्याप्त पार्किंग स्थान उपलब्ध कराया गया है।

(ख) शाहदरा-रिठाला सेक्शन के सभी 18 मेट्रो स्टेशनों पर पार्किंग स्थान उपलब्ध कराया गया है। तथापि, विश्वविद्यालय-केन्द्रीय सचिवालय सेक्शन पर पड़ने वाले कुल 10 स्टेशनों में से केवल 3 स्टेशनों पर पार्किंग स्थान उपलब्ध कराया गया है क्योंकि अन्य स्टेशन पर भूमि उपलब्ध नहीं थी।

(ग) निम्नलिखित स्टेशनों पर पार्किंग स्थान नहीं है:

विधान सभा, सिविल लाइन, दिल्ली मुख्य, चावड़ी बाजार, राजीव चौक, नई दिल्ली और केन्द्रीय सचिवालय

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (ग) में सूचीबद्ध सात स्टेशनों में से, जहां पार्किंग स्थान उपलब्ध नहीं है, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी एम आर सी) ने केन्द्रीय सचिवालय स्टेशन पर पार्किंग स्थान उपलब्ध कराने हेतु भूमि के लिए नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एन डी एम सी) से संपर्क किया है। भूमि की अनुपलब्धता, पदयात्रियों की बहुलता तथा एन डी एम सी/एम सी डी/रेलवे पार्किंग स्थान की उपलब्धता के कारण शेष छ: स्टेशनों पर पार्किंग स्थान की योजना नहीं बनाई गई है।

[हिन्दी]

व्यावसायिक शिक्षा

292. **श्री संतोष गंगवार:**
श्री सनत कुमार मंडल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत राज्यवार कितने शिक्षक कार्य कर रहे हैं; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि प्रदान की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ख) 10वीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने संबंधी स्कीम के अंतर्गत 10 +2 स्तर पर 350 करोड़ रु. की राशि प्रदान की गई है। तथापि, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों हेतु अलग से कोई निधि आबंटित नहीं की गई है।

नकली चालान जारी करना

293. **श्री हेमलाल मुर्मु:**
श्री राजेन गोहेन:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली यातायात पुलिस आयुक्त को अनेक वाहनों के संबंध में नकली चालान चारी करने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्राप्त हुई शिकायतों में से कितनी शिकायतें सही पाई गई तथा उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसे नकली चालानों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) दिल्ली पुलिस ने 1 जनवरी से 15 जुलाई, 2005 तक की अवधि के दौरान यातायात नियमों के उल्लंघन के लिए 15,31,455

नोटिस जारी किए थे जिसके विरुद्ध उक्त अवधि के दौरान मौखिक और लिखित रूप से 3241 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इन शिकायतों के आधार पर 1634 नोटिसों को वापस ले लिया गया क्योंकि जांच के पश्चात यह पाया गया था कि नोटिस भ्रान्तिपूर्ण तरीके से जारी किए गए थे, क्योंकि यातायात पुलिस के कार्मिक वाहनों की बनावट (मेक) रंग, पंजीकरण संख्या आदी को सही ढंग से रिकार्ड करने में समर्थ नहीं हुए थे। दिल्ली पुलिस वर्तमान में इस्तेमाल किए जा रहे साफ्टवेयर को संशोधित करने की प्रक्रिया में है जिससे कि ऐसे भ्रान्तिपूर्ण चालानों को जारी करने से बचा जा सके। 297 वाहनों के स्वामियों को जुर्माना अदा करने की सलाह दी गई, 115 वर्तमान स्वामियों को संशोधित चालान जारी किए गए थे तथा 1195 मामलों में स्वामियों को राज्य परिवहन प्राधिकरण से संपर्क करने की सलाह दी गई थी।

[हिन्दी]

लघु उद्योगों के प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग संबंधी योजना

294. **श्री सुरेश कुरुपः**
श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटीलः

क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही लघु उद्योगों के प्रदर्शन और क्रेडिट रेटिंग से संबंधित ब्यौरा क्या हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार लघु उद्योगों के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के लिए ऋण मानदण्डों को सरल बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या लघु उद्योगों के क्रेडिट में वृद्धि करने संबंधी योजना शुरू हो चुकी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) "लघु उद्योग के लिए कार्य-निष्पादन तथा क्रेडिट रेटिंग स्कीम" का कार्यान्वयन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एन. एस. आई. सी.) के माध्यम से किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य स्वीकृत क्रेडिट रेटिंग अभिकरणों के माध्यम से लघु उद्योगों को कार्य-निष्पादन तथा क्रेडिट रेटिंग की अधिप्राप्ति में सहायता करना है ताकि वे अपने आंतरिक प्रबन्धन में सुधार कर सकें तथा उपयुक्त शर्तों पर संस्थागत ऋण प्राप्त कर सकें। योजना के तहत लघु उद्योग इकाई द्वारा स्वीकृत रेटिंग अभिकरण को अदा की गई फीस के 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति एन.एस.आई.सी. के माध्यम से सरकार द्वारा की जाती है। स्कीम के तहत सहायता लघु उद्योग इकाई के कुल उत्पादन के आधार पर 25,000 रु., 30,000 रु. या 40,000 रु. की उच्चतम सीमा में प्रदान की जाती है। एन.एस.आई.सी. ने इस योजना के तहत लघु उद्योग इकाइयों की रेटिंग संबंधी कार्य को करने के लिए छह प्रतिष्ठित रेटिंग अभिकरणों को पैनलबद्ध किया है।

(ख) और (ग) भारतीय रिजर्व बैंक (आर. बी. आई.) द्वारा लघु उद्योग इकाईयों को क्रेडिटस के प्रवाह में सुधार करने के लिए किए गए कुछ उपायों में हैं, बैंकों द्वारा ऋण आवेदन पत्रों के निपटान के लिए समय सीमा नियत करना, संयुक्त ऋणों की सीमा को बढ़ा कर 100 लाख रु. करना, बैंकों को यह सलाह देना कि अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड वाली लघु उद्योग इकाईयों से 25 लाख रु. तक के ऋण के लिए कोलेटरल सिक्यूरिटी न मांगें। वर्ष 2005-06 के लिए वार्षिक नीति विवरण में भारतीय रिजर्व बैंक ने घोषणा की है कि वह लघु उद्योग सेक्टर को ऋण के संबंद्ध में अपने मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धांतों/अनुदेशों की समीक्षा करेगा जिसका उद्देश्य, अन्य बातों के साथ-साथ उन्हें उदारीकृत करना तथा बैंकों से यह अनुग्रह करना है कि वे इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को संकेतक न्यूनतम समझे तथा उपयुक्त और उचित नीतियों को अपनाएं।

(घ) और (ङ) लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड स्कीम की शुरूआत अगस्त, 2000 में लघु उद्योगों को क्रेडिट के प्रवाह में बढ़ावा देने के लिए की गई थी। इस स्कीम का कार्यान्वयन लघु उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी फण्ड ट्रस्टस (सी. जी. टी. एस. आई.) के द्वारा किया जा रहा है, इस ट्रस्ट की स्थापना भारत सरकार तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा की गई है। यह योजना कोलेटरल सिक्योरिटी या तीसरे पक्ष की गारंटी के बिना बैंकों या वित्तीय संस्थानों (जो सी जी टी एस आई के सदस्य लेंडिंग संस्थान बन जाते हैं) द्वारा लघु उद्योग इकाइयों को दिए जाने वाले आवधिक ऋणों और कार्य पूंजी ऋणों पर गारंटी कवर प्रदान करती है। इस योजना के तहत नई और मौजूदा लघु उद्योग इकाईयां लाभ प्राप्त करने की पात्र हैं। इस योजना के तहत प्रदान किया जाने वाला गारंटी कवर ऋण राशि का 75% है, जोकि 25,000 रु. की उच्चतम सीमा तक है। योजना के शुरू होने से लेकर 30 जून, 2005 तक 30,252 मामलों में कुल 617.63 करोड़ रु. के बराबर गारंटी कवर प्रदान किया गया है।

स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत खर्च न की गई धनराशि

295. **श्री जी. एम. सिद्दीश्वरः** क्या **शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों सरकारों, विशेषकर कर्नाटक सरकार को स्वीकृत भारी धनराशि खर्च नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और राज्यवार इसके क्या कारण हैं;

(ग) केन्द्र सरकार उक्त योजना के क्रियान्वयन की निगरानी और उक्त उद्देश्य के लिए जारी की गई धनराशि के उचित उपयोग किस प्रकार करेगी; और

(घ) उन राज्य सरकारों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है जहां पर यह धनराशि खर्च नहीं की गई है, उसका अन्यत्र उपयोग किया गया है और दुरुपयोग इत्यादि किया गया है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) दिनांक 30.6.2005 तक प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की शुरुआत से अभी तक राज्य/संघ शासित प्रदेश की सरकारों के पास 245.88 करोड़ (राज्य और केन्द्रीय अंश सहित) रुपये की राशि अव्ययित शेष है। उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिनांक 30.6.2005 तक कर्नाटक सरकार के पास 813.29 लाख रुपये अव्ययिय शेष हैं। अव्ययित धनराशि के राज्यवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं। यह अव्ययित शेष स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए अथ शेष के रूप में पुराने शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से बड़ी मात्रा में धनराशि के अंतरण, स्कीम के दिशानिर्देशों में लचीलेपन के अभाव के कारण धनराशि का उपयोग नहीं कर पाने, घटक-वार धनराशि को जारी/मॉनीटर करने, स्वरोजगार घटक के तहत बैंकों के असहयोग आदि वजहों से है।

(ग) और (घ) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को उपलब्ध धनराशि का उपयोग करके उपलब्धियों को अधिक से अधिक बढ़ाने, समान राज्य अंश देने तथा उसका उपयोग करने तथा अपेक्षित उपयोग प्रमाणपत्र और तिमाही प्रगति रिपोर्ट समय पर प्रस्तुत करने के लिए जोरदार प्रयास करने हेतु समय-समय पर निर्देश दिया जाता है ताकि नियतन की गई धनराशि पूरी तरह से जारी/उपयोग की जा सके। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को समय-समय पर स्कीम के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कहा जाता है तथा आवधिक समीक्षा बैठकों/फील्ड दौरों तथा तिमाही प्रगति रिपोर्टों के जरिए केन्द्रीय स्तर पर सघन मॉनीटरिंग की जाती है।

विवरण

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	दिनांक 30.6.2005 तक बतायी गयी सूचना के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष		
		केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1171.87	2390.73	3562.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	142.46	42.42	184.88
3.	असम	757.61	270.72	1028.33
4.	बिहार	1413.10	318.32	1731.42
5.	छत्तीसगढ़	369.74	91.66	461.40
6.	गोवा	72.21	42.80	115.01
7.	गुजरात	2054.89	239.43	2294.32
8.	हरियाणा	520.42	173.46	693.88
9.	हिमाचल प्रदेश	42.89	14.20	57.09
10.	जम्मू-कश्मीर	107.91	296.20	404.11

1	2	3	4	5
11.	झारखंड	268.74	0.00	268.74
12.	कर्नाटक	508.33	304.96	813.29
13.	केरल	782.39	447.32	1229.71
14.	मध्य प्रदेश	557.24	224.42	781.66
15.	महाराष्ट्र	1325.71	1407.14	2732.85
16.	मणिपुर	232.69	6.42	239.12
17.	मेघालय	106.65	92.19	198.84
18.	मिजोरम	632.21	0.00	632.21
19.	नागालैण्ड	13.32	107.50	120.82
20.	उड़ीसा	-96.46	-46.74	-143.20
21.	पंजाब	-252.76	-56.64	-309.40
22.	राजस्थान	597.74	641.79	1239.53
23.	सिक्किम	59.29	-42.19	17.10
24.	तमिलनाडु	800.54	273.57	1074.11
25.	त्रिपुरा	262.30	107.74	370.04
26.	उत्तरांचल	211.09	15.17	226.26
27.	उत्तर प्रदेश	1240.44	647.68	1888.12
28.	पश्चिम बंगाल	274.23	359.17	633.40
29.	अंडमान व नि. द्वी.स.	55.12	0.00	55.12
30.	चंडीगढ़	608.54	0.00	608.54
31.	दादरा व नगर हवेली	63.55	0.00	63.55
32.	दमन व द्वीव	201.18	0.00	201.18
33.	दिल्ली	308.15	113.18	421.33
34.	पांडिचेरी	600.42	91.64	692.06
	कुल	16013.76	8574.26	24588.02

*ऋणात्मक धनराशि पुराने शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रमों से प्राप्त अव्ययित शेष धनराशि से अर्जित ब्याज की वजह से अधिक व्यय किये जाने के कारण है।

मसाले का व्यापार

296. श्री पी. सी. थॉमस: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को काली मिर्च और इलायची की खेती करने वाले किसानों की कठिनाईयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या भारतीय काली मिर्च और इलायची उच्च गुणवत्ता की है;

(घ) सरकार द्वारा इन मसालों के लिए विश्व बाजार में अपना स्थान बनाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या पिछली सरकार ने प्राकृतिक रबड़ उगाने वाले को कुछ प्रोत्साहन दिया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पिछले पांच वर्षों के दौरान प्राकृतिक रबड़ का कितना निर्यात किया गया है;

(छ) क्या वर्तमान सरकार के समक्ष काली मिर्च, इलायची और वनिला सहित मसालों के निर्यात हेतु राजसहायता अथवा अन्य सहायता देने में कोई अड़चन है; और

(ज) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या पहल की गई हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) सरकार को काली मिर्च और इलायची की कीमतों में गिरावट आने के कारण इन वस्तुओं के उपजकर्ताओं के सामने आ रही कठिनाईयों के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ख) काली मिर्च और इलायची की कीमतों में आई गिरावट को रोकने के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

* हल्की काली मिर्च के अलावा काली मिर्च के शुल्क मुक्त आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी करना अस्थगित कर दिया गया है।
* 100% निर्यातोन्मुख इकाईयों (ईओयूएस) द्वारा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रसंस्कृत काली मिर्च उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
* इलायची की खेती और क्योरिंग की लागत कम करने के लिए सरकार ने दो नई स्कीमों अर्थात् ''छोटी इलायची हेतु उन्नत इलायची क्योरिंग उपकरण'' और ''छोटी इलायची और वनीला की सिंचाई हेतु वर्षा जल का संचयन'' को अनुमोदित किया है।
* इलायची और काली मिर्च के चुनिंदा ग्रेडों की मांग बढ़ाने के लिए मसाला बोर्ड हाल में शुरु किए गए ''फ्लेवरिट'' ब्रांड को प्रोन्नत कर रहा है।

(ग) जी हां।

(घ) मसालों के लिए विश्व बाजार प्राप्त करने के लिए सरकार ने निर्यातोन्मुखी योजना स्कीमों को कार्यान्वित करने के अलावा निम्नलिखित कदम भी उठाए हैं:

* सरकार काली मिर्च और इलायची के मूल्य वर्द्धित निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करती है।
* निर्यात बाजारों में उपभोक्ताओं के मुख्य हिस्से पर अधिकार करने के लिए ''फ्लेवरिट'' ब्रांड शुरु किया गया है।
* सरकार काली मिर्च और इलायची सहित मसालों के न्यूट्रास्यूटिकल और उपचारात्मक गुणों के नए अंतिम प्रयोगों को विकसित करने और वैधता के लिए अनुसंधान में सहायता प्रदान कर रही है।

(ङ) 9वीं पंचवर्षीय योजना स्कीमों के एक भाग के रूप में और 10वीं योजना में जारी प्राकृतिक रबड़ के उपजकर्ताओं को प्रदान किए गए प्रोत्साहनों में पुनर्रोपण; नवरोपण; उत्पादकता को बढ़ाने और गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का उत्पादन करने के लिए सहायता प्रदान करना शामिल हैं। रबड़ बोर्ड ने उपजकर्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए ग्राम स्तरीय संगठनों के गठन और उनके सुदृढ़ीकरण को भी बढ़ावा दिया। सामुदायिक प्रसंस्करण, विपणन और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के केन्द्रों के रूप में कार्य करने के लिए चुनिंदा रबड़ उत्पादक सोसायटियों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता भी प्रदान की गई है।

(च) पिछले पांच वर्षों में प्राकृतिक रबड़ का निर्यात निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्यात की गई मात्रा (मी. टन)
2000-01	13,356
2001-02	6,995
2002-03	55,311
2003-04	75,905
2004-05	46,169

(छ) और (ज) प्रत्यक्ष निर्यात सब्सिडी में बाधा है क्योंकि डब्ल्यू टी ओ करारों में उन निर्यात सबिसडियों जिनको सदस्यों द्वारा इसके संगत प्रावधानों के अंतर्गत नियत किया गया है, से इतर निर्यात सबिसडियों का निषेध किया गया है। किसी निर्यात सब्सिडी को अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और विपणन के भाड़े और/या लागतों को निष्प्रभावी करने के लिए तैयार किया जाना चाहिए। डब्ल्यू टी ओ के सुसंगत ऐसी कोई सब्सिडी स्कीम इस समय प्रचालन में नहीं है।

[हिन्दी]

दानकर्त्ता की धनराशि का दुरुपयोग

297. **श्री कैलाश मेघवाल:** क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास हेतु 1972 में संसद द्वारा अधिनियम बनाये जाने और वर्ष 2000 से इस क्षेत्र पर करोड़ों रुपये खर्च किये जाने के बावजूद इस क्षेत्र का संतुलित विकास नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) सरकार को धनराशि के दुरुपयोग संबंधी कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) सरकार द्वारा परियोजनाओं के लिए आबंटित धनराशि का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी. आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी नहीं। यह कहना उचित नहीं है कि 1972 से उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संतुलित विकास नहीं हुआ है। संतुलित विकास की प्रक्रिया एक सतत प्रक्रिया है। अपने आरंभ में ही एन ई सी उत्तर पूर्वी क्षेत्र में संतुलित विकास को तीव्र करने के लिए सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना आदि का सृजन करती रही है। इसके अलावा एन ई सी को अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने योग्य बनाने के लिए एन ई सी अधिनियम 1971 में संशोधन द्वारा इसे क्षेत्रीय योजना निकाय की भूमिका निभाने का कार्य सौंपा गया है। हाल ही में एन ई सी की पुनसंरचना भी की गई है।

(ग) सरकार को, एन ई सी की निधियों के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) एन ई सी सचिवालय, एन ई सी द्वारा निधीयन प्राप्त परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और ऐसी परियोजनाओं के लिए संस्वीकृत और जारी की गई निधियों की उपयोगिता की नियमित आधार पर निगरानी करता है।

दिल्ली में आवासीय समस्या

298. **श्री सूरज सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) बढ़ती हुई जनसंख्या के मद्देनजर आवासीय समस्या का कुशलतापूर्वक समाधान करने में समर्थ रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने मकान बनाए गए और आवंटित किए गए हैं;

(घ) अगले दो वर्षों में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कितने मकान बनाए जाएंगे और उपर्युक्त के आलोक में क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित मकानों में से कितनी मकानों का अभी तक कब्जा नहीं लिया गया है अथवा विवादों के कारण कितने मामले लंबित हैं और इन फ्लैटों के संबंध में डीडीए की क्या नीति है;

(च) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण निकट भविष्य में कोई आवासीय योजना ला रहा है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उसने विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के निर्मित फ्लैटों, सहकारी आवास सोसायटियों को भूमि का आबंटन, रोहिणी रिहायशी स्कीम, 1981 के अंतर्गत भू-खंडों का आबंटन, पुनर्वास कालोनियों का विकास, स्लम व झुग्गी झोपड़ी समूहों का पुनर्वास/पुनर्स्थापन, भूमि अधिग्रहण के बदले वैकल्पिक रिहायशी प्लाटों का आबंटन इत्यादि के जरिए आवास मुहैया कराने के लिए व्यापक प्रयास किए हैं। इस समय विभिन्न आवासीय स्कीमों के अंतर्गत अभी 14,039 फ्लैट आवंटित किये जाने शेष हैं, और यह कार्य 2005 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

इसी प्रकार, डीडीए ने रोहिणी रिहायशी स्कीम, 1981 के कुल 82384 पंजीकृत व्यक्तियों में से 53,551 को भूखण्ड आबंटित किए हैं। इस समय, इस स्कीम के अंतर्गत 27043 प्लाट अभी आवंटित किये जाने शेष हैं, और यह कार्य 2006 के अंत तक पूरा हो जाने की संभावना है।

(ग) डीडीए ने वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक के दौरान विभिन्न श्रेणियों के 17,093 मकानों (एचआईजी, एमआईजी, एलआईजी तथा जनता/ईडब्ल्यूएस) का निर्माण किया है। इसी अवधि के दौरान उपर्युक्त श्रेणियों के 39,184 मकान आबंटित किए गए हैं।

(घ) 22,244 फ्लैट निर्माणाधीन हैं या अगले दो वर्षों में निर्मित करने की योजना है। इसके अलावा, डीडीए में पात्र झुग्गी झोपड़ी वासियों के पुनर्स्थापन/पुनर्वास के लिए बहुमंजिले एक कमरे के फ्लैट बनाने की योजना है।

(ङ) डीडीए ने यह सूचित किया है कि ऐसे फ्लैट खाली हैं, जिनमें नामांतरण और न्यायिक मामले लंबित हैं अथवा जहा कोडल औपचारिकताएं पूरी नहीं हुई हैं।

(च) और (छ) डीडीए ने यह सूचित किया है कि जब भी नए निर्माण होने अथवा आबंटन निरस्त/वापस किए जाने के कारण तथा बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान होने पर फ्लैट उपलब्ध होते हैं तो नई आवासीय स्कीम आरंभ की जाती है।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालयों के कार्यकरण में आमूल-चूल परिवर्तन करना

299. **श्री दुष्यंत सिंह:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में विश्वविद्यालयों के कार्यकरण में आमूल-चूल परिवर्तन करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या विश्वविद्यालयों के शुल्क ढांचा में प्रस्तावित बदलाव के साथ-साथ उनकी प्रशासनिक व्यवस्था का भी पुनर्गठन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन करप्शन स्टडी, 2005

300. **श्री उदय सिंह:**
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में जारी 'इंडिया करप्शन स्टडी-2005' का अध्ययन किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस अध्ययन के निष्कर्ष क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां।

(ख) ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने सेन्टर फार मीडिया स्टडीज के सहयोग से 20 बड़े राज्यों में 11 लोक सेवाओं का सर्वेक्षण किया है। इस अध्ययन में विभिन्न सेवा प्रदायकों, अर्थात सरकारी विभागों से सेवा प्राप्त करने में "आम आदमी" को पेश आने वाले भ्रष्टाचार के कड़वे अनुभव पर ही ध्यान केन्द्रीत किया गया है। इस अध्ययन में प्रणाली में व्याप्त भ्रष्टाचार के लिए जिम्मेदार 7 प्रमुख कारकों पर प्रकाश डाला गया है। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* प्रणाली में पारदर्शिता और जिम्मेदारी की कमी
* भ्रष्टाचार की सूचना देने वाले प्रभावी तंत्र का अभाव,
* सरकार में अधिकारियों में ईमानदारी की कमी,
* जीवन शैली, परिपाटी और कार्य संस्कृति के रूप में रिश्वत स्वीकार करना;
* न्याय प्रणाली का कारगर न होना,
* खराब आर्थिक नीतियों, और
* सरकार कर्मचारियों को प्रशिक्षण और अनुकूलन की कमी।

(ग) सरकार भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने की आवश्यकता के प्रति पूरी तरह सचेत है और भ्रष्टाचार के प्रति "जीरो टालरेंस"

की नीति को प्रभावी ढंग से लागू करती है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ने सूचित किया है कि ऐसे सर्वेक्षणों के निष्कर्षों सहित सभी उपलब्ध सूचनाओं को भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उचित नीतियां/रणनीतियां तैयार करते समय ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

तकनीकी संस्थानों की स्थापना

301. श्री ब्रजेश पाठक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री दिनांक 19.4.2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3863 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-जर्मनी सहयोग से तकनीक संस्थानों की स्थापना संबंधी सूचना अब तक एकत्रित की जा चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसमें हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) अपेक्षित सूचना सभा पटल पर कब तक रखे जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) भारत-जर्मन सहयोग से देश में अब तक तीन तकनीकी संस्थानों की स्थापना की गई है और ये हैं (1) माध्यमिक और उच्चतर शिक्षा विभाग के अंतर्गत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास (तमिलनाडु) (2) इलेक्ट्रानिक्स विभाग के अंतर्गत तीन इलेक्ट्रोनिक्स टेस्ट इंजीनियरिंग सेन्टर कलकत्ता (पश्चिम बंगाल), बंगलौर (कर्नाटक) तथा हैदराबाद (आंध्र प्रदेश) पुणे (महाराष्ट्र) तथा नोएडा (उत्तर प्रदेश) में एक-एक तथा भारत-जर्मन टूल रुम प्रोग्राम के अंतर्गत 4 टूल रुम प्रोग्राम अहमदाबाद (गुजरात), औरंगाबाद (महाराष्ट्र), इंदौर (मध्य प्रदेश) में एक-एक तथा लघु उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत लुधियाना (पंजाब)। इसके अतिरिक्त रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत भारत-जर्मन सहयोग से दो संस्थाओं अर्थात फोरमैन प्रशिक्षण संस्थान बंगलौर, कर्नाटक तथा राष्ट्रीय अनुशासनात्मक मीडिया संस्थान, चेन्नई, तमिलनाडु की स्थापना की गई थी।

इस समय भारत-जर्मन सहयोग से और अधिक संस्थानों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सी.एन.आर. राव समिति की रिपोर्ट

302. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुसंधान वैज्ञानिक योजना को पुनः लागू करने के लिए तौर-तरीके निर्धारित करने हेतु गठित सी.एन.आर. समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने सभी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) समिति की सिफारिशें इस प्रकार है:

(1) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की अनुसंधान वैज्ञानिक स्कीम के तहत कार्यरत वैज्ञानिक इस कार्यक्रम के तहत पूर्व की भांति कार्य करते रहेंगे।

(2) जहां संभव हो वैज्ञानिकों का समायोजन करने के लिए अधिसंख्यक पद सृजित किए जाएं। जिनका समायोजन विभिन्न संस्थाओं द्वारा किया गया है वे अब इस स्कीम में शामिल नहीं रहेंगे।

(3) जहां तक संभव हो इस कार्यक्रम के तहत शामिल वैज्ञानिकों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों इत्यादि में समायोजित किया जाना चाहिए।

(4) वैज्ञानिक के लिए अधिवर्षिता नियम उन्हीं संस्थाओं के होंगे जिनमें उन्हें समायोजित किया गया है। यद्यपि केन्द्रीय संस्थाओं में समयोजित किए गए वैज्ञानिकों को अधिवर्षिता के लिए केन्द्रीय संस्थाओं के नियम अपनाने में कोई कठिनाई नहीं होगी तथापि राज्य विश्वविद्यालयों और किसी अन्य संस्था में समायोजित वैज्ञानिक उन्हीं संस्थाओं के नियमों से अभिशासित होंगे। वे वैज्ञानिक जिन्हें समायोजित नहीं किया गया है अधिवर्षिता की आयु के संबंध में मौजूदा स्कीम के नियमों द्वारा अभिशासित होंगे।

(5) पात्र व्यक्तियों को पदोन्नति प्रदान करने के उद्देश्य से श्रेणी 'क' और 'ख' श्रेणियों के वैज्ञानिकों जिन्हें कहीं और समयोजित नहीं किया गया है, के मामलों की समीक्षा करने के लिए उपयुक्त स्कीमों का उपयोग किया जाए।

(6) समिति शैक्षिक संस्थाओं में प्रतिभावान व्यावसायिकों को आकर्षित करने के लिए वैकल्पिक पद्धतियों की जांच पड़ताल करेगी।

(7) अब अनुसंधान वैज्ञानिक स्कीम के तहत भर्ती को अविलम्ब बंद किया जाना चाहिए।

(ग) सी.एन.आर. राव समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रोफेसर एम.एम. शर्मा, अवकाश प्राप्त प्रोफेसर, रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुम्बई विश्वविद्यालय के अधीन एक कार्यबल गठित किया गया था। कार्यबल ने मौलिक वैज्ञानिक अनुसंधान शिक्षा संस्थाओं में प्रतिभावान व्यावसायिकों को आकर्षित करने की वैकल्पिक पद्धतियों के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कार्यबल की रिपोर्ट को लागू करने के निर्देश दिए हैं। सरकार सी.एन.आर. राव समिति की अन्य सिफारिशों पर विचार कर रही है।

(घ) कार्य बल ने मुख्य रूप से सिफारिश की है कि विश्वविद्यालयों में कोटिपरक वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विकासात्मक अनुदान प्रदान करके बुनियादी सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए। ये विकासात्मक अनुदान आधुनिक प्रयोगशालाओं, नियमित विद्युत आपूर्ति सहित भौतिक सुविधाओं, जल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सुरक्षा उपाय, अंतर्निहित अनुरक्षण तंत्र सहित उच्च स्तर के उपकरणों के लिए, विशेष शोध करने वाले छात्रों के छात्रावास के लिए भी दिये जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त रिसर्च स्टार्टर फंड, देश के विभिन्न भागों में विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण विभागों में बुनियादी विज्ञान में दस नेटवर्क केन्द्र सृजित करने के लिए, सहयोगितापूर्ण शोध को प्रोत्साहन देने के लिए आधुनिक सुविधाएं प्राप्त करने के लिए तथा महत्वपूर्ण विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए, भी ये अनुदान दिए जा सकते हैं।

विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन

303. श्री एन. एन. कृष्णदास: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्व व्यापार संगठन के हांगकांग में होने वाले आगामी मंत्री-स्तरीय सम्मेलन में चर्चा के संभावित मुद्दों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या ऐसे सम्मेलन हेतु कार्यसूची के मुख्य मुद्दे कृषि उत्पाद से संबंधित हैं; और

(ग) यदि हां, तो हमारे कृषि क्षेत्र के हितों के रक्षार्थ क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) हांगकांग में आयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित डब्ल्यू टी ओ के छठे मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ दोहा कार्यक्रम के तहत प्रारंभ की गई और इस समय चल रही वार्ताओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। दोहा कार्यक्रम में मुख्य रूप से कृषि, सेवा, गैर-कृषि बाजार पहुंच (एन ए एम ए), व्यापार की सुविधा और विकास संबंधी मुद्दों पर वार्ताएं करना शामिल है। अधिक महत्वपूर्ण यह है कि बहुत से सदस्य हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक कृषि तथा एन.ए.एम.ए. के लिए रूपरेखाएं निर्धारित करना चाहेंगे।

(ग) भारत ने कृषि संबंधी जी-20 गठबंधन और विशेष उत्पादों से संबंधित जी-33 गठबंधन सहित समान विचारधारा वाले विकासशील देशों के साथ सामान्य स्थितियां एवं कार्यनीतियां विकसित करने के लिए संयुक्त प्रयास किए हैं। इन प्रयासों से अन्य बातों के साथ-साथ दिनांक 1 अगस्त, 2004 के कृषि संबंधी सहमत कार्यढांचे में शामिल घटकों एवं सिद्धांतों के परिणामस्वरूप मुख्य रूप से विकसित देशों द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली व्यापार विकृतिकारी घरेलू सहायता में पर्याप्त कमी करना, उनकी निर्यात सब्सिडियों की समाप्ति के लिए विश्वसनीय समाप्ति तारीख और विकासशील देशों के निर्यात हित के उत्पादों के लिए पर्याप्त बाजार पहुंच सुधार को सुनिश्चित करने का कार्य हुआ है। भारत जैसे विकासशील देशों द्वारा किसी अतिरिक्त वचनबद्धता, विशेष रूप से बाजार पहुंच में, से उनकी खाद्य एवं आजीविका सुरक्षा संबंधी चिंताओं और ग्रामीण विकास संबंधी जरूरतों की सुरक्षा होनी चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कृतसंकल्प है कि इन वार्ताओं के आगे बढ़ने में हमारी चिंताओं का निरन्तर पर्याप्त रूप से निराकरण होता रहे।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के अंतर्गत निधियों का आवंटन

304. श्री पी. करुणाकरन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन (एन.एल.एम.) योजना के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को आवंटित कुल धनराशि का राज्यवार और संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्य सरकारों द्वारा कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई नई योजना शुरू की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय साक्षरता मिशन योजनाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को निधियां जारी न करके सीधे ही जिला और राज्य स्तरीय पंजीकृत सोसायटियों को जारी की जाती है। वर्ष 2004-05 के दौरान उन सोसायटियों को जारी की गई राशि विवरण में दी गई है। जारी की गई उपर्युक्त राशि में से उनके द्वारा किए गए व्यय से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) और (घ) सरकार द्वारा कोई नई योजना आरंभ नहीं की गई है। तथापि, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण ने अप्रैल 2005 में निर्णय लिया कि देश के 150 जिलों में जहां वर्ष 2001 की जनगणना के मुताबिक साक्षरता दर निम्नतम है वहां विशेष साक्षरता अभियान चलाया जाए जिसका मौजूदा योजनाओं से निधियन किया जाएगा।

विवरण

वर्ष 2004-2005 के दौरान राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की योजनाओं के अंतर्गत जारी किए गए कुल अनुदान

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1124.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	147.97
3.	असम	184.23
4.	बिहार	1168.67
5.	छत्तीसगढ़	546.24
6.	गोवा	16.08
7.	गुजरात	742. 57
8.	हरियाणा	446.25
9.	हिमाचल प्रदेश	40.65
10.	जम्मू और कश्मीर	153.09
11.	झारखंड	220.84
12.	कर्नाटक	2774.54
13.	केरल	742.16
14.	मध्य प्रदेश	3199.81
15.	महाराष्ट्र	591.41
16.	मणिपुर	172.88
17.	मेघालय	194.11
18.	मिजोरम	15.00
19.	नागालैण्ड	152.68
20.	उड़ीसा	791.77
21.	पंजाब	48.02
22.	राजस्थान	2332.96
23.	सिक्किम	0.00
24.	तमिलनाडु	1846.28
25.	त्रिपुरा	344.86
26.	उत्तर प्रदेश	2335.75
27.	उत्तरांचल	287.49
28.	पश्चिम बंगाल	1753.03
29.	चंडीगढ़	149.06
30.	दिल्ली	127.03
31.	पांडिचेरी	0.00
32.	दमन और दीव	0.00
33.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00
34.	दादरा और नगर हवेली	0.00
35.	लक्षद्वीप	11.74
	कुल	22661.50

ऑन लाइन शोध कार्य

305. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने एक इलेक्ट्रॉनिक इंडियन थीसिस डाटाबेस तैयार करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में पी.एच.डी. अनुसंधान अध्येताओं को अब अपना शोधपत्र ऑन लाइन प्रस्तुत करने की अनुमति होगी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) प्रस्तावित नयी प्रणाली के मुख्य लाभ क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास लम्बित शिकायतें

306. **श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:**
डा. रतन सिंह अजनाला:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज तक विभिन्न राज्यों, विशेषकर पंजाब में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पास निपटान हेतु लम्बित पड़ी शिकायतों की कुल संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा लम्बित मामलों के शीघ्र निपटान हेतु क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) पंजाब सहित विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में वर्ष 2002-03 से 2004-05 तक की अवधि तथा 19.7.2005 तक निपटान के लिए लम्बित पड़ी शिकायतों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग लम्बित मामलों के त्वरित निपटान के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वर्ष 2004-05 में आयोग ने लगभग 85661 मामलों का निपटान किया है।

विवरण

पड़ी शिकायतों को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006 (19.7.2005 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	883	1165	1200	1226
2.	अरुणाचल प्रदेश	41	51	39	10
3.	असम	230	326	332	340
4.	बिहार	4098	5420	4881	4760
5.	गोवा	27	37	32	29
6.	गुजरात	652	867	804	787
7.	हरियाणा	1770	2267	1684	1666
8.	हिमाचल प्रदेश	113	143	119	111
9.	जम्मू और कश्मीर	303	512	516	452
10.	कर्नाटक	548	689	663	685

1	2	3	4	5	6
11.	केरल	258	289	292	278
12.	मध्य प्रदेश	1585	1742	1196	1154
13.	महाराष्ट्र	1788	2253	1886	1780
14.	मणिपुर	47	90	109	107
15.	मेघालय	22	30	35	36
16.	मिजोरम	8	18	17	17
17.	नागालैण्ड	10	29	30	26
18.	उड़ीसा	639	956	813	807
19.	पंजाब	977	1447	1388	1307
20.	राजस्थान	1732	2868	1629	1470
21.	सिक्किम	6	7	4	6
22.	तमिलनाडु	1037	1317	1285	1214
23.	त्रिपुरा	36	57	58	58
24.	उत्तर प्रदेश	20801	29871	22512	19628
25.	पश्चिम बंगाल	643	854	881	831
26.	अं. और नि. द्वीप समूह	5	10	12	10
27.	चंडीगढ़	54	79	65	71
28.	दा. और न. हवेली	5	9	6	6
29.	दमन और दीव	2	3	4	4
30.	दिल्ली	2770	4163	4367	4072
31.	लक्षद्वीप	4	3	1	1
32.	पांडिचेरी	23	33	24	26
33.	छत्तीसगढ़	241	298	238	225
34.	झारखंड	825	1518	1359	1308
35.	उत्तरांचल	798	1333	998	911
	कुल	42981	60754	49479	45479

आम का निर्यात

307. श्री एन. जनार्दन रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान और उसके पश्चात् आम का देश-वार कितना निर्यात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी है;

(ग) क्या विभिन्न किस्मों के आमों के निर्यात हेतु चीन के साथ किसी दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आम उत्पादक प्रत्येक राज्य की निर्यात में कितनी भागीदारी है;

(च) विदेशों में आम को लोकप्रिय बनाने हेतु क्या कार्रवाई की गयी है; और

(छ) सरकार का विचार राज्य सरकारों को किस प्रकार से सहायता करने का है ताकि वे आयातक देशों द्वारा पंसद की जा रही आम की किस्मों का और अधिक रोपण कर सकें?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) प्रमुख आयातक देशों को निर्यातित आम की मात्रा निम्नानुसार है:

(मात्रा मीट्रिक टन में)

देश	2002-03	2003-04	2004-05*
बांग्लादेश	13392.85	23797.13	32128.67
बहरीन	866.89	635.65	769.51
यू.के.	1227.57	1511.63	1099.55
कुवैत	807.41	438.30	222.56
मलेशिया	372.63	294.23	145
नीदरलैण्ड	1089.13	855.94	489.70
नेपाल	426.19	2930.11	3269.43
ओमान	512.13	550.73	143.40
सऊदी अरब	2085.02	3845.72	1653.34
यूएई	14033.56	21056.16	6555.32

स्रोत: एपीडा

*अप्रैल-दिसम्बर, 2004 के लिए अनंतिम आंकड़े

(ख) दो वर्षों के दौरान अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	2002-2003	2003-2004	2004-2005*
राशि (लाख रुपए)	8419.44	11051.93	7493.42

स्रोत: डीजीसीआईएंडएस *अप्रैल-दिसम्बर, 2004 के लिए अनंतिम आंकड़े

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) आमों के निर्यात के राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते।

(च) भारतीय आम को संवर्धन अभियानों, प्रदर्शनियों में भागीदारी, क्रेता-विक्रेता बैठकों के आयोजन तथा विभिन्न देशों को उनके बाजार खोलने के लिए राजी करने के जरिए विदेशों में लोकप्रिय बनाया जा रहा है।

(छ) आमों की भारतीय किस्मों की अंतर्राष्ट्रीय मांग के आधार पर, कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) राज्य सरकारों तथा उत्पादकों को वाणिज्यिक रूप से स्वीकार्य अंतर्राष्ट्रीय किस्मों को रोपण करने की सलाह दे रहा है।

वरिष्ठ नागरिकों और विद्यार्थियों को यात्रा रियायत

308. डा. पी.पी. कोया: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप में वरिष्ठ नागरिकों, निःशक्त व्यक्तियों और विद्यार्थियों को कोई यात्रा रियायत दी जा रही है जैसाकि अन्य अनेक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में ऐसी व्यवस्था है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) लक्षद्वीप में इसे कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) विकलांग व्यक्तियों को लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे सभी जलयानों की डैक क्लास में किराए में 50% रियायत प्रदान की जा रही है।

(ख) और (ग) लक्षद्वीप क्षेत्र में जलयानों का परिचालन 85.90% आर्थिक सहायता घटक के साथ अत्यधिक सहायता प्राप्त है। अतः लक्षद्वीप के लोग पहले से ही लक्षद्वीप क्षेत्र में जलयानों के किराए में लगभग 85.90% यात्रा रियायत का लाभ उठा रहे हैं।

शिष्टमंडल का पाकिस्तान दौरा

309. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फिक्की के एक शिष्टमंडल ने हाल ही में पाकिस्तान का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके इस दौरे का प्रयोजन क्या है;

(ग) क्या फिक्की के इस शिष्टमंडल ने सरकार को कोई रिपोर्ट सौंपी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी हां।

(ख) पाकिस्तान के वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (एफपीसीसीआई) के आमंत्रण पर भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल परिसंघ (फिक्की) द्वारा गठित 104-सदस्यीय व्यापारिक शिष्टमंडल ने मई, 2005 के दौरान पाकिस्तान का दौरा किया था। दौरे का उद्देश्य पारस्परिक व्यापारिक अवसरों का पता लगाना तथा आर्थिक एवं व्यापारिक गठबंधन बनाना था।

(ग) जी हां।

(घ) दोनों शीर्ष निकायों, फिक्की तथा एफपीसीसीआई ने एक व्यापार-दर-व्यापार संयुक्त अध्ययन दल बनाया है। दल ने फोकस के 10 क्षेत्रों को अभिज्ञात किया है जिसके नाम है: (1) कृषि तथा कृषि प्रसंस्करण, (2) सेवाएं, (3) पेट्रोरसायन तथा रसायन, (4) अवस्थापना, (5) वस्त्र एवं परिधान, (6) इंजीनियरिंग, (7) रत्न एवं आभूषण तथा जीवन शैली, (8) बड़े उद्योग, (9) निवेश, तथा (10) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण।

[हिन्दी]

कोचिंग सेंटरों का कार्यकरण

310. श्री अजीत जोगी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली तथा देश के अन्य बड़े शहरों में स्थित ऐसे कोचिंग सेंटरों की जानकारी है जो विद्यार्थियों से मेडिकल/इंजीनियरिंग तथा अखिल भारतीय स्तर की अन्य प्रवेश परीक्षाओं में उत्तीर्ण कराने के नाम पर भारी धनराशि वसूल कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कोचिंग सेंटरों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले वर्ष अखिल भारतीय स्तर की परीक्षाओं के पर्चे लीक होने की घटनाओं में इन सेंटरों की कोई भूमिका थी; और

(घ) ऐसे कोचिंग सेंटरों के विरुद्ध आज तक क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) सरकार को दिल्ली और देश के अन्य बड़े शहरों में कोचिंग सेंटरों के अस्तित्व की

जानकारी है। तथापि, ऐसे कोचिंग सेंटरों के लिए कोई केंद्रीकृत डाटा-बेस नहीं बनाया गया है।

(ग) और (घ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अनुसार ऐसा एक मामला हुआ है, जिसमें कुछ कोचिंग संस्थानों ने पैसों के बदले केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक कर्मचारी से अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (प्रारंभिक) परीक्षा, 2004 का प्रश्न पत्र प्राप्त कर लिया था। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया है कि अखिल भारतीय प्री-मेडिकल टेस्ट (प्रारंभिक) परीक्षा, 2004 के प्रश्न-पत्रों के लीक होने के संबंध में पुलिस ने न्यायालयों में चार्जशीट दाखिल की है।

[अनुवाद]

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में आदिम जनजातियां

311. श्री तापिर गाव: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अद्यतन जनगणना के अनुसार अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में कितनी आदिम जनजातियां रह रही हैं; और

(ख) स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, आवास के क्षेत्र में ग्रेट अंडमानीज, ओंगे, जारवा, सेंटलीज और शोम्पेन जनजातियों के विकास और इन पांच जनजातीयों को मानव समाज की मुख्यधारा में लाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) आदिम जनजातीयों हेतु वर्ष 2001 के जनगणना आंकड़े अभी प्रकाशित नहीं किए गए हैं। वर्ष 1991 की जनगणना के अनुसार अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह की 5 आदिम जनजातियों अर्थात् ग्रेट अंडमानी, जारवा, ओंग, सेंटिनल एवं शोम्पेन की जनसंख्या क्रमशः 32, 89, 101, 24 और 131 है।

(ख) सेंटिनल जनजाति में सभी बाहरी लोगों के प्रति शत्रुता की भावना बनी हुई है और वे प्राचीन काल से अलग द्वीप पर एकाकी जीवन जी रहे हैं। जारवा और शोम्पेन खानाबदोश शिकारी और संग्रहक हैं। उनके द्वारा बसे हुए क्षेत्र को जनजाति आरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है। चूंकि वे खानाबदोश हैं इसलिए उनके लिए किसी एक स्थान पर स्थायी आवास की आवश्यकता अभी अनुभव नहीं की गई है। कादमतला, तुसनाबाद और पोर्ट ब्लेयर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में जारवा के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है। केम्पबेल बे के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में शोम्पेन के लिए स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा उपलब्ध कराई गई है। ग्रेट अंडमानी और ओंग स्ट्रेट द्वीप समूह और लिटल अंडमान में दुगोंग क्रीक में बस गए हैं और उन्हें मुफ्त आवास, मुफ्त चिकित्सा कवरेज, प्राथमिक स्कूल, बिजली, मुफ्त राशन, पेयजल आदि उपलब्ध कराया गया है।

[हिन्दी]

केन्द्र द्वारा प्रायाजित योजना की समीक्षा

312. श्री पुन्नूलाल मोहले:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने कृषि आधारित उद्योग और ग्रामीण उद्योगों के विकास हेतु क्रियान्वित की जा रही केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या इन योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु राज्य सरकारों के साथ कोई सहयोग हैं;

(घ) यदि हां, तो देश में कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों की स्थापना हेतु आवंटित निधियों, निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने तथा कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय में सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्र प्रायोजित एकमात्र योजना, जिसका नाम कॅयर क्षेत्र में सहकारीकरण हेतु योजना है, की समीक्षा की गई है। समीक्षा में योजना में कच्चे हस्क की प्राप्ति, डीफाइबरिंग, कॅयर तागे का उत्पादन और विपणन के संदर्भ में परिवर्तन का सुझाव दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) उपरोक्त उल्लिखित योजना के अंतर्गत जारी निधियों का राज्य-वार विवरण निम्नोक्त है:

(लाख रु.)

क्र.सं.	राज्य	कुल परिव्यय	भारत सरकार की सब्सिडी	जारी सब्सिडी
1.	केरल	2676.00 रु.	535.00 रु.	535.00 रु.
2.	तमिलनाडु	1491.00 रु.	84.24 रु.	84.24 रु.
3.	कर्नाटक	465.48 रु.	82.90 रु.	52.90 रु.
4.	उड़ीसा	417.00 रु.	83.40 रु.	83.40 रु.
5.	पश्चिम बंगाल	12.60 रु.	02.52 रु.	02.52 रु.

तय किए गए लक्ष्यों एवं उपलब्धियों का राज्य-वार विवरण निम्नोक्त है:

क्र.सं.	राज्य	वास्तविक लक्ष्य	उपलब्धि
1.	केरल	(1) 58 डीफाइबरिंग इकाईयां	(1) 45 डीफाइबरिंग इकाईयां
	(2) 125 स्पिनिंग	(2) 89 स्पिनिंग इकाइयां	इकाईयां
2.	तमिलनाडु	(1) 10 फाइबर निकालने वाली और स्वचालित यार्न स्पिनिंग इकाईयां (2) 6 अर्द्ध स्वचालित लूम (3) 5 स्वचालित यार्न स्पिनिंग इकाईयां	(1) 7 फाइबर निकालने वाली और स्वचालित यार्न स्पिनिंग इकाईयां (2) 1 अर्द्ध स्वचालित लूम (3) 5 स्वचालित यार्न स्पिनिंग इकाईयां
3.	पश्चिम बंगाल	1 स्पिनिंग इकाई जिसमें 50 मोटोराइज्ड रैट शामिल हैं	1 स्पिनिंग इकाई जिसमें 50 मोटोराइज्ड रैट शामिल हैं
4.	उड़ीसा	एक रबराइज्ड कॅयर विनिर्माता इकाई का आधुनिकीकरण एवं विस्तार	परियोजना कार्यान्वयन के अधीन है
5.	कर्नाटक	31 नई प्राथमिक सहकारी समितियों की स्थापना, विद्यमान सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण एवं विस्तार	16 नई प्राथमिक सहकारी समितियां स्थापित की गई हैं।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आवंटन

313. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ प्राइवेट विद्यालयों को इस शर्त पर सस्ती दरों पर भूमि पट्टे पर दी थी कि वे उस क्षेत्र के निर्धन विद्यार्थियों के लिए 25 प्रतिशत सीटें आरक्षित रखेंगे किन्तु ये विद्यालय अब उक्त शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 2005 तक दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुल कितने विद्यालयों को भूमि पट्टे पर दी है और उनके नामों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने पट्टे की शर्तों का उल्लंघन करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे पहचान किये गए विद्यालयों की संख्या कितनी है और उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) डीडीए सरकार द्वारा समय-समय पर यथा अनुमोदित आंचलिक भिन्नता दरों पर सोसायटियों को स्कूल चलाने के प्रयोजन से भूमि आबंटित करता है। आबंटन की शर्तों में गरीब विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क सीटों के निर्धारित प्रतिशत का प्रावधान करना शामिल है।

(ख) डीडीए ने यह सूचित किया है कि उसने 31 मार्च, 2005 तक तकरीबन 675 स्कूलों को भूमि आबंटित की है।

(ग) और (घ) शिक्षा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा डीडीए को भेजी गई सूची के अनुसार डीडीए द्वारा आबंटित भूमि वाले करीब 93 स्कूलों द्वारा निःशुल्क की शर्तों का अनुपालन नहीं किया जा रहा। डीडीए द्वारा इन स्कूलों को निःशुल्कता की शर्तों का पालन करने का अवसर देने अथवा सीधे आबंटन/लीजडीड रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

[अनुवाद]

शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद की बैठक

314. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस वर्ष जून में शिलांग में हाल में संपन्न हुई पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र की सुरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में असम के मुख्य मंत्री द्वारा कौन-कौन से विशिष्ट प्रस्ताव किये गए;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां।

(ख) और (ग) 22 जून, 2005 को शिलांग में आयोजित पूर्वोत्तर परिषद की बैठक में असम के मुख्यमंत्री ने सुझाव दिया था कि सुरक्षा संबंधित समस्याओं से निपटने में पूर्वोत्तर परिषद की भूमिका को अंतिम रूप दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हमारे पड़ोसी देशों द्वारा भूमिगत संगठनों की विनाशक गतिविधियों को सहायता, तस्करी और सीमावर्ती क्षेत्रों में अन्य असामाजिक गतिविधियों तथा सीमा पार से अन्य समस्याओं जैसे मुद्दों पर भी ध्यान केन्द्रीत किए जाने की आवश्यकता है। आगे, वे चाहते थे कि इन बाह्य और आतंरिक सुरक्षा पहलूओं में पूर्वोत्तर परिषद की भूमिका स्पष्ट की जानी चाहिए।

(घ) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सुरक्षा स्थिति की सरकारों द्वारा सतत् समीक्षा की जा रही है तथा स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए गए हैं।

दिल्ली के झुग्गी-झोपड़ी निवासी

315. श्री नवीन जिन्दल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने दिल्ली में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके अधिवास क्षेत्रों में चार मंजिले आवासीय परिसरों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो पहचान किए गए क्षेत्र कौन-कौन से हैं और इन आवासीय परिसरों पर लगभग कितना व्यय होगा; और

(घ) आबंटियों से प्रति आवास इकाई कितनी लागत वसूली जायेगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) जी नहीं। तथापि, स्लम एवं जे. जे. विभाग (दि.न.नि.) ने दिल्ली में करीब 6 लाख झुग्गी परिवार होने का अनुमान लगाया है, जिनकी आबादी करीब 30 लाख है।

(ख) से (घ) सरकार ने तेहखंड में स्लम वासियों के पुनर्स्थापना के लिए भूमि का एक संसाधन के रूप में इस्तेमाल करके बहु मंजिले मकानों के निर्माण के लिए एक पायलेट परियोजना शुरु करने हेतु डीडीए को सिद्धांततः अनुमोदन प्रदान किया है। इस प्रयोजनार्थ 16 हेक्टेयर भू-क्षेत्र की पहचान की गई है, जिससे स्लमों के पुनर्स्थापन के लिए 3200 ई डब्ल्यू एस टेनेमेंट (बहुमंजिले परिसर में प्रत्येक में करीब 25 वर्ग मी.) उपलब्ध होंगे।

लागत के ब्यौरे को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

सामुदायिक केन्द्र/बारात घरों का निर्माण

316. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार के पास दिल्ली में सामुदायिक केन्द्रों/बारात घरों के निर्माण के कितने प्रस्ताव अवस्थिति-वार लंबित पड़े हैं;

(ख) इन प्रस्तावों के लंबित रहने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दिल्ली में सामुदायिक केन्द्रों/बारात घरों के निर्माण के लिए भूमि/भवन आबंटित कर दिए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए कितनी धनराशि आवंटित की गयी है; और

(ङ) इन सामुदायिक केन्द्रों/बारात घरों का निर्माण कब तक आरंभ हो जायेगा?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रखी जाएगी।

ईसाइयों पर अत्याचार

317. श्री हितेन बर्मन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान और आज तक की तिथि तक विभिन्न राज्यों में ईसाइयों पर हुए अत्याचारों के बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गिरफ्तार और दण्डित किये गए व्यक्तियों की संख्या कितनी है;

(घ) न्यायालयों में कितने मामले दर्ज किये गए; और

(ङ) देश में इस प्रकार के अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए किये गए अथवा किये जाने वाले प्रभावी उपायों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) ईसाइयों सहित अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और प्रताड़ना की कथित शिकायतें समय-समय पर प्राप्त होती रहती हैं और उनको समुचित कार्रवाई के लिए संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के साथ उठाया जाता है।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार पिछले तीन वर्षों (2002, 2003 और 2004) तथा चालू वर्ष 2005 (जनवरी से मई तक) के दौरान ईसाइयों पर हुई घटनाओं का विवरण निम्नलिखित हैं:

वर्ष	घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या
2002	72	4	54
2003	32	4	19
2004	27	4	43
2005 (जनवरी से मई) अनन्तिम	21	1	20

संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत "पुलिस" और "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय हैं तथा मामलों का पंजीकरण, जांच और अभियोजन कार्य मुख्य रूप से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। अतः गिरफ्तार किए गए और दण्डित किए गए व्यक्तियों की संख्या और न्यायालयों में दायर किए गए मामलों की संख्या आदि के संबंध में विवरण भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं और वे सुलभ रूप से उपलब्ध नहीं होते।

देश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न संवैधानिक और विधिक उपबंधों तथा विभिन्न स्थापित संस्थागत तंत्रों के अतिरिक्त संघ सरकार ने इस संबंध में अनेक प्रशासनिक उपाय तथा उनके उन्नयन के प्रयास किए हैं। इनमें देश में साम्प्रदायिक स्थिति की निरन्तर समीक्षा करना, शांति एवं साम्प्रदायिक सौहार्द को प्रभावित करने वाले संगठनों की गतिविधियों पर नजर रखना, संबंधित राज्य सरकारों के विशिष्ट अनुरोध पर राज्यों को केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल भेजना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में सहायता करना आदि शामिल हैं। संघ सरकार ने साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को व्यापक दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं। इन दिशा-निर्देशों में साम्प्रदायिक दंगों की रोकथाम के संबंध में उठाए जाने वाले कदमों, पीड़ितों के लिए राहत/पुनर्वास के प्रावधान, साम्प्रदायिक तनाव को समाप्त करने, प्रभावित क्षेत्रों में सामान्य स्थिति की बहाली आदि में शांति समितियों के प्रभावी उपायों का उल्लेख किया गया है। संवर्धनात्मक उपायों में शामिल है, साम्प्रदायिक सद्भाव बढ़ाने वाले क्रियाकलापों में सक्रिय संगठनों को अनुदान देना, वार्षिक साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार और कबीर पुरस्कार तथा कौमी एकता सप्ताह मनाना आदि।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

318. श्री सुब्रत बोस: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में सामान्यतः और विशेषतः दिल्ली में संसद सदस्यों/अतिविष्ट

व्यक्तियों की समुचित/पर्याप्त संरक्षा और सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले ठोस कदमों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): अति विशिष्ट व्यक्तियों को, धारित पद, जैसे केन्द्रीय मंत्री और उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय आदि के न्यायाधीश, के आधार पर अथवा केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों के आकलन के अनुसार आतंकवादियों, उग्रवादियों, संगठित अपराधिक माफिया से खतरे के आधार पर, सुरक्षा प्रदान की जाती है। भारत सरकार द्वारा संसद सदस्यों सहित अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा की आवधिक समीक्षा भी की जाती है तथा खतरे के मौजूदा स्तर पर निर्भर करते हुए खतरे की आशंका वाले व्यक्तियों की सुरक्षा को बढ़ावा अथवा घटाया जाता है। संसद सदस्यों सहित सुरक्षा के बारे में आसूचना जानकारियों को नियमित रूप से राज्य/संघ शासित सरकारों के साथ बांटा जाता है। दिल्ली पुलिस, खतरे की आशंका वाले व्यक्तियों को व्यक्तिगत वर्गीकृत सुरक्षा के अलावा, ऐसे उच्च सुरक्षा जोन में सुरक्षा उपलब्ध करवाती है जहां अधिकांश अति विशिष्ट व्यक्ति/सांसद रहते हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि आबंटन

319. **श्री सीताराम सिंह:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कल्याणकारी और सांस्कृतिक संगठनों के लिए कार्यालयों/भवनों के निर्माण के लिए भूमि आबंटित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान जिन संगठनों को भूमि आबंटित की गई उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार प्रतीक्षा-सूची में कितने संगठन हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार इस तथ्य को सुनिश्चित कर रही है कि जिस उद्देश्य हेतु भूमि आबंटित की जाती है उसका उपयोग उसी उद्देश्य हेतु किया जाएगा; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) सामाजिक या धर्मार्थ संगठनों और स्थानीय निकायों सहित विभिन्न श्रेणी के संस्थानों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए भूमि आबंटित करना है ताकि वे अपने कार्यकलाप चला सकें। इन प्रयोजनों में कार्यालय भवनों और अन्य भवनों का निर्माण भी शामिल है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सूचित विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत किए गए आवंटनों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि इस समय, धार्मिक श्रेणी में 229 आवेदन पत्र, विद्यालय श्रेणी में 301 तथा सामाजिक-सांस्कृतिक श्रेणी में 23 आवेदन पत्र इसके पास लंबित हैं। अन्य श्रेणियों नामत: अस्पतालों, क्लबों, उच्च/व्यवसायिक शैक्षिक संस्थानों और सामुदायिक हाल (स्थानीय निकायों को आबंटित करने के बाद शेष स्थल) के लिए स्थलों का केवल नीलामी द्वारा नियतन किया जाता है।

(घ) और (ङ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह बताया है कि आबंटन की शर्तों के किसी प्रकार के उल्लंघन का पता चलने पर आबंटन/पट्टा प्रलेख की शर्तों के अनुरूप समुचित कार्रवाई की जाती है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि का आबंटन

प्रयोजन	2002	2003	2004	कुल
1	2	3	4	5
सामुदायिक भवन	29	3	–	32
धार्मिक स्थल	6	–	–	6
अस्पताल	–	–	–	0
संस्थान	19	–	–	19
क्लब	–	–	–	0
सरकारी कालेज	–	–	–	0
सरकारी स्कूल	23	–	–	23
सरकारी सीनियर सेकेन्डरी और प्राथमिक स्कूल	6	–	4	10
प्राइवेट सीनियर सेकेन्डरी स्कूल	13	12	–	25
प्राइवेट नर्सरी स्कूल	42	27	–	69

1	2	3	4	5
कैम्पस/रिहायशी भूखण्ड (सरकारी)/अन्य केन्द्र सरकार आबंटन	1	–	–	1
एम सी डी आबंटन	23	–	9	32
अस्पताल/राज्य केन्द्र/डी.टी.टी.डी.सी./डी.एच.एस./ सामाजिक कल्याण/विधि विभाग	22	–	4	26
डी टी सी बस टर्मिनल	2	–	–	2
पुलिस स्टेशन	7	1	1	9
एम टी एन एल	5	–	–	5
डी एम एस	12	–	–	12
मदर डेयरी	28	–	–	28
बी एस ई एस/ट्रांस्को	7	–	64	71
सरकारी उपक्रम/डी ए एम बी	2	1	–	3
ई एस आई डिस्पेंसरी	–	–	–	0
डी एम आर सी	2	11	–	13
कुल	249	55	82	386

[अनुवाद]

चंडीगढ़ में फुटपाथ वर्कर

320. **श्री पवन कुमार बंसलः** क्या **गृह मंत्री** 19 अप्रैल, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3785 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उच्च न्यायालय के ध्यान में यह लाया गया है कि फुटपाथ वर्करों और उनके कार्यों से संबंधित बातें समृद्ध और विकसित देशों में भी विद्यमान है;

(ख) क्या उच्च न्यायालय के उक्त आदेश में दशकों से सड़कों के किनारे आजीविका कमाने के लिए कार्यरत फुटपाथ वर्करों के मामले को भी शामिल किया गया है;

(ग) क्या प्रशासन ने उक्त आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील की है; और

(घ) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं रोकने के लिए डाले गए दबाव का ब्यौरा क्या है और यह दबाव किस-किस के द्वारा डाला गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) सरकारी भूमि पर अतिक्रमण को खाली कराने का हमेशा विरोध या प्रतिरोध होता है और इस संबंध में अनुरोध तथा हस्तक्षेप विभिन्न स्रोतों से होते हैं।

आवासीय संपत्तियों का अवैध वाणिज्यिक उपयोग

321. **श्री प्रभुनाथ सिंहः** क्या **शहरी विकास मंत्री** 17 अगस्त, 2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2863 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना कब तक एकत्र कर ली जायेगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने यह सूचित किया है कि उन्होंने वाणिज्यिक कार्यकलापों के लिए प्रयोग की जा रही रिहायशी संपत्तियों के संबंध में एक सर्वेक्षण शुरु किया है। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि कैलेण्डर वर्ष 2004 के दौरान 655 संपत्तियों के खिलाफ कार्रवाई शुरु की गई है।

लू के कारण मृत्यु

322. **श्री जुएल ओरामः** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2005 के दौरान लू की वजह से राज्य-वार कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई; और

(ख) लू की वजह से मरे व्यक्तियों के निकट संबंधियों को अदा की गई क्षतिपूर्ति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 2005 में लू लगने के कारण 340 व्यक्तियों के मरने की सूचना है। वे राज्य जिन्होंने लू लगने के कारण मौतों की सूचना दी है वे आंध्र प्रदेश (98), उड़ीसा (197), पश्चिम बंगाल (25), राजस्थान (14) और पंजाब (6) हैं।

(ख) लू लगने के कारण मारे गए व्यक्तियों के परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए आपदा राहत निधि (सी आर एफ) और प्राकृतिक आपदा आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) की योजनाओं में कोई प्रावधान नहीं है।

राज्य सरकारें, ऐसे मामलों, में सहायता प्रदान कर सकती है यदि उनकी संबंधित राहत संहिता/नियमावलियों में कोई प्रावधान है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा की राज्य सरकारों द्वारा उन लोगों, जो लू लगने के कारण मारे गए, के निकटम संबंधियों को क्रमशः 20,000/- रु. और 10,000/- रु. की दर से मुआवजा दिए जाने की सूचना है।

जी-8 बैठक

323. श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जी-8 की हाल ही में हुई बैठक में कृषि निर्यात राजसहायता को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी, हां। जी-8 ने 6 से 8 जुलाई, 2005 तक आयोजित हुई अपनी वार्षिक शिखर वार्ता में एक विश्वसनीय अंतिम तारीख तक सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने के संबंध में एक वक्तव्य दिया है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में चल रही कृषि संबंधी वार्ताओं में भारत ने समान हित और चिंता रखने वाले विश्व व्यापार संगठन के अन्य सदस्यों के साथ नवम्बर, 2002 में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की दोहा मंत्रिस्तरीय बैठक में पारित अधिदेश तथा जुलाई, 2004 के कार्यढांचा करार के अनुरुप सभी प्रकार की निर्यात सब्सिडी को समाप्त करने और विकसित देशों द्वारा अपने कृषि क्षेत्र को प्रदान की जाने वाली सभी प्रकार की व्यापार विकृतिकारी सहायता को समाप्त करने/उसमें पर्याप्त कमी करने की मांग की है।

महिला छात्रावासों की कमी

324. श्री रघुनाथ झा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में महिला छात्रावासों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में अन्य राज्यों की पढ़ने वाली/कामकाजी लड़कियां किराये पर रहने/निजी छात्रावासों में रहने के लिए बाध्य हैं जिससे उनकी सुरक्षा को खतरा बना रहता है;

(ग) यदि हां, तो क्या दिल्ली में और अधिक महिला छात्रावासों के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) यद्यपि दिल्ली में लड़कियों के लिए होस्टल सुविधा की कमी के संबंध में कोई प्रामाणिक सर्वेक्षण नहीं किया गया है, अत: अनेक लड़कियों द्वारा निजी आवासीय सुविधाओं का उपयोग किए जाने की सूचना है।

(ग) और (घ) महिला और बाल विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, उस विभाग द्वारा कार्यान्वित कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल भवनों के निर्माण/विस्तार के लिए सहायता संबंधी योजना के अंतर्गत दिल्ली में 2586 होस्टरों की क्षमता वाले 19 होस्टल भवनों के निर्माणार्थ वित्तीय सहायता से वर्ष 1972-73 में योजना की शुरुआत से अभी तक वृद्धि की जाती रही है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत छः कालेजों में लड़कियों के लिए होस्टल हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास होस्टलों से संबंधित तीन प्रस्ताव हैं जो दिल्ली विश्वविद्यालय के कालेजों नामत: माता सुन्दरी महिला कालेज, मैत्री कालेज तथा दयालसिंह कालेज (दिवस) से प्राप्त हुए हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

उग्रवादियों की गतिविधियां

325. श्री निखिल कुमार:
श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री अधीर चौधरी:
श्री सर्वानन्द सोनोवाल:
श्री कीरेन रिजीजू:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री शिवराज सिंह चौहान:
मो. शाहिद:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री मुन्शी राम:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में उग्रवादियों की गतिविधियों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उग्रवाद की चुनौतियां का सामना करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को चुस्त दुरुस्त बनाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) वर्ष 2005 के दौरान आज की तिथि तक राज्य-वार हुई आतंकवादी गतिविधियों का ब्यौरा क्या है;

(च) उक्त अवधि के दौरान ऐसी घटनाओं में मारे गए/घायल हुए व्यक्तियों की संख्या तथा गिरफ्तार किये गए उग्रवादियों की संख्या कितनी है;

(छ) ऐसी घटनाओं में शामिल संगठनों के क्या नाम है; और

(ज) देश में उग्रवादी संगठनों की विध्वंसकारी मंशा को कुचलने हेतु सरकार ने क्या कार्य योजना तैयार की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) हाल में उपलब्ध जानकारियों से पता चलता है कि जम्मू और कश्मीर तथा नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में हिंसा के स्तर में कमी आई है। 2004 की इसी अवधि की तुलना में 1 जनवरी से 30 जून, 2005 की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में हिंसात्मक घटनाओं की संख्या कमोबेश वही रही।

(ग) और (घ) आधुनिक हथियारों और संचार उपकरणों के संदर्भ में, विशेष शाखाओं सहित राज्य पुलिस बलों को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार की राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण तथा सी.पी.एम.एफ. के आधुनिकीकरण के कार्यक्रम जैसी स्कीमें हैं। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों तथा नक्सलवाद प्रभावित राज्यों हेतु गृह मंत्रालय की सुरक्षा संबंधी व्यय (एस.आर.ई.) स्कीमें भी है।

(ङ) से (छ) सूचना विवरण में दी गई है।

(ज) सरकार की रणनीति आतंकवाद के खतरे से राजनैतिक, विकासात्मक और सुरक्षा मोर्चों पर समग्र रूप से निपटने की है। आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने बहुउद्देशीय दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें घुसपैठ को रोकने के लिए सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को प्रेरित करना, केन्द्र और राज्यों, दोनों में सुरक्षा बलों के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपकरण उपलब्ध करवाना, सुसमन्वित आसूचना आधारित आपरेशनों द्वारा आतंकवादी ग्रुपों/राष्ट्र विरोधी तत्वों की योजनाओं को निष्क्रिय करना शामिल है।

विवरण

उग्रवादियों की गतिविधियां

चालू वर्ष के दौरान 30.6.2005 तक जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों, दिल्ली और उत्तर प्रदेश तथा नक्सलवाद प्रभावित राज्यों में आंतकवादी हिंसा के संबंध में उपलब्ध सूचना निम्न प्रकार है:

जम्मू और कश्मीर

आतंकवादी घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	मारे गए आतंकवादी*	गिरफ्तार किए गए आतंकवादी
981	360	463	170

नक्सलवाद प्रभावित राज्य

राज्य का नाम	आतंकवादी घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या*	मारे गए आतंकवादी	गिरफ्तार किए गए आतंकवादी
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	344	125	77	228
झारखंड	153	38	5	93
छत्तीसगढ़	196	29	4	129

1	2	3	4	5
बिहार	112	34	6	139
महाराष्ट्र	45	17	–	12
उड़ीसा	26	4	2	71
उत्तर प्रदेश	3	–	3	46
मध्य प्रदेश	15	1	–	6
पश्चिम बंगाल	4	1	–	45
कर्नाटक	5	2	4	9
पूर्वोत्तर राज्य				
असम	190	48	48	116
मेघालय	20	1	10	44
त्रिपुरा	70	17	14	48
अरुणाचल प्रदेश	12	–	7	26
नागालैण्ड	103	18	46	22
मिजोरम	3	2	–	13
मणिपुर	162	78	67	209

दिल्ली

आतंकवादी घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या*	मारे गए आतंकवादी	गिरफ्तार किए गए आतंकवादी
1 (22 मई, 2005 को सिनेमा हाल में हुए दोहरे बम विस्फोट)	1 (सिविलियन)	–	8 (जो घटनाओं से सीधे जुड़े हुए थे)

*मारे गए व्यक्तियों में सिविलियन और सुरक्षा बल कर्मी भी शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश

आतंकवादी घटनाओं की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या	मारे गए आतंकवादी	गिरफ्तार किए गए आतंकवादी
1 (5.7.2005 को अयोध्या में)	1 (सिविलियन)	5	3*

*उपलब्ध सूचनानुसार।

2. आतंकवादी गुट जैसे एल ई टी, जे ई एम, एच एम, अल बदर, एच यू एम, इत्यादि, मुख्य रूप से जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। अभी तक की गई जांच-पड़ताल से यह पता चलता है कि 5.7.2005 को अयोध्या में हुए आंतकवादी हमले में एल ई टी और दिल्ली में 22.5.2005 को दोहरे बम विस्फोटों में बी के आई की संलिप्तता है। आतंकवादी गुट जैसे उल्फा, एन डी एफ बी, ए टी टी एफ इत्यादि मुख्य रूप से पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी हिंसा के लिए जिम्मेवार हैं।

[हिन्दी]

छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तकें

326. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सर्व शिक्षा अभियान योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के सभी वर्गों के छात्रों को मुफ्त पाठ्यपुस्तक वितरण प्रणाली की समीक्षा करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान के तहत उपलब्ध निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के संबंध में भारत सरकार के दिशानिर्देश निम्नवत हैं:

(1) प्रति बच्चा 150/- रु. की अधिकतम सीमा के भीतर प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी लड़कियां/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चे।

(2) राज्य बजट से उपलब्ध कराई जा रही निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के लिए निधियां प्रदान करने का कार्य राज्य सरकारें जारी रखेंगी।

(3) यदि कोई राज्य सरकार प्रारंभिक कक्षाओं के बच्चों को आपूर्त की जा रही पाठ्यपुस्तकों की लागत पर अंशतः सब्सिडी देगी तो सर्व शिक्षा अभियान के तहत पुस्तकों की लागत के उसी भाग तक सहायता सीमित होगी जिसे बच्चों द्वारा वहन किया जा रहा है।

[अनुवाद]

आतंकवादी गतिविधियों में पाकिस्तान के मंत्री की संलिप्तता

327. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हुरियत अध्यक्ष ने एक पाकिस्तान मंत्री पर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित आतंकवादी शिविरों का दौरा करने और भारत के विरुद्ध आतंकवादी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता का आरोप लगाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या हुरियत प्रमुख ने पाकिस्तान से वापस आने पर हिंसा जारी रहने का शंका व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी हिंसा को रोकने के लिए क्या रणनीति अपनाई जायेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) मीरवेज उमर फारुक, अध्यक्ष आल पार्टी हुर्रियत कांफ्रेंस (ए पी एच सी) ने पाक अधिकृत कश्मीर/पाकिस्तान जाने वाले प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई की। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी मंत्री के पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी शिविरों में जाने और भारत के खिलाफ आतंकवाद संबंधी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के बारे में कोई आरोप नहीं लगाया। तथापि, यासीन मलिक, जम्मू कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट (जे के एल एफ) के नेता ने यह आरोप लगाया कि शेख रशीद, पाक फेड्रल मिनिस्टर फॉर इंफोर्मेशन ने कश्मीरी उग्रवादियों की मदद की।

(ग) जी नहीं। सरकार को ऐसी किसी भी घोषणा की जानकारी नहीं है।

(घ) सरकार ने राज्य सरकार के साथ संयुक्त रूप से विशेषतः जम्मू और कश्मीर में सीमा-पार से आतंकवाद को नियंत्रित करने के लिए एक बहु आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, सीमा प्रबंधन सुदृढ़ करना और अंतर्राष्ट्रीय सीमा/एल ओ सी के साथ-साथ और बदलते रहने वाले घुसपैठ के मार्गों के नजदीक बहु-स्तरीय तथा बहु रूपात्मक तैनाती, सीमा पर बाड़ का निर्माण, उन्नत प्रोद्योगिकी, सुरक्षा बलों के लिए हथियार और उपस्कर, घुसपैठ को रोकने हेतु उन्नत आसूचना और आपॅरेशनल कॉर्डिनेशन एवं सहयोगी आसूचना प्रवाह, राज्य के भीतर आतंकवादियों के विरुद्ध प्रतिकारी कार्रवाई इत्यादि शामिल है। राज्य सरकार (जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री की अध्यक्षता में दो मुख्यालयों सहित) और केन्द्र सरकार में विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर घुसपैठ विरोधी प्रयासों की समीक्षा की जाती है।

वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन

328. श्री जुएल ओराम: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वाहनों का निर्माण करने वाली कौन-कौन सी कंपनियों ने देश में वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन आरंभ किया है;

(ख) वे किस प्रकार के वाहनों का निर्माण कर रही हैं;

(ग) गत पांच वर्षों के दौरान इन वाहनों का कितना वार्षिक उत्पादन किया गया;

(घ) इन कंपनियों ने कुल कितनी राशि का निवेश किया;

(ङ) क्या इन वाहनों के उत्पादन का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ा है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) देश में वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन शुरु करने वाली आटोमोबइल कंपनियों के नाम हैं (1) अशोक लेलैंड लि., (2) बजाज टेम्पो लि., (3) आइसर मोटर्स लि., (4) हिन्दुस्तान मोटर्स लि., (5) महिन्द्रा एवं महिन्द्रा लि., (6) स्वराज माजदा लि., (7) टाटा मोटर्स लि., (8) टाटा ट्रक्स इंडिया लि. और (9) वोल्वो इंडिया प्रा. लि.।

(ख) वाहनों के प्रकार जिनका वे विनिर्माण कर रहे हैं:

* मध्यम एवं भारी वाणिज्यिक वाहन
    1. यात्री वाहन
    2. माल वाहन
* हल्के वाणिज्यिक वाहन
    1. यात्री वाहन
    2. माल वाहन

(ग) पिछले पांच वर्षों के दौरान इन वाहनों के वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है;

विनिर्माता	वाणिज्यिक वाहनों का उत्पादन (संख्या में)				
	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05
अशोक लेलैंड लि.	33,803	31,823	33,646	49,150	54,519
बजाज टेम्पो लि.	3,266	2,792	5,806	7,977	6,591
आइसर मोटर्स लि.	8,517	9,639	12,796	16,008	23,014
हिन्दुस्थान मोटर्स लि.	136	2,442	1,993	608	456
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि.	6,107	18,795	24,548	30,586	42,091
स्वराज माजदा लि.	5,231	6,360	8,201	10,225	12,445
टाटा मोटर्स लि.	95,019	90,516	116,145	159,981	209,909
टाटा ट्रक्स इंडिया लि.	0	141	138	136	165
वोल्वो इंडिया प्रा. लि.	0	0	424	369	843
कुल	152,079	162,508	203,697	275,040	350,033

स्रोत: भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी

(घ) इन कंपनियों द्वारा किये गये निवेश की कुल राशि नीचे दी गयी है;

निवेश (करोड़ रुपए में)

विनिर्माता	2002-2003 तक
अशोक लेलैंड लि.	1,812
बजाज टेम्पो लि.*	555
आइसर मोटर्स लि.	94
हिन्दुस्तान मोटर्स लि.*	745
महिन्द्रा एंड महिन्द्रा लि.*	2,489
स्वराज माजदा लि.	37
टाटा मोटर्स लि.	1,196
टाटा ट्रक्स इंडिया लि.	20
वोल्वो इंडिया प्रा. लि.	शून्य
कुल	6,948

*वाणिज्यिक वाहनों के अलावा अन्य उत्पाद भी शामिल हैं।
स्रोत: भारतीय आटोमोबाइल विनिर्माता सोसाइटी

(ङ) और (च) जी हां। 2002-2003 में इन कंपनियों का कुल कारोबार 21,692 करोड़ रुपए का हुआ था। इसके अलावा विनिर्मित प्रत्येक वाणिज्यिक वाहन में कुल 13 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। उत्पादन में वृद्धि होने से हर वर्ष अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न होते हैं।

[हिन्दी]

गरीबों के लिए आवास इकाइयों का निर्माण

329. श्री मुन्शी राम:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:
मोहम्मद शाहिद:

क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य सरकारों द्वारा गरीबों के लिए आवास इकाइयों के निर्माण हेतु बाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना के कार्यान्वयन में ढिलाई बरती जा रही है, जैसा कि दिनांक 7 जून, 2005 को "राष्ट्रीय सहारा" में प्रकाशित रिपोर्ट में बताया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उक्त योजना के शीघ्र कार्यान्वयन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दिए गए अनुदेशों का ब्यौरा क्या है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) और (ख) वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना (वाम्बे) एक मांग मूलक स्कीम है और राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा परियोजना लागत का 50% राज्य अंश जमा करने सहित स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार हर तरह से परिपूर्ण परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने की शर्त पर उन्हें धनराशि जारी की जाती है। कुछ राज्यों का निष्पादन बेहतर रहा है जबकि कुछ राज्यों ने स्कीम का पूरा फायदा नहीं उठाया है। स्कीम के अंतर्गत राज्य-वार वास्तविक और वित्तीय निष्पादन के ब्यौरे का विवरण संलग्न है।

(ग) राज्य सरकारों से समय-समय पर स्कीम का फायदा उठाने तथा स्कीम का कारगर ढंग से कार्यान्वयन करने को कहा गया है।

विवरण

2001-2002 से 2005-2006 तक वाम्बे स्कीमों के राज्यवार संचित ब्यौरे तथा 15.6.2005 की स्थिति अनुसार वित्तीय प्रगति

क्र. सं.	राज्य व संघ शासित प्रदेश	संचित केन्द्रीय नियतन (लाख रु. में)	जारी भारत सरकार सब्सिडी (लाख रु. में)	शामिल रिहायशी यूनिटों की सं.	शामिल शौचालय सीटों की सं.	वित्तीय प्रगति (15.6.2005 की स्थिति) निर्मित/निर्माणाधीन रिहायशी मकान		निर्मित/निर्माणाधीन शौचालय सीटें	
						निर्मित रिहायशी मकान	निर्माणाधीन रिहायशी मकान	निर्मित शौचालय सीटें	निर्माणाधीन शौचालय सीटें
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	10646.000	17069.250	73808	392	26533	11009	56	92
2.	अरुणाचल प्रदेश	66.240	18.000	80	0	0	0	0	0
3.	असम	1030.800	0.000	0	0	0	0	0	0
4.	बिहार	4704.520	10.000	50	0	0	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	1335.990	964.400	4360	462	2472	1788	0	0
6.	गोवा	202.150	0.000	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	6084.960	3924.200	20562	3466	20294	0	1012	448
8.	हरियाणा	1780.920	652.600	3263	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	285.320	0.000	0	0	0	0	0	0
10.	जम्मू व कश्मीर	1376.440	329.630	1389	85	273	360	0	0
11.	झारखंड	1567.830	718.800	3504	90	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	3142.240	8113.020	29252	7910	24048	1241	3810	1620
13.	केरल	2911.740	4156.850	20784	0	7011	5128	0	0
14.	मध्य प्रदेश	3610.670	1816.750	7581	250	1993	1024	0	0
15.	महाराष्ट्र	18998.550	21722.675	74302	25931	18769	3234	7761	1068

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मणिपुर	200.330	199.795	888	0	48	840	0	0
17.	मेघालय	205.980	0.000	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	203.520	0.000	0	0	0	0	0	0
19.	नागालैण्ड	107.590	214.550	926	31	806	0	0	0
20.	उड़ीसा	1982.980	124.000	620	0	190	308	0	0
21.	पंजाब	3350.490	0.000	0	0	0	0	0	0
22.	राजस्थान	5777.410	1906.880	8467	0	3440	1038	0	0
23.	सिक्किम	22.220	0.000	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	7712.470	10962.730	79591	23930	39628	2062	14864	16
25.	त्रिपुरा	158.520	374.628	1665	0	1179	486	0	0
26.	उत्तरांचल	681.880	401.350	1979	100	157	44	0	10
27.	उत्तर प्रदेश	12959.670	5438.455	24926	155	8116	3078	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	11639.440	2559.130	10446	1377	5319	1614	777	73
29.	अंडमान व नि. द्वी. सं.	90.730	0.000	0	0	0	0	0	0
30.	चंडीगढ़	377.700	0.000	0	0	0	0	0	0
31.	दादरा व नगर हवेली	7.560	0.000	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व द्वीव	24.680	0.000	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	5762.650	50.000	167	0	167	0	0	0
34.	पाण्डिचेरी	377.250	234.300	1196	120	170	0	40	0
35.	लक्षद्वीप	6.570	0.000	0	0	0	0	0	0
	कुल	109394.010	81961.993	369808	64299	0	0	0	0
	विभिन्न उप घटकों तथा प्रदर्श परियोजनाएं, एमआईएस, सूचना प्रचार प्रसार, स्टाफ प्रशिक्षण इत्यादि के अंतर्गत जारी राशि		866.600	1165	0	0	0	0	0
	विविध प्रयोजनार्थ बाम्बे के अंतर्गत जारी राशि		5.47	0	0	0	0	0	0
	सकल योग		82836.063	370971	64299	160613	33254	28320	3327

[अनुवाद]

लघु उद्योगों की विकास दर

330. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के पूर्वार्द्ध के दौरान लघु उद्योगों में कितनी विकास दर दर्ज की गई;

(ख) क्या इस अवधि के दौरान लघु उद्योग क्षेत्र में कोई गिरावट दर्ज की गई;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) लघु उद्योग क्षेत्र में कितनी मदों को सम्मिलित किया गया और इसमें कितनी मदों को सम्मिलित किए जाने का विचार है;

(ङ) लघु उद्योग क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(च) इन प्रयासों के द्वारा कितनी सफलता प्राप्त की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सामान्यतः लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) के संबंध में डाटा की उपलब्धता में छह से नौ महिने का अंतराल रहा है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात 2005-06 की पहली छमाही के संबंध में लघु उद्योग की अनुमानित विकास दर उपलब्ध नहीं है। तथापि, वर्ष 2004-05 की पहली तीन तिमाहियों (अप्रैल-दिसम्बर, 2004) में लघु उद्योग क्षेत्र के संबंध में अनुमानित विकास दर जोकि 8.89 प्रतिशत रही है, वह वर्ष 2003-04 की तदनरूपी तिमाहियों के दौरान 7.57 प्रतिशत की विकास दर, की तुलना में कहीं अधिक है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) फिलहाल, लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) द्वारा विशिष्ट विनिर्माण हेतु 506 मदें आरक्षित हैं। वर्तमान में लघु उद्योगों द्वारा विशिष्ट विनिर्माण हेतु कोई नई मद शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) और (च) लघु उद्योगों का संवर्धन और विकास करना मुख्यतः राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार लघु उद्योग को क्रेडिट, बुनियादी संरचना, प्रौद्योगिकीय तथा विपणन सहायता के माध्यम से अनेक योजनाओं/कार्यक्रमों के कार्यान्वयन द्वारा उनके प्रयासों को अनुपूरित करती है।

इन प्रयासों के परिणामस्वरूप लघु उद्योग क्षेत्र ने सकल घरेलू उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन, रोजगार के अवसरों के सृजन तथा निर्यातों की वृद्धि में निरंतर महत्वपूर्ण योगदान दिया है तथा इसने देश की अर्थव्यवस्था में प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है।

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा

331. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विश्वविद्यालयों में व्याख्याता पात्रता (लेक्चरशिप) के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नेट) विदेश में भारतीय मिशनों में भी आयोजित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) भविष्य में किन-किन देशों में पूर्वोक्त परीक्षा आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इस समय विदेश में भारतीय मिशनों में राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा आयोजित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक मानकों में असमानताएं

332. प्रो. एम. रामदास: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक मानकों में बढ़ती असमानताओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो इन असमानताओं को दूर करने या कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का राष्ट्रीय ज्ञान आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य विशेषताएं और उद्देश्य क्या हैं; और

(ङ) उक्त आयोग से असमानताओं में कमी लाने में किस प्रकार सहायता मिलेगी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद, उच्चतर शिक्षा की गुणवत्ता के आधार पर विश्वविद्यालयों सहित उच्चतर अध्ययन संस्थाओं का मूल्यांकन और प्रत्यायन करती है तथा उन्हें 9 बिन्दु पर श्रेणीबद्ध करती है। विशेषताओं और खामियों पर प्रकाश डालने वाली गुणवत्ता रिपोर्ट का प्रयोग संस्थाओं में सुधार के लिए किया जाता है।

(ग) से (ङ) योजना आयोग ने एक 'राष्ट्रीय ज्ञान आयोग' अधिसूचित किया है। आयोग के विचारार्थ विषय निम्न प्रकार हैं:

(1) 21वीं सदी की ज्ञान संबंधी चुनौतियों पर खरा उतरने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का निर्माण और ज्ञान के क्षेत्र में भारत की प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को सुदृढ़ करना।

(2) विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को प्रोत्साहन।

(3) बौद्धिक संपदा अधिकारों में लगी संस्थाओं के प्रबंधन में सुधार।

(4) कृषि और उद्योग में ज्ञान के उपयोग को प्रोत्साहन।

(5) सरकार को नागरिकों के प्रति प्रभावी, पारदर्शी और उत्तरदायी सेवा प्रदाता बनाने के लिए ज्ञान क्षमताओं के उपयोग को प्रोत्साहन और जनता को अधिकतम लाभ देने के लिए ज्ञान के व्यापक आदान-प्रदान को प्रोत्साहन।

ज्ञान आयोग भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा गठित किए जाने वाले कार्य समूहों के माध्यम से विचारार्थ विषयों पर विचार करेगा।

[हिन्दी]

दिल्ली जल बोर्ड की जल वितरण परियोजनाएं

333. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली जल बोर्ड की अनेक जल वितरण परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं के नाम क्या हैं और इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब से आरंभ हुआ तथा मार्च, 2005 तक इन पर कुल कितनी राशि खर्च हुई;

(ग) क्या कुछ ऐसी परियोजनाएं जिनके मार्च 2005 से पूर्व पूरा हो जाने का कार्यक्रम था वे अभी पूरी नहीं हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) प्रत्येक परियोजना को समय पर पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (घ) दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि इस समय 14 जल वितरण परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इन परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विभिन्न कारणों, यथा सामग्री के मूल्य में अत्यधिक वृद्धि, कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कार्य अधूरा छोड़ जाने, हाई टैंशन लाइन को हटाने में विलंब, रेलवे लाइन क्रासिंग तथा सड़क काटने की अनुमति मिलने में विलंब इत्यादि के कारण कुछ परियोजनाओं को पूरा करने में विलंब हुआ है।

(ङ) परियोजनाओं को समय पर पूरा कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड ने परियोजनाओं की नियमित मानीटरिंग करने, चूककर्ता एजेंसियों के जोखिम व लागत पर कार्य हाथ में लेने, संबंधित विभागों/एजेंसियों को समय पर मंजूरी देने के लिए अनुरोध करने इत्यादि जैसे उपयुक्त उपाय किए हैं।

विवरण

दिल्ली जल बोर्ड की जल वितरण परियोजनाएं

क्र.सं.	परियोजना का नाम	आरंभ होने की तारीख	मार्च, 05 तक व्यय (रुपए)
1	2	3	4
1.	साउथ दिल्ली में हौज भरने के लिए फीडर मुख्य लाइनें बिछाना	3.9.2003	3371.50

1	2	3	4
2.	यमुना पार क्षेत्र में 6 अतिरिक्त यूजीआर/बूस्टर पंपिंग स्टेशनों का निर्माण	14.10.2003	760.95 लाख (सिविल कार्यों हेतु)
3.	साउथ दिल्ली क्षेत्र में 5 अतिरिक्त यूजीआर/बूस्टर पंपिंग स्टेशनों का निर्माण	10.10.2003	503.43 लाख (सिविल कार्यों हेतु)
4.	मालवीय नगर में 600-700-900 पीएससी पाइपों की आपूर्ति	18.2.1998	105.00 लाख
5.	उज्जा गांव, नजफगढ़ में 5.3 एमएल क्षमता के यूजीआर व बूस्टर पंपिंग स्टेशनों का निर्माण	14.8.2003	105.98 लाख
6.	पी-ब्लाक, मोहन गार्डन में 4.2 एमएल क्षमता के यूजीआर व बूस्टर पंपिंग का निर्माण	16.8.2003	146.61 लाख
7.	हौज सीटी-2 फेज-I, द्वारका के क्षेत्राधिकार में निर्मित क्षेत्र के लिए 900-600-500-400-350-200 एमएम डीआई एमएस/डब्ल्यू/एस मुख्य लाइन देना/बिछाना/जोड़ना (शेष कार्य मैसर्ज लेंको इंफ्राटेक लिमिटेड के जोखिम व लागत पर)	12.1.2005	शून्य
8.	हौज सीटी-2 फेज-II, द्वारका के क्षेत्राधिकार में निर्मित क्षेत्र के लिए 900-600-500-400-350-200 एमएम डीआई एमएस/डब्ल्यू /एस मुख्य लाइन देना/बिछाना/जोड़ना (शेष) कार्य मैसर्ज लेंको इंफ्राटेड लिमिटेड के जोखिम व लागत पर)	12.1.2005	शून्य
9.	मालवीय नगर में 700-900 एमएम के पीएससी/एचएस डब्ल्यू मेन बिछाना/जोड़ना	27.5.2005	23.02 लाख
10.	सी-डी पार्क जहांगीरपुरी में 12.6 एमएल क्षमता के यूजीआर व डीपीएस का निर्माण	4.5.2003	109.68 लाख
11.	परिवहन प्राधिकरण, बुराड़ी के समीप 10 एमएल क्षमता के यूजीआर व डीपीएल का निर्माण	5.12.2002	262.00 लाख

1	2	3	4
12.	जीटी रोड अलीपुर से बवाना डब्ल्यू टीपी तक पी/एल/जे 900/800 की एमएस लाइन तथा कोटेड जल लाइन देना/बिछाना/जोड़ना	20.8.2004	1091 लाख
13.	पटेल रोड डीपीएस से बलजीत नगर यूजीआर व बीपीएस तक 500 एमएम की एमएस पाइप लाइन देना/बिछाना/जोड़ना	20.4.2004	105 लाख
14.	हौज सीटी-1 द्वारका फेज-1 के लिए सीआई/एचएस परीधीय जल मेन लाइन देना/बिछाना/जोड़ना (शेष कार्य)	30.10.2004	18.36 लाख

[अनुवाद]

ड्यूटी इंटाइटलमेंट पास बुक स्कीम

334. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ड्यूटी इंटाइटलमेंटस पास बुक स्कीम से लाभ के संबंध में निर्यातकों के विरुद्ध चालू कर संबंधी कार्यवाही और वसूली अभियान को वर्ष 1997 से आस्थगित रखा जाना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या निर्यातक आयकर की धारा 80 एचएचसी के अंतर्गत छूट ने देने पर उनके भारी विरोध का सामना करना पड़ेगा; और

(घ) यदि हां, तो चालू कर संबंधी कार्यवाही को आस्थगित करने से निर्यातकों को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) जी हां। धारा 80 जजग के अंतर्गत कटौती का दावा करने के बारे में पुन: शुरु किए गए निर्धारणों से संबंधित निर्धारण तथा वसूली की कार्यवाहियां दिनांक 31.8.2005 तक आस्थगित कर दी गई हैं।

[हिन्दी]

व्यापार नीति का दुरुपयोग

335. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में घरेलू और विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु प्रचलित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इनमें से कुछ योजनाओं का दुरुपयोग किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान दुरुपयोग के राज्यवार कितने मामलों के समाचार मिले; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) जी हां। विभिन्न निर्यात संवर्धन स्कीमों के दुरुपयोग की कुछेक घटनाओं का पता चला है। विदेश व्यापार महानिदेशक के कार्यालय को ऐसे मामलों की जानकारी प्रवर्तन/जांच एजेंसियों के माध्यम से मिलती है। ऐसे निर्यातकों के विरुद्ध एफटी (डी एवं आर) अधिनियम, 1992 के उल्लंघन के लिए डीजीएफटी तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा कार्रवाई की जाती है। इसी तरह सीमाशुल्क अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई डीआरआई/सीबीआई द्वारा की जाती है। स्कीमों के दुरुपयोग के मामलों की संख्या का निर्धारण जांच पूरी होने के बाद ही किया जा सकता है।

विवरण

व्यापार नीति के दुरुपयोग के बारे में ब्यौरा

चल रही स्कीमों के ब्यौरे:

1. शुल्क छूट तथा माफी संबंधी स्कीमें

(1) निविष्टियों जो मूल्य तथा मात्रा के अनुसार एक विशिष्ट निर्यात दायित्व के साथ निर्यात उत्पाद (अपशिष्ट के

लिए सामान्य अनुमति प्रदान करते हुए) में भौतिक रूप से शामिल हैं, के शुल्क मुक्त आयातों की अनुमति देने के लिए अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम

(2) उत्पादन पूर्व, उत्पादन तथा उत्पादन पश्चात (उनकी सीकेडी/एसकेडी तथा कम्प्यूटर साफ्टवेयर प्रणाली सहित) के लिए पूंजीगत वस्तुओं का 5% सीमाशुल्क की दर से आयात करने की अनुमति देने के लिए निर्यात संवर्धन पूंजीगत वस्तु स्कीम जो अनुज्ञप्ति के जारी होने की तारीख से गिनी जानी वाली 8 वर्ष की अवधि में इस स्कीम के अंतर्गत आयातित पूंजीगत वस्तुओं पर बचाए गए शुल्क के 8 गुने के बराबर निर्यात दायित्व के अध्यधीन निर्यात दायित्व में छूट कृषि से संबंधित इकाइयों, एसएसआई, बीआईएफआर जैसी विशिष्ट श्रेणियों को दी गई है।

(3) शुल्क मुक्त पुनः पूर्ति प्रमाण-पत्र निर्यात पूरे करने के पश्चात मूल सीमाशुल्क के भुगतान के बिना वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों के आयात के लिए जारी किया जाता है।

(4) निर्यात उत्पाद की आयात संबंधी अंतर्वस्तु पर सीमाशुल्क के भार को निष्प्रभावी करने के लिए शुल्क हकदारी पास बुक स्कीम तथा निर्यातक मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में निर्यातों के एफओबी मूल्य के एक विनिर्दिष्ट प्रतिशत के रूप में शुल्क ऋण के लिए हकदार होता है।

(5) रत्न एवं आभूषण क्षेत्र से संबंधित पुनः पूर्ति अनुज्ञप्ति, अग्रिम अनुज्ञप्ति, हीरा अग्रदाय अनुज्ञप्ति आदि जैसी स्कीमें।

(6) ऐसे सौदों, जिनमें लाभानुभोगी की विशिष्ट श्रेणियों को वस्तुओं की आपूर्ति देश से बाहर नहीं होता तथा ऐसी आपूर्तियों के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपयों अथवा मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किए जाते हैं, के लिए माने गए निर्यात हेतु शुल्क प्रति अदायगी तथा अंतिम उत्पाद शुल्क वापसी स्कीम।

विशेष आर्थिक जोन, विशिष्ट रूप से इंगित शुल्क मुक्त एन्क्लेव हैं तथा इन्हें व्यापार प्रचालनों तथा शुल्कों व टैरिफों के प्रयोजनार्थ विदेशी क्षेत्र के रूप में माना जाता हैं-जिनमें ये इकाइयां डीटीए से शुल्क का भुगतान किए बिना सभी प्रकार की वस्तुओं तथा सेवाओं का आयात/खरीद कर सकती हैं।

3. निर्यात के लिए वस्तुओं के विनिर्माण हेतु शुल्क के भुगतान के बिना पूंजीगत वस्तुओं सहित सभी प्रकार की वस्तुओं के आयात/खरीद के लिए शुल्क मुक्त प्रणाली के तहत प्रचालन हेतु निर्यातोन्मुख इकाई स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम या जैव-प्रौद्योगिकी पार्क स्कीम।

4. मुक्त मुद्रा में व्यापार सौदे करने की स्वतंत्रता के साथ वस्तुओं तथा सेवाओं के आयात तथा निर्यात को सुकर बनाने के लिए व्यापार संबंधी अव्यस्थापना के सृजन हेतु मुक्त व्यापार तथा भाण्डागार जोन स्कीम।

5. कलपुर्जे, कार्यालय उपस्कर तथा व्यावसायिक उपस्कर, कार्यालय फर्नीचर तथा सेवाओं के निर्यात पर मुख्य व्यवसाय संबंधित खपत योग्य वस्तुओं सहित पूंजीगत वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए सर्व्ड फ्राम इंडिया स्कीम।

6. कलपुर्जे, कार्यालय उपस्कर, व्यावसायिक उपस्कर तथा कार्यालय फर्नीचर सहित किन्ही निविष्टियों, पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु वृद्धिकारी निर्यातों पर आधारित शुल्क मुक्त ऋण की अनुमति देने हेतु दर्जा प्रमाण-पत्र धारक के लिए टारगेट प्लस स्कीम।

7. कुछेक कृषि तथा उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात पर पूंजीगत वस्तुओं (यथा अधिसूचित) सहित निविष्टियों अथवा वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देने के लिए विशेष कृषि उपज योजना स्कीम।

8. बुनियादी सुविधाओं के विकास आदि के लिए संबंधित राज्यों से निर्यातों के संवर्धन में भागीदारी हेतु राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करने के लिए निर्यातों के अवस्थापना विकास हेतु राज्यों को सहायता।

9. किसी देश तथा उत्पाद पर ध्यान केन्द्रिय करने के साथ मध्यावधि निर्यात संवर्धन प्रयासों के रूप में समग्र कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु बाजार पहुंच पहल स्कीम।

10. विदेशी अथवा भारत में व्यापार मेलों तथा क्रेता-विक्रेता बैठकों, निर्यात संवर्धन गोष्ठियों में भागीदारी आदि जैसे अनेक निर्यात संवर्धन कार्यकलापों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बाजार विकास सहायता स्कीम।

11. ब्रांड संवर्धन तथा गुणवत्ता सुधार आदि जैसे कार्यकलापों के संवर्धन हेतु अन्य स्कीमें।

ये सभी स्कीमें वेबसाइट www.nic.in/eximpol पर उपलब्ध हैं।

बाढ़

336. श्री मुन्शी राम:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री मोहन सिंह:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
मोहम्मद शाहिद:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री सुरेश अंगडि:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री मनसुखभाई डी. वसावा:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री रामदास आठवले:
श्री तथागत सत्पथी:
श्री मधु गौड़ यास्खी:
श्री जय प्रकाश (मोहन लाल गंज):
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री गणेश सिंह:
श्री परसुराम माझी:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:
श्री अजय चक्रवर्ती:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अभी हाल की बाढ़ के कारण हुई जान और माल की क्षति के संबंध में कोई मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय दलों ने बाढ़ प्रभावित राज्यों का दौरा किया है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे केन्द्रीय दलों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा ऐसे दलों की रिपोर्ट के आधार पर अब तक प्रदान की गयी सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार, प्रारंभिक अनुमानों के आधार पर, 2005 के चालू दक्षिणी-पश्चिमी मानसून के दौरान बाढ़ के कारण जान तथा माल को हुए नुकसान का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) राहत व्यय के लिए वित्त पोषण की मौजूदा स्कीम के अनसार, बाढ़ सहित प्राकृतिक विपत्तियों से प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास उपाय करना मुख्यतया राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। वास्तव में राहत का वितरण संबंधित राज्य सरकार की ही जिम्मेदारी है। जहां-कहीं आवश्यक हो, भारत सरकार वित्तीय तथा संभार तंत्र सहायता प्रदान कर राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है।

प्राकृतिक विपत्तियों को देखते हुए सब राज्यों को राहत एवं पुनर्वास सहायता दो तरह से दी जाती है: (1) हर राज्य के लिए एक विपत्ति राहत कोष (सी आर एफ) बनाया गया है। जिसमें भारत सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा 3:1 के अनुपात में अंशदान किया जाता है, (1) राज्य सरकारों द्वारा राहत व्यय सी आर एफ से पूरा किया जाना होता है। (2) यदि कोई विपत्ति हो और राज्य के सी आर एफ खाते में उपलब्ध धन पर्याप्त न हो तो निम्नलिखित स्थापित प्रक्रिया अपनाकर राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से राज्यों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाती है।

राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए इस मंत्रालय को केवल गुजरात, हिमाचल प्रदेश और नागालैण्ड राज्य सरकारों से ज्ञापन प्राप्त हुए। हुए नुकसान और धन की आवश्यकता का मौके पर ही मूल्यांकन करने के लिए अंतर-मंत्रालयीन केन्द्रीय दलों ने इन तीन राज्यों का दौरा किया। केन्द्रीय दलों की रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार इन रिपोर्टों पर कार्रवाई की जाएगी और यदि आवश्यक हुआ तो राष्ट्रीय विपत्ति आकस्मिकता निधि (एन सी सी एफ) से इन राज्यों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जाएगी।

संबंधित राज्य सरकारों ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक राहत कार्य चलाने के लिए विपत्ति राहत कोष (सी आर एफ) में उपलब्ध निधियों का उपयोग किया है।

विवरण

दक्षिणी-पश्चिमी मानसून-2005 के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ आदि के कारण हुई क्षति

(अनंतिम, 23.7.2005 के अनुसार)

क्र.सं.	राज्य	जिलों की कुल संख्या	प्रभावित जिलों की संख्या	प्रभावित तालुकों की संख्या	प्रभावित गांवों की संख्या	प्रभावित आबादी (लाख)	मानव क्षति (संख्या)	पशुधन की क्षति (संख्या)	प्रभावित फसल क्षेत्र (लाख हेक्टे.)	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या
1.	असम	27	14	एन आर	438	2.30	13	शून्य	0.22	97
2.	आंध्र प्रदेश	23	9	एन आर	एन आर	एन आर	17	एन आर	0.02	8,706
3.	अरुणाचल प्रदेश	16	10	34	766	0.88	6	582	0.12	3,204
4.	बिहार	38	3	3	60	0.93	शून्य	शून्य	0.005	16
5.	गोवा	2	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	1	6	शून्य	92
6.	गुजरात	25	20	117	10,000	19.51	213	7,563	3.66	161628
7.	हरियाणा	20	9	एन आर	86	0.01	9	39	0.13	227
8.	हिमाचल प्रदेश	12	7	46	195	2.83	8	3,078	0.16	2.854
9.	जम्मू-कश्मीर	14	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
10.	कर्नाटक	27	एन आर	एन आर	एन आर	1.88	75	115	0.04	2,838
11.	केरल	14	10	21	56	0.38	60	402	0.008	5,654
12.	मध्य प्रदेश	48	9	एन आर	3,104	18.18	63	63,593	एन आर	88,613
13.	महाराष्ट्र	35	4	25	एन आर	एन आर	23	400	एन आर	एन आर
14.	मेघालय	7	2	2	25	0.07	1	एन आर	एन आर	एन आर
15.	नागालैण्ड	11	1	एन आर	एन आर	एन आर	15	एन आर	एन आर	214
16.	उड़ीसा	30	5	9	359	3.65	1	शून्य	0.20	एन आर
17.	पंजाब	17	7	एन आर	197	एन आर	23	107	1.63	192
18.	राजस्थान	27	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	44	एन आर	एन आर	एन आर
19.	सिक्किम	4	3	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	6	एन आर	4
20.	तमिलनाडु	30	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	17	43	एन आर	80
21.	उत्तर प्रदेश	70	13	20	452	2.77	29	46	0.84	8,489
22.	उत्तरांचल	13	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर	एन आर
23.	पश्चिम बंगाल	19	5	एन आर	3	0.01	10	एन आर	एन आर	120
	कुल	529	131	277	15741	53.4	628	75980	7.033	283028

नोट: एन आर-रिपोर्ट नहीं किए गए।

[अनुवाद]

सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम

337. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक समिति गठित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के सदस्य कौन-कौन हैं तथा तत्संबंधी विचारार्थ विषय क्या हैं और इसका गठन किन परिस्थितियों में हुआ;

(ग) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हैं;

(घ) यदि हां, तो इस समिति की मुख्य टिप्पणियां और सिफारिशें क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां। श्रीमान।

(ख) न्यायमूर्ति श्री बी.पी. जीवन रेड्डी, सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 के उपबंधों की पुनरीक्षा समिति के अध्यक्ष थे। अन्य सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:

(1) डाक्टर एस.बी. नाकाडे, भूतपूर्व कुलपति और विधिवेत्ता,

(2) श्री पी पी श्रीवास्तव, भूतपूर्व विशेष सचिव, गृह मंत्रालय;

(3) लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत) वी. आर राघवन, भूतपूर्व डायरेक्टर जनरल मिलिट्री आपरेशन,

(4) श्री संजय हजारिका, पत्रकार

इस समिति के विचारार्थ विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल थे:

(1) मानवधिकारों की सुरक्षा के लिए सरकार के दायित्वों के अनुरूप अधिनियम के उपबंधों में संशोधन करना; अथवा

(2) एक और मानवोचित अधिनियम द्वारा इस अधिनियम को प्रतिस्थापित करना, अथवा

(3) ऐसे अन्य विधायी उपायों की सिफारिश करना जो समुचित पाये गए हों।

सशस्त्र बल (विशेष शक्ति) अधिनियम, 1958 के उपबंधों की समीक्षा के लिए आम जनता और सामाजिक समूहों द्वारा की गई मांग को देखते हुए समिति का गठन किया गया था।

(ग) जी हां।

(घ) और (ङ) इस विषय से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समिति की सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है।

मंगलौर में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए आर्थिक क्षेत्र

338. श्री डी. वी. सदानन्द गौडा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंगलौर में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए उत्पाद विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र हेतु प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लंबित है;

(ग) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है; और

(घ) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) 49.34 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड द्वारा प्रोन्नत मंगलौर दक्षिण कन्नड़ जिले में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र हेतु एक विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने के लिए कर्नाटक सरकार से हाल में प्राप्त प्रस्ताव पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है। इस प्रस्ताव पर जल्दी ही अंतिम निर्णय लिये जाने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

विवाह के अनिवार्य पंजीकरण संबंधी विधि

339. श्री सुरेश चन्देल: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार विभिन्न राज्यों में 12 से 14 वर्ष आयु वर्ग की लड़कियों के सामूहिक विवाह खुलेआम किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बड़ी संख्या में बाल विवाहों को ध्यान में रखते हुए विवाह पंजीकरण अनिवार्य करने के लिए एक विधि अधिनियमित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नया विज्ञान कब तक अधिनियमित किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) राष्ट्रीय महिला आयोग ने बाल विवाह के संबंध में कोई सर्वेक्षण आयोजित नहीं किया। तथापि, राष्ट्रीय महिला आयोग अक्षय तीज के दौरान ऐसे राज्यों में अपने दल भेजता है, जहां बाल विवाह अधिक संख्या में होते हैं, ताकि इन राज्यों में बाल विवाहों को रोकने के लिए अभियान चलाया जा सके। यह पाया गया है कि अक्षय तीज के अवसर पर ऐसे छोटे बच्चों के बड़ी संख्या में विवाह किए जाते हैं, जो विवाह के लिए कानूनी तौर पर निर्धारित 18 वर्ष की आयु से छोटे होते हैं। आयोग के दलों द्वारा तैयार रिपोर्टों को उचित कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेजा जाता है, ताकि उन राज्यों में बाल विवाहों को रोका जा सके।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास

340. **श्री हन्नान मोल्लाह:**
श्री ई. पोन्नुस्वामी:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:
श्री ए. साई प्रताप:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अभी तक सुनामी पैकेज लागू नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक राज्यवार कुल कितनी पैकेज राशि जारी की गई और कितनी खर्च की गई;

(घ) आरंभ की गई परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) चूककर्ता राज्यों के विरुद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है; और

(च) प्रभावित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सुनामी राहत पैकेज को शीघ्र लागू कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (च) अनाथों, 18वर्ष की आयु से ऊपर की अविवाहित लड़कियों, विधवाओं और अपंग व्यक्तियों को विशेष राहत के अलावा तत्काल राहत और कार्रवाई, मछली पालन तथा कृषि क्षेत्रों का पुनरुद्धार करने, अस्थायी (अन्त:स्थ) आवासों का निर्माण करने, आधारभूत ढांचे की तत्काल मरम्मत/पुन: स्थापित करने के लिए सहायता उपलब्ध करने हेतु आंध्र प्रदेश केरल, तमिलनाडु, तथा पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की सरकारें ''सुनामी प्रभावित क्षेत्रों के लिए राजीव गांधी पुनर्वास पैकेज'' नामक 3644,05 करोड़ रुपए का विशेष संलग्न पैकेज कार्यान्वित कर रही है। पैकेज के प्रभावित राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि 80.80 करोड़ रु. खर्च किए जा रहे हैं। केरल सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 81.78 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं जिसमें से 58.14 करोड़ रु. खर्च कर दिए गए हैं। तमिलनाडु सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने 1071.89 करोड़ रु. स्वीकृत किए थे जिसमें से 827.98 करोड़ रु. जारी कर दिए गए हैं। पांडिचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के संघ शासित क्षेत्रों ने सूचित किया है कि उनके द्वारा अब तक क्रमश: 60.47 करोड़ रु. और 184.38 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। पैकेज का त्वरित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रभावित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने उपयुक्त कार्यान्वयन, मानिटरिंग तथा समीक्षा तंत्र स्थापित किया है।

विवरण

सुनामी प्रभावित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों हेतु राहत पैकेज

(रु. करोड़ में)

क. मुख्य भूमि:

राज्य	सी आर एफ/एन सी सी एफ	अन्य मंत्रालय	मात्स्यकी क्षेत्र		फिशिंग हार्बर अनुदान	आवास	कुल
			इमदाद	ऋण			
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	19.53	13.00	27.66	7.51	–	2.30	70.00

1	2	3	4	5	6	7	8
केरल	84.10	23.21	44.85	34.13	13.07	50.00	249.36
तमिलनाडु	617.20	62.50	441.08	566.47	9.94	650.00	2347.19
उप जोड़	720.83	98.71	513.59	608.11	23.01	702.30	2666.55
पांडिचेरी	39.78	2.5	32.01	31.13	0.20	50.00	155.62
कुल जोड़	760.61	101.21	545.60	639.24	23.21	752.30	2822.17

टिप्पणी: मछलीपालन क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किए गए अतिरिक्त 91.13 करोड़ रुपए शामिल हैं (तमिलनाडु 84.54 करोड़ रुपए, केरल 3.42 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 1.01 करोड़ रुपए और पांडिचेरी 2.16 करोड़ रुपए)।

सी आर एफ: आपदा राहत निधि

एन सी सी एफ: राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि

ख. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

(रु. करोड़ में)

	कवर की गई सहायता	धनराशि	टिप्पणी
(क)	सी आर एफ/एन सी सी एफ मानदंडों के अनुसार सहायता	313.19	पेयजल अपूर्ति विभाग के बजट में से ए आर डब्ल्यू एस पी से 15.37 करोड़ रुपए इसमें शामिल हैं।
(ख)	मान की छूट के साथ मानदंडों के अंतर्गत कवर की गई सहायता	215.65	एस जी आर वाई के अंतर्गत 7.50 करोड़ के 7,500 मीट्रिक टन खाद्यान्न (चावल) इसमें शामिल हैं।
1.	विशेष पैकेज के साथ मानदंडों के अंतर्गत कवर की गई सहायता		
(1)	आर्थिक गतिविधि का पुनरुद्धार		
	(क) मछुवारे	15.01	
	(ख) कृषि	239.54	
(2)	अनाथ, विधवा, अपंग, अविवाहित लड़कियों का पुर्नवास	8.60	
(3)	प्रशासनिक और आधारभूत संरचना गतिविधि का तत्काल पुनःस्थापना	29.89	
	कुल योग	821.88	

ए आर डब्ल्यू एस पी: संवर्द्धित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम।

एस जी आर वाई: संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना।

(ग) कुल पैकेज (क+ख) 3644.05 करोड़ रु.।

कॉफी उगाने वाले किसानों को बीमा कवर

341. श्री डी. विट्ठल राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में कॉफी उगाने वाले किसानों के लिए कोई बीमा योजना आरंभ की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारतीय कृषि बीमा कंपनी लि. ने वर्ष 2005 के दौरान कर्नाटक के हासन, चिकमंगलूर और कुर्ग जिलों में प्रयोग के तौर पर कॉफी उपजकर्ताओं के लिए कॉफी रेनफाल इंडेक्स एंड एरिया यील्ड (सीआरआईएवाई) इंश्योरेंश की शुरुआत की है। इस बीमा पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसी की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिकतम बीमित राशि के अधीन रहते हुए (क) वास्तविक वर्षा इंडेक्स में गिरावट और (ख) अन्य न रोके जा सकने वाले प्राकृतिक कारकों के कारण पैदावार में कमी के परिणामस्वरूप कॉफी उत्पादन/पैदावार में होने वाली कमी की संभावना के लिए बीमाधारक को क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है। इस समय उपजकर्ता अरेबिका के मामले में 35,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर और रोबस्टा के मामले में 25,000/- रुपए प्रति हेक्टेयर की अधिकतम राशि के लिए बीमा करवा सकते हैं। मिश्रित उत्पाद के लिए औसत प्रीमियम दर लगभग 4-5% है लेकिन इसमें काफी के प्रकार, स्थान, पूर्ववर्ती वर्षों के आंकड़ों, पूर्ववर्ती पैदावार आंकड़ों, बीमित राशि, चुने गये आरंभिक स्तरों और कृषि के अंतर्गत आने वाले रकबे के आधार पर काफी अंतर होता है।

लघु उद्योगों के लिए प्रशिक्षण

342. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार लघु उद्योगों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने वाले संस्थानों को धनराशि प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थान-वार, राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने लघु उद्योगों के क्षेत्र में प्रशिक्षण देने के लिए वित्तपोषण की कमी को पूरा करने के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, हां।

(ख) उद्यमिता विकास संस्थान (ईडीआई) योजना के अंतर्गत, विद्यमान, उद्यमिता विकास संस्थानों की आधारिक संरचना को सुदृढ़ करने तथा नए संस्थानों की स्थापना के लिए भी वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्माण, उपकरणों, प्रशिक्षण सामग्रियों, आदि के लिए संस्थानों को 1 करोड़ रु. तक का एकमुश्त का पूंजी अनुदान प्रदान किया जाता है। शेष राशि संबंधित राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के किसी वित्तीय संस्थान द्वारा समतुल्य राशि के अंशदान के रूप में प्रदान की जाती है। योजना के आरंभ से लेकर 31.3.2005 तक संस्थानों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

उद्यमिता विकास संस्थाओं को 31.3.2003 तक प्रदान की गई वित्तीय सहायता

क्र.सं.	संस्थान का नाम	राज्य	राशि (लाख रु. में)
1	2	3	4
1.	उद्यमिता विकास संस्थान, लखनऊ	उत्तर प्रदेश	50.00
2.	ग्रामीण विकास एवं स्व. रोजगार प्रशिक्षण संस्थान गाजियाबाद	उत्तर प्रदेश	22.50
3.	कर्नाटक उद्यमिता विकास केन्द्र, धारवाड़	कर्नाटक	50.00
4.	मध्य प्रदेश उद्यमिता विकास केन्द्र, भोपाल	मध्य प्रदेश	95.00
5.	महाराष्ट्र राज्य उद्यमिता विकास केन्द्र, औरंगाबाद	महाराष्ट्र	65.00

1	2	3	4
6.	उद्यमिता विकास संस्थान, भुवनेश्वर	उड़ीसा	80.00
7.	केरल उद्यमिता विकास संस्थान, कोचीन	केरल	90.00
8.	उद्यमिता विकास केन्द्र, मदुरै	तमिलनाडु	50.00
9.	उद्यमिता विकास संस्थान, चेन्नई	तमिलनाडु	100.00
10.	त्रिचुरापल्ली क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज-विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी उद्यमिता पार्क, त्रिचुरापल्ली	तमिलनाडु	90.33
11.	उद्यमिता एवं प्रबन्ध विकास संस्थान, जयपुर	राजस्थान	50.00
12.	उद्यमिता एवं लघु व्यापार केन्द्र, अजमेर	राजस्थान	100.00
13.	उद्यमिता विकास केन्द्र, हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	25.00
14.	भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान, अहमदाबाद	गुजरात	98.00
15.	उद्यमिता विकास केन्द्र, गांधीनगर	गुजरात	50.00
16.	उद्यमिता विकास संस्थान, रांची	झारखंड	100.00
17.	उद्यमिता विकास संस्थान, कोलकाता	पश्चिम बंगाल	50.00
18.	उद्यमिता विकास संस्थान, परवानू	हिमाचल प्रदेश	50.00
19.	उद्यमिता विकास केन्द्र, गुड़गांव	हरियाणा	50.00
20.	उद्यमिता विकास संस्थान, श्रीनगर	जम्मू-कश्मीर	40.00
21.	उद्यमिता विकास संस्थान, पटना	बिहार	62.00
22.	त्रिपुरा राज्य उद्यमिता विकास केन्द्र, अगरतला	त्रिपुरा	26.10

[हिन्दी]

उल्फा के साथ वार्ता

343. **प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:**
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री अविनाश राय खन्ना:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने असम में सक्रिय अलगाववादी संगठन उल्फा से क्षेत्र में शांति लाने के लिए वार्ता की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपर्युक्त वार्ता के परिणामस्वरूप क्या निर्णय लिया गया; और

(घ) उपर्युक्त शांति वार्ता की वर्तमान स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) सरकार को यूनाइटिड लिब्रेशन फ्रंट आफ असम (उल्फा) से शांति वार्ता करते हेतु अपीलें प्राप्त हुई हैं।

(ख) इनसे, भारत सरकार के साथ बिना पूर्व शर्तों के वार्ता करने के संबंध में उल्फा की इच्छा का पता चलता है तथा उन्होंने प्रभुसत्ता की अपनी ''कोर मांग'' का भी विशेष रूप से संदर्भ दिया है।

(ग) और (घ) इसके उत्तर में यह दोहराया जाता है कि भारत सरकार ने ऐसे सभी ग्रुपों, जो हिंसा का मार्ग त्यागने के लिए तैयार हैं, से बातचीत करने की अपनी इच्छा लगातार प्रकट की है।

[अनुवाद]

प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

344. **श्री सर्बानन्द सोनोवाल:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में संभावित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के द्वार खोल दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई ठोस नीति बनाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के माध्यम से प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में कितना सुधार होने का अनुमान है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) औद्योगिक नीति तथा प्रोन्नयन विभाग द्वारा 11 फरवरी, 2000 को जारी आदेश सं. 7(4) 2000-आई.पी. के जरिए शिक्षा के सभी क्षेत्रों, जिनमें प्रारंभिक शिक्षा भी शामिल है, में फरवरी, 2000 से बिना कोई क्षेत्रीय सीमा निर्धारित किए ऑटोमेटिक रूट के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी जाती है। प्रारंभिक शिक्षा में विदेशी निवेश के संबंध में एक क्षेत्रीय नीति तैयार की जा रही है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत दिल्ली और पश्चिम बंगाल को धन का आबंटन

345. **श्री जोवाकिम बखला:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तिथि तक प्रधान मंत्री रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को राज्य-वार कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) उस अवधि के दौरान उपरोक्त राज्यों में इस योजना के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने धन की निगरानी करने और सभी राज्यों में योजना के समुचित क्रियान्वयन हेतु कोई निगरानी प्रकोष्ठ गठित किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या यह सच है कि इस योजना से शिक्षित बेरोजगार युवकों को लाभ नहीं मिल रहा है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पी एम आर वाई) के अंतर्गत पिछले दो वर्षों अर्थात 2003-04 और 2004-05 के दौरान उद्यमिता विकास प्रशिक्षण, आकस्मिकताओं, आदि के लिए जारी की गई एवं 2003-04 के दौरान प्रयुक्त की गई राशियों का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। 2004-05 के दौरान राज्यों को जारी की गई निधियों की उपयोगिता संवितरण को पूरा करने की निर्धारित कॅट-ऑफ तारीख के पश्चात उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, पी एम आर वाई के अंतर्गत व्यक्तिगत आवेदकों को जारी की जाने वाली सब्सिडी के लिए केन्द्रीय निधियां भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) के माध्यम से दी जाती हैं, जो तत्पश्चात इन लाभार्थियों के ऋण खातों में राशियां क्रेडिट करने के लिए इन्हें कार्यान्वयन बैंकों के पास भेज देता है।

(ग) और (घ) पी.एम.आर.वाई. के लिए निगरानी तंत्र में जिला कलैक्टरों की अध्यक्षता के अंतर्गत जिला पी.एम.आर.वाई. समितियां तथा संबंधित मुख्य सचिवों की अध्यक्षता के अंतर्गत राज्य पी एम आर वाई समितियां शामिल हैं। ये समितियां निधियों की उपयोगिता तथा योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की जिला/राज्य स्तर पर समीक्षा करती हैं।

(ङ) जी, नहीं। 2003-04 के दौरान 2.70 लाख के लक्ष्य की तुलना में 2.18 लाख स्वयं-नियोजित उद्यमों तथा 2004-05 के दौरान 2.50 लाख के लक्ष्य की तुलना में 1.82 लाख (अनंतिम) स्वयं-नियोजित उद्यमों को ऋण संवितरित किए गए हैं। 2004-05 के लिए पूरे आंकड़े भारतीय रिजर्व बैंक से अभी प्राप्त किए जाने हैं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

विवरण

पी.एम.आर.वाई. के अंतर्गत उद्यमिता विकास, प्रशिक्षण, आकस्मिकताओं आदि के लिए आबंटित एवं प्रयुक्त निधियों का राज्य-वार ब्यौरा

(राशि लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2003-04		2004-05	
		जारी निधियां	प्रयुक्त की गई निधियां	जारी निधियां	प्रयुक्त की गई निधियां
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	191.44	एनआर	293.34	
2.	असम	58.97	67.13	100.71	
3.	अरुणाचल प्रदेश	3.47	4.08	5.39	
4.	बिहार	101.54	एन आर	19.87	
5.	छत्तीसगढ़	36.08	26.34	50.84	
6.	दिल्ली	0.00	एन आर	0.00	
7.	गोवा	0.00	एन आर	0.00	
8.	गुजरात	20.27	40.06	53.07	
9.	हरियाणा	68.99	45.15	74.20	
10.	हिमाचल प्रदेश	19.48	13.34	5.12	
11.	जम्मू-कश्मीर	13.16	एन आर	0.00	
12.	झारखंड	0.00	8.43	34.56	
13.	कर्नाटक	148.93	105.36	173.19	
14.	केरल	112.21	130.20	175.75	
15.	मध्य प्रदेश	149.93	152.58	265.38	
16.	महाराष्ट्र	191.31	78.09	173.92	
17.	मणिपुर	5.57	एन आर	4.55	
18.	मेघालय	7.10	5.43	8.29	
19.	मिजोरम	3.61	2.00	3.24	
20.	नागालैण्ड	1.00	7.76	17.12	
21.	उड़ीसा	91.34	95.89	147.50	

1	2	3	4	5	6
22.	पंजाब	78.18	एन आर	81.45	
23.	राजस्थान	106.01	87.71	104.30	
24.	तमिलनाडु	147.94	104.50	136.75	
25.	त्रिपुरा	18.23	21.96	21.24	
26.	उत्तर प्रदेश	402.53	433.40	644.91	
27.	उत्तरांचल	25.83	7.32	92.76	
28.	पश्चिम बंगाल	0.00	21.67	19.12	
29.	अंडमान निकोबार	1.06	एन आर	2.51	
30.	चंडीगढ़	0.47	एन आर	1.02	
31.	दमन और दीव	0.04	एन आर	0.03	
32.	दादर नगर हवेली	0.15	एन आर	0.20	
33.	लक्षद्वीप	0.12	एन आर	0.14	
34.	पांडिचेरी	5.37	एन आर	4.74	
35.	सिक्किम	0.48	एन आर	0.25	
	कुल	2010.20	1458.42	2715.43	

एन आर: सूचित नहीं किए गए

नोट: वर्ष 2003-04 के दौरान जारी की गई राशियों की तुलना में उच्चतर प्रयुक्त राशियां दिखाने वाले राज्यों के पास पिछले वर्षों में जारी की गई राशियों से पर्याप्त निधियां उपलब्ध थी।

*वर्ष 2004-2005 के लिए जारी की गई निधियों से प्रयुक्त की गई राशियां संवितरण को पूरा करने के लिए निर्धारित कँट ऑफ तारीख के पश्चात उपलब्ध होंगी।

[हिन्दी]

युवाओं में उद्यमिता का विकास

346. श्री शिवराज सिंह चौहान: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने युवाओं में उद्यमिता विकसित करने के लिए कोई योजना तैयार की है ताकि वे लघु उद्योग लगा सकें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों हेतु इस योजना के अंतर्गत लक्ष्य निर्धारित किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस योजना के क्रियान्वयन में कोई बाधा पाई गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इनको दूर करने हेतु क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) केन्द्र सरकार ने शिक्षित युवाओं के स्वरोजगार के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) नामक एक योजना आरंभ की है जिसमें उन्हें लघु औद्योगिक व सेवा उद्यमों की स्थापना के लिए 2 लाख रुपये तक की सहायता

प्रदान की जाती है। यह एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है जो देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने जिला उद्योग केन्द्रों (डीआईसी) और बैंकों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है। इस योजना के तहत, बैंकों द्वारा परियोजना व्यय का 80 प्रतिशत ऋण के रूप में दिया जाता है और शेष 20 प्रतिशत केन्द्र सरकार की सब्सिडी और लाभार्थी के मार्जिन मनी योगदान के द्वारा प्राप्त किया जाता है।

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों, अर्थात, क्रमशः 2002-2003, 2003-04 और 2004-2005 के लिए इस योजना के तहत 2.20 लाख, 2.20 लाख और 2.50 लाख परियोजनाओं के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं।

(ङ) और (च) योजना के कार्यान्वयन में आने वाले अवरोधों में शामिल हैं, परियोजनाओं की अंडर फाइनेंसिंग और बैंकों द्वारा कोलेटरल सिक्योरिटी का आग्रह, यह कार्य करने के लिए आवेदकों को आवश्यक स्वीकृति/क्लीयरेंस प्राप्त करने में विलंब/कठिनाई, शेड का आबंटन, विद्युत कनेक्शन, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एजेंसियों से जलापूर्ति, ऋणों की निम्न वसूली के कारण बैंकों द्वारा आगे लेंडिंग प्रभावित होना, इत्यादि। उठाए गए सुधारात्मक कदमों में शामिल है, जीवनक्षम इकाइयों की स्थापना पर जोर के साथ योजना के तहत प्रशिक्षण विषयवस्तु का पुनर्निर्माण, परियोजनाओं को कम वित्त प्रदान न करने और कोलेटरल सिक्योरिटी का आग्रह न करने के भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का दुहराव और निर्धारित तिमाही कार्यक्रमों के अनुसार वर्णित समय सीमाओं के भीतर प्राप्त आवेदनों का निपटारा, बैंकों और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र डीआईसी अधिकारियों के संयुक्त प्रयासों के द्वारा ऋणों की वसूली में सुधार करना, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से स्थानीय क्लीयरेंसों को तेज करने का आग्रह करना, इत्यादि।

[अनुवाद]

केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती

347. **श्री परसुराम माझी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का वर्ष-वार और बल-वार ब्यौरा क्या है जिनमें गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों की तैनाती की गई है;

(ख) केन्द्र द्वारा अर्द्ध सैनिक बलों की तैनाती के एवज में इन राज्यों से वर्ष-वार और बल-वार कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(ग) क्या कुछ राज्यों ने केन्द्र से इन बलों की तैनाती की लागत की प्रतिपूर्ति के दावे को वापस लेने का अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को मुख्यतः जम्मू एवं कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित राज्यों में तैनात किया जाता रहा है। तैनाती प्रभार, छूट प्राप्त श्रेणी के राज्यों को छोड़कर, विभिन्न राज्यों से सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों पर वसूल किये जाते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान बलवार बकाया राशि निम्नलिखित हैं:

(करोड़ में)

बल	2002-03	2003-04	2004-05
सी. सु. बल	15.25	19.51	15.27
के. रि. पु. बल	461.27	367.37	456.39
भा. ति. सी. पु.	0.38	1.59	4.15
के. औ. सु. बल	69.72	36.55	34.56
एस. एस. बी.	0.04	0.14	1.38

(ग) जी हां।

(घ) राज्यों की तैनाती प्रभारों की वसूली से संबंधित नीति बनाते समय राज्यों के अनुरोधों को ध्यान में रखा जाता है।

[हिन्दी]

निर्यातक कंपनियों को प्रोत्साहन देने की योजना

348. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में निर्यातक कंपनियों को प्रोत्साहन देने हेतु सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं कौन सी हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और इसके पश्चात इन योजनाओं के अंतर्गत योजना-वार और राज्य-वार कितना धन आबंटित किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने इन योजनाओं की कोई समीक्षा की है;

(घ) यदि हां, तो यह समीक्षा कब की गई और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) इन परिणामों के आधार पर सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) निर्यातों के संवर्धन हेतु बाजार विकास सहायता स्कीम (एमडीए) और बाजार पहुंच पहल स्कीम (एमएआई) चलाई जा रही हैं। इन स्कीमों के अंतर्गत उत्पाद-विशिष्ट निर्यात संवर्धन परिषदों, अलग-अलग निर्यातकों और अन्य व्यापार निकायों को विदेशों में उनके निर्यात संवर्धनात्मक कार्यकलापों के लिए अनुदान जारी किए जाते हैं जो राज्य-वार नहीं होते है। पिछले तीन वर्षों के दौरान और उसके बाद इन स्कीमों के अंतर्गत जारी निधियों का आबंटन निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

स्कीम	2002-2003	2003-2004	2004-2005	2005-2006
एमडीए	45.00	52.00	55.00	55.00
एमएआई	42.00	44.00	102.24	40.00

उपर्युक्त के अलावा विदेश व्यापार नीति 2004-09 के माध्यम से अनेक निर्यात संवर्धन स्कीमें प्रचालित की जा रही हैं। इनमें अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम जिसमें निर्यात उत्पादन हेतु शुल्क मुक्त निविष्टियों का प्रावधान है, किसी निर्यात उत्पाद की मानक आयात मात्रा पर वहन किए गए सीमाशुल्क के भार को निष्प्रभावी बनाने के आशय के लिए शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम, निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम जिसमें निर्यात उत्पादन हेतु सीमाशुल्क की रियायती दर पर मशीनों और उपकरण के आयात का प्रावधान है, टार्गेट प्लस स्कीम के रूप में रिवार्ड स्कीम जिसका उद्देश्य निर्यातों की वृद्धि को तेज करना और अधिक कार्य निष्पादन करने वाले स्टार एक्सपोर्ट हाऊस को लाभ प्रदान करना है, फलों, फूलों, सब्जियों, लघु वनोत्पादों, डेयरी, कुक्कुट और उनके मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात का संवर्धन करने के लिए विशेष कृषि उपज योजना, सेवा निर्यात के संवर्धन हेतु सर्व्ड फ्राम इंडिया स्कीम और मानद निर्यात वापसी स्कीम जिसका उद्देश्य मानद निर्यातों पर वहन लिए गए उत्पाद शुल्क के भारत को निष्प्रभावी बनाना है, शामिल हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा "विदेश व्यापार नीति 2002-09" नामक पुस्तिका में उपलब्ध है और प्रक्रियात्मक पहलू "प्रक्रिया पुस्तिका (खंड-1) 2004-09" नामक पुस्तिका में दर्शाये गए हैं। उपर्युक्त सभी स्कीमों (मानद निर्यातों हेतु शुल्क वापसी स्कीम को छोड़कर) के लिए कोई विशिष्ट निधियां आबंटित नहीं की जाती हैं क्योंकि ये स्कीमें या तो पावती पत्र के रूप में या लाइसेंसों के रूप में चलाई जाती हैं और इसमें कोई नकद प्रतिपूर्ति शामिल नहीं है। तथापि, विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रचलित निर्यातों हेतु शुल्क वापसी स्कीम के लिए नकद प्रतिपूर्ति की जाती है। पिछले तीन वर्षों में मानद निर्यात शुल्क वापसी स्कीम को प्रचालित करने के लिए आबंटित की गई निधि निम्नानुसार हैं:

वर्ष	करोड़ रुपए में
2002-2003	353.00
2003-2004	418.51
2004-2005	405.77

(ग) से (ङ) स्कीमों की समीक्षा समय-समय पर की जाती है। हाल में एमडीए स्कीम को निर्यात के और अधिक अनुकूल बनाने के लिए विदेशों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों में सीधे भागीदारी करने की अनुमति दी गई है और एमडीए अनुदान का दावा करने हेतु उनकी पात्रता की सीमा को बढ़ाकर 10.00 करोड़ रुपए तक कर दिया गया है।

विदेश व्यापार नीति के माध्यम से प्रचालित स्कीमों की विभिन्न व्यापार और उद्योग एसोसिएशनों से प्राप्त निविष्टियों के आधार पर वार्षिक समीक्षा की जाती है। ऐसी समीक्षाओं में इन स्कीमों का अधिक से अधिक फायदा उठाने के लिए इनको और अधिक कारगर और सरल बनाने की दृष्टि से प्रक्रियाओं को सरल बनाने पर बल दिया जाता है।

[अनुवाद]

नकली सूटिंग्स का आयात

349. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन से नकली वोर्स्टड सूटिंग का आयात हमारे सूटिंग उद्योग के लिए खतरा है जैसाकि दिनांक 30.6.2005 के बिजनेस लाइन में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या हैं; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (ग) ऊनी वस्त्रों तथा ऊन मिश्रित वस्त्रों के रेशा मिश्रण, ग्रेड तथा संघटन की गलत घोषणा के बारे में सरकार

को व्यापार जगत से अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए। उनके उत्तर में सरकार ने दिनांक 22.2.2005 को अधिसूचना सं. 26/2004-09 जारी की जिसके तहत ऊनी वस्त्रों तथा ऊन मिश्रित वस्त्रों के सभी आयातों के लिए रेशा मिश्रण के संघटन का उल्लेख करते हुए अंकन या किनारी विवरण दर्शाना आवश्यक कर दिया गया। सभी आयातों के साथ उद्गम के देश की राष्ट्रीय प्रत्यायन एजेंसी द्वारा अधिकृत वस्त्र परीक्षण प्रयोगशाला का लदान-पूर्व निरीक्षण प्रमाण-पत्र भेजना होगा। आयातों के साथ ब्रांडस स्वामियों द्वारा उत्पाद तथा अंकनों की वास्तविकता के साथ-साथ ब्रांड नाम का प्रयोग करने के प्राधिकार को प्रमाणित करते हुए उद्गम संबंधी प्रमाण-पत्र भी भेजना होगा।

विशेष आर्थिक जोन की स्थापना

350. **श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:**
श्री प्रहलाद जोशी:
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में विशेष आर्थिक जोनों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) इन जोनों का प्रयोजन एवं उद्देश्य क्या है;

(ग) इन विशेष आर्थिक जोनों को राज्य-वार किन स्थानों पर स्थापित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने अपने यहां कतिपय क्षेत्रों को विशेष आर्थिक जोन घोषित करने हेतु अपने प्रस्ताव भेजे हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(च) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) इनको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) इस समय काण्डला और सूरत (गुजरात), सांताक्रुज (महाराष्ट्र) कोचिन (केरल), चेन्नई (तमिलनाडु), विशाखापत्तनम (आंध्र प्रदेश), फाल्टा एवं साल्ट लेक, मणिकंचन (प. बंगाल), नौएडा (उ. प्र.), इन्दौर (मध्य प्रदेश) और जयपुर (राजस्थान) में 11 विशेष आर्थिक जोन (एसईजैड) कार्य कर रहे हैं।

(ख) विशेष आर्थिक जोनों के उद्देश्य एवं लक्ष्यों में माल एवं सेवाओं के निर्यातों का संवर्धन करना, अतिरिक्त आर्थिक कार्यकलाप का सृजन करना, घरेलू एवं विदेशी संसाधनों से निवेश को बढ़ावा रोजगार के अवसरों का सृजन करना एवं बुनियादी सुविधाओं का विकास करना शामिल है।

(ग) अब तक नवी मुम्बई, कोप्टा (महाराष्ट्र), मुद्रा, पोसित्रा, दहेज, हजिरा, इच्छापोर (सूरत) (गुजरात), हसन, बेकमपडी, (कर्नाटक), मुरादाबाद, भदोही, कानपुर, ग्रेटर नोएडा, (उत्तर प्रदेश), काकिनाड़ा, विशाखापट्टनम (आंध्र प्रदेश) वल्लारपदम, कक्कानचेरी, कलामसेरी (केरल), नानगुनेरी, एन्नोर, महिन्द्रा सिटी (निकट चेन्नई), श्रीपेरुमबुदुर (तमिलनाडु), पारादीप, गोपालपुर (उड़ीसा), गुड़गांव, (हरियाणा), सेदारपेट-करसुर (पांडिचेरी), आदित्यपुर रांची, (झारंखड) और चंडीगढ़ में 42 नए विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना करने की मंजूरी दी गयी है।

(घ) से (छ) मंगलोर, बंग्लौर, हसन (कर्नाटक), शास्त्रीपार्क (नई दिल्ली), गाजियाबाद (उ. प्र.), मोहाली, अमृतसर (पंजाब), अहमदाबाद (गुजरात), नागपुर (महाराष्ट्र), त्रिवेन्द्रम (केरल) और गुड़गांव (हरियाणा) में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के जरिए हाल ही में प्राप्त प्रस्तावों पर सरकार विचार कर रही है और शीघ्र ही अंतिम निर्णय लिए जाने की आशा है।

लौह अयस्क की खरीद एवं इसका निर्यात

351. **श्री अनन्त नायक:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्यात उद्देश्यों हेतु उड़ीसा की खानों से कुल कितनी मात्रा में लौह अयस्क की खरीद की गई;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान उस राज्य से लौह अयस्क की खरीद/निर्यात में तीव्र कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं।

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) अनेक अभिकरणों नामतः खान मालिकों, एमएमटीसी लि. एवं व्यापारियों द्वारा निर्यात के उद्देश्य से लौह अयस्क की खरीद की जाती है। उड़ीसा की खानों से खरीदे गए लौह अयस्क का निर्यात पारादीप, हल्दिया, विशाखापट्टनम बंदरगाहों

के जरिए किया जाता है। बिहार एवं झारखंड जैसे पड़ोसी राज्यों से खरीदे गए लौह अयस्क का निर्यात भी इन्हीं बंदरगाहों के जरिए किया जाता है। चूंकि उपर्युक्त राज्यों से खरीदे गए लौह अयस्क को बंदरगाहें पर अलग से इकट्ठा नहीं किया जाता है इसलिए उसके उद्‌गम के बारे में पता चल पाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा, बिहार एवं झारखंड राज्यों से खरीदे गए एवं पारादीप, हल्दिया तथा विशाखापट्नम बंदरगाहों से निर्यात किए गए लौह अयस्क के ब्यौरे निम्नानुसार हैं;

(मात्रा: लाख टनों में)

बंदरगाह	2002-2003	2003-2004	2004-2005 (अनंतिम)
पारादीप	41.33	54.78	90.50
हल्दिया	26.94	37.41	49.66
विशाखापट्टनम	-	12.04	14.84
कुल	68.27	104.23	155.00

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

बच्चों का यौन शोषण

352. **श्री कीर्ति वर्धन सिंह:**
श्री के. सुब्बारायण:
श्री गुरुदास दासगुप्त:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के यौन शोषण पर एक धर्मार्थ संगठन द्वारा दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में किए गए अध्ययन की ओर आकृष्ट किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि भारत में बच्चों के यौन-शोषण के मामलों की संख्या सर्वाधिक हो सकती है जैसाकि दिनांक 4 जुलाई, 2005 के ''दि हिन्दु'' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार देश में बच्चों के यौन-शोषण के स्तर और फैलाव का पता करने हेतु कोई सर्वेक्षण करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या भारत में बच्चों के यौन-शोषण के संबंध में कोई व्यापक कानून नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास ऐसा कोई विधान लाने का प्रस्ताव है; और

(च) सरकार द्वारा इस समस्या से निपटने हेतु क्या अन्य उपाय किए गए हैं/किए जाने वाले हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) 4 जुलाई, 2005 के 'द हिन्दु' समाचार पत्र के दिल्ली संस्करण में छपी खबर में कहा गया है कि चेन्नई में स्कूली बच्चों के यौन शोषण पर 'तुलिर' नामक एक धर्माथ संगठन द्वारा स्वीडन के 'सेव द चिल्ड्रन' के अनुदान से एक अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है। किसी वयस्क अथवा बच्चें की तुलना में शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा यौन तुष्टीकरण हेतु किए गए किसी कार्य को 'बाल यौन शोषण' माना जाता है। इसमें आगे कहा गया है कि दिल्ली, मुम्बई तथा कोलकाता में किए गए अध्ययनों से पता चला है कि यहां बाल यौन शोषण की दर 46 से 71 प्रतिशत के बीच है जिससे यह पता चलता है कि भारत विश्व में सर्वाधिक बाल यौन शोषण वाला देश है। चेन्नई में किए जा रहे अध्ययन के परिणामों से इस क्षेत्र में इस मुद्दे पर कुछ और जानकारी मिलने एवं लोगों में जागरुकता पैदा करने तथा इस बारे में कारगर निवारण कार्यनीति तैयार करने में मदद मिलने की संभावना है।

(ग) महिला एवं बाल विकास विभाग ने गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से 15 राज्यों में यौन शोषण के साथ-साथ बाल शोषण पर राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन आयोजित करने की पहल की है।

(घ) इस समय, बाल यौन शोषण भारतीय, दण्ड संहिता और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के अंतर्गत शामिल है।

(ङ) महिला एवं बाल विकास विभाग बच्चों के साथ किए जाने वाले अपराधों संबंधी विधान के प्रारुप को तैयार कर रहा है।

(च) बच्चों के साथ किए जाने वाले अपराधों पर विधान के प्रारुप को तैयार करने के अलावा, बाल यौन शोषण से संबंधित मुद्दों के निवारण हेतु सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

1. भारतीय दण्ड संहिता तथा अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम के मौजूदा विधान में बलात्कार, वेश्यावृत्ति आदि के लिए खरीद-फरोख्त जैसे बाल यौन शोषण के अपराध आंशिक रूप से शामिल है।

2. सरकार महिलाओं एवं बच्चों के अवैध देह व्यापार को रोकने के लिए कार्य योजना कार्यान्वित कर रही है।

3. महिलाओं एवं बच्चों के अवैध देह व्यापार को रोकने के लिए केन्द्रीय सलाहकार समिति भी इस मुद्दे पर सरकार को सलाह देती है।

4. बच्चों से संबंधित सभी मुद्दों को निपटाने के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना के लिए हाल ही में संसद में बाल अधिकार संरक्षण आयोग विधेयक, 2005 पुरःस्थापित किया गया है।

5. राष्ट्रीय बाल कार्य योजना को अन्तिम रूप दिया गया है, जिसमें देश में बच्चों की स्थिति को सुधारने के लिए उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु अपनायी जाने वाली कार्यनीतियां शामिल हैं।

वाहनों का चालान

353. **श्री राजेन्द्र कुमार:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि तक दिल्ली में यातायात नियमों का उल्लंघन करने के जुल्म में वर्षवार कितने वाहनों का चालान किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान और आज की तिथि तक दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा चालान के द्वारा वर्षवार कुल कितनी धनराशि वसूल की गई है;

(ग) क्या वाहनों का चालान करने के लिए कार्मिकों हेतु कोई कोटा निर्धारित किया गया है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा यातायात को नियंत्रित करने के प्रति अपनी इच्छा व्यक्त नहीं करने के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) अपेक्षित सूचना नीचे दी गई है:

वर्ष	चालान किए गए वाहनों की कुल संख्या	चालान के जरिए एकत्रित कुल राशि (रु. में)
2002	35,41,229	46,42,84,015
2003	33,92,309	41,94,92,932
2004	39,65,845	43,08,60,166
2005 (15 जुलाई तक)	20,56,833	23,53,26,350

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

(ङ) यातायात का सुरक्षित और सहज प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस कार्मिकों द्वारा ईमानदारी से प्रयास किए जा रहे हैं।

अमरीका द्वारा ड्यूटी शॉप को पुनर्बहाल करना

354. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:**
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने कृषि और सेवा क्षेत्र के बदले औद्योगिक वस्तुओं के लिए प्रशुल्कों में रियायत सुनिश्चित करने हेतु विश्व व्यापार संगठन में व्यापार वार्ता पर ध्यान केन्द्रीत करने के लिए भारत सहित विकासशील देशों के साथ एक नया मोर्चा खोला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी चार सदस्यीय अमरीकी दल ने अमरीकी कंपनियों को दीर्घकालिक लाभ उपलब्ध कराने हेतु बढ़ी हुई दरों को कम करने का दबाव डाला है;

(घ) यदि हां, तो इस पर भारत सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या यह सच है कि अमरीका ने भारतीय कृषि-रसायन एवं भेषज वस्तुओं हेतु ड्यूटी शॉप को पुनर्बहाल किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इसका मूल्य और उनके उत्पादों की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ज) इनसे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई वी. के. एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारत और अमरीका चल रही डब्ल्यू टी ओ वार्ताओं से संबंधित मुद्दों पर विभिन्न मंचों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। अमरीका भारत से टैरिफों को अपेक्षाकृत निम्न स्तर पर वचनबद्ध करने का अनुरोध कर रहा है। उन्हें यह सूचित किया गया है कि टैरिफों को वचनबद्ध करने के बारे में डब्ल्यू टी ओ में वार्ताएं चल रही हैं।

(ङ) से (ज) अमरीकी राष्ट्रपति ने दिनांक 29 जून, 2005 को एक उद्घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कुछेक कृषि रसायनों और भेषजीय मदों के लिए भारत के शुल्क मुक्त व्यवहार के विलंबन को समाप्त कर दिया गया है। लगभग 750 टैरिफ लाइनों के अंतर्गत आने वाली मदों को बौद्धिक संपदा अधिकारों (आई पी आर) के तथाकथित अपर्याप्त संरक्षण के कारण अप्रैल, 1992 से भारत के लिए यू एस जी एस पी (सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली) की वजह से निलंबित कर दिया गया था। राष्ट्रपति की उद्घोषणा में नोट किया गया है कि अमरीकी राष्ट्रपति ने यह निर्धारित करने के बाद निलंबन को समाप्त करने का निश्चय किया कि भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के पर्याप्त एवं प्रभावी संरक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में प्रगति की है।

इन मदों को मौजूदा व्यापार 370 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक होने का अनुमान है और एम एफ एन टैरिफों जो अन्यथा इन मदों पर लागू होते हैं, में 6.5 प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। अतः भारत को शुल्क मुक्त व्यवहार प्रदान किए जाने से इन मदों के हमारे निर्यातों पर लाभकारी प्रभाव पड़ेगा।

अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1986 में संशोधन

355. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1986 में संशोधन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने प्रस्तावित संशोधनों का अध्ययन करने हेतु मंत्रियों के समूह का गठन किया है;

(घ) यदि हां, तो मंत्रियों के समूह के द्वारा क्या संशोधन सुझाए गए हैं;

(ङ) क्या पर्यटन मंत्रालय ने इन परिवर्तनों का विरोध किया है जैसाकि दिनांक 26 जून, 2005 के ''दि हिन्दू'' में प्रकाशित हुआ है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाए किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्तावित संशोधन इस प्रकार हैं:

(1) 'बच्चें' की आयु को 16 वर्ष से बढ़ाकर 18 वर्ष करने के लिए धारा 2 (कक) में दी गई 'बच्चा' की परिभाषा में संशोधन

(2) 'अवयस्क'' एवं 'वयस्क' शब्दों का, जहां कहीं अधिनियम में आये हों, विलोपन करना।

(3) धारा 3 में संशोधन ताकि वेश्यालय चलाने वाले अथवा वेश्यालय के संचालन में मदद करने वाले व्यक्तियों को दी जाने वाली सजा में वृद्धि की जा सके।

(4) किसी भी व्यक्ति, जो यौन शोषण के उद्देश्य से वेश्यालय जाता है या वहां पाया जाता है, को सजा देने के लिए प्रावधान करने हेतु नई धारा 3 क जोड़ना।

(5) मानव अवैध देह व्यापार के निवारण, उन्मूलन तथा इसके लिए सजा हेतु अंतर्राष्ट्रीय नयाचार की तर्ज पर ''मानव अवैध देह व्यापार'' अपराध की परिभाषा के लिए नई धारा 5 क जोड़ना। उपरोक्त अपराध हेतु सजा के प्रावधान के लिए धारा 5 ख जोड़ी गयी है।

(6) किसी भी व्यक्ति को ऐसे परिसर में, जहां वेश्यालय चलाया जा रहा है, बंधक बनाने के अपराध हेतु सजा में वृद्धि करने के उद्देश्य से धारा 6 में संशोधन।

(7) धारा 8, जिसमें वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ बहकाने अथवा लुभाने हेतु सजा का प्रावधान है, का विलोपन।

(8) सुधार संस्थानों में रखने की समय सीमा को 5 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष करने के लिए धारा 10 क में संशोधन।

(9) इस अधिनियम के अंतर्गत विशेष पुलिस अधिकारी की शक्तियां पुलिस निरीक्षक के बजाय उप-पुलिस निरीक्षक को देने के लिए धारा 13(2) में संशोधन।

(10) मानव अवैध देह व्यापार के अपराध के कारगर निवारण तथा अन्मूलन हेतु केन्द्र सरकार द्वारा केन्द्रीय प्राधिकरण के गठन के लिए नई धारा 13 क जोड़ना। कथित केन्द्रीय प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निर्धारित नियमानुसार केन्द्र सरकार द्वारा की जाएगी।

(11) मानव अवैध देह व्यापार के अपराध के कारगर निवारण तथा उन्मूलन हेतु राज्य सरकार को राज्य प्राधिकरण के गठन की शक्तियां देने के लिए नई धारा 13 ख जोड़ना। कथित राज्य प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति निर्धारित नियमानुसार राज्य सरकार द्वारा की जाएगी।

(12) किसी भी स्थान से वेश्यालय को हटाने से संबंधित धारा 20 का विलोपन।

(13) पीड़ितों की मर्यादा एवं प्रतिष्ठा को संरक्षण प्रदान करने के लिए बंद कमरे में कार्रवाई के लिए प्रावधान करने हेतु धारा 22 में संशोधन।

(14) मानव अवैध देह व्यापार में संलिप्त व्यक्तियों की संपत्ति जब्त करने के प्रावधान को लागू करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 की अनुसूची में संशोधन। उपरोक्त अनुसूची से अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम की धारा 8 से संबंधित प्रविष्टि को अनुवर्तन के परिणामस्वरूप हटाया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) मंत्रियों के समूह ने प्रस्तावित संशोधनों पर अभी तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी है।

(ङ) पर्यटन मंत्रालय ने प्रस्ताव का समर्थन किया है।

(च) और (छ) प्रश्न नहीं उठता।

मणिपुर में उग्रवाद

356. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मणिपुर सरकार से आल नागा स्टूडेंट्स एसोसिएशन, मणिपुर द्वारा 20 जून, 2005 से की गई नाकेबंदी को समाप्त करने हेतु कोई संदेश प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा नागा मुद्दे का समाधान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) सरकार को आल नागा स्टुडेंटस एसोसिएशन, मणिपुर (ए एन एस ए एम) द्वारा 20 जून, 2005 से लगाई गई आर्थिक, नाकेबंदी की जानकारी है। सरकार लगातार मणिपुर सरकार से संपर्क बनाए हुए है। स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है और राज्य को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

(ग) मंत्रियों के एक दल ने फरवरी और मई 2005 के बीच नागा विवाद पर एन एस सी एन (आई/एम) के नेताओं के साथ बातचीत के 12 दौर आयोजित किए। इस बातचीत में कोई निर्णय नहीं हो पाया है। इस समय बातचीत के ब्यौरे बताना जनहित में नहीं होगा।

फर्नीचर का आयात

357. श्री सुरेश कुरुप: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उदारीकृत आयात नीति से देश का पारंपरिक फर्नीचर उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से देशवार कितनी मात्रा में फर्नीचर का आयात किया गया है;

(घ) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न राज्यों/संघों विशेषकर एसोसिएशन ऑफ बरेली डिस्ट्रिक्ट से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ङ) यदि हां, तो फर्नीचर उद्योग के हित का संरक्षण करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) भारत आर्थिक उदारीकरण की अपनी नीति तथा अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं के अनुसार प्रतिबंधों को समाप्त करने की नीति का पालन करता आ रहा है। तदनुसार, दिनांक 31.3.2000 को फर्नीचर का आयात मुक्त कर दिया गया है।

तथापि, फर्नीचर का आयात पादप संगरोध (भारत में आयात संबंधी विनियम) आदेश, 2003 के उपबंधों के अध्यधीन है। पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न देशों से आयातित फर्नीचर की मात्रा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी खण्ड 11 (आयात)" नामक प्रकाशन में उपलब्ध है जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। सरकार को फर्नीचर के आयत के संबंध में विभिन्न राज्य एसोसिएशनों, विशेष रूप से बरेली जिले की एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। अब आयातों पर कड़ी निगरानी रखी जाती है और सरकार टैरिफ एवं अन्य तंत्रों के प्रयोग के जरिए यह सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्प है कि आयातों के कारण घरेलू उद्योग को हानि या क्षति न पहुंचे। फर्नीचर के आयात पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क लागू सी वी डी के साथ अतिरिक्त सीमाशुल्क 15 प्रतिशत है। कुल शुल्क के 2 प्रतिशत की दर से सीमाशुल्क शिक्षा उपकर भी उद्ग्राह्य है।

बौद्धिक संपदा अधिकार

358. **श्री रायापति सांबासिवा राव:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीका ने सुधरे बौद्धिक संपदा अधिकारों का हवाला देते हुए भारत से सामान के निर्बाध पहुंच को बहाल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) शुल्क मुक्त वस्तुओं की सूची क्या है अथवा वहां पहुंचे भारतीय सामान की कीमत कितनी है; और

(घ) अमरीका के इस निर्णय से भारत-अमरीका व्यापार संबंध में कितना सुधार होगा?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। दिनांक 29 जून, 2005 को राष्ट्रपति की उद्घोषणा के जरिए अमरीका ने कुछेक भारतीय उत्पादों, जिनमें से अधिकांश कृषि रसायन और भेषज क्षेत्र के हैं, को अमरीकी सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली (जी एस पी) के अंतर्गत शुल्क मुक्त पहुंच बहाल कर दी है।

(ग) और (घ) जी एस पी लाभों की यह बहाली सुमेलीकृत प्रणाली कोड के मुख्यत: अध्याय 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, और 38 के अंतर्गत आने वाली टैरिफ लाइनों में की गयी है। इन मदों का मौजूदा व्यापार 370 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक होने का अनुमान है जिसमें संगत उत्पादों के लिए शुल्क मुक्त पहुंच मिलने के कारण वृद्धि होने की सांभावना है।

जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास में हथियार जब्त किया जाना

359. **प्रो. एम. रामदास:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई के निकट जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास में हथियारों का जखीरा पकड़ा गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्तर पर एक संयुक्त रक्षा तंत्र का विकास करके पश्चिमी जोन में तटवर्ती सुरक्षा के प्रबंधन का कार्य आरंभ किया है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे प्रबंधन पैकेज का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) महाराष्ट्र सरकार की रिपोर्ट के अनुसार 21.5.2005 को मुम्बई पुलिस की अपराध शाखा ने जवाहरलाल नेहरु पत्तन न्यास से 34 विदेश निर्मित रिवाल्वर, 3 पिस्तौल, 1 साइलेंसर और 1283 जीवित कारतूस जब्त किये थे।

(ग) और (घ) सरकार ने तटवर्ती क्षेत्रों की गश्त और निगरानी के लिए पश्चिमी जोन सहित तटवर्ती राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में उपलब्ध आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने संबंधी एक स्कीम अनुमोदित की है। स्कीम के तटवर्ती क्षेत्रों में वाहनों, वैसलस और प्रशिक्षित कार्मिकों आदि से सज्जित करके पुलिस स्टेशन, जांच चौकियों और सीमा-चौकियों की स्थापना हेतु केन्द्रीय सहायता की परिकल्पना की गई है। सरकार ने तटीय सुरक्षा हेतु तट रक्षक के लिए अतिरिक्त आधारभूत ढांच सृजित करके गुजरात और महाराष्ट्र के तटों की संयुक्त तटीय निगरानी सुढ़ृढ़ करने के लिए स्कीम भी अनुमोदित की है।

विकलांग व्यक्तियों के लिए मकानों का आवंटन

360. **श्री सूरज सिंह:** क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण मकानों के आवंटन में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को प्राथमिकता देता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं और आबंटन का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या यह सच है कि वर्ष 2000 तक विकलांगों द्वारा मकानों के आवंटन हेतु जमा कराए गए आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार विकलांगों को मकान के आवंटन में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी जानी वाली प्राथमिकता या आरक्षण के संबंध में अस्वीकृत प्रस्तावों पर पुनर्विचार करने का है;

(छ) यदि हां, तो कब तक और इस पर किस तरीके से पुनर्विचार किए जाने की संभावना है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा शुरु की गई विभिन्न आवासीय स्कीमों के अंतर्गत दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन में शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए 1% के आरक्षण का प्रावधान है।

(घ) से (ज) दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्कीमों के अंतर्गत आवासों के आवंटन हेतु विकलांग व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों को 1% आरक्षण के लिए लॉट के ड्रा में शामिल किया जाता है तथा सफल उम्मीदवारों के नाम पर आवासों के आवंटन हेतु विचार किया जाता है। यदि विकलांग व्यक्तियों की संख्या 1% से अधिक हो जाती है तो शेष ऐसे आवेदकों के नाम पर सामान्य श्रेणी के आवेदकों के साथ लॉट के ड्रा हेतु विचार किया जाता है। असफल आवेदकों को रजिस्ट्रेशन राशि वापिस कर दी जाती है।

[अनुवाद]

एकल एशियाई व्यापार ब्लॉक की स्थापना

361. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की योजना यूरोपीय संघ की तर्ज पर एकल एशियाई व्यापार ब्लॉक स्थापित करने की है;

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसमें किन-किन देशों के शामिल होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) से (ग) भारत सरकार ने सार्क सदस्यों को शामिल करते हुए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र (साफ्टा) करार (सीका) पर दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन (आसियान) के साथ ढांचागत करार, बहुक्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग संबंधी मुक्त व्यापार करार के अंतर्गत बंगाल की खाड़ी संबंधी पहल हेतु ढांचागत करार (बिमस्टेक एफ टी ए) सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय सीका तथा नेपाल, भूटान और श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय मुक्त व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए हैं। थाईलैंड तथा श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय सीका के लिए भी वार्ताएं चल रही है। तथापि, वर्तमान में यूरोपीय संघ की तर्ज पर एकल एशियाई व्यापार ब्लॉक स्थापित करने की भारत सरकार की कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

केरल में आदिवासियों में होने वाली बीमारियां

362. श्री लोनाप्पन नम्बाडन: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि केरल के जनजातीय क्षेत्रों में कैंसर आदि जैसी बीमारियों से ग्रसित आदिवासी लोगों की संख्या बढ़ रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी आर. किन्डिया): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

राजस्थान में प्रगति

363. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान सरकार द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन के क्षेत्र में क्या प्रगति की गई है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार इस प्रगति से संतुष्ट है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय शहरी गरीबों के जीवन स्तर में सुधार के लिए दिनांक 1.12.1997 से अखिल भारत आधार पर स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना नामक एक रोजगार मूलक शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान सरकार की प्रगति/उपलब्धियां इस प्रकार है:

वर्ष	केन्द्रीय नियतन (लाख रु.)	जारी केन्द्रीय राशि (लाख रु.)	स्थायी लघु उद्यमों की सं.	कौशल प्रशिक्षण प्राप्ति शहरी गरीबों की सं.	सृजित श्रम दिवसों की संख्या (लाख रु.)
2002-03	349.20	402.53	7579	1408	3.82
2003-04	347.59	122.96	4008	1696	1.69
2004-05	340.19	256.29	4083	1957	0.26

(ख) और (ग) जैसा कि उपर्युक्त (क) में दिए गए ब्यौरे से स्पष्ट है, गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान का निष्पादन संतोषजनक नहीं रहा है। गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान को अंतिम रूप से आबंटित केन्द्रीय राशि पूरी जारी नहीं की जा सकी क्योंकि पहले जारी राशियों के लिए पूरे उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुए थे। राज्य सरकार को स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का कारगर कार्यान्वयन करने तथा उसकी प्रगति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु समय-समय पर अनुस्मरण कराया गया है।

[अनुवाद]

निर्यात बढ़ाने हेतु अध्ययन दल

364. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के निर्यात को और बढ़ाने के लिए कुछ अध्ययन दलों और विशेष अध्ययन दलों का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो दलों की संरचना सहित उनका ब्यौरा क्या है; और

(ग) विश्व व्यापार में हमारे देश का हिस्सा बढ़ाने के लिए अन्य क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) भारत के निर्यातों को बढ़ाने से संबंधित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यापार बोर्ड की हाल में दिनांक 17 जून, 2005 को हुई बैठक में अन्य बातों के साथ-साथ निर्यात संवर्धन स्कीमों, व्यापार को सुविधाजनक बनाने, विशेष आर्थिक क्षेत्रों एवं निर्यातोन्मुख इकाईयों, निर्यात संभावना वाले विशिष्ट क्षेत्रों, भारतीय उद्योग पर आर टी ए एस/एफ टी ए एस के प्रभाव आदि की जांच करने के लिए पांच कार्य दल और चार अध्ययन दल गठित करने का निर्णय लिया गया था। इन कार्य दलों/अध्ययन दलों में संयोजकों द्वारा बाहर से विशेषज्ञ सहयोजित करने के प्रावधान के साथ उद्योगपतियों और निर्यातक समुदाय/ई पी सी एस से सदस्य शामिल किए जाने हैं।

(ग) विश्व व्यापार में भारत के हिस्से को बढ़ाने के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए विदेश व्यापार नीति (2004-09) और अप्रैल, 2005 के इसके वार्षिक परिशिष्ट में अनेक मुख्य कार्यनीतियों को अपनाया गया है। इसमें प्रक्रियाओं को सरल बनाना, सौदा लागतों को कम करना, विश्व श्रेणी की बुनियादी संरचना का विकास करना, निर्यातों हेतु प्रयुक्त निविष्टियों पर शुल्कों के भार का निष्प्रभावीकरण, निर्यात और रोजगार की संभावना वाले क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देना, आदि शामिल हैं।

राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग

365. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनता द्वारा परिधान के एक भाग एक रूप में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करने पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया है जैसाकि दिनांक 7 जुलाई, 2005 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का दुरुपयोग रोकने हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न हीं उठता है।

(ग) राष्ट्रीय झण्डे का अपमान या अनादर करना, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इस अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ, इस बात की भी व्यवस्था है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी सार्वजनिक स्थान पर या किसी भी ऐसे स्थान पर सार्वजनिक रूप से भारतीय राष्ट्रीय झण्डे को जलाता है, विकृत कराता है, विरुपति करता है, दूषित करता है, कुरुपित करता है, नष्ट करता है, कुचलता है या उसके प्रति अनादर प्रकट करता है या (मौखिक या लिखित शब्दों में या कृत्यों द्वारा) अपमान करता है तो उसे तीन वर्ष तक के कारावास से या जुर्माने से या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।

[हिन्दी]

कुछ कालोनियों को अवैध कालोनियों में शामिल करना

366. **श्री मुनव्वर हसन:** क्या **शहरी विकास मंत्री** दिनांक 22 मार्च, 2005 के अतारांकित प्रश्न सं. 2859 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नजफगढ़ स्थिति शांति विहार और दुर्गा विहार कालोनियों को उन अवैध कालोनियों में शामिल किया गया है जिनमें दिल्ली नगर निगम द्वारा बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जानी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इन कालोनियों में गलियां और नालियां कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है; और

(ङ) इन कालोनियां में स्ट्रीट लाइट, पेयजल और सीवर लाइन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किस एजेंसी की है और सरकार द्वारा उक्त कालोनियों में ये सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु क्या दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि दुर्गा विहार कालोनी उन अनधिकृत कालोनियों की सूची में शामिल है जिन्हें बुनियादी सुविधाएं देने पर विचार किया गया है। फेज-I, II, III में सड़कों और नालियों का निर्माण किया गया है और फेज-IV में कार्य प्रारंभ हो गया है।

दिल्ली जल बोर्ड ने यह सूचित किया है कि जल स्रोत उपलब्ध न होने के कारण इस क्षेत्र में अभी तक जल अपूर्ति सेवाएं नहीं दी जा सकी हैं।

शांति विहार कालोनी उपर्युक्त अनधिकृत कालोनियों की सूची में नहीं है और इसीलिए वहां विकास कार्य नहीं कराए जा सके हैं।

(घ) यह एक सतत प्रक्रिया है और इसीलिए इस अवस्था में कोई समय-सीमा नहीं दी जा सकती।

(ङ) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 19.8.1994 के आदेश के तहत अनधिकृत कालोलियों में बिजली व पानी की आपूर्ति करने की अनुमति प्रदान कर दी थी। इसके अलावा न्यायालय ने दिनांक 17.8.1998 के आदेश की अनुमति भी दे दी है। ये सुविधाएं दिल्ली नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, डी आई एस सी ओ एम एस इत्यादि द्वारा मुहैया कराई जाती है।

संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राप्त अभ्यावेदन

367. **डा. पी.पी. कोया:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लक्षद्वीप की जनता की संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के कार्यकरण के विरुद्ध कोई शिकायत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार आज की तारीख तक विभिन्न प्रकार की शिकायतों के कुल कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) संघ राज्य क्षेत्र में जनता की शिकायतों के समाधान हेतु क्या तंत्र विद्यमान हैं; और

(ङ) प्रशासन द्वारा जनता के प्रत्येक अभ्यावेदन/शिकायत के प्रति दिए गए उत्तर का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस रघुपति): (क) और (ख) लक्षद्वीप के लोगों को, आमतौर पर, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की कार्यशैली के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। तथापि, जनता के किसी सदस्य से यदि कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो शिकायत के निवारण के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा उपयुक्त कार्रवाई की जाती है।

(ग) सूचना संकलित की जा रही है।

(घ) प्रशासक, संघ शासित क्षेत्र लक्षद्वीप द्वारा शिकायतों के निवारण के लिए सभी कार्य दिवसों में अपराह्न 12.00 से 13.00 बजे तक सार्वजनिक सुनवाई की जाती है। इसके अलावा, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के किसी विभाग विशेष के विरुद्ध यदि किसी व्यक्ति को कोई शिकायत/परेशानी हो तो वह कार्यालय समय के दौरान सभी कार्य दिवसों में विभागीय प्रमुख अथवा संबंधित सचिव से मिल सकता है।

(ङ) संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा प्राप्त अभ्यावेदनों को सामान्यत: उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा तत्परता से निपटाया जाता है तथा शिकायतों के निवारण के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

14 वर्ष की उम्र कैद

368. श्री एम. राजामोहन रेड्डी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार 14 वर्ष की 'उम्र कैद' को ही वास्ताव में आजीवन उम्र कैद बनाने का है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

तकनीकी संस्थाओं में छात्रों को प्रवेश

369. श्री जुएल ओराम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थानों में संबंधित वर्ष में प्रस्तावित प्रवेश की तुलना में प्रवेश प्राप्त करने वाले छात्रों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को अच्छी शिक्षा की कमी और गत कुछ वर्षों के दौरान सीटों में कमी की जानकारी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने तकनीकी संस्थानों में स्वीकृत सीटों में कटौती की है;

(ङ) इससे कितने तकनीकी संस्थान प्रभावित हुए हैं; और

(च) सरकार द्वारा इन सभी संस्थानों में अच्छी और गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) वर्ष 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान अखिल भारतीय तकनीकी परिषद द्वारा अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में संस्वीकृत प्रवेश संख्या क्रमश: 498560, 530850 तथा 623829 थी। इन संस्थानों में प्रवेश प्राप्त छात्रों आंकड़े एक साथ नहीं रखे जाते हैं।

(ख) और (ग) सीटों में कटौती केवल शैक्षिक वर्ष 2005-07 के लिए प्रभावी है। सीटों में यह कमी सर्वाधिक महत्वपूर्ण कमी, अर्थात संकाय की कमी को ध्यान में रखते हुए की गई थी। अपेक्षित संख्या में संकाय की भर्ती कर लेने पर इस कटौती को वापस लिया जाएगा। जिन संस्थानों ने इसका पालन किया है उनकी सीटें अब बहाल कर दी गई हैं।

(घ) और (ङ) कुल 742 तकनीकी संस्थानों में सीटें कम की गई हैं।

(च) अन्य बातों के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता संबंधी मानदंड लागू करने की दृष्टि से मौजूदा प्रक्रिया में परिवर्तन किए गए हैं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद तकनीकी शिक्षा में गुणवत्ता सुधार पर ध्यान केन्द्रीय कर रही है ताकि इंजीनियरी स्नातकों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक तथा स्वीकार्य बनाया जा सके। मुख्य उपायों में से कुछ उपाय इस प्रकार हैं-आधुनिकीकरण तथा अप्रचलनता को दूर करना, अनुसंधानवर्धक योजना, औद्योगिक सहयोग सहित इंजीनियरी तथा प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय सुविधाएं, उद्योग-संस्थान भागीदारी, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एडुसेट योजना, प्रतिष्ठित अध्येतावृत्ति, अतिथि प्रोफेसरशिप, कर्मचारी विकास कार्यक्रम, गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम और इंजीनियरी विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी में डिजीटल पुस्तकालय जैसी सुविधाएं, आदि।

रोजगार के अवसरों का सृजन

370. श्री अजीत जोगी: क्या शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कई राज्य सरकारों विशेषरूप से छत्तीसगढ़ सरकार से चालू वर्ष के दौरान स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (क) चालू वर्ष (2005-06) के दौरान शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय को छत्तीसगढ़ राज्य सहित किसी राज्य सरकार से स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के तहत कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

आई.सी.एस.एस.आर. तथा आई.सी.एच.आर.

371. **श्री तापिर गाव:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद (आई सी एच आर) के सदस्य सचिव का पद पिछले कई महीनों से रिक्त है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आई सी एस एस आर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर विशेष ध्यान देता है; और

(घ) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में आई सी एस एस आर तथा आई सी एच आर द्वारा किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी हां।

(ख) भारतीय इतिहास अनसुंधान परिषद, नई दिल्ली के संगम ज्ञापन तथा नियमावली के अनुसार परिषद् द्वारा परिषद् के सदस्य सचिव की नियुक्ति केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात की जाती है। चूंकि तत्कालीन परिषद् का कार्यकाल 25.3.2005 को समाप्त हो रहा था, परिषद् के अध्यक्ष ने महसूस किया कि एक नियमित सदस्य सचिव की नियुक्ति के लिए नए परिषद् की सहमति प्राप्त करना अधिक उपयुक्त होगा।

(ग) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, परिषद् पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान तथा अन्य शैक्षणिक कार्यकलाप शुरु करने हेतु सहायता प्रदान करती रही है।

(घ) भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यकलापों के लिए क्रमशः 175 लाख रु. तथा 177 लाख रु. व्यय किए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् पूर्वोत्तर क्षेत्र में शैक्षणिक तथा अनुसंधान कार्यकलापों के लिए 175 लाख रु. व्यय करने का प्रस्ताव करती है। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने वित्तीय वर्ष 2003-2004 तथा 2004-2005 के दौरान पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए क्रमशः 20.52 लाख रु. तथा 34.00 लाख रु. व्यय किए हैं। वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अब तक 6.56 लाख रु. खर्च किए हैं।

[हिन्दी]

तेलंगाना राज्य का गठन

372. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश से पृथक कर तेलंगाना राज्य बनाने के बारे में तेलंगाना क्षेत्र के लोगों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार तेलंगाना राज्य के गठन हेतु संसद के चालू-सत्र में इस आशय का विधेयक लाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री माणिकराव होडल्या गावित): (क) जी हां।

(ख) मामला सरकार के विचाराधीन है। अभी तक ऐसा विधेयक लाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

होटलों को लाइसेंस

373. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन. डी. एम. सी. द्वारा कुछ पांच सितारा होटलों को जिन निबंधन एवं शर्तों पर भूमि पट्टे पर दी गई थी ये होटल कंपनियां इनका पालन नहीं कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) एन. डी. एम. सी. ने 31.3.2005 तक कुल कितने होटलों को भूमि पट्टे पर दी है तथा राजस्व भागीदारी आधार पर होटल चलाने के लिए लाइसेंस जारी किए हैं;

(घ) राजस्व भागीदारी के मद में 31.3.2005 तक इन निजी होटल कंपनियों पर एन. डी. एम. सी. का कुल कितना राजस्व बकाया है; और

(ङ) सरकार द्वारा बकाया राजस्व की वसूली के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां। नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् द्वारा तीन होटलों को पट्टे पर दी गई भूमि की निबंधन एवं शर्तों का पालन नहीं किया जा रहा है।

(ग) तीन।

(घ) 217.8 करोड़ रु.

(ङ) एक मामले में, वसूली संबंधी कार्रवाई शुरु की गई। न्यायालय के निदेशानुसार होटल 1 करोड़ प्रति माह का भुगतान कर रहा है। मामला अभी भी न्यायाधीन है। दूसरे मामले में, लाइसेंस रद्द कर दिया गया है, लेकिन बेदखली संबंधी कार्यवाही पर न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गई। तीसरे मामले में, वसूली संबंधी नोटिस पहले ही जारी किया जा चुका है।

[अनुवाद]

चाय की लागत पर वैट का प्रभाव

374. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री ने भारतीय चाय की लागत तथा उसके निर्यात पर वैट लगाने के प्रभाव के संबंध में सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारतीय चाय उत्पादकों तथा निर्यातकों की मुख्य शंकाएं क्या हैं; और

(घ) भारतीय चाय उद्योग के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या निर्णय लिए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

बी. मुंगेकर समिति की सिफारिश

375. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शुल्क कटौती से संबंधित भालचन्द्र मुंगेकर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) इसके क्रियान्वयन के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) जी, हां। डा. भालचन्द्र मुंगेकर, सदस्य योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के वित्तपोषण संबंधी केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उस पर नई दिल्ली में दिनांक 14-15 जुलाई 2005 को आयोजित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में चर्चा की गई। मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं-उच्चतर और तकनीकी शिक्षा का स्थायी राज्य वित्तपोषण, सभी कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं बनाए रखने का एक कार्यक्रम शुरु करना, अनुसंधान के लिए आबंटन में वृद्धि, छात्रवृत्ति योजना को सुदृढ़ करना, ब्लॉक अनुदान, मैचिंग अनुदान तथा विकास अनुदान के उचित मिश्रण की एक पद्धति तैयार करना, उच्चतर शिक्षा के वित्तपोषण के लिए और इसके द्वारा स्वत: उदार ऋण तथा छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए विभिन्न बैंकों की छात्र ऋण योजना के समन्वयन हेतु एक निकाय का गठन, स्ववित्तपोषी पाठ्यक्रम शुरु करने पर प्रतिबंध, उद्योग के साथ ठोस तथा प्रभावी संपर्क, विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश को विनियमित करना और उच्चतर शिक्षा संबंधी एक ठोस डाटा आधार तैयार करना। रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है।

गति अवरोधक

376. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली नगर निगम और दिल्ली नगर पालिका परिषद ने दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार अवैध गति अवरोधकों की पहचान करने के लिए व्यापक सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन अवैध गति अवरोधकों को हटाने के लिए दिल्ली नगर निगम तथा नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या निर्धारित मानदंडों की पूरी तरह अवहेलना करते हुए बड़ी संख्या में गति अवरोधक बनाए गए हैं, जिससे कि दुर्घटनाएं होती हैं तथा छोटे वाहनों को नुकसान पहुंचाता है; और

(घ) यदि हां, तो गति अवरोधकों से संबंधित निर्धारित मानदंडों का प्रचार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, ताकि लोग स्वयं ही उनका निर्माण न करें?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार, उसने अपने क्षेत्र में स्थित सभी गति अवरोधों का सर्वेक्षण करवाया है तथा इसे दिल्ली यातायात पुलिस को इस बात की पुष्टि करने के लिए भेजा है कि क्या वे हर्ष अग्रवाल तथा अन्य बनाम पुलिस आयुक्त और अन्य नामक 2005 की सिविल रिट याचिका सं. 5141-42 में दिनांक 4 मई, 2005 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुरूप है। दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार उसने अपने सारे क्षेत्रीय स्टाफ को प्राधिकृत और वैध गति अवरोधकों की सूची परिचालित की है। भारतीय सड़क कांग्रेस के दिशानिर्देशों के विपरीत अवैध और अप्राधिकृत गति अवरोधकों को समय-समय पर हटा दिया जाता है।

(ग) दिल्ली में गति अवरोधक कुल मिलाकर भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हैं।

(घ) दिल्ली नगर निगम ने पहले ही इसे प्रकाशित कर दिया है।

उड़ीसा में चक्रवात शरण-स्थल

377. **श्री जुएल ओराम:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में कुछ चक्रवात शरण-स्थलों की स्थापना हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने चक्रवात शरण-स्थलों की स्थापना की गई है; और

(ग) इस प्रकार की किसी प्राकृतिक आपदा आने की स्थिति में तटीय लोगों को शरण प्रदान करने हेतु की गई तैयारी का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां।

(ख) 1999 में महा चक्रवात के पश्चात, उड़ीसा सरकार ने 97 बहुउद्देशीय चक्रवात शरण स्थलों का निर्माण शुरु किया था जिसमें से 95 बहुउद्देशीय चक्रवात शरण स्थलों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में 5738 प्राथमिक विद्यालय और 1137 उच्च विद्यालय भवनों का भी निर्माण किया है, आपदाओं के समय उनमें भी असुरक्षित लोगों को शरण उपलब्ध करवाई जा सकती है। भारतीय रेड क्रास सोसायटी ने 29 बहुउद्देशीय चक्रवात शरण स्थलों तथा 10 विद्यालय-सह-शरण स्थलों का निर्माण किया है।

(ग) बहुउद्देशीय चक्रवात शरण स्थल और विद्यालय-सह-शरण स्थल, किसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को शरणस्थल उपलब्ध करवाने के लिए सज्जित हैं। उड़ीसा में चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों में इन्दिरा आवास योजना के अंतर्गत 5,86,296 घरों का कार्य पूरा किया गया है। बाढ़/चक्रवात मौसम से पूर्व तैयारी संबंधी उपायों की समीक्षा करने के लिए राज्य स्तर पर पूर्व-चक्रवात/बाढ़ व्यवस्था बैठकें तथा जिला स्तर पर जिला प्राकृतिक आपदा समिति बैठकें आयोजित की जाती हैं।

लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा

378. **श्री हितेन बर्मन:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर पश्चिम बंगाल, दिल्ली तथा पूर्वोत्तर राज्यों में पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक गरीब लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तैयार की गई तथा क्रियान्वित की गई योजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उपर्युक्त योजनाओं हेतु राज्यवार कुल कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) विशेष रूप से गरीब बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई योजनाएं तथा कार्यक्रम तैयार तथा कार्यान्वित नहीं किए गए हैं। तथापि अन्यों में बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाएं तैयार की गई हैं और इस मंत्रालय द्वारा इनको कार्यान्वित किया जाता है:

(1) कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय

(2) प्रारंभिक स्तर पर बालिकाओं के लिए राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम

(3) महिला समाख्या योजना

(4) माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों की बालिकाओं के भोजन तथा छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए समानता के साथ सुलभता

विशेष रूप से गरीब बालिकाओं पर इन योजनाओं के तहत खर्च की गई राशियों के संबंध में केन्द्रीय स्तर पर कोई सूचना नहीं रखी जाती है।

[हिन्दी]

आंगनवाड़ी केन्द्रों को खोलना

379. **श्री मुन्शी राम:**
श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
श्री शिवराज सिंह चौहान:
श्री हेमलाल मुर्मू:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा:
श्री मो. ताहिर:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से अपने-अपने राज्यों में और आंगनवाड़ी केन्द्र खोलने संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) सरकार द्वारा 2004-2005 के दौरान आबंटित तथा 2005-06 के लिए प्रस्तावित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) आंगनवाड़ी केन्द्र कब से कार्य करना आरंभ कर देंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकारों द्वारा मांगे गए अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ग) सरकार द्वारा प्रस्तावों पर कार्रवाई की जा रही है।

(घ) वर्ष 2004-05 तथा 2005-07 (20.7.2005 तक) के दौरान आई.सी.डी.एस. (सामान्य), विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजना तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम उदिशा के अंतर्गत निर्मुक्त राशियों का राज्यवार विवरण क्रमशः विवरण-II, विवरण-III और विवरण-IV पर दिया गया है।

(ङ) भारत सरकार द्वारा संस्वीकृत होने के बाद एक आंगनवाड़ी केन्द्र को परिचालित होने में लगभग एक वर्ष का समय लगता है।

विवरण-I

अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की राज्य-वार मांग

क्र.सं.	राज्य का नाम	राज्य सरकारों द्वारा मांगे गये अतिरिक्त आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	9562
2.	अरुणाचल प्रदेश	959
3.	असम	6659
4.	बिहार	22066
5.	झारखंड	6683
6.	गोवा	कुछ नहीं
7.	गुजरात	3523
8.	हरियाणा	2987
9.	हिमाचल प्रदेश	10894
10.	जम्मू-कश्मीर	6817
11.	कर्नाटक	11313
12.	केरल	कुछ नहीं
13.	मध्य प्रदेश	9537
14.	छत्तीसगढ़	9497
15.	महाराष्ट्र	12864
16.	मणिपुर	कुछ नहीं
17.	मेघालय	961

1	2	3
18.	मिजोरम	231
19.	नागालैण्ड	265
20.	उड़ीसा	3279
21.	पंजाब	2691
22.	राजस्थान	11041
23.	सिक्किम	488
24.	तमिलनाडु	3049
25.	त्रिपुरा	2220
26.	उत्तर प्रदेश	31498
27.	उत्तरांचल	1134
28.	पश्चिम बंगाल	17729
29.	अंडमान व निकोबार	94
30.	चंडीगढ़	29
31.	दिल्ली	कुछ नहीं
32.	दादरा व नगर हवेली	77
33.	दमन व दीव	10
34.	लक्षद्वीप	कुछ नहीं
35.	पांडिचेरी	11
	कुल	1,88,168

विवरण-II

वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 के दौरान समेकित बाल विकास सेवा स्कीम (सामान्य) के अंतर्गत निर्मुक्त राशियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपए लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	2004-2005	2005-06 (20.7.2005 तक)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	7277.34	4742.69
2.	अरुणाचल प्रदेश	1697.61	672.91
3.	असम	15799.37	4133.26
4.	बिहार	9408.47	2000.00
5.	गोवा	286.33	188.03
6.	गुजरात	12405.58	5612.45
7.	हरियाणा	4674.34	2290.42
8.	हिमाचल प्रदेश	2617.26	1308.88
9.	जम्मू-कश्मीर	3457.78	1989.19
10.	कर्नाटक	11023.50	5653.46
11.	केरल	5546.74	2856.56
12.	मध्य प्रदेश	6263.10	3500.00
13.	महाराष्ट्र	11930.96	6998.06
14.	मणिपुर	2054.55	728.11
15.	मेघालय	1450.81	469.33
16.	मिजोरम	781.68	297.88
17.	नागालैण्ड	1358.50	687.89
18.	उड़ीसा	9968.40	6016.69
19.	पंजाब	3904.27	2605.61
20.	राजस्थान	7849.67	4320.72
21.	सिक्किम	332.88	143.38
22.	तमिलनाडु	12303.16	7712.94
23.	त्रिपुरा	1414.45	722.01
24.	उत्तर प्रदेश	15100.87	13821.57
25.	पश्चिम बंगाल	12633.07	7500.00
26.	छत्तीसगढ़	3275.49	1678.43
27.	झारखंड	3824.62	2188.45
28.	उत्तरांचल	1723.77	1402.44
29.	दिल्ली	1118.36	614.09
30.	पांडिचेरी	218.89	173.68

1	2	3	4
31.	अंडमान व निकोबार	185.39	148.00
32.	चंडीगढ़	155.26	107.70
33.	दादरा व नगर हवेली	48.27	35.00
34.	दमन व दीव	38.98	37.88
35.	लक्षद्वीप	25.15	24.05
	कुल	172154.87	93381.76

विवरण-III

वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 (20.7.05 तक) के दौरान विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं के अंतर्गत निर्मुक्त राशियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष	
		2004-05	2005-06
1	2	3	4
1.	उत्तर प्रदेश	7066.50	0.00
2.	राजस्थान	4013.50	0.00
3.	महाराष्ट्र	2103.75	1500.00
4.	केरल	2448.00	500.00
5.	तमिलनाडु	1567.75	0.00
6.	मध्य प्रदेश	6835.75	0.00
7.	छत्तीसगढ़	2845.75	0.00
8.	बिहार	4103.00	0.00
9.	झारखंड	3684.00	0.00
10.	उड़ीसा	1500.00	0.00
11.	उत्तरांचल	60.00	0.00
12.	गुजरात	0.00	0.00
13.	पश्चिम बंगाल	0.00	391.5625
14.	कर्नाटक	0.00	26.25
15.	हरियाणा	0.00	65.0625
16.	जम्मू व कश्मीर	0.00	0.00
17.	पंजाब	0.00	0.00
18.	पांडिचेरी	17.00	0.00
19.	आंध्र प्रदेश	5490.11	2000.00
20.	अंडमान व निकोबार	0.00	15.00
21.	हिमाचल प्रदेश	0.00	189.75
	कुल	42275.05	4687.625

विवरण-IV

वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 (20.7.2005 तक) के दौरान विश्व बैंक सहायता प्राप्त आई.सी.डी.एस. प्रशिक्षण कार्यक्रम उदिशा परियोजना के अंतर्गत निर्मुक्त राशियों का राज्य-वार ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	504.02	400.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
3.	असम	200.00	100.00
4.	बिहार	100.00	200.00
5.	छत्तीसगढ़	290.72	0.00
6.	गोवा	8.19	4.00
7.	गुजरात	60.00	50.00
8.	हरियाणा	107.93	50.00
9.	हिमाचल प्रदेश	70.00	15.00
10.	जम्मू-कश्मीर	0.00	10.00
11.	झारखंड	211.04	0.00
12.	कर्नाटक	230.00	100.00
13.	केरल	408.42	150.00

1	2	3	4
14.	मध्य प्रदेश	658.76	100.00
15.	महाराष्ट्र	789.48	0.00
16.	मणिपुर	11.10	0.00
17.	मेघालय	17.00	1.00
18.	मिजोरम	14.00	0.00
19.	नागालैण्ड	25.00	0.00
20.	उड़ीसा	214.53	50.00
21.	पंजाब	52.00	0.00
22.	राजस्थान	0.00	0.00
23.	सिक्किम	0.00	0.00
24.	तमिलनाडु	655.39	50.00
25.	त्रिपुरा	37.87	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	1397.00	0.00
27.	उत्तरांचल	135.00	0.00
28.	पश्चिम बंगाल	436.52	350.00
29.	अंडमान व निकोबार	3.00	20.00
30.	चंडीगढ़	0.00	1.60
31.	दमन व दीव	0.00	0.00
32.	दादरा व नगर हवेली	0.00	0.00
33.	दिल्ली	20.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	1.00	0.00
	कुल	6657.97	1651.60

[अनुवाद]

मानव संसाधन विकास के अंतर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाएं

380. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मानव संसाधन विकास के अंतर्गत चल रही केन्द्र द्वारा प्रयोजित योजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्यवार विशेषकर कर्नाटक को प्रदान की गई सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संबंधित राज्य सरकारों ने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत धनराशि का उपयोग किया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) मानव संसाधन के विकास हेतु नए संस्थानों की स्थापना तथा वर्तमान शैक्षणिक/तकनीकी संस्थानों के उन्नयन संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

डी.पी.ई.पी.

381. **श्री सीताराम सिंह:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस कार्यक्रम पर पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान तथा आज की तारीख तक आवंटित जारी तथा खर्च की गई धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(घ) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति पर राज्यवार कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ङ) क्या सरकार का विचार इस कार्यक्रम के अंतर्गत और धनराशि आवंटित करने का है; और

(च) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) संयुक्त समीक्षा मिशन

नामक तंत्र के माध्यम से भारत सरकार और विदेशी निधियन एजेंसियों द्वारा डी.पी.ई.पी. की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। अद्यतन समीक्षा मई 2005 में की गई थी। इन समीक्षाओं से पता चला है कि इस कार्यक्रम के चलते नामांकन में काफी वृद्धि हुई है, अधिगम स्तरों में सुधार आया है तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ी है।

आज की तिथि तक गत तीन वर्षों के दौरान इस कार्यक्रम के लिए आवंटित, जारी और खर्च की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों की नियुक्ति पर किए गए कुल व्यय का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

डी.पी.ई.पी. के पहले से चल रहे कार्यक्रम अपनी-अपनी परियोजना अवधि के मुताबिक अपने-अपने परियोजना परिव्ययों को पूरा करेंगे।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत भारत सरकार द्वारा राज्यवार जारी की गई निधियां तथा किया गया व्यय

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06
		जारी की गई निधि (जी ओ. आई. शेयर)	व्यय*	जारी की गई निधि (जी.ओ. आई. शेयर)	व्यय*	जारी की गई निधि (जी.ओ. आई. शेयर)	व्यय*	जारी की गई निधि (जी.ओ. आई. शेयर)
1.	उत्तर प्रदेश	239.00	170.39	119.60	125.59	94.69	130.02	9.94
2.	उत्तरांचल	20.00	17.93	11.52	20.54	13.10	17.75	1.37
3.	बिहार	64.00	40.53	128.33	48.37	37.00	81.32	28.00
4.	झारखंड	41.00	50.26	71.50	71.84	77.51	100.00	61.45
5.	आंध्र प्रदेश	165.00	101.65	90.00	108.40	155.00	204.29	10.00
6.	राजस्थान	113.00	135.09	185.00	187.51	105.00	143.48	15.00
7.	पश्चिम बंगाल	78.50	66.37	81.40	58.53	42.91	51.18	37.90
8.	उड़ीसा	73.00	25.63	61.38	37.49	29.91	62.62	9.91
9.	गुजरात	47.68	13.88	28.88	25.19	22.97	23.92	7.95
	कुल	840.18	621.73	777.61	683.46	597.91	794.68	181.52

*वर्ष के शुरु में अथशेष के कारण निधियों की उपलब्धता, भारत सरकार के शेयर तथा राज्य सरकार के शेयर के विरुद्ध व्यय

विवरण-II

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों की नियुक्ति पर राज्यवार कुल व्यय

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2002-03	2003-04	2004-05
1	2	3	4	5
1.	उत्तर प्रदेश	117.22	67.41	87.83
2.	उत्तरांचल	1.70	2.60	2.86

1	2	3	4	5
3.	बिहार	2.81	5.19	12.31
4.	झारखंड	2.04	2.73	3.33
5.	आंध्र प्रदेश	29.26	32.76	36.62
6.	राजस्थान	शून्य	45.36	31.99

[अनुवाद]

भारत-सिंगापुर व्यापार समझौता

382. **प्रो. एम. रामदास:**
श्री बसुदेव आचार्य:
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी:
श्री असादूद्दीन ओवेसी:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री गणेश सिंह:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता किया है जैसा कि दिनांक 30 जून, 2005 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य तथा ब्यौरा क्या है;

(ग) दोनों देशों को इस समझौते से कितना लाभ होने की संभावना है;

(घ) इस समय कितने देशों के साथ इस प्रकार की बातचीत चल रही है; और

(ङ) सरकार द्वारा अन्य देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौते (एफ टी ए) तथा क्षेत्रीय व्यापार समझौते (आर टी ए) पर बातचीत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) जी, हां। भारत और सिंगापुर के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीका) पर दिनांक 29 जून, 2005 को नई दिल्ली में दोनों देशों के प्रधानमंत्रीयों ने हस्ताक्षर किए हैं।

सीका को वस्तु व्यापार, सेवा व्यापार, निवेश एवं आर्थिक सहयोग के बारे में विभिन्न करारों तथा संशोधित दोहरे कराधान के परिहार संबंधी करार के एक अभिन्न पैकेज के रूप में तैयार किया गया है।

सीका दिनांक 1 अगस्त, 2005 से लागू होगा जिससे दोनों देशों को समग्र रूप से संबंधित द्विपक्षीय व्यापार निवेश तथा आर्थिक सहयोग के रूप में लाभ प्राप्त होने की आशा है।

(घ) और (ङ) एफ टी ए की स्थापना के लिए अनेक देशों के साथ वार्ताएं की जा रही हैं जिनमें शामिल हैं: (1) बहुक्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी संबंधी पहल (बिमस्टेक) जिसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका तथा थाईलैंड शामिल हैं; (2) आसियान; तथा (3) थाईलैंड जो क्रमशः 8 फरवरी, 2004, 8 अक्टूबर, 2003 तथा 9 अक्टूबर, 2003 को हस्ताक्षरित संबंधित ढांचागत करारों के अंतर्गत हैं। इसी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए श्रीलंका तथा मारीशस के साथ वार्ताएं भी विभिन्न चरणों में श्रीलंका के साथ भारत का पहले ही एक एफ टी ए है किन्तु व्यापक आर्थिक भागीदारी करार करने का प्रस्ताव है। पिछली दक्षेस शिखर बैठक में हस्ताक्षरित दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार करार (साफ्टा) को लागू करने के लिए भी वार्ताएं चल रही हैं। दिनांक 20 जनवरी, 2005 को हस्ताक्षरित ढांचागत करार के तहत अधिमानी व्यापार करार करने के लिए चिली के साथ भी वार्ताएं की जा रही है। इसके अलावा, अनेक दूसरे देशों के साथ व्यापक आर्थिक सहयोग करार/मुक्त व्यापार करार/अधिमानी व्यापार करार करने के लिए किए गए व्यवहार्यता अध्ययन, जांच के विभिन्न चरणों में है।

[हिन्दी]

अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करना

383. **श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":**
श्री रामदास आठवले:
श्री रामजीलाल सुमन:

(क) क्या केन्द्र सरकार दिल्ली में पहचान की गई 1432 अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की कॉलोनियों की वास्तविक संख्या कितनी हैं;

(ग) क्या इन कॉलोनियों को नियमित करने के बारे में कोई निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त कॉलोनियों को नियमित करने संबंधी घोषणा करने में हो रहे विलंब के क्या कारण हैं; और

(च) बढ़ते अतिक्रमणों को रोकने हेतु केन्द्र सरकार की भविष्य की क्या योजना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ङ) सरकार ने उन अनधिकृत कालोनियों को नियमित करने हेतु दिशानिर्देश तैयार किए थे जो 31.3.1993 को मौजूद थीं तथा इन दिशानिदेशों को सिविल रिट याचिका सं. 4771/1993-कॉमन कॉज (रजिस्टर्ड) सोसायटी बनाम भारत संघ एवं अन्य के सिलसिले में फरवरी, 2001 में दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया था। इन दिशानिर्देशों को फरवरी, 2004 में संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने संशोधित दिशानिर्देशों के कुछ प्रावधानों को संशोधित करने हेतु दोबारा अनुरोध किया है।

इसी दौरान, सिविल रिट याचिका सं. 8487/2003 में दिनांक 29.9.2004 के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने नियमितीकरण चाहने वाली अनधिकृत कालोनियों से 31.1.2005 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किए थे। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने यह सूचित किया है कि 1432 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं तथा इनकी जांच का कार्य शुरु कर दिया गया है।

(च) सरकार भूमि के स्वामित्व वाली एजेंसियों को समय-समय पर जोर देकर कहती है कि वे अपनी भूमि को अतिक्रमण से मुक्त रहने हेतु कठोर कदम उठाए। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण भूमि की सुरक्षा करने के लिए उसने खाली भूमि की वीडियो रील तैयार करने का कार्य शुरु किया है, तथा नियमित और आवधिक वास्तविक जांच प्रणाली शुरु की गई है।

[अनुवाद]

लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक

384. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा कराए गए 'स्नैप पोल' से पता चला है कि प्रस्तावित लघु और मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2005 ने 'कुटीर क्षेत्र' को छोड़ दिया है और इसकी समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) प्रस्तावित विधेयक में शामिल किए जाने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा दिए गए अन्य सुझावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके सुझावों पर विचार किया है और उसे क्रियान्वित करने पर सहमत है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ङ) लघु एवं मध्यम उद्यम विकास विधेयक, 2005 लोक सभा में 12.3.2005 को पेश किया गया। इसे उद्योग पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति के पास विचारार्थ भेजा गया है। सी आई आई का ज्ञापन, जिसमें विधेयक पर उसके सुझाव निहित हैं, को स्थायी समिति के सामने प्रस्तुत किया गया और सरकार को उसकी एक प्रतिलिपि टिप्पणियों के लिए समिति के सचिवालय से प्राप्त हुई है। सरकार की टिप्पणियां समिति के सचिवालय को भेज दी गई हैं।

दि.वि.प्रा. के अधिकारियों की सतर्कता जांच

385. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण के कई वरिष्ठ अधिकारी अपने विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण सतर्कता जांच का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जांच विभाग के पास लम्बित अपने अधिकारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के कई मामलों को बंद करने की सिफारिश की है क्योंकि ये मामले प्रशासनिक प्रकृति के हैं जैसा कि 17 जून, 2005 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने यह सूचित किया है कि इस समय कृताकृत, चूक/लापरवाही जिससे प्राधिकरण को हानि पहुंची, आचरण नियमों के उल्लंघन, प्रक्रियात्मक चूकों आदि से संबंधित विभिन्न आरोपों पर उप निदेशक (या समकक्ष) और उससे ऊपर के स्तर के 65 अधिकारियों के विरुद्ध सतर्कता जांच की गई है। एक मामला विशेषरूप से भ्रष्टाचार से संबंधित है जिसमें आरोपों का संबंध आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जन से है।

(ग) जी, नहीं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यह सूचित किया है कि उन्होंने ''द हिन्दू'' में प्रकाशित समाचार का पहले ही खंडन किया है।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

कृषि उत्पाद के रूप में रबर

386. श्री डी. वी. सदानन्द गौडा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रबर को पुनः कृषि उत्पाद के रूप में श्रेणीबद्ध करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गयी है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) सरकार ने कृषि संबंधी करार में उत्पाद श्रृंखला को युक्तिसंगत बनाने में रबड़ को शामिल करने के लिए डब्ल्यू.टी.ओ. के साथ अपने वार्ताकारी प्रस्तावों को पहले ही प्रस्तुत कर दिया है। वार्ताएं 31 दिसम्बर, 2006 तक समाप्त होनी हैं।

[हिन्दी]

जल संग्रहण

387. श्री सुरेश चन्देल: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिनांक 28 जुलाई, 2001 की अधिसूचना के माध्यम से समेकित भवन निर्माण संबंधी उप नियमों में संशोधन द्वारा 100 गज या उससे अधिक के भूखंड पर भवन निर्माण में जल संग्रहण को अनिवार्य बनाए जाने के बाद कितने भवनों में जल संग्रहण किया जा रहा है;

(ख) उक्त तिथि के बाद निर्मित या निर्माणाधीन भवनों में जल संग्रहण और बेकार बह जाने वाले जल के पुनर्चक्रण को सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या उपाय किए गए हैं; और

(ग) केन्द्रीय भूजल बोर्ड द्वारा ''भूजल अध्ययन'' के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में कृत्रिम जल संभरण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के क्या परिणाम रहे और भूजल संग्रहण की कुल कितनी क्षमता सृजित की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने अप्रैल, 2001 से मई, 2005 तक निजी भवनों के लिए भवन-निर्माण योजनाओं को मंजूरी देते समय 396 मामलों तथा निजी भवनों के लिए पूर्णता प्रमाण पत्र देते समय 171 मामलों में वर्षा-जल संग्रहण संबंधी प्रावधानों को लागू किये जाने के बारे में बताया है। दिल्ली नगर निगम ने यह बताया है कि दिनांक 28.7.2001 को अधिसूचना जारी किये जाने के बाद 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक के प्लाटों पर जल संग्रहण के प्रावधान सहित 31777 भवन-निर्माण योजनाओं को उनके द्वारा मंजूरी दी गयी है।

(ख) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने यह बताया है कि दिनांक 28.7.2001 की अधिसूचना के बाद 87 भवनों में वर्षा जल संग्रहण किया जा चुका है या किया जा रहा है। भविष्य में बनाये जाने वाले उन सभी प्रस्तावित भवनों में वर्षा-जल संग्रहण तथा/या बेकार जाने वाले जल के पुनर्चक्रण का प्रावधान रखा गया है जहां कहीं भी यह अपेक्षित है या तकनीकी रूप से व्यवहार्य है।

(ग) केन्द्रीय भू-जल बोर्ड ने यह बताया है कि नौवीं योजना के दौरान क्रियान्वित वर्षा जल संग्रहण और कृत्रिम जल संभरण की केन्द्रीय स्कीम के तहत विभिन्न राज्यों में कुल 165 परियोजनाएं शुरु की गयी थीं। देश को विभिन्न भागों में कराये गये प्रभाव आकलन अध्ययनों से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

[अनुवाद]

भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद

388. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के मामलों की जांच के लिए एक समीक्षा समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या 'टुवार्ड्स फ्रीडम' परियोजना को वापस लेने संबंधी कोई रिपोर्ट सरकार को सौंपी गयी है;

(घ) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय महत्व की ऐसी परियोजना को वापस लेकर देश में प्रतिष्ठित विद्वानों का अपमान किया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(छ) परिषद् द्वारा 'टुवार्ड्स फ्रीडम' परियोजना की गायब फाइलों को पुनः प्राप्त करने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के कार्यकरण की समीक्षा करने, इसके मामलों की जांच करने और तत्संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के लिए श्री डी बंदोपाध्याय, कार्यकारी अध्यक्ष, समाज विकास परिषद, नई दिल्ली और भारत सरकार के पूर्व सचिव की एक एक-सदस्यीय समिति का गठन किया है।

(ग) से (ङ) 'टुवार्ड्स फ्रीडम' नामक परियोजना संबंधी अपनी अंतरिम रिपोर्ट में इस एक सदस्यीय समीक्षा समिति ने कहा है कि निधियों के आबंटन को रोककर तथा पुस्तकों के प्रकाशन को बाधित करके इस परियोजना को विफल करने की कोशिश की गई थी।

(च) परिषद ने जानकारी दी है कि इस परियेजना के पुनः चालू किया गया है।

(छ) परिषद ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह उस फाइल का पुनः पता लगाए।

विश्व व्यापार नीति

389. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय जो विश्व व्यापार नीति है, का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विश्व व्यापार नीति में कोई परिवर्तन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) परिवर्तनों को कितना क्रियान्वित किया गया है; और

(ङ) ये परिवर्तन किस प्रकार लाभदायक होंगे?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) अगले पांच वर्षों के भीतर वैश्विक पण्य व्यापार के हमारे प्रतिशत हिस्से को दोगुना करने और रोजगार सृजन पर बल प्रदान करते हुए आर्थिक विकास के एक कारगर साधन के रूप में कार्य करने के उद्देश्यों से सरकार ने विदेश व्यापार नीति, 2004-09 की घोषणा दिनांक 31 अगस्त, 2004 को की है। विदेश व्यापार नीति की समीक्षा करते रहना एक सतत प्रक्रिया है और उसके परिणामस्वरूप किए गए परिवर्तन उनके अधिसूचित करने की तारीख से प्रभावी होते हैं। विदेश व्यापार नीति के वार्षिक परिशिष्ट की घोषणा दिनांक 8 अप्रैल, 2005 को की गयी थी। इसमें अतिरिक्त नीतिगत पहलें और प्रक्रियाओं को और अधिक सरल बनाना शामिल है जिसके अंतर्गत भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सुकर बनेगा और इसमें वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

किताबें हटाना

390. प्रो. विजय कुमार मल्होत्राः
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेयः

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में एन.सी.ई.आर.टी./राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों से कुछ किताबें हटा ली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को उक्त पुस्तकों को हटाने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) इतिहास की पाठ्यपुस्तकों में साम्प्रदायिकता तथा अपर्याप्तता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद की इतिहास की पाठ्यपुस्तकों की शीघ्र समीक्षा करने के लिए तीन सुविख्यात इतिहासकारों का एक पैनल जून, 2004 में गठित किया गया था। इतिहासकारों के उक्त पैनल की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद ने निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकों को हटा लिया है:

(1) यूनिट II: कक्षा VI के सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के प्राचीनतम (पी बी 49-140) में लोग तथा समाज, भारत तथा विश्व

(2) यूनिट II: कक्षा VII के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के मध्यकाल (पी बी 55-170) में लोग तथा समाज, भारत और विश्व

(3) यूनिट I: कक्षा VIII के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के आधुनिक काल (पी पी 1-121) में समाज तथा लोग, भारत और विश्व

(4) यूनिट I: कक्षा IX के लिए सामाजिक विज्ञान के बीसवीं शताब्दी विश्व (पी पी 1-68) में भारत, समकालीन भारत

(5) यूनिट I: कक्षा X के लिए सामाजिक विज्ञान पाठ्यपुस्तक के भारत की विरासत (पी पी 1-37), समकालीन भारत

(6) प्राचीन भारत, कक्षा XI के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक, अक्टूबर, 2002 में पहली बार प्रकाशित हुई।

(7) मध्य भारत, कक्षा XI के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक, अप्रैल, 2003स में प्रकाशित हुई।

(8) आधुनिक भारत, कक्षा XII के लिए इतिहास की पाठ्यपुस्तक, अप्रैल, 2003 में प्रथम बार प्रकाशित हुई।

(9) समकालीन विश्व भारत, कक्षा XII के लिए पाठ्यपुस्तक, मई, 2003 में प्रथम बार प्रकाशित हुई।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के लिए ऐसी कोई कार्रवाई आवश्यक नहीं समझी गई है।

कुटीर उद्योगों के संवर्धन हेतु योजना

391\. **श्री शिवराज सिंह चौहान:**
डा. पी.पी. कोया:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुटीर, नारियल जटा (कॅयर) इत्यादि जैसे परम्परागत उद्योगों के विकास के लिए कोई निधि आबंटित की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी वर्ष-वार, राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान कॅयर बोर्ड द्वारा कॅयर विकास हेतु तय किए गए लक्ष्य का ब्यौरा क्या है;

(घ) कॅयर बोर्ड ने कितना लक्ष्य प्राप्त किया है;

(ङ) क्या लक्षद्वीप समूह में कॅयर उद्योग की संभावनाओं का आकलन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद सिंह): (क) जी, हां।

(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान कॅयर उद्योग के विकास के लिए कॅयर बोर्डस को अबंटित की गई निधियों के संबंध में ब्यौरा निम्नोक्त है:

(करोड़ रु. में)

2002-2003	2003-2004	2004-2005
18.00	18.00	18.00

इन निधियों का आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान लक्ष्यों और उपलब्धियों के संबंध में ब्यौरा निम्नोक्त है:

मद	2002-2003		2003-04		2004-05	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7
उत्पादन (कॅयर फाइबर) (मी. ट.)	3,90,000	3,53,700	4,10,000	3,64,000	4,00,000	3,85,000

1	2	3	4	5	6	7
अतिरिक्त रोजगार सृजन (व्यक्तियों की सं.)	13,000	13,000	20,000	30,660	20,000	18,500
निर्यात (करोड़ रु. में)	400.00	352.71	400.00	407.50	450.00	473.40

(ङ) और (च) वर्ष 2004 के दौरान लक्षद्वीप द्वीपसमूह में कॅयर उद्योग के संबंध में एक सम्भाव्य सर्वेक्षण कराया गया था। इसके आधार पर एक कार्य योजना तैयार की गई थी तथा लक्षद्वीप द्वीपसमूह प्रशासन के विचारार्थ अग्रेषित कर दिया था। द्वीप समूह प्रशासन का प्रत्युत्तर अभी आना है।

[अनुवाद]

ऑस्ट्रेलिया के साथ व्यापार

392. **श्री परसुराम माझी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ऑस्टेलिया के साथ दीर्घकालीन आर्थिक सहयोग स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए किन-किन क्षेत्रों की पहचान की गयी है; और

(ग) इस पर दोनों देशों के बीच हुई बातचीत का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले ही एक व्यापार करार मौजूद है जिस पर अगस्त, 1976 में केनबरा में हस्ताक्षर किए गए थे। इस करार के अंतर्गत द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों की समीक्षा के लिए एक संयुक्त व्यापार समिति गठित की गयी थी, तत्पश्चात जिसका 1989 में संयुक्त मंत्रिस्तरीय आयोग (जे एम सी) में विलय कर दिया गया था। भारत ऑस्ट्रेलिया जे एम सी की अभी तक नौ बैठकें आयोजित की गई हैं। इसकी नौवीं बैठक 18-19 मई, 2005 में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की गयी थी। द्विपक्षीय सहयोग के अभिज्ञात क्षेत्रों में अन्य क्षेत्रों के साथ-साथ शिक्षा, दूरसंचार, पर्यटन, सूचना प्रौद्योगिकी, खेल, कृषि और वस्त्र शामिल हैं।

बारुदी सुरंगों से रक्षा करने वाले वाहनों की खरीद

393. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर में बारुदी सुरंगों से अर्द्ध सैनिक बलों के अभी तक वर्ष-वार कुल कितने कर्मचारी मारे गए;

(ख) क्या आतंकवादी और नक्सली संगठन बारुदी सुरंगों और इम्प्रोवाज्ड विस्फोटक विधियों से सेना को सफलतापूर्वक अपना निशाना बना रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय बलों के लिए बारुदी सुरंगों से रक्षा करने वाले वाहनों को कब तक खरीद लिया जायेगा?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) गत तीन वर्षों के दौरान जम्मू एवं कश्मीर राज्य में बारुदी सुरंगों के विस्फोटों में मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या का ब्यौरा इस प्रकार है:

वर्ष	बारुदी सुरगों के विस्फोटों में मारे गए सुरक्षाकमी
2002	5
2003	2
2004	0
2005 (15 जुलाई तक)	1

(ख) सुरक्षा कर्मिकों को अधिक से अधिक क्षति पहुंचाने के इरादे से, उग्रवादी और नक्सलवादी संगठन बारुदी सुरंगों और तत्काल विस्फोट होने वाले तरीकों का अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं।

(ग) वर्ष 2004-2005 के दौरान केन्द्रीय पुलिस बलों को 2 बारुदी सुरंग निरोधी वाहन उपलब्ध कराए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान केन्द्रीय तथा राज्य पुलिस बलों के उपयोग के लिए ऐसे 120 और वाहनों की खरीद के आदेश दिए गए हैं।

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में भू-माफिया

394. श्री पवन कुमार बंसल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ प्रशासन ने हाल में 'संघ राज्य क्षेत्र में कार्यरत भू-माफिया; का खुलासा करने और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के अपने निर्णय को सार्वजनिक किया था;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में की गई कार्रवाई, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

(घ) क्या तत्कालीन उपायुक्त ने हाल ही में चंडीगढ़ शहर के परिधि क्षेत्र में भूमि की अवैध बिक्री के संबंध में जांच गठित की है;

(ङ) यदि हां, तो क्या जांच प्रक्रिया को आधे-अधूरे ही छोड़ दिया गया है;

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) जांच अधिकारी के समक्ष क्या अंतरिम साक्ष्य आए?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (छ) भूमि अतिक्रमण को खाली करवाना और परिधि अधिनियम के उल्लंघन को दूर करना सतत कार्यकलाप है। हाल ही में, पूछताछ और जांच के परिणामस्वरूप विभिन्न व्यक्तियों के विरुद्ध 19 एफ आई आर दर्ज की गई हैं।

[हिन्दी]

निधियों का उपयोग

395. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में शहरों के विकास के लिए आवंटित निधियों का जिले-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या राज्य सरकार द्वारा आवंटित निधियों का पूरा उपयोग किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) से (ग) इस मंत्रालय की निम्नलिखित केन्द्र प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में शहरों के विकास के लिए कस्बा-वार राशियों के नियतन/स्वीकृति और सूचित खर्च का ब्यौरा संलग्न है:

1. छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी) विवरण-I में।
2. त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (एयूडब्ल्यूएसपी) विवरण-II में।

इनसे पता चलता है कि राशियों का पूरा उपयोग नहीं किया गया।

जोधपुर में कार्यान्वयन के लिए चुनिंदा एअर फील्ड नगरों में कचरा प्रबंधन और जल निकासी की केन्द्र प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत जनवरी, 2005 में 14.53 करोड़ रु. भी स्वीकृत किए गए हैं। कार्य हाल ही में शुरु किया गया है इसलिए राशियों का पूरा उपयोग नहीं हुआ है।

मंत्रालय, नगर एवं ग्राम नियोजन संगठन (टीसीपीओ) और केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन (सीपीएचईईओ) पत्रों, समीक्षा बैठकों और मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा दौरों के जरिए राज्यों को नियमित आधार पर वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्टों सहित जारी की गई राशियों के लिए उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए अनुस्मरण कराता रहता है।

विवरण-I

छोटे और मझोले कस्बों का एकीकृत विकास (आईडीएसएमटी)

2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान राजस्थान राज्य के लिए शामिल कस्बों की सूची, जारी केन्द्रीय सहायता और सूचित खर्च

(लाख रु. में)

क्र.सं.	कस्बों का नाम	जारी केन्द्रीय सहायता				पिछले 3 वर्षों के दौरान सूचित खर्च
		2002-03	2003-04	2004-05	योग	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	सलाम्बर	21.80	0.00	0.00	21.80	19.29

1	2	3	4	5	6	7
2.	हनुमानगढ़	100.00	0.00	0.00	100.00	108.00
3.	रावतभाटा	45.00	0.00	0.00	45.00	0.00
4.	टोंक	45.00	0.00	4.05	49.05	0.00
5.	पोकरण	24.00	0.00	0.00	24.00	28.69
6.	अमेट	24.00	0.00	0.00	24.00	9.00
7.	भीलवाड़ा	22.99	82.01	0.00	105.00	0.00
8.	बलोत्रा	0.00	60.00	0.00	60.00	99.84
9.	अनूपगढ़	0.00	45.00	0.00	45.00	53.00
10.	फलोदी	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
11.	सरदुलशहर	0.00	24.00	24.00	48.00	20.07
12.	सुजोनगढ़	0.00	75.00	0.00	75.00	0.00
13.	सगरिया	0.00	45.00	0.00	45.00	3.81
14.	पीलीबंगा	0.00	45.00	0.00	45.00	0.00
15.	दिदवाना	0.00	0.00	60.00	60.00	35.77
16.	सूरतगढ़	0.00	0.00	45.00	45.00	62.06
17.	रावतसार	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
18.	भादरा	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
19.	मंडलगढ़	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
20.	केशोरायपटना	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
21.	बारी सदारी	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
22.	नोहर	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
23.	किशनगढ़	0.00	0.00	52.00	52.00	0.00
24.	मेरता शहर	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
25.	संचार	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
26.	कुशालगढ़	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
27.	लखारी	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
28.	झालावाड़	0.00	0.00	33.62	33.62	0.00

1	2	3	4	5	6	7
29.	चिरावा	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
30.	सोजाट सिटी	0.00	0.00	45.00	45.00	0.00
31.	कुछेरा	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
32.	श्री विजयनगर	0.00	0.00	24.00	24.00	0.00
	कुल	282.79	421.01	701.67	1405.47	439.53

विवरण-II

त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम

राज्य: राजस्थान

(क) स्वीकृत परियोजनाएं (लाख रु. में)

क्र.सं.	कस्बे का नाम	जिला	स्वीकृति तारीख/माह	परियोजना लागत	केन्द्रीय अंश	जारी राशियां भारत सरकार द्वारा	मार्च, 2005 तक सूचित खर्च
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	टोडाभीम	करौली	मई, 2002	119.09	59.55	568.48	88.66
2.	जहाजपुर	भीलवाड़ा	जुलाई, 2002	131.86	65.93	(2002-03)	81.15
3.	गुलाबपुरा	भीलवाड़ा	अगस्त, 2002	120.20	60.10	1012.85	97.92
4.	रतापुर	बंसवाड़ा	सितम्बर, 2002	100.94	50.47	(2003-04)	112.22
5.	बोदी कुंई	दौसा	अक्टूबर, 2002	234.17	117.09	1545.97	237.20
6.	छाबरा	बारान	नवम्बर, 2002	109.42	54.71	(2004-05)	50.65
7.	देशनोक	बीकानेर	दिसम्बर, 2002	121.31	60.66		122.00
8.	शियोगंज	सिरोही	जनवरी, 2003	182.31	91.16		20.01
9.	माउंट आबू	सिरोही	जनवरी, 2003	102.27	51.14		139.04
10.	बिसाऊ	झुनझुनू	मार्च, 2003	119.56	59.78		0.00
11.	नैनवा	बूंदी	दिसम्बर, 2003	213.49	106.75		4.33
12.	बग्गर	झुनझुनू	जनवरी, 2004	130.00	65.00		20.97
13.	कुशालगढ़	बंसवारा	जनवरी, 2004	121.17	60.59		0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
14.	मंडलगढ़	भीलवाड़ा	जनवरी, 2004	25.94	12.97		12.11
15.	रिशबदेव	उदयपुर	जनवरी, 2004	228.00	114.00		0.00
16.	खानपुर	झालावाड़	जनवरी, 2004	580.21	290.11		0.39
17.	मंगरोल	बारान	जनवरी, 2004	560.72	280.36		0.00
18.	चिप्पबरोड़	बारान	जनवरी, 2004	139.24	69.62		24.11
19.	कुम्हेर	भरतपुर	जनवरी, 2004	591.64	295.82		0.00
20.	कोल्वी राजेन्द्रपुर	झालावाड़	फरवरी, 2004	119.85	59.93		0.58
21.	सथालीखेरी	कोटा	जनवरी, 2005	454.32	227.16		0.00
22.	पिरावा	झालावाड़	जनवरी, 2005	439.93	219.97		1.21
23.	मनोहरथाना	झालावाड़	जनवरी, 2005	314.78	157.39		0.00
24.	अकलेश	झालावाड़	जनवरी, 2005	565.97	282.99		0.00
25.	सुकेट	कोटा	जनवरी, 2005	617.00	308.50		0.00
26.	उडपुरा	कोटा	जनवरी, 2005	334.00	167.00		0.00
27.	पिडवारा	सिरोही	जनवरी, 2005	111.17	55.59		0.00
28.	भवारी	सिरोही	जनवरी, 2005	66.71	33.36		0.00
29.	रतन नगर	चुरु	जनवरी, 2005	170.76	85.38		0.00
30.	मंडल	भीलवाड़ा	फरवरी, 2005	193.00	96.50		0.00
31.	पुश्कर	अजमेर	मार्च, 2005	333.14	166.57		0.00
		कुल		7652.17	3826.09	3127.3 (राशियां एकमुश्त जारी)	1012.57

[अनुवाद]

केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशें

396. श्री असादूद्दीन ओवेसी:
कुंवर मानवेन्द्र सिंह:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या इसमें निजी विद्यालयों में 25% सीटें गरीब बच्चों के लिए आरक्षित करने तथा शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 6% खर्च करने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने उच्चतर शिक्षा संस्थानों की स्वायत्ता की भी सिफारिश की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस सिफारिश पर तथा अन्य सिफारिशों पर क्या कार्रवाई की गई है; यदि कोई हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की सिफारिशों के परिणामस्वरूप ''प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक तथा अन्य संबंधित मुद्दों'' और ''उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता'' के बारे में स्थापित केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समितियों ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। ''प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक तथा अन्य मुद्दों'' संबंधी समिति ने केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड तथा सरकार के विचारार्थ 'नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा विधेयक' के आवश्यक प्रावधानों का प्रारुप प्रस्तुत किया है। समिति द्वारा अनुशंसित विधेयक के आवश्यक प्रावधानों के इस प्रारुप में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि कक्षा-I में दाखिल किए गए कुल बच्चों में से कम से कम 25% बच्चें अनिवार्य रूप से समाज के कमजोर वर्गों से हों जिनका चयन निर्धारित क्षेणी के राज्य स्कूलों तथा गैर सहायता प्राप्त स्कूलों द्वारा यादृच्छिक रूप से किया जाए। ''उच्च शिक्षा संस्थाओं की स्वायत्तता'' संबंधी समिति ने 61 सिफारिशें की हैं, जो शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय निहितार्थ से संबंधित हैं। यद्यपि इनमें यह उल्लेख भी किया गया है कि इन विशिष्ट सिफारिशों को इस संदर्भ में उपयुक्त ढंग से दृष्टिगत रखना होगा कि दो प्रकार की ऐसी संस्थाओं की स्वायत्तता तथा उत्तरदायित्व से संबंधित मुद्दे नि:संदेह रूप से भिन्न-भिन्न होंगे, क्योंकि एक तरफ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान जैसी प्रमुख शैक्षिक संस्थाएं, पुराने तथा सुस्थापित केन्द्रीय एवं राज्य विश्वविद्यालय हैं और दूसरी तरफ निजी क्षेत्र के ऐसे विश्वविद्यालय तथा कालेज हैं, जो अपने आरंभिक वर्षों में हैं। इन समितियों की सिफारिशों पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की 14-15 जुलाई 2005 को आयोजित बैठक में विचार किया गया था। सरकार इन रिपोर्टों से उभरने वाले कार्रवाई संबंधी बिन्दुओं का पता लगाएगी और निम्नलिखित कार्यविधियों के अनुसार उपयुक्त निर्णय लेगी।

कश्मीरी पंडितों से अभ्यावेदन

397. श्री मुनव्वर हसन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में स्थित शारदा माता की तीर्थयात्रा के संबंध में सरकार को एसोसिएशन ऑफ कश्मीरी पंडित से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ग) कश्मीरी पंडितों को कब तक अनुमति दिए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) भारत और पाकिस्तान के बीच तीर्थयात्रियों की यात्रा का मामला ''धार्मिक स्थल यात्रा संबंधी द्विपक्षीय प्रोटाकाल 1974'' के अंतर्गत आता है। इस प्रोटोकाल में दोनों देशों में तीर्थ यात्रियों की यात्रा के लिए धार्मिक स्थानों के नामों की सूची दी गई है और इस समय इस सूची में ''शारदा माता मंदिर'' शामिल नहीं है। 16 से 18 अप्रैल 2005 को प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति के बीच हुई वार्ता के दौरान, यह सहमति हुई थी कि नियंत्रण रेखा के दोनों ओर के लोगों में आपसी मेलजोल और सहयोग बढ़ाने के अन्य उपायों पर भी विचार किया जाना चाहिए जिनमें विभाजित परिवारों के मिलने के स्थानों, व्यापार, तीर्थयात्रा और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के मामले शामिल थे। सरकार का यह प्रयास रहा है कि इस प्रोटोकाल का दायरा बढ़ाकर दोनों देशों के बीच लोगों में एक दूसरे से संपर्क बढ़ाने का अवसर प्रदान किया जाए। इस मामले में कोई समय सीमा बताना संभव नहीं है।

लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना

398. डा. पी.पी. कोया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में जहां कहीं भी लोकतांत्रिक संस्थाएं अपर्याप्त या कमजोर हैं वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं स्थापित कर लोकतंत्र को सुदृढ़ करने की नीति अपना रही है;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली और पांडिचेरी की तर्ज पर संघ राज्य क्षेत्र लक्षद्वीप और अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभा की स्थापना करने की समय सीमा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभाओं द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उसी प्रकार विधान बनाने हेतु द्वीपवासियों को सशक्त करने के लिए किसी पद्धति पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां।

(ख) से (घ) किसी विधान सभा के गठन के बारे में कोई निर्णय लेने से पूर्व उस राज्य की आबादी, वित्तीय सक्षमता आदि जैसे बहुत से कारकों पर विचार किया जाना होता है। तथापि, सभी संघ शासित क्षेत्रों में, विकास कार्यक्रमों में आधारभूत स्तर पर लोगों को शामिल करने के लिए पंचायती राज्य संस्थाओं की स्थापना की गई है।

विश्वविद्यालयों और विद्यालयों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा

399. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषतः तमिलनाडु में कितने महाविद्यालयों/विद्यालयों में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है;

(ख) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग देश के सभी भागों में महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को मुफ्त इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों को क्या लाभ पहुंचा है; और

(घ) यदि नहीं, तो यह सुविधा कब तक उपलब्ध कराए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के 2493 कालेजों में 'इंटरनेट सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं जिनमें से 165 कालेज तमिलनाडु के हैं। तथापि, स्कूलों के संबंध में कोई केन्द्रीकृत जानकारी नहीं रखी जाती है।

जो विश्वविद्यालय 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम' के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं, उन्हें निशुल्क इंटरनेट कनेक्टीविटी प्रदान की जाती है। इंटरनेट छात्रों को प्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराता है। विश्वविद्यालयों की नेटवर्किंग वास्तविक अकादमिक अवसंरचना का विस्तार करते हुए 'ई-लर्निंग' और पत्रिकाओं के 'ई-सब्सक्रिप्शन' के उपयोग की संस्कृति का सृजन करेगी। कालेजों का नेटवर्क कालेजों को भारत और विदेशों के 'शिक्षण और अधिगम' संबंधी बहुसंचार सामग्री सुलभ कराने में सहायता करेगा।

बड़े नगरों में मेट्रो रेल का आरंभ किया जाना

400. **श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री रेवती रमन सिंह:

क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास दिल्ली में आरंभ की गयी मेट्रो रेल की तर्ज पर बड़े नगरों में मेट्रो रेल आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो देश के कौन-कौन से नगरों में मेट्रो रेल सेवा आरंभ किये जाने की संभावना है;

(ग) इन स्थानों में मेट्रो सेवाएं आरंभ करने की समय-सीमा क्या है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा महानगरों और अन्य नगरों में भीड़-भाड़ कम करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): (क) और (ख) हालांकि केन्द्र सरकार का अपना कोई प्रस्ताव नहीं है, परंतु संबंधित राज्य सरकारों ने मुंबई कोलकाता, बंगलौर, हैदराबाद तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल आधारित नयी द्रुत जन परिवहन प्रणाली के विस्तार अथवा स्थापना के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं।

(ग) मेट्रो के प्रचालन की समय-सीमा राज्य सरकारों द्वारा तैयार की जाने वाली विस्तृत रिपोर्टों में बतायी जायेगी।

(घ) केन्द्र सरकार विभिन्न शहरों में यातायात तथा परिवहन अध्ययनों के लिए वित्तीय सहायता मुहैया कराती है जिससे इन शहरों में भीड़भाड़ कम करने के उपायों की पहचान करने में संबंधित राज्य सरकारों को सहायता मिलेगी। केन्द्र सरकार ने दिल्ली में रेल आधारित जन परिवहन प्रणाली के लिए भी वित्तीय सहायता दी है।

कृषि उत्पादों का आयात/निर्यात

401. **श्री जी. करुणाकर रेड्डी:**
श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री सीताराम सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान कितने कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति प्रदान की गयी;

(ख) उक्त अवधि के दौरान कितने कृषि उत्पादों के निर्यात की अनुमति दी गयी और कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कुछ कृषि उत्पादों के निर्यात से होने वाले आय में कमी आयी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ङ) कृषि उत्पादों/कॉफी के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) देश में इस समय राज्यवार कितने निर्यात क्षेत्र सक्रिय हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण 2004-2009 की अनुसूची I के अध्याय 6 से 24 में उल्लिखित वर्गीकरण के अनुसार कृषि उत्पादों के आयात की अनुमति है। अलग-अलग कृषि उत्पादों से संबंधित टैरिफ लाइनें निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं:

मुक्त	प्रतिबंधित	निषिद्ध	एस टी ई
1014	49	20	22

एसटीई: राज्य व्यापार उद्यम

(ख) निर्यात एवं आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण, 2004-09 की अनुसूची 2 के अध्याय 6 से 24 में यथा विनिर्दिष्ट उत्पादों को छोड़कर अन्य कृषि उत्पाद मुक्त रूप से निर्यात योग्य हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यातित कृषि उत्पादों (समुद्री उत्पादों, चाय, कॉफी, अरण्डी के तेल, चमड़ा और अपशिष्ट सहित कपास को छोड़कर) की डालर के रूप में मात्रा निम्नानुसार है:

वर्ष	मूल्य अम. डा. (मिलि.) में
2002-2003	4589.18
2003-2004	5177.81
2004-2005	5766.48

(ग) और (घ) पिछले तीन वर्षों में ऐसे कुछेक प्रमुख कृषि उत्पाद, जिनके निर्यात मूल्यों में गिरावट आई है, निम्नानुसार है:

(मूल्य मिलि. अम. डा. में)

मदें	2002-03	2003-04	2004-05
चीनी एवं शीरा	374.44	265.10	33.19
गेहूं	363.16	510.29	322.29
तेल खाद्य	306.92	710.61	690.13
फल एवं सब्जियां	224.95	369.32	361.68
प्रसंस्कृत खाद्य	359.25	389.00	344.24

मोटे तौर पर निर्यात आय पूर्ति एवं मांग संबंधी कारकों समेत प्रचलित बाजारी स्थितियों पर निर्भर होती है।

(ङ) कॉफी समेत कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार अवसंरचना विकास, आधुनिक पैकेजिंग इकाइयों, गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान एवं बाजार विकास के लिए वस्तु बोर्डों/प्राधिकरणों और निर्यात संवर्धन परिषदों के जरिए वित्तीय एवं अन्य सहायता के रूप में अनेक प्रोत्साहन प्रदान करती है।

कॉफी बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही मध्यावधि निर्यात कार्यनीति उत्पाद मिश्रण को अरेबिका के पक्ष में लाने तथा उपज लागत को कम करके भारतीय कॉफी के लिए प्रतिस्पर्धी कीमतें सुनिश्चित करने पर केन्द्रित है। इसमें निर्यातित कॉफी की गुणवत्ता में सुसंगतता बनाए रखने और लक्षित बाजारों में भारतीय कॉफी के बारे में जागरुकता बढ़ाने का प्रयास करना भी शामिल हैं।

(च) राज्यवार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

अर्द्ध सैनिक बलों का तैनात न किया जाना

402. श्री सीताराम सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बलों को उन उद्देश्यों के लिए तैनात नहीं किया जा रहा है जिनके लिए इन्हें सृजित, प्रशिक्षित और तैयार किया गया था;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा अर्द्ध सैनिक बलों का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये गए/उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) केन्द्रीय अर्द्ध सैनिक बल की तैनाती उन उद्देश्यों के लिए की जाती है जिनके लिए इनका सृजन किया गया है। तथापि आपातिक जरुरतों को पूरा करने के उद्देश्य से, यदा-कदा इन बलों को अपने मुख्य कार्यों से हटाकर अन्य कार्यों जैसे विद्रोह विरोधी (सी आई) कार्यों, आपदा प्रबंधन इत्यादि कार्यों पर लगाया जाता है। सरकार ने आपदा प्रबंधन बटालियानों को उद्दिष्ट किया है और विद्रोह विरोधी कार्य करने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की संख्या में चरणबद्ध ढंग से वृद्धि करने का अनुमोदन किया है ताकि भविष्य में ऐसे उपाय करने की कम ही जरुरत पड़े।

[अनुवाद]

यूरोपीय संघ द्वारा औद्योगिक प्रशुल्क में छूट

403. **प्रो. एम. रामदास:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ ने कृषि/गैर-कृषि वस्तुओं के क्षेत्र में भारत से औद्योगिक प्रशुल्क में अधिक छूट की मांग की है, जैसा कि दिनांक 26 जून, 2005 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस संबंध में यूरोपीय संघ के अधिकारियों के साथ कोई विचार-विमर्श हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस विचार-विमर्श का क्या परिणाम निकला और दोनों पक्षों ने कौन-कौन से क्षेत्रों में घनिष्ठ आर्थिक संबंधों की आवश्यकता की पहचान की है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) से (घ) भारत और यूरोपीय आयोग (ई सी) विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू टी ओ) के अन्य सदस्यों के साथ दोहा दौर की वार्ताओं के अंतर्गत कृषि/गैर कृषि वस्तुओं के क्षेत्र में औद्योगिक टैरिफों को कम करने के बारे में विचार-विमर्श कर रहे हैं औद्योगिक वस्तुओं के बारे में ई सी ने साधारण स्विस फार्मूले का समर्थन किया है जिसमें अत्यधिक टैरिफ कटौतियों की मांग की गयी है। डब्ल्यू टी ओ में वार्ताओं के दौरान ई सी अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किए जाते हैं और इनमें कमी करने के फार्मूले जैसे मुद्दे शामिल हैं। वार्ताएं दिसम्बर, 2005 में हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन तक और उसके दौरान जारी रहने की उम्मीद है।

[हिन्दी]

विद्यार्थियों को प्रवेश

404. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
डा. चिन्ता मोहन:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रवेश की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए इसमें उपलब्ध सीटों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) कितने विद्यार्थियों ने शैक्षणिक वर्ष 2005-06 के लिए प्रवेश हेतु आवेदन किया है;

(ङ) अभी तक कितने विद्यार्थियों का नामांकन हो चुका है; और

(च) दिल्ली विश्वविद्यालय में सीटों की संख्या में वृद्धि करने की भावी योजना क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार वर्तमान शैक्षिक सत्र के दौरान विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों में अवर स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए लगभग 1,04,000 विद्यार्थियों ने आवेदन दिया है। इन कॉलेजों में 43,321 सीट हैं। शेष विद्यार्थियों के पास दूरस्थ और गैर-औपचारिक पाठ्यक्रमों, जिनमें 70,000 से अधिक प्रवेश की क्षमता है और जो पाठ्यचर्या और प्रदान की जाने वाली डिग्रियों के दृष्टिकोण से औपचारिक पाठ्यक्रमों के समकक्ष हैं, में प्रवेश का विकल्प है।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों का निर्यात

405. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और वर्तमान वर्ष के दौरान समुद्री उत्पादों का कितना निर्यात हुआ और कौन-कौन से देशों से निर्यात किया गया और इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ख) कौन-कौन से देशों में समुद्री उत्पादों का निर्यात अधिक हुआ;

(ग) क्या भारत के शिष्टमंडल ने बाजार में समुद्री उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए जापान का दौरा किया;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) क्या चीन, पश्चिमी एशिया, कनाडा, मेक्सिकों और नार्वे के लिए होने वाले निर्यात में अच्छी वृद्धि हुई है;

(च) अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समुद्री वस्तुओं के निर्यात की भारत में स्थिति क्या है; और

(छ) अन्य देशों में समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा उपलब्ध कराए गए निर्यात आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष (जून, 2005 तक) के दौरान समुद्री उत्पादों के निर्यात निम्नानुसार रहे थे:

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	समुद्री उत्पादों का निर्यात
2002-2003	1424.90
2003-2004	1330.76
2004-2005	1478.48
2005-2006 (जून, 2005 तक)	260.81 (अनंतिम)

(ख) हमारे समुद्री उत्पादों के प्रमुख आयातक देश जापान, अमरीका, यूरोपीय संघ और चीन हैं।

(ग) किसी भी सरकारी शिष्टमंडल ने विशेष रूप से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में जापान का दौरा नहीं किया है।

(घ) उपर्युक्त (ग) की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, हां।

(च) संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (एफ ए ओ) द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में समुद्री उत्पादों के निर्यात 2.43 प्रतिशत हिस्से के साथ भारत का 14वां स्थान है।

(छ) भारत से समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार कई कदम उठाती रही है जिनमें समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्कीमें; स्वच्छता और गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं के उन्नयन हेतु कदम; जलकृषि का विस्तार, जलकृषकों को कुशल प्रबंधन पद्धतियां अपनाने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना; निर्यात हेत मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन हेतु सहायता देना; और विपणन सहायता प्रदान करना शामिल है।

प्राकृतिक आपदाएं

406. श्री जसुभाई दानाभाई बारड़:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई वार्षिक क्षति संबंधी कोई मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ग) कौन-कौन से राज्यों की प्राकृतिक आपदा-प्रवण और भूकंप प्रवण राज्यों के रूप में पहचान की गयी और कौन-कौन से राज्यों को वार्षिक चक्रवात/बाढ़ का सामना करना पड़ता है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए मौजूदा आपदा प्रबंधन तंत्र को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इसकी कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में कौन-कौन से कदम उठाने का विचार किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) प्राकृतिक आपदाओं जैसे, तेज बाढ़/बाढ़ और भूस्खलन इत्यादि के कारण हुई क्षति के ब्यौरे, जैसे कि वर्ष 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के दौरान राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए हैं, विवरण-I पर हैं।

26 दिसम्बर की सूनामी के कारण जनहानि और संपत्ति को हुए नुकसान, जैसा कि प्रभावित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है, को दर्शाते हुए एक ब्यौरा विवरण-II पर है।

(ग) उन राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों, जो भूकंप, चक्रवात और बाढ़ बहुल क्षेत्र हैं, जो दर्शाने वाला एक ब्यौरा विवरण-III में दिया गया है।

(घ) और (ङ) भारत सरकार ने राज्य सभा में आपदा प्रबंधन विधेयक 2005 पेश किया है। इस विधेयक में, अन्य बातों के साथ-साथ, देश में मौजूदा आपदा प्रबंधन तंत्र को सुदृढ़ करने की

व्यवस्था है, जो किसी भी आपदा स्थिति को समग्र रूप से, समन्वित और तुरंत निपटाने को सुकर बनाएगा। इस विधेयक में राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के गठन, आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने तथा उनका कार्यान्वयन करने, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की स्थापना करने और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को सुदृढ़ करने की भी व्यवस्था है।

विवरण-I

गत तीन वर्षों के दौरान भारी वर्षा/बाढ़/भूस्खलन के कारण हुए नुकसान के राज्यवार ब्यौरे

(अनंतिम)

क्र. सं.	राज्य	वर्ष											
		2002-2003				2003-04				2004-05			
		जनहानि (सं.)	पशुधन हानि (सं.)	घर (सं.)	फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	जनहानि (सं.)	पशुधन हानि (सं.)	घर (सं.)	फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)	जनहानि (सं.)	पशुधन हानि (सं.)	घर (सं.)	फसल क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	7	-	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	अरुणाचल प्रदेश	11	20	7	0.10	43	12785	2115	0.48	11	-	-	0.920
3.	असम	41	482	19827	3.30	30	108	4641	3.82	448	2256	589064	12.58
4.	बिहार	434	1380	396096	8.10	241	106	45175	6.05	731	2673	897427	13.95
5.	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	30	3058	44367	0.85	-	-	-	-
6.	गुजरात	134	1152	2753	-	139	1071	13878	1.09	171	637	30000	-
7.	हरियाणा	-	-	-	-	-	-	-	-	21	766	5000	0.81
8.	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	89	452	2924	0.16	3	2	92	0.58
9.	जम्मू-कश्मीर	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	कर्नाटक	-	-	-	-	29	23	4183	0.07	-	-	-	-
11.	केरल	84	-	6987	8.58	32	-	2886	0.28	139	-	15788	-
12.	मध्य प्रदेश	4	-	-	-	18	735	30511	1.27	-	-	-	-
13.	महाराष्ट्र	138	593	13466	-	260	977	9459	-	283	552	4468	1.00
14.	मणिपुर	2	-	3024	0.49	-	-	-	-	-	-	-	-
15.	मेघालय	-	-	-	-	3	-	3	-	3	4913	2604	-
16.	मिजोरम	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	2	-
17.	नागालैण्ड	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211	0.004
18.	उड़ीसा	-	-	-	-	60	2474	184843	4.78	7	-	95	0.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19.	पंजाब	–	–	–	–	–	–	–	–	17	482	12434	0.28
20.	राजस्थान	–	–	–	–	–	–	2564	0.17	–	–	–	–
21.	सिक्किम	–	–	–	–	–	–	–	–	4	–	300	–
22.	तमिलनाडु	–	–	–	–	–	–	–	–	78	92	30966	1.55
23.	त्रिपुरा	–	–	–	–	–	–	–	–	3	–	14043	–
24.	उत्तर प्रदेश	6	15	1615	0.33	980	3304	322244	12.92	25	–	–	–
25.	उत्तरांचल	33	87	541	नगण्य	20	300	499	–	43	16	38	–
26.	पश्चिम बंगाल	4	–	17584	0.26	18	–	11917	0.04	2	–	768	0.451

विवरण-II

26 दिसम्बर, 2004 को सूनामी के कारण जनहानि और संपत्ति के हुए नुकसान को दर्शाते हुए विवरण

ब्यौरे	आंध्र प्रदेश	केरल	तमिलनाडु	पांडिचेरी	अंडमान एवं निकोबार	कुल
जनहानि	107	177	8009	599	3513	12405
प्रभावित घर	481	13735	190000	10061	21100	235377
पशुधन हानि	86	शून्य	1653	2685	27331	31755
नष्ट हुआ फसल क्षेत्र (हेक्टेयर)	302	7763	19167	792	11010	39034
नष्ट हुई नावें (सं.)	12189	10882	52638	6678	1401	83788

विवरण-III

वे राज्य/संघ शासित क्षेत्र, जो भूकम्प, चक्रवात और बाढ़ बहुल और सुभेद्य क्षेत्र हैं, को दर्शाते हुए एक विवरण

क्र.सं.	राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के नाम	निम्न के प्रति बहुल/सुभेद्य		
		भूकंप	बाढ़	चक्रवात
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	–	√	√
2.	अरुणाचल प्रदेश	√	√	–
3.	असम	√	√	–
4.	बिहार	√	√	–

1	2	3	4	5
5.	छत्तीसगढ़	–	√	–
6.	गोवा	–	–	√
7.	गुजरात	√	√	√
8.	हरियाणा	√	√	–
9.	हिमाचल प्रदेश	√	√	–
10.	जम्मू-कश्मीर	√	√	–
11.	झारखंड	√	–	–
12.	कर्नाटक	–	√	√
13.	केरल	–	√	√
14.	मध्य प्रदेश	–	√	–
15.	महाराष्ट्र	√	√	√
16.	मणिपुर	√	√	–
17.	मेघालय	√	√	–
18.	मिजोरम	√	√	–
19.	नागालैण्ड	√	√	–
20.	उड़ीसा	–	√	√
21.	पंजाब	√	√	–
22.	राजस्थान	√	√	–
23.	सिक्किम	√	√	–
24.	तमिलनाडु	–	√	√
25.	त्रिपुरा	√	√	–
26.	उत्तर प्रदेश	√	√	–
27.	उत्तरांचल	√	√	–
28.	पश्चिम बंगाल	√	√	√
संघ शासित क्षेत्र				
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	–	–	√
2.	दमन और दीव	–	–	√
3.	दिल्ली	√	√	–
4.	लक्षद्वीप	–	–	√
5.	पांडिचेरी	–	√	√

नोट: √ = प्राकृतिक आपदाओं के प्रति बहुल/सुभेद्य क्षेत्र

आतंकवादियों की गतिविधियां

407. **श्री बाडिगा रामकृष्णाः** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 जून, 2005 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में "जे एंड के मिलिटैन्ट्स युजिंग नम्बर्स ऑन बिलियन डॉलर नोट्स एस कोड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या आतंकवादी हथियारों की खेप को और हवाला धन को एकत्र करने हेतु एक-दूसरे की पहचान करने के लिए इन नोटों का प्रयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसे कितने मामलों की सूचना मिली है; और

(घ) ऐसी मुद्रा के और परिचालन को रोकने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) जी हां। सरकार को 8 जून, 2005 के टाइम्स ऑफ इंडिया में छपे इस समाचार की जानकारी है कि जम्मू और कश्मीर के उग्रवादी मिलियन डॉलर नोट्स पर संख्याओं की प्रयोग कोड्स के रूप में कर रहे हैं। जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, उनकी जानकारी में ऐसा कोई मामला नहीं आया है जिससे इस समाचार की पुष्टि हो सके।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): मैं संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी 7 जून, 2005 की उद्घोषणा, जो संविधान के अनुच्छेठ 356(3) के अंतर्गत 7 जून, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 355(अ) में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा गोवा राज्य के संबंध में 4 मार्च, 2005 को उनके द्वारा जारी पूर्व उद्घोषणा का प्रतिसंहरण किया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2337/2005]

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड तथा लघु उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2338/2005]

[अनुवाद]

शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय की राज्य मंत्री (कुमारी सैलजा): (1) मैं निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:

(एक) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2004-2005 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(दो) हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड तथा शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन मंत्रालय के बीच वर्ष 2005-2006 के लिए हुआ समझौता ज्ञापन।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2339/2005)

(2) (एक) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्षद्वीप बिल्डिंग डेवलपमेंट बोर्ड, कावारत्ती के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2340/2005)

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): मैं संविधान के अनुच्छेद 123 (2)(क) के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा 28 जून, 2005 को प्रख्यापित नागरिकता (संशोधन) अध्यादेश, 2005 (2005 का संख्यांक 2) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 2341/2005]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): मैं, श्री कांतिलाल भूरिया की ओर से भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1984 की धारा 66 की उपधारा (3) के अंतर्गत भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद (सामान्य) (संशोधन) विनियम, 2005 जो 21 अप्रैल, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 242(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2342/2005]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. अखिलेश प्रसाद सिंह): मैं, खाद्य निगम अधिनियम, 1964 की धारा 45 की उपधारा (5) के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (कर्मचारिवृंद) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2005 जो 27 मई, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या ईपी-32 (4)/2004 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एल.टी. 2343/2005]

अपराह्न 12.06 बजे

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मैं 13 मई, 2005 को सभा को दी गई पिछली सूचना के पश्चात चौदहवीं लोक सभा के चौथे सत्र के दूसरे भाग के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित 10 विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:

(1) वित्त विधेयक, 2005

(2) नौसेना (संशोधन) विधेयक, 2005

(3) तटीय जलकृषि प्राधिकरण विधेयक, 2005

(4) दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, 2005

(5) इलाहाबाद विश्वविद्यालय विधेयक, 2005

(6) बिहार मूल्यवर्धित कर विधेयक, 2005

(7) विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 2005

(8) प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) विधेयक, 2005

(9) प्रत्यय विषयक जानकारी कंपनी (विनियमन) विधेयक, 2005

(10) अवक्रय (निरसन) विधेयक, 2005

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति प्राप्त निम्नलिखित पांच विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत रूप से अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:

(1) पेटेंट (संशोधन) विधेयक, 2005

(2) संघ राज्यक्षेत्र शासन और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक, 2005

(3) धन-शोधन निवारण (संशोधन) विधेयक, 2005

(4) सामूहिक संहार के आयुध और उनकी परिदान प्रणाली (विधिविरुद्ध क्रियाकलापों का प्रतिषेध) विधेयक, 2005

(5) सूचना का अधिकार विधेयक, 2005।

अपराह्न 12.06 1/4 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

इक्कीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): मैं पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण विधेयक, 2005 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 1/2 बजे

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति

(एक) आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के आठवें प्रतिवेदन

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।*

अपराह्न 12.06 $^{3}/_{4}$ बजे

(दो) साक्ष्य

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग (पदों और सेवाओं में आरक्षण) विधेयक, 2004 के बारे में कार्मिक, लोक शिकायत, विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[अनुवाद]

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे इसे देखना होगा। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव स्वीकार किया है। मैं दिए गए प्रत्येक स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। मुझे इसे देखना होगा। श्री प्रभुनाथ सिंह, हमने इस मामले पर चर्चा की है। मैं आपको चर्चा की अनुमति दूंगा। किन्तु मुझे यह देखना होगा। समस्या यह है कि आप अध्यक्ष की बात नहीं सुनते हैं। मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का प्रयत्न करूंगा। आपने एक प्रस्ताव की सूचना दी है और आप चाहते हैं कि इस पर तत्काल निर्णय लिया जाए या चर्चा की जाए। मुझे यह देखना होगा। अब, मुझे यह देखना है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश का क्या प्रभाव होगा। मुझे इस पर विचार करना होगा। अत: मुझे इस पर विचार करने के लिए थोड़ा समय दें। मुझे उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति भी नहीं मिली है। अत: मुझे यह देखना है कि क्या चर्चा की अनुमति दी जाए अथवा नहीं। आप धैर्य न खोएं। आप धैर्य क्यों खो रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली): ये बिहार के बारे में डिबेट कराना चाहते हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस बात के लिए यह उपयुक्त समय नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमें इस पर निर्णय लेना होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए एक समय है। नियम है। कुछ प्रक्रिया है। क्या मैंने इससे इंकार किया है? क्या मैंने इस बात से इंकार किया है कि इन मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती है? मैंने पहले ही एक स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इस पर दो बजे चर्चा शुरू होनी है। पहले ही बारह बजकर दस मिनट हो चुके हैं। एक वक्तव्य दिया जाना है। सभा पटल पर पत्र रखे जाने हैं। हर कोई अपनी इच्छानुसार बोलना चाहता है। हम इस प्रकार सदन की कार्यवाही कैसे चला सकते हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष जी, हमारी बात सुन लीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, इनकी बात सुनेंगे तो हमारी बात भी सुननी होगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष: कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हमें दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ आसन हम से कोआपरेट करने के लिए कहता है लेकिन दूसरी तरफ हमारी भावनाओं को सुनता नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप क्या बात कर रहे हो? क्या मैंने आपकी बात कभी नहीं सुनी है? मैंने आपको बोलने के लिए बुलाया है।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप हमारी बात सुन लीजिए। बिहार के साथ अन्याय हुआ है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: आप मेरी बात कब सुनेंगे? समय बता दीजिए। *...(व्यवधान)*

---

* प्रतिवेदन 29 जून, 2005 को राज्य सभा के माननीय सभापति को प्रस्तुत किया गया था, जब राज्य सभा का सत्र नहीं चल रहा था।

अध्यक्ष महोदयः वक्तव्य पूरा होने दीजिए। मैं आपके लिए भोजनकाश में भी बैठूंगा।

अपराह्न 12.09 बजे

सदस्य द्वारा त्यागपत्र

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मुझे सभा को यह सूचित करना है कि मुझे श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा के रोहतक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य थे, का लोक सभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से त्यागपत्र देने के बारे में दिनांक 6 जून, 2005 को एक पत्र प्राप्त हुआ है।

मैंने उनके त्यागपत्र को 6 जून, 2005 से स्वीकार कर लिया है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली): इन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप से रिजाइन किया है या लोक सभा की सदस्यता से रिजाइन किया है। हमने आपकी बात ठीक से सुनी नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदयः मेरा चीफ मिनिस्टरशिप से कोई लेना-देना नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं भारत का प्रधान सम्राट होता ताकि मैं मनचाहे तरीके से काम कर सकता।

अध्यक्ष महोदयः अब मद संख्या-13 पर आते हैं, श्री महावीर प्रसाद, मंत्री द्वारा वक्तव्य होगा। आप इसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

अपराह्न 12.10 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) उद्योग संबंधी स्थायी समिति के एक सौ बावनवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[हिन्दी]

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्न विवरण सभा पटल पर रखता हूं:

*मैं, माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश पर तथा लोक सभा बुलेटिन भाग-2 दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के प्रावधानों के अनुपालन में, उद्योग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की 152वीं रिपोर्ट में सुझाई गयी सिफारिशों के क्रियान्वयन के संबंध में यह वक्तव्य दे रहा हूं।

2. कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय से संबंधित अनुदान मांग (2004-2005) की 152वीं रिपोर्ट में 31 सिफारिशें/प्रेक्षण हैं। ये दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्यों, मंत्रालय की स्कीमों/नीतियों के क्रियान्वयन, सिक्किम (समेत) पूर्वोत्तर राज्यों में परियोजनाओं/स्कीमों के प्रावधान, खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी), कयर बोर्ड तथा प्रधानमंत्री रोजगार योजना से संबंधित मामले, वैश्वीकरण/उदारीकरण का कृषि एवं ग्रामोद्योग क्षेत्र पर प्रभाव तथा इस क्षेत्र से संबंधित ऋण संबंधी मामलों की तुलना में रोजगार सृजन के लिए कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय की योजना स्कीमों के कार्यनिष्पादन से संबंधित हैं। कुछ सिफारिशें वित्त, विपणन, मानव संसाधन विकास, शोध और विकास, रुग्ण खादी संस्थानों का पुनरुत्थान, विपणन बिक्री केन्द्रों के नवीनीकरण/आधुनिकीरण, पारम्परिक उद्योगों के आधुनिकीकरण और पुनर्सृजन आदि में व्यवसायीकरण (प्रोफेशनलिज्म) लाते हुए खादी और ग्रामोद्योग क्षेत्र को एक दिशा में अधिक से अधिक प्रवाहमान बनाने तथा मजबूत करने जैसे क्षेत्रों से भी संबंधित है।

3. (1) प्रत्येक सिफारिश/प्रेक्षण से संबंधित कृत कार्यवाई के ब्यौरे देने वाली कृत कार्रवाई टिप्पणियों को समिति के सचिवालय में 24.3.2005 को प्रस्तुत किया गया है।

(2) मंत्रालय की दृष्टि से, 17 सिफारिशों/प्रेक्षणों के संबंध में कार्रवाई पूरी की जा चुकी है। शेष 14 सिफारिशों/प्रेक्षणों के संबंध में, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय और केन्द्र सरकार ने अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा संबंधित राज्य सरकारों से परामर्श करते हुए, कार्रवाई की जा रही है।

(3) विशेषकर, खादी और ग्रामोद्योग के पुनरुत्थान के संबंध में राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में की गयी घोषणा के अनुसार, केवीआइसी अधिनियम, 1956 में उपयुक्त संशोधन करने के लिए एक विधेयक शीघ्र ही लाया जाना अपेक्षित है।

(4) इसके अतिरिक्त, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके पारम्परिक उद्योगों (जैसे खादी, कयर और अन्य ग्रामोद्योग) के पुनर्सृजन के लिए एक स्कीम का मसौदा तैयार होने के अंतिम चरण में है। योजना आयोग ने इस स्कीम को, जिसका क्रियान्वयन, 2005-2006 से आरंभ होना संभावित है, के संबंध में अपना 'सिद्धांत रूप में' अनुमोदन प्रेषित कर दिया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2344/2005]

*सभा पटल पर रखा गया।

अपराह्न 12.12 बजे

(दो) गुड़गांव में "होंडा मोटर्स" के कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की घटना*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्री शिवराज पाटील, गृह मंत्री वक्तव्य देंगे।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, कल जो हुआ वह हमारे लिए कोई खुशी की बात नहीं है।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): हमें उसकी एक प्रति चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: दासगुप्त जी, आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने पहले ही एक वक्तव्य देने के लिए कहा है और अब आप एक प्रति की मांग कर रहे हैं। मुझे नहीं पता यह क्या हो रहा है। इतनी बेसब्री क्यों?

श्री शिवराज वि. पाटील: हमारी नेता ने इस घटना के बारे में अपना खेद और चिंता व्यक्त की है। माननीय प्रधानमंत्री ने भी इस घटना पर अपने विचार दिए। हमने इस सभा में माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए वक्तव्यों को ध्यान से सुना तथा हम इस सभा को आश्वासन दे सकते हैं कि हम इस मुद्दे से उचित तरीके से निपटने के लिए उनकी बातों को ध्यान में रखेंगे। मैं मुख्यमंत्री तथा वहां के अधिकारियों के संपर्क में रहा हूं और मैंने श्री दासगुप्त से भी कल बात की थी। उन्होंने सभा के समक्ष कतिपय वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। उनके वक्तव्य से हम ज्यादा खुश नहीं हैं। हम इन ब्यौरों पर विचार करना चाहेंगे। हम राज्य सरकार से जानकारी एकत्र करेंगे और यह निर्णय लेंगे कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। यदि माननीय सदस्य के साथ सही व्यवहार नहीं किया गया तो हम यह निर्णय लेना चाहेंगे कि इसके साथ कैसे निपटा जाए। महोदय, मुझे मिली जानकारी के अनुसार मैं यह प्रारंभिक वक्तव्य दे रहा हूं। यदि आवश्यक हो तो ब्यौरा मिलने पर बाद में हम पूर्ण वक्तव्य प्रस्तुत कर सकते हैं।

होंडा मोटर्स के भारी संख्या में कर्मचारी नारे लगाते हुए प्रदर्शन कर रहे थे। जिस क्षेत्र में प्रदर्शन किया जा रहा था वहां दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत निषेधात्मक आदेश लागू थे। जब वहां स्थिति काबू से बाहर हो गई, तो लाठीचार्ज किया गया।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): यह कैसे किया गया?

श्री शिवराज वि. पाटील: हमें जानकारी दी गई है कि लाठी चार्ज में 92 लोग घायल हुए हैं।

अनेक माननीय सदस्य: नहीं, नहीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह हमारे लिए उचित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने यह नहीं कहा कि आप सभी इनसे सहमत हों। आप सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं। इस समय वह सरकार की बात कह रहे हैं।

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर): माननीय मंत्री को जानकारी एकत्र करने तथा प्रदान करने पर अधिक ध्यान देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। सरकारी वक्तव्य देने वाले मंत्री को रोकना अच्छी बात नहीं है। डा. चक्रवर्ती कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मुझे यह जानकारी राज्य सरकार से मिली है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे बताया गया कि लाठीचार्ज में ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे बताया गया है कि लाठीचार्ज में 92 लोग घायल हुए हैं, 35 पुलिसकर्मी तथा जवान घायल हुए हैं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह काफी दुर्भाग्य की बात है। मैं केवल यही कह सकता हूं कि आप 15 मिनट तक बोल चुके हैं।

...*(व्यवधान)*

*[ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 2344-ए/2005]

अध्यक्ष महोदय: यदि आप उन्हें सुनना नहीं चाहते तो ठीक है वह वक्तव्य नहीं देंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल गृह मंत्री जी का वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: 92 लोगों में से 42 लोगों को छुट्टी दे दी गई है।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): क्या मंत्री जी इन आंकड़ों को सही मानते हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं यह नहीं मानता कि 700 लोग मारे गए हैं तथा... वे फेंके गए हैं *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गृह मंत्री जी आपके लिए हर प्रश्न का उत्तर देना जरूरी नहीं है; आपको अन्य व्यवधानों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं घटना स्थल पर नहीं था। यह जानकारी मुझे राज्य सरकार से मिली है और आपने सही कहा कि यह क्षेत्राधिकार में नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे पूर्व उदारण के रूप में नहीं मानना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, घायल तथा अस्पताल में भर्ती हुए 92 लोगों में से 42 लोगों को छुट्टी दे दी गई है। डी एस पी के दोनों हाथ तोड़ दिए गए हैं और तीन गाड़ियों को आग लगा दी गई तथा वे पूरी तरह जल गई हैं। हरियाणा के मुख्य मंत्री ने स्थल का दौरा किया था। उन्होंने घायल हुए लोगों को देखा तथा मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश दिए।

कई माननीय सदस्य: नहीं *...(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, ऐसा महसूस किया गया कि मजिस्ट्रेटी जांच की रिपोर्ट उन्हें दी जानी चाहिए। मैंने सुना कि माननीय सदस्य न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। इस संबंध में केन्द्र सरकार अथवा केन्द्र सरकार का गृह मंत्री आदेश जारी नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे सहमत हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील: आपने जो बात कहीं उसे हमें अपने ध्यान में रखना है, और हम उसे सभी पक्षों को बता देंगे *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: अध्यक्ष जी, हम मिनिस्टर के स्टेटमेंट से इत्तफाक नहीं रखते, इसलिए हमारी पार्टी सदन से वाक आउट कर रही है।

अपराह्न 12.17 बजे

इस समय मोहम्मद सलीम और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: गृह मंत्री के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य जी, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। कम-से-कम उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह यहां नहीं कहा जा सकता। यह भारत के गृह मंत्री के क्षेत्राधिकार में नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: ठीक है आप उनकी बात सुनना नहीं चाहते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अध्यक्ष जी, गृह मंत्री जी द्वारा दिए गए वक्तव्य से हम संतुष्ट नहीं हैं, इसलिये विरोधस्वरूप हमारी पार्टी सदन से वॉक आउट करती है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.18 बजे

(इस समय प्रो. राम गोपाल यादव और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन से बाहर चले गए।)

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं दोहराना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अनुचित है। मैं केवल यह कह सकता हूं कि आप इस सभा के जिम्मेदार सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं दोहराना चाहता हूं और उन्हें मेरी बात सुनने दीजिए ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम प्रधानमंत्री जी से वक्तव्य चाहते हैं ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: जो भी उन्होंने कहा उसे हमने बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। हम इस स्थिति से निपटने का मार्ग तलाशने का प्रयास करेंगे। यदि किसी सलाह की आवश्यकता होगी, हम माननीय अध्यक्ष जी और अन्य माननीय सदस्यों से परामर्श करेंगे ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने विपक्ष के माननीय नेता को बुलाया है।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे बहुत खेद है। आज मेरे लिए बहुत दुख का दिन है, और आप सभी को मैं आज की कार्यवाही की कैसेटें भेज दूंगा।

....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): मैं इसका उल्लेख नहीं करना चाहता था लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि गुड़गांव में घट रही घटनाओं को टेलीविजन पर देखने के बाद मैंने स्वयं गृह मंत्री जी को टेलीफोन किया और उन्हें चल रहे घटनाक्रम से अवगत कराया कम-से-कम उस समय वह इस सबसे अनभिज्ञ लग रहे थे और उन्हें राज्य सरकार से अवश्य जानकारी मिल गयी होगी। मैं यह कहूंगा कि आज दिये गये वक्तव्य के लिए आज शाम तक अथवा सुबह तक प्रतीक्षा की जा सकती थी लेकिन संपूर्ण देश में महसूस किये गये आक्रोश को यह वक्तव्य अभिव्यक्त नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय: यह उनके लिए उचित नहीं है क्योंकि हमने ही उनसे यह करने के लिए कहा था।

....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे इसकी जानकारी है। लेकिन इस समय, मैं केन्द्र सरकार से अपेक्षा कर सकता था कि वह अब राज्य सरकार को यदि मजिस्ट्रेट जांच के लिए मना पाती तो यह पर्याप्त नहीं था। इसलिए, वह यह कह सकते हैं कि मैंने सरकार से बात कर ली है और अब न्यायायिक जांच के आदेश दे दिये गये हैं। सभा के लिए मुख्यमंत्री अथवा पुलिस अधिकारी द्वारा कही गयी बात को कह देना उचित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: हमें इस चर्चा को बंद कर देना चाहिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे जानकारी है ऐसी स्थितियों से पहले कौन निपटा है। इसलिए, मुझे इसकी जानकारी है। मुझे यह पता है कि राज्य सरकार ने क्या कहा है सभा को इससे अवगत कराना उचित नहीं है ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: लेकिन, सूचना का एकमात्र स्रोत यही है।

....*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय, इन दोनों विषयों पर, इस प्रकार के मामले में जांच के दिए गए आदेश की प्रकृति और दूसरे स्थिति के तथ्यों के संबंध में उन्हें राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के आधार पर ही सभा में अभी आगे कुछ नहीं कहना चाहिए था और यह नहीं कहना चाहिए था कि जांच के आदेश दे दिये गये हैं। इसलिए, मैं यह महसूस करता हूं कि कुछ घंटों तक इस प्रकार के वक्तव्य देने में विलंब किया जाना चाहिए था। इसलिए, अपने रोष को प्रकट करने के लिए मैं अपने दल का विरोध दर्ज कराना और सभा से उठकर चले जाना चाहूंगा।

श्री शिवराज वि. पाटील: अध्यक्ष महोदय, क्या मैं इसका जवाब दे सकता हूं।

अपराह्न 12.21 बजे

इस समय श्री लाल कृष्ण आडवाणी और कुछ माननीय सदस्य सभा-भवन से बाहर चले गए

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक (उन्नाव): अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री जी जो बोल रहे हैं, हम उनकी बात से पूरी तरह से असहमत हैं।

इसके विरोध में बहुजन समाज पार्टी सदन का बहिष्कार करती है।

अपराह्न 12.21$^{1}/_{4}$ बजे

इस समय श्री ब्रजेश पाठक और कुछ माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। मैंने आपका नाम नहीं पुकारा है।

*....(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। विपक्ष की ओर से श्री आडवाणी बोल रहे थे। यदि वह यहां उपस्थित होते तो मैं उनको याद दिलाता कि गुजरात में क्या घटित हुआ था तथा उन्होंने गुजरात के संबंध क्या किया था। भूतपूर्व गृह मंत्री द्वारा ऐसा वक्तव्य दिया जाना दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सभा में हमारे दल के शीर्ष नेतृत्व से लेकर सरकार तक ने इस संबंध में अपनी दुख और चिंता प्रकट की है। हमने इच्छा जतायी है कि हम इस मामले में जो कुछ भी आवश्यक संभव होगा करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: मैं भी कुछ कहना चाहता हूं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान उपस्थित न करें। इस बुरी आदत का त्याग करें। इस संबंध में मेरी गंभीर आपत्ति है।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको मौका दूंगा। कृपया सहयोग करें।

मैं महसूस करता हूं कि यह मामला वैसा नहीं है जिसकी चर्चा इस सभा में की जाए। इस मामले का संबंध संसद से नहीं है। परन्तु मामले की गम्भीरता एवं व्यक्त भावनाओं के मद्देनजर मैंने इसकी अनुमति दी तथा माननीय नेता इस बात पर सहमत हुए कि तीन माननीय नेतागण में से प्रत्येक दो-दो मिनट बोलेंगे और तत्पश्चात माननीय गृह मंत्री मध्याह्न 12.00 बजे अपना वक्तव्य देंगे। मैंने वास्तव में इच्छा व्यक्त की थी कि यदि मंत्री महोदय वक्तव्य देते हैं तो बेहतर होगा। मैं कृतज्ञ हूं कि उन्होंने अध्यक्षपीठ का सम्मान किया है तथा माननीय मंत्री महोदय ने स्वयं कहा है कि यह पूर्ण वक्तव्य नहीं है उन्होंने कहा है कि उन्होंने अध्यक्ष पीठ का सम्मान करते हुए प्रारंभिक वक्तव्य दिए हैं। मेरी समझ से माननीय सदस्य इस बात की प्रशंसा करेंगे। मुझे खेद है। तथापि, जब तक मैं इस पद पर आसीन हूं, इसे पूर्वोदाहरण के रूप में नहीं लिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह, यद्यपि कि मामला उठाने का यह तरीका नहीं है, चूंकि कोई भी व्यक्ति आज नियमों का पालन नहीं कर रहा है, आप ऐसा कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): सर, इनके बाद हमें भी बोलने का मैका दें।

अध्यक्ष महोदय: हम आपको भी मौका देंगे। अभी आप थोड़ा मेहरबानी करके बैठिये।

श्री रघुनाथ झा: हम बहुत कम बोलते हैं और हम आपकी बात मानते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हम अपको बुलायेंगे। हमने आपके लीडर को भी बुलाया था। हम लोग सुनने की आदत भूल गये, किसी को सुनेंगे नहीं, खाली बोलेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, संपूर्ण विश्व में भारतीय लोकतंत्र की महानता की चर्चा होती है। हमें भी अपने लोकतंत्र पर गर्व है। बिहार विधान सभा का चुनाव हुआ था और महामहिम राज्यपाल की जो संवैधानिक जिम्मेदारी थी, उन्होंने उस जिम्मेदारी का निर्वाह न करते हुए *....(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप मामले का उल्लेख मात्र करें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम आपको शॉर्ट में बता रहे हैं। हम इसमें आपसे सिर्फ यह आश्वासन चाहते हैं कि आप इस पर कब बहस करायेंगे। हम आपको ब्रीफ में बता रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): यह सब-जुडिस मामला है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप उनके वक्तव्य से बंधे हुए नहीं हैं। आप परेशान क्यों हो रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: विधान सभा के सदस्यों का शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बहुमत इकट्ठा हो चुका था। दूसरे ही दिन वह बहुमत का दावा करने वाले थे। लेकिन एक साजिश के तहत ....*(व्यवधान)*

कुंवर मानवेन्द्र सिंह (मथुरा): वहां विधायकों को खरीदा गया था। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग क्या करते हैं।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह की बातों के अलावा और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कुंवर मानवेन्द्र सिंह, मुझे खेद है कि मुझे आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी। मुझे बहुत खेद है आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं। आप इस सभा के सदस्य पहले भी रह चुके हैं।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप वरिष्ठ सदस्य हैं। आप काफी समय से इस सभा के सदस्य रह चुके हैं। मैं उचित समय पर आपको बोलने की अनुमति दूंगा। आप इस प्रकार से व्यवधान उपस्थित नहीं कर सकते हैं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य की तरफ से टिप्पणी की गई है कि विधायकों को खरीदा गया था। हम इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन विधायकों की खरीद-फरोख्त का मामला इनके भूतपूर्व प्रधानमंत्री और बिहार के राज्यपाल पर चला था। इस पर उन्हें जानकारी है या नहीं, अगर जानकारी नहीं है तो उन्हें जानकारी ले लेनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस ढंग से आधी रात को ....*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप चर्चा चाहते हैं। आपने इसका उल्लेख किया है। मैंने कहा है कि यह मेरे विचाराधीन है, मुझे इसकी छानबीन करनी है। मुझे उच्चतम न्यायालय का आदेश प्राप्त करना है तथा यदि वे कहते हैं तो मैं अवश्य आपको पुनः सुनूंगा। मैं इसके विरुद्ध नहीं हूं।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको बोलने का मौका दिया जाएगा।

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): इनके पास खरीद-फरोख्त का कोई प्रमाण नहीं है। कोई एफआइआर अभी तक दर्ज नहीं की गई है और एक भी व्यक्ति ने शिकायत नहीं की है कि किसी का अपहरण किया गया है, लेकिन केवल भाजपा या जेडीयू की सरकार न बने, श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की शपथ न ले सकें और एक साजिश के तहत ...*26 सांसदों के बल पर ब्लैकमेल किया गया और बिहार की विधान सभा को भंग करवा दिया। आप सदन की कार्यवाही तत्काल स्थगित करें। हम लोगों ने काम रोको प्रस्ताव दिया है, उस पर चर्चा करवाई जाए। यह संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र का अपमान किया गया है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नाम को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे यहां उठाने का यह तरीका नहीं है। आप काफी अनुभवी सांसद हैं। श्री रघुनाथ झा, कृपया इस बात पर ध्यान दें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: यह बात सही है कि बिहार विधान सभा के चुनाव में किसी एक दल को बहुमत नहीं मिला, लेकिन यह बात भी सही है कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप अपने को उनकी बातों के साथ संबद्ध करें। नहीं, मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा। आप अपने को उनकी बातों के साथ संबद्ध कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: बिहार के इतिहास में ही नहीं बल्कि देश के इतिहास में भी अगर आप देखेंगे यह पहला मौका है....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या मजाक हो रहा है?

....*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: बिहार में सरकार बनाने के लिए किसी भी दल के पास बहुमत नहीं था। न ही श्री नीतीश कुमार के पास और न ही भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत था। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको विशेषाधिकार भंग के बारे में जानकारी है। क्या मैं आपके मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजूं?

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: सभी दलों ने जा कर कहा कि ...* को सरकार बनाने का मौका नहीं दिया जाना चाहिए। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, तब मैं आपके मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेज दूंगा। हम इस विषय के गुणों पर विचार नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: पार्टी ने सरकार बनाने का क्लेम किया है। सरकारिया कमीशन का रेफ्रेंस देते हैं, उसमें दिया गया है कि सिंगल सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। ....*(व्यवधान)* शक्ति परीक्षण होना चाहिए। महोदय, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को, श्री नीतीश कुमार जी को और झारखंड में श्री शिबू सोरेन को सरकार बनाने का मौका दिया गया था। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है। और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

....*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: तो हम लोगों को सरकार बनाने का मौका क्यों नहीं दिया गया। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप भाषण मत दीजिए। आपको बोलने का मौका दिया है। आप बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

श्री रघुनाथ झा: उस समय श्री रामविलास पासवान जी के साथ 10 विधायक बैठे हुए थे ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां बहस नहीं हो रही है। आप बैठ जाइए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप कहिए कि आप उनसे सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: इनके कहने पर ही सब कुछ हुआ है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा, आप इसे क्यों उठा रहे हैं?

....*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (छपरा): श्री नीतीश जी की किस्मत में बिहार का मुख्यमंत्री बनना नहीं लिखा है।

श्री सुशील कुमार मोदी: आप अगले प्रन्द्रह साल तक लौट कर नहीं आएंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: डा. टोकचोम मैन्या।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (नालन्दा): श्री लालू प्रसाद जी ने पोथी-पत्रा जलाने से राजनीति शुरू की, लेकिन अब हस्तरेखा विज्ञान के जानकार बन गए हैं। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहां कुछ हंसी-मजाक होना अच्छी बात है।

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: ये सामाजिक न्याय का आंदोलन चला रहे थे, लेकिन आजकल हस्तरेखा विज्ञान के जानकार बन गए हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हो गया। आप बैठिए।

[अनुवाद]

यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। जब मैं किसी आवश्यक मामले को उठाने की अनुमति देता हूं, तो वह महत्वपूर्ण ही होता है।

डा. टोकचोम मैन्या (आंतरिक मणिपुर): अध्यक्ष महोदय, 21 जून, 2005 से ऑल नागा स्टूडेन्ट्स एसोसिएशन, मणिपुर (ए.एन.एस.ए.एम.) द्वारा मणिपुर की मात्र दो जीवन रेखाएं राष्ट्रीय राजमार्ग-39 और राष्ट्रीय राजमार्ग-53 को महीने भर से आर्थिक नाकेबंदी कर दी गई है। इस अवधि के दौरान मणिपुर के लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं। राज्य के पर्वतीय जिलों में हमारे सभी भाई बंधुओं को पेरशानी हो रही है। बाजार में जरूरी वस्तुएं उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे समय में हमें ऊंची कीमत चुकानी पड़ती है। एक किलोग्राम चावल 60 रुपए से भी ऊपर बेचा जा रहा है। एक लीटर पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर में, और एक गैस सिलेंडर का मूल्य 700 रुपए से भी अधिक है। हाल ही में, राष्ट्रीय राजमार्ग-53 पर एक पुल को उड़ा दिया गया और क्या नहीं किया गया। पहले से ही राज्य को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि अब बहुत हो गया। कारण चाहे जो भी हों, प्रत्येक मुद्दे का समाधान बातचीत के द्वारा सौहार्दपूर्ण वातावरण में निकाला जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा पेश किए गए बातचीत के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जा रहा है, नाकेबंदी जारी है। यह क्या त्रासदी है? ऐसी स्थिति को और आगे जारी रहने की अनुमति नहीं दी जा सकती, और मणिपुर के लोगों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जा सकता।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से इस दिशा में कदम उठाकर राज्य सरकार को सहायता करने का अनुरोध करता हूं कि इन राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूर्ण सुरक्षा प्रदान कर इस गतिरोध का समाधान करे। जिन्हें किसी भी परिस्थिति में पूर्ण सुरक्षा मुहैया कराए जाने की जरूरत है।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): मैं अपनी पार्टी की तरफ से माननीय सदस्य ने जो कहा, उससे अपने आपको संबद्ध करता हूं। मणिपुर के संबंध में सरकार की जिम्मेदारी बनती है। वहां नाकेबंदी जारी है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपने सूचना नहीं दी है।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, मैं अपने आपको संबद्ध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, हमें नियमों की होलीका जलानी पड़ेगी।

श्री तापिर गाव।

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): अध्यक्ष महोदय, मैं मणिपुर में जारी स्थिति पर भारत सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। सत्र के शुरूआत से ही, हम मणिपुर से संबंधित मुद्दों को उठाने के लिए बोलते रहे हैं। मणिपुर के माननीय सदस्य ने वहां के लोगों के समक्ष आ रही समस्याओं को उठाया है। मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि समस्या की जड़ का पता लगाया जाए। मणिपुर में स्थिति ऐसी है कि नागरिक आवश्यक वस्तुएं और दवाएं प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं। 19 जून से, दो राष्ट्रीय राजमार्गों—जो राज्य की जीवन रेखाएं हैं—मणिपुर को जोड़ती हैं उन पर चक्का जाम है। राज्य में कुछ भी आवश्यक वस्तुएं नहीं पहुंच रही हैं। मणिपुर में दिन-प्रतिदिन कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर होती जा रही है।

इसलिए मैं, माननीय गृह मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से मणिपुर में जारी कानून-व्यवस्था की स्थिति पर ध्यान देने का अनुरोध करूंगा। देश के उस भाग के लोगों को आवश्यक वस्तुओं और दवाओं की उपलब्धता की व्यवस्था की जानी चाहिए। धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): अध्यक्ष महोदय, मणिपुर की स्थिति पिछले एक महीने से बहुत खराब है। दोनों राष्ट्रीय राजमार्गों पर चक्का जाम है। सारी खाद्य सामग्री और एल.पी.जी. नहीं लाने ले जाने दी जा रही है। आवागमन भी अवरुद्ध कर रखा है और वहां ग्रेटर नागालैण्ड की समस्या को लेकर केन्द्र सरकार की जो सोच है, उसके प्रति असंतोष व्याप्त है। इसके अलावा एक और दूसरी घटना हो गई कि 18 तारीख को वहां की सरकार ने छुट्टी घोषित कर दी। इन दोनों कारणों से वहां के लोगों में भारी आक्रोश, असंतोष और भय व्याप्त है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस मामले में वह हस्तक्षेप करे और इस समस्या का जल्दी से जल्दी निदान ढूंढ़ने की कार्रवाई करे। धन्यवाद।

[अनुवाद]

***श्री पी. मोहन** (मदुरै): तमिलनाडु का तिरूपुर कस्बा जो एक बुनाई शहर है जहां 660 रंगकारी इकाईयां और करीब 3000 बनियान निर्माण हौजरी इकाईयों को बंदी का सामना करना पड़ रहा है। इसके कारण, करीब 3 लाख मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इन अभागे मजदूरों के परिवारो को कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है। इन इकाईयों को प्रदूषण की समस्याओं के कारण बंद किया गया है। औद्योगिक शहर, तिरूपुर केवल तिरूपुर और कोयम्बटूर जिलों के हजारों युवकों एवं पुरुषों को ही रोजगार नहीं प्रदान करता बल्कि पूरे तमिलनाडु के लोगों को रोजगार प्रदान करता है और रोजगार की तलाश करने वाले लोगों के आकर्षण का केन्द्र है। इस शहर की निर्माण और निर्यातक इकाइयों द्वारा करीब 6000 करोड़ रुपए से भी अधिक की विदेशी मुद्रा अर्जित की जा रही है। केन्द्र और राज्य सरकार दोनों को कर के रूप में हजारों करोड़ रुपए का भुगतान किया जा रहा है और इस तरह से यह शहर हमारी अर्थव्यवस्था के लिए सोने का हंस बना हुआ है। इन औद्योगिक इकाईयों की रक्षा करना केन्द्र और राज्य सरकारों के हाथ में है। तिरूपुर शहर को धन अर्जित करने वाले कताई उद्योगों को बढ़ावा देने की प्रभावी नीति के अभाव में अब इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए, मैं केन्द्र और राज्य सरकारों से बहिस्रावी शोधन संयंत्रों की स्थापना के लिए 50 प्रतिशत की वर्तमान राजसहायता को बढ़ाने हेतु आगे आना चाहिए। इन इकाईयों से बड़ी मात्रा में राजस्व की राशि उगाहे जाने के मद्देनजर केन्द्र और राज्य दोनों सरकारों की यह जिम्मेदारी है कि वे सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित बहिस्रावी शोधन संयंत्रों की स्थापना करें। कामगारों में पुन: विश्वास बहाल करने और उनका उन्हें शीघ्र पुनर्वास करने हेतु युद्ध स्तर पर कदम उठाये जाने चाहिए।

*मूलत: तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दिल्ली से जयपुर तक की एक हाइवे सड़क बनायी गई थी। हर सड़क का एक गारन्टी पीरियड होता है कि वह कब तक रुकेगी। लेकिन दिल्ली-जयपुर हाइवे जीर्ण-शीर्ण हालत में है। सड़क में जगह-जगह गड्ढे हो गए हैं। कई जगह से तो सड़क ही गायब हो गई है। इस कारण से यातायात के आवागमन में कठिनाई होती है। मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि जिस तरह से दिल्ली-आगरा रोड को सीमेंट से बनाया गया है, वैसे ही दिल्ली-जयपुर रोड को भी सीमेंट से बनाया जाए, ताकि यह सड़क खराब न हों। क्योंकि डामर की सड़क पानी से खराब हो जाती है। वर्तमान में सड़क में जो गड्ढे हो गए हैं, उनको ठीक किया जाए। केन्द्र सरकार मदद करके दिल्ली-जयपुर रोड को सीमेंट से बनवाए, ताकि दिल्ली से जयपुर साढ़े चार घंटे में पहुंचने की जो बात कही गई है, वह पूरी हो सके। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि दिल्ली-जयपुर रोड की मरम्मत करवायी जाए और भविष्य में इसको सीमेंट से बनाने का प्रयास किया जाए। मुझे उम्मीद है कि केन्द्र सरकार दिल्ली-जयपुर रोड को सीमेंट से बनवाने पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री दुष्यंत सिंह यहां उपस्थित नहीं हैं। श्री पारसनाथ यादव यहां नहीं हैं। अब श्री अधीर चौधरी।

श्री अधीर चौधरी (बरहामपुर, पश्चिम बंगाल): महोदय, मैं पश्चिमी बंगाल में कई जिलों में घटित गंभीर मामलों के प्रति सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। महोदय, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पदमा और गंगा नदियों के किनारों के आस-पास कटाव होने से वहां लोगों में हड़कंप मचा हुआ। पदमा नदी की तबाही पैदा करने वाली धाराएं और उनकी भयानकता के कारण कई गांव पहले ही बह गए हैं। पश्चिम बंगाल के मानचित्र से कई गांव समाप्त होते जा रहे हैं।

महोदय, मानसून के आरंभ होते ही स्थिति और बदतर हो गई है और इन परिस्थितियों में यह आश्चर्यजनक है कि पश्चिम बंगाल सरकार ...*। श्रीमती सोनिया गांधी की अध्यक्षता में और उनकी विशेष पहल पर, गंगा पदमा योजना को राष्ट्रीय योजना में शामिल किया गया। तथापि, इसके लिए कार्य इसी वर्ष आरंभ हुआ। केन्द्र सरकार के खजाने से आबंटित 52 करोड़ रुपये की धनराशि ...*।

अध्यक्ष महोदय: यदि मैं इसका विरोध करूं तो आप यह कहेंगे कि मैं भी पश्चिम बंगाल से हूं। प्रत्येक राज्य सरकार की यहां भर्त्सना की जाती है। हम सब इसे राज्य विधान सभा में बदलते जा रहे हैं।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, आपको एक प्रबुद्ध व्यक्ति की तरह स्वीकार करना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: मैंने जो सीखा है वो सब भूल गया हूं।

श्री अधीर चौधरी: महोदय, राहत और पुनर्वास राज्य के विषय हैं और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार द्वारा इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। ...*

मैं केन्द्र सरकार से राज्य सरकार को आम आदमी की समस्याओं की ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने के लिए जोर देने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अब राज्यों के सभी मामले मुझे दिखाये जाएं।

श्री अधीर चौधरी: राज्य सरकार के साथ-साथ केन्द्र सरकार को भी अपरदन की समस्या की जिम्मेदारी वहन करनी चाहिए और राज्य सरकार को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवानी चाहिए जिससे कि पीड़ित व्यक्ति जिंदा रह सकें। जो लोग खुले आकाश के नीचे रह रहे हैं उनके पास घास-फूस की छत बनाने के लिए भी जमीन नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में यह समस्या इस हद तक है। ऐसी गंभीर स्थिति को देखते हुए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले की स्थिति के बारे में अधिक सक्रिय और सतर्क रहे तथा पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को इसकी ओर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने के लिए जोर दें।

अध्यक्ष महोदय: श्री हन्नान मोल्लाह, केवल सिंचाई का मामला।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया): महोदय, मैं अभी-अभी राजस्थान से वापस आया हूं। वहां के कृषक इन्दिरा गांधी नहर परियोजना से पानी की अनुपलब्धता और लगातार सूखे की वजह से कई वर्षों से गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं। गत वर्ष हजारों एकड़ कपास की फसल नष्ट हो गई। बहुत बड़े आंदोलन के बाद, थोड़ा बहुत पानी छोड़ा गया किन्तु उन्हें अब पानी नहीं मिल रहा है। कृषक आंदोलन कर रहे हैं। हजारों कृषक सड़कों पर उतर आए हैं और जल आपूर्ति की मांग कर रहे हैं। वहां यह गंभीर समस्या हो गई है जो बेकाबू हो सकती है यदि सरकार ने तत्काल ही कोई कदम नहीं उठाये।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): उनको पंजाब से पानी नहीं मिल रहा है। ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: यह गंभीर समस्या है। यह कृषकों का मामला है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सबको इंटरप्ट करना आदत हो गई है।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हन्नान मोल्लाह: हजारों कृषक गंभीर संकट में हैं और वे आंदोलन कर रहे हैं। पिछले आंदोलन के बाद कृषकों और सरकार के बीच एक समझौता हुआ था। उस समझौते का लागू किया जाना चाहिए और इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के चरण 1 और चरण 2 में 58:42 अनुपात में जल आपूर्ति की जानी चाहिए। अन्यथा, स्थिति बदतर हो सकती है तथा राज्य में बहुत बड़ा उपद्रव हो सकता है। मैं केन्द्र सरकार से यह भी अनुरोध करता हूं कि पंजाब भी कुछ पानी छोड़े और स्थिति पर काबू पाया जाये।

अध्यक्ष महोदय: आपने इसे राज्यों की संसद बना दिया है।

श्री हन्नान मोल्लाह: कृषकों को जल की पर्याप्त आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए कोई निर्णय लिया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: तब अपोज करते थे, अब थपथपाते हैं।

....*(व्यवधान)*

श्री गिरधारी लाल भार्गव: माननीय सदस्य पानी के लिए कह रहे हैं। अगर पानी मिल जाएगा तो हम किसानों को दे देंगे। ....*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसे मत कीजिए।

....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (बड़ोदरा): महोदय, यह मेरे राज्य गुजरात से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यह ताप्ती गैस

क्षेत्र से पीपावव ऊर्जा परियोजना को गैसापूर्ति पर मंत्री जी द्वारा दिए गए आश्वासन से संबंधित है और यह कि ताप्ती बेसिन हेतु विकास योजना को मई, 2004 तक अंतिम रूप दे दिया जायेगा। तथापि, इसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। मुख्यमंत्री ने तत्कालीन प्रधानमंत्री जी से 3.65 एम एम एस सी एम डी आबंटन को अंतिम रूप देने तथा लैण्डफाल बिन्दु को पीपावव अथवा हजीरा पर ही रखने का अनुरोध किया था। मैं सरकार से बिना कोई समय नष्ट किये इसका समाधान करने का अनुरोध करती हूं।

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): अध्यक्ष महोदय, 100 से भी अधिक भारतीय मछुआरे पिछले छह-सात महीनों से पाकिस्तानी जेलों में बंद हैं।

उन्हें पाकिस्तानी नौसेना ने पाकिस्तानी की क्षेत्रीय जल सीमा को पार करने की वजह से पकड़ा था। भारतीय मछुआरों के साथ-साथ अन्य देशों के जिन नागरिकों को पकड़ा गया था उन्हें छोड़ दिया गया है किन्तु केवल भारतीय मछुआरे ही जेलों में कैद हैं। भारतीय मछुआरों ने कई ट्रालरों को इस्तेमाल किया था और जब वे संकट में फंस गए तो उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। मैं केन्द्र सरकार और गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय से पाकिस्तानी जेलों में कैद भारतीय मछुआरों की रिहाई और प्रत्यर्पण के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

इसी संबंध में, मैं सरकार का ध्यान व्यापार के उद्देश्य से पाकिस्तान गए कई केरलवासियों की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि उनका कोई उत्प्रवास अभिलेख नहीं मिल रहा है। वे भारत वापस आना चाहते हैं। उनके परिवार भारत में हैं। इस संबंध में, मैं सरकार से भारतीय मछुआरों की रिहाई उनके मूल देश, भारत को उनके प्रत्यर्पण के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री गणेश सिंह, आपने दो विषयों के संबंध में नोटिस दिए हैं। एक की अनुमति दी जाती है।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। मैं आपकी मदद कर रहा हूं।

....(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: एक गुड़गांव की घटना से संबंधित है जिस पर पहले ही पर्याप्त चर्चा हो चुकी है। जहां तक बाढ़ से संबंधित आपके दूसरे मामले का संबंध है तो मैंने नियम 193 के अधीन पर्याप्त ढंग से चर्चा की अनुमति दी है। मैं आपको उसमें भाग लेने की अनुमति दूंगा। आपको बोलने का अधिक अवसर मिलेगा। आप आपना नाम दो और मैं आपको बुलाऊंगा। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

श्रीमती पी. सतीदेवी—उपस्थित नहीं।

श्री शैलेन्द्र कुमार—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, केन्द्र में यूपीए सरकार के आने के बाद पूरे देश में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है। देश के सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक सुरक्षा वाले धर्मस्थल अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि, जो करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का प्रतीक है, वहां पांच जुलाई को आतंकवादी गतिविधियों के तहत एक आतंकी हमला किया गया। अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि पर स्थित मंदिर की सुरक्षा का दायित्व प्रदेश और केन्द्र दोनों सरकारों की सामूहिक जिम्मेदारी के तहत आता है। इसलिए अयोध्या की घटना के लिए केन्द्र और प्रदेश दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। लेकिन जहां केन्द्रीय गृह मंत्री जी ने अयोध्या का दौरा किया वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के गैर-जिम्मेदाराना रवैये से हर व्यक्ति आक्रोशित है। जिस हल्केपन से उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी घटनाओं को लिया है, वह बहुत बड़े संदेह को जन्म देता है क्योंकि जिन गाड़ियों का उस हमले में प्रयोग किया गया था, उन पर एक पार्टी विशेष के झंडे लगे थे। इस हमले के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि उसके पीछे पाकिस्तान का हाथ था। इस हमले के एक सप्ताह पूर्व उत्तर प्रदेश के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को हटाने के संबंध में बयान आये थे। उसके बाद एक सप्ताह के अंदर जिस तरह से अयोध्या में श्री राम जन्म भूमि परिसर पर हमला हुआ, उससे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर करोड़ों हिन्दुओं की आस्था पर ठेस पहुंची है। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस घटना की सीबीआई से जांच कराई जाये क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार या वहां के प्रशासन पर अब विश्वास नहीं किया जा सकता।

इसी तरह जिस प्रकार कल के समाचार-पत्रों में पढ़ने को मिला है कि जम्मू-कश्मीर सरकार ने उन आतंकियों को उत्तर प्रदेश सरकार और वहां की पुलिस को सौंपने से इंकार किया है, उस संबंध में अयोध्या में चूंकि करोड़ों हिन्दुओं की आस्था का प्रतीक वह धर्मस्थल है इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी इस पर वक्तव्य दें और इस घटना की केन्द्रीय एजेंसी से जांच कराने की व्यवस्था करें।

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, जैसा कि आपको पता है इस सरकार द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों में बार-बार की जा रही वृद्धि के कारण आम आदमी का जीवन नरक बन गया है। इससे अन्य आवश्यक वस्तुओं के दामों पर भी प्रभाव पड़ता है विशेषकर डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी से सभी वस्तुओं के दामों में वृद्धि होती है। कृषकों को भी इससे कठिनाई हो रही है हम इस पर व्यापक चर्चा की मांग करते है क्योंकि हम वामदलों की तरफ से सरकार को तेल अंतर्राष्ट्रीय दामों में हो रही लगातार वृद्धि के मद्देनजर तेल स्थिरता कोष (ऑयल स्टेबलाइजेशन फंड) की स्थापना हेतु पहले ही एक वैकल्पिक प्रस्ताव सौंप चुके हैं। हमारे द्वारा प्रस्तुत किया गए इस वैकल्पिक प्रस्ताव पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है? सरकार पहले ही शुल्क के रूप में भारी धनराशि एकत्रित कर चुकी है। जिसका उपयोग आम आदमी के हितों की सुरक्षा के लिए स्थिरता कोष की स्थापना के लिए किया जा सकता है। हम मूल्य की स्थिति विशेषकर पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में हुई वृद्धि के संबंध में व्यापक चर्चा की मांग करते हैं जिसने इस देश को आम लोगों के जीवन को नरक बना दिया है।

श्रीमती सी. एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय रेलवे स्टेशन पर वाहन को खड़ा करने के पार्किंग शुल्क में प्रस्तावित बढ़ोत्तरी से रेल यात्रियों के साथ-साथ रेलवे के राजस्व पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

साइकिल के लिए 2.00 रुपए से 40.00 रुपए, दो पहिए के वाहन के लिए 60 रुपए से 180 रुपए, ऑटो रिक्शा के लिए 100 रुपए से 700 रुपए और कार के लिए 400 रुपए से 1500 रुपए की वृद्धि का प्रस्ताव है।

रेलवे के दैनिक यात्री रेलवे स्टेशनों तक जाने के लिए सामान्यतः साइकिलों और दो पहिए के स्कूटर पर निर्भर होते हैं। वाहनों की पार्किंग शुल्क में अत्यधिक वृद्धि से इन यात्रियों पर भारी आर्थिक भार पड़ेगा जो इन्हें परिवहन के अन्य विकल्पों को अपनाने पर मजबूर करेगा। ऐसी स्थिति के परिणामस्वरूप रेलवे के अन्य राजस्व आय में अच्छी-खासी गिरावट आएगी।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से रेलवे यात्रियों के हितों के मद्देनजर इस जन विरोधी कदम को तत्काल वापस लेने का अनुरोध करती हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, हाल ही में केरल में उचित आव्रजन और अन्य रिकार्डों के बिना तीन विदेशी नागरिकों का पता चला था। वस्तुतः उन्हें हमारी पुलिस द्वारा नहीं पकड़ा गया है चाहे वे केन्द्र सरकार के कर्मचारी हैं अथवा राज्य सरकार के कर्मचारी हों वे अन्य देश की यात्रा कर रहे थे। जहां पर आव्रजन के लोगों ने पाया कि इनके पास उचित रिकार्ड नहीं है। और उन्हें भारत वापिस भेज दिया गया। वे त्रिवेन्द्रम विमानपत्तन पर वापिस आ गए जिनमें से दो को पकड़ लिया गया जबकि तीसरा अभी भी गायब है। यहां पर यह सच भी हैरान करने वाला है कि ये संदिग्ध लोग उस समय आए जब डा. अब्दुल कलाम को केरल के दौरे पर जाना था। उसे स्थगित कर दिया गया था। वह बाद में आए थे। उस दौरान इन विदेशी नागरिकों को यहां पाया गया था। इसलिए इस बात पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया कि कहीं इनके संबंध आतंकवादियों से तो नहीं हैं। अब भारत सरकार को इस मामले में तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। कल मुख्यमंत्री द्वारा यह कहा गया है कि हमारे विमानपत्तनों पर कुछ नए और आधुनिक उपकरण लगाए जाएंगे। मैं महसूस करता हूं कि इन उपकरणों को पूरे भारत में विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर लगाना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखा जाना चाहिए कि किसी प्रकार का जाली वीजा अथवा किसी प्रकार के अवैध आव्रजन को तत्काल पकड़ा जाना चाहिए। कानून के हाथ इतने लम्बे और सशक्त होने चाहिए ताकि ऐसे लोगों को पकड़ा जा सके।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री पी. सी. थामस: मैं महसूस करता हूं कि इस संबंध में भारत सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। मुझे थोड़ा हैरानी है क्योंकि एक मंत्री ने कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है अथवा भारत सरकार से अभी तक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। सरकार कह रही है कि उन्हें इस संबंध में रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

अध्यक्ष महोदय: यह बिल्कुल सही है। आप यहां पर भाषण नहीं दे सकते। कृपया सहयोग करें। मैंने आपको अनुमति दी है।

श्री पी. सी. थामस: मैं केवल यही सुझाव देना चाहता हूं कि हमारी नीयत साफ होनी चाहिए ताकि ऐसी चीजों को तुरंत पकड़ा जा सके। मैं समझता हूं कि भारत सरकार को इसको एक अत्यंत गंभीर मुद्दा समझना चाहिए ताकि ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके। इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि क्या इनके आतंकवादियों से भी संबंध हैं। यह सच है कि हाल ही में ऐसा संदेह हुआ था कि विदेश के कुछ आतंकवादी हमारे देश में तटीय क्षेत्रों में घुस गए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके अधिक कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एल. गणेशन (तिरुचिरापल्ली): अध्यक्ष महोदय, बड़ी वेदना तथा खेद के साथ मैं इस सभा तथा भारत सरकार का ध्यान तमिलनाडु विशेष रूप से कावेरी डेल्टा के किसानों तथा कृषि से जुड़े श्रमिकों की दुर्दशा, वेदना, पीड़ा तथा दुख की ओर आकर्षित करूंगा।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का अवसर दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह तो है। मुझे चर्चा करने दें। आपके नेता पहले ही बोल चुके हैं।

श्री एल. गणेशन: पिछले तीन-चार सालों से इस क्षेत्र में लगातार भीषण सूखा पड़ रहा है। पानी न होने से खेती करना संभव नहीं रहा। इस क्षेत्र को कभी दक्षिण का अनाज भण्डार कहा जाता था और उस डेल्टा क्षेत्र में इस तरह के सूखे के दौरान तमिलनाडु के अन्य भागों से लोग यहां आकर आसरा लेते थे।

परन्तु अब क्या हो रहा है? इस डेल्टा क्षेत्र के लोग, किसान तथा कृषि से जुड़े श्रमिक अपने जीवन-यापन के लिए क्षेत्र से बाहर जाते हैं। कल तमिलनाडु से लोक सभा के हम सभी सदस्य तथा तमिलनाडु के नेता प्रधानमंत्री जी से मिले और उन्हें तत्काल कार्यवाही करने का अनुरोध करते हुए ज्ञापन दिया।

महोदय, अब स्थिति यह है कि मेट्टूर में पानी बिल्कुल नहीं है। कबिनी जलाशय पूरा भरा हुआ है तथा कृष्ण अर्जुन सागर भी लगभग पूरा भरा हुआ है। अत: यदि भारत सरकार प्रभावी रूप से हस्तक्षेप करके कर्नाटक सरकार के साथ हावी हो जाती है कि भविष्य में पानी छोड़ दिया जाएगा केवल तभी कावेरी डेल्टा को बचाया जा सकता है।

महोदय, उच्चतम न्यायालय के निदेश के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा एक अधिकरण गठित किया गया था। कर्नाटक तथा तमिलनाडु सरकारों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए इस अधिकरण का गठन 1990 में किए गया था। इस अधिकरण द्वारा अपना अंतरिक निर्णय 1991 में दिया गया था। अत: केन्द्र सरकार द्वारा इस अधिकरण का गठन उच्चतम न्यायालय के निदेश तथा 1956 के अधिनियम के अनुसार किया गया था। 1991 में अधिकरण ने यह अंतरिम निर्णय दिया था कि तमिलनाडु को प्रत्येक वर्ष 205 टी एम सी पानी दिया जाएगा। परन्तु इसका कर्नाटक राज्य द्वारा कार्यान्वयन नहीं किया गया। इसी कारण ये सभी समस्या उत्पन्न हुई। इतना ही नहीं आंतरिक निर्णय के दिए जाने के तुरंत बाद उस समय की कर्नाटक सरकार ने विधान सभा की बैठक की तथा अधिकरण द्वारा दिए गए अंतरिम फैसले को अस्वीकार करते हुए एक संकल्प पारित किया। अस्वीकार करने के अलावा उन्होंने एक अध्यादेश पारित किया था जिसके स्थान पर बाद में एक अधिनियम भी बना दिया गया। उनके द्वारा किए यह सभी कार्य पूर्णत: असंविधानिक है क्योंकि अधिकरण का गठन 1956 के अधिनियम के उपबंधों के अंतर्गत कानून के अनुसार तथा उच्चतम न्यायालय के निदेश के अनुसार किया गया था।

अत: अधिकरण द्वारा दिए गए अंतरिक फैसले के विरुद्ध जाना पूर्णत: असंवैधानिक है। परन्तु उस समय की कर्नाटक सरकार ने इन अत्याचारों को देख अपनी आंखें बंद कर ली।

अब मैं अपने प्रधानमंत्री जी तथा भारत सरकार से कर्नाटक सरकार पर पानी देने का जोर डालने का अनुरोध करता हूं ताकि हमारे किसान बच सकें। 1991 से 2005 तक के कई वर्षों तक अंतरिक फैसला एक अंतरिम फैसला ही रहा। कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: ये सभी मामले महत्वपूर्ण हैं न कि भाषण। कृपया संक्षेप में बोलें।

श्री एल. गणेशन: अंत: महोदय, मैं केन्द्र सरकार से अंतिम फैसला कराने का पुन: अनुरोध करूंगा। धन्यवाद

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): महोदय, मैं भी स्वयं को अपने साथी की बात साथ संबद्ध करता हूं।

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपाराई (शिवकाशी): महोदय, मैं भी स्वयं को श्री एल. गणेशन द्वारा उठाए गए इस गंभीर मुद्दे में शामिल करता हूं।

श्री ए. कृष्णास्वामी: महोदय, मुझे श्री इसमें शामिल होने की अनुमति दें। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है।

श्री ए.के.एस. विजयन (नागापट्टिनम): महोदय, तमिलनाडु से हम सभी सदस्य हमारे साथी श्री गणेशन द्वारा जताई गई चिंता से स्वयं को संबद्ध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप शामिल हो सकते हैं।

अपराह्न 12.59 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा माना जाए।

*सभा पटल पर रखे माने गए।

(एक) गुजरात के अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में जंगली जानवरों के आतंक को रोकने के लिए उपयुक्त उपाए किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी. के. ठुम्मर (अमरेली): अध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली एवं इसके आसपास के जिलों में जंगली जानवर किसानों की खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तालुक कोकावा एवं तालुका धारी में लगभग सभी किसानों की खड़ी फसल को नील गाय, कालियार एवं रोज नामक जंगली जानवरों ने पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। आज किसानों को अपने परिवार का लालन-पालन करने के लिए कोई भी सहारा नहीं है। राज्य सरकार और केन्द्र सरकार इस प्रकार की घटनाओं पर किसी प्रकार की मदद नहीं करती हैं। इन फसलों के नष्ट होने से मेरे संसदीय क्षेत्र के किसान परिवार भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। किसान लोग कई कानूनों के कारण इन जंगली जानवरों के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते हैं।

अत: केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाये जायें एवं जिन किसानों की फसल नष्ट हुई हैं, उनको उचित मुआवजा दिया जाये।

(दो) भारत कोकिंग कोल एंड ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कोयले की नीलामी की प्रक्रिया को सरल और कारगर बनाए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र शेखर दुबे (धनबाद): अध्यक्ष महोदय, कोल इंडिया के अनुषंगी इकाई कोल, ईस्टर्न, कोलफील्ड लि. आदि में कोयला बिक्री "ई आक्शन" के माध्यम से हो रहा है। ई आक्शन के द्वारा बड़े व्यापारी रेलवे रैक से बारह सौ रुपये प्रति टन कोयला ले रहे हैं उसी ग्रेड के कोयले को रोड़ (ट्रक) द्वारा लेने वाले छोटे छोटे व्यापारी 3900 (उन्नतीस सौ) रुपये प्रति टन खरीदते हैं, जिससे छोटे छोटे उद्योग बंद हो रहे हैं और बेरोजगारी एवं मंहगाई बढ़ रही है। दूसरी तरफ रेल एवं रोड सेल के बीच के अंतर से भारी रकम सरकारी खाते में नहीं जा रही है।

अत: इस विषमता को दूर कर सामान्य मूल्य पर छोटे-बड़े व्यापारियों को कोयला उपलब्ध कराने एवं बीच के रकम को वसूलने वाले लोगों पर कार्यवाही की जाये।

(तीन) उत्तरी गुजरात में बार-बार पड़ने वाले सूखे को नियंत्रित करने के लिए गुजरात सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिसिंह चावड़ा (बनासकांठा): अध्यक्ष महोदय, सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर गुजरात में हर साल होने वाले सूखे की समस्या की तरफ दिलाना चाहता हूं। उत्तर गुजरात में हर साल सूखे की समस्या रहती है, इसके लिए जो डैम बनाया हुआ है, उसमें पानी नहीं है। इसके लिए मैंने केन्द्र सरकार को कई बार अनुरोध किया है। वैसे गुजरात के कई हिस्सों में अपार बारिश होने के बाद बाढ़ जैसी समस्या पैदा हुई है। परन्तु उत्तर गुजरात में बारिश इस साल भी नहीं हुई है, जिसके कारण सिंचाई के अभाव में अभी तक किसानों ने अपने खेतों में बोआई का काम शुरू नहीं किया है। पानी के अभाव में लोगों को पेयजल नहीं मिल पा रहा है, जिस पाइप लाइन से पानी की आपूर्ति होती है, वह भी पुरानी है और कई जगहों से टूटी हुई है। भूमि जल स्तर पर बहुत नीचे चला गया है। इन सब कारणों से उत्तर गुजरात हमेशा सूखे की चपेट में रहता है। अभी तक इसका स्थायी हल नहीं किया गया है।

अत: सरकार से अनुरोध है कि इस हमेशा रहने वाली समस्या के निराकरण हेतु प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाये जायें और इसके लिए एक विशेष पैकेज दिये जाने की आवश्यकता भी है।

(चार) आंध्र प्रदेश के महबूबनगर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदलने के लिए लम्बे समय से लंबित प्रस्तावों पर शीघ्र कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. विट्ठल राव (महबूबनगर): यह एक सुस्थापित तथ्य है कि राज्य राजमार्गों को राष्ट्रीय राजमार्गों में बदले का कार्य सरकार की वरीयता सूची में है। लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य होता है कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र महबूबनगर में इस परिवर्तन से संबंधित कुछ प्रस्ताव सभी प्रकार से पूरे होने के बावजूद और संबंधित अधिकारियों द्वारा केन्द्र सरकार को वर्ष 1992, 1998 और 2003 में भेजे जाने के बावजूद संबंधित कार्यों को पूरा किए जाने के लिए मंजूरी हेतु और आवश्यक वित्तीय स्वीकृति हेतु अभी लंबित पड़े हैं और सड़क का उपयोग करने वाले लोग अनावश्यक रूप से दुःख झेल रहे हैं।

मैं इस अवसर पर जोर देकर यही कहूंगा कि इन प्रस्तावों का संबंध आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों से है, इसलिए त्वरित विकास के लिए इन पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

मैं केन्द सरकार से शीघ्र इनकी जांच करने और उक्त प्रस्तावों को मंजूरी प्रदान करने और संबंधित अधिकारियों को दिशानिर्देश देने का अनुरोध करता हूं ताकि इन परियोजनाओं के कार्यों को वरीयता के आधार पर पूरा किया जा सके।

(पांच) गुजरात में मोडासा-शामलाजी रेल लाईन का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): शामलजी रोड तक कपड़वंज-मोडासा बड़ी रेल लाइन सीधे रेल मार्ग द्वारा उदयपुर-चित्तोड़गढ़ को मुंबई से जोड़ देगी और मोडासा-कपडवंज-आनंद को रास्ता उदयपुर चित्तौड़गढ़ दिल्ली से जोड़ देगी। 15 कि.मी. लम्बी नयी रेल लाइन के निर्माण से दिल्ली से चित्तौड़गढ़-उदयपुर के लिए और फिर मोडासा-कपड़वंज-नाडियाड और मुंबई तक एक वैकल्पिक रेल मार्ग खुल जाएगा।

वर्ष 2003 में तत्कालीन रेल मंत्री द्वारा इस विचार को स्वीकार कर लिया गया था और उन्होंने योडासा-शामलाजी रेलवे लाइन के निर्माण का सर्वेक्षण करने की घोषणा की और तदनुसार पश्चिमी रेलवे ने एक सर्वेक्षण कराया जो अब पूरा हो गया है। यह परियोजना पश्चिमी रेलवे मंडल के अधीन है। इस परियोजना की लागत अधिक नहीं है और यह रेल मंत्री के विवेकाधिकार के अंतर्गत आती है और यह उनके अपने बजट से पूरा हो जाएगा।

मैं रेल मंत्री से इस परियोजना को मंजूरी देने का अनुरोध करता हूं। ताकि 15 कि.मी. लम्बी बड़ी लाइन बिछायी जा सके और चित्तौड़गढ़-उदयपुर-मोडासा और नाडियाड-वडोदरा से मुंबई और पुनः इसी रास्ते दिल्ली तक मार्ग खोला जा सके।

(छह) अहमदाबाद, गुजरात में राष्ट्रीय बचत संगठन के कार्यालय को बनाए रखने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): गुजरात के मुख्यमंत्री ने दिनांक 5.2.2003, 30.7.2003 और 3.12.2002 को अहमदाबाद स्थित राष्ट्रीय बचत संगठन के कार्यालय को बनाए रखने के संबंध में वित्त मंत्री जी को विस्तृत पत्र भेजे थे फिर भी उक्त मामले से संबंधित इस मुद्दे का समाधान नहीं किया गया है। मैं सरकार से शीघ्रातिशीघ्र यह मामला सुलझाने का अनुरोध करती हूं।

(सात) उत्तरांचल के गढ़वाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अर्द्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र उत्तरांचल में आसाम राइफल्स व पैरा-मिलिट्री फोर्स के सेवा निवृत्त सैनिकों को कैंटीन सुविधा दिलाने की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। मैंने इस संबंध में पूर्व में भी लोक सभा के माननीय गृह मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया था और मुझे बताया गया था कि ये मामला विचाराधीन है। मेरा निर्वाचन क्षेत्र सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है और यहां हर फोर्स के सेवानिवृत्त कर्मचारी रहते हैं, लेकिन उनको कैंटीन सुविधा उपलब्ध नहीं है जबकि रक्षा बलों के कार्मिकों को ये सुविधाएं उपलब्ध हैं।

अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट (सी.एस.डी.) की सुविधायें असम राइफल्स, अर्द्ध-सैनिक बलों के कार्मिकों को भी दी जायें।

(आठ) देश में आदिवासियों को वन भूमि अधिकार प्रदान करने के लिए कानून बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री अनन्त नायक (क्योंझर): यह गंभीर चिंता का विषय है कि पूरे भारत में वन भूमि के स्वामियों को वनभूमि अधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। यद्यपि, यह मामला विभिन्न मंचों पर उठाया जाता रहा है तथापि, सरकार ने इस संबंध में कोई कानून नहीं पारित किया है। वनभूमि अधिकार के प्रावधान का विधेयक लंबित है और इस पर सरकार द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है और इसे पारित भी नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी जिनके पास अपना छोटा सा भूमि का टुकड़ा है और जिन पर उनकी झोंपड़ियां बनी हैं अब वे बड़ी अनिश्चिता के साथ अपने दिन गुजार रहे हैं।

इसके मद्देनजर, मैं यह मांग करता हूं कि आदिवासियों को वन भूमि अधिकार देने संबंधी विधेयक को संसद में बिना किसी विलंब के प्रस्तुत और पारित किया जाए।

(नौ) राजस्थान के जयपुर जिले में नमक का उत्पादन कर रहे सांभर साल्ट्स लिमिटेड के कदाचारपूर्ण कार्यकरण की जांच किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के जयपुर जिले में 90 वर्ग किलोमीटर में फैली सांभर लेक एशिया की प्राकृतिक नमक उत्पादन की झील है। यह झील एवं इसकी कंपनी सांभर साल्ट्स लिमिटेड, भारत सरकार के उपक्रम हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के अधीन है। इस झील में नमक उत्पादन मात्र दसवें हिस्से पर होता है जबकि 1035 एकड़ जमीन कई सालों से अतिक्रमण में है। इस कंपनी में आज से 7-8 साल पहले 1500 श्रमिक कर्मचारी कार्यरत थे। आज स्थिति यह है कि इसमें मात्र

[श्री कैलाश मेघवाल]

140 कर्मचारी कार्यरत है, जिसमें 100 से अधिक अधिकारी वर्ग है। इसका मुख्यालय भी कार्यस्थल सांभर होते हुए भी जयपुर कर रखा है। जिससे यात्रा भत्ता खर्च ही प्रतिमाह लाखों रुपयों का होता है। जबकि सांभर लेक में कंपनी के अधिपत्य में पर्याप्त भवन उपलब्ध है। सांभर के नागरिकगण इस कंपनी के निजीकरण की मांग करते आ रहे हैं। किन्तु, केन्द्र सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। यदि कंपनी का तत्काल निजीकरण करवा दिया जाये और झील के छोटे छोटे पट्टे दे दिये जायें तो इस क्षेत्र के हजारों बेरोजगार युवाओं व श्रमिकों को रोजगार के समुचित अवसर प्राप्त होंगे।

सांभर साल्ट्स में पिछले सालों से करोड़ों रुपयों का प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है, जो प्रतिवर्ष बढ़ता जा रहा है और इस घाटे की पूर्ति केन्द्र सरकार से की जा रही है। अत: यहां की प्रशासकीय अव्यवस्था एवं आर्थिक घपलों का अविलम्ब जांच कराई जाए।

(दस) जनसंख्या में वृद्धि तथा पड़ोसी देशों से घुसपैठ को रोके जाने की आवश्यकता

श्री दानवे रावसाहेब पाटील (जालना): अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में बांग्लादेशी और नेपाली लोग यहां आकर यहां ही बसते जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे देश की जनसंख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए जितने भी उपाय हमने किए हैं वे कारगार नहीं साबित हुए हैं और उस पर बांग्लादेशी और नेपाली लोगों के यहां आकर रहने से हमारी समस्या और बढ़ गयी है।

मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि वह इस बारे में गंभीरता से विचार करें कि कैसे हम आबादी और घुसपैठ पर नियंत्रण करें।

(ग्यारह) केरल में पर्यटन उद्योग के और अधिक विकास के लिए उपयुक्त उपाए किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): केरल नदियों, अनूपों (पश्चजल) हित स्टेशनों तथा अरब सागर के तट वाला राज्य है। इसे 'ईश्वर का देश' कहा जाता है। केरल भारत में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल के रूप में तेजी से उभर रहा है। यदि अवसंरचना और विकासात्मक कार्यों की समुचित रूप से योजना तैयार करके उसे क्रियान्वित किया जाए तो इसे सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थलों में से एक के रूप में विकसित किया जा सकता है। यू. एन. डी. पी., इंडिया टुडे और अन्य एजेंसियों ने अपने सर्वेक्षण रिपोर्टों में केरल को सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक विकसित राज्य घोषित किया है। रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु, इस श्रम शक्ति संसाधनों का उपयोग गाइड के रूप में प्रशिक्षण देकर किया जा सकता है। भारत के पर्यटन स्थलों और महत्वपूर्ण शहरों को सड़क रेल यातायात आदि से जोड़ने जैसे अवसंरचना विकास के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह केरल में पर्यटन उद्योग का आगे और विकास करने के लिए चर्चा करने व नए पैकेज की व्यवस्था करने हेतु केन्द्र सरकार राज्य सरकारों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन विभागों और एजेंसियों की एक बैठक बुलाए।

(बारह) उत्तर प्रदेश राज्य में घाटी विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में बीहड़ योजना के अंतर्गत आगरा, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, बांदा, हमीरपुर, महोबा, जालौन तथा झांसी जनपदों के बीहड़ क्षेत्र में 4900 हेक्टेयर भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य से रु. 12.11 करोड़ की लागत से चलायी जाने वाली परियोजना सचिव, बाह्य सहायित परियोजना विभाग को पत्र संख्या 189 (3)/14.5.2002-52/2001, दिनांक 26.12.2002 को प्रेषित की गयी थी। नोडल कमेटी के अनुमोदन के पश्चात निदेशक, आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार को सचिव, बाह्य सहायित परियोजना विभाग, उ.प्र. द्वारा पत्रांक: 144/72-ई.ए.पी.डी./2003, दिनांक 18.2.2003 से भेजा गया। विभाग द्वारा भी भारत सरकार को अपनी संस्तुति पत्रांक: 294/14.5.2003-52/2001, दिनांक 3.3.2002 द्वारा अग्रेतर कार्यवाही करने के लिए भेजा गया। अंतिम अनुस्मारक पत्र संख्या: 104/14-5-52/2001, दिनांक 12.1.2005 को भेजा गया है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि उत्तर प्रदेश में उक्त जनपदों हेतु बीहड़ सुधार योजना के लिए 4900 हेक्टेयर भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी कार्यों हेतु 12.11 करोड़ रुपए अविलम्ब जारी करने के आदेश देने का कष्ट करें।

(तेरह) बिहार के समस्तीपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बछवाड़ा और पूसा के बीच विभिन्न रेलवे स्टेशनों को समस्तीपुर रेलवे जोन के अंतर्गत लाए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र अंतर्गत बछवाड़ा से समस्तीपुर होते हुए पूसा रेलवे स्टेशन तक (ब्रॉडगेज) बड़ी लाइन है, जिसमें कई

स्टेशन एवं प्लेटफार्म हैं, जो सोनपुर मंडल के अंतर्गत आता है। सोनपुर मंडल कार्यालय की दूरी यहां से ज्यादा होने के कारण अक्सर कई प्रशासनिक दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जबकि उक्त रेल खंड के काफी नजदीक समस्तीपुर में ही समस्तीपुर रेल मंडल का कार्यालय है। प्रशासनिक दृष्टिकोण से उक्त रेल खण्ड को समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत होना चाहिए।

अत: मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकृष्ट करते हुए मांग करना चाहता हूं कि उक्त रेल खण्ड को प्रशासनिक दृष्टिकोण से सोनपुर रेल मंडल के बजाय समस्तीपुर रेल मंडल के अंतर्गत रखा जाये।

(चौदह) उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में गोमती नदी में प्रदूषण रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री मो. ताहिर (सुल्तानपुर): अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले से होकर गोमती नदी बहती है तथा यह नदी कम से कम 120 कि.मी. क्षेत्र तक है। इस नदी के किनारे कई बड़ी फैक्ट्रियां हैं। इन सभी औद्योगिक क्षेत्रों से निकलने वाला मलबा नदी में गिरता है। केन्द्र द्वारा नदियों तथा स्वच्छ पानी के लिए राज्यों को करोड़ों रुपये की राशि वितरित की जाती है, लेकिन इन नदी के पानी को साफ रखने के लिए अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जो प्रदूषण संयंत्र यहां पर लगे हुए हैं, उनकी हालत सालों से खराब है। ऐसी मशीनों की शीघ्र मरम्मत तथा रखरखाव किया जाये ताकि नदी के पानी से होने वाली बीमारियों में आने के संकेत प्राप्त हो सके। सरकार शीघ्र संबंधित अधिकारियों तथा राज्य सरकार से नदी की सफाई करने तथा प्रदूषण मुक्त करने की योजना पर अमल करने का आदेश जारी करे।

(पन्द्रह) बी. टी. कपास के उत्पादन पर प्रतिबंध लगाने तथा इस फसल की बुवाई के कारण प्रभावित किसानों को प्रतिपूर्ति दिए जाने की आवश्यकता

श्री अनंत गुढ़े (अमरावती): अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को ज्ञात है कि सरकार ने पिछले दो सालों से बी.टी. कॉटन बोने की अनुमति प्रदान की है। पिछले दो सालों से किसान इसे बो रहा है, किन्तु इसके नतीजे निराशाजनक हैं। इस साल की फसल से तो किसानों की लगातार शिकायतें आ रही हैं। बी.टी. कॉटन के बीज में काफी हद तक अप्रमाणित बीज शामिल होने की वजह से किसान, जो कि कर्जा लेकर, बड़ी आस लगातार अपनी फसल उगाने के लिए जीतोड़ मेहनत करते हैं। उनके हाथ बरबादी के अलावा कुछ नहीं आता।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस बी.टी. कॉटन के उपयोग को तुरंत बंद करवाया जाये तथा एक जांच कमेटी का इस संबंध में गठन करके, जिन किसानों का इसके प्रयोग से नुकसान हुआ है, उन्हें मुआवजा दिया जाये।

(सोलह) स्थानीय आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए उड़ीसा के कंधामाल जिले में एक अभयारण्य बनाए जाने के प्रस्ताव को छोड़ जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री सुग्रीव सिंह (फुलबनी): सरकार द्वारा तुम्बिबंद में एक अभ्यारण्य बनाए जाने का निर्णय लेने के कारण उड़ीसा के कंधामाल जिले में, जो कि फुलबनी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का एक बड़ा भाग है, गंभीर स्थिति पैदा हो गयी है।

कंधामाल जिले का कुल वन क्षेत्र 5710 कि.मी. है। कंधामाल की अधिकांश जनसंख्या अपने जीवनयापन हेतु वन पर निर्भर करती है। जो क्षेत्र प्रस्तावित अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है वह मुख्यत: जनजातीय बहुल इलाका है। अभ्यारण्य बनाए जाने के पश्चात भारी संख्या में जनजातीय आबादी को उस क्षेत्र से विस्थापित होना पड़ेगा। अभ्यारण्य क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाए जाने की वजह से, स्थानीय लोग यहां तक कि लघु वन उत्पादों के संग्रहण हेतु भी वन में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इससे बेरोजगारी भी बढ़ेगी। इसके अलावा बाहर के क्षेत्रों से आए जो कर्मचारी कंधामाल में नियुक्त किए जाएंगे वे इस क्षेत्र की संस्कृति एवं विरासत की सुरक्षा नहीं कर पाएंगे। महोदय, इससे स्थानीय लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी।

इसलिए मैं माननीय पर्यावरण एवं वन मंत्री से उड़ीसा के तुम्बिबंद में अभ्यारण्य बनाए जाने के प्रस्ताव को त्यागने का अनुरोध करता हूं।

(सत्रह) तमिलनाडु के तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में साउथ इंडिया बाटलिंग कंपनी, जो निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को पीने के पानी की उपलब्धता से वंचित कर रही है, को बंद किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. अप्पादुराई (तेनकासी): मेरे तेनकासी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अमेरिका की एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में एस आई पी सी ओटी परिसर, गंगई कोंडन में साउथ इंडिया बाटलिंग कंपनी के नाम से एक फैक्टरी स्थापित की है। इस एस.आई.पी.सी.ओटी परिसर को औद्योगिक आवश्यकताओं

[श्री एम. अप्पादुराई]

के लिए तिरुनेवेली स्थित थमारी वरनी नदी से 45 लाख लीटर प्राप्त हो रहा है। साउथ इंडिया बाटलिंग कंपनी 15 रु. प्रति 1000 लीटर की दर से रोजाना 5 लाख लीटर पानी प्राप्त कर रही है। मिनरल वाटर और साफ्ट पेय के रूप में प्रसंस्करित करने के बाद एसआईपीसी ओटी. परिसर इसे 12 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचा जाता है। इसके अतिरिक्त, यह कंपनी जमीन से गहरी खुदाई के माध्यम से 6 लाख लीटर पानी प्रतिदिन निकालती है जिससे भूजल का स्तर और पानी की उपलब्धता दिन-प्रतिदिन कम होती जा रही है। इस भूजल पम्पिंग स्टेशन के पास तूतीकोरिन जिले, कोविलपट्टी नगर पालिका और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए एक व्यापक पेयजल योजना चल रही है। सत्तूर, विरुद्धनगर और शिवकासी को पेयजल आपूर्तिस हेतु एक व्यापक पेयजल योजना भी चल रही है। चूंकि कोविलपट्टी नगरपालिका, तूतीकोरिन, शिवागंगई जिलों और आसपास के क्षेत्रों के लोग पहले ही पानी की कमी की गंभीर समस्या का सामना कर रहे हैं, इसलिए लोग कंपनी द्वारा वाणिज्यक उद्देश्यों के लिए भूजल की भारी मात्रा के उपयोग से आंदोलित हैं क्योंकि इससे भूजल का स्तर घट रहा है।

इसलिए, मैं सरकार से पहले से ही सूखा प्रवण क्षेत्र में पेयजल की क्षमता को बनाये रखने के लिए एस आई पी सी ओटी परिसर से कंपनी को जल आपूर्ति रोकने और कंपनी को भूजल निकालकर बहुमूल्य पेयजल से आम आदमी को वंचित करने से रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने का अनुरोध करता हूं। इसके अतिरिक्त, सरकार इस बहुराष्ट्रीय कंपनी की इकाई को बंद भी कर सकती है।

(अठारह) बागवानी को प्रोत्साहन देने के लिए महाराष्ट्र के सतारा जिले में महाबलेश्वर और पाटन तहसीलों को विशेष बागवानी जोन घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील (कराड़): महाराष्ट्र के सतारा जिले की महाबलेश्वर और पाटन तहसीलों को पश्चिमी घाटी के इस क्षेत्र में स्ट्राबेरी, आम, काजू, शहद और चिकित्सीय पौधों की खेती को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से विशेष बागवानी जोन घोषित किये जाने की अत्यधिक आवश्यकता है और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड द्वारा विशेष बागवानी जोन के लिए क्रियान्वित केन्द्रीय प्रायोजित योजना का लागू किया जाए।

(उन्नीस) देश के विकास के लिए स्वदेशी संसाधनों पर आधारित नीतियां तैयार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): अध्यक्ष महोदय, आजादी की लड़ाईस के दौरान देश के आर्थिक विकास के लिए दो विचारधारायें चल रही थीं। एक थी दादा जी भाई नौरोजी की। वे कहते थे भारत का विकास अंग्रेजों के हित में है क्योंकि उनकी फैक्ट्रियों का माल भारत के बड़े बाजार में बिक सकेगा। दूसरी विचारधारा थी महात्मा गांधी जी की—उनका कहना था कि वित्तीय स्वशासन में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। देश को स्व-संसाधनों का विकास करना ही देश की प्रगति के लिए आवश्यक है। पश्चिमी देशों की नकल से हम विकास नहीं कर सकते। कुशलतम उत्पादक के चक्कर में हम हमारे नौजवानों को बेकार करते जायें। यह विकास योजनाएं और विश्व में पश्चिमी उपभोग की आदतों ने पृथ्वी पर बोझ बढ़ा दिया है, पर्यावरण को नष्ट कर दिया है, इससे बचना होगा। देश को अपने संसाधन और क्षमता को ध्यान में रख कर ही विकास का रास्ता चुनना होगा। विदेशी पूंजी विकास का रास्ता खोलती है पर वह गुलामी की जंजीरें भी बनाती हैं। विदेशी पूंजी स्वदेशी उद्यमता को बढ़ाने वाली होगी तो देश का संतुलित और सही विकास होगा और यदि यही पूंजी परावलम्बी उद्यमता को बढ़ाने वाली हुई तो गुलामी के रास्ते भी सामने आयेंगे। अतः मेरा सरकार से आग्रह है कि हम अपने आर्थिक विकास के लिए नए सिरे से विचार करें और वर्तमान उदारवादी और मुक्त बाजार के वातावरण में देश का संतुलित विकास करते हुए, आगे बढ़ें।

(बीस) कर्नाटक में "एन डब्ल्यू एस आई पीडे" नामक नारियल रोग से प्रभावित नारियल उत्पादकों को राहत प्रदान करने के लिए पर्याप्त धनराशि मंजूर किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर): "एन डब्ल्यू एस आई पीडे" नारियल, के पेड़ों में होने वाले रोग का नाम है जिसने कर्नाटक राज्य विशेषकर मेरे निर्वाचन क्षेत्र चामराजनगर में तबाही फैला रखी है। इस बीमारी के कारण नारियल का आकार मूल आकार का एक-चौथाई रह जाता है। पेड़ों के तने भी कमजोर होते जा रहे हैं तथा फल देने से पहले ही एक के बाद एक गिरते जा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार इस बीमारी से 1.5 करोड़ पेड़ नष्ट हो गए हैं। पहले सरकार नारियल उत्पादकों को उनकी समस्या के दौरान राहत प्रदान करती थी। तथापि, तात्कालिक मामले में राज्य ने अब तक कोई राहत उपाय नहीं किये हैं।

कर्नाटक के नारियल उत्पादकों को राहत उपाय के रूप में मैं माननीय केन्द्रीय कृषि मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री से कर्नाटक के नारियल उत्पादकों को राहत उपाय के रूप में 1000 करोड़ रुपये जारी करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 1.00 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

गुड़गांव में हौंडा मोटर्स के कर्मचारियों पर लाठीचार्ज की घटना के बारे में—*जारी*

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): गुड़गांव में अस्पताल के सामने आंसू गैस छोड़ी जा रही है और लाठीचार्ज हो रहा है। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): अध्यक्ष महोदय, वहां स्थिति और भी खराब हो रही है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक-एक करके बोलें, तो मैं सभी को मौका दूंगा। अगर ऐसे बोलेंगे तो इस तरीके से हाउस कैसे चलेगा इसलिए एक-एक करके बोलें।

...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, हमारी बात भी सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात भी सुनूंगा, लेकिन एक साथ मैं सबकी बात कैसे सुन सकता हूं।

...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: मैं तो बीच में बैठा हूं, ये लोग बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुखद बात है कि आप सब लोग खड़े हो जाते हैं एक-एक करके बोलें। पहले हरिन पाठक जी बोलें।

श्री हरिन पाठक: अध्यक्ष जी, आपने भी टीवी पर देखा होगा, सुबह भी उसमें दिखाया जा रहा था।

अध्यक्ष महोदय: मुझे देखने का मौका नहीं मिला।

श्री हरिन पाठक: गुड़गांव में जो कल घटना हुई, उसके संदर्भ में आपने काफी चर्चा कराई। हम समझते थे कि सदन की भावना मीडिया के जरिए प्रशासन तक जाएगी। लेकिन आज स्थिति उससे भी बदतर बनती जा रही है। वहां पुलिस द्वारा अस्पताल को घेर लिया गया है। कल सैकड़ों लोग जो घायल हुए थे, उनके परिजन उन्हें देखने जा रहे थे कि पुलिस द्वारा उन पर लाठियां बरसाई गई और आंसू गैस छोड़ी गई। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी चिंता दर्शा दी है।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक: आज स्थिति अनियंत्रित हो रही है। यहां तक कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि इस घटना की सीबीआई द्वारा जांच होनी चाहिए।

श्री इलियास आजमी: वहां फिर कल जैसा माहौल बनता जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय: वे जो काम कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। आप बैठ जाएं।

श्री हरिन पाठक: गुड़गांव में स्थिति और गंभीर बनती जा रही है। जो घायल हैं, जिन पर कल लाठियां बरसाई गईं, उनके स्वजनों पर आंसू गैस छोड़ी जा रही है और लाठीचार्ज किया जा रहा है। प्रतिपक्ष के जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, उन पर भी आंसू गैस छोड़ी जा रही है। लगता है अंग्रेजी शासन की प्रवृत्ति कांग्रेस सरकार में आ रही है। संसद में इतनी चर्चा होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन का अत्याचार जारी है। यह नहीं हो सकता कि पुलिस लोगों पर जुल्म करती रहे और हम संसद में बैठे रहें। प्रजा के चुने हुए विभिन्न पार्टियों के सांसदों के नाते हम यहां सदन में बैठे हैं। दूरदर्शन पर हमने अपनी आंखों से देखा कि मां-बहनों पर लाठीचार्ज किया गया, उनके सिर फोड़े गये। इस पर गंभीरता से सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री हरिन पाठन के इससे अधिक के वक्तव्य को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। श्री बसुदेव आचार्य जी कुछ कह रहे हैं केवल उसे ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री बसुदेव आचार्य: अध्यक्ष जी, घायलों के देखने उनके जो रिश्तेदार अस्पताल गये, उनके ऊपर भी लाठीचार्ज और आंसू-गैस छोड़ी गयी। हरियाणा भवन के सामने भी यही सब चल रहा है।

[अनुवाद]

ऐसा अभी भी हो रहा है। गृह मंत्री के वक्तव्य के बावजूद पुलिस द्वारा अभी भी कामगारों को पीटा जा रहा है। इन्होंने हरियाणा सरकार द्वारा तैयार किए गए वक्तव्य को पढ़ा है।

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने कहा था कि इनके प्रति ईमानदारी रखें। इन्होंने ऐसा कहा था।

ठीक हैं, मैं आपकी चिंताओं को समझता हूं। कृपया बैठ जाए।

श्री बसुदेव आचार्य: अब हम प्रधानमंत्री से वक्तव्य चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष जी, कल बर्बर लाठीचार्ज मजदूरों के ऊपर हुआ लेकिन आज उससे भी बर्बर कार्रवाई उनके परिवार वालों के ऊपर हुई। स्थिति यह है कि हरियाणा में कानून और व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। पुलिस बर्बर रूप धारण करके आम जनता के ऊपर अत्याचार कर रही है। मुझे अफसोस है कि भारत के गृहमंत्री जी से जो वक्तव्य हमने सदन में मांगा था, उन्होंने अपना वक्तव्य हरियाणा सरकार के प्रवक्ता के हिसाब से दिया है, जो अफसोसजनक है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप इनके प्रति ईमानदार नहीं हैं। इन्होंने स्पष्ट शब्दों में यह बात कहीं थी।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह: हरियाणा सरकार के प्रवक्ता का वक्तव्य सुनने के लिए हम लोग सदन में नहीं बैठ हैं, हम भारत सरकार का वक्तव्य सुनने के लिए बैठे हैं। अगर स्थिति को ठीक ढंग से डील किया होता तो स्थिति इतनी गंभीर न हुई होती। मैं भारत सरकार से इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करता हूं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपको अध्यक्षपीठ को आदेश देने की आवश्यकता नहीं है।

अब, श्री अजय चक्रवर्ती

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय हम माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य से निराश हैं हम इनके वक्तव्य से कुंठित हैं। अस्पताल में अभी भी लाठी भांजी जा रही है। अस्पतालों में घायलों को देखने और मिलने आए उनके रिश्तेदारों को पुलिस द्वारा बुरी तरह से पीटा गया है और उनके साथ हाथापाई की गई है। यहां तक कि ''हरियाणा भवन'' के सामने शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने वाले लोगों की बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है और पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज भी किया है वहां ये सब चीजें हो रही हैं।

इसलिए महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से पुलिस द्वारा की गई बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की निन्दा करने और बहुराष्ट्रीय कंपनी का समर्थन न करने का अनुरोध करता हूं। सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनी को इस बात की चेतावनी भी दे कि यदि वह हमारे देश में अपनी औद्योगिक कारोबार को जारी रखना चाहती है तो उन्हें विधिक कानूनों को और इस देश के श्रम कानूनों का पालन करना होगा।

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत दूर जा रहे हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती: महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बार पुनः भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह कंपनी को कामगारों के साथ मामले को सुलझाने और दोषियों के विरुद्ध गंभीर कार्रवाई करने का निर्देश दें।

गृहमंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय, मैंने प्रातः ही कहा था कि हमने वक्तव्यों को बहुत ध्यान से सुना है और हम माननीय सदस्यों के विचारों का ध्यान रखेंगे।

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): क्या आप एक मिनट के लिए चुप रहेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हरियाणा में अभी भी 'पुलिस राज' जारी है। मैंने इसे देखा है और मैं वहां से अभी-अभी आया हूं। अभी भी बर्बरतापूर्वक कार्रवाई जारी है। उनके वक्तव्य का क्या फायदा है।

अध्यक्ष महोदय: आपने नहीं सुना था लेकिन अन्य माननीय सदस्यों द्वारा पहले ही इसका उल्लेख किया जा चुका है। आप उस समय यहां नहीं थे।

श्री शिवराज वि. पाटील: इस सभा में और राज्य सभा में भी माननीय सदस्यों ने कहा था कि इस मामले की जांच न्यायाधीश द्वारा की जानी चाहिए और न्यायिक जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की थी और वे न्यायिक जांच करवाने के लिए सहमत हो गए हैं।

दूसरे, आज सुबह श्री गुरुदास दासगुप्त ने एक वक्तव्य दिया था। हम नहीं चाहते कि किसी के द्वारा भी इस सभा के माननीय सदस्य के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए। जब मैं मुख्यमंत्री के ध्यान में इस मामले को लाया तो उन्होंने कहा था कि यदि वे ऐसा करने वाले अधिकारी का नाम जानते हैं तो वह उस अधिकारी के विरुद्ध उचित कार्रवाई करेंगे।

तीसरा, एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि कितने लोग घायल हुए थे अथवा नहीं। यह एक ऐसा मामला है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। हम घायल लोगों की संख्या बताने की स्थिति में हैं यह जानकारी हमें पुलिस द्वारा भी दी गई है, जो वहां पर थी। हम वास्तविक सच्चाई का पता लगाएंगे। किसी ने कहा था कि 700 लोग मारे गए हैं और उनकी लाशों को गटर में फेंक दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरुदास दासगुप्त: ऐसा किसी ने नहीं कहा था ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील: मैं इस संबंध दिए गए वक्तव्यों पर नहीं जा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि हम सच्चाई का पता लगाएंगे और हरियाणा सरकार से उचित कार्रवाई करने के लिए कहेंगे। यदि इसके बाद भी सभा अथवा आप कुछ चाहते हैं तो हम वह भी करेंगे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सभी वरिष्ठ सदस्य एक साथ खड़े हैं। क्या आप सभी एक साथ बोलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि हर किसी को एक साथ सुना जाए। यह कैसे संभव है। मैं मामले के महत्व के कारण सभी नियमों को तोड़ रहा हूं। मैंने कई नियमों को तोड़ा है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मुझे थैंक्स नहीं दें। मुझे हाउस चलाने दीजिए। मुझे थैंक्स नहीं चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: क्या यह सभा सर्वसम्मति से कल की घटना की निंदा नहीं कर सकती?

अध्यक्ष महोदय: आप निंदा कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। अब ऐसा नहीं किया जा सकता।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यदि कांग्रेस पार्टी को कोई आपत्ति नहीं हो तो पूरी सभा को गुड़गांव की घटना का निंदा प्रस्ताव पारित करने दो।

अध्यक्ष महोदय: मुझे यहां पर राज्य सरकार का पक्ष प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): वहां पर जारी लाठी-चार्ज का क्या हुआ? माननीय गृह मंत्री को सभा को यह आश्वासन देना चाहिए कि वहां पर लाठीचार्ज रोक दिया जाएगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं विपक्ष के नेता को स्थगन प्रस्ताव पेश करने के लिए आमंत्रित करता हूं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा शहरी विकास मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): पांच लोगों पर गोली चली और मारे गए तो ये उसके ऊपर भी रैजोल्यूशन चाहते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार न्यायिक जांच के लिए सहमत हो गई है। उन्होंने उस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने का वायदा किया है जो हमारे माननीय सदस्य पर हमला करने का दोषी है। वे इस मामले को देख रहे हैं। उन्होंने किसी को दोष-मुक्त नहीं किया है। मैं दोहरा रहा हूं, यह राज्य का मामला है।

श्री अनन्त कुमार (बंगलौर दक्षिण): लाठीचार्ज का क्या हुआ? यह अभी भी जारी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जा रहा है। आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं?

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री अनन्त कुमार: आप लाठीचार्ज को स्टॉप करवाइए।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): दिल्ली में भी लाठीचार्ज हो रहा है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपसे इसे उपयुक्त ढंग से उठाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं उसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं इसे चर्चा में बदले जाने की अनुमति नहीं दूंगा। अब, माननीय नेता प्रतिपक्ष।

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी: अध्यक्ष महोदय, आपने बहुजन समाज पार्टी को बोलने का मौका नहीं दिया है। ...*(व्यवधान)* क्या इसे हाउस से खारिज किया गया है?

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी को बोलने का मौका दिया है। आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: एक बार दिया है। ...*(व्यवधान)* एक बार और बोलने का मौका दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: नहीं देंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, आप बोलते रहिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री चक्रवर्ती कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप अनावश्यक बोले जा रहे हैं। मैं कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ सम्मिलित किए जाने की अनुमति नहीं दूंगा।

...*(व्यवधान)*

अपराह्न 14.15 बजे

स्थगन प्रस्ताव

बंगलादेश से लोगों का भारी संख्या में अवैध आप्रवासन—*जारी*

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): मैं प्रस्ताव करता हूं। "कि अब सभा स्थगित की जाए।"

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा की कार्यवाही पहले स्थगित नहीं होती है, तो हम सहमत हैं कि इस पर मतदान 6.00 बजे सायं के आस-पास कराया जाये।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव की बहस से पहले दो चीजें आवश्यक होती हैं, पहली है—स्थगन प्रस्ताव की एडमिसिबिलिटी देख करके अध्यक्ष महोदय उसे एडमिट करें और उसके आधार पर जो सदस्य उसे सूचित करता है उसे कंसेंट दें। कंसेंट पहली स्टेज है। दूसरी स्टेज है जिसमें सदन अनुमति देता है और लीव देता है। वह लीव या तो सदन वैसे ही दे देता है और यदि सरकार कहती है कि हमें आपत्ति है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या हो रहा है? यहां क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: सरकार आपत्ति करती है तो कम से कम पचास सदस्य उसके पक्ष में खड़े हों तब लीव मिलती है। मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपने इस प्रस्ताव को स्थगन प्रस्ताव के रूप में अपना कंसेंट दिया क्योंकि बहस करने की बहुत विधियां होती हैं और उनमें से एडजर्नमेंट मोशन के माध्यम से बहस करने के लिए एडमिसिबिलिटीस के दो इन्ग्रेडिएंटस निश्चित रूप से अध्यक्ष महोदय ध्यान में रखते हैं। पहली बात, स्थगन प्रस्ताव स्वयं एक निंदा प्रस्ताव है। उसके पक्ष में कितने हैं और कितने नहीं हैं, यह उस पर निर्भर करेगा। अगर पक्ष में बहुमत है तो यह स्वाभाविक रूप से सरकार में अविश्वास प्रस्ताव हो जाता है। निंदा का एलीमेंट बहुत एसेंशियल है। इसलिए साधारणतः स्थगन प्रस्ताव को आसानी से कंसेंट नहीं दिया जाता। दूसरी बात यह है कि ऐसा सरकार की असफलता पर किया जाए। इसलिए कुछ मित्रों को मैं कह रहा था जब वे गुड़गांव के लिए स्थगन प्रस्ताव लाना चाहते थे क्योंकि वह केन्द्रीय सरकार की डायरेक्टली विफलता नहीं है। केन्द्र सरकार उस सरकार को बर्खास्त करे, डिसमिस करे, अगर ऐसी मांग है तो अलग बात है अन्यथा यह हरियाणा सरकार की विफलता हो सकती, है यहां की सरकार की नहीं। इस कारण से मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और संतोष प्रकट करता हूं कि चौदह महीने बाद पहली बार सदन एक स्थगन प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।

[अनुवाद]

इस सरकार के गठन के बाद से यह पहला स्थगन प्रस्ताव है। कई ऐसे अवसर आए हैं जब स्थगन प्रस्ताव के लिए नोटिस

दिया गया है। सदस्यों और आसन के बच कई बार आदान-प्रदान हुए हैं और मामले निपटाए गए हैं, लेकिन 14 माह पूर्व इस संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार के गठन के बाद से यह पहला स्थगन प्रस्ताव है जिसे सभा द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया है।

[हिन्दी]

मुझे इस बात का संतोष है। मैं इसे महत्वपूर्ण समझता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरी मान्यता है कि सरकार का इन चौदह महीनों में कार्य संतोषजनक नहीं रहा है। मैं इससे ज्यादा तीखे शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा हूं लेकिन जो विफलताएं विभिन्न क्षेत्रों में हैं, उनमें सबसे बड़ी विफलता अगर किसी क्षेत्र में है तो वह आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में है। आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में अनेक विफलताएं हैं। मैं तीन संकटों को आइडेंटिफाई करूंगा। तीन संकट सबसे बड़े हैं, पहला है—आतंकवाद; दूसरा है नक्सलवाद; और तीसरा है अवैध घुसपैठ। इनमें से पहले दो संकट हैं आतंकवाद और नक्सलवाद, इनके कारण समय समय पर जो भयानक हिंसा की घटनाएं होती रहती हैं उसके बारे में सारा देश सजग है, सारा देश परिचित है कि आतंकवाद और नक्सलवाद भयानक समस्याएं हैं, जिनका मुकाबला देश को करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए, प्रजा को करना चाहिए, सब पार्टियों को मिलकर करना चाहिए।

मुझे इस बात का खेद है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए इल्लीगत इमीग्रेशन, अवैध घुसपैठ का जो तीसरा संकट है, उसकी ओर लोगों का ध्यान नहीं जाता। यद्यपि, यह बहुत पुराना है। मैं कह सकता हूं कि आरंभ से जब से हमें आजादी मिली है, इल्लीगत इमीग्रेशन चलता आ रहा है और इसलिए मैं इसको तीनों संकटों में से अधिक भयावह, अधिक डेंजरस, क्रीपिंग संकट मानता हूं और इसीलिए जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना निर्णय दिया, मुझे लगा कि बहुत बड़ा निर्णय हुआ है, यह सामान्य निर्णय नहीं है। एक प्रकार से बहुत बड़ी विजय असम की जनता ने प्राप्त की है, जो वर्ष 1977 से लगातार इल्लीगत इमीग्रेशन के खिलाफ संघर्ष करती आ रही है।

महोदय, दुनिया के और देशों में भी यह समस्या है। अमरीका जैसे बड़े देश को भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। जब मैं पिछली बार गृह मंत्री के नाते यू.के. गया था तो उन्हें इस बात की बड़ी चिंता थी, खासकर एशिया और भारत से बिना वीसा और बिना पासपोर्ट के लोग आ जाते हैं और उनके बारे में हम जब आपकी सरकार से पूछते हैं तो हमें पता नहीं लगता है कि वे वैलिड हैं या नहीं। ये लोग भारतीय हैं या कहीं और देश से आये हैं और उसकी हमें एक व्यवस्था करनी पड़ी। उस समय मैं मन, में सोचने लगा कि इनके यहां इस प्रकार के कितने लोग आ जाते होंगे, बहुत थोड़े से लोग आते होंगे। लेकिन फिर भी ये इसके बारे में इतने चिंतित हैं कि इन्होंने लम्बी-चौड़ी व्यवस्थाएं कर दीं, लम्बी-चौड़ी बातें करते हैं, पत्र व्यवहार करते हैं। लेकिन हमारे यहां इल्लीगत इमीग्रेशन की जो आज डाइमैन्शंस हैं, वे इतनी भयंकर हैं कि जब हम किसी को सुनाते हैं कि हमारे यहां इस प्रकार का इल्लीगत इमीग्रेशन होता है तो लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि आप चुप क्यों हैं। इस बारे में सरकार कुछ क्यों नहीं करती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 1998 में गृह मंत्री बना और मैंने गृह मंत्रालय संभाला। जो मेरे पूर्ववर्ती गृह मंत्री थे, विचाराधारा में मैं उनसे सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं उनका बहुत आदर करता रहा हूं। श्री इंद्रजीत गुप्ता का मैंने सदैव आदर किया और मैंने देखा कि उन्होंने आज से आठ साल पहले 6 मई, 1997 को इसी सदन में इस विषय पर एक क्वैश्चन था, उस क्वैश्चन के जवाब में उन्होंने कहा था कि हिन्दुस्तान में अवैध घुसपैठ करने वालों की संख्या अंदाजन एक करोड़ है।

[अनुवाद]

उन्होंने भारत में अवैध आप्रवासियों की संख्या के बारे में कहा जो भारत में बस गए हैं वह मुख्य रूप से बंगलादेश से आए लोगों का उल्लेख कर रहे थे। कुछ हद तक पाकिस्तान के बारे में भी उल्लेख था जिन्होंने अपने सीमित अवधि के पासपोर्ट और लाइसेंसों के बावजूद अधिक समय तक प्रवास किया है।

[हिन्दी]

लेकिन ये जो हैं, इनमें से किसी के पास कोई पासपोर्ट और वीजा नहीं है। यह एक करोड़ की संख्या उन्होंने आज से आठ साल पहले कही थी तो आज कितनी होगी, अंदाजा नहीं है, यह मैं नहीं जानता। लेकिन बहुत बड़ी संख्या है। इतनी बड़ी संख्या में इतने सारे लोगों के कारण असम के अंदर एक ऐसा आंदोलन हुआ, जैसा आंदोलन शासद ही स्वतंत्र भारत में कहीं और हुआ हो। धरने, सत्याग्रह, गिरफ्तारियां और इतना ही नहीं उस समय के जो 'आसू' के नेता थे, उनमें से एक नेता ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटीगेशन पेश करके यह बड़ी विजय प्राप्त की है। वह केवल घोषण करते थे कि आज कोई कार्रवाई नहीं होगी तो कुछ नहीं होता था। यहां तक कि वहां चुनाव भी नाममात्र को हुआ, सैन्सस नहीं हुआ कई वर्षों तक असम राज्य संकटग्रस्ट रहा था। इसका अंत तब हुआ जब 1985 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री राजीव गांधी की उपस्थिति में एक समझौता हुआ, मैमोरेन्डम ऑफ सेटलमैन्ट हुआ।

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

[अनुवाद]

समझौता ज्ञापन भारतीय संघ, असम राज्य और अखिल असम विद्यार्थी संघ (ए.ए.एस.यू.) के बीच था।

[हिन्दी]

मेमोरेंडम ऑफ सेटलमैंट हुआ, जिसमें कई चीजें थीं। उसमें एक चीज यह थी कि आपने 1983 में एक आईएमडीटी एक्ट पास किया जो इस उद्देश्य से पास हुआ था कि हिन्दुस्तान में जो अवैध घुसपैठ करने वाले बंगलादेश से आते हैं उनको वापिस भेजा जाए। उनको डिपोर्ट किया जाए। हमें उसके बारे में कई आपत्तियां हैं। कितनी आपत्तियां तब थीं और कितनी अब हैं, इसके बारे में फर्क हो सकता है, लेकिन एक प्रोविजन आ गया और सरकार ने कमिट किया कि हम इसे रिव्यू करेंगे। सन् 1985 से लेकर आज तक यह मामला चलता आया है और जो भी गैर-कांग्रेसी सरकारें आई हैं पहले-पहले एजीपी सरकार आई थी, केन्द्र में हमारी सरकार आई थी, हम दोनों ने क्योंकि तब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला चला गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हमारी राय पूछी थी। हमें लगता है कि यह कानून है, इस कानून के कारण विदेशियों को जो घुसपैठ करके आए हैं, बिना अनुमति के उनको बाहर निकालना लगभग असंभव है इसलिए इसे खत्म करना चाहिए। कांस्टीट्यूशनैलिटी के बारे में भी कभी-कभी लोगों ने राय दी होगी लेकिन कम-से-कम यह कोई प्रभावी साधन नहीं है एजीपी की सरकार ने कहा कि हम इसे रिपील करने के लिए कमिटिड हैं और यह बात श्री वाजपेयी जी की सरकार ने भी कही है। हम उम्मीद कर रहे थे कि हम यहां पर बिल लाएंगे और उस बिल के आधार पर अगर सबकी सहमति हो जाएगी तो वह बिल पास हो जाएगा। रिपील करने के लिए बिल लाया गया। वह स्टैंडिंग कमेटी होम के पास गया और जब हाउस भंग हो गया तो वह बिल भी समाप्त हो गया। लेकिन उस दिन देश के लोगों ने राहत की सांस ली और असम के लोगों ने भी राहत की सांस ली जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने सब बातें लम्बी-चौड़ी चर्चा के बाद सुन कर कह दिया कि यह कानून एक प्रकार से भारत की सुरक्षा में बाधक है और यह अल्ट्रावायरस ऑफ दि कांस्टीट्यूशन है। यह एक प्रकार से आर्टिकल 355, जो केन्द्रीय सरकार पर जिम्मेदारी डालता है, उसे राज्यों की निगरानी करनी चाहिए। राज्यों को विदेशी आक्रमण से, आंतरिक असुरक्षा से बचाना चाहिए, उसमें यह बिल बाधक है और इसलिए हम इसे समाप्त घोषित करते हैं। हम इसे समाप्त करते हैं। इस बीच में कई चीजें हुई हैं। यहां तक कि हमारे जो राज्यपाल, थे जो आज जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल हैं जनरल एस.के. सिन्हा, उन्होंने एक लम्बी-चौड़ी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति जी को अर्थात केंद्रीय सरकार को दी और उस रिपोर्ट के कई उद्धरण सुप्रीम कोट की जजमैंट में पाजिटिव ढंग से कोट किए हैं। केन्द्रीय सरकार को चाहे पसंद न आई हो लेकिन उनको बहुत पसंद आई और उन्होंने एक स्थान पर लिखा है।

[अनुवाद]

"यह रिपोर्ट ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई है जो उप सेनाध्यक्ष के प्रतिष्ठित और जिम्मेदार पद पर थे और जो भारत में बंग्लादेशियों के बेरोक-टोक आने और उनके यहीं पर बस जाने के कारण राष्ट्र की सुरक्षा को उत्पन्न खतरे या संकट को पहचानने में पूरी तरह सक्षम थे।"

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा था।

[अनुवाद]

"प्रवासी लोगों का आना निरन्तर जारी है"। मैं जनरल एस.के. सिन्हा की रिपोर्ट से उद्धृत कर रहा हूं।

"...बांग्लादेश से असम में और राज्य की जनसंख्या पद्धति में इसके परिणामस्वरूप दिखाई देने वाला परिवर्तन गंभीर चिंता का विषय रहा है। इससे असमिया लोगों की संख्या में कमी होने और उनके अपने ही राज्य में उनके अल्पसंख्यक बनने का खतरा उत्पन्न हो रहा है।"

[हिन्दी]

फिर वह लिखते हैं

[अनुवाद]

"हमारे यहां असम में होने वाले गैर-कानूनी प्रवास को एक क्षेत्रीय मामले के रूप में देखने की प्रवृत्ति बन गयी है जिससे केवल असम के लोग प्रभावित हो रहे हैं। यह हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा की उपेक्षा करके इसके महत्व को कम करने की खतरनाक प्रवृत्ति है।"

[हिन्दी]

मैं इस कारण मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट का यह 7 जुलाई का निर्णय एक ऐतिहासिक निर्णय है।

इसका संबंध केवलमात्र असम और ईस्टर्न स्टेट्स से नहीं है, यह राष्ट्र की सुरक्षा से संबंधित है। राष्ट्र की सुरक्षा के बारे में कोर्ट ने जितनी बातें कही हैं, मैं आशा करता हूं कि सरकार इसका पूरा अध्ययन करेगी और उसके अनुसार चलेगी।

अध्यक्ष जी, उन्होंने जिस समय यह कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने जब कहा कि एग्रेशन के खिलाफ हमारा यह कदम है, तो उन्होंने यह भी कहा कि वार और एग्रेशन में फर्क होता

है। जरूरी नहीं कि वार होने के बाद ही एग्रेशन का खतरा पैदा हो जाए। उन्होंने स्मरण दिलाया कि 1971 में जब बंगलादेश (उस समय ईस्ट पाकिस्तान) में बहुत बड़ी मात्रा में अत्याचार होने लगे, तो अत्याचारों के कारण बहुत बड़ी संख्या में वहां के नागरिक भारत आने लगे। उस समय यूनाइटेड नेशन्स की सिक्योरिटी कौंसिल में जब एग्रेशन के सवाल पर चर्चा हो रही थी, तो भारत के डॉ. नागेन्द्र सिंह ने लम्बी-चौड़ी व्याख्या की और बताया कि एग्रेशन क्या होता है। उन्होंने कहा कि—

[अनुवाद]

"आम सभा, संयुक्त राष्ट्र संघ: आक्रमण कई प्रकार का हो सकता है वह सशस्त्र भी हो सकता है अथवा बिना किसी हथियार का भी हो सकता है। उदाहरण के लिए, एक अनोखी तरह का बिना किसी खून-खराबे का आक्रमण हो सकता है जिसमें बड़ी संख्या में और लगातार करोड़ों लोग दूसरे राज्यों में पलायन करने को मजबूर किये जाते हैं। यदि हथियारों से रहित ऐसे लोगों के इस आक्रमण से जो पूरी तरह से अनियंत्रित संख्या में होते हैं, न केवल शिकार बने राज्य का आर्थिक और राजनैतिक अस्तित्व बर्बाद होता है बल्कि इससे उसका पूरा अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाता है, तो मुझे भय है, सभापति महोदय, इसे आक्रमण की श्रेणी में ही रखा जयेगा।

[हिन्दी]

यह व्याख्या सुनकर, यू.एन. सिक्योरिटी कौंसिल ने एग्रेशन क्या होता है, उसे स्वीकार किया है। मैं मानता हूं कि पिछले वर्षों में एक कंटीन्यूइंग एग्रेशन बांग्लादेश की ओर से हमारे यहां चलता रहा है और बांग्लादेश के बारे में जब मैं बोलता हूं, तो इसी जजमेंट में उन्होंने इस बात को भी कोट किया था और कहा कि वहां के बहुत सारे नेता लोग, जब पाकिस्तान एक था, तब और जब बांग्लादेश बन गया, तब भी हमारे वहां के मित्र नेताओं ने जो पुस्तकें लिखी हैं उनमें कहा कि असम तो वास्तव में बांग्लादेश का हिस्सा होना चाहिए क्योंकि बांग्लादेश इतना छोटा है और वहां की आबादी इतनी ज्यादा है इसलिए हमें असम तो हर हालत में चाहिए। जनरल सिन्हा ने इस बात की ओर ध्यान दिलाया है कि धीरे-धीरे, लगातार घुसपैठ चलती रही है, जिसे हम रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और न ही घुसपैठियों को वापस भेजने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यही चलता रहा, तो असम के डिस्ट्रिक्ट बार्डर्स सी ऐसी स्थिति हो जाएगी जिसके आधार पर बांग्लादेश के लोग फिर से अपनी वही पुरानी मांग उठाने की कोशिश करेंगे कि असम के इन जिलों को बांग्लादेश में मिलाना चाहिए। यह खतरा बहुत बड़ा है।

अध्यक्ष जी, इससे पहले भी, कई सारे कानून ऐसे हैं, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा कि यह कानून अवैध है या किसी फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करता है या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन करता है, लेकिन ऐसा पहले शायद ही किसी केस में ऐसा कहा हो, जैसा इसमें कहा है और इसे स्ट्रक-डाउन करते हुए सरकार की भर्त्सना की है और कहा है कि यह सरकार का फेल्योर है। इस बारे में इसमें लिखा है कि-

[अनुवाद]

"इस आई.एम.डी.टी. अधिनियम, 1983 ने सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर दी है और अवैध प्रवासियों की पहचान और उन्हें वापस उनके देश भेजने में मुख्य अड़चन अथवा बाधा है।"

[हिन्दी]

फिर उदाहरण दिए हैं, आंकड़े दिए हैं और आंकड़े इस तथ्य को बिल्कुल उजागर करते हैं। आई.एम.डी.टी. एक्ट में 1983 से लेकर आज तक कुल 3,10,759 केसेस लिए गए।

इन इन्क्वायरीज के बाद इन 3.10 लाख केसेज में से केवल 10,015 केसेज में उन्होंने इल्लीगल इम्मीग्रेंट्स डिक्लेयर किया और उनको इल्लीगल इम्मीग्रेंट्स डिक्लेयर करने के बाद भी जो इल्लीगल इम्मीग्रेंट्स निकाले गये, उनकी संख्या 1481 है। तीन लाख केसेज में से 1481 लोगों को निकाला गया। उन्होंने कंट्रास्ट किया, कम्पेयर किया और कहा कि अकेले असम में आई.एम.डी.टी. एक्ट लागू है और बाकी सारे देश में फोरेनर्स एक्ट लागू है और वह फोरेनर्सस एक्ट ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल एक मिनट। उनका व्यवस्था का प्रश्न है। कृपया उनकी बात सुनें।

श्री किरिप चालिहा: महोदय, लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम के नियम 58 के भाग (सात) का संबंध स्थगत प्रस्ताव से है। यथा-

"प्रस्ताव किसी ऐसे विषय के संबंध में नहीं होगा जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय निर्णयन के अंतर्गत हो।"

इसे पूरा करते हुए, एम.एन. कौल और एस.एल. शकधर की पुस्तक संसद की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के पृष्ठ संख्या 501

[श्री किरिप चालिहा]

पर दिनांक 25 जुलाई, 1985 को आपके पूववर्ती नेता ने विनिर्णय दिया है। इसके अनुसार उच्चतम न्यायालय के फैसले पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदयः सुनने दीजिए।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा: सभा में उच्चतम न्यायालयस के औचित्य पर प्रश्न नहीं किया जा सकता। मेरा कहना यह है कि श्री आडवाणी जी अनन्य रूप से उच्चतम न्यायालय को उद्धृत कर रहे हैं। वह इसके गुणों का ही बखान करते आ रहे हैं। मान लीजिए, कोई दोषों की चर्चा करे कब क्या होगा?

अध्यक्ष महोदयः आप इसके हकदार हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदयः विद्वान न्यायाधीशों के उद्देश्य पर आरोप लगाये बिना भी आप किसी फैसले की आलोचना कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): वह उच्चतम न्यायालय के विचारों का समर्थन कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदयः आप बैठिये। श्री आडवाणी जी को आपके समर्थन की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने ही तुलना की है कि जहां एक तरफ असम अकेला है, जहां पर आई.एम.डी.टी. एक्ट लागू होता है, वहां पर स्थिति यह है, जैसे मैंने बताया कि तीन लाख कुछ केसेज में से केवल 1481 माइग्रेंट्स हटाये गये। वहां पड़ोस में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम बंगाल में इस समय जो मुख्यमंत्री हैं, वे इस बात के लिए बड़े कांशस हैं, सार्वजनिक रूप से उन्होंने कई बार इस बात को कहा, मुझसे भी कहा कि यह बहुत गंभीर समस्या है, जब मैं मिनिस्टर था और उस गंभीर समस्या के बारे में वे हमेशा एक्टिव रहे हैं। नतीजा यह हुआ है कि फोरेनर्स एक्ट के अधीन पश्चिम बंगाल में 1983 और 1998 के बीच में, 15 साल की अवधि में, (पहले का 17 साल का था,) वस्तुतः 4,89,046 लोग वापस उनके देश भेजे गये। एक्चुअली उनको बंगलादेश भेजा गया। यह संख्या वेस्ट बंगाल की है, जहां पर फोरेनर्स एक्ट लागू है। दोनों एक्ट्स में कितना अंतर है। इसी कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया कि डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि पैटीशन में कहा गया था, जिन्होंने पैटीशन दी थी, यह अधिनियम असंवैधानिक है। यह भेदभाव है क्योंकि बाकी हिन्दुस्तान में किसी विदेशी को बाहर निकालना आसान है, लेकिन असम में आसान नहीं है। एक स्थान पर जो जजमेंट ने यह भी कहा है कि असम में अगर कोई विदेशी है तो उसके ऊपर अगर कोई हत्या का आरोप लगता है, कोई बलात्कार का आरोप लगता है, इस प्रकार का कोई गंभीर आरोप लगता है तो उसमें उसको सजा देना संभव है, लेकिन उसके ऊपर यदि कोई यह आरोप लगाये कि यह विदेशी है तो क्योंकि आई.एम.डी.टी. एक्ट के अधीन काम करना पड़ेगा, इसलिए उसको विदेशी प्रमाणित करना, उसको निकालना संभव नहीं होगा। जब वह विदेशी प्रमाणित नहीं होता है तो उसके बाद उनको एक प्रकार से सिक्योरिटी मिल जाती है, उसके खिलाफ केस होता है, उसमें कोर्ट ने कहा है:

[अनुवाद]

"आई.एम.डी.टी. अधिनियम न केवल अवैध अप्रवासियों से निपटने में अप्रभावी है बल्कि इससे वास्तव में उन्हें सुरक्षा ही मिलती है क्योंकि उनके विरुद्ध आरंभ हुई कार्यवाही उनके पक्ष में ही समाप्त होती है और उन्हें अधिकारिक मंजूरी वाला दस्तावेज भी मिल जाता है जो उन्हें अवैध आप्रवासी होने से मुक्त करता है"

[हिन्दी]

इसमें उन्होंने इतनी गंभीर चर्चा की है। मैं पहले कह चुका हूं कि हमारी सरकारी ने बहुत कोशिश की थी कि यह एक्ट रिपील हो। लेकिन हम नहीं कर सके। उसका कारण यह था कि उस समय हमारे पास लोक सभा में तो बहुमत था, लेकिन राज्य सभा में बहुमत नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने ऑफिशियली कहा था कि हम इसके खिलाफ हैं। हम इस कानून को उपयुक्त मानते हैं। आज जो स्थिति आई है, उस स्थिति में मैं कहना चाहता हूं। प्रणब जी यहां पर बैठे हैं। मैं पढ़कर हैरान हुआ था कि न केवल इसको सरकार का फैल्योर बताया गया है, बल्कि एक प्रकार से सरकार की नीयत पर भी संदेह व्यक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के एक पैराग्राफ में कहा गया है—

[अनुवाद]

"इसके अंतर्गत बनाए गए आई एम डी टी एक्ट और नियमों के गहन विश्लेषण से यह जाहिर होगा कि उन्हें उद्देश्यपूर्वक अधिनियमित किया और बनाया गया है ताकि 25 मार्च 1971

को या उसके बाद बंगलादेश से असम आने वाले अवैध प्रवासियों की पहचान करने और उनकी रिपोर्ट देने के बजाय उन्हें शरण या संरक्षण दिया जा सके।''

...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्यः शर्म की बात है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः मैं यह पढ़कर हैरान हो गया था। यह बहुत गंभीर है और उसके बाद सरकार और सत्ता पक्षा का जो रिएक्शन है। एक तरफ तो असम के मुख्यमंत्री ने तुरंत कहा कि हमको देखना पड़ेगा। असम के मुख्यमंत्री ने और कांग्रेस पार्टी की ओर से अधिकृत रूप से कहा गया कि हम देखेंगे। जो स्टेटमेंट आयी है। उससे यह आभास मिलता है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को सर्कमवेंट करने का कोई तरीका निकाला जाएगा। अगर मैं गलत नहीं हूं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): यह हमारी व्याख्या है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः मैं यही कहूंगा कि ये उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई अति गंभीर टिप्पणियां हैं। यह मेरे द्वारा लगाए गए आरोप नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदयः नहीं। नहीं। आखिरकार, संसद यह तय करती है कि कानून क्या होना चाहिए। न्यायालयों को कानून की व्याख्या करनी होती है और उन्होंने यह कार्य किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणीः हम कई वर्षों से ये सब बातें कर रहे हैं और मैं दावा करता हूं कि सुरक्षा से जुड़ी अनेक समस्याओं का वोट बैंक की राजनीति से काफी संबंध है। यह मेरा मानना है। इस मामले में भी इस आई एम डी टी एक्ट के बाद, इतने सारे वर्षों से भी हम किसी एक को भी देश से नहीं निकाल पाए हैं। इस सबके होते हुए भी इस एक्ट को बनाए रखने और इस एक्ट के निरसन के लिए सहमत न होने का कारण अवश्य ही वोट बैंक हैं जो वे हमारे लिए बनाते हैं। यह वोट बैंक की यह राजनीति हमारे देश के लिए सबसे बड़ी आपदा है और इससे पहले सत्ताधारी दल इसे महसूस करे तो यह बेहतर है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है, पश्चिम बंगाल में वर्तमान मुख्यमंत्री इस बात को महसूस करते हैं, और वर्तमान मुख्यमंत्री तदनुसार इन सभी मामलों में सहयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मुझे समझ में नहीं आता कि इस मामले में जी ओ एम बनाने का क्या अर्थ है, क्या उद्देश्य है? मैं तो यह मानता था कि सुप्रीम का निर्णय आते ही।

[अनुवाद]

केन्द्र सरकार इसे सम्मानपूर्वक स्वीकार करेगी तथा निर्णय करेगी तथा इसे पूरी तरह से कार्यान्वित करेगी।

[हिन्दी]

यह तरीका था।

[अनुवाद]

और कोई तरीका नहीं है।

[हिन्दी]

जो ओ एम सेटअप करने से असम की जनता में यह आशंका पैदा हुई है कि शायद कोई और आई एम डी टी एक्ट को फिर से दूसरे रूप में लाने की बात सोची जा रही है।

[अनुवाद]

यह एक अति गंभीर मामला है।

[हिन्दी]

एक बार पहले भी हम देख चुके हैं कि असम में गुस्सा आता है, तो उसका क्या परिणाम होता है? यह हम भुगत चुके हैं। उसको फिर से इन्वाइट न करें। इसको ग्रैसफुली स्वीकार करके सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार जो भी काम करने जरूरी हैं, उन्होंने जो भी लैडाउन किया है। मैं इसके ओपरेटिव पार्ट को फिर से पढ़कर सुनाना चाहता हूं जिसमें उन्होंने कहा है:

[अनुवाद]

> ''अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम 1983 और अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) नियम, 1984 के उपबंधों को शक्तिबाह्य घोषित कर दिया गया है और उन्हें समाप्त किया जाना है। अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारण) अधिनियम, 1983 प्रवर्तन में नहीं रहेगा।''

फिर कहा है-

> ''आई.एम.डी.टी. अधिनियम, 1983 के अंतर्गत न्यायाधिकरणों के समक्ष सभी लंबित मामले, विदेश न्यायधिकरण आदेश,

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

1964 के अंतर्गत गठित न्यायाधिकरणों को स्थानान्तरित होंगे और उनका विनिर्णय विदेश अधिनियम में उपबंधित तरीके और इसके अंतर्गत बने नियमों और 1964 के विदेश अधिकरण आदेश के अंतर्गत विनिर्धारित तरीके से किया जाएगा। विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकारी उन व्यक्तियों के विरुद्ध पुनः नई कार्यवाही कर सकेंगे। जिनके मामले सक्षम प्राधिकरण द्वारा संविक्षा समिति की सिफारिशों के कारण या अन्य किसी कारण से जो भी हो, न्यायाधिकरणों को नहीं भेजे गए हैं, अपीलीय न्यायाधिकरणों के समक्ष लंबित सभी अपीलें समाप्त आनी जाएंगी। प्रत्यर्थियों को उन विदेशियों के मामलों के कारगर ढंग से निपटाने के लिए विदेशी न्यायाधिकरण आदेश, 1964 के अंतर्गत पर्याप्त संख्या में न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया जाता है जो कि बंगलादेश से अवैध रूप से आए हैं और असम में अवैध रूप से रह रहे है।''

मैं इन बातों को फिर से दोहराता हूं क्योंकि रिजीम सारा बदल जाए। जो आई एम डी टी एक्ट का रिजीम था, वह कंपलीटली सरलांट हो जाए। उसको सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि यह अल्ट्रा वायरस है और फारेनर्स एक्ट का जो रिजीम है, उसे पूरे तौर पर स्वीकार किया जाए।

[अनुवाद]

यह उच्चतम न्यायालय का आदेश है। मुझे इस बात का कोई कारण नजर नहीं आता है कि हमें इसमें और उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के अनुसार कार्यवाही को स्वीकार करने में कोई संकोच क्यों होना चाहिए।

[हिन्दी]

मैं एक बात और कहना चाहता हूं। कि कभी-कभी असम में इस बात की चर्चा की होती है। यहां पर भी कभी-कभी चर्चा होती है, हम कहते हैं कि जहां विदेशी घुसपैठ, अवैध घुसपैठ बंगलादेश से होती है, उसे रोकना चाहिए। हमको कभी भूलना नहीं चाहिए कि वहां पर कभी-कभी अल्पसंख्यकों पर जो ज्यादतियां होती हैं, उसके कारण अल्पसंख्यक वहां से मजूबर होकर भारत में आते हैं। अगर वे अत्याचार के कारण यहां आते हैं तो उनको बोनाफाइडी रिफ्यूजीस मानना चाहिए और उसमें अंतर करना चाहिए। जब हम इस बात को कहते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप इस सवाल को कम्युनलाइज कर रहे हैं, आप इसे साम्प्रदायिक आयाम दे रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया): इसीलिए तो यह रिपील नहीं हुआ। ...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): आप कोई सुरक्षा का कानून भी बनवाइए। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे याद है सन् 2003 में विदेश में रहने वाले भारत मूल के नागरिकों को दोहरी नागरिकता देने का एक विधेयक हमारी सरकार लाई थी। वह लोक सभा में पारित हो गया था। जब राज्य सभा में गया तो वहां एक सहमति बन गई कि इस पर कोई विवाद नहीं है। एक ऑल पार्टी कमेटी थी जिसने दोहरी नागरिकता रिकमैंड की थी। इसलिए हम इसे बिना बहस के भी पारित कर सकते हैं। उस समय अध्यक्ष ने कहा कि हम इसे बिना बहस के पास करेंगे, लेकिन विपक्ष के नेता इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कहा कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस समय वहां विपक्ष के नेता आज के प्रधानमंत्री थे। यह 18 दिसम्बर, 2003 की बात है। इस समय हमारे प्रधानमंत्री, जो उस समय वहां विपक्ष के नेता थे, उन्होंने कहा—

[हिन्दी]

मैं इसकी ओर सदन के नेता का ध्यान दिलाना चाहूंगा।

[अनुवाद]

''महोदय, मैं शरणार्थियों के साथ किए जा रहे बर्ताव के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। देश के विभाजन के पश्चात बांग्लादेश जैसे देशों में अल्पसंख्यकों को अत्याचार सहना पड़ा है तथा यह हमारा नैतिक कर्तव्य है कि यदि परिस्थितियों से विवश होकर इन भाग्यहीन लोगों को हमारे देश में शरण लेना पड़ता है तो हमें इन भाग्यहीन लोगों को नागरिकता प्रदान करने के अपने दृष्टिकोण के अधिक लचीला बनाना चाहिए। मैं आशा करता हूं कि माननीय उप प्रधानमंत्री नागरिकता अधिनियम के संबंध में भावी कार्रवाई का खाका तैयार करते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे।''

''मैं भारतीय अप्रवासियों की सृजनशीलता की महान भावना की प्रशंसा करने में माननीय उप प्रधानमंत्री जी के साथ हूं। यदि किसी प्रमाण की आवश्यकता पड़ी थी तो उन्होंने उपयुक्त अवसरों के दिए जाने पर, यह सिद्ध किया कि भारतीय किसी से कम नहीं हैं। उनका ज्ञान, उनकी संपत्ति, उनका अनुभव और उनकी विशेषज्ञता महान राष्ट्रीय भंडार है जिसे अपने देश के लाभ हेतु इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए, हम अपने देश तथा भारतीय प्रवासी सदस्यों के बीच भावनात्मक संबंध को मजबूत करने के कदमों का पूर्ण समर्थन करते हैं। वास्तव में, इस संबंध में शुरुआती कदम तब उठाए गए थे जिस समय वर्ष 1995 में हमारी सरकार सत्ता में थी। यदि मुझे सही-सही याद आता है तो उस समय डा. सिंघवी भारतीय उच्चायुक्त थे और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनके आरंभिक प्रयास एक विधेयक के रूप में फलीभूत हुए हैं। यह भारतीय मूल के लोगों को चुनिन्दा देशों में विदेशी नागरिकता का अधिकार प्रदान करता है। हम इस कदम का पूर्ण समर्थन करते है।''

[हिन्दी]

इतना ही नहीं, उसके तुरंत बाद, श्री बसुदेव आचार्य और श्री गुरुदास गुप्ता जी यहां बैठे हुए हैं, उनके समर्थन से चुने हुए एक और माननीय सदस्य श्री शंकर राय चौधरी जो किसी जमाने में सेना के प्रमुख रहे हैं, उन्होंने भी इस पर कहा कि।

[अनुवाद]

''महोदय, आपकी अनुमति से मैं आगे यह बताना चाहता हूं कि डा. मनमोहन ने शरणार्थियों के बारे में क्या कुछ कहा है। मैंने इस मुद्दे के बारे में माननीय उप प्रधानमंत्री के साथ चर्चा की है। बांगलादेश से विभिन्न प्रकार के लोग हमारे देश में अवैध रूप से घुसपैठ कर रहे हैं। कुछ आर्थिक कारणों से प्रवास करने वाले लोग हैं जिन्हें आप मुम्बई, दिल्ली अथवा कोलकाता सहित पूरे देश में देख सकते हैं, कुछ घुसपैठिये और आतंकवादी हैं, परन्तु उनमें से अधिकांश अत्याचार सहने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक चकमा शरणार्थी, हिन्दू व बौद्ध हैं। महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि उसे अत्याचार के भय से बंग्लादेश से भागकर आनेवाले अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करनी चाहिए तथा उनके साथ सहयोगपूर्ण एवं विनम्र व्यवहार किया जाना चाहिए। धन्यवाद।''

[हिन्दी]

मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया कि जब हम इस समय इल्लिगत माइग्रेशन को रोकने का अग्रह कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमैंट को इम्लीमैंटस किया जाये तो इन दोनों भावनाओं को जिसका इंडोर्समेंट करते हुए मैंने जो कहा, मैं अपने जवाब को भी यहां कोट करता हूं।

[अनुवाद]

''मैंने विपक्ष के नेता और श्री शंकर रायचौधरी ने जो कुछ कहा है इस पर गौर किया है तथा मैं उनके द्वारा व्यक्त विचारों से पूर्ण सहमत हूं। विगत में भी अक्सर हमने इस प्रकार की परिस्थितियों का सामना किया है जब हमने इस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया था। विभिन्न प्रकार के आरोप लगाए गए कि आप समुदायों के बीच भेदभाव कर रहे हैं जबकि हम ऐसा नहीं करते। हमने हमेशा यही कहा है कि कोई भी व्यक्ति जिसे धार्मिक अत्याचार की वजह से देश से भागना पड़ा है वह शरणार्थी है बल्कि वास्तविक शरणार्थी है तथा उसकी तुलना उन अवैध अप्रवासियों के साथ नहीं की जा सकती जो किसी अन्य प्रयोजन से, यहां तक कि आर्थिक कारण से ही क्यों न आया हो। मैं कही गयी बातों का ख्याल करता हूं तथा इसका समर्थन करता हूं।''

आज पुनः मैं इस खास दृष्टिकोण का समर्थन करता हूं तथा डा. मनमोहन सिंह द्वारा कही गयी बात से पूर्णतः सहमत हूं और मैं अश्वस्त हूं कि वह इस दृष्टिकोण पर आगे चलते रहेंगे।

मुझे बस यही कहना है कि सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार करे, इसका अक्षरशः क्रियान्वयन करे तथा मैं इस बात से आश्वस्त हूं कि ऐसा करने से आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती समाप्त हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदयः प्रस्ताव प्रस्तुत हुआः

''कि सदन अब स्थगित होता है।''

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के नेता ने स्थगन प्रस्ताव पर अपने वक्तव्य की शुरुआत करते हुए कहा कि स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता एक दुर्लभ अवसर होता है और यदि सरकार स्थगन प्रस्ताव पर अपनी सहमति जताती है तो वह अत्यंत दुर्लभ अवसर होता है। सरकार की ओर से इस पर मैंने अपनी सहमति दी। मैंने अपनी सहमति मात्र इसलिए दी ताकि कतिपय मुद्दों को जिन्हें समुचित रूप से प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा जिन्हें सही परिपेक्ष्य में नहीं लिया गया है, को स्पष्ट किया जा सके।

हम सभी इस बात से अवगत हैं कि एक विशेष स्थिति में वर्ष 1983 में कहीं और नहीं बल्कि इसी संसद में आई.एम.डी.टी. अधिनियम अधिनियमित किया गया था। मात्र पांच वर्ष पूर्व, 1978 में असम के मंगदोई संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उप चुनाव होने वाला था। जब निर्वाचन आयोग की जरूरत के मुताबिक मतदाता सूची को संशोधित किया जाने वाला था तभी अचानक एक आंदोलन शुरू हो गया। आंदोलनकारियों की मांग थी। पता लगाना, हटाना और निर्वासित करना—अर्थात अवैध अप्रवासियों का पता लगाना, मतदाता सूची से उनका नाम हटाना और उन्हें देश से निर्वासित करना। मात्र एक वर्ष पहले 1977 के चुनाव में कोई आंदोलन नहीं हुआ। उस चुनाव में तत्कालीन सत्तासीन दल, जनता पार्टी ने यहां तक कि असम में भी अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। यदि मुझे सही-सही याद है तो- श्री जार्ज अथवा श्री आडवाणी, गलत होने की स्थितिव में मेरी बात को सुधार सकते हैं—जनता पार्टी की सरकार में मंत्रिपरिषद में असम के सदस्य का भी प्रतिनिधित्व था। परन्तु वर्ष 1978 में यह आंदोलन शुरु हुआ और फैला। यह आंदोलन इतना फैला कि 1980 का आम चुनाव लोक सभा चुनाव-बंगाली बहुल दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों, सिलचर और करीमगंज के अलावा और कहीं नहीं कराया जा सका। शेष 12 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव नहीं कराया जा सका। आंदोलनकारियों ने अपना आंदोलन जारी रखा तथा सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया रुक गयी। इसके पश्चात क्या घटित हुआ यह सबको पता

[श्री प्रणब मुखर्जी]

है। उस वक्त विदेशियों विषयक अधिनियम लागू था। परन्तु आंदोलनकारियों के मुताबिक यह अधिनियम समुचित रूप से कारगर नहीं था। यह अधिनियम वर्ष 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 और 1983 में लागू रहा। वर्ष 1983 से पहले आई.एम.डी.टी. अधिनियम अस्तित्व में नहीं था, परन्तु पहचान करने, पता लगाने और निर्वासन की मांग हो रही थी तथा सर्वाधिक षड्यंत्रकारी भाग मतदाता सूची से नामों का हटाया जाना था क्योंकि कतिपय आंदोलनों के माध्यम से मतदाता सूचियों को तैयार करने की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाना था। इसलिए इसे हटाने की मांग की गई थी, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। यह 1985 में किए गए असम समझौते की एक शर्त है। और तो और 1984 में होने वाले आम चुनाव भी समय पर अर्थात दिसम्बर 1984 में नहीं पाए थे। लेकिन ये चुनाव 15 अगस्त 1985 के असम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद 1985 को नवम्बर-दिसम्बर में एक वर्ष बाद सम्पन्न हुए थे। इस अधिनियम को क्यों अधिनियमित किया गया था? कांग्रेस पार्टी ने इस अधिनियम का समर्थन क्यों किया था। वास्तव में ऐसे अवैध अप्रवासन को रोकने के लिए किया गया था। लेकिन इस मामले कि सच्चाई यह है कि इसका गंभीर दुरुपयोग किया गया था विशेषकर कार्यपालिका ने इस अधिनियम का दुरुपयोग किसी व्यक्ति को पकड़ने विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय के किसी व्यक्ति को पकड़ने के लिए किया। उसे पकड़ने के पश्चात उससे कहा जाता था कि "आप एक अवैध प्रवासी हैं पैसे दो नहीं तो आपको वापिस भेज दिया जाएंगा।" इसलिए इस अधिनियम को पारित कर इस बात का निर्णय किया गया था यह जिम्मेदारी कार्यपालिका को न सौंपकर न्यायिक निकायों और कतिपय अधिकरणों को सौंप देनी चाहिए। विपक्ष के नेता ने बहुत ही जोरदार ढंग से आदेशों में से कुछ आंकड़ों का हवाला दिया है। मेरे पास भी कुछ आंकड़े हैं। मैं आदर के साथ यह बताना चाहता हूं कि इन्होंने पश्चिम बंगाल विवासन संबंधी आंकड़ों का हवाला दिया है। लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के बारे में नहीं बोलने जा रहा हूं। मैं केवल असम की बात करूंगा। ऐसा नहीं है कि असम में विदेशी अधिनियम अधिकरण लागू नहीं है। जहां तक आई एम डी टी के न्यायाधिकरणों का संबंध है तो यह सच नहीं है। यदि हम असम समझौते का अवलोकन करें तो हमें पता चलेगा कि जनवरी, 1966 तक उस समय के पूर्वी पाकिस्तान जो 1972 में बंग्लादेश बना, के सभी प्रवासियों को भारतीय नागरिकता दी गई थी। उन्हें राष्ट्रीय प्रतिबद्धता के कारण भारतीय नागरिकता दी गई थी।

अपराह्न 3.00 बजे

मुझे नहीं पता कि क्या श्री आडवाणी ने जानबूझकर यह कहा है कि अवैध अप्रवासन 1947 से शुरू हुआ है। यदि मैंने इन्हें ठीक से सुना है और यदि इन्होंने 1947 का उल्लेख किया है तो यह बहुत ही खतरनाक बात है। मुझे नहीं पता कि कब श्री आडवाणी सिंध छोडकर भारत आए थे लेकिन इनमें से अनेक लोग उनमें से कुछ यहां पर मंत्री बने मेरे बहुत से बंगाली सहयोगियों ने उनके पिता अथवा स्वयं उन लोगों ने 1947 के कई वर्षों बाद उस समय के पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ दिया था क्योंकि वहां एक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता थी। देश का विभाजन हो चुका था। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ऐसा स्वतंत्रता के बाद हुआ है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: आपने 1947 कहा है और 1947 स्वतंत्रता का वर्ष था ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं अपनी गलती सुधारता हूं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: यदि आप सुधारना चाहते हैं तो मुझे कोई समस्या नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं अपनी गलती में सुधार करता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री प्रणब मुखर्जी: आपने कहा था कि अवैध अप्रवासन 1947 से शुरू हुआ था। इसलिए मुझे आपत्ति हुई। यदि आप इसमें सुधार करते हैं तो मैं निश्चिम रूप से इसे स्वीकार करूंगा।

इसलिए असम समझौते में भी इस बात पर सहमति व्यक्त की गई थी कि जनवरी 1966 तक आए हुए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। वर्ष 1966 और 1971 के बीच की एक श्रेणी होगी जिसमें दस वर्ष के लिए मतदाता सूचियों में से उनके नाम काट दिए जाएंगे और नाम काटने की प्रक्रिया विदेशी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अधिकरणों द्वारा की जाएगी। 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले लोगों के संबंध में उस दिन पर विचार किया जाएगा क्योंकि वह दिन बंग्लादेश की स्वतंत्रता का दिन था और तत्पश्चात बंग्लादेश ने अपने आपको एक धर्मनिरपेक्ष देश घोषित कर दिया था इसके अतिरिक्त मुजीबुर रहमान और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच किसी समझौते के तहत कहा गया था कि बंग्लादेश से भारत में, भारत के किसी भाग यथा बंगाल, अमस और त्रिपुरा में आने वाले सभी लोगों को वापस बुलाया जाएगा। यदि वे भारत में आना चाहते हैं तो उन्हें सामान्य अधिनियम के अंतर्गत नागरिकता प्राप्त करने के लिए आवेदन करना होगा। इसलिए आई एम डी टी के न्यायधिकरणों को 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले लोगों की पहचान करने, उनका नाम काटने और तत्पश्चात निवासित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

मामले के तथ्य यह है कि वहां पर कई प्रकार की जांच की गई थी। मैं असम के अधिकारिणों के तुलनात्मक आंकड़े दे रहा हूं। आई एम डी टी के न्यायाधिकरण को 31 दिसम्बर 1983 से 31 दिसम्बर 2002 के बीच 3,68,609 मामले दर्ज किए गए और 3,61,162 मामलों में जांच पूरी की गई थी। इनमें से 11,306 लोगों को अवैध प्रवासी घोषित किया गया था। उच्चतम न्यायालय में यह संख्या 10,000 बताई है। मैं 10,000 के आंकड़े को भी स्वीकार कर सकता हूं। इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन विदेशी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए अधिकरणों का कार्य निष्पादन कैसा रहा जिन पर अत्यधिक विश्वास किया गया था। विदेशी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किए गए अधिकरणों के पास 5,17,955 मामले भेजे गए थे इनमें से 5,17,531 मामलों की जांच पूरी की गई थी और 28,451 लोगों को "विदेशी" घोषित किया गया था। आप 5,15000 और 28,400 तथा 3,61,000 एवं 11,000 के आंकड़े की तुलना कर सकते है। क्या यह अनुपात गैर-समानुपातिक रूप से उच्च अथवा निम्न है? इसलिए इसका उत्तर इस बात में नहीं है कि क्या आई.एम.डी.टी.स अधिनियम अवैध अप्रवास को संरक्षण देने के रूप में कार्य कर रहा है। विदेशी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अधिकरण असम में भी बड़ी संख्या में तथाकथित विदेशियों की पहचान नहीं कर सके।

वास्तव में विदेशियों को जाना चाहिए। मेरे विचार न तो मैं एक अधिवक्ता हूं और न ही अधिवक्ता बनना चाहता हूं। और न ही मैं बहुत साहसी व्यक्ति हूं जो उच्चतम न्यायालय की अवहेलना कर सके। शायद कोई और ऐसा कर सकता हो इसलिए मैं विनम्रतापूर्वक संसद सदस्य के रूप में यह बात कहना चाहता हूं। कि हमारे पास उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्य अधिनियम बनाकर अन्य कानून बनाकर किसी कानून को अकृत और शून्य घोषित करने संबंधी दिए गए आदेशों में व्यक्त किए गए विचारों से असहमत होने का अधिकार है। मैं विनम्रतापूर्वक यह बात कहना चाहता हूं कि कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश के संदर्भ में पहली बार संविधान में संशोधन किया गया था। जबकि राज्य सभा का गठन भी नहीं हुआ था। उच्चतम न्यायालय के आदेश में सुधार करने के लिए 1952 के आम चुनाव से पहले संविधान में संशोधन किया गया था। यदि असम के मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि हम इस पर विचार करेंगे तो क्या गलत कह दिया?

जहां तक उच्चतम न्यायालय के आदेश का संबंध है तो यह स्वत: लागू हो जाता है। हमें इस संबंध में अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता नहीं है। आई एम डी टी अधिनियम को अकृत और शून्य घोषित किया गया है। ऐसा हुआ है। लेकिन क्या यह वास्तविक नागरिकों के वास्तविक अधिकारों को सुनिश्चित करने के संबंध में संसद को कोई अधिनियम पारित करने से रोकता है। कोई भी अवैध अप्रवासियों की बात नहीं कर रहा है। हम इन समस्याओं से पूरी तरह अवगत हैं। लेकिन मैं आदर सहित विपक्ष के नेता से यह कहना चाहता हूं कि आप वर्ष 2003 के बजट सत्र में निरसन विधेयक लाए थे। यह मेरा सौभाग्य था कि मैं उस समय गृह मामलों संबंधी स्थाई समिति का अध्यक्ष था जहां पर इस विधेयक को भेजा गया था। मैं सात सत्र देख चुका हूं। हम अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करना चाहते हैं। मुझे 122 अभ्यावेदन और ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और 300 से भी अधिक लोगों ने संसदीय स्थायी समिति के समक्ष साक्ष्य देने की इच्छा व्यक्त की है।

अधिनियम के निरसन के पक्ष में बहत्तर ज्ञापन थे और 50 ज्ञापन अधिनियम के निरसन के विरुद्ध थे। मतभेद गहरा था। यह इतना सरल नहीं है कि इसे रद्द किया जाए। इस कारणवश अधिकरण उचित ढंग से काम नहीं कर सकते क्योंकि अधिकरणों को जिन अवसंरचनात्मक सुविधाओं की आवश्यकता थी, वह उपलब्ध नहीं थीं। यह कहना सही नहीं है क्योंकि कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी इसलिए वहन नहीं किया गया।

इस अधिनियम के पारित होने के पश्चात असम में ही वर्ष 1985 से 1991 और पुन: 1996 से 2001 तक गैर-कांग्रेसी दलों का 10 वर्षों तक शासन था। केन्द्र सरकार से भी, श्री आडवाणी और उनके दल का समर्थन था। वर्ष 1989-90 में श्री वी.पी. सिंह थे। पुन: 1996 में और 2000-2004 में आप सरकार में थे। राज्यपाल की रिपोर्ट, जिसका विपक्ष के नेता ने सविस्तार उल्लेख किया है, उन्हें 8 नवम्बर 1998 को उपलब्ध कराया गया था जब वे गृह मंत्री बने, जब वे उप प्रधानमंत्री बने।

क्या मैं अत्यंत आदरपूर्वक आपको एक बात इस संबंध में बता सकता हूं कि आपने वर्ष 2003 में बजट सभा के दौरान क्या करने का निर्णय लिया था? स्थायी समिति के सभापति के रूप में मेरा अनुभव यह है कि एक ही दिन गृह संबंधी स्थायी समिति के पास इस आई एम डी टी अधिनियम सहित नौ विधेयक भेजे गए। मुझे एकमात्र सत्र जो आगामी शीतकालीन सत्र था उपलब्ध कराया गया। तत्पश्चात सभा विघटित हो गयी।

मैं छह विधेयक प्रस्तुत कर सका किन्तु आई एम डी टी एक्ट सहित तीन नहीं कर सका। मैंने आपको बता दिया है कि मैं क्यों नहीं कर पाया। अतएव, अत्यंत आदरपूर्वक मैं कहना चाहूंगा कि इसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के निर्णय को स्वीकार किया गया है। यह देश का कानून है। साथ ही, जब हम यहां बैठे हैं, हमें कतिपय पहलुओं का ध्यान रखना है। क्या मैं यह पूछ सकता हूं। आप 1998 से 2004 के बीच में क्यों नहीं कर पाए?

[श्री प्रणब मुखर्जी]

आपने अनुच्छेद 355 का उल्लेख किया है। क्या मैं अत्यंत सम्मानपूर्वक आपको याद दिला सकता हूं कि यह उच्चतम न्यायालय का निर्णय है? मुझे नहीं मालूम कैसे अनुच्छेद 355 यहां आ गया। आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण क्या है? वर्ष 1971 में सुरक्षा परिषद में न्यायामूर्ति नागेन्द्र सिंह ने बाह्य आक्रमण की जो व्याख्या की है वह देश में आने वाले एक करोड़ शरणार्थी से नितान्त भिन्न संदर्भ में है, जो अपने आप में खाद्य, आश्रय और चिकित्सा सुविधाओं की समस्या है। उसकी तुलना वर्षों से यहां आ रहे कुछ लोगों चाहे वह एक करोड़ हों या डेढ़ करोड़ हो नहीं की जा सकती है। हां, उन्हें नहीं आना चाहिए। हमें इसे रोकना होगा। किन्तु तथ्य यह है कि आप पुलिस को कठोर अधिकार नहीं दे सकते हैं। यह मात्र सैद्धांतिक बात नहीं है बल्कि यह हमारा व्यावहारिक अनुभव था।

इसलिए मैंने वर्णन किया कि वर्ष 1978 से 1983 के बीच कैसी स्थितियां बनी जिससे यह अधिनियम पारित हुआ था। यह अधिनियम अचानक से पैदा नहीं हो गया अथवा किसी खास व्यक्ति की सनक या खबत का नतीजा नहीं है। उचित चर्चा, वाद-विवाद के पश्चात और उस खास समय व्याप्त परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद इस देश के वास्तविक नागरिकों जिसमें बड़ी संख्या में धार्मिक और भाषायी अल्पसंख्यक भी शामिल हैं, की वास्तविक हितों की रक्षा करने के लिए इसे पूर्णत: आवश्यक माना गया था। ये अल्पसंख्यक शिकार बनाए जाने वाले थे—मुझे खेद है मैं कठोर शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं कुछ आंदोलनों द्वारा विकृत नजरिए से निर्देशित किया जा रहा था। अतएव, यहां अनुच्छेद 355 की क्या प्रासंगिकता है। श्रीमान विपक्ष के नेता जी, आप स्मरण कर सकते हैं कि जब गुजरात में नरसंहार चल रहा था तब हमने राज्य सभा में एक संकल्प पारित किया था। यह राज्य सभा द्वारा पारित किया गया सर्वसम्मत प्रस्ताव था जिसमें एक उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नाते आपसे अनुरोध किया गया था कि किसी बाह्य आक्रमण से नहीं बल्कि आंतरिक अशांति से जिसके पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध थे गुजरात राज्य को बचाने के लिए अनुच्छेद 355 लागू किया जाए। आज भी वैसी स्थिति है मुझे नहीं पता आपने क्या किया और क्या स्पष्ट कार्रवाई की।

मैं अत्यंत सम्मानपूर्वक आपको आश्वासन देता हूं कि जहां तक हमारी सरकार का सवाल है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय के प्रति हम अपनी जिम्मेदारी के बारे में पूरी तरह सजग हैं। अल्पसंख्यकों सहित भारत के प्रत्येक सच्चे नागरिक की रक्षा करने के प्रति अपनी जिम्मेदारी का हमें पूरा अहसास है। यही प्रतिबद्धता हमने ...*(व्यवधान)* क्या मैं जान सकता हूं कि इतना खुश होने की कौन सी बात है? कई अधिनियमों को अधिकारातीत घोषित किया गया है। 22 वर्षों के बाद एक अधिनियम को अवैध-अधिकारातीत घोषित किया गया है। अत्यंत आदरपूर्वक मैं यह कहना चाहूंगा। क्या कोई निश्चायक प्रमाण था निश्चित आंकड़े उपलब्ध हैं कि किस प्रकार अवैध आई एम डी टी अधिनियम ने अवैध आव्रजन को सहायता पहुंचायी है?

इसका पता लगाने में कठिनाईयां हैं किन्तु जो आंकड़े मैंने उद्धृत किए हैं वे दर्शाते हैं कि विदेशी अधिनियम के अंतर्गत असम में स्थापित अधिकरणों ने 5,17,000 मामलों की जांच की थी किन्तु मात्र 28,000 का निर्वासन कर सके जबकि आई एम डी टी द्वारा 3,61,000 मामालों की जांच की गयी जिसमें 11,000 या 10,000 को निर्वासित किया गया। अतएव इसका हल हमें कहीं और ढूंढना होगा, मैं आदरपूर्वक कहूंगा कि कुछ अवसंरचनाओं और कुछ अन्य सुविधाओं की आवश्यकता है। मंत्रियों के समूह के गठन में मुझे कुछ भी गलत नहीं लगता है। मंत्रियों का समूह इसके सभी पहलुओं को देखेगा। मुझे एक सरल प्रश्न पूछने दीजिए। चकमा शरणार्थियों के बारे में आप क्या करेंगे? उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय था? उच्चतम न्यायालय ने अरुणाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री को क्या निर्देश दिया था? उसमें कहा गया था कि आप चकमा शरणार्थियों को सीधे निकाल नहीं सकते हैं। आपको इसके माननीय पहलू पर ध्यान देना होगा। अतएव, यदि हमें एक करोड़, डेढ़ करोड़ या एक करोड़ बीस लाख अवैध प्रवासियों का भी पता लगे तो क्या उन्हें निकाल बाहर करना संभव है इस देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री के रूप में लम्बे और व्यापक अनुभव के बाद भी क्या आप यह सिफारिश करते हैं कि डेढ़ करोड़ लोगों को संगीन की नोक पर बाहर निकाल देना चाहिए? क्या यह संभव है? क्या अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थियों हेतु कोई प्रावधान नहीं है? क्या कतिपय मानवीय आधार पर कोई प्रावधान नहीं है? अतएव हम जो कुछ संभव है और जो कुछ व्यवहार्य है वह कर रहे हैं। माननीय गृहमंत्री उन मुद्दों पर निश्चय ही विस्तारपूर्वक बोलेंगे।

हमने स्वयं ही सुझाव दिया था कि भारतीय नागरिकों की पहचान के लिए एक बहुउद्देशीय पहचान-पत्र होना चाहिए ताकि वे घुलमिल न पाएं। कंटिदार बाड़ लगाने का कार्य चल रहा है और उस पर इस बारे में हमारे पड़ोसी देशों के साथ विचार करना होगा। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है और हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते—स्वयं विपक्ष के नेता ने इसे स्वीकार किया है—कि यह समस्या अमरीका तथा ब्रिटेन के सामने भी आई है। ऐसा होता है कि छोटे देश की अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को बड़े देश में भेजने की प्रवृत्ति होती है। नेपाल द्वारा ऐसा किया जा रहा है, बंग्लादेश द्वारा ऐसा किया जा रहा है। इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता।

याद करें कि आपने बंटवारे के समय वहां रह रहे दस मिलियन से अधिक हिन्दुओं की बात की। यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है परन्तु यह एक कड़वा सच है कि आप देखते हैं कि

साम्प्रदायिक दंगों के डर से पश्चिमी छोर पर जनसंख्या का आदान-प्रदान हुआ परन्तु महात्मा गांधी की बदौलत अक्टूबर 1946 के बाद पूर्वी छोर पर कोई साम्प्रदायिक दंगे नहीं हुए। इससे प्रभावित होकर लार्ड माऊन्टबेटन ने कहा: "पंजाब सीमा पर मेरे 50,000 सिपाही हैं जहां 16 अगस्त तथा 31 अगस्त 1947 के बीच दो लाख लोग मारे गए, तीन लाख महिलाओं को उठा लिया गया तथा 200 करोड़ रुपये की संपत्ति लूट ली गई परन्तु पूर्वी छोर पर केवल एक आदमी महात्मा गांधी के प्रभाव से अक्टूबर 1946 से कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ।" अत: देश के उस छोर पर प्रवास चरणों में हुआ। समझौते में प्रवासियों को अलग दर्शाकर तथा इसे तीन श्रेणियों में बांटकर श्री राजीव गांधी ने यह समझदारी दिखाई थी। 1947 से 1966 तक आए लोगों को नागरिकता दी जाएगी; 1966 से 1971 के बीच आने वालों की विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अधिकरण द्वारा पहचान की जाएगी; और 25 मार्च 1971 के बाद आने वालों का आई एम डी टी अधिनियम के अंतर्गत स्थापित अधिकरण द्वारा पता लगाकर उन्हें वापस भेजा जाएगा। मेरे विचार से बिना और समय लिए क्योंकि मेरे साथियों को भी अपने विचार व्यक्त करने है, कुछ तथ्यों को स्पष्ट किया जाना चाहिए और इन्हें सही परिप्रेक्ष्य में रखा जाना चाहिए क्योंकि मुझे इन घटनाक्रमों से कुछ समय तक जुड़े रहने का अवसर मिला था।

मैं विपक्ष के माननीय नेता को आश्वासन दे सकता हूं कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को देखते हुए सरकार अपने दायित्वों के बारे में पूर्णत: जागरूक है।

धन्यवाद अध्यक्ष महोदय।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको समय मिलेगा। आपके पास 6 बजे तक का समय है।

अब श्री बसुदेव आचार्य बोलेंगे।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं विपक्ष के माननीय नेता द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं। चर्चा आरंभ करते हुए वह उस असम आंदोलन का समर्थन कर रहे थे जो 1978 से लेकर 1984 तक जारी रहा। विपक्ष के माननीय नेता ने कहा था कि वह आंदोलन शांतिपूर्ण था। हम इस बात को भूल नहीं सकते कि नेल्ली में हजारों लोगों की नृशंस हत्या की गई थी। हम नेल्ली की घटना को भुला नहीं सकते। हजारों लोग उजड़ गए थे, मारे गए थे और उनकी सामूहिक हत्या की गई थी। उस दौरान अखिल असम छात्र संघ की क्या मांग थी? उनकी मांग थी कि सभी अल्संख्यक समुदाय को जबरदस्ती बाहर भगाया जाए। उनकी मांग यह थी कि 1947 में बंटवारे के बाद प्रवासी अल्पसंख्यकों का असम में रहने का कोई अधिकार नहीं है तथा उनके नामों का पता लगाकर उनके नामों को काट दिया जाए और उन्हें जबरदस्ती बंग्लादेश भेजा जाए।

इस सदन में आई एम डी टी अधिनियम लाने का क्या कारण है? 1947 में बना विदेशियों विषयक अधिनियम विद्यमान है। बाद में इस अधिनियम के अंतर्गत विदेशियों विषयक (अधिकरण) आदेश विशेष रूप से असम राज्य के लिए बनाया गया। आज जब उच्चतम न्यायालय ने इस अधिनियम को निरस्त कर दिया है तो विपक्ष के माननीय नेता ने कहा कि "हमारे पास विदेशी अधिनियम है और इस अधिनियम के अंतर्गत अवैध अप्रवासियों के निष्कासन के मामले पर विचार किए जा सकता है।"

विदेशियों विषयक अधिनियम न केवल विशेष रूप से असम के लिए बल्कि यह पूरे देश के लिए लागू है। ऐसे एक अधिनियम के विद्यमान होने के बावजूद संसद में आई एम डी टी अधिनियम अधिनियमित क्यों किया गया था?

हमारा अनुभव यह था कि विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत पुलिस को पूर्ण अधिकार दिए गए थे। उन्होंने न पता लगाने तथा वापस भेजने पर ध्यान दिया था। आई एम डी टी अधिनियम से पहले जो भी किया गया वह मनमाने ढंग से किया गया था।

महोदय, तथाकथित अवैध अप्रवासियों पर सबूत पेश करने का बोझ है। ऐसा विधान लाने का कारण न्यायिक जांच था और यह भी था कि वास्तविक नागरिक के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए। ऐसा नहीं किया गया था। जब यह अधिनियम वर्ष 1984 के पूर्व मौजूद नहीं था।

यहां तक कि जब असम में विदेशी विषयक अधिनियम लागू था और वर्ष 1964 में विदेशी विषयक न्यायाधीकरण गठित किया गया था, तो उसका क्या परिणाम निकला? अवैध अप्रवासियों की पूरी जांच नहीं की गई और उन्हें वापस भी नहीं भेजा गया था। हमने इस समस्या को माना कि असम और अन्य सीमावर्ती राज्यों में अवैध अप्रवासी थे और हमें इससे निपटना होगा। हम इस समस्या से निपटने में कैसे समर्थ होंगे? यह भी आश्चर्यजनक है कि असम समझौते के बाद भी, बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। हमारा दल एकमात्र ऐसा दल था जिसने असम समझौते का समर्थन नहीं किया, विशेष रूप से दस वर्षों का जो प्रावधान है, उसका यह उल्लेख किया गया था कि वर्ष 1966 से 1971 की अवधि के दौरान मतदाता सूची से तथाकथित अवैध अप्रवासियों की पहचान की जानी चाहिए और उन पर बाद में विचार होगा। दस वर्षों के बाद, उन्हें मतदान का अधिकार दे दिया जाएगा। हम असम

[श्री बसुदेव आचार्य]

समझौते के उस प्रावधान से सहमत नहीं हैं। हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने उस समय असम समझौते का विरोध किया था।

असम समझौते के बाद जब चुनाव हुए असम गण परिषद सत्ता में आई, लगातार पांच वर्षों तक सत्ता में रही और तदनन्तर, वे दस वर्षों तक सत्ता में रहे। उनका ट्रैक रिकार्ड क्या था? ए.ए.एस.यू. अपने आंदोलनों के दौरान शोर-शराबा मचा रहा था। कि असम में 20 लाख विदेशी हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला कि वहां 20 लाख विदेशी हैं। मेरे पास वर्ष 1961 से 2001 तक की जनगणना के आंकड़े हैं। वर्ष 1961 में, मुसलमानों की आबादी 27,65,509 थी और वर्ष 2001 में यह बढ़कर 82,40,611 हो गई यदि हम जनसंख्या में 1961 से 2001 के दौरान प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि माने तो वृद्धि 70 प्रतिशत होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि उन्हें 20 लाख का आंकड़ा कहां से मिला? उनका ट्रैक रिकार्ड गया है? दस वर्षों की अवधि के दौरान कितने लोगों को अवैध अप्रवासी घोषित किया गया और उनमें से कितनों को वापस भेजा गया? आंकड़ा 1000 से ज्यादा नहीं है। पार्टी जिसने 20 लाख अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने की मांग की है, जैसा कि उनके प्रदर्शन के दौरान कहा गया था, सत्ता में आने के बाद उन्होंने केवल 1000 लोगों को ही देश से निकाला।

वे इस बारे में क्या कर रहे हैं? यह उनका ट्रैक रिकाड है जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने हिंसक आंदोलन किया था। केवल दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों—सिल्चर और करीमगंज में ही चुनाव हुए थे। किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में कोई चुनाव नहीं हुए। उनके आंदोलन के दौरान सैंकड़ों मारे गए और घायल हुए, और भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद खुशी जता रहे थे मानों उनकी विजय हुई है।

20 वर्षों बाद, उच्चतम न्यायालय ने आई.एम.डी.टी. अधिनियम को समाप्त कर दिया है। ऐसा एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। यह रिपोर्ट पूर्व राज्यपाल की थी जिसको उच्चतम न्यायालय के निर्णय में विस्तार से उद्धृत किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या कहा है? न्यायाधीशों ने असम के तत्कालीन राज्यपाल लेफ्टीनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एस.के. सिंहा द्वारा वर्ष 1998 में केन्द्र को भेजी रिपोर्ट को बड़े विस्तार में उद्धृत किया है। उस समय विपक्ष के नेता गृहमंत्री थे। यह राज्य के कई जिलों में बदलते जनांकिकी और बढ़ते अतिवाद के बारे में था। मैं नहीं जानता कि क्या इन 20 वर्षों में अल्संख्यकों द्वारा उग्रवाद को सह दी गई है या तथाकथित अवैध आप्रवासियों द्वारा।

मैं दिए गए निर्णय से कुछ उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है:

"ऐसी परिस्थिति में, संदेह का कोई कारण नहीं है कि असम राज्य को बड़े पैमाने पर बंग्लादेशियों के अवैध आप्रवासन के कारण बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति का सामना करना पड़ रहा है। बंग्लादेशियों के आने से जिन्होंने असम में अवैध रूप से आप्रवास किया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की अखंडता और सुरक्षा के प्रति खतरा बन गए हैं।"

सर्वोच्च संस्था या उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यह कहा है या जोड़ा है—क्या उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा अधिनियमित अधिनियम को समाप्त कर सकता है? उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित अधिनियम को विधायी अक्षमता के आधार पर समाप्त कर सकता है। इसलिए, अनुच्छेद 355 का निर्णय में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 355 के आपातकालीन प्रावधानों संबंधी भाग XVIII में कहा गया है कि:

"संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।"

क्या कोई बाह्य आक्रमण था या नहीं? मैं इस तथ्य से इंकार नहीं कर रहा हूं कि अवैध आप्रवासन हुआ है क्योंकि हमारी सीमा से घुसपैठ आसान है। इसलिए, अवैध आप्रवासन की संभावना है। क्या अवैध आप्रवासन को बाह्य आक्रमण समझा जा सकता है या नहीं? ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): श्री आचार्य, क्या आपने इस मुद्दे पर अपने राज्यपाल श्री गोपाल कृष्ण गांधी के वक्तव्य का अध्ययन किया है?

श्री बसुदेव आचार्य: श्री स्वाईं, मैं इसे नहीं मान रहा हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: अवैध आप्रवासन के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती राज्य टाइम बम पर बैठे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: श्री स्वाईं, हम पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम असम राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके राज्यपाल ने इस मुद्दे के संबंध में अपनी बात कही है।

श्री बसुदेव आचार्य: श्री स्वाईं, मैं ऐसा नहीं मानता।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, उनके अपने राज्यपाल ने वक्तव्य दिया है।

अध्यक्ष महोदय: कोई किसी का राज्यपाल नहीं है। वह पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: क्या यह 'बाह्य आक्रमण' से जुड़ा होगा या क्या हम इसे 'बाह्य आक्रमण' कह सकते हैं? महोदय, यह आश्चर्यजनक है कि उच्चतम न्यायालय राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि असम में बाह्य आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वस्तुस्थिति क्या है? असम में उग्रवाद है। हम उल्फा (यूनाईटेड लिबेरेशन फ्रंट ऑफ असम) के बारे में जानते हैं। उल्फा के सदस्य अवैध आप्रवासी नहीं हैं। हम उस क्षेत्र की आर्थिक पिछड़ेपन के बारे में जानते हैं। क्या यह अवैध आप्रवासन के कारण आर्थिक रूप से पिछड़ा है? असम में ऋण-जमा अनुपात मात्र 26 प्रतिशत है, जबकि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में यह 65 प्रतिशत से भी अधिक है। कई राज्य हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। यद्यपि, असम में प्रचुर प्राकृतिक खनिज संसाधन हैं तथापि यह पिछड़ा है।

हमने तीन साल पहले देखा है कि बिहार के उन युवकों जो रेलवे में समूह 'घ' सेवा में रोजगार हेतु साक्षात्कार देने गोहाटी गये थे, वहां के लोगों द्वारा उनकी पिटायी की गयी। तत्पश्चात बिहार और असम में भी प्रतिक्रिया स्वरूप कार्रवाई हुई जिसमें दिन-दहाड़े 65 मासूम हिन्दी भाषी बिहारी मारे गए। ...*(व्यवधान)*

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): क्या आपको असमिया लोग पसन्द नहीं हैं?

श्री बसुदेव आचार्य: हमें असमिया लोग बहुत पसन्द हैं क्योंकि बांग्ला और असमिया की लिपि एक ही है।

अध्यक्ष महोदय: विषयान्तर मत कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: हमारा सांस्कृतिक और अन्य संबंध हैं तथा सिलचर को 'लघु बंगाल' कहा जाता है।

अध्यक्ष महोदय: यह इसके विरुद्ध कैसे हो सकते हैं जबकि इनका जन्म असम में हुआ था?

श्री बसुदेव आचार्य: श्री हन्नाल मोल्लाह यहां हैं। इन्होंने कई बार बांग्ला भाषी मुस्लिम अल्पसंख्यकों का मुद्दा उठाया है। उनकी क्या गलती है? वे मुम्बई गए और वहां काम कर रहे थे। उन्हें पकड़ा गया, बांग्लादेशी बताया गया, सीमा पर ले जाया गया और उन्हें बांग्लादेश भेजने की कोशिश की गयी। मैं एक उदाहरण दे सकता हूं कि कैसे राजग शासनकाल में वर्तमान विपक्ष के नेता जब गृह मंत्री थे तब बांग्लाभाषी मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर मुकदमा चलाया गया। वर्ष 2001 में, अबु हनीफ जो एक गरीब बंगाली है और छह महीने पहले बांग्लादेश से आया था उसने उच्चतम न्यायालय में आई एम डी टी को त्यागने के लिए एक आवेदन दिया। यह यहां राजधानी दिल्ली में हुआ था।

उसने बताया था कि उसके पास गत पंद्रह वर्षों से भारतीय पासपोर्ट है, गत पंद्रह वर्षों से उसका नाम दिल्ली की मतदाता सूची में दर्ज है, राशन कार्ड, झुग्गी कार्ड इत्यादि सहित नागरिकता सिद्ध करने वाले सारे दस्तावेज उसके पास हैं फिर भी पुलिस दावा करती है कि वह छह महीने पहले बांग्लादेश में बशीरहाट से आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि बशीरहाट पश्चिम बंगाल में है बांग्लादेश में नहीं। अतएव उसने मांग की कि उसके दावे के निर्धारण हेतु आई एम डी टी अधिनियम के अंतर्गत अधिकरण का गठन किया जाए और इसे उन पुलिस वालों के रहमोकरम पर नहीं छोड़ा जाए जिन्होंने पहले उससे पैसा ऐंठने की कोशिश तक की थी।

अध्यक्ष महोदय, मैंने आईएमडीटी अधिनियम पर आपके भाषण को पढ़ा है। उस समय आपने उल्लेख किया था कि इस विधान की क्या आवश्यकता थी।

अध्यक्ष महोदय: मुझे लगता है कि संसद को यह तय करना चाहिए कि कानून क्या होना चाहिए और यह काम किसी और संस्था को नहीं करना चाहिए।

श्री बसुदेव आचार्य: उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि आईएमडीटी योजना केवल एक खास राज्य के लिए थी, अधिकरणों का गठन मात्र असम में किया गया था। यदि यह भेद भावकारी था, तो एक कार्यकारी आदेश के द्वारा भारत सरकार इसे पूरे देश में लागू कर सकती थी। ऐसा क्यों नहीं किया गया? आडवाणी जी, विपक्ष के नेता, जब गृह मंत्री थे तब पूरे देश में आईएमडीटी अधिनियम की प्रयोज्यता के लिए कोई कदम नहीं उठाया। बल्कि उन्होंने तो असफलतापूर्वक इसके निरसन करने का प्रयास किया। वह छह वर्ष तक गृहमंत्री थे। ऐसा करने का उन्हें समय नहीं मिला। अचानक वह जगे और हर्ष मनाते हुए कहते हैं कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अक्षरशः कार्यान्वित किया जाना चाहिए। इस विशेष मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय को अक्षरशः क्यों कार्यान्वित किया जाना चाहिए?

उन्होंने वोट बैंक की बात की है।

[श्री बसुदेव आचार्य]

समझौते के उस प्रावधान से सहमत नहीं हैं। हमारी पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने उस समय असम समझौते का विरोध किया था।

असम समझौते के बाद जब चुनाव हुए असम गण परिषद सत्ता में आई, लगातार पांच वर्षों तक सत्ता में रही और तदनन्तर, वे दस वर्षों तक सत्ता में रहे। उनका ट्रैक रिकार्ड क्या था? ए.ए.एस.यू. अपने आंदोलनों के दौरान शोर-शराबा मचा रहा था। कि असम में 20 लाख विदेशी हैं। मुझे नहीं पता कि उन्हें कैसे पता चला कि वहां 20 लाख विदेशी हैं। मेरे पास वर्ष 1961 से 2001 तक की जनगणना के आंकड़े हैं। वर्ष 1961 में, मुसलमानों की आबादी 27,65,509 थी और वर्ष 2001 में यह बढ़कर 82,40,611 हो गई यदि हम जनसंख्या में 1961 से 2001 के दौरान प्रतिवर्ष 2 प्रतिशत की वृद्धि माने तो वृद्धि 70 प्रतिशत होनी चाहिए। मैं नहीं जानता कि उन्हें 20 लाख का आंकड़ा कहां से मिला? उनका ट्रैक रिकार्ड गया है? दस वर्षों की अवधि के दौरान कितने लोगों को अवैध अप्रवासी घोषित किया गया और उनमें से कितनों को वापस भेजा गया? आंकड़ा 1000 से ज्यादा नहीं है। पार्टी जिसने 20 लाख अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने की मांग की है, जैसा कि उनके प्रदर्शन के दौरान कहा गया था, सत्ता में आने के बाद उन्होंने केवल 1000 लोगों को ही देश से निकाला।

वे इस बारे में क्या कर रहे हैं? यह उनका ट्रैक रिकाड है जिसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। उन्होंने हिंसक आंदोलन किया था। केवल दो संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों—सिल्चर और करीमगंज में ही चुनाव हुए थे। किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में कोई चुनाव नहीं हुए। उनके आंदोलन के दौरान सैंकड़ों मारे गए और घायल हुए, और भारतीय जनता पार्टी और असम गण परिषद खुशी जता रहे थे मानों उनकी विजय हुई है।

20 वर्षों बाद, उच्चतम न्यायालय ने आई.एम.डी.टी. अधिनियम को समाप्त कर दिया है। ऐसा एक रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। यह रिपोर्ट पूर्व राज्यपाल की थी जिसको उच्चतम न्यायालय के निर्णय में विस्तार से उद्धृत किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने इसमें क्या कहा है? न्यायाधीशों ने असम के तत्कालीन राज्यपाल लेफ्टीनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) एस.के. सिंहा द्वारा वर्ष 1998 में केन्द्र को भेजी रिपोर्ट को बड़े विस्तार में उद्धृत किया है। उस समय विपक्ष के नेता गृहमंत्री थे। यह राज्य के कई जिलों में बदलते जनांकिकी और बढ़ते अतिवाद के बारे में था। मैं नहीं जानता कि क्या इन 20 वर्षों में अल्संख्यकों द्वारा उग्रवाद को सह दी गई है या तथाकथित अवैध आप्रवासियों द्वारा।

मैं दिए गए निर्णय से कुछ उद्धृत करना चाहूंगा। इसमें कहा गया है:

"ऐसी परिस्थिति में, संदेह का कोई कारण नहीं है कि असम राज्य को बड़े पैमाने पर बंग्लादेशियों के अवैध आप्रवासन के कारण बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति का सामना करना पड़ रहा है। बंग्लादेशियों के आने से जिन्होंने असम में अवैध रूप से आप्रवास किया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र की अखंडता और सुरक्षा के प्रति खतरा बन गए हैं।"

सर्वोच्च संस्था या उच्चतम न्यायालय ने इस मामले में यह कहा है या जोड़ा है—क्या उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा अधिनियमित अधिनियम को समाप्त कर सकता है? उच्चतम न्यायालय संसद द्वारा पारित अधिनियम को विधायी अक्षमता के आधार पर समाप्त कर सकता है। इसलिए, अनुच्छेद 355 का निर्णय में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 355 के आपातकालीन प्रावधानों संबंधी भाग XVIII में कहा गया है कि:

"संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की संरक्षा करे और प्रत्येक राज्य की सरकार का इस संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाया जाना सुनिश्चित करे।"

क्या कोई बाह्य आक्रमण था या नहीं? मैं इस तथ्य से इंकार नहीं कर रहा हूं कि अवैध आप्रवासन हुआ है क्योंकि हमारी सीमा से घुसपैठ आसान है। इसलिए, अवैध आप्रवासन की संभावना है। क्या अवैध आप्रवासन को बाह्य आक्रमण समझा जा सकता है या नहीं? ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): श्री आचार्य, क्या आपने इस मुद्दे पर अपने राज्यपाल श्री गोपाल कृष्ण गांधी के वक्तव्य का अध्ययन किया है?

श्री बसुदेव आचार्य: श्री स्वाईं, मैं इसे नहीं मान रहा हूं।

श्री खारबेल स्वाईं: अवैध आप्रवासन के मुद्दे पर उन्होंने कहा है कि सीमावर्ती राज्य टाइम बम पर बैठे हैं।

श्री बसुदेव आचार्य: श्री स्वाईं, हम पश्चिम बंगाल के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम असम राज्य के बारे में चर्चा कर रहे हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं इसका उल्लेख नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपके राज्यपाल ने इस मुद्दे के संबंध में अपनी बात कही है।

श्री बसुदेव आचार्य: श्री स्वाईं, मैं ऐसा नहीं मानता।

[श्री बसुदेव आचार्य]

[हिन्दी]

श्री आडवाणी जी ने वोट बैंक के बारे में बताया है कि यह सब कुछ वोट बैंक के लिए किया जा रहा है। जब राम जन्म भूमि का आंदोलन शुरू हुआ था तब क्या वोट बैंक के लिए नहीं किया गया था? हिन्दुत्व की बात आप कह रहे हैं, यह भी वोट बैंक के लिए है। राम रथ भी वोट बैंक के लिए निकाला गया था। यह सब वोट बैंक के लिए ही किया जाता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: समय लगभग समाप्त हो गया है।

श्री बसुदेव आचार्य: हमारे विचार एक भी बदले नहीं हैं। जब शाहबानो मामले में आईपीसी एक्ट में संशोधन किया गया था, तब हमने उसका विरोध किया था। हमने श्री राजीव गांधी से स्पष्ट रूप से कहा था कि उन्हें बाबरी मस्जिद के दरवाजे नहीं खोलने चाहिए। हम वाम दलों के विचार बदलते नहीं हैं। आपके विचारों में एकरूपता नहीं है। आप हमेशा वोट बैंक के पीछे पड़े हैं। इसी वजह से आप आप वोट बैंक के लिए खुशी मना रहे हैं।

मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। विपक्ष के नेता ने मांग की है कि अल्पसंख्यकों को क्यों सुरक्षा दी जाए और क्यों नहीं वाह्य आक्रमण से बचने के लिए अल्पसंख्यकों, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को असम से निर्वासित कर दिया जाए। ऐसी स्थिति आ गयी है।

मैं लोक सभा में पहली बार वर्ष 1980 में चुनकर आया था। वर्ष 1980 से 1984 तक असम की स्थिति पर दस चर्चाएं हुई थीं। मैं पीछे बैठा करता था और आपका तथा अन्य नेताओं के भाषण सुनता था। असम पर कम से कम दस चर्चाएं हुई थी। इस अधिनियम के बनने के बाद इसी सभा में असम की स्थिति पर कोई चर्चा नहीं हुई। यदि बाह्य आक्रमण जैसी स्थिति थी जैसा कि उच्चतम न्यायालय द्वारा कहा गया है, तो इस सभा द्वारा चिंता व्यक्त नहीं की गयी, श्री आडवाणी द्वारा भी नहीं। मैंने श्री आडवाणी को अपनी चिंता व्यक्त करते हुए नहीं देखा कि असम में बाह्य आक्रमण जैसी स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री बसुदेव आचार्य: मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है। हमें महसूस होता है कि इस अधिनियम को रद्द किए जाने का कोई आधार, कोई औचित्य नहीं है। मैं कह सकता हूं कि एकमात्र आधार सरकार की रिपोर्ट है। मंत्रियों के समूह को इस पर विचार करना चाहिए। आज आई एम डी टी एक्ट नहीं है। अल्पसंख्यकों को उचित संरक्षण क्यों दिया जाना चाहिए? जो वास्तविक नागरिक निर्धारित तिथि तक आ गए हैं उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। यही समझौता हुआ है। यह इंदिरा गांधी-मुजीब के बीच वर्ष 1971 में हुआ एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इंदिरा-मुजीब समझौते के अनुसार वे आप्रवासी जो 25 मार्च 1972 तक असम में आ गये थे उन्हें संरक्षण दिया जाना चाहिए। यह संरक्षण कैसे दिया जाए? उस प्रणाली को तैयार किया जाना चाहिए। संभवत: एक वैकल्पिक विधान लाया जा सकता है। वर्ष 1971 से पहले जो लोग आ गए हैं उन वास्तविक नागरिकों/लोगों को संरक्षण देने के लिए गठित मंत्रियों के समूह द्वारा इन बातों पर विचार किया जाना चाहिए। जो लोग 1971 के बाद आए हैं उनके मामलों का पता लगाया जाना चाहिए तथा उन्हें बांग्लादेश वापस भेजा जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, निश्चितरूप से यह विषय महत्वपूर्ण है, लेकिन इस पर कार्य-स्थगन प्रस्ताव के जरिए बहस करने के वैलिड रीजन्स नहीं हैं। मैं ऐसा समझता हूं कि माननीय नेता प्रतिपक्ष के दल के लोगों ने उन्हें हिन्दू मानने से इंकार कर दिया, इसलिए वे इस विषय को हिन्दुत्व का सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए लाए हैं। पिछले एक पखवाड़े में उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं, जिससे इनके कुल का आशीर्वाद फिर से मिले और ये हिन्दू घोषित होने का प्रमाण-पत्र उनसे प्राप्त करे सकें।

अपराह्न 3.50 बजे

[श्रीमती सुमित्रा महाजन *पीठासीन हुई।*]

क्योंकि, जब ये अयोध्या गये तो उस समय इनके कुल के लोगों ने कहा कि अब सही राह की ओर आ रहे हैं और अभी उनकी और परीक्षा लेनी है। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर): ये एडजर्नमेंट मोशन के बारे में बोल रहे हैं या व्यक्ति के बारे में बोल रहे हैं? ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह: हम शुरू कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): यह प्रस्तावना है, आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहन सिंह: सभापति महोदय, इसीलिए स्पीकर साहब ने बृज किशोर त्रिपाठी जी के नाम से यह प्रस्ताव स्वीकार किया था, लेकिन माननीय नेता विरोधी दल ने चतुराई से इस मोशन को सदन के सामने बहस के लिए रखा। यह अच्छी बात है कि एक महत्वपूर्ण विषय की ओर किसी बहाने ध्यान आकृष्ट किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय को आधार बनाया गया। मेरी समझ में सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय राजनैतिक ज्यादा है, कानूनी मुद्दों पर आधारित बहुत कम है और इसलिए समय-समय पर जब कभी भी सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय राजनैतिक अधिक हुए तो अपने विजडम के अनुसार इस संसद ने उसका विकल्प ढूंढा, उसमें परिवर्तन किये। इसीलिए बहुत सही बात कही गई कि जब हिन्दुस्तान का 1952 का चुनाव नहीं हुआ था, प्रोवीजनल पार्लियामेंट थी, कांस्टीट्वेंट असेम्बली ही वैकल्पिक संसद के रूप में काम कर रही थी तो बिहार के अंदर जमींदारी एबोलीशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नल एण्ड वोइड घोषित कर दिया और उसकी रोशनी में भारत की संसद ने पहला संशोधन भारत के संविधान में जो हमारे मूल अधिकार हैं, उस खाने में किया, उस खातें में किया, इसलिए जब कभी भी इस देश को अपने राष्ट्रीय हित के लिए महत्वपूर्ण बातें समझीं गईं और ऐसा माना गया कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कानूनी कम, राजनैतिक ज्यादा हैं तो संसद के जरिये राजनैतिक निर्णय द्वारा उस राजनीति का एक विकल्प प्रस्तुत किया गया, इसलिए मैं ऐसा समझता हूं कि इस निर्णय के जवाब में जो समीक्षा के लिए समिति बनी है, वह सही दिशा में एक अच्छा कदम है और उस समिति को एक वैकल्पिक निर्णय सभी दलों के राय-मशविरे से लिया जाना चाहिए, यह मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं।

यह बात सही है कि किन्हीं खास परिस्थितियों में यह कानून पहले तो अध्यादेश के जरिये आया और बाद में यह कानून बना। इसको अध्यादेश के जरिये लाने की जरुरत क्यों पड़ी, क्योंकि 1980 का चुनाव आने के पहले असम में एक जन-आंदोलन शुरु हो गया था। उस आंदोलन की विचारधारा से, उस आंदोलन के कर्ताओं से, उसमें किस तरह की शक्तियां थीं, उनसे हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन उस आन्दोलन ने असम में अपनी जड़ें जमा ली थीं, इसमें कोई संदेह नहीं, इसमें कोई आपत्ति नहीं और इसलिए 1980 की जो भारत सरकार थी, जिसमें प्रधानमंत्री की हैसियत से चौधरी चरण सिंह बैठे थे, वह सरकार मजबूत सरकार नहीं थी, लेकिन इस तरह का ट्रिब्यूनल नियुक्त करने का प्रस्ताव उन आंदोलनकारियों के सामने सबसे पहले 1980 की उस सरकार ने रखा, जिसका समर्थन आज की एन.डी.ए. के अध्यक्ष आदरणीय जॉर्ज फर्नाण्डीज साहब ने किया था। 1983 में यह कानून की शक्ल में अध्यादेश के जरिये यह बात सामने आई कि जो बाहर से आव्रजन हो रहा है, खास तौर से बंगलादेश की ओर से, उस समस्या का समाधान करने का रास्ता क्या है, क्योंकि जो सरकारी मशीनरी थी, वह जातिगत आधार पर भेद पैदा करती थी और इसको हमने 60 के दशक में ही देखा था। असम के अंदर जो झगड़ा है, वह केवल बंगलादेशियों से नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय ने मेरी राय में अपना निर्णय देते समय पूर्वोत्तर के आंदोलनों की जो समीक्षा की, वह समीक्षा बहुत साउंड एण्ड सूटिंग के ऊपर नहीं है, यह मेरी राय है, क्योंकि असम के अंदर बंगालियों के विरुद्ध विद्रोह 1960 के ही दशक में हुआ था, तब बंगलादेशियों के घुसपैठियों या वहां से आने वालों की समस्या नहीं थी। कितने बड़े पैमाने पर वहां हिंसा हुई थी। वहा हिंसा असेम्बली के अंदर पहुंची थी। असेम्बली के अंदर पहली हिंसा असम के इतिहास में दिखलायी पड़ती है, जहां वर्ष 1964 में इस हिंसा के चलते राज्यपाल अपना अभिभाषण नहीं कर सकी थीं। इतनी बड़ी हिंसा उस जमाने में हुई थी। 1980 के बाद यह हिंसा और बढ़ी। वर्ष 1983 में असम के ऊपर चुनाव थोपा गया। उसमें कुछ ऐसे विधान सभा क्षेत्र भी थे, जहां 70 हजार मतदाता थे, लेकिन उन 70 हजार मतदाताओं में से कुल 60 मतदाताओं ने ही वोट दिया था। एक सदस्य चुनकर असम की असेम्बली में आ गया। 65 ऐसे विधान सभा क्षेत्र थे, जहां तीन सौ से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग हीं नहीं किया। ढाई-तीन सौ वोट पाकर असम में एक सरकार बन गयी। जो स्वयं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर विराजमान थे, वह साढ़े तीन सौ मतदाताओं का वोट पाकर मुख्यमंत्री बने थे। मैं इस बात का उल्लेख इसलिए कर रहा हूं कि उस आंदोलन से हमारा विरोध हो सकता है, लेकिन उस आंदोलन ने जनता के अंदर इतनी जड़ें जमा ली थीं कि 1985 में जनभावनाओं के प्रति संवेदनशील होते हुए भारत सरकार ने असम एकार्ड किया। उस असम एकार्ड के तहत इस बात का फैसला हुआ कि एक ट्रिब्यूनल का गठन किया जाए, जिसमें हाई कोर्ट के जज होंगे या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होंगे। अफसरशाही को यह अधिकार नहीं होगा कि वह पिक एण्ड चूज करे और जिस तरह के विचार के लोग वहां की सरकार में बैठे हैं, उनकी मंशा के अनुसार कुछ खास वर्गों के लोगों को ही चिन्हित करके बाहर फेंकने का काम करे। इससे मुक्ति दिलाने का एक ही रास्ता है कि जजों से जुड़ी एक ट्रिब्यूनल हो, जिसके सामने अफसरशाही उसको लेकर जाए और जजों के विवेक से जिसको बांग्लादेशी घोषित किया जाए, उसको इस देश से बाहर भेजने का काम किया जाए। यह बात अपने आप में बहुत उचित थी। मुझे इस बात पर दुख भी है कि ट्रिब्यूनल को जिस तरह से काम करना चाहिए था, उसने उस काम को सही ढंग से अंजाम नहीं दिया।

यह बात सही है कि आज बांग्लादेशियों के घुसपैठ की समस्या केवल असम की समस्या नहीं है, यह संपूर्ण पूर्वोत्तर में मजबूती से विद्यमान है। इसीलिए आज की तारीख में पश्चिम

[श्री मोहन सिंह]

बंगाल के मुख्यमंत्री ने भी इस पर घोर चिन्ता प्रकट की है और कहा है कि इस समस्या का हल निश्चित रूप में निकाला जाना चाहिए। आज से 14-15 वर्ष पहले जो अरुणाचल की सरकार थी, स्वयं सरकार की हैसियत से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति ने इस नाम पर की कुछ बांग्लादेशी आ कर उनके राज्य में बैठ गए हैं, सरकार की मशीनरी से बिना किसी जुडिशियल वर्डिक्ट के इस देश से बाहर निकालने लगे। एक सोशल टेन्शन पूर्वोत्तर राज्यों में इस समस्या को लेकर है। लेकिन इस समस्या से शुरु हुआ आंदोलन आज पूर्वोत्तर में दूसरा रूप ले चुका है। यह बात 1978, 1980, 1982 में शुरु हुई थी। बांग्लादेशियों को असम से बाहर करना है, लेकिन उसकी नकल पर यह चीज संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्यों में फैली और आज उसका दूसरा रूप हो गया है। उसका उग्रवाद दूसरे ढंग में हो गया है। वहां के राज्यों में जितने एथनिक ग्रुप्स हैं, उन सारे एथनिक ग्रुप्स ने अपने-अपने हिसाब से अपने राज्य में मांग कर दी। मेघालय जैसे छोटे राज्य में तीन तरह के लोग रहते हैं, गारो, खासी और जयन्तिया, जो उनका अलग राज्य होना चाहिए। असम में एकार्ड करने के बाद कुछ लोगों को यह अधिकार दे दिया गया। वहां एक ग्रुप पैदा हो गया और वह कहने लगा कि हमारा एक अलग राज्य होना चाहिए। बांग्लादेशियों को बाहर भेजने का काम शुरु हुआ, लेकिन उसका प्रयोग दूसरे रूप में शुरु हो गया। जिसके चलते आज संपूर्ण पूर्वोत्तर ज्वालामुखी के ढेर पर बैठा हुआ है। कल की तारीख में इसी राजधानी के भीतर मणिपुर और मेघालय के लोगों ने प्रदर्शन किया था। उनका कहना है कि भारत सरकार की ओर से हमारे ऊपर एक आक्रमण जैसी स्थिति है।

अपराह्न 4.00 बजे

उस समय नागालैण्ड के लोगों ने सैंक्शन जारी कर दिया और मणिपुर का सारा रास्ता बंद हो गया। ये सारे झगड़े एक छोटी सी चीज से शुरु होकर आज दूसरे रूप में बदल गए। इसलिए भारत सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यह प्रश्न केवल बंग्लादेशी घुसपैठ तक सीमित नहीं है, यह मामला संपूर्ण पूर्वोत्तर की शांति से संबंधित हो गया है। इसलिए वहां के उग्रवाद को समाप्त करने के लिए जो आव्रजन की समस्या है, जो वहां से आने वाले बंग्लादेशी शरणार्थी हैं, उनसे मुक्ति का सवाल है, इसे गंभीरता से लेना चाहिए।

मुझे कहते हुए अफसोस हो रहा है कि नेता, विरोधी दल ने अपने भाषण की शुरुआत तीन मुद्दों से की और उसमें उन्होंने एक बात कह दी कि आज की तारीख में भी बंगलादेशियों की ओर से इधर घुसपैठ हो रही है। उनको इस बात पर अफसोस हो सकता है क्योंकि अकेले उनका बहुमत नहीं था, उनके सहयोगी लोग थे जो वोट बैंक की राजनीति में इतने मशगूल थे कि उनको इस एक्ट को रिपील करने की फुर्सत नहीं थी। यह बात कहते हुए संभवतः वह भूल गए कि श्री शिवराज पाटील भी उसी तरह के कैदी हैं। उनकी पार्टी को भी अकेले बहुमत नहीं है। यदि वे अकेले उन्हीं की तरह शक्ति से कोई निर्णय करना चाहें, तो आज की तारीख में उनको वह राजनैतिक शक्ति हासिल नहीं है। जिस तरह उनको अपने साथियों से गिव एंड टेक करना पड़ता था, उसी तरह का गिव एंड टेक इस सरकार को और गृह मंत्री जी को भी करना है। ऐसी स्थिति में एक जिम्मेदार व्यक्ति, जो स्वयं गृह मंत्रालय संभाल चुके हैं और जिनके संबंध में स्वयं ऐसी स्थिति आई कि जब बाड़ बनाने के लिए बंगलादेश की सीमा पर भारत की बार्डर सिक्युरिटी फोर्स गई, तो उनको घसीटकर बंगलादेश में ले जाया गया और तोहफे की शक्ल में उनके टुकड़े-टुकड़े करके उनकी लाश को बोरे में कसकर भारत के बार्डर सिक्युरिटी फोर्स के सुपुर्द कर दिया गया। हम इस बात को कैसे स्वीकार कर लें कि आपके समय में जो इंटरनल सिक्युरिटी थी, बाहर से होने वाली घुसपैठ थे, उनमें कमी आई थी और आज की तारीख में उनमें वृद्धि हो गई। यह दो तरह के तर्क इस सदन में नहीं चलने चाहिए। यह जरूर समस्या है कि बंगलादेश की ओर से भारत में होने वाली घुसपैठ एक राष्ट्रीय अहम प्रश्न है और इसे रोकना और बंद करना इतना आसान काम नहीं है जितनी आसानी से सदन के भीतर बहस के जरिए कर दिया जाता है। इसलिए इस पर एक राष्ट्रीय सहमति पैदा की जानी चाहिए और हिन्दुस्तान की सारी शक्ति लगाकर बंगलादेश से लगी हमारी जो सीमाएं हैं, उनके ऊपर बाड़ लगाने की योजना को पूरा किया जाना चाहिए।

मैं गृह मंत्रालय की कार्य मंत्रणा समिति में था, जब आदरणीय प्रणब मुखर्जीस उसके अध्यक्ष हुआ करते थे। हमने पूर्वोत्तर राज्य का दौरा किया। मेघालय से सटी हुई बंगलादेश की जो सीमा है, उस सीमा तक हम गए थे। भारत के लोग बाजार करने के लिए बंगलादेश में जाते हैं, बंगलादेश के लोग मछली मारने भारत की सीमा में आते हैं। भारत में पैदा होने वाला जितना कोयला और मिनरल्स हैं, वह बंगलादेश में आसानी से चला जाता है। वहां का चावल हिन्दुस्तान में आता है। क्या उसे रोकने की कोई पद्धति है? जिस तरह हमारी खुली हुई सीमाएं है, उन खुली हुई सीमाओं में, हमारे मित्र 1993 में डैलीगेशन लेकर त्रिपुरा पहुंचे। उस जमाने में त्रिपुरा में लोगों को बदहजमी की भंयकर बीमारी हो गई, जिसमें साढ़े आठ सौ बच्चे मर गए। बंगलादेश की ओर से आने वाली जितनी नदियां हैं, ऐसा माना गया कि उनमें कुछ जहरीले पदार्थ छोड़े गए जिससे उसके पानी को पीकर लोगों को बीमारी हुई और एक हजार के करीब बच्चें मर गए। हमारी शुरु से राय है कि हिन्दुस्तान का बंटवारा अप्राकृतिक ढंग से हुआ। बंगलादेश की सीमा, हिन्दुस्तान की सीमा इस रूप में खुली हुई है, हिन्दुस्तान और नेपाल की सीमा इस रूप में खुली हुई है कि यदि हम चाहें

तो भी दोनों देशों की आवाजाही को रोकना कठिन काम है और इस कठिन काम में किसी की नीयत पर संदेह किए बिना हमें एक रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए। दो तरह की राय है कि 1966 में सबसे अधिक उस जमाने के पूर्वी पाकिस्तान से हिन्दुस्तान की ओर आवाजाही हुई थी। जो आने वाले लोग थे, उनमें सर्वाधिक तादाद हिन्दू सम्प्रदाय के लोगों की थी। हमारा पुराना एक्ट कहता है कि यदि किसी आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दबाव में, किसी हिन्दुस्तान को, जो 1947 के पहले हिन्दुस्तान का नागरिक रहा हो, यदि उसे बंगलादेश आज की तारीख में, और उस जमाने के पाकिस्तान को, छोड़ना पड़े, तो हम उसका हिन्दुस्तान में स्वागत करेंगे और उसे हिन्दुस्तान की नागरिकता देंगे। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को याद दिलाना चाहते हैं कि 1966 की घुसपैठ में आने वाले जो हिन्दु शरणार्थी थे, उनकी संख्या को देखते हुए आदरणीय डा. राम मनोहर लोहिया और श्री दीनदयाल उपाध्याय का एक संयुक्त वक्तव्य हिन्दुस्तान के अखबारों में प्रकाशित हुआ। उसमें भारत सरकार से अपील की गयी थी कि हिन्दुस्तान में बंगलादेश से आने वाले जो हिन्दू शरणार्थी हैं, उनको हिन्दुस्तान में जगह दी जाये और हिन्दुस्तान में रहने वाले जो मुसलमान अल्पसंख्यक हैं, उनके धार्मिक, आर्थिक और व्यापारिक हितों की हिफाजत हिन्दुस्तान में रहने वाला हर नागरिक और भारत सरकार मजबूती से करे। 1966 में डा. राम मनोहर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय जी ने यह एक संकल्प किया था। इसमें भेद करना कि जो हिन्दू आ गया, वह हिन्दुस्तान में आदरपूर्वक आयें क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी के एक नेता का वक्तव्य हमने बंगाल में पढ़ा। वह राष्ट्रीय नेता हैं। उन्होंने कहा कि जो हिन्दू आ गया, उसका हम स्वागत करेंगे ओर जो मुसलमान 1971 के बाद आ गया, उसे हम तड़ी पार करने का काम करेंगे।

यदि बाहर से आये हुए लोगों के बारे में इस तरह का दोहरा दृष्टिकोण होगा तो मैं समझता हूं कि भारत की एकता के लिए यह सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, और भारत सरकार का जो मंतव्य है, उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करते हुए किसी ऐसे कानून की आवश्यकता है जिस कानून के जरिये बंगलादेश से यहां आकर अपनी शरणस्थली बनाये हुए लोगों को हम उनके देश में वापस भेज सकें और हिन्दुस्तान की जो डेमोक्रेसी चेंज हो रही है, उसमें एक संतुलन स्थापित करने में हम मददगार साबित हो सकें, लेकिन उनको यहां से भेजने में हिन्दू और मुसलमान का जो भेद और पक्षपात है, वह पूरी तरह से समाप्त हो। यहां वर्ष 1971 से पहले के आये हुए जो लोग हैं, उनकी आईडेंटिटी ठीक से निर्धारित की जाये और उनको हिन्दुस्तान में रहने का यथावत रूप से अवसर देते हुए उसके बाद के लोगों को हटाने की व्यवस्था हो, इसके लिए एक स्थायी संख्या भारत सरकार और सभी लोग मिलकर सोचें। इस संस्था का गठन होना चाहिए, इसी सुझाव के साथ में आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): सभापति महोदया, जो कार्य स्थगन प्रस्ताव माननीय प्रतिपक्ष के नेता द्वारा लाया गया है, उस पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। सबसे पहले कार्य स्थगन प्रस्ताव जिस परपज, जिस मंशा से लाया गया है, वह स्वयं अपने आप में परपज-लैस है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता यूपीए सरकार की एक साल की विफलता पर यह कार्य स्थगन प्रस्ताव लाये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि छः साल के एनडीए सरकार की विफलता पर यह प्रस्ताव है या एक वर्ष की यूपीए सरकार की विफलता पर एडजर्नमैंट मोशन है। यहां मल्होत्रा जी बैठे हुए हैं। वे बहुत विद्वान होने के साथ-साथ डिप्टी लीडर भी हैं। सदन में बहस के समय यह प्रश्न यक्ष की तरह खड़ा हो गया है। चूंकि यह विषय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है इसलिए इस विषय की महत्ता पर प्रकाश डालने से पहले अपने आप में एक प्रश्न खड़ा हो जाता है। अभी प्रतिपक्ष के नेता ने ठीक फरमाया कि उन्हें बड़ी खुशी है कि 14 महीने में पहली बार कार्य स्थगन प्रस्ताव की स्वीकृति मिली। कार्य स्थगन प्रस्ताव को किस शासन की विफलता पर स्वीकृति मिली है, यह सवाल मैं उनसे पूछना चाहता हूं। यह यूपीए सरकार की एक साल में घुसपैठ रोकने की विफलता है या छः साल जो एनडीए सरकार की विभिन्न चरणों में विफलता रही है, वह है। उनको इस बारे में 2003 में याद आया तब इन्होंने रिपील बिल लाने का एक अधूरा संकल्प लिया। सदन नेता ने ठीक कहा था कि स्टैंडिंग कमेटी में जाते-जाते लोक सभा भंग हो गयी, मतलब प्रक्रिया भी पूरी नहीं हो सकी। ये लोग ऐसे समय में उस बिल को लेकर आये क्योंकि ये जानते थे कि 2004 में चुनाव होने वाले हैं। उनकी मंशा वहां भी ठीक नहीं थी। किसी प्रस्ताव को लाने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। इसमें हमको नीयत में गड़बड़ लगती है। अब बुद्धि में गड़बड़ हो तो हमें उस पर कोई बहस नहीं करना है क्योंकि हर आदमी की बुद्धि में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन आपकी नीयत में खोट है। हमें आपकी नीयत में गड़बड़ी नजर आ रही है। इसीलिए इस विफलता पर जो आप स्थगन प्रस्ताव लाए हैं, *...(व्यवधान)* मैं कहना चाहता हूं कि एक और भी दूसरा कारण था। इसके पीछे दूसरे कारण और भी हैं और उनमें से एक है कि विचारों की घुसपैठ बड़ी तेजी से आज बीजेपी में हो रही है। भारतीय जनता पार्टी एक जिन्नावादी है और असली भारतीय जनता पार्टी कट्टरपंथी है। इन दोनों विचारधाराओं में टकराव और संघर्ष बड़ी तेजी से हो रहा है। इसी कारण यह प्रस्ताव आ रहा है, ताकि सर्टिफिकेट देश से मिल जाए कि हम असली भारतीय जनता पार्टी हैं, हम भारतीय जनता पार्टी जिन्नावादी नहीं हैं। इसी सबूत को प्रमाणित करने के लिए ऐसे अवसर को ढूंढ़ा गया है। इस कार्य स्थगन प्रस्ताव को

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

लाने का अवसर बहुत अच्छा ढूंढ़ा गया है। जो ऐतिहासिक तथ्य दिये गये हैं, चाहे जो आईएमडीटी एक्ट का काफी बार जिक्र किया गया और प्रतिपक्ष के नेता का तो पूरा भाषण एतिहासिक हुआ है। इस आईएमडीटी एक्ट के इतिहास, हिस्ट्री, उसके प्रोस एंड कौंस, उसके एफैक्ट्स जो हुए और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, इससे आपको ऑक्सीजन मिल गया। सुप्रीम कोर्ट को कोई भी निर्णय देने का अधिकार है। आप कह रहे हैं कि इस कार्य स्थगन प्रस्ताव का आधार सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। यह भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा निर्णय दे दिया। ...*(व्यवधान)* सुप्रीम कोर्ट ने अगर निर्णय दे दिया तो हम सब लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का आदर करते हैं। ...*(व्यवधान)*

मोदी जो, आपको तो पेट में दर्द हो जाता है क्योंकि आप पहली बार लोक सभा में आए हैं। जरा सुनने का धैर्य रखिए। यह विधान सभा नहीं है। यह सदन है। हम पांचवीं बार चुनकर आए हैं। हमारी बात को सुनने का जरा धैर्य रखिए। ...*(व्यवधान)* आप पहली बार लोक सभा में चुनकर आए हैं। बहुत हवा में उड़ते हैं। उड़िए मत। हमारी बात को सुनिए। सुनेंगे तो दर्द हो जाएगा। ज्यादा टोकेंगे तो हम पूरा हिसाब कर देंगे। इसीलिए हम विषय के बाहर नहीं जाना चाहते थे।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): अपनी पार्टी के मैम्बर्स को भी यही बात बताइए। ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं आपको कोट नहीं करना चाहता हूं। मैं आपको नोटिस में नहीं लेना चाहता हूं, फिर आप क्यों खड़े हैं?

सभापति महोदया: आप चेयर को सम्बोधित करके बोलिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं चेयर को सम्बोधित करके ही बोल रहा हूं। प्रतिपक्ष के नेता ने बड़ी चतुराई से, बुद्धिमता से 1947 से इसे जोड़ दिया, जबकि इन्हें सब पता है कि 1971 के बाद 25 मार्च को ट्रीटी हुई, समझौता हुआ। समझौता जब हो गया, तो उसके बाद का यह मामला है और तीन श्रेणी में इसे बांटा गया था। हमारे रक्षा मंत्री जी और सदन के नेता ने भी इसका जिक्र किया था कि क्या स्थिति है लेकिन आपने 1947 से इसे जोड़ दिया। 1947 से जोड़ने में तो आपको खुद विचार करना चाहिए कि कौन-कौन सी डिफिकल्टी को लेकर आए थे। सिंध से जो लोग यहां आए थे, पूर्वी पाकिस्तान से जो भी लोग यहां आए थे जो भी नेता लोग आए थे, उनके सामने उस समय क्या था। इसलिए 1947 से पहले का मामला मत उठाइए। 1947 यानी आजादी के वक्त से उठा देते हैं। अवैध ढंग से, गैर-कानूनी तरीके से जिस तरह से लोगों ने यहां घुसपैठ की थी, इसीलिए तो यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। घुसपैठ के मामले में, मैं कहना चाहता हूं कि आपने इसका बड़ी होशियारी से जिक्र किया और इंद्रजीत गुप्ता जी का भी जिक्र किया। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। उस समय इंद्रजीत गुप्ता जी गृह मंत्री थे। मुझे भी उस कैबिनेट में रहने का मौका मिला था। मैं उनका बहुत आदर करता हूं। उन्होंने सदन में एक प्रश्न के उत्तर में कहा था कि एक करोड़ लोग गैर-कानूनी तरीके से देश में घुसपैठ किये हुए हैं। एक करोड़ की संख्या का आकलन उन्होंने सदन में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था। यह आंकड़ा आठ वर्ष पूर्व 1996 या 1997 में बताया था। आप इसके बाद, 1998 में गृह मंत्री बन गये। जो माननीय वर्तमान प्रतिपक्ष के नेता हैं, वे 1998 में गृह मंत्री बन गये थे। आप गृह मंत्री तुरंत एक साल के बाद बन गये। इस बात को 6-7 साल हो गये। 8 साल इस बात को हो रहे हैं। आपने खुद कहा है। आपने कहा कि 8 वर्ष पूर्व सदन को यह जानकारी दी गई थी कि माननीय तत्कालीन गृह मंत्री ने कहा था कि लगभग एक करोड़ की संख्या में घुसपैठ अवैध रूप से हुई है। गैर-कानूनी तरीके से देश के अंदर या घुसपैठ हुई है। उसकी संख्या का आकलन एक प्रश्न के उत्तर में बताया गया था।

1998 में हमारे आज के विपक्ष के नेता गृहमंत्री बने थे। उनके संज्ञान में यह था कि एक करोड़ गैर-कानूनी अप्रवासी लोग हिन्दुस्तान में आ गए हैं, तो उन्होंने क्या कार्यवाही की? इस बात के लिए कौन जिम्मेदार है? उस समय देश के शासन की बागडोर उनके हाथ में थी, वे उप-प्रधानमंत्री और गृहमंत्री बन गए थे- उन्होंने इस दिशा में क्या पहल की? क्या यह यक्ष प्रश्न देश के सामने नहीं है? क्या आपका यह उत्तरदायित्व नहीं था कि घुसपैठ रोकने के लिए आप कोई कदम उठाए? हम सब लोग घुसपैठ को रोकना चाहते हैं लेकिन आप इसे जो कलर देना चाहते हैं वह ठीक नहीं है। यह कोई हिन्दु-मुसलमान का सवाल नहीं है, बल्कि परदेशी लोगों के देश में घुसने का प्रश्न है। यह हिन्दु-मुसलमान का सवाल कतई नहीं है। तब आपने कहा कि आप पर साम्प्रदायिकता का आरोप लगाया जाता है, लेकिन आप घुसपैठ के पूरी तरह खिलाफ हैं। हम लोग भी घुसपैठ और घुसपैठियों के खिलाफ हैं और इसीलिए इस प्रस्ताव के विरोध में आए हैं।

आपने धारा 355 का भी उल्लेख किया है। मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति को संविधान का थोड़ा सा भी ज्ञान होगा, वह जानता है कि धारा 355 का किन-किन परिस्थितियों में प्रयोग करके केन्द्र सरकार राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथ में ले सकती है और किस स्थिति में इस धारा का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक ही कहा गया कि हमने गुजरात के सवाल को उठाया था। आप इसे रिकार्डस में देख सकते हैं। मैं इसलिए यह कहना चाहता हूं कि आपने इस मामले को आंतरिक सुरक्षा से जोड़ दिया। इससे

यही संकेत मिलता है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप इसे आंतरिक सुरक्षा के एक गंभीर विषय के रूप में उठा रहे हैं, इसी से हमें आपकी नीयत पर शंका होती है। आपकी नीयत में खोट है। इस विषय पर चर्चा का प्रस्ताव लाने में आपकी राष्ट्रीय भावना कम दिखायी देती है और आपकी साम्प्रदायिक भावना ज्यादा उजागर होती है।

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): वोट बैंक बनाना चाहते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: आप ठीक कह रहे हैं। वोट बैंक बनाने की बात है लेकिन एकतरफा होने से काम नहीं चलेगा, दोनों तरफ की सोचिए। आपने पूर्व गृह मंत्री की बात का उल्लेख किया है। वर्तमान गृह मंत्री ने सदन को जो जानकारी दी है, आपने उसका जिक्र नहीं किया है या शायद आप भूल गए क्योंकि राष्ट्रीय साम्प्रदायिक समभाव आपके एजेण्डे में नहीं है। पूर्व केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री श्री एस. रघुपति ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जांच और नियंत्रण के बावजूद, सीमा के ऊबड़-खाबड़ और सुभेद्य होने के कारण हिन्दू समुदाय से संबंधित बांग्लादेशी नागरिकों के हमारे देश में घुसपैठ करने की रिपोर्ट मिली है। इसका जिक्र आपने नहीं किया है। अगर आप सापेक्ष रूप से उदार होकर सोचेंगे तो दोनों बातों की आपको चर्चा करनी चाहिए। किसी साम्प्रदायिक दृष्टिकोण से इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। यह घुसपैठ का एक सीधा मामला है लेकिन आप इसकी चर्चा नहीं करते हैं। श्री रघुपति ने आगे बताया था कि अवैध आप्रवासन को रोकने के लिए सरकार ने इस मुद्दे को नियमित रूप से विभिन्न मंचों पर बांग्लादेश के साथ उठाया है। इसके अतिरिक्त सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा सीमा सुरक्षा के लिए भारत-बांग्लादेश सीमा पर तैनात चौकसी बल को मजबूत करना, बीएसएफ की अतिरिक्त बटालियन तैनात करना, बाड़ लगाने के काम में तेजी लाना आदि। मैं इसे यहीं पर छोड़ता हूं, इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा लेकिन बाड़ लगाने का काम आपका था।

सभापति महोदया: आप अपनी बात कंक्लूड कीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: बाड़ लगाने में आपने कितना काम किया, कितनी बाड़ लगाई गयी, इसकी भी रिपोर्ट है लेकिन मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। आपने वर्ष 1998 में सीमा पर कितनी फेंस लगाई, क्या प्रगति हुई, क्या प्रोग्रेस हुई, इसके भी आंकड़े ईयरवाइज हैं, लेकिन मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। 1998 से लेकर 2003 तक सीमा को किस तरह से सुरक्षित किया गया और घुसपैठ रोकने के लिए क्या-क्या उपाए किए गए, कहां-कहां पर सीमा पर फैंसिंग लगाई गई, इसकी भी जानकारी है। लेकिन समयाभाव के कारण मैं इसे यहीं छोड़ देना चाहता हूं।

जहां तक नजरिये का सवाल है, दृष्टिकोण का सवाल है, तो आपका दृष्टिकोण ही उचित नहीं है। देश के अल्पसंख्यक समाज में असुरक्षा का भाव पैदा करके सामाजिक सद्भाव को पैदा नहीं किया जा सकता। घुसपैठ कैसे रोकी जाए, कैसे उनकी पहचान की जाए, यह एक प्रेक्टिकल कठिनाई है। उसी के लिए यह आईएमडीटी एक्ट बनाया गया था। जिस तरह से इसे निरस्त किया गया, उससे घुसपैठियों की पहचान करना और कठिन काम होगा। एक न्यायाधिकरण बनाया गया था घुसपैठियों की पहचान के लिए, आप उसकी पीठ बहाल करने की कोशिश में लगे थे। अगर आप वास्तव में इस मसले पर गंभीर थे, तो आप ज्यादा से ज्यादा न्याधिकरण बनाते, लेकिन आपने सरकार में रहते हुए ऐसा नहीं किया।

सभापति महोदया: कृपया अब समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं इसीलिए कहना चाहता हूं कि घुसपैठियों के सवाल पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यह एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का सवाल है। जैसा सरकार ने अभी कहा कि जो जायज नागरिक हैं, जो अल्पसंख्यक नागरिक हैं, उनके हितों पर कुठाराघात करके, उन पर अंगुली उठाकर इस देश का जो संवैधानिक सेक्युलर ढांचा है, उसे हम खत्म नहीं कर सकते और न ही किसी खास कम्युनिटी को भयभीत करके हम आपसी सौहार्द का वातावरण बना सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदया: यह उचित नहीं है।

[हिन्दी]

आपस में बात नहीं होनी चाहिए।

श्री लालू प्रसाद: मंत्री होने का मतलब यह नहीं है कि हम चुपचाप बैठे रहें। हमारी पार्टी लाइन है, मैं उनकी मदद कर सकता हूं।

सभापति महोदया: ऐसा नहीं हो सकता। देवेन्द्र जी, आप कृपया समाप्त करें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं समाप्त कर रहा हूं। अभी असम का जिक्र हुआ और कहा गया कि वहां किस तरह से विदेशी लोग रह रहे हैं। यह भी कहा गया कि असम में करीब 56 विधान सभा क्षेत्रों में इस तरह के करीब एक करोड़ लोग हैं, लेकिन कैसे आप उनकी पहचान कर पाएंगे, यह एक व्यावहारिक कठिनाई है। इसलिए इस मसले को हल्के-फुल्के ढंग से इस समय हमें नहीं लेना चाहिए। 56 विधान सभा क्षेत्रों में जो घुसपैठिए हैं, उनकी पहचान के लिए और इस तरह की बातों की जांच के लिए ग्रुप

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

आफ मिनिस्टर्स गठित किया गया है। मेरा कहना है कि जब एक काम्प्रीहेंसिव बिल घुसपैठ को रोकने के लिए नहीं लाया जाता, तब तक मंत्रियों का समूह गठित करने का कोई औचित्य जरूर है, क्योंकि उस पर अध्ययन करके पूरी रिपोर्ट तैयार करना आवश्यक है।

डा. राम मनोहर लोहिया जी ने कहा था कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान एक होने चाहिए और एक महासंघ बनना चाहिए। इस तरह की उन्होंने तब कल्पना की थी। उन्होंने तो यहां तक कहा था कि इंटरनेशनल लेवल पर कोई पासपोर्ट नहीं होना चाहिए। हम जब छोटे थे, तो किताबों में उनका यह कथन पढ़ते थे, जिसमें उन्होंने एक विश्व पंचायत की कल्पना की थी और उसमें किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होने की बात कही थी। यहां पर डा. राम मनोहर लोहिया जी के साथ काम करने वाले कई नेता बैठे हैं। उनके सामने बात करना तो सूरज को दीपक दिखाना है, क्योंकि उन्हें लोहिया जी के बारे में हमसे ज्यादा जानकारी है। यह उनका कंसेप्ट था, दर्शन था और एक विचारधारा थी। इसलिए उसी विचारधारा पर हम चाहते थे कि जार्ज साहब कुछ बोलते, तो ज्यादा अच्छा होता।

भारत की नीति रही है कि पूरे विश्व के मानव एक है और जिन लोगों पर अत्याचार होगा और अगर वे शरणार्थी होकर भारत में आयेंगे, तो हम उन्हें प्रश्रय देंगे। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर सही है और मैं इस कार्यस्थगन प्रस्ताव को खारिज करते हुए इसका विरोध करता हूं।

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): मैं नेता विरोधी दल माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के मोशन का विरोध करने और नेता सदन माननीय प्रणव मुखर्जी जी ने जो बातें रखी हैं उनका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। ऐसा इसलिए नहीं कि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूं और मेरी पार्टी सरकार का समर्थन कर रही है, बल्कि इसलिए कि अगर हम इस मुल्क को एक मजबूत मुल्क, हिन्दू और मुसलमान की परिधि से ऊपर उठाकर बनाना चाहते हैं, यहां के हिन्दुस्तानियों को एक करना चाहते हैं तो माननीय प्रणब मुखर्जी साहब की बातों को हमें समर्थन करना चाहिए।

माननीय आडवाणी जी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आज गीता और कुरान की आयतों का दर्जा दे दिया है। ये वही लोग हैं जो कहते रहे हैं कि हम जुडिशियरी को नहीं मानते। हालांकि मैंने कभी नहीं कहा कि हाई-कोर्ट या सुप्रीम-कोर्ट का जज दूध का धुला हुआ होता है और उसका हर वाक्य गीता या कुरान की आयात की तरह होता है। वे लोग भी इंसान होते हैं और इंसानों में जो भावनाएं होती हैं उनसे वे ऊपर नहीं होते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और माननीय आडवाणी जी की सारी बहस जनरल सिन्हा (रिटायर्ड) जो आसाम के गवर्नर थे, जिनको इन्होंने ही बनाया था और आज वे कश्मीर के गवर्नर हैं, की सोच पर आधारित है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला और आडवाणी जी की सोच उनके दिमागी सोच पर आधारित है। मैं जाती तौर पर जनरल सिन्हा को जानता हूं। जनरल सिन्हा को दिमागी गिज़ा उसी नागपुर से मिली है जिस नागपुर से दिमागी गिज़ा आडवाणी जी को मिली है और आज वही नागपुर माननीय आडवाणी जी के खून का प्यासा हो रहा है। उसी नागपुर को संतुष्ट करने के लिए आज आडवाणी जी ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे कि नागपुर मान जाए। जनरल सिन्हा भी उसी स्कूल ऑफ थॉट के आदमी हैं। यह अलग बात है कि वे आरएसएस की शाखाओं में नहीं गये क्योंकि उस समय वे फौज में थे। मुझे अफसोस है कि जब यूपीए की सरकार आई और आरएसएस से संबंधित सभी गवर्नर्स को हटाया गया तो जनरल सिन्हा के ऊपर उनकी नजर इसलिए नहीं गयी क्योंकि वह कभी आरएसएस की शाखाओं में नहीं गये होंगे।

माननीय आडवाणी जी ने आतंकवाद और नक्सलाइट्स दो अलग-अलग इसतलाहें इस्तेमाल की हैं। अगर उल्फा का जिक्र होता तो ये उनको भी आतंकवादी नहीं कहते। उनकी नजर में हिन्दू आतंकवादी नहीं कहा जा सकता, मुसलमान ही आतंकवादी कहा जा सकता है। आतंकवादी और नक्सलाइट ये दो अलग-अलग चीजें नहीं हैं लेकिन उन्होंने नक्सलाइट्स को आतंकवादी न कहकर आतंकवादी और नक्सलाइट्स दो अलग-अलग इसतलाहें इस्तेमाल की हैं। शायद ऐसा नागपुर को खुश करने के लिए किया गया था। मैं खास तौर पर पूरे सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो 11वीं और 14वीं लोक सभा में भी थे। उनमें एक मैं भी हूं। मुझे अच्छी तरह से याद है कि मैं उनके करीब बैठा था, जब स्वर्गीय इंद्रजीत गुप्त जी से पूछा गया कि बंगलादेशी घुसपैठियों की कितनी तादाद है? भाजपा के एक मैम्बर ने यहां तक कह दिया था कि पूरा ओखला इनसे भरा है और वहां सारी बिल्डिंगें बंगलादेशियों की हैं। मैंने उनको चैलेंज किया था कि चाहे हाउस एक कमेटी बना दें और उसमें मुझे और गोयल साहब को भी रखे, क्योंकि गोयल साहब दिल्ली के हैं, अगर एक मकान मालिक बंगलादेशी मिल जाए तो मैं सदन की सदस्याता से त्यागपत्र देने के लिए तैयार हूं। हो सकता है कि कुछ रिक्शा चलाने वाले हों। उस पर वह और उनके लोग खामोश हो गए थे। बहरहाल गुप्त जी ने यह कहा था और मुझे अच्छी तरह से याद है, मुझे वह बहस अच्छी तरह से याद है, अगर कहें तो मैं बता दूं कि किस-किस ने उस बहस में हिस्सा लिया था। गुप्त जी ने कहा था मैं क्या बता सकता हूं क्योंकि अलग-अलग एजेंसियों की अलग-अलग रिपोर्टें हैं और वे दो लाख से लेकर एक करोड़ तक हैं, मैं क्या बताऊं कि कितने बंगलादेशी यहां हैं। आडवाणी जी

जैसे सीनियर लीडर ने वह पूरी बात काट दी। उन्हें सिर्फ एक करोड़ शब्द याद रहा ताकि लोग भयभीत हो जाएं कि यहां ऐसे एक करोड़ लोग हैं। बंगलादेशियों के नाम पर बंगाली बोलने वाले मुसलमानों को पूरे मुल्क में सताया, धमकाया और प्रताड़ित किया गया।

मैं कुछ समय पूर्व मुम्बई गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा। उनका सिर्फ एक जुर्म था कि वे बंगाली जुबान बोलते थे। जैसा आचार्य जी ने कहा कि उन्होंने बसीरहाट को बंगला देश में मान लिया था। मैं यह नहीं कहता कि कोई बंगलादेशी घुसपैठिया यहां नहीं है। यह इंसानी फितरत है कि जमाने कदीम से जब कुछ आर्यों ने, चारागाहों की तलाश में ईरान और ईराक, जहां चरागाहें नहीं थीं, हमारे देश में आना शुरु किया, हूण कुषाण से लेकर मुगलों तक आने वालों का सिलसिला जारी रहा। बेहतर जिन्दगी की तलाश में, हो सकता है कि वे आए हों क्योंकि बंगलादेश हमारे मुल्क से ज्यादा गरीब है, हो सकता है अपना पेट पालने के लिए कुछ इक्का-दुक्का लोग यहां आते हों, वे कहीं रिक्शा चलाते हों, कहीं मजदूरी करते हों, कहीं नौकरी करते हों, मैं इससे इंकार नहीं करता लेकिन मैं यह नहीं मानता कि जो लोग बरसों से पूरी फैमिली के साथ, अपने बाल-बच्चों के साथ यहां रहते हों, वे बंगलादेशी हैं। कोई भी आदमी बॉडर्सर पर अपने बीबी-बच्चों के साथ कोई तकलीफ बर्दाश्त करना नहीं चाहेगा। जो बॉर्डर से छुप कर यहां आते हैं, वे अपने बीबी-बच्चों को नहीं लाते हैं।

जहां तक असम की बात है, 1971 को अगर आधार वर्ष माना गया है तो देखा जा सकता है, 1971 में जनगणना हुई थी कि असम में 1971 में मुसलमानों की आबादी का अनुपात क्या था? गिनती सब की बढ़ रही है लेकिन उनका 1971 में परसैंटेज क्या था तथा 1981, 1991, 2001 की जनगणना में क्या था। अगर भारत सरकार अपने जवाब में उसे पेश कर दें तो लोगों को पता लग जाएगा कि पूरे मूल्क में मुसलमानों के खिलाफ हिन्दू भाइयों में शक और नफरत की भावना पैदा करने के लिए बंगलादेशियों का उठाया जाता है। मैं कतई इसकी हिमायत नहीं करता कि नाजायज तरीके से बंगलादेशी इस देश में आ गए हों तो उन्हें संरक्षण दिया जाए और उनके नाम पर पुलिस को खुदाई अख्तियार नहीं देने चाहिए। आप इसके लिए कानून बनाएं लेकिन मैं ऐसे कानून को कानून नहीं मानता, शैतानी हरकत मानता हूं। मुलजिम को पकड़ कर पुलिस ले जाए और मुलजिम से कहें कि तुम साबित करो कि तुम बंगलादेशी नहीं हो-यह शैतान का कानून है, यह इंसान का कानून नहीं हो सकता। बारे सबूत इंसाफ का पहला बुनियादी तकाजा यह होता है कि बारे सबूत इस्तगासा के सिर पर होता है। मुल्जिम के सर पर नहीं होता। आज भी चोर, उच्चके, डाकू, कातिल, बड़े-बड़े क्रिमिनल्स हैं, जो पकड़े जाते हैं और पुलिस साबित करती है कि उन्होंने यह क्राइम किया है, तब उन्हें सजा मिलती है। बड़े आतंकवादियों से यह नहीं कहा जा सकता कि तुम यह साबित करो कि तुम बेगुनाह हो। उसी तरह से आप जो आगे के लिए कानून बनाएं उसमें खुद के लिए यह मत रखिएगा कि जो पकड़े जाएं, वे साबित करें कि वे बंग्लादेशी नहीं हैं बल्कि जो पकड़ कर लाए वह साबित करे कि यह बंग्लादेशी है। आप ऐसे कानून जरूर बनाइए कि एक भी बंग्लादेशी या किसी भी मुल्क का गैर-मुल्की नाजायज तरीके से नागरिकता हासिल करे, उसे यहां मत रहने दीजिए, मैं इसका समर्थन करूंगा।

सभापति महोदया, मैं एक मिनट और लूंगा। मेरे क्षेत्र में भी एक बंग्ला कॉलोनी है। वर्ष 1971 में जब बंग्लादेशियों का सैलाब आया था तो वहां श्रीमती इंदिरा जी ने पांच-पांच एकड़ सरकारी जमीन देकर जंगल के पास वह कॉलोनी बसा दी थी। आज उनकी आबादी 3000 है और बहुत आराम से वे लोग रह रहे हैं। उस इलाके के लोगों ने उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं उनकी हिमायत इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि वे मुझे वोट देते हैं। मुझे कभी दो बूथों पर ...*(व्यवधान)* मैं सही बोल रहा हूं, पिछले चुनाव में भी मैं 50,000 वोटों से जीता हूं लेकिन मुझे उन दो बूथों पर कुल 23 वोट मिले थे। उनको मुसीबत में देखते हुए, मैंने सबसे पहले प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत छः किलोमीटर सड़क स्वीकृत कराई क्योंकि वे नोआखाली से आकर यहां बस गए हैं। इंसान होने के नाते उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। सड़क तो योजना के मुताबिक बनती ही लेकिन मैंने प्राथमिकता के आधार पर पहले बनवाने का काम किया। मैं कहता हूं कि सरकार बताए कि वर्ष 1971 में मुसलमानों की आबादी का परसेंटेज कितना था, वर्ष 1981 में कितना था, वर्ष 1991 में कितना था और वर्ष 2001 में कितना था? अगर इजाफा हुआ है, अगर किसी भी जगह बढ़ोत्तरी हुई है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: यह सेंसस की रिपोर्ट है। ...*(व्यवधान)*

श्री इलियास आजमी: अगर बढ़ोत्तरी हुई है, पूरे देश में मुसलमानों की आबादी में बढ़ोत्तरी हुई है तो इस पर कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर बढ़ोत्तरी गैर-मामूली है, बहुत ज्यादा है तो ट्रिब्यूनल बनाकर जरूर उसकी छानबीन होनी चाहिए। हिन्दू और मुसलमान की बेस पर होने वाली सोच की मैं निंदा करता हूं कि अगर बंग्लादेशी हिन्दू आ जाए तो वह शरणार्थी है और मुसलमान आ जाए तो वह घुसपैठिया है। मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, बार-बार इस सोच की निंदा करता हूं जो हिन्दू और मुसलमान की है। अनुसूचित जातियों के आरक्षण में यह लगा दिया कि सिर्फ हिन्दू होना ही शर्त है। इसके बाद सिख को जोड़ा गया और श्री वी.पी. सिंह जी ने बौद्धिस्ट को जोड़ा। आज भी मुस्लिम धोबी, मुस्लिम बुनकर, मुस्लिम मेहतर और ईसाई धोबी, इन्हें जोड़ने की मांग हो रही है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर वास्तव

[श्री इलियास आजमी]

में देश धर्मनिरपेक्ष है तो देश की राजनीति से इसके छुटकारे के लिए अनुसूचित जाति की सूची में उन मुस्लिमों और ईसाइयों को भी जोड़ा जाए क्योंकि आप बौद्धिस्टों और सिखों को जोड़ चुके हैं। आपके पूर्वजों ने गलती की थी, उन्होंने हिन्दू होने की शर्त लगाई थी। आप दो बार बदल चुके हैं, एक बार और बदलिए, चाहे वह धोबी हिन्दू, सिख या मुस्लिम है, धोबी शैड्यूल कास्ट है, मेहतर शैड्यूल कास्ट है, चाहे वह मुस्लिम, सिख या इसाई हो, सब शैड्यूल कास्ट्स के लिए आप एक दफा फिर बदलिए। ये लोग बार-बार कहते हैं कि धर्म के नाम पर आरक्षण नहीं होना चाहिए, बात बहुत अच्छी लगती है लेकिन जो आरक्षण पचास साल से चल रहा है, उसकी निंदा इन लोगों ने नहीं की। उसे समाप्त करने के लिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं। मैं धर्म के आधार पर आरक्षण का विरोध करता हूं। लेकिन आप धर्म के आधार पर आरक्षण का जिस तरह विरोध करते हैं, आप पहले धर्म को समाप्त कीजिये तो मैं आपका साथ दूंगा। धर्म के नाम पर कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। जब तक धर्म के नाम पर आप आरक्षण करते रहेंगे, मैं आपका साथ नहीं देना वाला हूं। इसलिये राजनीति में धर्म नहीं होना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरी): सभापति महोदया, बंगलादेशी घुसपैठियों की समस्या केवल असम या बंगाल के लिये नहीं है या केवल पूर्वोत्तर राज्यों के लिये नहीं है, बल्कि यह सारे राष्ट्र की समस्या है। जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला गया, मुझे लगता है कि राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा और पूरे देश की कानून-व्यवस्था को लेकर जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उस फैसले का हम सब को स्वागत करना चाहिए।

सभापति महोदया, विपक्ष के नेता सदन में जो स्थगन प्रस्ताव लाये हैं, मैं उस स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में विपक्ष के नेता और सदन के नेता ने अपनी बात सदन में रखी है। मैंने इन दोनों नेताओं की बात सुनकर महसूस किया है कि चर्चा की शुरुआत हुई, तो न केवल विपक्ष के नेता ने अपने भाषण में बंगलादेशी घुसपैठियों का जो संकट देश पर आया है, उस पर उन्होंने चिंता प्रकट की बल्कि सदन के नेता ने कहा कि वे भी इस चिन्ता पर गंभीर हैं। लेकिन उसके बाद जितने माननीय सदस्यों ने अपने भाषण दिये हैं, उन में श्री मोहन सिंह जी को छोड़कर किसी ने भी बंगलादेशी घुसपैठियों द्वारा राष्ट्र के सामने जो संकट उत्पन्न किया गया है, साफ तौर पर नहीं कहा और न उन्होंने इस बात को कबूल किया कि बंगलादेशी घुसपैठिये देश के लिये समस्या हैं। यह राष्ट्र के लिये सब से ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। दुर्भाग्यपूर्ण बात इसलिये भी है कि आंकड़े तो सदन में आते हैं लेकिन जब इल्लीगल माइग्रेशन के बारे में प्रश्न पूछे जायेंगे तो वही जवाब आयेगा। मुझे याद है कि जब स्व. इन्द्रजीत गुप्त गृह मंत्री थे, उस समय सदन में जो आंकड़े पेश किये गये थे, उनके अनुसार बंगलादेशी घुसपैठियों की संख्या एक करोड़ से ज्यादा थी और शायद आज दो करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। वास्तविकता तो यह है कि हमें उन आंकड़ों की खबर तक नहीं है कि कितने बंगलादेशी घुसपैठिये इस देश में आये हुए हैं। उन घुसपैठियों की वजह से, उसका असर हमारी कानून-व्यवस्था पर हुआ है, हमारी वित्तीय व्यवस्था पर हुआ है। आज हर राज्य में यह समस्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। सभापति महोदया, मैं इस बात का इसलिये जिक्र कर रहा हूं क्योंकि सदन में इस विषय पर चर्चा करने वाले हम सब अलग-अलग राजनैतिक दलों से संबंधित हैं। राजनीति करते हुए ही, हम सब लोग इस सदन में आये हैं। राजनीति से कोई अछूता नहीं है, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन राजनीति करते हुए इस बात का ख्याल रखना आवश्यक है कि जिस राजनीति को हम राजनीति कहते हैं, चाहे वह राजनीति है, वोट की नीति है या सत्ता की नीति है, मुझे पता नहीं है, लेकिन हमें इस बात पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है कि हम इस प्रकार कि किसी गलत नीति को न अपनाएं, जिससे हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में पड़े। इसीलिए जब बंगलादेशी घुसपैठियों की बात आई तो यहां बार-बार कई माननीय सदस्यों ने मुम्बई और महाराष्ट्र का जिक्र किया। हमने उन्हें नहीं टोका, हम चुपचाप सुन रहे थे, लेकिन आज सचमुच में मुम्बई में यह समस्या है। जब हमारी सरकार थी, उस सरकार के समय में हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि वहां से बंगलादेशी घुसपैठियों को निकालने का प्रयास किया गया। आज यहां जो सदन के नेता है, आज केन्द्र में कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार है, महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार है, श्री विलासराव देशमुख महाराष्ट्र के मुख्य मंत्री हैं, आप उनसे जानकारी ले लीजिए। आप महाराष्ट्र के वर्तमान मुख्य मंत्री से जानकारी ले लीजिए कि मुम्बई में कितने बंगलादेशी घुसपैठिये हैं। वहां जो बंगलादेशी घुसपैठिये हैं, उनका मुम्बई में क्या व्यवहार है। मुम्बई में आज जो कानून व्यवस्था खत्म होती जा रही है और वहां आपराधिक तत्व बढ़ते चले जा रहे हैं, इन आपराधिक तत्वों में इनका कितना हिस्सा है। मेरी सदन के नेता से प्रार्थना है कि आप यह जानकारी अपने मुख्य मंत्री से मंगवाइये। आप भूल जाइये कि विपक्ष के नेता ने क्या कहा है। *...(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: नारायण राणे का मंच किसने जलाया था। *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते: यादव जी, आप तो सब्जैक्ट भी भूल गये। आपने यहां क्या भाषण दिया, आप वर्बेटिम पढ़ लीजिए कि आपने क्या कहा। लालू जी भी हंस रहे हैं, आपके नेता भी हंस रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं सदन के नेता से प्रार्थना करूंगा, मैं प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि आप बार-बार मुम्बई का जिक्र करते हैं, आज वहां आपके मुख्य मंत्री हैं, आप उनसे जानकारी मंगा लीजिए, उनसे आंकड़े मंगवा लीजिए। आज वहां जो गैंगस्टर्स बढ़े हैं, जो आपराधिक तत्व बढ़े हैं, उनमें कौन लोग शामिल हैं। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि जितने भी बंगलादेशी घुसपैठिये इस देश में आये हैं, न तो उन्हें हमारे देश की सभ्यता से कोई लगाव है, न उन्हें हमारे देश की धरती से कोई लगाव है और न उन्हें हमारे देश की संस्कृति से कोई लगाव है। इसलिए उन्हें आपराधिक तत्वों से हाथ मिलाने में कोई भय नहीं लगता है। आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि पांच हजार रुपये के लिए आदमी की हत्या कर दी जाती है। दो-दो, पांच-पांच हजार रुपये के लिए इंसान पर गोलियां चलाई जाती हैं। इस संदर्भ में जब वास्तविकता सामने आती है तो उसमें ऐसा प्रमाण मिलता है कि बंगलादेशी घुसपैठियों के कारण आज कानून व्यवस्था खत्म हो रही है। यदि इस कानून और व्यवस्था को बनाये रखना है तो चाहे किसी भी दल की सरकार हो, उस सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है कि कानून और व्यवस्था को बिगाड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब बंगलादेशी घुसपैठियों के खिलाफ यह कार्रवाई की गई, उन घुसपैठियों को डिटैक्ट किया गया, पुलिस ने कानून का पालन करते हुए बंगलादेशी घुसपैठियों को चुना और उन्हें डिपार्ट करने के लिए ट्रेन से बंगलादेश भेजा गया, मुझे यह कहते हुए दुख और आश्चर्य होता है कि जब इन बंगलादेशी घुसपैठियों को सीमा के बाहर छोड़ने के लिए ट्रेन जा रही थी तो पश्चिम बंगाल में उस ट्रेन के ऊपर हमला किया गया। जो पुलिसकर्मी उन्हें देश से बाहर छोड़ने के लिए साथ में गये थे, उन्हें मारा-पीटा गया और वहां से भगा दिया गया ...*(व्यवधान)* यह सवाल केवल पश्चिम बंगाल का नहीं है, यह सवाल बंगला भाषियों का भी नहीं हैं बल्कि यह सवाल हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा का है, यह सवाल हमारी वित्तीय व्यवस्था का है। आज हमारे देश की आबादी दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है।

हर बार हम देश की बढ़ती हुई आबादी पर चिंता व्यक्त करते हैं। हम अपने ही लोगों को कहते हैं कि "बच्चें एक या दो बस," और कहते हैं कि देश की आबादी और मत बढ़ाओं। हम परिवार नियोजन के कार्यक्रम चलाते हैं। इस देश में रहने वाले अपने ही लोगों के लिए हम परिवार नियोजन चलाते हैं, एक या दो बस का नारा देते हैं और दो करोड़ बंग्लादेशी जब इस देश में घुसते हैं तो हम उस बारे में कोई चर्चा नहीं करते और कम्यूनल माइनॉरिटी की बात करते हैं, उसे माइनॉरिटी से जोड़ा जाता है, उसे मुसलमानों के साथ जोड़ा जाता है। क्या यह किसी सरकार की नीति हो सकती है, क्या यह किसी देश को चलाने का तरीका हो सकता है? सरकार चाहे किसी भी दल की हो, सरकार की यह जिम्मेदारी बनती है, सरकार का यह फर्ज बनता है कि देश में रहने वाला हर नागरिक, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का हो, चाहे वह किसी प्रांत या भाषा का हो, उसके हितों की रक्षा की जाए। उसके हितों के खिलाफ यदि कोई घुसपैठ करता है या उसके हितों को बाधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह बात उचित समझी होगी। इसलिए उन्हें लगा कि आईएमडीटी एक्ट आज इतना सक्षम नहीं है कि उन घुसपैठियों को रोक सके। सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि शायद फॉरनर्स एक्ट के तहत हम इसे रोक पाएंगे। यहां सदन के नेता ने जो तुलना की, मैं उनकी बात से सहमत हूं कि शायद आईएमडीटी एक्ट में हम सक्षम काम नहीं कर पाए और फॉरनर्स एक्ट भी उतना सक्षम नहीं हो पाया। हमें उम्मीद है, बल्कि हम सोचते थे और समझते थे कि जिस प्रकार इससे देश में समस्या बढ़ रही है, सदन के नेता से हमारी अपेक्षा है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है तो हम यह कोशिश करें कि हमारा फॉरनर्स एक्ट यदि सक्षम न हो तो और सक्षम उसे किस प्रकार से बनाया जाए, इन घुसपैठियों को किस प्रकार से रोका जाए, इस तरह का विचार, इस तरह की सोच की आवश्यकता है।

आज सदन में यह मामला स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से इसलिए उठाया गया कि जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने इसे नल एंड वॉइड किया है, कहीं ऐसा न हो कि ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को इसे दे दिया जाए और फिर वही प्रोविजन वापस फॉरनर्स एक्ट में आए और फिर वही हो जो आज असम की स्थिति है। आज पश्चिम बंगाल की भी वही स्थिति है। कल तक पश्चिम बंगाल में कोई बोल नहीं रहा था, लेकिन आज पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री स्वयं बोल रहे हैं। यह जो स्थिति है, यह समस्या किसी माइनॉरिटी, जाति या धर्म की नहीं है। इसे मुसलमानों से और माइनॉरिटी से न जोड़ा जाए और राष्ट्रीय समस्या समझकर इसका समाधान और निदान करना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): सभापति महोदय, मुझे इस चर्चा में भाग लेते हुए प्रसन्नता हो रही है तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों की ओर से मैं माननीय उच्चतम न्यायालय को सलाम करता हूं जिसने इस सदन तथा राष्ट्र की आंखें खोल दी। मैं आई एम डी टी अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के फैसले से सहमत हूं।

[हिन्दी]

मैं इस सदन में यह दोहराना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में हमने इतिहास से कुछ नहीं सीखा है। मैं कम उम्र का हूं।

[श्री तापिर गाव]

[अनुवाद]

मैं आशा कर रहा था कि इस सदन के सभी 545 सदस्यों का इस मुद्दे पर एक मत होगा। यह इस देश पर शासन करने वाले बाबर तथा अकबर की मंशा थी।

[हिन्दी]

हमारी ऐसी इंटैन्शन होने की वजह से ही ब्रिटिश हुकूमत ने इस देश को बरबाद किया। आईएमडीटी एक्ट केवल अहम की बात नहीं है। यह न किसी जाति की बात है, न किसी धर्म की बात है न किसी लिंग्विस्ट की बात है। यह राष्ट्रीयता की बात है।

[अनुवाद]

हमें विश्व से इतिहास सीखना चाहिए। एक चीनी श्रमिक 10 साल तक अमरीका में रहा। चीन जाने के बाद जब वह अमरीका गया तो उसे लॉस एंजेलिस में पकड़ लिया गया था।

[हिन्दी]

अमरीका में भी चाइनीज लेबरर्स के इन्फिल्ट्रेशन की स्थिति आई थी। दस साल रहने के बावजूद।

[अनुवाद]

चीनी नागरिकों को आने से मना कर दिया गया तथा अमरीका में ऐसा कानून बनाया गया जो लागू रहा तथा जिसने आज अमरीका को बचाया।

[हिन्दी]

यहां मैं अपने अल्पसंख्यक साथियों और देशवासियों से भी कहना चाहूंगा कि यह भाषाई अल्पसंख्यक कोमननैस की बात नहीं है। यह राष्ट्रीयता की बात है। आज जो असम और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में उपद्रव की स्थिति है।

[अनुवाद]

यही पूर्वोत्तर क्षेत्रों में असुरक्षा का मुख्य कारण है। असम से कई प्रतिनिधि मौजूद हैं।

[हिन्दी]

आपके कांग्रेस के पूर्व नेता श्री गोपीनाथ बारदोलई की आत्मा को इस भाषण को सुन कर शांति नहीं मिल रही होगी।

[अनुवाद]

महात्मा गांधी के सहयोग से केवल लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलई के कारण ही सभी पूर्वोत्तर क्षेत्रों सहित असम को पूर्व पाकिस्तान में शामिल नहीं किया गया। इस चीज को मैं दोहराना चाहता हूं कि आज सिर्फ बंगाली अल्पसंख्यकों की बात नहीं है। आज अरुणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मेघालय, सिक्किम, मणिपुर में जितने बंगलादेशी हैं। वह असम का दमन कर रहे हैं तथा आईएमडीटी अधिनियम के कारण किसी को भी बाहर नहीं निकाला जा सकता। हमने पक्षियों के उड़ने की बात सुनी है हमने पक्षी जातियों के उड़ने के बारे में सुना है परन्तु हमने मानव के उड़ने की बात कभी नहीं सुनी। वे उड़ने वाले मानव नहीं हैं।

[हिन्दी]

जो उपद्रव नागालैण्ड में है जो उपद्रव नार्थ-ईस्ट में है।

[अनुवाद]

वह केवल इस अंतर्वाह के कारण है।

[हिन्दी]

अभी श्री आचार्य जी ने बताया कि-

[अनुवाद]

असम में ए जी पी सरकार आई और 10 साल तक शासन किया।

[हिन्दी]

लेकिन बंगलादेशियों को नहीं निकाला गया। इसका क्या कारण है?

[अनुवाद]

हम इस देश की युवा पीढ़ी हैं। मैं कहना चाहूंगा कि किस मंशा से आईएमडीटी एक्ट को सदन में पास किया गया, इसके ऊपर यूपीए सरकार को इंक्वायरी कमेटी बनानी चाहिए। एजीपी सरकार आने की उम्मीद थी, स्टूडेंट मूवमेंट बहुत स्ट्रांग हुआ था। यह देखा गया कि इस आधार पर इन लोगों को तकलीफ होगी। तब यह साजिश रची गई थी कि कांग्रेस सरकार वहां पर नहीं आएगी। रीजनल पार्टी वहां सत्तारूढ़ होगी, वे इन बंगलादेशी लोगों को तकलीफ देंगे।

केवल इसी कारण से इस आई एम डी टी अधिनियम का अधिनियमन अगस्त में इस सभा में किया गया था।

[हिन्दी]

आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि

[अनुवाद]

जिन्ना, जुल्फिकार अली भुट्टो तथा मुजिबूर रहमान के सपने पूर्वोत्तर राज्यों में साकार होने वाले हैं।

[हिन्दी]

आप लोगों को हमसे बहुत ज्यादा जानकारी है। आप इतिहास को हमसे ज्यादा जानते हैं।

[अनुवाद]

जिन्ना, भुट्टो तथा मुजिबूर रहमान के सपने पूरे हो जाएंगे यदि हम इस मुद्दे पर राजनीति न करके इसी समय इसका हल नहीं करेंगे।

[हिन्दी]

हमारे देश में फिर से दोहरी राजनीति हो रही है, उसी के बारे में मैं बोलना चाहता हूं।

[अनुवाद]

पश्चिम में हम आईएमडीटी से लड़ रहे हैं।

अपराह्न 5.00 बजे

देश के पूर्वी भाग में हम आई एस आई एजेन्टों की नीतियों स्वीकार कर रहे- हैं जो भारत विरोधी हैं।

[हिन्दी]

बंगलादेश में आई एस आई एजेंट्स की पॉलिसी दोहराई जा रही है।

[अनुवाद]

भारत एक परमाणु शक्ति है। हमें इस पर गर्व है। परन्तु हमें बंगलादेश की परमाणु जनसंख्या से नहीं डरते।

[हिन्दी]

देश को दुर्बल करने का यह एक तरीका है। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को बंगलादेश में शामिल करने की यह एक साजिश है।

[अनुवाद]

यह अक्सर समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं में देखा जाता है।

[हिन्दी]

हमारे देश के नेता इस चीज को दिमाग में क्यों नहीं रख रहे हैं?

[अनुवाद]

अत: मैं सरकार को यह बताना चाहूंगा कि देश के पश्चिमी भाग में हम आई एस आई नीतियों के विरुद्ध लड़ रहे हैं परन्तु देश के पूर्वी भाग में हम आई एस आई की आंतरिक नीतियों को सलाम कर रहे हैं।

[हिन्दी]

यह हमारे देश की दुर्बलता है।

[अनुवाद]

अत: मैं सरकार को यह बताना चाहूंगा कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कांग्रेस में सही लोग मौजूद हैं। माननीय गृह राज्य मंत्री ने राज्य सभा में कहा है कि पश्चिम बंगाल में 70 लाख तथा असम में 50 लाख बंगलादेशी लोग रहते हैं।

[हिन्दी]

इस चीज में सही बोलने वालों की जगह नहीं है। इसलिए श्री गोपीनाथ बारदोलई जैसे नेता हमारे देश को चाहिए, ऑनरेबल स्टेट होम मिनिस्टर जैसे लोग चाहिए जो सच्ची बात कह सकें और ऑनरेबल वैस्ट बंगाल के गवर्नर जैसे लोग चाहिए। इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि हमें देश की सुरक्षा के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के बारे में एक पालिसी सैट-अप करनी होगी।

[अनुवाद]

अत: मैं यह कहना चाहूंगा और सरकार से यह मांग करना चाहूंगा कि पूर्वोत्तर के लोगों की यह काल्पनिक धारणा है कि इस अधिनियम को निरस्त कर दिया गया है।

[श्री तापिर गाव]

[हिन्दी]

सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन सिटीजन एक्ट के आधार पर

[अनुवाद]

आई एम डी टी अधिनियम का जी ओ एम द्वारा पुनः संशोधन नहीं किया जाना चाहिए ताकि इस देश तथा पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोग सुरक्षित महसूस कर सकें।

[हिन्दी]

मेरा सुझाव है कि मल्टी पर्पज फोटो आइडेंटिटी कार्ड एग्जाम्पल के तौर पर देने और पूर्वोत्तर राज्यों में यदि इस योजना को इम्पलीमेंट करने हेतु ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स कोई डिसीजन लेते हैं, तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद असम-एकॉर्ड को लागू करने का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोला है।

[अनुवाद]

असम तथा पूर्वोत्तर के लोग तभी खुश तथा सुरक्षित होंगे जब असम समझौता संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार द्वारा वास्तव में कार्यान्वित किया जाएगा। असम के साथ भी समस्याएं हैं।

[हिन्दी]

इसलिए मैं, सदन से असम के अपने साथियों और लोगों से यह कहना चाहता हूं कि विद-इन असम की ये गलतियां हैं-

[अनुवाद]

जान बूझकर यह सिद्ध कर दिया गया है कि असम के मेरे कुछ मित्रों द्वारा असम में रह रहे बांग्लादेशियों को पहचान पत्र तथा नागरिकता दी गई है। अतः इस विदेशियों से संबंधित अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए त्रिपुरा तथा पश्चिम बंगाल सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में तथा अन्य राज्यों में इस विदेशियों से संबंधित अधिनियम से निपटने के लिए अधिकारियों को नियुक्त करना होगा ताकि हम बांग्लादेशी नागरिकों का पता लगा सकें।

सभापति महोदय सीमा पर युद्ध स्तर पर फेंसिंग की जानी चाहिए। जब तक सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य पूरा नहीं होगा, और अन्तर्वाह होता रहेगा तथा देश और विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में अधिक परेशानी उत्पन्न होती रहेगी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अशांति बनी रहेगी।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा महासागर विकास विभाग के राज्य मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): सभापति महोदया, मैं प्रतिपक्ष के माननीय नेता द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

सभापति महोदय, मेरा विश्वास है कि प्रतिपक्ष के माननीय नेता द्वारा प्रस्तुत विशेष प्रस्ताव अविवेचित है, गलत समय पर प्रस्तुत किया गया है और इस प्रस्ताव में सूझबूझ और बुद्धि का अभाव है और इसका श्रेय प्रतिपक्ष के नेता का जाता है।

सभापति महोदया, मेरा विश्वास है कि सभी कानूनी विवाद चाहे वे किसी भी प्रकार के हों, न्यायालय में हल नहीं किए जा सकते। दो पक्षों के बीच व्यक्तिगत विवाद, वर्ग विवाद जैसे मुद्दे, दलितों के अधिकारों की रक्षा और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे निश्चित रूप से ऐसे मुद्दे हैं जो न्यायालय में जा सकते हैं। परन्तु जब आप सैंकड़ों वर्षों के इतिहास और देश के एक विशेष भाग के सामने आने वाली समस्याओं पर विचार कर रहे हैं तो यह किसी विशेष अधिनियम का परिणाम नहीं है बल्कि उस परिवर्तन की प्रक्रिया का परिणाम है जो पिछले सैंकड़ों वर्षों से चल रही है। मेरा सत्यनिष्ठापूर्वक विश्वास है कि ऐसे विवादों को न्यायालय में हल नहीं किया जा सकता।

पूर्वोत्तर में आप्रवास वर्ष 1947 में आरंभ नहीं हुआ था। मुझे आश्चर्य है कि श्री आडवाणी को इतिहास की समझ क्यों नहीं है। उन्हें यह पता होना चाहिए कि असम में आप्रवास 19वीं सदी के अंत से पहले आरंभ हुआ था। यह एक ऐसा मुद्दा था जो 20वीं सदी के आरंभ में सार्वजनिक बहस का मामला था जिस समय मुस्लिम लीग का गठन हुआ था उस समय यह एक ऐसा मुद्दा था जिसका कि मुस्लिम लीग ने फायदा उठाने का प्रयास किया था। बहुत सारे बिहारी मुसलमान, बिहार के मुसलमान असम राज्य के निचले हिस्से में बस गए क्योंकि असमी ऊपरी हिस्सों में बसे हुए थे। उनकी थोड़े से पैसे के लिए काम करने की इच्छा थी। तब भी 20वीं सदी के आरंभ में, इसी प्रकार के भावात्मक भाषण दिए जाते थे; असम में जनसांख्यकीय परिवर्तन होने जा रहा था। वही वाद-विवाद वही भावनाएं अभिव्यक्त की गई थीं।

सायं 5.08 बजे

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मुझे खेद है कि वाद-विवाद आरंभ करने वाले प्रतिपक्ष के नेता पिछले कई घंटों से सभा में उपस्थित नहीं हैं। काश वह यहां उपस्थित होते। परन्तु मैं उन्हें यह याद दिलाना चाहूंगा कि यदि उन्हें यह पता होता कि देश के बंटवारे से ठीक पहले श्री जिन्ना के निजी सचिव श्री मोईनुल हक चौधरी, ने उन्हें बताया कि

''महोदय, मैं आपको बंगाल और असम चांदी की तश्तरी पर रखकर दूंगा,'' और जिन्ना ने गुवाहाटी में यह कहते हुए भाषण दिया था ''असम मेरी जेब में है तो वह जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष घोषित करने के लिए पाकिस्तान न गए होते। यदि प्रतिपक्ष के नेता को इतिहास की समझ होती तो वह लाहौर ने गए होते और जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष भोषित न करते।

अब मैं एक संकीर्ण मुद्दे पर आता हूं कि उच्चतम न्यायालय ने क्या किया है। उच्चतम न्यायालय ने आई एम डी टी एक्ट को रद्द कर दिया है। मेरा विचार है कि उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों की परिधि के भीतर विधान के किसी छोटे भाग, को इसके किसी पूरे भाग को या पूरे विधान को रद्द करे तो सही है? यह न्यायालय का परमधिकार है। परंतु विधान के उस भाग को रद्द करके उच्चतम न्यायालय ने उस कानून की घोषणा के परिणामी प्रभावों पर विचार नहीं किया है। यदि उन व्यक्तियों के मामले में विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाती है तो क्या होगा जिन्हें अवैध आप्रवासी होने के आधार पर एक या अन्य कारण से निर्वासित नहीं किया गया था।

मैं बड़ी नम्रता से इस सभा के समक्ष यह बताता हूं कि वर्ष 1983 में पारित असम समझौता और आईएमडीटी एक्ट के अनुपालन में इस देश में असम में रहने वाले नागरिकों की तीन श्रेणियां थीं। श्रेणी संख्या एक से वह व्यक्ति थे जो 1 जनवरी 1966 से पहले असम में आए थे। यदि वे इस संबंध में कोई दस्तावेज दिखा पाते तो उन्हें पूर्ण नागरिकता अधिकार दिए। इस श्रेणी के संबंध में कोई समस्या नहीं है।

संख्या दो के व्यक्ति उस श्रेणी के नागरिक हैं जो शायद 1 जनवरी 1966 के बाद बंगलादेश से असम आए या शायद कहीं और से आए और कुछ के नाम मतदाता सूचियों में भी सम्मिलित कर लिए गए थे। असम समझौते के अंतर्गत उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा। उनके नाम मतदाता सूचियों से काट दिए गए थे। यदि वे 10 वर्षों तक असम रहते तो उन्हें पूर्ण नागरिकता अधिकार दिए जाते और उन्हें उसी स्थिति में रख दिया जाता जिस स्थिति में वे थे और उन्हें वोट डालने के अधिकार दिए जाते। उस समय उनके नाम काट दिए गए थे क्योंकि वे 1 जनवरी, 1966 के बाद असम में आए थे। यह दूसरी श्रेणी हैं।

इसके बाद, तीसरी श्रेणी के व्यक्ति वे हैं जो 25 मार्च 1971 के बाद असम आए थे। 25 मार्च, 1971 बहुत महत्वपूर्ण तिथि है। मैं तर्क के लिए मान लूंगा, अध्यक्ष महोदय अवैध आप्रवासी थे या अवैध आप्रवासी हैं जो इस देश में 25 मार्च 1971 के बाद आए थे। मैं यह मान लूंगा मैं मानता हूं कि वे अवैध रूप से यहां वर्ष 1980 में आए थे। अब उन्हें यहां 25 वर्ष हो गए हैं। उनके बच्चें पैदा हो गए होंगे। परिवारों का पालन-पोषण हुआ होगा। संभव है कि कुछ बच्चे 1 जुलाई 1987 के बाद पैदा हुए हों। मैं 1.7.1987 की तारीख का जिक्र क्यों करता हूं? इसका कारण यह कि 1 जुलाई 1987 को नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया रही है। नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया गया था। यह उस मुद्दे पर प्रतिक्रिया है जिसे मैं उठा रहा हूं।

नागरिकता अधिनियम में 1 जुलाई 1987 से एक संशोधन के माध्यम से यह कहा गया है: धारा 3 (1) के अनुसार, ''उपधारा (2) में किए गए उपबंध के सिवाय 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, परन्तु नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 1986 लागू होने से पूर्व भारत में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति जन्म से नागरिक होगा।'' अत: 1 जुलाई 1987 से पूर्व एक अवैध आप्रवासी दंपती से पैदा हुआ बच्चा, इस संशोधन के अंतर्गत भारत का नागरिक है, परंतु उसके माता-पिता अवैध आप्रवासी हैं। हम उनके साथ क्या करेंगे। क्या हम उनके बच्चों को यहां रखकर उनके माता-पिता को बांग्लादेश भेज दें?

यह ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनका राष्ट्र को पक्षपातपूर्वक राजनीतिक वाद-विवादों के द्वारा नहीं बल्कि पक्षपात से ऊपर उठकर इसे ऐसे राष्ट्रीय मुद्दे के रूप में मानकर निपटाना है जिसके लिए हमें अच्छे राष्ट्र के लिए साथ मिलकर निष्कर्ष ढूंढना हैं। यह अपने-अपने अंक पाने का वह मंच नहीं है जहां पर विश्व को यह बताया जाए कि ''मैं हिन्दू समर्थक या मुस्लिम समर्थक हूं। नहीं, मैं भारत-समर्थक हूं। अवैध आप्रवासी चाहे वो हिन्दु हों या मुसलमान हों उनका इससे कोई संबंध नहीं है।

अब, मैं आपको ऐसे दम्पति का उदाहरण देता हूं जो यहां 1987 के बाद अथवा पहले आये और उसके बच्चे 1987 के बाद पैदा हुए। इस संशोधन अधिनियम इस श्रेणी के लोगों को शामिल नहीं किया गया है। एक व्यक्ति भारत में 1987 के बाद पैदा होता है, नागरिकता अधिनियम के अंतर्गत वह नागरिकता का पात्र नहीं है। किन्तु वह पैदा तो यहीं हुआ है। वह बांग्लादेश में तो पैदा नहीं हुआ है। इसलिए, यदि हम उसे बांग्लादेश भेजते हैं तो बांग्लादेश कहेगा, ''आप कौन हो; हम आपको नहीं जानते; आप यहां पैदा नहीं हुए हैं''। क्योंकि वह बांग्लादेश में पैदा नहीं हुआ है और नहीं हम नागरिकता संशोधन अधिनियम के अंतर्गत उसे नागरिकता प्रदान करते हैं। तो वह कहां जायेगा? *...(व्यवधान)*

जी, हां, मैं जानता हूं शिव सेना उसका ध्यान रखेगी और मैं जानता हूं वे उसका कैसे ध्यान रखेंगे। *...(व्यवधान)*

मैं इस माननीय सभा और माननीय सभा के माननीय सदस्यों के समक्ष यह बात कहना चाहता हूं कि ये मुद्दे ऐसे हैं जिन पर

[श्री कपिल सिब्बल]

सत्तासीन सरकार को असम राज्य में की विशेष परिस्थितियों में यह देखना होगा कि तार्किक, उचित और न्यायोचित क्या हैं जिससे कि विचार-विमर्श करके समाधान निकाला जा सके। सरकार को यह करना ही होगा। विपक्ष के नेता के लिए यह कहना, "विदेशियों विषयक अधिनियम को लागू किया जाए" बहुत आसान है। आप विदेशियों विषयक अधिनियम को कैसे लागू कर सकते हैं? विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत विदेशी की परिभाषा यह है कि विदेशी व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है तो वह विदेशी होगा। आप यह कैसे सिद्ध करेंगे कि आप भारत के नागरिक हैं? हमारे यहां बहुत से प्रवासी है जो बिहार से पंजाब जाते हैं। मैं शर्त लगा सकता हूं यदि आप उनसे उनकी पहचान दर्शाने के लिए कहेंगे कि क्या वे भारत के नागरिक हैं तो उनके पास यह सिद्ध करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं होगा। तो क्या उन्हें विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत बांग्लादेश भेज दिया जाना चाहिए? ऐसे ही लोग तमिलनाडु, मुम्बई आदि में भी हैं। आपको ऐसे आम आदमी अथवा आम हिन्दू मिल जायेंगे जिनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत वे यह सिद्ध नहीं कर सकते हैं कि वे भारत के नागरिक हैं, उन्हें वापस भेजना पड़ेगा। क्या श्री आडवाणी हमसे यही चाहते हैं क्या वे इस देश में ऐसी कानूनी व्यवस्था का निर्माण चाहते हैं? इसमें कौन सी वोट बैंक की नीति है? ... *(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाई (बालासोर): श्री सिब्बल क्योंकि आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं इसका उत्तर देता हूं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है। इसे कार्य वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

... *(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यदि वह अभी भी भारतीय है और वह विदेशी नहीं है तो वह बिहार में रह सकता है।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सिब्बल, आप अपनी बात जारी रखें।

... *(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: भारत में कितने लोगों के पास पासपोर्ट हैं? ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सौभाग्यवश यह देश का कानून नहीं है। कोई भी व्यक्ति मुम्बई में विदेशी और बिहार का नागरिक नहीं हो सकता है?

... *(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): अध्यक्ष महोदय, मुझे उत्तर देने दीजिए ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको आज्ञा नहीं दी है।

... *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: वे पूरी सभा को दिग्भ्रमित नहीं कर सकते हैं ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो आपको अवसर दिया जायेगा। यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको अवसर दूंगा।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी, नहीं। श्री कपिल सिब्बल के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

... *(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप इस सभा के सलाहकार नहीं है।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जी, नहीं, मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हमारे पास अन्य वक्ता भी हैं।

... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। अपनी सीट पर बैठ जाए।

... *(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: मैं केवल एक मिनट बोलना चाहता हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट से भी नहीं बोल रहे हैं।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: आपको अनुमति नहीं दी गई है। श्री सिब्बल, आप कृपया अपना भाषण जारी रखें।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। कुछ भी कार्य वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: श्री हरिन बाबू चीन की एक पुरानी कहावत है: ''अंधेरे को कोसने के बजाय मोमबत्ती जलाना बेहतर है।'' इसलिए, आपके लिए बेहतर होगा कि आप रोशनी को देखने के लिए मोमबत्ती जला लें। शायद आपको पता चल जाए कि सच्चाई क्या है।

अध्यक्ष महोदय, मुझे यह आश्चर्य होता है कि उच्चतम न्यायालय ने इनमें से किसी मुद्दे के संबंध में कुछ नहीं कहा है। इसमें से किसी भी मुद्दे को उच्चतम न्यायालय के संज्ञान में नहीं लाया गया। फिर भी हम उच्चतम न्यायालय के निर्णय का अनुपालन करना चाहते हैं। जिसका इस देश की राजनीति और भविष्य पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार का यह संवैधानिक कर्तव्य है कि इस मामले के सभी पक्षों की जांच करें और तब यह निर्णय करें कि क्या यही, तार्किक और न्यायोचित है। अध्यक्ष महोदय, एक अन्य मुद्दा भी हैं जिसे मैं उठाना चाहता हूं। मैं उच्चतम न्यायालय का अत्यधिक सम्मान करता हूं। मैं कानूनी पेशे से संबंध रखता हूं। मैं इसमें भरोसा रखता हूं कि उच्चतम न्यायालय जो भी कहता है वह कानून होता है और उसका अनुपालन किया जाना चाहिए। हम इसका अनुपालन करेंगे।

मैंने पिछले 50 वर्षों में न्यायालय के निर्णय में ऐसा कभी नहीं देखा जिसका इरादा विधान बनाने का है और अध्यक्ष महोदय, मैं आपके लिए उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पैरा 28 को उद्धृत करता हूं, मैं पूरा पैरा नहीं पढूंगा बल्कि केवल प्रासंगिक पंक्तियों को ही उद्धृत करूंगा:

> ''आई. एम. डी. टी. अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के गहन विश्लेषण से यह पता लगेगा कि उन्हें इस तरह से अधिनियमित किया गया या बनाया गया कि उन अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उनको देश से निकालने की बजाय उन्हें शरण या संरक्षण मिल सके जो 25 मार्च, 1971 को या उसके बाद बंगलादेश से असम आए हैं।''

अध्यक्ष महोदय: इसलिए, मैं कहता हूं कि क्या कानून होना चाहिए, इसका निर्णय संसद करे न कि उच्चतम न्यायालय।

श्री कपिल सिब्बल: कम-से-कम यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है कि संविधान द्वारा एक निर्वाचित निकास को महत्ता दी गई है, जिसके पास कानून अधिनियम करने का अंतिम अधिकार है, का इरादा विधान के किसी खास खंड को अधिनियमित करने का है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

इस देश की प्रत्येक संविधान पीठ, जिसमें इस मुद्दे को उठाया गया है ने हमेशा कहा है कि विधानमंडल के कार्यों को सही करने का इरादा ठीक नहीं है। उच्चतम न्यायालय के प्रति अत्यधिक आदर के साथ मुझे यह कहना है कि मैं बहुत खेद के साथ कहता हूं कि विपक्ष के नेता जो पिछले कई वर्षों से इस सभा से जुड़े रहे हैं और जो इस सभा की संस्कृति और परंपरा को जानते और समझते हैं, ने केवल विभाजनकारी राजनीति के कारण ही भारत के उच्चतम न्यायालय की इन टिप्पणियों का समर्थन किया है, सभा की गरिमा को बनाए रखने के लिए नहीं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, एक अन्य मुद्दा यह है जिसे मैं इस सभा की जानकारी में लाना चाहता हूं और इस संदर्भ में मैं निर्णय के पैरा 42 को उद्धृत करना चाहूंगा। ऐसा करने के पूर्व इस संदर्भ में मैं पृष्ठभूमि का उल्लेख करना चाहता हूं जिसमें न्यायालय द्वारा ये टिप्पणियां की गई थीं। उठाया गया मुद्दा यह था कि असम में यह आप्रवासन या अवैध आप्रवासन आक्रमण है या नहीं और माननीय उच्चतम न्यायालय ने डा. नागेन्द्र सिंह की टिप्पणियों पर विश्वास किया है जो 3 नवम्बर, 1971 को की गई थी। यदि आपको याद हो, बंगलादेश दिसम्बर, 1971 में आजाद हुआ था। ये टिप्पणियां आजादी को वैधता प्रदान करने के लिए 3 नवम्बर, 1971 में की गई थीं जिसमें अंततोगत्वा भारत ने भाग लिया था। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1971 से 2005 तक भारत में हुए अवैध आप्रवासन के संदर्भ में भी ''आक्रमण'' शब्द के विस्तार का प्रयोग किया है और कहा है कि अनुच्छेद 355 के संदर्भ में, यह आक्रमण है; और जब यह आक्रमण है, तो भारत सरकार अनुच्छेद 355 के अंतर्गत कार्रवाई करने को बाध्य है। अब मैं उच्चतम न्यायालय की टिप्पणियों को पढ़ता हूं:

> ''उपर्युक्त, चर्चा से यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलता है कि संविधान के अनुच्छेद 355 में निहित संवैधानिक अधिकार जिसमें केन्द्र के ऊपर प्रत्येक राज्य की बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा करने की जिम्मेदारी डाली गई है, को आई.एम.डी.टी. अधिनियम के प्रावधानों और इसके अंतर्गत बने नियम नकार देते हैं। (यह आंतरिक अशांति का मामला नहीं है।) आई.एम.डी.टी. अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 355 का उल्लंघन करता है और इस प्रकार से पूरी तरह असंवैधानिक है तथा इसे अवश्य समाप्त किया जाना चाहिए।''

हम प्रश्न पूछते हैं ''बाह्य आक्रमणकारी कौन है?'' क्या उच्चतम न्यायालय ने नाम लिया है कि बाह्य आक्रमणकारी कौन है? बाह्य आक्रमणकारी कोई देश होना चाहिए और इसका दूरगामी प्रभाव होगा जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को राष्ट्र देख रहा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा; जब तक वे नहीं मानते, मैं उनको अनुमति नहीं दे सकता।

श्री कपिल सिब्बल: दूसरे शब्दों में यह न्यायिक अपरिपक्वता है कि एक देश ने बाह्य आक्रमण किया और ऐसा वर्ष 2005 तक जारी है।

इसका गंभीर परिणाम सामने आए हैं, इसलिए, जहां तक मेरा संबंध है, मैं साहस के साथ कहता हूं कि मैं एक अधिवक्ता के रूप में बोल रहा हूं यह न्यायालय के अधिकार में नहीं है। यह स्पष्ट रूप से राजनीति के अधिकार क्षेत्र में है और केन्द्र तथा कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस प्रकार की टिप्पणी की गई है, जो वस्तुत: एक देश का दूसरे देश के साथ अच्छे संबंधों पर प्रभाव डालेगी।

मैं यह भी कह सकता हूं कि राज्यपाल की रिपोर्ट में जिसे उच्चतम न्यायालय ने उद्धृत किया है, राज्यपाल ने स्वयं कहा है कि इसे प्रदर्शित करने का कोई साक्ष्य नहीं है कि नीति के तहत बांग्लादेश अपने यहां के लोगों को बंगलादेश से बाहर असम में भेजने में लगा हुआ है। ...*(व्यवधान)* राज्यपाल की रिपोर्ट में यह है जिस पर उच्चतम न्यायालय ने भरोसा किया है।

ये दो मामले हैं जिसे मैं अत्यधिक गंभीर चिंता के मामले के रूप में सभा के ध्यान में लाना चाहता हूं और जिसे कार्यपालिका में बैठे हम लोगों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। मैं यह भी उल्लेख कर सकता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। भारत में अवैध आप्रवासी आए हैं। सभा को अब इस बात पर विचार करना है कि वे कौन-से तरीके हैं जिन्हें हमें यह सुनिश्चित करने के लिए अवश्य अपनाना चाहिए कि ऐसी घटनाएं फिर न घटें। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह मंत्री अपने भाषण के दौरान माननीय सभा को बताएंगे कि यह कैसे किया जाएगा। यह मेरे अधिकार में नहीं है और मैं उसका अतिक्रमण नहीं करना चाहता। लेकिन, मैं यह कहूंगा कि हमें एक नीति एक विधान बनाना होगा।

यदि आप विधि आयोग की 175वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर नजर डालें तो आपको पता चलेगा कि विधि आयोग ने स्वयं अपनी 175वीं रिपोर्ट में सुझाया है कि हमें विदेशी विषयक अधिनियम में अवश्य संशोधन करना चाहिए। यदि हम आई.एम.डी.टी. अधिनियम को समाप्त करते हैं तो यह सुनिश्चित करने के लिए विदेशी विषयक अधिनियम में हमें अवश्य संशोधन करना चाहिए कि इस तरह के मुद्दों से निपटने में ऐसी प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए जो स्पष्ट एवं तार्किक हो। ...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त न करें। उस पर ध्यान न दें।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है। मंत्री महोदय, कृपया अपनी बात जारी रखें। आप अध्यक्ष पीठ को संबोधित करें।

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, अगली बात जो मैं उठाना चाहता हूं, वह यह है कि यदि हम इस तरह के कानून बनाने जा रहे हैं तो विदेशी विषयक अधिनियम के अंतर्गत कानून के संशोधन की क्या शर्त होनी चाहिए? मैं उल्लेख करना चाहूंगा कि उच्चतम न्यायालय ने भी वर्ष 1964 के आदेश का उद्धृत किया है, विदेशी विषयक अधिनियम के अंतर्गत जिसमें व्यक्ति को नोटिस जारी किया जाता है जिसके विरुद्ध कार्यवाही की जाती है और ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध नोटिस जारी किया जाता है, वह साक्ष्य प्रदर्शित करने का अधिकारी है कि वह, वस्तुत: अवैध आप्रवासी नहीं है।

यदि यह अधिकार एक पुलिस अधिकारी को दे दिया जाएं, तो आप समझ सकते हैं कि एक संवेदनशील सामुदायिक स्थिति में इस अधिकार का परिणाम क्या होगा। इसीलिए जब प्रणव दा ने हस्तक्षेप किया तो उन्होंने बताया कि 1983 में जब आई एम डी टी अधिनियम पारित किया गया, आपको याद रखना चाहिए कि उस समय तक बंगलादेश आजाद हो चुका था। और 1971 से 1983 तक विदेशियों विषयक अधिनियम मौजूद था। अन्य कोई अधिनियम नहीं बनाया गया था। आई एम डी टी अधिनियम, 1983 में ही आया। विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत लोगों के विरुद्ध कार्यवाही इस प्रकार की गई जिससे यह संदेह होता है कि यह गलत इरादे से की गई थी। लोगों को अनुचित कार्यवाही से बचाने के लिए आई.एम.डी.टी. अधिनियम लाया गया। आई एम डी टी अधिनियम का यही प्रयोजन था।

अब हमें बताया गया है कि आई एम डी टी अधिनियम यह कार्य करने में असफल रहा है आप यह बात जानते हैं कि 1983 में असम से निर्वासन न के बराबर था। वास्तव में जैसा कि प्रणव दा ने बताया कि 1980 के लोक सभा आम चुनावों में केवल दो निर्वाचन क्षेत्रों-करीमगंज तथा सिलचर-में ही चुनाव हुए। किसी भी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव नहीं हो पाया। 1983 में जब विधान सभा चुनाव हुए तब भी केवल छ: निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव हो सके। वास्तव में 1980 से 1984 तक असम से लोक सभा में कोई प्रतिनिधित्व नहीं था।

यह दिलचस्प स्थिति थी और इस संदर्भ में 1983 में आई एम डी टी अधिनियम लाया गया। यदि आप समझौते पर ध्यान दें, तो समझौते के एक अत्यंत महत्वपूर्ण लक्षण के अनुसार सरकार आई एम डी टी अधिनियम के कार्यान्वयन से आई समस्याओं पर विचार करेगी। समझौता इसी प्रकार का है। इस समझौते में अत्यधिक आंदोलन के बावजूद आई एम डी टी अधिनियम को रद्द अथवा समाप्त करने की कोई बात नहीं थी। आडवाणी जी जो आज कह रहे हैं ऐसा अत्यधिक आंदोलन के समय भी कहा नहीं गया था।

अध्यक्ष महोदय मैं जो अंतिम बात कहना चाहता हूं वह यह है: आडवाणी जी और उनकी सरकार 1998 से 2003 तक क्या कर रहे थे?

राज्यपाल की रिपोर्ट केन्द्र सरकार को 8 नवम्बर, 1998 को भेजी गई थी और इस तारीख को नोट किया जाए। विपक्ष के नेता अब कह रहे हैं कि वह शुरु से इसकी मांग कर रहे है। 8 नवम्बर, 1998 को राज्यपाल की रिपोर्ट मिलने के बाद, उन्होंने राज्यपाल की रिपोर्ट पर कार्यवाई करने के लिए क्या कदम उठाया? 1998 गुजरा, 2000 गुजरा और बजट सत्र के अंतिम दिन 9 मई 2003 को इस अधिनियम को निरस्त करने के लिए वह एक विधेयक लाये। विपक्ष के नेता ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि कार्रवाई करने के लिए उनकी सरकार ने 8 नवम्बर, 1998 को रिपोर्ट मिलने के बाद पांच साल तक इंतजार क्यों किया। यह अच्छी तरह जानते हुए कि ऐसा मामला स्थायी समिति को सौंपा जाएगा, वह इसे बजट सत्र के अंतिम दिन को ही क्यों लाये? यह स्थायी समिति को दे दिया गया और स्थायी समिति के अध्यक्ष श्री प्रणव मुखर्जी थे और उन्होंने पहले ही सभा को बता दिया है कि स्थायी समिति की कितनी बैठके हुई। वास्तव में उस समय भाजपा तथा एन डी ए उस मुद्दे पर विचार नहीं करना चाहते थे क्योंकि उनके राजनैतिक अच्छे या बुरे, जो भी हो भविष्य का सवाल था और जब उन्होंने यह महसूस किया कि उनकी शासनावधि समाप्त होने वाली है, उन्होंने 2003 में बजट सत्र के अंतिम दिन इस विधान को लाने का निर्णय लिया ताकि इससे छुटकारा मिल सके। फिर 2004 में संसद भंग कर दी गई और चुनाव हुए।

अत: विपक्ष के नेता को यह बताना चाहिए कि जब नवम्बर 1998 में उन्हें रिपोर्ट मिली, तो उन्होंने क्या किया और क्या उन्होंने पता लगाया कि अवैध रूप से कितने आप्रवासी रह रहे थे? वह यह बात सभा के सामने क्यों नहीं लाए? वह क्या कर रहे थे? वह उस समय कौन सी वोट बैंक नीतियां बना रहे थे? उन्हें इस सब का खुलासा करना चाहिए। वह हम पर वोट बैंक नीतियों का इल्जाम लगाते हैं। स्पष्ट रूप से विपक्ष के नेता असम की जनसंख्या की व्यवस्था से अनभिज्ञ हैं क्योंकि असम में लगभग 26 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र है जहां मुस्लिम लोगों की संख्या अधिक है। सभी जानते हैं कि असम में 126 विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि हर बार हम शासन में आ जाये यदि हम समुदाय के एक वर्ग को खुश कर रहे हों? ऐसा कैसे हो सकता है कि इस चुनाव को छोड़कर हमें उन 26 निर्वाचन क्षेत्रों में बहुमत से अधिक वोट नहीं मिले, यदि हम समुदाय के एक विशिष्ट वर्ग को खुश कर रहे हों? विपक्ष के नेता असम में राजनीति की स्थिति से अवगत नहीं हैं।

मामले की सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी सदा राष्ट्र के हित में रही है। सच बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी देश के हित में निर्णय लेगी चाहे हमें किसी भी चीज का सामना करना पड़े। सच तो यह है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्र हित को बचाने के लिए आज भी अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटती। वर्तमान स्थिति के मद्देनजर भी तथा उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में भी हम वही करेंगे जो सही होगा। हम वोट बैंक नीतियों का प्रयोग नहीं करेंगे। हमने ऐसा कभी नहीं किया। श्री एल.के. आडवाणी जी ने सारी जिन्दगी यही किया है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार इस सब में विश्वास नहीं करती...*(व्यवधान)* बल्कि मुझे हैरानी की बात यह लगती है अध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: विषय से न भटकें।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: महोदय मैं इस मुद्दे से हैरान हूं कि एक राष्ट्र के रूप में हम आगे की ओर एक ऊंची छलांग लगाने के करीब हैं और मुझे याद है कि एन डी ए सरकार के शासन में जब सेंसेक्स 6,000 अंक पर पहुंचा था, तब उनके एक प्रवक्ता ने कहा था कि यह सारी उपलब्धि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की है। आज जब सेंसेक्स 7500 अंक पर है हम ऐसा कोई दावा नहीं करते कि यह किसी एक व्यक्ति की उपलब्धि है। भारत की जनता इस देश को आगे ले जा रही है ...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आप ऐसा दावा नहीं कर सकते क्योंकि वे आपको इसकी अनुमति नहीं देंगे।

अध्यक्ष महोदय: स्वाईं जी कृपया बैठ जाएं। आप एक काफी वरिष्ठ और जिम्मेदार सदस्य हैं। मैं आपको बोलने का मौका दूंगा यदि आप बोलना चाहते हैं और उस समय आप इनकी सभी बातों का जवाब दे सकते हैं।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय मैं जिस किसी देश में जाता हूं सभी भारत की ओर देख रहे हैं। वे भारत में निवेश करना चाहते हैं और वे यहां आना चाहते हैं तथा हमारी खुशहाली में शामिल

[श्री कपिल सिब्बल]

होना चाहते हैं। अब हम इस राष्ट्र में आम आदमी के स्तर को ऊंचा करने का प्रयास कर रहे हैं। भविष्य के लिए यह हमारा संकल्प है और हम ऐसा करेंगे। हम केवल यह चाहते हैं कि आप इसमें भाग लें ...*(व्यवधान)*

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): आजकल, आप इसे अपने कार्यों के साथ गुड़गांव में दर्शा रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: हम चाहते हैं कि आप इसका हिस्सा बनें। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो कुछ वर्ष 2004 में हुआ है आप सभी इससे परिचित हैं। जब आप "भारत उदय" की बात करते हैं तो कृपया आप आम आदमी के चेहरे के संबंध में सोचिये। जब तक उसके चेहरे पर चमक नहीं आयेगी तब तक राजग कहीं का नहीं रहेगा। इसलिए, कृपया इसमें भाग लीजिए। इस प्रकार के प्रस्ताव मत लाइए जिनसे देश विभाजन हो सकता है और राजनीतिक अंक पाने के लिए इस प्रकार के प्रस्ताव मत लाइए। कृपया अपने वाद-विवाद और विचारों के स्तर को ऊपर उठाइए।

वास्तव में, एक महान जर्मन दार्शनिक ने एक बार कहा था कि बुद्धिमानी का पहला एक कदम हर चीज के बारे में प्रश्न पूछना है और बुद्धिमानी का अंतिम कदम हर चीज को गले लगाना है। श्री आडवाणी ने अपने वाद-विवाद को आरंभ किया था, और मैं इस पर बुद्धिमानी की दिशा में पहले कदम के रूप में विचार करूंगा। वह हर चीज को गले लगायें और वाद-विवाद को समाप्त करें और उसके बाद ही सभा को अपनी राय दे पायेंगे।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपकी धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय: अगले वक्ता श्री पी.ए. संगमा हैं। श्री संगमा मैं जानता हूं कि आप बड़े स्पष्ट वक्ता हैं। इसलिए, कृपया आप अपनी बात उपलब्ध समय के भीतर पूरी करने का प्रयास करें।

श्री पी.ए. संगमा (तुरा): धन्यवाद, मुझे इस तथ्य की जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय: बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री पी.ए. संगमा: माननीय अध्यक्ष महोदय, आईएमडीटी एक्ट वर्ष 1983 से अपने अधिनियम के बाद से विधान का सबसे अधिक विवादास्पद भाग रहा है यह अधिनियम दो दशकों से अधिक समय तक असम की राजीनीति पर छाया रहा है। यह अधिनियम दो दशकों से अधिक समय तक चुनावी मुद्दा भी रहा था।

मुझे गृह मंत्रालय संबंधी स्थायी समिति का सदस्य बनने का अवसर मिला था और सदन के नेता इसके सभापति थे। मैंने सब अभ्यावेदन; सभी साक्ष्य सुने थे और काफी प्रलेखनों का अध्ययन किया था परन्तु मैं इन सब पर विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता। सच्चाई यही है कि पूर्वोत्तर में घुसपैठ एक समस्या है, और कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। सच यही है कि पूर्वोत्तर में जनसांख्यिकीय परिवर्तन हो रहे हैं और कोई इससे इन्कार नहीं कर सकता। सच यही है कि असली चिंता केवल असम की जनता की नहीं है बल्कि समस्त पूर्वोत्तर क्षेत्र की है।

हमने अरुणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य द्वारा दिए गए भाषण को सुना है और इस मुद्दे के संबंध में असम के प्रतिनिधि की बात भी सुनेंगे। मैं भी यह महसूस करता हूं कि इस समस्या को हल करने की आवश्यकता है।

मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं और शायद इस पर बड़े वाद-विवाद की आवश्यकता है। आज, हम आईएमडीटी एक्ट को रद्द करने वाले उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर वाद-विवाद कर रहे हैं। जबकि आज एक तरफ तो यह देख सकते हैं कि व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर खुशी मना रहे हैं और दूसरी तरफ आज अल्पसंख्यकों के मन डर की भावना देख सकते हैं। मैं श्री कपिल सिब्बल से सहमत हूं जिनका यह कहना है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि देश का विभाजन हो। परन्तु मैं आपको यह बता सकता हूं कि यह विधान का एक भाग है जिसने कि वास्तव में असम की जनता को बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक के बीच विभाजित कर दिया था। आप सच्चाई से इन्कार नहीं कर सकते है। परन्तु अब हम ऐसी स्थिति में हैं जहां उच्चतम न्यायालय ने कानून को रद्द कर दिया है। और हमें अल्पसंख्यकों के वास्तविक डर को अवश्य जानना होगा। इस संबंध में कुछ करना होगा है। मैं केवल इस मुद्दे पर बात करूंगा।

मैं सदन के नेता से पूरी तरह सहमत हूं जिन्होंने अपने भाषण में यह कहा है कि वास्तविक नागरिकों के वास्तविक अधिकारों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मैं इसका पूरी तरह समर्थन करता हूं। मेरा केवल यह मतभेद है कि असम में रहने वाले भारत के वास्तविक नागरिकों के वास्तविक अधिकारों की रक्षा करने के इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, जो कि धार्मिक अल्पसंख्यकों से संबंधित है और यह भी संभव है कि भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए विदेशियों विषयक अधिनियम में संशोधन करने के बजाय सरकार को नागरिकता अधिनियम में संशोधन करने की संभावना का पता लगाना चाहिए मेरा सदन के नेता से यही मतभेद है। आप सोचते है यह मेरा सुझाव है कि विदेशियों विषयक अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है। मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। मेरे विचार से हमें नागरिकता अधिनियम में अवश्य

संशोधन करना चाहिए। इससे उस समस्या धारा (3) में संशोधन-का समाधान भी होगा एक बार संशोधन का प्रस्ताव लाइए, यह कार्य भी हो जायेगा।

मैं जो विषय लाने का प्रयास कर रहा हूं। वह यह है कि हमने विदेशियों की पहचान करने के प्रयास में दो दशकों से अधिक का समय बर्बाद कर दिया है। मेरे पास पहले से उद्धृत किये गए आंकड़े हैं। मेरे पास वही आंकड़े हैं क्योंकि हमारे पास वही स्रोत हैं जो कि सदन के नेता के पास हैं। सदन के नेता केवल एक बात का उल्लेख करना भूल गए और वह यह है कि जिन अवैध आप्रवासियों का पता लगाया गया उनकी संख्या 11,306 थी। परन्तु देश से निर्वासित किए गये व्यक्तियों की संख्या 1500 थी। इसका अर्थ है कि सबके सब निर्वासित नहीं किए गए थे। हमने अपना समय-विदेशियों का पता लगाने में बर्बाद कर दिया है। सरकार को मेरा सुझाव यह है कि वह अन्य तरीका क्यों नहीं तलाशती। पहले हमें वास्तविक भारतीय नागरिकों की पहचान करनी चाहिए। जैसा कि अरुणाचल प्रदेश के माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। कृपया भारतीय नागरिकों की पहचान कीजिए और उन्हें नागरिकता पहचान पत्र दीजिए। उदाहरण के लिए, मैं उन्हीं आंकड़ों का उल्लेख करना चाहूंगा। आईएमडीटी एक्ट के अंतर्गत 3,68,609 के विरुद्ध जांच की गई थीं; 3,61,162 के विरुद्ध जांच की गई थी और पता लगाए गए अवैध आप्रवासियों की संख्या 11,306 थी। इससे यह प्रकट होता है कि 3,68,609 जांच में से, 3,49,655 व्यक्ति भारतीय थे। हम सीधे-सीधे इन 3,49,000 व्यक्तियों को नागरिकता पहचान पत्र क्यों नहीं दे सकते ताकि पुलिस उनका उत्पीड़न न कर सके। आज अल्पसंख्यक वास्तव में सुरक्षा चाहते हैं और उनका उत्पीड़न नहीं किया जाना चाहिए।

विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत 5,17,955 में से मात्र 28,000 की पहचान विदेशियों के तौर पर की गयी थी। जिसका तात्पर्य है कि 5,17,531 व्यक्ति वास्तव में भारतीय नागरिक थे। आज असली भारतीय नागरिकता को परिचय पत्र क्यों नहीं देते हैं ताकि वो भय की पुन: स्थिति में न रहें और कोई पुलिस वाला उनके पास जाकर उनसे सवाल नहीं पूछेगा? मैं चाहता हूं कि इस प्रक्रिया को बदला जाए। विदेशियों के पीछे जाने के स्थान पर आप भारतीयों की पहचान कीजिए, उन्हें प्रमाण पत्र दीजिए और उन्हें परिचय पत्र दीजिए। किन्तु ऐसा छह महीनें की समय सीमा के भीतर किया जाना चाहिए। तत्पश्चात, जो भारतीय नागरिक के रूप में पंजीकृत हैं उन्हें परिचय पत्र दिया जा सकता है। शेष को आप 'वर्क परमिट' दे सकते हैं।

खाड़ी के देशों में लाखों भारतीय कार्यरत हैं। विश्व के अन्य भागों में लाखों भारतीय काम कर रहे हैं बंगलादेशी भारत में आकर काम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप उन्हें 'वर्क परमिट' दीजिए। उन्हें यहां काम करने और आजीविका अर्जित करने दीजिए, किन्तु उनके पास राजनीतिक अधिकार नहीं होंगे। यही बात है। जिन्हें परिचय पत्र जारी किए गए हैं और जिन्हें 'वर्क परमिट' जारी किया गया है, उन लोगों को छोड़कर शेष लोगों को स्वत: निर्वासित किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री द्वारा गठित मंत्रियों के समूह को मैं यही सूत्र सुझाना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: डा. शर्मा, हमारे पास अधिक समय नहीं है।

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, मैं असम से एकमात्र वक्ता हूं।

अध्यक्ष महोदय: सभी भारतीय हैं। यह केवल असम का मामला नहीं है। यह भारत का मामला है।

डा. अरुण कुमार शर्मा: महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं जिसने अन्तत: असम के लोगों के साथ वह न्याय किया है, जो न्याय देश की राजनीतिक व्यवस्था नहीं कर सकी। इसके माध्यम से जिस कांग्रेस पार्टी ने इस कानून को बनाया था और मात्र असम राज्य में लागू किया था, उसे नैतिकता के आधार पर पूरे देश से इस बात की माफी मांगनी चाहिए कि उसने ऐसा कानून लागू किया जो न केवल असंवैधानिक था बल्कि इस राज्य में इसे लगातार 22 वर्षों तक लागू रखा। कांग्रेस पार्टी को इस बात के लिए भी देश से माफी मांगनी चाहिए कि असम की कीमत पर बंगलादेश की आजाद कराया गया।

तीन चार महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो मैं पूछना चाहता हूं। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां नागरिकों का कोई रजिस्टर नहीं है। हम यह नहीं जानते कौन विदेशी है और कौन नागरिक। आज पाकिस्तान से आने वाला कोई भी व्यक्ति, बांग्लादेश से आने वाला कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि वह एक भारतीय है। हमारे पास नागरिकों का कोई रजिस्टर नहीं है।

दूसरी बात, दुनिया के किसी भाग में एक ही देश में दो आव्रजन कानून लागू नहीं है। यहां मात्र असम के लिए एक अलग कानून है। यदि एक व्यक्ति को जिसे असम में अवैध प्रवासी माना जाता है, उसी का पता दिल्ली में चलने पर विदेशी कहा जाता है। जो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं है उसके लिए दो नाम कैसे हो सकते हैं? इस आईएमडीटी अधिनियम के माध्यम से विदेशियों को एक नया नाम दिया गया है। यह भारत के संविधान के विरुद्ध है।

साथ ही, इसे मात्र असम राज्य में ही क्यों लागू किया गया? इसे पूरे देश में लागू क्यों नहीं किया गया? जो परिस्थितियां बतायी

[डा. अरुण कुमार शर्मा]

गयी हैं उसमें कहा गया है कि विदेशियों विषयक अधिनियम को लागू करने में कुछ भटकाव आ गए थे क्योंकि विभाजन के समय से ही असम में विदेशी एक समस्या हैं। जब वर्ष 1964 से असम में कांग्रेस सरकार ही विदेशियों विषयक अधिकरण द्वारा विदेशियों का पता लगाया जाता था। उस समय यही व्यवस्था थी। विदेशियों विषयक अधिकरण आदेश, 1964 के अंतर्गत पांच लाख से अधिक लोगों का पता लगाया गया और उन्हें निर्वासित किया गया। अलग प्रकार से आईएमडीटी एक्ट लाने की क्या आवश्यकता थी? इसी उद्देश्य का उल्लेख उच्चतम न्यायालय कर रहा है।

साथ ही, यदि एक व्यक्ति जिसकी पहचान दिल्ली या मुम्बई में एक विदेशी के रूप में की गयी उन पर विदेशियों विषयक अधिनियम लागू होता है और उसे निर्वासित किया जा सकता है। यदि वही व्यक्ति असम जाता है तो उसे छुआ नहीं जा सकता है। किन्तु जिस व्यक्ति ने विदेशी के विरुद्ध शिकायत की है उसे यह सिद्ध करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य देने पड़ते हैं कि अमुक और अमुक व्यक्ति विदेशी है। कोई कैसे दस्तावेज प्रस्तुत कर सकता है कि अमुक और अमुक व्यक्ति विदेशी है?

असम के साथ अलग प्रकार का व्यवहार करना एक समस्या है। सरकार से कई अन्य महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाने हैं क्योंकि यदि वर्तमान सरकार महसूस करती है कि असम भारत का अंग है तो वहां के लिए पृथक कानून किस लिए है? कानून में भटकाव आया है जैसा कि आज हमने गुड़गांव में देखा, गुड़गांव में वर्तमान स्थिति के लिए मात्र कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है, क्या यह हरियाणा के लिए पृथक भारतीय दण्ड संहिता बनाएगी?

मैं इन टिप्पणियों को सुन रहा था। यह तत्कालीन सरकार की विफलता है—कांग्रेस 40 वर्षों तक सत्ता में रही- वह अवैध प्रवास और अवैध घुसपैठ की परिस्थिति को संभाल नहीं पायी। असम के विद्यार्थीगण छह वर्षों तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते रहे। बड़ी संख्या में विदेशी हैं जिनका पता लगाया जाना चाहिए। और निर्वासित किया जाना चाहिए। यह राजनेताओं का दायित्व है और यह प्रशासन का दायित्व है। 'आसू' को राष्ट्र विरोधी, साम्प्रदायिक और पुरातन पंथी कहा गया था। अब जब उच्चतम न्यायालय कहता है कि आईएमडीटी अधिनियम संविधान के अधिकारातीत है, तब जिन लोगों ने इसे असंवैधानिक कानून का अधिनियम किया था। उन्हें क्यों नहीं राष्ट्र विरोधी कहा जाना चाहिए।

असम में विदेशियों विषयक अधिकरण की व्यवस्था थी और इसने असम में रहने वाले सभी बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों को अवसर दिया। ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन और असम के लोगों ने सांप्रदायिक मार्ग नहीं अपनाया। हम कानून के अनुसार चलते हैं और हम महसूस करते हैं कि कोई भी नागरिक जो असम में रह रहे हैं-चाहे वह मुसलमान हो, हिन्दू हो या ईसाई हो- को समान सुरक्षा मिलनी चाहिए। किन्तु, साथ ही, उन विदेशियों की संख्या के कारण हाशिए पर पहुंच गए जातीय अल्पसंख्यकों की पहचान का भी प्रश्न है। वे अल्पसंख्यकों के पक्षधर कहां गए जो पक्ष लेते थे? क्या वे जातीय अल्पसंख्यकों का भी पक्ष लेंगे? क्या वे असमिया मुसलमानों या बंगलाभाषी असमियों सहित असमिया अल्पसंख्यकों का भी पक्ष लेंगे?

क्या वे इन अल्पसंख्यकोंका पक्ष लेंगे जिनका अस्तित्व समाप्त होने जा रहा है या जो अपने गृहभूमि से विस्थापित हैं? यही प्रश्न है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल जो एक छात्र नेता हैं और जो अब हमारे सहयोगी हैं और इस सभा के सदस्य हैं ने न्याय प्राप्त करने के लिए पहल की है ए.ए.एस.यू. के सदस्यों और असम गण परिषद के साथ इस याचिका को दायर किया है। आज, इस अवैध कानून को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया गया।

मैं आशा करता हूं कि भविष्य में हमें इतिहास से सबक सीखना चाहिए। हमें कम से कम जनसांख्यिकीय बदलाव के बारे में इतिहास से सबक लेने चाहिए जो बड़े पैमाने पर हुआ है उसे विदेशी विषयक अधिनियम के शीघ्र प्रवर्तन द्वारा रोका जाना चाहिए जो प्रचलन में है। नागरिकता और विदेशियों की बात पर कानून में कोई संशोधन या निरसन नहीं किया जाना चाहिए। हमें देश की सुरक्षा को बनाए रखना चाहिए। देश की सुरक्षा और सम्प्रभुता पर कोई समझौता नहीं किया जाना चाहिए। राज्यपाल को रिपोर्ट बहुत स्पष्ट है। मैं सिर्फ उसे उद्धृत करता हूं। असम के राज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी गई अपनी रिपोर्ट में कहा है:

> "यद्यपि बंगलादेशी अवैध आप्रवासी भारत के कई राज्यों में आए हैं और असम से ज्यादा वे पश्चिम बंगाल में हैं, वे किसी अन्य राज्य की तुलना में असम में ज्यादा खतरनाक हैं। यदि उन्हें प्रभावी तरीके से नहीं रोका गया तो वे असम के लोगों को तबाह कर सकते हैं और वे शेष भारत से इस पूर्वोत्तर भूखंड को अलग कर सकते हैं, इसके खतरनाक रणनीतिक और आर्थिक परिणाम सामने आएंगे।"

यह चेतावनी किसी अन्य व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि असम के राज्यपाल द्वारा दी गई है। यदि इस चेतावनी की उपेक्षा की गई, तो कई समस्याएं उत्पन्न होंगी। मैंने भी कई अवसर पर कहा है कि असम में स्थिति कश्मीर से भी ज्यादा खराब होगी। यदि हम असम की उपेक्षा करते है, यदि हम असम के लोगों की आकांक्षा को नहीं सुनते हैं, यदि हम इस तरह के धोखे में रहते हैं तो हम

हमेशा हाशिए पर डाल दिए जाएंगे। मुझे यह देखकर बहुत दुख हुआ कि असम के लोगों की आकांक्षाओं की उपेक्षा की गई। कुछ युवकों ने क्यों हथियार थाम लिया और विदेश चले गए हैं? वहां उग्रवाद क्यों है? इस समस्या की जड़ क्या है? वहां कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। पूरा देश, चाहे असम हो या कोई अन्य भाग, सभी के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए असम के लिए अलग कानून नहीं होना चाहिए। हम देश का हिस्सा हैं और हमारे साथ भी समान व्यवहार किया जाना चाहिए। हमारे साथ दूसरे दर्जे का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। इस आई.एम.डी.टी. अधिनियम से असमी लोगों को दोष देने की प्रवृत्ति बन गई है कि आप हमेशा अल्पसंख्यकों को उत्पीड़ित करने की कोशिश कर रहे हैं। असम गण परिषद के शासनकाल के दौरान असम में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ था। असम एक शांतिपूर्ण राज्य है। श्री बसुदेव आचार्य अपने वक्तव्य में कह रहे थे कि असम गण परिषद के शासन के दौरान बंगलादेशी के मुद्दे पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात अच्छी तरह से रखी। डा. शर्मा, मैंने आपको दस मिनट से ज्यादा समय दिया। अब कोई समय नहीं बचा है।

...*(व्यवधान)*

डा. अरुण कुमार शर्मा: अब आई.एम.डी.टी. अधिनियम के समय, विदेशियों के भाग जाने या देश से निकालने में प्रमुख अवरोध था। वर्ष 1996 से 2001 तक सी.पी.एम. असम सरकार में शामिल थीं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अनवर हुसैन के भाषण को ही कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपको दस मिनट से ज्यादा समय दिया। यह ठीक नहीं है। आपके दल के पास समय नहीं है। आप अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

डा. अरुण कुमार शर्मा: मैं एक या दो सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। नागरिकों का एक पंजीयक होना चाहिए। परिचय पत्र जारी किए जाने चाहिए। असम समझौते को लागू किया जाना चाहिए जिसे पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी की उपस्थिति में हस्ताक्षर किया गया था। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: डा. शर्मा, कृपया अपनी सीट पर बैठिए। श्री अनवर हुसैन बोलेंगे।

...*(व्यवधान)*

डा. अरुण कुमार शर्मा: कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी विदेशी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए चाहे वह शरणार्थी हैं या कोई और ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह भी असम के ही है, वह बोलना चाहते हैं। कृपया सहयोग कीजिए।

श्री अनवर हुसैन (धूबरी): महोदय, मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव के विरुद्ध अपनी आपत्ति दर्ज करने के लिए खड़ा हूं। मैं भारत सरकार विशेष रूप से संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के अध्यक्ष का आई.एम.डी.टी. अधिनियम के निरसन के बाद स्थिति की समीक्षा के लिए मंत्री समूह गठित करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

समय कम होने के कारण मैं बहुत संक्षेप में बोलूंगा। श्री आडवाणी ने अपने भाषण में श्री इन्द्रजीत गुप्त के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि 6 मई, 1997 तक का 1 करोड़ घुसपैठिए आए। दिनांक 8 मई, 1998 को राज्यपाल ने भड़काने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस समय, वह गृहमंत्री बने और इन छः वर्षों के दौरान, उन्होंने कुछ नहीं किया। अब, राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने इस सभा में बहुत कुछ कहा।

मैं माननीय गृहमंत्री श्री शिवराज पाटील को बधाई देता हूं। उन्होंने दिनांक 5 मई, 2005 को उन्होंने त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की जिसमें राज्य सरकार के प्रतिनिधि, ए.ए.एस.यू. के नेता और केन्द्र सरकार के प्रतिनिधि उपस्थित थे। चर्चा में यह कहा गया था कि वे 71 किलोमीटर की खुली सीमा का निर्माण करेंगे और 150 किलोमीटर की सीमा पर लगे बाड़ की मरम्मत करेंगे। इसी समय वर्ष 1971 की मतदाता सूची के आधार पर राष्ट्रीय नागरिक पंजीयक (एन.आर.सी.) को अद्यतन करने का निर्णय लिया गया था।

सायं 6.00 बजे

उन्होंने दो वर्षों का समय लिया। लेकिन मैं भारत सरकार से इसे यथाशीघ्र समाप्त करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि एक बार जब नागरिक पंजीयक पूरा हो जाता है, तो पूरे मामले का समाधान हो जाएगा। इसलिए, मैं माननीय गृहमंत्री से यह देखने का अनुरोध करता हूं कि इसे छः महीने के भीतर किया जाना चाहिए।

[श्री अनवर हुसैन]

महोदय, असम के मुख्यमंत्री ने कई अवसरों पर सुरक्षा कर्मियों और सीमा सुरक्षा बल की तैनाती के संबंध में गृह मंत्री को लिखा है लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई ने भी सीमा पर बाड़ लगाने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया।

मुख्यमंत्री ने एनआरसी को उन्नत करने के बारे में भी लिखा था, और उन्होंने ऐसा नहीं किया। अतः उनकी ईमानदारी सिद्ध हो गई है।

यह इस आई एम डी टी अधिनियम जिसे अधिनियमित किया गया था, की पृष्ठभूमि है। उसके कई कारण हैं। 1978 में, जब मंगोलदोई उप-चुनाव होने थे तब आंदोलनकारियों और कुछ फासीवादी तथा साम्प्रदायिक ताकतों ने 70,000 लोगों के खिलाफ आपत्ति उठाई थी; पुलिस तथा होमगार्डों ने 40,000 नाम काट दिए थे। उस समय पुलिस, आंदोलनकारियों और साम्प्रदायिक ताकतों द्वारा तुलसीबारी, तमोलपुर, गोरेश्वर, नलयाडा आदि गांव जला दिए गए थे। बंगाली भाषी लोग और मुसलमान इसके शिकार बने थे। आप यह जानते हैं कि 1983 में क्या हुआ था। नेल्ली, गोहपुर और अन्य स्थानों पर 10,000 लोग मारे गये थे। मतदाता सूची में संशोधन के दौरान आंदोलनकारियों के एक वर्ग द्वारा 10 लाख आपत्तियां रखी गई थी। एक व्यक्ति ने वास्तविक मतदाताओं के विरुद्ध लगभग 100,000 आपतियों पर हस्ताक्षर किए थे।

इस नरसंहार के बाद, श्रीमती इंदिरा गांधी ने स्थल का दौरा किया और अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा और उनकी रक्षा के लिए अधिनियम बनाया गया।

अतः इस पृष्ठभूमि को भूलना नहीं चाहिए।

मुझे विश्वास है कि इन उद्देश्यों को प्राप्त किया जाएगा और मंत्रियों का समूह इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करेगा और आई एम डी टी के कुछ उपबंधों से विदेशियों विषयक अधिनियम को संशोधित करेगा ताकि अल्पसंख्यक परेशान न हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी (मंगलदोई): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसे ही असम के लोगों ने यह सुना कि आई एम डी टी अधिनियम को रद्द कर दिया गया है, उन्होंने राहत की सांस ली क्योंकि असम के लोगों के लिए यह 'आईएमडीटी' शब्द एक एलर्जी के समान है।

1983 का आई एम डी टी अधिनियम पूरी तरह असंवैधानिक था। इसका मूल उद्देश्य असम में रह रहे बंग्लादेशी मूल के विदेशियों की रक्षा करना और कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में प्रयोग करना था।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश के पैरा-7 में 1972 की इंदिरा-मुजीब संधि का उल्लेख किया है जिसमें यह समझौता हुआ था कि 25.3.71 से पहले भारत आए लोगों को भारतीय नागरिक माना जाएगा और शेष लोगों को वापस भेज दिया जाएगा। तदनुसार, भारत सरकार ने 30.9.72 को असम सरकार को यह हिदायत दी कि वह 25.3.71 की तारीख के अनुसार बंगलादेशी मूल के विदेशियों की सूची तैयार करे और उसे बंगलादेश के उप-उच्चायुक्त, कलकत्ता को भेजे तथा एक प्रति भारत सरकार को भी भेजें। मैं यह नहीं जानता हूं कि उस पत्र का क्या हुआ।

किन्तु असम सरकार ने कुछ नहीं किया। यदि समय पर कार्यवाही की जाती तो उनकी पहचान और वापसी काफी आसान हो जाती; सूची उपलब्ध करा दी जाती। जो लोग 25.3.1971 से पहले भारत आए हैं

अध्यक्ष महोदय: एक सैकिण्ड। अपराह्न के 6.00 बज चुके हैं, जो आमतौर पर सभा की कार्यवाही समाप्ति का समय होता है। क्या हम सभा का समय 1 घंटा और बढ़ा दें?

कई माननीय सदस्य: हां।

अध्यक्ष महोदय: सभा का समय एक घंटा बढ़ाया जाता है। आपको बीच में टोकने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं।

श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: जो लोग 25.3.71 से पहले भारत आए थे उन्हें नागरिकता अधिनियम के 6 क उपबंध द्वारा स्थायी किया गया है। किन्तु किन लोगों को स्थायी किया गया है? वे बंगलादेशी लोग नहीं हैं; वास्तव में पाकिस्तानी हैं जो 25.3.1971 से पहले यहां आए थे। अब चूंकि आई एम डी टी अधिनियम रद्द कर दिया गया है और विदेशियों विषयक अधिनियम को लागू कर दिया गया है, इससे सारा देश प्रभावित हो रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, असम को छोड़कर सारे देश में 26 जनवरी, 1950 से विदेशियों का पता लगाया गया है। किन्तु, असम में, 6 क उपबंध के कारण केवल 25.3.71 से ही विदेशियों का पता लगाया जाएगा। यह असम के लोगों के साथ साफ-साफ भेदभाव है।

उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में इस बात पर प्रकाश डाला है कि असम में जनसंख्या में दस वर्षों में हुई वृद्धि शेष भारत में हुई जनसंख्या वृद्धि से काफी अधिक है और असम के तीन सीमावर्ती जिलों यथा-कचार, करीमगंज और धुबरी में हुई जनसंख्या वृद्धि असम की जनसंख्या वृद्धि से दुगुनी है। यह माना जाता है कि यह वृद्धि बड़े पैमाने पर बंगलादेशियों की घुसपैठ के कारण हुई है।

आदेश के पैरा 38 में, उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा है कि इस बात में कोई संदेह नहीं है कि बड़े पैमाने पर बंगलादेशियों के आप्रवास के कारण असम बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी का सामना कर रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, असम में जनांनिकी में परिवर्तन हुआ है। असमी लोग अपने राज्य में अल्पसंख्यक बन गए हैं। वर्ष 1983 से 2001 तक आई एम डी टी अधिनियम के अंतर्गत असम से केवल 1494 आप्रवासियों/प्रवासियों को वापस भेजा गया है जबकि 1983 से 1988 तक पश्चिम बंगाल में विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत 4,89,046 बंगलादेशियों को वापस भेजा गया है।

उपर्युक्त को देखते हुए, हम उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रभाव को विदेशियों विषयक अधिनियम में संशोधन द्वारा किसी भी तरह से कम करने का विरोध करते हैं।

असम सरकार यह कह रही है कि विदेशियों विषयक अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। केन्द्र सरकार को सभा में अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। माननीय प्रधान मंत्री ने मंत्रियों के समूह का गठन किया है और वह भी उच्चतम न्यायालय के आदेश के प्रभाव को कम करने का प्रयत्न करेगा जिसे सभा द्वारा देश की सुरक्षा और अखंडता के हित में रोका जाना चाहिए।

महोदय, अब मैं एक संदर्भ के रूप में से उद्धृत कर रहा हूं 18 मई, 1949 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरु ने असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय गोपीनाथ बोरदोलाई को पत्र लिखा जिसमें कहा गया था: "आपको हिन्दु शरणार्थियों और मुस्लिम आप्रवासियों में भेद करना चाहिए और देश को शरणार्थियों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए।" तथापि, असम के कुछ मंत्रियों ने शरणार्थियों की बजाय मुस्लिम आप्रवासियों को प्राथमिकता दी है। यह उन दिनों की कांग्रेस सरकार की वोट बैंक नीतियों की भी योजना थी।

अध्यक्ष महोदय, अब प्रश्न यह है कि उच्चतम न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन की दिशा में बिना किसी प्रकार की प्रभावहीनता के किस प्रकार बढ़ा जाए। भाजपा का यह मानना है कि एनआरसी को एनआरसी नियमावली, 2003 के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए, जिसके लिए विस्तृत दिशानिर्देश उक्त नियमों में दिए गए हैं। वे इस प्रकार हैं। सभी भारतीय इसके लिए योग्य हैं; इसका कार्यान्वयन केन्द्र सरकार द्वारा किया जाएगा; राज्यों में जनगणना निदेशक मुख्य एजेन्सी है और निर्धारित तिथि का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु महोदय, यदि एन.आर.सी. के बारे में केन्द्र सरकार विचार करेगी और नागरिकता संघ सूची का विषय है, तो असम सरकार द्वारा एन आर सी निदेशालय की स्थापना कैसे की गई तथा एन आर सी के निदेशक के रूप में श्री दीपक शर्मा को किस प्रकार नियुक्त किया गया और यह घोषणा कैसे की गई कि निर्धारित तिथि 25.3.1971 के आधार पर एन आर सी तैयार किया जाए? मुख्य मंत्री ने केन्द्र सरकार के अधिकार में हस्तक्षेप किया है और केन्द्र सरकार चुप रही। एक तरह से असम में व्यवस्था संविधानिक रूप से ध्वस्त हो गई है।

संक्षेप में यदि कहा जाए तो असम सरकार अपनी वोट बैंक नीतियों को साकार करने के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश को प्रभावहीन बनाने के लिए राज्य में भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने की कोशिश कर रही है और भारत सरकार एक मूक दर्शक बनी देख रही है।

अतः हमारा अनुरोध यह है कि उच्चतम न्यायालय के फैसले को पूर्णरूपेण लागू किया जाए और भारत सरकार इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए।

अध्यक्ष महोदय: मैं सहयोग देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, जो एडजर्नमेंट मोशन की बात है और आईएमडीटी एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्क्रैप करने का आर्डर दिया है, उस पर विचार करना आवश्यक था। मुझे खुशी है कि इस पर पूरी तरह से विचार किया जा रहा है। लेकिन मुझे अफसोस है कि जो सदन के नेता मान्यवर रक्षा मंत्री जी ने बताया, उनका वक्तव्य था कि जो रियल सिटीजन हैं, उनको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि हमारे देश में जो असली सिटीजन हैं क्या उनको प्रोटेक्शन देने के लिए कानून की कमी है जो इस एक्ट को लाने की जरूरत महसूस की गई। रियल सिटीजन को ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए हम मना नहीं करते हैं। जो रियल सिटीजन हैं, उनको प्रोटेक्शन देना सरकार का काम है, लेकिन सरकार को गंभीरता से यह देखना चाहिए कि देश की आज जो स्थिति है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारी सुरक्षा की क्या स्थिति है? देश की सुरक्षा खतरे में है। नागरिकों की भी सुरक्षा नहीं है। उस स्थिति में जो घुसपैठ हो रही है, अवैध माइग्रेशन हो रहा है वह असम तक ही सीमित नहीं है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री जी ने वक्तव्य दिया, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने वक्तव्य दिया, पूर्वोत्तर में घुसपैठ की मुश्किलें ज्यादा हैं, पूर्वोत्तर के नेताओं के वक्तव्य भी हमने सुने हैं। उड़ीसा में भी वही स्थिति है। टोटल ईस्टर्न और वेस्टर्न जोन में घुसपैठ हो रही है। देश की जो सबसे बड़ी मुश्किल है, वह यही है कि घुसपैठ

[श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी]

को कैसे मजबूत ढंग से रोका जाए? साइन्स और टेक्नोलॉजी मंत्री जी ने बताया है कि हमारी बातचीत चल रही है, उस डिस्कशन में किसकी सुप्रेमेसी रहेगी-जुडिशियरी की या लेजिस्लेचर की, सरकार की यह सोच नहीं होनी चाहिये। आईएमडीटी एक्ट बनाया गया है, 20 साल बाद उसका कोई परिणाम नहीं मिला। सरकार की तरफ से जो तर्क दिया जा रहा है कि आईएमडीटी और फारेनर्स एक्ट में कितने लोगों के बारे में ट्रिब्यूनल ने विचार किया है, कितने लोगों को सजा मिली है, जो गलत तरीके से घुसपैठ कर रहे हैं, लेकिन जो फारेनर्स एक्ट में छूट जाते हैं, वे क्यों छूट जाते हैं? जो बांग्लादेशी हैं, वे असम में घुस जाते हैं। असम में आईएमडीटी एक्ट है। उसके माध्यम से उनको छूट पाने का मौका मिल जाता है और उन्हें क्लीनचिट मिल जाती है। वह फारेनर्स एक्ट के माध्यम से देश में घुस जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आईएमडीटी एक्ट को स्क्रैप करने का जो आर्डर दिया है, वह बहुत सोचा-समझा निर्णय है। श्री संगमा जी ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर सरकार को विचार करना चाहिए। धार्मिक और लिंगविस्टिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में कमी नहीं होनी चाहिए, उनको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यह सरकार का काम है सभी राजनीतिक दल इससे सहमत हैं। इसमें कोई दो मत नहीं हैं लेकिन जो भाषायी अल्पसंख्यक हैं, उनको सुरक्षा देने की ज्यादा जरूरत है। इसके बारे में देश में कानून है, इसको समर्थन देना हमारा काम है। लेकिन अल्पसंख्यकों के नाम से ऐसे वोट बैंक बनाना उचित नहीं है और घुसपैठ को रोकने की जरूरत है।

यदि इस प्रकार चलेगा, तो सिक्योरिटी कैसे रहेगी। आज देश की नेशनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, पब्लिक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। आज सारे सदन की चिंता देश में जो आई.एस.आई. की गतिविधियां चल रही हैं उनके बारे में है। आज इस सदन में इस बारे में डिसकशन हो रहा है कि इन गतिविधियों को कैसे रोका जाए। इस पर सरकार को भी सोचना चाहिए। यदि सिटीजन्स एक्ट में, रिलीजीयन्स एक्ट में अथवा लिंग्विस्टिक मायनॉरिटीज एक्ट में कोई परिवर्तन करके किसी को प्रोटैक्शन देना हो, तो उस कानून को लाइए, हम उसे समर्थन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को देखकर उसी कानून को किसी दूसरे रूप में लाने का प्रयास यदि सरकार करेगी, तो वह ठीक नहीं होगा, देश के हित में नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देना चाहता हूं कि वह ऐसा न करे और फॉरेनर्स एक्ट में संशोधन कर के उसे लाने का प्रयास न करे। यदि वह ऐसा करेगी तो यह प्रॉब्लम देश में बनी रहेगी। इसलिए ऐसा करना ठीक नहीं होगा।

[अनुवाद]

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी): अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य के बावजूद कि आज स्थगन प्रस्ताव विपक्ष के नेता द्वारा राजनैतिक उद्देश्यों से लाए गए हैं, जो एक तरह से उनकी पार्टी में स्वयं की राजनैतिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए है, मैं फिर भी आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे देश के भविष्य से संबंधित इस अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का अवसर दिया।

अध्यक्ष महोदय: कम से कम एक बार अध्यक्ष को चर्चा की अनुमति देने का भी धन्यवाद दें।

श्री किरिप चालिहा: जी हां, महोदय मैं आपको धन्यवाद देता हूं। केवल आपके कारण ही इस देश के एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथा संवेदनशील समस्या पर चर्चा की जा रही है। पूर्वोत्तर राज्यों तथा अब मुम्बई, दिल्ली तथा अन्य स्थानों में अन्तर्वाह परेशानी का प्रमुख कारण बनता जा रहा है। उस बात से किसी को इन्कार नहीं करना चाहिए कि इससे राजनीति में भी जटिलता पैदा हो गई हैं। यह एक सर्वसहमत तथ्य है। परन्तु इसका राजनीतिकरण करना बहुविषयक चिन्ताओं से जुड़ी इस अत्यंत संवेदनशील समस्या से राजनैतिक लाभ उठाना जैसा कि श्री कपिल सिब्बल ने बताया सही नहीं है। नागरिकता व्यक्तियों का अप्रवास जैसी समस्याओं पर हल्के रूप से विचार नहीं किया जा सकता। क्योंकि इस देश की उस समय में धर्म के आधार पर बांट दिया गया था। इससे कई जटिलताएं उत्पन्न हो गई हैं क्योंकि व्यक्तियों का आवागमन एक बार की प्रक्रिया नहीं है अपितु यह एक सतत प्रक्रिया थी। एक तरह से विभाजन की समस्याएं विभिन्न स्थानों में जटिलताएं उत्पन्न करती रहीं जिससे अल्पसंख्यक जातिय समूहों, जनजातीय लोगों में तनाव उत्पन्न हुआ और सबसे महत्वपूर्ण तो श्रमिकों का अप्रवास हुआ जो सस्ते दर पर श्रम करने लगे। इन सभी मुद्दों की अनदेखी नहीं की जा सकती। यदि इस परिदृश्य में कोई राजनैतिक लाभ उठाने के लिए स्थगन प्रस्ताव लाता है, तो इसकी निन्दा की जानी चाहिए और इसीलिए मैं इस स्थगन प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इसे लाने की मंशा साफ नहीं थी। महोदय शरीर गर्म करने से सायाटिका ठीक नहीं किया जाता। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि एक राजनीतिक पार्टी हमेशा आग में घी डालती है। और भड़काने का काम करती है।

सौ बात की एक बात यह है कि उच्चतम न्यायालय का फैसला केवल एक ऐसा मुद्दा रह गया है जिसे एक राजनीतिक पार्टी स्वयं का पुनरुद्धार करने का उद्देश्य बनाती है। यह दुख की बात है एक आदमी होने के नाते मैं भी इस सतत अन्तर्वाह के कारण असमी लोगों पर पड़े रहे जनसंख्या के दबाब से चिन्तित हूं। परन्तु किसी राजनीतिक पार्टी विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी, जिसके नेता श्री राजीव गांधी द्वारा ऐतिहासिक असम समझौता किया गया था, पर आरोप लगाना सही नहीं है। केवल उन्होंने ही

असमी लोगों की समस्या समझी। उनकी राजनीतिक पार्टी की आलोचना करना तथा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी की प्रशंसा करना, जो अपने शासन के दौरान संबद्ध मुद्दों पर मूक रही सही नहीं है। संक्षेप में कहें तो एन डी ए के शासनकाल के दौरान क्या किया गया?

क्या आप जानते हैं कि एन डी ए के गृह मंत्री जो सौभाग्यवश अथवा दुर्भाग्यवश अब विपक्ष के नेता हैं, ने अन्तर्वाह संबंधी मुद्दे पर ए.ए.एस.यू, राज्य सरकार तथा केन्द्र सरकार के बीच एक भी त्रिपक्षीय बैठक नहीं करवाई। मुझे नहीं पता कि उन्होंने सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा किया भी या नहीं। मुझे नहीं पता कि असम और बंगलादेश के बीच सीमा पर बाड़ लगाने के लिए उन्होंने कितनी गंभीरता दिखाई। वास्तव में असम सरकार द्वारा अन्तर्वाह समस्या के बारे में कुछ करने तथा राज्यपाल की रिपोर्ट पर कार्रवाई करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया था। असम से संबंधित मामलों पर तत्कालीन माननीय गृह मंत्री अथवा तत्कालीन प्रधान मंत्री जी द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। जब आप सत्ता में होते हैं, तो आप असम को भूल जाते हैं और जब आप सत्ता में नहीं होते और चुनाव सर पर होते हैं, तो आप असम के मसीहा बन जाते हैं। असम के लोग इस पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। टोरीयों के बारे में एक चुटकला है। एक मां से उसके बच्चे ने पूछा कि टोरी जन्म से ही भ्रष्ट होते है या बड़े होने पर भ्रष्ट बन जाते हैं। मां ने बताया कि "बेटा टोरी भ्रष्ट पैदा होते है और बाद में और भ्रष्ट हो जाते हैं। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कुछ कह सकता हूं?"

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): महोदय, मैं विपक्ष के नेता, माननीय आडवाणी जी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं अध्यक्ष जी और विपक्ष के नेता को अवश्य धन्यवाद दूंगा कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और सरकार ने इसका विरोध नहीं किया और अनुमति प्रदान कर दी गयी। यह संसद में मेरा यह दूसरा कार्यकाल मैंने पहली बार देखा है और यह है जब विपक्ष द्वारा स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और सरकार ने इसका विरोध नहीं किया और अनुमति प्रदान कर दी गयी। जहां तक मुझे याद है, तेरहवीं लोक सभा में मैंने ऐसा होते हुए कभी नहीं देखा। इसलिए, एक बार फिर से मैं पुनः आपको और सरकार को अवश्य धन्यवाद दूंगा।

स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने समय श्री आडवाणी जी ने अपना तर्क तैयार किया है जो मेरे अनुसार राजनैतिक और साम्प्रदायिक समझ पर आधारित है। उन्होंने कहा कि अवैध उत्प्रवास वर्ष 1947 में आरंभ हुआ। लेकिन विपक्ष के नेता की टिप्पणी के बाद उन्होंने अपने वक्तव्य को सुधार लिया। यह उनकी अवधारणा है। यह भा.ज.पा. और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की अवधारणा है। भारत का और बंगाल का विभाजन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। हम हमारे देश के और बंगाल के विभाजन के समय व्याप्त असामान्य और अनसुलझी स्थिति की उपेक्षा नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, ऐसी स्थिति में, लोगों की राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का प्रश्न दांव पर लगा हुआ था। इसलिए, आडवाणी जी की अवधारणा न केवल गलत है अपितु यह हमारे राष्ट्र के लिए घातक है। मुझे यह मालूम नहीं पड़ता कि वह इस अवधारणा के साथ क्या करना चाहते हैं।

उनके अनुसार, अवैध विदेशियों की समस्या आंतरिक सुरक्षा की समस्या से जुड़ी हुई है। वह हमारे देश के गृह मंत्री रहे हैं। क्या उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान यह अनुभव किया था? मुझे याद है कि उनके कार्यकाल के दौरान हमने आंतरिक सुरक्षा विषय पर अनेक चर्चाएं आरंभ की थीं लेकिन उन्होंने इसका कभी उल्लेख नहीं किया। जहां तक आंतरिक सुरक्षा का संबंध है, खतरा अल्फा से है। क्या वे अवैध प्रवासी हैं? यह माना जा रहा है कि अवैध प्रवासी धार्मिक समानता वाली जनसंख्या की बुनियादी स्थिति के निर्माण में सहायता कर रहे हैं।

महोदय, यह न केवल गलत और घातक है बल्कि यह भी कहा जाता है कि यदि बांग्लादेश से आने वाले लोग हिन्दू होते हैं तो वे शरणार्थी हैं लेकिन यदि वे मुस्लिम होते हैं तो उन्हें निकाल बाहर कर दिया जाता है उन्हें अवैध प्रवासी करार दे दिया जाता है। इस प्रकार का वर्गीकरण न केवल गलत है बल्कि बहुत आपत्तिजनक है?

महोदय, अब मैं आखिरी विषय पर आता हूं। वर्ष 1983 मे आई.एम.डी.टी. अधिनियम को बनाने की आवश्यकता का सभा में ही पर्याप्त रूप से उल्लेख किया गया है ...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं, इसे इस तरह से नहीं लिया जायेगा। इस तरह से इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री प्रबोध पाण्डा: संविधान के अनुच्छेद 355 की व्याख्या करते समय मुझे आश्चर्य होता है कि क्या माननीय न्यायाधीश अपनी उन बातों के निहितार्थ से अवगत थे जो उन्होंने कही। उदाहरण के लिए भारत की नेपाल के साथ यह संधि है कि नेपाली लोग भारत में बिना किसी बीजा के और ठहर सकते हैं। क्या यह असंवैधानिक है? इस मामले से संबंधित विवरण नितान्त आश्चर्य में डाल देने वाले हैं। मैं सरकार को अवश्य धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस समय मंत्री समूह का गठन कर लिया है और वे इन सभी मामलों का देखेंगे और इनका समाधान करेंगे। लेकिन मैं श्री आडवाणी जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का विरोध अवश्य करूंगा।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: अब माननीय गृह मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं।

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, मैं यहां एक प्रश्न कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उनके राजी हुए बिना प्रश्न पूछे जा रहे हैं। मैं क्या कर सकता हूं? यह तरीका नहीं है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: गृह मंत्री जी उत्तर दे सकते हैं। गृह मंत्री जी के कथन के अतिरिक्त किसी अन्य का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। केवल गृह मंत्री जी का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जायेगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री स्वाईं जी, आप कृपया बैठ जाइए। आप एक महत्वपूर्ण दल के उपमुख्य सचेतक हैं। मैं आपके सहयोग पर निर्भर हूं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके लिए और समय नहीं है। आपके दल का समय समाप्त हो गया है। वाद-विवाद का समय समाप्त हो गया है। समयाभाव के कारण मैंने अन्य कई सदस्यों को बोलने की अनुमति प्रदान नहीं की है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी (भागलपुर): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने का समय नहीं दिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी का टाइम एग्जास्ट हो गया है।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: महोदय, मुझे बोलने के लिए सिर्फ पांच मिनट का समय दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बोलने के लिए सिर्फ पांच मिनट का समय दूंगा। मैंने अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं दिया है।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, मैं कार्यस्थगन प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। 14 जुलाई 2004 को राज्य सभा में माननीय श्री दत्ता मेघे जी ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर एक सवाल पुछा था। जिस पर गृह मंत्री श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी उत्तर दिया था, जिसमें इस बात को स्वीकार किया गया था कि असम में 50 लाख ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आजकल, आप अति उदारता से अन्य सभा की ओर संकेत कर रहे हैं। नियम इसकी अनुमति नहीं देते। यह सब ठीक है। अब आप अपने विचार रखिए।

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: अध्यक्ष महोदय, उन्होंने स्वीकार किया था कि 50 लाख असम के अंदर, पांच लाख बिहार के अंदर, पश्चिम बंगाल में 57 लाख, दिल्ली में 3.75 लाख और इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र में भी उन्होंने घुसपैठ की बात को स्वीकार किया था। लेकिन जैसे ही मंत्री महोदय का राज्य सभा में उत्तर आया, उसके कुछ ही दिन बाद असम के मुख्यमंत्री श्री तरुण गोगोई जी ने गुस्से में एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने लिखा कि आपने जो उत्तर दिया है, वह गलत है। इसके बाद श्री श्रीप्रकाश जायसवाल जी ने अपनी बात का खंडन कर दिया और उन्होंने कहा:

[अनुवाद]

> "हां। प्रकाशित आंकड़े किसी व्यापक अथवा प्रतिदर्श अध्ययन पर नहीं थे वरन सुनी-सुनायी बातों पर आधारित थे और वो भी इस मामले से अपना हित साधने वाले दलों की सुनी-सुनायी बातों पर।"

[हिन्दी]

मैं इसको इसलिए कोट कर रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी की घुसपैठ के बारे में क्या मंशा है? वे इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि इसका क्वांटम क्या है और उसके दुष्परिणाम क्या होंगे।

26 मई को सुप्रीम कोर्ट में असम के मुख्य मंत्री श्री तरुण गोगोई द्वारा एक हलफनामा दायर किया गया। उसमें उन्होंने अपना रुख बदल लिया। श्री गोगोई ने कहा कि घुसपैठ वर्षों से जारी है, मैं इससे इंकार नहीं करता, लेकिन इसे खतरनाक भी नहीं मानता।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

असम सरकार ने 13 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर कर बंगलादेश में बड़े पैमाने पर हो रही घुसपैठ को एक समस्या बताया था, जिसके बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि मैंने अपना रुख बदल लिया है। मैंने इस दो वर्शन को इसलिए कोट किया है कि इस सरकार को इस बात को स्वीकार करने में डर लगता है कि असम में कितने बड़े पैमाने पर घुसपैठ हुई है।

माननीय प्रणब दा भाषण कर रहे थे। उन्होंने कोट किया है कि फॉरेनर्स एक्ट और आईएमडीटी एक्ट के तहत जो आइडैंटीफिकेशन हुआ है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। मेरे पास एक किताब है, जिसे मैं कोट कर रहा हूं। उस किताब के अनुसार 1952 से लेकर 1984 के बीच विदेशियों विषयक अधिनियम के अंतर्गत तीन लाख व्यक्तियों की पहचान की गई और उन्हें असम से निर्वासित किया गया। आपका बयान कि फॉरेनर्स एक्ट के तहत जो आईडैंटीफिकेशन करके डिपोर्ट किया गया है और जो डिपोर्टेशन आईएमडीटी एक्ट के तहत किया गया है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, मैं आपके इस वक्तव्य को चुनौती देता हूं कि 1952 से लेकर 1984 के बीच में तीन लाख लोग असम से निष्कासित किए गए विदेशियों विषयक अधिनियम अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी था। आईएमडीटी एक्ट को जान-बूझकर साजिश के तहत ऐसा एक्ट बना दिया गया ताकि आइडैंटीफिकेशन नहीं हो सके। उसके प्रावधान इतने कड़े बनाए गए कि अगर कोई व्यक्ति कम्प्लेंट करेगा तो वह उसी थाने का होना चाहिए। जो व्यक्ति एफीडैविट करेगा, उसे दस रुपये फीस जमा करनी पडेंगी। आईएमडीटी एक्ट में सबसे बड़ी बात यह है कि कौन देशी है, कौन विदेशी है, इसे प्रूव करने का दायित्व पुलिस के ऊपर होगा। फॉरेनर्स एक्ट में यह उस व्यक्ति को सिद्ध करना है कि वह देशी है या विदेशी है, लेकिन आईएमडीटी में आपने ऐसा प्रावधान कर दिया कि सिद्ध करने का अधिकार पुलिस को होगा न कि उस व्यक्ति हो। सारे प्रावधान इतने कड़े कर दिए गए जिसका परिणाम यह हुआ कि वह एक्ट केवल दिखावा, छलावा रह गया। यह सब केवल वोट बैंक की राजनीति का परिणाम था। क्योंकि वहां पर बंगलादेश से आने वाले घुसपैठिए कांग्रेस के वोट बैंक के नाते पचास साल से काम कर रहे थे, इसलिए आपने उनके खिलाफ कभी भी कोई कार्यवाही नहीं की और जान-बूझकर असम के लोगों को गुमराह करने के लिए वहां आईएमडीटी एक्ट लागू किया। हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन मैं यह भी कहना चाहूंगा कि बंगलादेश से आने वाले जो हिन्दू हैं, उनमें और बाकी लोगों में आपको अंतर करना पड़ेगा। अगर वहां से कोई हिन्दू आता है तो वहां के धार्मिक अत्याचार के कारण आता है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न पैदा करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: वे रिफ्यूजी हैं। पूरी दुनिया में हिन्दुओं के लिए भारत और नेपाल को छोड़कर कहीं जाने की जगह नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण आप आंदोलित क्यों हो रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री सुशील मोदी की बातों के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में और कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: बंगलादेश से आने वाले जो हिन्दु हैं, आप उनकी तुलना अन्य लोगों से नहीं कर सकते। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए। आपने पांच मिनट का समय मांगा था।

...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): यह हाईली ऑब्जैक्शनेबल है। श्री मोदी ने जो कहा है, उसे कार्यवाही से निकाल दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इस पर गौर करूंगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री सुशील कुमार मोदी: कोई ऑब्जैक्शनेबल नहीं है। ...*(व्यवधान)*

जो नेहरु-लियाकत समझौता हुआ था, उसमें इस बात का निर्णय लिया गया था कि दोनों देशों के अंदर जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों की रक्षा करें। जब बंगलादेश ने अपने देश के धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा नहीं की और धार्मिक अत्याचार के कारण अगर उनको भागकर भारत आना पड़ा, तो

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुशील कुमार मोदी]

भारत का यह दायित्व बनता है कि ऐसे लोगों को शरणार्थियों को दर्जा देकर उनके हितों की रक्षा की जाए। मैं कहना चाहूंगा कि आईएमडीटी एक्ट तो सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री सुशील कुमार मोदी: इस सरकार ने अभी जो समिति बनाई है, अगर उस समिति की आड़ में फिर से नया कानून बनाने का प्रयास किया गया तो वहां के घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम करेंगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह सही नहीं है। आपने 8-10 मिनट ले लिए हैं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया कुछ शांति बनाए रखिए। जैसा कि विपक्ष के नेता ने ठीक ही कहा है कि यह एक गंभीर मामला हैं। हम इस पर अपराह्न 2.00 बजे से चर्चा कर रहे हैं। हमने बहुत अच्छी चर्चा की है। इसलिए मंत्री महोदय को जवाब देने दें। विपक्ष के नेता को उत्तर देने का अधिकार है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बेहतर होगा कि आप इसे तरीके से करें।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): महोदय इस वाद-विवाद ने हमें प्रव्रजन की समस्या, सुरक्षा और धर्मनिरपेक्षता को समझने का एक अवसर प्रदान किया है।

अध्यक्ष महोदय: केवल माननीय गृह मंत्री की बातों को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: इससे हमें यह समझने में सहायता मिली है कि इन मुद्दों पर दलों के विचार क्या हैं तथा नेतागण इन मुद्दों के बारे में क्या सोचते हैं।

महोदय, श्री प्रणब मुखर्जी ने सभा को बताया कि आई.एम.डी.टी. अधिनियम को क्यों बनाया गया था। उन्होंने जो कुछ भी कहा है उससे अधिक मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। श्री कपिल सिब्बल ने उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, इस निर्णय के पीछे निहित तर्काधार के साथ-साथ इस बात का भी उल्लेख किया कि इस निर्णय को किस प्रकार से पढ़ा या समझा जाए। उन्होंने निर्णय के बारे में जो कुछ भी कहा है उससे अधिक मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। विपक्ष के नेता, श्री आडवाणी ने 1998 में जरनल सिंहा द्वारा दी गयी रिपोर्ट का उल्लेख किया है। इस रिपोर्ट के बारे में महत्वपूर्ण बात स्वयं इसकी तिथि है, जैसा कि श्री कपिल सिब्बल ने इंगित किया है। यह रिपोर्ट 1998 में दी गयी थी।

इस रिपोर्ट को सौंपने के बाद क्या किया गया? यदि हमें उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का अभिप्राय समझना है, तो क्या यह निर्णय वर्तमान सरकार के विरुद्ध है। अथवा क्या यह निर्णय पूरे देश में जो कुछ भी हुआ उसके विरुद्ध है। यदि यह रिपोर्ट 1998 में दी गयी थी तथा यदि राजग सरकार छह वर्षों से अधिक समय तक सत्ता में रही तो क्या यह पूछना न्यायसंगत नहीं होगा कि उन्होंने इस संबंध में क्या किया। मेरे पास आंकड़े उपलब्ध हैं। मैं इन आंकड़ों को नहीं पढ़ना चाहता हूं कि कितने आवेदन दिए गए कितने आवेदनों की जांच की गयी, कितने लोगों की पहचान की गयी और कितने लोगों को निर्वासित करने का प्रयास किया गया। वर्ष 1998 से 2004 तक के संबंधित आंकड़े मेरे पास उपलब्ध हैं।

यदि हम इन आंकड़ों को देखें तो हम समझ सकते हैं कि यह निर्णय क्या संकेत करने का प्रयास कर रहा है। यह वर्तमान सरकार के विरुद्ध कोई अभियोग नहीं है। बल्कि इसमें उनकी समझ के अनुसार अपने देश में विद्यमान रही स्थिति का वर्णन करने का प्रयास किया गया है। माननीय नेता, विपक्ष ने कहा कि राजग सरकार ने इस अधिनियम को निरसित करने का प्रयास किया था परन्तु अन्य अनेक दलों पर निर्भर होने के कारण उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं हो सका। महोदय अनेक कानून पारित किए गए। परन्तु उनकी बात छोड़िए। वे इस कानून को भी पारित करवाने का प्रयास कर सकते थे। निर्णय में यह बताया गया है कि यह कानून और नियम दोनों ही आपत्तिजनक है तथा सरकार को इस नियम को संशोधित करने में सभा के बहुमत की कोई आवश्यकता नहीं है। कार्यपालिका को यह अधिकार प्राप्त है। यदि मैं यह पूछूं कि तत्कालीन आवश्यकता को पूरा करने हेतु नियमों को संशोधित क्यों नहीं किया गया तो जवाब क्या होगा? मुझे इसका कोई जवाब नहीं मिलता। मैं समझता हूं कि राजग सरकार के लिए इस प्रश्न का जवाब देना बहुत आसान नहीं होगा। मैं उन मुद्दों के बारे में कुछ कहने नहीं जा रहा हूं जिन पर पहले ही चर्चा हो चुकी है तथा मैं छोटे मुद्दों पर कोई वक्तव्य भी नहीं देने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

वाला हूं। एकमात्र मुद्दा जिसे मैं इस सम्माननीय सभा के समक्ष रखना चाहता हूं वह यह है कि प्रव्रजन रोकना सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार क्या करेगी। यही बात महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक है।

दूसरा मुद्दा जिसका मैं उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि भारत की वर्तमान सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या करेगी जिससे भारत के असली नागरिकों को कोई परेशानी न हो तथा देश की सम्प्रभुता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हम सभी को मिलकर क्या करना चाहिए। मात्र इन्हीं तीन मुद्दों पर मैं अपनी बात रखूंगा और तत्पश्चात अपना स्थान ग्रहण करूंगा।

भारत सरकार ने संपूर्ण सीमा पर बाड़ लगाने का निर्णय लिया है। आधी सीमा पर बाड़ लगाने का काम पूरा हो चुका है और शेष आधी सीमा पर यह कार्य जारी है। वहां कार्यरत लोगों से मुझे जानकारी मिली है कि यह कार्य वर्ष 2006 तक पूरा हो जाएगा। बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो जाने पर प्रवजन रोकने में हमें सहायता मिलेगी।

दूसरे, सीमा पर बाड़ लगाने का कार्य काफी पहले आरंभ किया गया था। बाड़ लगाने में प्रयोग की लाने वाली प्रौद्योगिकी आधुनिक प्रौद्योगिकी नहीं है। पश्चिम बंगाल में बाड़ लगाने की प्रौद्योगिकी पूर्वी क्षेत्र में बाड़ लगाने की प्रौद्योगिकी से बेहतर है। हम सीमा पार से पलायन को बेहतर तरीके से रोकथाम करने हेतु बेहतर प्रौद्योगिकी को प्राप्त करने का प्रयास कर रहें हैं।

कभी-कभार यह सुझाव दिया जाता है कि क्योंकि यह क्षेत्र नदी-तटीय क्षेत्र है और कभी कभी लोग नदी तटीय क्षेत्र से और छोटे नदी-नालों से पलायन करने का प्रयास करते हैं, हमारे पास तैरते हुए बी ओ पी होने चाहिए। हम तैरते हुए बी ओ पी के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। वस्तुतः हमने तैरते हुए बी ओ पी का अधिग्रहण किया है। परन्तु यह हमारे लिए आसान नहीं है कि हम बी ओ पी को उक्त क्षेत्रों में ले जाकर तैनात करें। हम ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह भी सुझाव दिया गया है कि यह क्षेत्र नदी तटीय क्षेत्र है और हमारे पास और अधिक नौकाएं होनी चाहिए। इसलिए हमने नौकाएं प्राप्त कर ली हैं। हमें और अधिक संख्या में नौकाएं खरीदनी होगी।

यह भी सुझाव दिया गया है कि हमारे पास सुरक्षा बल होने चाहिएं, सीमा सुरक्षा बल को वहां पर लगाना चाहिए। सीमा सुरक्षा बल की एक बटालियन लगभग 70 किलोमीटर लंबी सीमा की रक्षा कर रही है। यह सुझाव दिया गया है कि उस क्षेत्र में इसे घटाकर 30 किलोमीटर किया जाना चाहिए। हम ऐसा कर रहे हैं।

पुनः, यह भी सुझाव दिया है और श्री संगमा ने भी यह सुझाव दिया था कि उन्हें उक्त क्षेत्र में नागरिकों की पंजी तैयार करना चाहिए और रजिस्टर को अद्यतन बनाया जाना चाहिए। उक्त रजिस्टर में जन्म और मृत्यु की प्रविष्टि करनी होगी और उक्त रजिस्टर का उपयोग भारतीय नागरिकों की पहचान करने में की जाएगी। पुनः यह सुझाव दिया गया कि नागरिक पहचान पत्र दिया जाना चाहिए। अब, बहुउद्देशीय पहचान पत्र के कार्य को हमने शुरु किया है। हम इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बहुउद्देशीय पहचान पत्र प्रदान कर रहे हैं। संक्षेप में ये कुछ ऐसे कदम हैं जिससे हमें अवैध आवर्जन को नियंत्रित करने में सहायता मिल सकती है। मैं इनका पूरा ब्यौरा नहीं दे रहा क्योंकि यह अनावश्यक होगा और समय भी कम है।

भारत के असली नागरिक का संरक्षण करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातों में से एक है। यह स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया था भारत में असली नागरिकों के उचित हितों की संरक्षण करने हेतु आई एम डी टी अधिनियम को लागू किया गया था। भारतीय नागरिकों से उनके भारत के नागरिक होने का साक्ष्य मांगे जाने पर उनके लिए साक्ष्य दे पाना कठिन होता है। गांवों में रहने वाले निर्धन ग्रामीणों द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य दे पाना कि वे भारत के नागरिक हैं, कठिन होगा। इसलिए आई एम डी अधिनियम को लागू किया गया था। परन्तु, अब उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया हैं और हम सभी जानतें है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का हम सम्मान करतें हैं। यदि हम कुछ और निश्चित रूप से करना चाहतें है तो हम उनके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान भी करें। यह सुनिश्चित करना होगा। इसी के साथ, नागरिकों की समस्याएं भी दूर हो सकती हैं। इस प्रकार, हम इस प्रक्रिया से गुजर रहें हैं कि इस संबंध में क्या किया जा सकता है। हम अवैध तरीके से यहां आने वालों को रहने की अनुमति नहीं दे सकतें है। परन्तु हम यह भी स्वीकार नहीं कर सकते कि कानून के इस प्रावधान से यहां रहने वाले लोगों के लिए समस्याएं पैदा हों। हम उन लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित करना चाहतें हैं कि कोई अधिकारी या अन्य कोई व्यक्ति गलत व्यवहार न करें। इसलिए कार्यपालिका की शक्ति न्यायपालिका को हस्तांतरित की गई थीं। इसीलिए न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। हम यह देखना चाहेंगे कि इसे कैसे किया जाएगा। कई सुझाव दिए गए हैं। दूसरा सुझाव यह है कि विदेशियों से संबंधित अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। तीसरा सुझाव यह है कि कुछ नए कानून लागू किए जाने चाहिए। क्या कानून को संशोधित करना और नए कानून बनाना आवश्यक है अथवा क्या कुछ और किया जा सकता है? हम सभी संबंधित व्यक्तियों से विचार-विमर्श करने और इस बिन्दु पर उनके विचार और उनके अभिमत और सलाह

[श्री शिवराज वि. पाटील]

लेने के बाद इसे करेंगे। हम यह देखना चाहतें है कि भारत के नागरिकों को कोई कठिनाई न हो।

महोदय, इस मुद्दे पर चर्चा करने के दौरान इस तथ्य पर जोर दिया गया था कि भारत की आंतरिक सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी कहा गया था कि किसी एक देश से दूसरे देश में बड़ी संख्या में पलायन करना, एक प्रकार का आक्रमण है। वर्ष 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के प्रतिनिधि द्वारा दिए गए भाषण को इस संदर्भ में दर्शाया गया था कि किसी एक जगह से दूसरे स्थान पर लोगों का बड़ी संख्या में पलायन आक्रमण के समान है परन्तु यह अलग बात है। हमें यह समझना होगा कि वर्ष 1971 में वस्तुतः क्या हुआ होगा। लाखों, करोड़ों लोगों ने पलायन किया था। यह बहुत थोड़ी सी अवधि में हुआ था। उस प्रकार के पलायन के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करना अनिवार्य हो गया था। इस क्षेत्र में जो कुछ हुआ है वह एक माह या एक वर्ष में हुआ है। इसे समझना होगा कि यह कई वर्षों में हुआ है। यहां इस रिपोर्ट जिसके आधार पर इस सभा में भाषण करने के साथ-साथ फैसला देने के दौरान विश्वास किया गया था। के अनुसार असम में आव्रजन, इतिहास के आरंभ से ही होता रहा है। भारत के स्वतंत्र होने से पहले वन क्षेत्रों, मैदानों और कुछ क्षेत्रों में उपलब्धता जल और इन सब बातों के कारण आव्रजन होता रहा है। यह अवैध आव्रजन को तार्किक बनाने के लिए नहीं कह रहा हूं। ऐसा यह बताने के लिए कह रहा हूं कि ऐसा क्यों हुआ है और इस प्रकार यदि कोई चीज 50 वर्षों से होती रही है, तो क्या हम इसे आक्रमण समझेंगे? यह कहना गलत होगा कि जनांकिकीय परिवर्तन होगा और उस क्षेत्र को पड़ोसी देश में मिला लिया जाएगा। ऐसा कहना गलत होगा। इन सिद्धांतों का कोई आधार नहीं है। युद्ध हमारे देश का विभाजन करने में समर्थ ही नहीं है। आतंकवाद को हमारे देश को बांटने नहीं दिया जाएगा और आप आश्वस्त हो सकते है कि आव्रजन भी ऐसा नहीं कर पाएगा। हमारा देश एक विशाल देश है और हमारे लोग बहुत मजबूत हैं। वे देश की सम्प्रभुता और सुरक्षा को बनाए रखने में सक्षम हैं और विभाजनकारी तर्कों को स्वीकार कर अनावश्यक भय का वातावरण नहीं तैयार करने दिया जाएगा। देश की सम्प्रभुता और सुरक्षा को बनाए रखना सर्वाधिक महत्वपूर्ण तथ्य है और यह तर्क सही नहीं है कि दूसरी तरफ से आने वाले हिन्दू शरणार्थी है और दूसरी तरफ से आने वाले मुसलमान अवैध आप्रवासी हैं।

इस प्रकार की मनोवृत्ति से हमारे देश में असौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा होगा और इससे हमारे देश की एकता प्रभावित होगी। देश की सैन्य शांति की अपेक्षा इसकी संप्रभुता और सुरक्षा को बचाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है एकता का भाव जिसे हमें अपने जिन्दा रहते पैदा करना होगा।

धर्म के नाम पर या भाषा के नाम पर या अन्य बातों के नाम पर विभाजन करने वाली प्रवृत्तियां अपनाने से हम अपने देश की एकता को बनाए नहीं रख सकते हैं। सर्वाधिक बल हमें अपने लोगों से मिल सकता है और वह भी तब जब वे एक रहें। यदि वे एक न रहें और सौहार्दपूर्ण का वातावरण न हो तो इससे हमें कोई सहायता नहीं मिलेगी। मुझे यह कहते हुए दुख होता है और मुझे यह नहीं कहना चाहिए था—लेकिन कई बार मुझे यह लगता है कि यह समस्या संबंधी मुद्दा इसलिए नहीं उठाया गया है कि लोग यह सोचे कि वास्तव में इस जटिल समस्या का हल बहुत कठिन है। शायद, मन में कहीं यह इच्छा रही है कि इस समस्या को मैं राजनीतिक प्रयोजनार्थ प्रयुक्त करूं।

यह कहा गया है कि हम वोट बैंक नीति अपना रहे हैं। तो क्या यह वोट बैंक नीति नहीं है जब आप भी कहते है कि वहां से आने वाले हिन्दुओं को शरणार्थी और मुसलमानों को अवैध प्रवासी माना जाना चाहिए? क्या यह प्रवृत्ति वोट बैंक नीति नहीं हैं? *...(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: वे बांगलादेश से क्यों आए हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी उत्तर दिया जाना है, वह इसके बारे में अपने उत्तर में बताएगें। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली): हिन्दू-मुसलमान के आधार पर देश को बांट दिया। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कोई भी आशा नहीं कर सकता है कि जैसा वह चाहते है हर कोई ऐसा ही कहेगा।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: प्रत्येक की सुरक्षा की जाएगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आडवाणी जी बोलेगें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: जिस पर मैं बात कर रहा था वह भी इसी का भाग है चाहे हम हिन्दू हों या मुसलमान। हम इस देश के हैं हम इस जमीं के हैं, हम यहां का अन्न खाते हैं, हम यहां का जल पीते हैं, हम यहां की हवा में सांस लेते हैं। यदि इस तरह का सौहार्दपूर्ण वातावरण बने तो हम अपने देश को बचा सकते हैं। अन्यथा इसमें जरा सी भी कमी रह जाती है तो हमारे सामने समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। हमारी अपील है कि इस विधि को न अपनाएं, इससे किसी को मदद नहीं मिलेगी *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब इस प्रस्ताव के प्रस्तावक विपक्ष के माननीय नेता उत्तर देना चाहेगें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बाधा न डालें। यह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): माननीय अध्यक्ष जी, मैं गृह मंत्री जी की इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि आज की चर्चा ने एक बहुत उपयोगी कार्य किया है। उसके कारण इस इल्लीगल इम्मीग्रेशन की समस्या के कई पहलू उभर कर इस ढंग से सामने आए हैं कि मैं समझता हूं कि सरकार और सदन, दोनों को उससे लाभ होना चाहिए।

मुझे इस बात का दुख है कि अंत में शिवराज पाटील जी ने एक ऐसी बात कही, जिसे मैं आपत्तिजनक बताना चाहता हूं। प्रधान मंत्री का एक वक्तव्य था, जिसमें मेरे ऊपर एक प्रकार से उस समय आरोप लगाया गया कि मैं इस बात की चिन्ता नहीं कर रहा हूं, जिस समय मैं इल्लीगल इम्मीग्रेशन के बारे में कुछ बोलता हूं या दोहरी नागरिकता देने की बात व्यक्त करता हूं। उसी संदर्भ में मैंने डा. मनमोहन सिंह का या शंकर राय चौधरी का जिक्र किया था। अब उससे यह निष्कर्ष निकालना, जो अभी निकालने की कोशिश मंत्री जी ने की है और जो कहा है, मैं उस पर आपत्ति व्यक्त करता हूं, उसे सही नहीं मानता हूं। मेरा ऐसा मानना है कि हिन्दुस्तान अपने आसपास के देशों में एकमात्र ऐसा देश है, जिसने अपने यहां पर इतनी विविधता होने हुए भी 50 साल से अधिक तक एकता बनाए रखी है। यह एक ऐसा देश है, यहां की ऐसी परम्परा है *...(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): वही तो समझना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री तरित बरण तोपदार, कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है, आप अब क्यों बोले जा रहे हैं? कृपया बैठ जाएं। माननीय प्रस्तावक के विचार के अलावा कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, अपनी सीट पर तत्काल बैठ जाइये।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, देश को इस बात पर गर्व होना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में देश का विभाजन हुआ, जिन परिस्थितियों में देश को आजादी मिली और जिन परिस्थितियों में हमारे पड़ोसी देश ने अपने को एक दूसरे प्रकार का राज्य बनाया, हमने अपने देश को सेक्युलर राज्य बनाया। कपिल जी ने जिस बात का जिक्र किया, मैं उसको भूलूंगा नहीं।

श्री कपिल सिब्बल: आपने तो जिन्ना को सेक्युलर कहा है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: हां, मैं उस पर बाद में आऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया, मेरी बात सुनें। यह महत्वपूर्ण चर्चा है और मैं आभारी हूं कि इस विषय पर स्थगन प्रस्ताव की अनुमति देने के मेरे निर्णय का एक तरह से सम्मान किया गया है क्योंकि हमने इस पर पूरी और प्रभावी ढंग से चर्चा की है हमें प्रत्येक के विचारों का सम्मान करना चाहिए। आप उनके विचारों से बद्ध नहीं है लेकिन उनका अपने विचार व्यक्त करने का वैसे ही अधिकार है जैसे आपको अपने विचार व्यक्त करने का है। इसलिए यह सभी पर लागू है। जब नेता बोलते है तो कृपया उन्हें कम से कम।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूडी (पौडी गढ़वाल): अध्यक्ष महोदय, जब विपक्ष के नेता और प्रधानमंत्री ने भाषण दिया हमने उनकी बात में बिल्कुल भी खलल नहीं डाली इसलिए, उन्हें भी अब उनकी बात में खलल नहीं डालनी चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप अनुभवी नेता हैं, आप बैठ जाइये। हमें वाद-विवाद के अंत में उन्हें सुनना चाहिए। कृपया, सहयोग करें।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैंने कपिल जी को सुना है। यह मत समझिये कि मैं यहां बैठा नहीं था तो मैंने उन्हें सुना नहीं है।

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़): अध्यक्ष महोदय, उन्होंने इसका जिक्र अपने हाथ के साहसिक कार्य हेतु किया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं इसका जवाब दूंगा। आपत्तियां न करें। अध्यक्ष जी, जिन परिस्थितियों में हमें स्वतंत्रता मिली और जिन परिस्थितियों में, उस समय, 1947 मे जो कुछ हुआ, उन परिस्थितियों में इस देश के द्वारा यह संविधान स्वीकार करना, यह हमारे लिए गर्व की बात है। आप संविधान सभा की डिबेट्स उठाकर देखिये कि डाक्टर अम्बेडकर जैसे प्रमुख कानून मंत्री के नाते जो उन्होंने भूमिका निभाई, वैसे ही जिनकी प्रेरणा से हम लोग राजनीति में आये, डाक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से शुरु करें तो उनका भी योगदान उसके निर्माण में था। बावजूद इसके कि उस समय जनसंघ नहीं बना था, वे हिन्दू महासभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने बाद में यह कहकर जनसंघ बनाया कि अब स्वतंत्र भारत में जो भी राजनैतिक संगठन बने, उसमें सब धर्मों के लोग आने चाहिए। यह बात अलग है, लेकिन मैं जिस बात पर बल दे रहा था कि मेरे इस स्थगन प्रस्ताव के खिलाफ इतने लोग बोले, लेकिन किसी ने भी उस पहलू का उल्लेख नहीं किया जिसका उल्लेख मंत्रीजी ने बाद में आकर किया। ...*(व्यवधान)* मैं मानता हूं कि गैर-कानूनी इमीग्रेशन की समस्या का संबंध प्रमुख रूप से सिक्योरिटी से है। सन् 1983 की भूमिका में सरकार के मन में कुछ लैजिटिमेट ग्रीवेंसेज होंगें, अप्रीहैंशन्स होंगे। इस एजीटेशन के कारण कि लैजीटिमेट बौनाफाइड नागरिकों के खिलाफ कोई कार्रवाई न हो। एजीटेशन में जो वातावरण था, उसके कारण यह अप्रीहैंशन्स थीं।

सायं 7.00 बजे

लेकिन आज मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान में, यह एप्रीहैंशन है कि कोई बोनाफाइड सिटिजन उसे फौरनर करके निकाल न दे क्या यह बाकी स्टेट्स में नहीं है, हर स्टेट में हो सकता है और सुप्रीम कोर्ट में जितना डिसकशन हुआ, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने लॉयर्स दोनों तरफ से एपीयर हुए उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि दुनिया भर में जहां लोकतंत्र हैं, उनमें फौरनर कौन है, कौन नहीं है, इस पर अगर कोई प्रश्न चिह्न खड़ा होता है तो यह जवाबदारी उस फौरनर की होगी जिसके ऊपर आरोप है कि वह फौरनर है उसे प्रमाणित करना है कि वह फौरनर है या नहीं। सिद्ध करने का भार उस पर होता है अगर आईएमडीटी और फौरनर्स एक्ट में कोई मौलिक अंतर है जिसके कारण वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने उसे स्ट्राइक डाउन किया है वह यह है कि आईएमडीटी एक्ट में यह प्रावधान किया गया है कि जवाबदारी जो होगी वह उस पर नहीं होगी, उसके खिलाफ प्रूव करना पड़ेगा, जो आपत्ति करता है, उस क्षेत्र का प्रूव करेगा। ...*(व्यवधान)* ऐसा ही है।

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: जी, नहीं ऐसा नहीं है। वह कृपया उस प्रावधान का उल्लेख करें। विदेशियों विषयक अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत, "सिद्ध करने का भार व्यक्ति पर है पर विवाद है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जी, हां।

श्री कपिल सिब्बल: सही है। किन्तु इस अधिनियम के अंतर्गत धारा 9 जैसा कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए, 'सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर नहीं है'। यह तथ्यात्मक रूप से गलत है।

श्री पवन कुमार बंसल: किन्तु सभी अधिवक्ता इसे स्वीकार नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: आप उनके वक्तव्य को स्वीकार नहीं कर रहे हैं।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मैं कानूनी बारीकियों में नहीं जा रहा हूं।

[हिन्दी]

मेरा यह कहना है कि इसमें फर्क यह है कि जवाबदारी उसकी नहीं है, उसे चुप रहना है।

श्री कपिल सिब्बल: प्रपत्र 1 और उसके अंतर्गत नियम 8 और नियम 8 (क)। प्लीज आप उसे पढ़िए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अन्त में, यह सही है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बच्चा है।

...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: उन्होंने शुरु में सही बात कही कि यह लॉयर्स का काम नहीं है। यह पॉलिटिकल व्यक्ति ज्यादा समझ सकता है इसलिए यह लॉयर्स का काम नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं अधिवक्ता कैसी भी व्याख्या कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: इनकी समझ में यह आया कि सुप्रीम कोर्ट ने मोटिव पार्लियामैंट को एट्रिब्यूट किए। मुझे यह समझ में आया कि कोर्ट ने मोटिव गवर्नमैंट को एट्रिब्यूट किए, पार्लियामैंट को एट्रिब्यूट नहीं किए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह उनकी व्याख्या है।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष जी, मैं समझता हूं कि आज जितनी चर्चा सरकारी पक्ष से हुई, उसे मान लिया जाए तो उसका भाव यह निकलेगा कि इल्लिगल इम्मिग्रेशन चाहे जितना हो लेकिन बोनाफाइड सिटिजन्स को प्रोटैक्ट करने के लिए जो आईएमडीटी एक्ट है, वैसा एक्ट सारे हिन्दुस्तान में फौरनर्स एक्ट की बजाय लगाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मुझे खेद है, मैं सामान्यत: नहीं उठता हूं और आपका विरोध नहीं करता हूं किन्तु यह सही नहीं है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: पश्चिमी सीमा पर बाड़ लगाने के प्रभाव के बारे में आपकी बात की प्रशंसा करता हूं।

[हिन्दी]

इस पर हजारों-करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: मैंने यह कहा है कि कई विकल्प हैं और हम सभी संबंधित दलों से परामर्श करेंगे और तब कोई निर्णय लेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों कहा?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: बहुत बहुत धन्यवाद।

[हिन्दी]

आज का भाषण सुन कर मुझे लगा कि आपके मन में यह आया कि फौरनर्स एक्ट लोगों के साथ अन्याय करेगा। मैं मानता हूं कि फौरनर्स एक्ट के कारण हिन्दुस्तान भर में कहीं अन्याय नहीं हुआ है। असम में भी किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अगर आईएमडीटी एक्ट के कारण इल्लिगल एम्मिग्रेशन करने वाले जितने लोग हैं, उनका डिटैक्शन, डिपोर्टेशन, सब रुक गया है तो आप चाहेंगे कि यह एक्ट हिन्दुस्तान भर में आज ही लागू हो जाए। अगर ऐसा चाहेंगे तो फैंसिग की बात क्यों की जाती हैं, सब खत्म कर दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा का समय 7.30 सायं तक 25 मिनट के लिए और बढ़ा दिया जाए।

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अगर ईस्टर्न बॉर्डर में फैंसिग नहीं हुई है, जो वैस्टर्न बॉर्डर में हो सकती है, उसका प्रमुख कारण जियोग्राफिकल है, उसका प्रमुख कारण वहां की पापुलेशन का नेचर है, इस तरह से ये कारण ज्यादा हैं। केवल मात्र यह कारण नहीं है कि हमने अभी तक खर्च नहीं किया। लेकिन अगर हो सकता है तो हम जरूर करेंगे। कठिनाइयां तो हमें कच्छ में भी आती हैं। *...(व्यवधान)* जैसा कि मैंने शुरु में सवाल उठाया था *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उच्चतम न्यायालय का संपूर्ण निर्णय इस तथ्य पर आधारित था कि आई एम डी टी अधिनियम और इसके माध्यम से पहचान करके विदेशियों को वापस भेजने में विफलता की वजह से पूर्वोत्तर में सुरक्षा खतरे में पड़ गई है।

[हिन्दी]

इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिक्योरिटी के लिए खतरा पैदा हुआ है उस सिक्योरिटी के खतरे को दूर करने के लिए आईएमडीटी जैसा एक्ट खत्म होना चाहिए। मैं स्वागत करता हूं कि सदन ने चाहे दूसरी राय रखी हो लेकिन आपने जो बात अंत में कही और जिसका किसी ने जिक्र नहीं किया जैसे सिक्योरिटी का कोई कन्सर्न नहीं है। केवल कन्सर्न यह है कि कोई गलत आदमी न भेज दिया जाए। गलत आदमी भेज दिए जाएं तो भी दुनिया में जितने कानून फार्नर्स के लिए बने हैं, उसमें जवाबदारी उसकी मानी गई है कि तुम प्रमाणित करो कि मैं फार्नर नहीं हूं, मैं यही का हूं, डेट

[श्री लाल कृष्ण आडवाणी]

बताओ, कहां जन्म हुआ और कहां जन्म नहीं हुआ। यह सब उसके आधार पर होता है।

[अनुवाद]

सिर्फ आईएमडीटी अधिनियम की वजह से किसी भी लोकतंत्र का यह स्थापित मानदण्ड बदल गया है। मेरे विचार में उच्चतम न्यायालय ने एक बुद्धिमत्तापूर्ण कदम उठाया है।

[हिन्दी]

एक पैराग्राफ का उल्लेख करके कपिल जी ने कहा, उन्होंने पार्लियामेंट के ऊपर मोटिव एट्रीब्यूट किया है। जो मुझे समझ में आया वह यह है कि उन्होंने, जिस समय गवर्नमेंट यह बिल लाई उसके ऊपर एट्रीब्यूट किया है। जहां तक आपके जिन्हा की बात है। *...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: आज कल वह आपका हो गया है।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। इन को भी इच्छा है और उन लोगों की भी इच्छा है। *...(व्यवधान)* मुझे कोई आपत्ति नहीं है *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए। ज्यादा समय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत वर्षों बाद अपने जन्म स्थान पर गया था। वर्ष 1947 में वहां से निकला, वर्ष 1947 के बाद अब वर्ष 2005 हो गया है। एक बार पहले, मैं वर्ष 1978 में वहां गया था। श्री मोरारजी भाई की सरकार में सूचना एवं प्रसारण मंत्री था तब वहां की सरकार ने बुलाया था। इस बार विपक्ष का नेता होने के नाते कुछ पाकिस्तान सरकार ने निमंत्रण दिया। मुझे बहुत खुशी थी कि मैं वहां जाऊं क्योंकि वह मेरा जन्म स्थान है और मैं वहां गया। मुझे अपने जीवन के बीस साल याद आए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सुनिये। यह गृह-विरह की याद है। वे वहीं पले बढ़े थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: कपिल जी ने मुझे उकसाया था अन्यथा मैं इस बारे में बात नहीं करता *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किन्तु वे प्रसन्न हैं कि वे वहां गए थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: जी, हां। मैं बहुत प्रसन्न हूं। यद्यपि उस ओर के मेरे मित्र अब और भी प्रसन्न होंगे क्योंकि उसकी वहज से विवाद उत्पन्न हो गया है *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

वे खुश होते कि अच्छा हुआ *...(व्यवधान)* उसका संबंध आपसे भी है, इस नाते है कि।

[अनुवाद]

अभी कुछ समय पहले ही मैं कराची में था। सन् 1947 में, वहां स्थित रामकृष्ण मिशन के अध्यक्ष स्वामी रंगनाथ नन्दा हुआ करते थे। वे वहां के अध्यक्ष थे। वे 1942 से 1948 तक अध्यक्ष थे। मैं उनके गीता व्यख्यानों के लिए वहां जाया करता था। यदि आप यह सोचते हैं कि इस पर मतदान किया जाए तो मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बोलिए। आपकी बात पूरी होने के बाद मैं निर्णय लूंगा। स्वामी रंगनाथ नन्दा महान व्यक्ति थे।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: अध्यक्ष महोदय, यदि आप चाहते हैं तो इस पर मतदान करवा सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जो भी निर्णय लेंगे मुझे उससे कोई आपत्ति नहीं है किन्तु मैं केवल यही कहूंगा कि यह बहुत सुखद क्षण था, मेरी सुखद यात्रा जिसने मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका दिया और इसने मुझे पाकिस्तान के लोगों को यह बताने का अवसर दिया कि कई वर्षों में पहली बार आप लोगों ने भारत के किसी व्यक्ति को काट्स राज में स्थित सात प्राचीन मंदिरों के पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। काटस राज लाहौर से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पाण्डवों ने अपने अज्ञात वास का कुछ समय वहां बिताया था और युधिष्ठर जब काटस राज स्थित तालाब से पानी लेने गए थे तो यक्ष प्रश्न वहीं पूछे गए थे। ऐसा मानना है। इसीलिए, वे महसूस करते हैं कि यदि ऐसा हो जाता है तो वहां प्रत्येक वर्ष काटस राज मेला लग सकता है और उस मेले में उस तालाब से इस पानी को पवित्र जल के रूप में लाया जा सकता है।

ये सभी बातें हैं। इस बात ने मुझे याद दिलाया कि। अगस्त, 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में कहा था "अब पाकिस्तान बन चुका है अब तो हम सभी यह दृष्टिकोण अपनायें। हिन्दुओं को उनके मन्दिरों में जाने दो। मुस्लिमों को उनकी मस्जिदों में जाने दो। हर कोई अपने पूजा स्थल पर जा

सकता है। राज्य के लिए राज्य में सभी नागरिक समान हैं।" अब जब उन्होंने मुझे कटास राज मन्दिर को खोलने के लिहाज से बुलाया तो मुझे वह भाषण याद आ गया और उसी भाषण के संबंध में स्वामी रंगनाथ नन्दा द्वारा मेरा ध्यान भी आकृष्ट किया गया था। उस समय उनकी आयु 96 वर्ष थी और मैं उसे बेलुर मठ में मिला था उन्होंने मुझसे कहा "कि आपने वह भाषण सुना है?" ...*(व्यवधान)*

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): यह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को स्वीकार्य नहीं है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसे स्वीकार नहीं कर सकता। ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: महोदय सच्चाई यह है कि मैं महसूस करता हूं कि पिछले छः वर्षों से वाजपेयी सरकार भारत और पाकिस्तान को समीप लाने के प्रति अडिग थी। उन्होंने तीन बार बड़े प्रयास किए लेकिन पाकिस्तान के प्रति हमारा दृष्टिकोण यही रहा कि हमारी नीति की दो मुख्य बातें, दो मुख्य तत्व ये रहे कि हम सीमा पार आंतकवाद के संबंध में कोई समझौता नहीं करेंगे और स्थिति को सामान्य बनाने के लिए हमारा लगातार प्रयास रहेगा ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: आपने हर बार समझौता किया ...*(व्यवधान)*

श्री लाल कृष्ण आडवाणी: ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने इस पर उस समय चर्चा की थी जब हम आतंकवाद पर चर्चा कर रहे थे लेकिन हमने इसके साथ कोई समझौता नहीं किया और उसी समय पाकिस्तान के साथ शांति स्थापना और रिश्तों को सामान्य बनाना भी था। मैं इस बात का अनुभव करता हूं कि पाकिस्तान के साथ शांति और रिश्तों के सामान्य होने के बाद हमारे संबंध और मजबूत हो सकते है यदि बांगलादेश और पाकिस्तान दोनों में एक धर्म और अन्य धर्मों के बीच कोई विभेद न हो। और हमने यही कहा है वहां पर भी धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया है इसी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने 11 अगस्त को मोहम्मद अली जिन्ना के भाषण का संदर्भ दिया था। मैं समझता हूं कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खुशी है कि बहुत प्रभावशाली चर्चा हुई है सभी माननीय सदस्यों ने सहयोग किया है।

अब प्रश्न यह है

"कि सभा अब स्थगित होती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

सायं 7.13 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में प्राकृतिक आपदाएं

अध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 193 के अधीन चर्चा संबंधी मद संख्या 16 को लेंगे। श्री बसुदेव आचार्य।

श्री बसुदेव आचार्य (बाकुंरा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे देश में प्राकृतिक आपदाओं संबंधी चर्चा में भाग देने की अनुमति दी।

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य आप कल अपने भाषण को जारी रख सकते हैं।

अब सभा कल 27 जुलाई, 2005 के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.14 बजे

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार 27 जुलाई, 2005/5 श्रावण, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री पी. मोहन श्री अन्नासाहेब एम.के. पाटील	21
2.	श्री निखिल कुमार श्री बृज किशोर त्रिपाठी	22
3.	श्री हंसराज जी. अहीर	23
4.	श्री लक्ष्मण सिंह	24
5.	श्री हितेन बर्मन श्री सुब्रत बोस	25
6.	श्री मुन्शी राम श्री महेश कनोडीया	26
7.	श्री जी. करुणाकर रेड्डी श्री अनन्त नायक	27
8.	श्री सीताराम सिंह	28
9.	प्रो. एम. रामदास श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	29
10.	श्री इकबाल अहमद सरडगी प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा	30
11.	श्री रनेन बर्मन श्री जसवंत सिंह बिश्नोई	31
12.	डा. एम. जगन्नाथ	32
13.	श्री पी. राजेन्द्रन	33
14.	श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव श्री कीर्ति वर्धन सिंह	34
15.	श्री सुग्रीव सिंह श्री किसनभाई वी. पटेल	35
16.	श्री डी. वी. सदानन्द गौडा	36
17.	श्री गणेश सिंह श्री रवि प्रकाश वर्मा	37
18.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री हरिकेवल प्रसाद	38
19.	श्री बाडिगा रामकृष्णा श्री ई. पोन्नुस्वामी	39
20.	श्री मोहन सिंह	40

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	276
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	382
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	355, 365, 382, 403
4.	अग्रवाल, डा. धीरेन्द्र	232
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	326
6.	अजनाला, डा. रतन सिंह	306
7.	अंगडि, श्री सुरेश	272, 277, 291, 336
8.	अप्पादुरई, एम.	252
9.	आठवले, श्री रामदास	336, 383
10.	"बाबा", श्री के.सी. सिंह	277
11.	बंसल, श्री पवन कुमार	244, 320, 394
12.	बारड़, श्री जसुभाई दानाभाई	231, 342, 389, 401, 406
13.	बर्मन, श्री हितेन	317, 378
14.	बखला, श्री जोवाकिम	233, 289, 345
15.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	290
16.	भडाना, श्री अवतार सिंह	340
17.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	239, 363, 395
18.	बोस, श्री सुब्रत	318
19.	चक्रवर्ती, श्री अजय	282, 336
20.	चन्देल, श्री सुरेश	242, 339, 387
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	286, 336, 337
22.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	343
23.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	335, 406
24.	चिन्ता मोहन, डा.	268, 404

1	2	3
25.	चौहान, श्री शिवराज सिंह	273, 325, 346, 379, 391
26.	चौधरी, श्री पंकज	266
27.	चौधरी, श्री अधीर	266, 325
28.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	270, 286, 352
29.	देशमुख, श्री सुभाष सुरेशचंद्र	241
30.	धनराजू डा. के.	277
31.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	306
32.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	265, 336, 352
33.	गमांग, श्री गिरिधर	284
34.	गंगवार, श्री संतोष	292
35.	गाव, श्री तापिर	311, 371
36.	गोहेन, श्री राजेन	293
37.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	338, 386
38.	गोयल, श्री सुरेन्द्र प्रकाश	271
39.	हर्ष कुमार, श्री जी.वी.	265
40.	हसन, श्री मुनव्वर	260, 279, 366, 397
41.	जगन्नाथ, डा. एम.	385
42.	जय प्रकाश, श्री	336
43.	झा, श्री रघुनाथ	250, 324
44.	जिन्दल, श्री नवीन	235, 315
45.	जोगी, श्री अजीत	310, 370
46.	जोगी, श्री प्रहलाद	350
47.	करुणाकरन, श्री पी.	290, 304
48.	कस्वां, श्री राम सिंह	240
49.	खैरे, श्री चंद्रकांत	237
50.	खंडूडी, मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र	249, 272
51.	खन्ना, श्री अविनाश राय	343

1	2	3
52.	खारवेनथन, श्री एस.के.	238, 316, 375, 399, 400
53.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	281, 325
54.	कोया, डा. पी.पी.	308, 367, 391, 398
55.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	266, 303
56.	कुरुप, श्री सुरेश	294, 357
57.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	325, 329, 336, 379
58.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	262, 333, 383, 404
59.	महाजन, श्री वाई.जी.	243, 289
60.	महतो, श्री बीर सिंह	245
61.	महतो, श्री सुनिल कुमार	232
62.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	379
63.	माझी, श्री परसुराम	275, 336, 347, 392
64.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	343, 390
65.	मंडल, श्री सनत कुमार	247, 292, 350
66.	माने, श्रीमती निवेदिता	265, 274, 336
67.	मेघवाल, श्री कैलाश	297
68.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	313, 373
69.	मिश्रा, डा. राजेश	287
70.	मोदी, श्री सुशील कुमार	272
71.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	312
72.	मुकीम, मो.	255, 279
73.	मो. ताहिर, श्री	325, 329, 336, 379
74.	मोहिते, श्री सुबोध	236
75.	मोल्लाह, श्री हन्नान	262, 267, 340, 388

1	2	3
76.	मुन्शी राम, श्री	325, 329, 336, 379
77.	मुर्मु, श्री हेमलाल	273, 293, 325, 372, 379
78.	मुर्मु, श्री रूपचन्द	261
79.	नम्बाडन, श्री लोनाप्पन	258, 266, 362
80.	नायक, श्री अनन्त	351
81.	निखिल कुमार, श्री	325
82.	ओराम, श्री जुएल	248, 322, 328, 369, 377
83.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	336, 354, 382, 396
84.	पाण्डा, श्री प्रबोध	265, 266, 283, 302
85.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	340, 343, 390
86.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	336
87.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	348
88.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	323, 336, 337, 379
89.	पाठक, श्री ब्रजेश	266, 301, 391
90.	पाटील, श्री अन्नासाहेब एम.के.	294
91.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	263
92.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	251, 261, 340, 361
93.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	232, 289
94.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	278, 336, 350, 382
95.	राई, श्री नकुल दास	254
96.	राजेन्द्र कुमार, श्री	283, 353
97.	रामदास, प्रो. एम.	332, 359, 382, 403

1	2	3
98.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	246, 266, 354, 407
99.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	257, 265, 358
100.	राव, श्री डी. विट्टल	269, 341
101.	रेड्डी, श्री जी. करुणाकर	312, 330, 380, 401
102.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	309, 368
103.	रेड्डी, श्री एन. जर्नादन	307
104.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	336, 337
105.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	289
106.	रिजीजू, श्री कीरेन	325
107.	साई प्रताप, श्री ए.	261, 340
108.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	334, 384, 393, 405
109.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	272
110.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	281
111.	सत्पथी, श्री तथागत	336
112.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	265
113.	शाहिद, मोहम्मद	325, 329, 336
114.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	277
115.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	336, 355
116.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	325, 329, 336, 379
117.	सिद्धेश्वर, श्री जी.एम.	272, 295
118.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	256, 349
119.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	348, 406
120.	सिंह, श्री लक्ष्मण	327
121.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	288, 356
122.	सिंह, श्री दुष्यंत	299
123.	सिंह, श्री गणेश	336, 382

1	2	3
124.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	274, 336, 352
125.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	280, 305, 336, 364, 396
126.	सिंह, श्री मोहन	255, 336
127.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	253, 272, 321, 376
128.	सिंह, श्री रेवती रमन	259, 400
129.	सिंह, श्री सीताराम	319, 381, 401, 402
130.	सिंह, श्री सुग्रीव	323, 325, 337, 379
131.	सिंह, श्री सूरज	272, 298, 360
132.	सिंह, श्री उदय	266, 300
133.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	270, 325, 344
134.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	232, 270, 288, 314, 374
135.	सुब्बारायण, श्री के.	352
136.	सुमन, श्री रामजीलाल	262, 268, 333, 383
137.	थामस, श्री पी.सी.	296
138.	डुम्मर, श्री वी.के.	285, 289
139.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	325, 331
140.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	272, 280
141.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	379
142.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	285, 336
143.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	350, 355, 365, 382
144.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	336
145.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	245, 289, 335
146.	यादव, श्री गिरिधारी	336
147.	यादव, श्री सीता राम	264
148.	यास्खी, श्री मधु गौड	265, 274, 336
149.	जाहेदी, श्री महबूब	278

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	33
वाणिज्य और उद्योग	:	25, 27, 29
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	22, 24, 26, 28, 32, 35, 36, 38
मानव संसाधन विकास	:	30, 34, 37, 39, 40
संसदीय कार्य	:	
लघु उद्योग	:	21, 23, 31
जनजातीय कार्य	:	
शहरी विकास	:	
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण विकास	:	312, 345, 391
वाणिज्य और उद्योग	:	238, 245, 249, 256, 257, 261, 265, 269, 270, 278, 289, 290, 296, 303, 307, 309, 323, 328, 334, 335, 338, 341, 345, 348, 349, 350, 351, 354, 357, 358, 361, 364, 374, 382, 386, 389, 392, 401, 403, 405
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	297
गृह	:	233, 234, 236, 237, 239, 242, 244, 248, 252, 258, 259, 260, 266, 268, 275, 277, 279, 282, 283, 285, 286, 288, 293, 300, 306, 308, 310, 314, 317, 318, 320, 322, 325, 327, 336, 337, 340, 343, 347, 353, 356, 359, 365, 367, 368, 372, 373, 376, 377, 393, 394, 397, 398, 402, 406, 407
मानव संसाधन विकास	:	231, 232, 241, 253, 267, 272, 280, 281, 292, 299, 301, 302, 304, 305, 324, 326, 331, 332, 339, 344, 352, 355, 369, 371, 375, 378, 379, 380, 381, 388, 390, 396, 399, 404.
संसदीय कार्य	:	
लघु उद्योग	:	240, 243, 294, 330, 342, 346, 384
जनजातीय कार्य	:	276, 284, 311, 362
शहरी विकास	:	235, 246, 247, 251, 254, 255, 262, 263, 264, 271, 273, 274, 287, 291, 298, 313, 315, 316, 319, 321, 333, 360, 366, 383, 385, 387, 395, 400
शहरी रोजगार और गरीबी उपशमन	:	250, 295, 329, 363, 370.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल ''डीडी-लोकसभा'' पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/11/2/2005 (एन०)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और श्री इन्टरप्राइजेज, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।